| فہرست مضامین ابواب مجموعہ ضابطہ فوجداری راج مارواڑ بابت ١٨٨٧ء | | | | फेहरिस्त मज़ामीन अबवाब मज्मूए ज़ाबते फ़ौजदारी राज मारवाड़ बाबत सन् १८८७ ई० | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صفحہ | مضمون | باب | نمبر سلسلہ | नम्बर सिलसिलेवार | बाब | मज़मून | सफ़ा |
| ٣ | مراتب ابتدائی کے بیان میں۔ | ١ | ١ | १ | १ | मरातिब इब्तदाई के बयान में | ३ |
| ٤ | فوجداری عدالتوں اور سرشتوں کا تقرر | ٢ | ٢ | २ | २ | फ़ौजदारी अदालतों और सरिश्तों का तकर्रुर | ४ |
| ٦ | فوجداری عدالتوں کے اختیارات کی بیان میں۔ | ٣ | ٣ | ३ | ३ | फ़ौजदारी अदालतों के अख़्तियारात के बयान में | ६ |
| ١٣ | ملازمان فوجداری کو مدد و اطلاع دینے کے بیان میں | ٤ | ٤ | ४ | ४ | मुलाज़मान फ़ौजदारी को मदद व इत्तला देने के बयान में | १३ |
| ١٤ | گرفتاری اور بھاگ جاتے اور پھر گرفتار کرنیکے بیان میں | ٥ | | ५ | ५ | गिरफ़्तारी और भागजाने और फिर गिरफ़्तार करने के बयान में | १४ |
| ١٨ | بابت گرفتاری بلا وارنٹ | ״ | ٦ | ६ | ״ | बाबत गिरफ़्तारी बिला वारंट | १८ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر فہرست | नम्बर फ़ेहरिस्त | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | وارنٹ | | | | | वारंट | |
| ١١ | نقشہ جرائم جنمیں عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے معہ دفعات ضمیمہ نمبر ٢ و ٣ مجموعہ ہذا | | ٥١ | ५१ | ॥ | नक़शा उन जुरमोंका जिनमें अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है मय दफ़ाआत ज़मीमें नंबर २ व ३ मजमूअ हाज़ा | ११ |
| ١٤ | نقشہ جرائم متعلقہ دفعات ضمیمہ نمبر ٢ و ٣ جنمیں ابتدائی وارنٹ جاری ہو سکتا ہے | | ٥٢ | ५२ | ॥ | नक़शा जुरायम मुतअल्लिक़े दफ़ाअत ज़मीमें नंबर २ व ३ जिनमें इब्तदाय वारंट जारी हो सक्ता है | १४ |
| ٢٦ | نقشہ متعلقہ سزائے جرائم خفیف - | ضمیمہ نمبر ٢ | ٥٣ | ५३ | | नक़शे मुतअल्लिक़े सज़ाय जुरायम ख़फ़ीफ़ | २६ |
| | اعانت کے بیان میں | | | | | अआनत के बयानमें | |
| ١١ | دفعہ ١ ایک شخص مرتکب اعانت کا ہو سکے - | | ٥٤ | ५४ | | दफ़ा १ एक शख़्स मुर्तकिब अआनत का होवे | ॥ |
| ٢٧ | دفعہ ٢ ایضاً چند آدمی عدول حکمی - | | ٥٥ | ५५ | | दफ़ा २ एज़न चंद आदमी उदूल हुक्मी | २७ |
| ١١ | دفعہ ٣ سرکاری ملازم | | ٥٦ | ५६ | | दफ़ा ३ सरकारी मुलाज़िं | ॥ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر شمار | नम्बर शुमार | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | کے حکم جائز کی تعمیل نکرنا یا اُسکی طلبی پر حاضر نہونا یا قید کی حالت میں روٹی نہ کہانا | | | | | मसे हुक्म जायज़की तामील न करना या उस्की तलबी पर हाज़िर होना या क़ैद क़ैद की हालत में रोटी न खाना | |
| ٢٨ | دفعہ ۴ اظہار لکھانے سے یا اپنے اظہار پر دستخط کرنے سے یا حلف اُٹھانے سے انکار کرنا یا واجبی بات بیان نکرنا یا دستاویز مطلوبہ پیش نکرنا | | ٥٧ | ५७ | | दफ़ा ४ इज़हार लिखाने से या अपने इज़हार दस्तखत करने से या हलफ़ उठाने से इनकार करना या वाजबी बात बयान न करना या दस्तावेज़ मतलूबा पेश न करना | २८ |
| | **مخالف آسودگی عام خلایق و ہنگامہ پردازی** | | | | | **मुखालिफ़ आसूदगी आम ख़लायक़ व हंगामा परदाज़ी ॥** | |
| ٢٩ | دفعہ ۵ بلوہ کرنا | | ٥٨ | ५८ | | दफ़ा ५ बलवा करना | २९ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر شمار | नंबर शुमार | बाब | मज़मून | सफ़हा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹ | دفعہ ۶ اُس زمین کا مالک یا دخیل جسپر کوئی مجمع خلاف قانون اکٹھا ہوا ہو سرکار میں اطلاع نہ دینا۔ | ضمیمہ نمبر ۲ | ۵۹ | ५९ | | दफ़ा ६ उस ज़मीन का मालिक या दख़ील जिसपर कोई मजमूआ ख़िलाफ़ क़ानून इकट्ठा हुआ हो सर्कार में इत्तलाअ न देना | २९ |
| ۳۰ | دفعہ ۷ خانہ جنگی تحقیر ملازمان راج | | ۶۰ | ६० | | दफ़ा ७ ख़ाने जंगी के बयान में तहक़ीर मुलाज़मान राज | ३० |
| ۳۱ | دفعہ ۸ لوازم منصبی کی انجام دہی میں سرکاری ملازم کی مزاحمت کرنا یا کوئی ایسا لفظ کہنا جس سے اُسکی خفت | | ۶۱ | ६१ | | दफ़ा ८ लवाज़म मनसबी के अनजाम देही में सरकारी मुलाज़िम के मुज़ाहमत करना या कोई ऐसा लफ़्ज़ कहना जिससे उसकी ख़फ़त या तौहीन | ३१ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر شمار | नम्बर शुमार | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سے کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا یا مجمع مذہبی کو رنج پہنچانا | ضمیمہ نمبر۲ | | | जमीमा नम्बर२ | से किसी इबादतगाह को नुक़सान पहुंचाना या मज़मे मज़हबी को रंज पहुंचाना॥ | |
| ۱۳۵ | دفعہ ۱۲ ا مجمع مذہبی کو ایذا پہنچانا | | ۶۵ | ६५ | | दफ़ा १२ मजमें मज़हबी को इज़ा पहुंचाना | ३५ |
| ″ | دفعہ ۱۳ ا قبرستان وغیرہ میں مداخلت بیجا کرنا | | ۶۶ | ६६ | | दफ़ा १३ क़बरस्तान वग़ैरा में मदाख़लत बेजा करना॥ | ″ |
| | ان جرموں کے بیان میں جو عام خلائق کی عافیت اور امن اور عادات پر موثر ہو | | | | | उन जुर्मों के बयान में जो आम ख़लायक़ के आफ़ियत और अमन और आदात पर मोअस्सर हो | |
| ۱۳۶ | دفعہ ۱۴ ا جان بوجھکر وہ کام کرنا جس سے محلہ والے | ضمیمہ نمبر۲ | ۶۷ | ६७ | | दफ़ा १४ जानबूझकर वोह काम करना जिस से महल्ले वालों | ३६ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر جدید | नम्बर जदीद | बाब | मज़मून | सफ़हा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | یا راستہ چلنے والوںکو خطرہ پہنچانے والے کسی مرض کے پھیلنے کا احتمال ہو۔ | ۲۸ | | | | को या रस्ते चलने वालोंको ख़तरा पहुंचाने वाले किसी मरज़ के फैलने का अहतमाल हो॥ | |
| ۳۷ | دفعہ ۱۵ جس چیز سے خلق کو اندیشہ ہو اُسکو باوجود حکم کے نہ اُٹھانا | ۸ | ۶۸ | ६८ | | दफ़ा १५ जिस चीज़ से ख़लक़ को अंदेशा हो उस्को बावजूद हुक्म के न उठाना | ३७ |
| ″ | دفعہ ۱۶ کسی شارع عام پر بے احتیاطی سے گاڑی یا گھوڑا دوڑانا | | ۶۹ | ६९ | | दफ़ा १६ किसी शारे आम पर बे अहतियाती से गाड़ी या घोड़ा दौड़ाना॥ | ″ |
| ۳۸ | دفعہ ۱۷ عام چشمے یا حوض کے پانی کو گدلا کرنا | | ۷۰ | ७० | | दफ़ा १७ आम चश्मे या हौज़ के पानी को गदला करना | ३८ |
| ۳۹ | دفعہ ۱۸ کھانے پینے کی چیز میں آمیزش کرنا یا ضرر | | ۷۱ | ७१ | | दफ़ा १८ खाने पीने की चीज़ में आमेज़िश करना या ज़रर | ३९ |

| صفحہ | مضمون | | نمبر | नम्बर शुमार | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | عفت میں خلل ڈالنے کو حملہ کرنا۔ | ضمیمہ نمبر۲ | | | | इफ़तमेंखलल डालनेकोहमलाकरना॰ | |
| ۴۳ | دفعہ ۲۴ اپنی قوت بازو یا بمدد دیگراں حملہ کرنا یا دہرنا دینا | | ۷۷ | ७७ | | दफ़ा२४ अपनीक़ुव्वत बाज़ू याबमदद दीगरान हमला करनायाघरना देना॥ | ४३ |
| " | دفعہ ۲۵ نقصان رسانی کے بیان میں | | ۷۸ | ७८ | | दफ़ा२५ नुकसानरसाईके बयानमें | " |
| | **سرقہ کے بیان میں** | | | | | **सुरक़ेकेबयानमें** | |
| ۴۴ | دفعہ ۲۶ سرقہ | | ۷۹ | ७९ | | दफ़ा२६ सुरक़: | |
| | چوری کی نیت سے کوئی آلہ نقب زنی لئے پھرنا | | ۸۰ | ८० | | दफ़ा२७ चोरीकी नियतसे कोई आला नक़बज़नी कालियेफिरना | |
| ۴۵ | دفعہ ۲۸ چوری کی نیت سے درخت کو کاٹنا یا کواڑ | | ۸۱ | ८१ | | दफ़ा २८ चोरीकीनियतसे दरख़्तकोकाटना याकिवा | ४५ |

| صفحہ | مضمون | ضمیمہ | نمبر | नम्बर | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | وغیرہ اتارنا | | | | | वग़ैरा उतारना | |
| ۴۵ | دفعہ ۲۹ چوری کی نیت سے کسی جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ دینا | ضمیمہ نمبر ۳ | ۸۲ | ८२ | उसी मज़मून २२ | दफ़ा २९ चोरी की नियत से किसी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देना॥ | ४५ |
| // | دفعہ ۳۰ مذبوحی ناجائز کے بیان میں | | ۸۳ | ८३ | | दफ़ा ३० मज़बूहई नाजायज़ के बयान में | // |
| ۴۶ | دفعہ ۳۱ اقدام خودکشی کے بیان میں | | ۸۴ | ८४ | | दफ़ा ३१ इक़दाम खुदकशी के बयान में | ४६ |
| ۴۷ | دفعہ ۳۲ حبس بیجا کے بیان میں جو تین روز سے کم ہو | | ۸۵ | ८५ | | दफ़ा ३२ हबस बेजा के बयान में जो तीन रोज़ से कम हो॥ | ४७ |
| // | دفعہ ۳۳ قطع درختان مفید عام کے بیان میں | | ۸۶ | ८६ | | दफ़ा ३३ क़ते दरख्तान मुफ़ीद आम के बयान में॥ | // |
| ۴۸ | دفعہ ۳۴ قماربازی | | ۸۷ | ८७ | | दफ़ा ३४ क़िमारबाज़ी | ४८ |
| ۴۹ | دفعہ ۳۵ تشکل کے بیان میں | | ۸۸ | ८८ | | दफ़ा ३५ तशकुल के बयान में | ४९ |
| // | دفعہ ۳۶ اخفائے واردات خفیف کے بیان میں | | ۸۹ | ८९ | | दफ़ा ३६ इख़फ़ाय वारदात ख़फ़ीफ़ के ब्यान में | // |

| صفحہ | مضمون | باب | [illegible] | [illegible] | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سزاے جرائم سنگین اعانت کے بیان میں | ضمیمہ نمبر ۳ | | | ज़मीमा नंबर ३ | सज़ाय जुरायम संगीन अआनत के बयान में | |
| ۵۷ | دفعہ ۱ اعانت و پناہ دہی کے بیان میں | | ۱۰۱ | १०१ | | दफ़ा १ अआनत व पनाह देही के बयान में | ५७ |
| ۵۸ | دفعہ ۲ ایضاً بجرم سنگین | | ۱۰۲ | १०२ | | दफ़ा २ अआनत व जुर्म संगीन | ५८ |
| | جرائم خلاف وزیر یا سرکار کے بیان میں | | | | | जुरायम ख़िलाफ़ वज़ीर या सरकार के बयान में | |
| ۵۹ | دفعہ ۳ سرکار سے مقابلہ میں جنگ کرنا یا جنگ کی نیت سے اسکا سامان مہیا کرنا یا باردیہ ہو کر سرکار یا جاگیردار مطیع سرکار یا رعیت کا نقصان کرنا یا اسیر سلطانی کو حراست | | ۱۰۳ | १०३ | | दफ़ा ३ सरकार के मुक़ाबले में जंग करना या जंग की नियत उसका सामान मोहिया करना या बारीद हो कर सरकार या जागीरदार मुतीअ सरकार या रैयत का नुक़सान करना या असीर सुलतानी को हिरासत | ५९ |

| صفحہ | مضمون | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | मज़मून | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | واسطے آدمیوں کو اجرت پر رکھنا | ضمیمہ نمبر ۳ | | | ज़मीमे नंबर ३ | स्ते आदमियों को उजरत पर रखना - | |
| ۶۲ | دفعہ ۶ جس مجمع ناجائز کے بکھر جانیکا حکم ہو چکا ہو اسمیں شامل رہنا | | ۱۰۶ | २०६ | | दफ़ा ६ जिस मजमे नाजायज़ के बिखर जाने का हुकम हो चुका हो उसमें शामिल रहना - | ६२ |
| | ان جرموں کے بیان میں جو سرکاری ملازموں سے سرزد ہوں | | | | | उन जुर्मों के बयान में जो सरकारी मुलाज़मों से सरज़द हों | |
| ۶۳ | دفعہ ۷ کسی فریق مقدمہ سے اپنے واسطے یا دوسرے کے واسطے زر نقد یا کوئی مال لینا یا رشوت لینا یا اسمیں جہد کرنا | | ۱۰۷ | २०७ | | दफ़ा ७ किसी फ़रीक़ मुक़दमे से अपने वास्ते या दूसरे के वास्ते ज़र नक़द या कोई माल लेना या रिशवत लेना या उससे जेहद करना | ६३ |
| ۶۴ | دفعہ ۸ جو امور کہ منع ہیں اسکے کرنیکی مبادرت کرنا یا جھوٹا کاغذ لکھنا یا گرفتاری مجرم میں پہلوتہی کرنا | | ۱۰۸ | २०८ | | दफ़ा ८ जो अमूर के मना हैं उसके करने की मुबादरत करना या झूठा कागज़ लिखना या गिरफ़्तारी मुजरिम में पहलूतही करना | ६४ |

| [illegible] | مضمون | ( ) | [illegible] | [illegible] | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | یا کاغذ سرشتہ گم کرنا | ضمیمہ نمبر ۳ | | | जमीमःनं वर ३ | या कागज़ सिरिश्ते गुम करना | |
| | دفعہ ۹ فریب کی نیت سے وہ لباس پہنا یا وہ نشان لیے پھرنا جسکو سرکاری ملازم استعمال کرتا ہو | | ۱۰۹ | १०९ | | दफ़ा ९ फ़रेब की नियत से वोः लिबास पहनना या वो निशान लिये फिरना जिसको सरकारी मुलाज़िम इस्तेमाल करता हो | ६५ |
| 〃 | دفعہ ۱۰ نقصان رسانی کے بیان میں جو ۵۰ روپیہ سے زیادہ ہو | | ۱۱۰ | ११० | | दफ़ा १० नुकसानरसानी के बयान में जो ५० रुपे से ज़ियादह हो | 〃 |
| ۶۶ | دفعہ ۱۱ مداخلت بیجا جنحانہ کے بیان میں | | ۱۱۱ | १११ | | दफ़ा ११ मदाखलत बेजा बरखाने के बयान में | ६६ |
| ۶۷ | دفعہ ۱۲ زناکاری کے بیان میں سرقہ کے بیان میں | | ۱۱۲ | ११२ | | दफ़ा १२ ज़िनाकारी के बयान में सरके के बयान में | ६७ |
| 〃 | دفعہ ۱۳ نقب زنی یا قفل شکنی کے | | ۱۱۳ | ११३ | | दफ़ा १३ नक़ब ज़नी या कुफ़्ल शिकनी के | 〃 |

| صفحہ | مضمون | دفعہ | نمبر شمار | नम्बर शुमार | दफ़ा | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | یا نقصان کسی شخص کی جھوٹی گواہی دینا کہ جس سے اسکو بشرط ثبوت پانچ برس کی قید کی سزا ہو | ضمیمہ نمبر ۳ | | | ज़मीमः नंबर ३ | या नुकसान किसी शखस की झूटी गवाही देना कि जिस से उस्को बशरत सबूत पांच बरस की केद की सज़ा हो- | |
| ۷۲ | دفعہ ۲۰ واسطے نقض یا نقصان کسی شخص کی جھوٹی گواہی دینا کہ جس سے اسکو بشرط ثبوت سزا موت یا دائم الحبس یا سات برس کی قید سے زیادہ کا ملنا ہو | | ۱۲۰ | १२० | | दफ़ा २० राज़न राज़न सज़ा या मोत या दायमुल्हब्स सात बरस की केद से जादा का मुसतोजिब होना - | ٧٢ |
| | خیانت مجرمانہ کے بیان میں | | | | | खयानत मुजरिमाना के बयान में ॥ | |
| ۷۳ | دفعہ ۲۱ مال پہنچانے والے یا گماشتہ وغیرہ سے خیانت مجرمانہ | | ۱۲۱ | १२१ | | दफ़ा २१ माल पहुंचाने वाले या गुमाशता: वगैर: से खयानत मुजरिमाना | ٧٣ |
| ″ | دفعہ ۲۲ متصدی یا نوکر سے خیانت مجرمانہ | | ۱۲۲ | १२२ | | दफ़ा २२ मुतसद्दी या नोकर से खयानत मुजरिमाना | ″ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر حوالہ | नम्बर हवाला | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴ | دفعہ ۲۳ ٹھگی اور زہر خورانی کے بیان میں | ضمیمہ نمبر ۳ | ۱۲۳ | १२३ | ज़मीमा नम्बर ३ | दफ़ा २३ ठगी व ज़हर खुरानी के बयान में॰ | ७४ |
| ۷۵ | دفعہ ۲۴ ان جرموں کے بیان میں جو ازدواج سے متعلق ہیں | | ۱۲۴ | १२४ | | दफ़ा २४ उन जुर्मों के बयान में जो अज़दवाज से मुतअल्लक़ हैं | ७५ |
| ۷۶ | دفعہ ۲۵ ضرر شدید کے بیان میں | | ۱۲۵ | १२५ | | दफ़ा २५ ज़रर शदीद के बयान में | ७६ |
| ۷۷ | دفعہ ۲۶ جعلسازی کے بیان میں | | ۱۲۶ | १२६ | | दफ़ा २६ जालसाज़ी के बयान में | ७७ |
| | **ان جرموں کے بیان میں جو سکہ اور اسٹامپ سے متعلق ہیں** | | | | | **उन जुर्मों के बयान में जो सिक्का और इस्टाम्प से मुतअल्लक़ हैं** | |
| ۷۸ | دفعہ ۲۷ سکہ یا اسٹامپ قلب بنانا یا فروخت کرنا یا پاس رکھنا یا دوسرے کو دینا یا اسکے اوزار بنانا | | ۱۲۷ | १२७ | | दफ़ा २७ सिक्का या इस्टाम्प क़ल्ब बनाना या फ़रोख़्त करना या पास रखना या दूसरे को देना या उसके औज़ार बनाना॰ | ७८ |
| ۷۹ | دفعہ ۲۸ سکہ یا اسٹامپ میں کچھ تلبیس کرنا | | ۱۲۸ | १२८ | | दफ़ा २८ सिक्का या इस्टाम्प में कुछ तिलबीस करना॰ | ७९ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر ترتیب | नम्बर बतरतीब | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ڈکیتی کے بیان میں | | | | | डकेती के बयान में | |
| ۸۴ | دفعہ ۳۶ ڈکیتی مع قتل | ضمیمہ نمبر ۳ | ۱۳۶ | १३६ | | दफ़ा ३६ डकेती मय क़तल | ८४ |
| ۸۵ | دفعہ ۳۷ ڈکیتی مع مجروحی و مضروبی | | ۱۳۷ | १३७ | | दफ़ा ३७ डकेती मय मजरूही व मज़रूबी | ८५ |
| " | دفعہ ۳۸ ڈکیتی خاص | | ۱۳۸ | १३८ | | दफ़ा ३८ डकेती ख़ालिस ... | " |
| | سرقہ بالجبر و استحصال بالجبر کے بیان میں | | | | | सुर्क़ा बिलजब्र या इसतहसाल बिल जब्र के बयान में | |
| " | دفعہ ۳۹ سرقہ بالجبر یا استحصال بالجبر | | ۱۳۹ | १३९ | | दफ़ा ३९ सुर्क़ा बिल जब्र या इसतहसाल बिल जब्र | " |
| ۸۶ | دفعہ ۴۰ سرقہ بالجبر یا استحصال بالجبر مع مقتولی | | ۱۴۰ | १४० | | दफ़ा ४० सुर्क़ा बिल जब्र या इसतहसाल बिल जब्र मय मक़तूली | ८६ |
| ۸۷ | دفعہ ۴۱ ایضاً ایضاً مع مجروحی | | ۱۴۱ | १४१ | | दफ़ा ४१ सुर्क़ा बिल जब्र या इसतहसाल बिल जब्र मय मजरूही | ८७ |

| صفحہ | مضمون | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ضمیمہ اسقاط حمل کے بیان میں | نمبر ۳ | | | ज़मीमा नंबर ३ | इसक़ात हमल के बयान में | |
| ۸۷ | دفعہ ۱۴۲ پانچ ماہ تک کا حمل یا حمل حرام کا اسقاط کرنا یا کرانا | | ۱۴۲ | १४२ | | दफ़ा १४२ पांच माह तक का हमल या हमल हराम का इसक़ात करना या कराना | ८७ |
| ۸۸ | دفعہ ۱۴۳ پانچ ماہ سے زیادہ کا حمل یا حمل حرام کا اسقاط کرنا یا کرانا | | ۱۴۳ | १४३ | | दफ़ा १४३ पांच माह से ज़ियादह का हमल या हमल हराम का इसक़ात करना या कराना | ८८ |
| ۸۹ | دفعہ ۱۴۴ زندہ بچہ کا پھینک دینا یا چھوڑ دینا یا چاہ میں ڈالنا یا زمین میں دفن کرنا | | ۱۴۴ | १४४ | | दफ़ा १४४ ज़िंदा बच्चे का फेंक देना या छोड़ देना या चाह में डालना या ज़मीं में दफ़न करना - | ८९ |
| | فراری انسان کے بیان میں | | | | | फ़रारी इनसान के बयान में | |
| ״ | دفعہ ۱۴۵ لونڈی غلام بنانا یا کسی مندر میں بلدان دینے یا زیور اتار کر مار ڈالنے کے واسطے کسی انسان کو بھگا لیجانا | | ۱۴۵ | १४५ | | दफ़ा १४५ लौंडी गुलाम बनाना या किसी मंदिर में बलदान देने या ज़ेवर उतार कर मार डालने के वास्ते किसी इनसान को भगा ले जाना | ״ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر شمار | नंबर शुमार | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | کے بیان میں- | ضمیمہ نمبر ۳ | | | | के बयान में | |
| ۹۴ | دفعہ ۵۲ جرائم خلاف وضع فطری کے بیان میں | | ۱۵۲ | १५२ | | दफ़ा ५२ जुरायम खिलाफ़ वज़े फितरी के बयान में | ९४ |
| ۹۵ | دفعہ ۵۳ خرید مال مغرقہ ومسروقہ کے بیان میں | | ۱۵۳ | १५३ | | दफ़ा ५३ खरीद माल मग़रूका व मसरूका के बयान में | ९५ |
| | ان جرموں کے بیان میں جو تخویف مجرمانہ کے متعلق ہیں | | | | | उन जुर्मों के बयान में जो तखवीफ़ मुजरमाना के मुतअल्लक़ हैं | |
| ۹۶ | دفعہ ۵۴ کسی شخص کو ہلاکت یا ضرر شدید کی دھمکی دیکر کوئی مال لینا یا نوشت کرانا | | ۱۵۴ | १५४ | | दफ़ा ५४ किसी शख्स को हलाकत या ज़रर शदीद की धमकी देकर कोई माल लेना या नविश्त कराना - | ९६ |
| ۹۷ | دفعہ ۵۵ صرف زبانی دھمکی دینا یا نقص امن کرانے کی نیت سے توہین کرنا | | ۱۵۵ | १५५ | | दफ़ा ५५ सिर्फ़ ज़बानी धमकी नुक़्स अमन कराने की नियत से- तौहीन न | ९७ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر وار | नम्बर क्रमवार | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سرکاری نشان توڑنے کے بیان میں | ضمیمہ نمبر ۳ | | | | सरकारी निशान तोड़नेके बयान में | |
| ۹۷ | دفعہ ۵۶ سرکاری نشان یا تھنبہ تار برقی یا ریل کی سڑک توڑنا۔ | | ۱۵۶ | १५६ | | दफ़ा ५६ सरकारी निशान तोड़ना या थम्बा तारवर्क़ी या रेल की सड़क तोड़ना | ९७ |
| ۹۸ | دفعہ ۵۷ نیکھم بندی کو اکھاڑ دینا جو سرکار کی طرف سے نصب کی گئی ہو | | ۱۵۷ | १५७ | | दफ़ा ५७ नेखमबंदीको उखाड़ देना जो सरकार की तरफ़ से की गई हो | ९८ |
| ۹۹ | دفعہ ۵۸ اُن جرموں کے بیان میں جو تھانگداری سے متعلق ہیں | | ۱۵۸ | १५८ | | दफ़ा ५८ उन जुर्मों के बयान में जो थांगदारी से मुतालल्लक़ हैं | ९९ |
| " | دفعہ ۵۹ حراست سے بھاگ جانا یا حفاظت جائز سے بھاگ جانے دینا جرائم سنگین و خفیف میں۔ | | ۱۵۹ | १५९ | | दफ़ा ५९ हिरासत से भाग जाना या हिफ़ाज़त जायज़ से भाग जाने देना जुरायम संगीन या खफ़ीफ में | " |
| ۱۰۱ | دفعہ ۶۰ چوری محصول سائر کے بیان میں | | ۱۶۰ | १६० | | दफ़ा ६० चोरी महसूल सायर के बयान में | १०१ |
| ۱۰۲ | دفعہ ۶۱ اُن جرموں کے | | | १६१ | | दफ़ा ६१ उन जुर्मों के ब | १०२ |

| صفحہ | مضمون | باب | نمبر قانون | नम्बर क़ानून | बाब | मज़मून | सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | بیانمیں جو ٹھیکہ داری سے متعلق ہیں | ضمیمہ نمبر ۳ | | | ज़मीम नंबर ३ | यानमें जो ठेकादारी से मुताल्लक है ' | |
| ۱۰۳ | دفعہ ۲۶۲ ان جرموں کے بیانمیں جو ریلوے سے متعلق ہیں | | ۱۶۲ | २६२ | | दफ़ा २६२ उन जुर्मों के बयान में जो रेलवे से मुताल्लक है ' | १०३ |
| " | دفعہ ۲۶۳ نقص امن کے بیان میں | | ۱۶۳ | २६३ | | दफ़ा २६३ नुक्स अमन के बयानमें - | " |
| ۱۰۵ | نمونہ جات سمن و وارنٹ و مچلکہ و ضمانت نقص امن و حفظ امن کے بیان میں | ضمیمہ نمبر ۴ | ۱۶۴ | २६४ | ज़मीमा नम्बर ४ | नमूने जात समन व वारंट व मुचल्का व ज़मानत नुक्स अमन व हिफ़्ज़ अमन के बयानमें | १०५ |

# دیباچہ

جوکہ پیشگاہ سری دربار سے
مصاحب اعلےٰ بنظر ضرورت
ملک اور تقاضائے وقت کے
ہوا تھا کہ ایک مختصر قواعد
کارروائی صیغہ فوجداری
کا واسطے رہنمائی رعایاو
عدالتوں کے مرتب کیا جاوے
جو قابل استعمال عدالتہائے
راج مارواڑ کے ہو لہذا
یہ مجموعہ تیار کرکے مہاراج
سری پرتاب سنگھ جی صاحب
کے سی۔ ایس۔ آئی۔ مصاحب
اعلےٰ کی خدمت میں پیش
کیا گیا اور جناب ممدوح کے
حکم سے ایک کمیٹی منتخب
مصاحبان کے پاس کہ
جسمیں حسب ذیل ممبر تھے
رائے دینے کے واسطے
بھیجا گیا۔

۱ رائے بہادر مہتہ بجے سنگھ

# दीवाचा

जोकि पेशगाह श्री दरवार से ब
न ज़र ज़रूरत मुल्क और तका
जाय वक्त के हुक्म हुआ था कि
एक मुख़्तसर कायदा कार र
वाई सीग फौजदारी का वा
स्ते वाकफियत रियाया व अ
दालतों के मुर्तिब किया जाय जो
क़ाबिल इस्ते माल अदालत हा
य राज मार वाड़ के हो लिहा
ज़ा यह मजमूआ तैयार कर
के महा राज श्री परताप सिंह
जी साहब के सी. एस. आई.
मुसाहब आला के ख़िदमत में
पेश किया गया और जनाब म
मदूह के हुक्म से एक कमेटी
मुन्तख़िब मुसाहबान के पास
के जिसमें हस्ब ज़ेल मेम्बर थे
राय देने के वास्ते भेजा ग
या॥

१ रायबहादर महता बिजय सिंह

جی دیوان ریاست
پنڈت شیونراین جی
پرائیوٹ سکرٹری سرکار پرنور
کوراج مراردان جی
سپرنٹنڈنٹ محکمہ اپیل
فوجدار محمد مخدوم بخش
جی حاکم صدر عدالت
فوجداری
چنانچہ اس کمیٹی نے بعد
غور و خوض کئی مہینے کے
اصل مسودہ کو مع کسی قدر
کمی بیشی کے حسب رائے
خود صاف کرکے اپنی رپورٹ
کے ساتھ واپس بھیجا وہ پھر
مصاحب اعلیٰ کے ملاحظہ سے
گزر کر بعد ضروری ترمیمات کے
سردربار سے منظور ہوا اور چھپوا کر
جاری کرنیکا حکم فرمایا گیا۔ اعلیٰ
(بموجب حکم مہاراج پرتاپ سنگھ [illegible])
ہردیال سنگھ
سکرٹری مصاحب اعلیٰ

जी दीवान रियासत
२ पंडित शिव नरायन जी प्राइ
वेट सेक्रेटरी श्री महाराज पुरनूर
३ कविराज मुरारदान जी सुपरं
टंडेंट महकमे अपील
४ फौजदार मोहम्मद मखदूम
बख्श जी हाकिम अदालत
फौजदारी ॥
चुनांचे कमेटी ने बाद गौर व
खोज के महीनों के असल म
सविदे को मय किसी कदर क
मी व बेशी के हस्ब राय खुद
साफ़ कर के अपनी रिपोर्ट के
साथ वापिस भेजा वह फिर मु
साहब आला के मुलाहजे से
गुजर कर बाद जरूरी तरमी
मात के मंजूर हुआ और छप
वा कर जारी करने का हुक्म
फरमाया गया

हरदयाल सिंह
सेक्रेटरी मुसाहब आला ॥

# मजमूआ

## जाबते फ़ौजदारी राज मारवाड़

## مجموعہ
## ضابطہ فوجداری راج مارواڑ

## पहिला बाब
### मरातिब इब्तदाई के बयान में

## باب پہلا
### بیان ابتدائی

दफ़ा १ यह मुख्तसर कवायद कारर वाई सीगे फ़ौजदारी के हस्ब उल हुकम श्री दरबार राज मारवाड़ कलम बंद किये गये हैं नाम इस मजमूए का जाबते फौजदारी राज मारवाड़ रक्खा गया है

دفعہ ۱ - یہ مختصر قواعد کارروائی صیغہ فوجداری کے حسب الحکم سری دربار راج مارواڑ قلم بند کئے گئے ہیں - نام اس مجموعہ کا ضابطہ فوجداری راج مارواڑ رکھا گیا ہے

दफ़ा २ तारीख १ जनवरी सन् १८८७ ई० से इस दस्तूर उल अमल के इजराय का अमल दरामद होना

دفعہ ۲ تاریخ یکم جنوری ۱۸۸۷ء سے اس دستور العمل کے اجرا کا عمل درآمد ہوگا

دفعہ ۳ جہاں تک عملداری سری دربار راج مارواڑ کی ہے بموجب اس دستور العمل کے کارروائی کی جاویگی

دफ़ा ३ जहांतक श्री दरबार राज मारवाड़ की अमलदारी है ब मूजिब इस दस्तूरुल अमल के कार रवाई की जावे गी

دفعہ ۴ ہر نوکر فوجداری کو اس دستور العمل کے خلاف کارروائی کرنے کی ممانعت ہے

दफ़ा ४ फौजदारी के हरएक नौकर को इस दस्तूरुल अमल के बरख़िलाफ़ कार रवाई करने की मनाई है

دفعہ ۵ اس دستور العمل کے کسی جزو یا کل کی ترمیم اور تنسیخ بشرط ضرورت وقتاً فوقتاً بحکم سری دربار وقوع میں آسکے گی

दफ़ा ५ इस दस्तूरुल अमल के किसी हिस्से या कुल की तरमीम और तन्सीख़ बवक़्त ज़रूरत श्री दरबार के वक़्तन फ़वक़्तन हुक्म से हो सके गी

## باب دوسرا

## फौजदारी अदालतों और सरिश्तों का तक़र्रर

## दूसरा बाब

## फ़ौजदारी अदालतों और सरिश्तों का तक़र्रर ॥

دفعہ ۶ عدالت ہائے فوجداری جو مقرر ہیں تفصیل انکی ذیل میں درج ہے محکمۂ اپیل - صدر

दफ़ा ६ फौजदारी अदालतें जो मुकर्रर हैं उनकी तफ़सील ज़ैल में दर्ज है

१ महकमें अपील २ सदर अद

عدالت فوجداری سپرنٹنڈنٹی ہا حکومت ہائے کوتوالی شہر جودہ پور

دفعہ ۷ سپرنٹنڈنٹی گرائی علیحدہ ہے۔ اُس میں نگرانی بھیل مینہ باوری تھوری وغیرہ اقوام چوری پیشہ کی رہتی ہے اور گرفتاری مجرمان ٹھگی ڈکیتی غارت گری قتل ذمہ داری متعلق ہے جس کسی کو سپرنٹنڈنٹ گرائی گرفتار کرے اُسکو مع مثل جہت تجویز صدر عدالت فوجداری میں بھیجدے

دفعہ ۸ جو اختیارات آنریری مجسٹریٹی کے بعض بعض جاگیرداران کو بالفعل دیئے گئے ہیں اُن کا قیام ورستی کارروائی جاگیرداران اور خوشنودی سری دربار پر منحصر رہیگا اور اُس کے

लत फौजदारी ३ सुपरंटंडंटीहा य ४ हकूमतें ५ कोतवाली शहर जोधपुर

दफ़ा ७ सुपरंटंडंटी गिराई अलैहदा है उसमें निगरानी भील मीना बावरी वगैरा चोरी पेशा क़ौमों की रहती है और ठगी डकैती ग़ारतगरी क़तल के मुजरिमों को गिरफ़्तार करने की ज़िम्मेवारी तालुक है जिस किसी को सुपरंटंडेंट गिराई गिरफ़्तार करे उसको मय मिसल वास्ते तजवीज के सदर अदालत फौजदारी में भेज देवें

दफ़ा ८ जो अख़्तियारात आनरेरी मजिस्ट्रेटी के बाजे २ जागीरदारों को बिलफ़ेल दिये गये हैं उनका क़ायम रहना दुरुस्ती कारवाई जागीरदारान और खुशनूदी श्री दरबार पर मुनहसिर रहेगा और इस

واسطے علیحدہ قواعد سری دربار سے منظور ہو چکے ہیں اُنکے موافق عملدرآمد ہوگا (۱)

## باب تیسرا

### دربارہ اختیارات عدالت ہائے فوجداری

دفعہ ۹ اختیارات عدالت ہائے فوجداری کے چار درجوں پر اس تفصیل سے مقرر ہیں اوّل دوم سوم چہارم چنانچہ احکام سزا کے جو اختیارات ہر ایک درجہ کو حاصل ہیं تفصیل اس کی درج ذیل کیجاتی ہے

के वास्ते श्री दरबार से अलेहदा क़ायदे मंज़ूर हो चुके हैं उनके मुवाफ़िक अमलदरामद होगा (१)

## तीसरा बाब

### फ़ौजदारी अदालतों के इख़्तियारात के बयान में

दफ़ा ९ फ़ौजदारी अदालतों के इख़्तियारात चार दर्जों पर इस तफ़सील से मुकर्रिर हैं १ पहिला २ दूसरा ३ तीसरा ४ चौथा चुनांचे अहकाम सज़ा के जो अख़्तियारात हर एक दर्जे को हासिल हैं तफ़सील उनकी नीचे लिखी जाती है

(१) जागीरदारों के फ़ैसलों का अपील कोर्ट सरदारान में जैसा कि उनके क़वायद अख़्तियारात में दर्ज हो चुका है और निगरानी भी उनके फ़ैसलों की इसी महकमे में की जावेगी ॥

(۱) جاگیرداروں کے فیصلوں کا اپیل کورٹ سرداران میں جیسا کہ اُنکے قواعد اختیارات میں درج ہو چکا ہے ہوگا اور نگرانی بھی اُنکے فیصلہ جات کی اسی محکمہ میں کی جاوے گی ؛

| नंबरशुमार | नाम अदालत | अख़्तियारात मुकर्ररा | नाम महकमा जहां अपील होगा |
| --- | --- | --- | --- |
| نمبرشمار | نام عدالت | اختیارات معمولی | محکمہ کہ جہاں اپیل ہوگا |
| १ | महकमे अपील | पांच हज़ार रुपेय तक जुर्माना और दस वर्ष की क़ैद | महकमे अपील्ल साहबान |
| ۲ | محکمہ اپیل | پانچ ہزار روپیہ تک جرمانہ اور دس برس تک کی قید | محکمہ صاحبت میں |
| २ | सदर अदालत फ़ौजदारी | १००० रुपै तक जुर्माना और दो वर्ष तक की क़ैद | महकमे अपील |
| | صدر عدالت فوجداری | ایکہزار روپیہ تک جرمانہ اور دو برس تک قید اور تیس ۳۰ ضرب بید | محکمہ اپیل میں |
| ३ | सुपरंटंडेंटी परगनात | ५०० रुपेय तक जुर्माना और छः महीने तक की क़ैद और १२ जरब बेद | सदर अदालत फ़ौजदारी |
| ۳ | سپرنٹنڈنٹی پرگنات | پانچسو روپیہ تک جرمانہ اور چھ ماہ تک کی قید اور بارہ ۱۲ ضرب بید | صدر عدالت فوجداری میں |
| ४ | हाकिमान परगनात व कोतवाली शहर जोधपुर | २०० रुपये तक जुर्माना और ४ महीने की क़ैद और ६ जरब बेद | ऐज़न |
| ۴ | حاکمان پرگنات و کوتوالی شہر جودھپور | دوسو روپیہ تک جرمانہ اور چار ماہ تک قید و چھ ضرب بید | |

دفعہ ۱۰ علاوہ اس کے
محکمہ کورٹ سرداران کو
جو اختیاراتِ فوجداری
پہلے سے اُن مقدمات میں
کہ جسمیں کوئی فریق جاگیردار
ہووے بحکم سری دربار دے
گئے ہیں وہ بدستور قائم رہینگے
اور تشریح اُنکی یہ ہے کہ کل
فوجداری مقدمے ہر قسم کے
عدالت کورٹ سرداران میں
بھی سُنے جاسکتے ہیں اور ہر طرح کی سزا

दफ़ा १० अलावा इसके महक
मे कोर्ट सरदारान को जो अख़्ति
यारात + फ़ौजदारी पहले से उन
मुकद्दमों की कि जिन में कोई फ
रीक़ जागीरदार होवे बहुक्म श्री द
रबार दिये गये हैं वह बदस्तूर
कायम रहेंगे और तशरीह उ
न की यह है कि कुल फ़ौजदारी
मुक़द्दमें हर किस्स के अदाल
त कोर्ट सरदारान में भी सुने जा
सके हैं और हर तरह की सज़ा

+ नोट यह अख़्तियारात फ़ौजदारी बरवक़्त तक़र्रुरी महकमे
कोर्ट सरदारान श्री दरबार से इस अदालत को अता हुवे थे जो बर व
क़्त तक़र्रुरी सुपरंटंडेंट हाल भी बमूजिब हुक्म भादवा वदी ७ संव
त १९८० महकमे खास श्री दरबार से क़ायम रहे उस हुक्म की इ
बारत हस्ब ज़ैल है दफ़ा ४ अपील व दीगर अख़्तियारात के बाबत
जो क़ायदा अब जारी है बिल फ़ेल भी वही अमल दरामद में रहेगा ॥

نوٹ یہ اختیاراتِ فوجداری بروقت تقرری محکمہ کورٹ سرداران سری دربار سے اس عدالت کو
عطا ہوئے تھے جو بروقت تقرری سپرنٹنڈنٹ حال بھی بموجب حکم بھادوں بد ساتم سمت ۱۹۸۰ محکمہ خاص سے دربار سے
قائم رہے اُس حکم کی عبارت حسب ذیل ہے۔
دفعہ ۴ اپیل و دیگر اختیارات کی بابت جو قاعدہ اب جاری ہے بالفعل بھی وہی عملدرآمد میں رہیگا +

قید و جرمانہ کی فوجداری مقدمات ہین دینے کا اوس عدالت کو کل اختیار ہے - مگر جن مقدمات ہین مدعا علیہ جاگیردار نہ ہووے تو اوس کی سماعت اوس محکمہ ہین نہ ہو گی البتہ ایسے مقدمات کی بابت شنوائی کے لئے سرکار دربار سے اجازت دی جاوے تو شنوائی کر سکین گے -

دفعہ ۱۱ محکمہ اپیل کے پانچسو روپیہ جرمانہ اور ایک برس کی قید کا اور کورٹ سرداران کے بھی ایک سال کی قید اور پانچ سو روپیہ جرمانہ کا اپیل نہ ہوگا -

دفعہ ۱۲ صدر عدالت فوجداری کے پچاس روپے جرمانہ اور ایک ماہ کی قید کا اور بابت اپیل ماتحتان سو روپے جرمانہ اور تین ماہ کی قید کا

य क़ैद व जुर्माना की फ़ौजदारी मुकद्दमात में देने का उस अदालत को कुल अख़्तियार है मगर जिन मुकद्दमात में मुद्दायले जागीरदार नहोवे तो उस की सुनवाई उस महकमें में न होगी अलबत्ते ऐसे मुकद्दमात की सुनवाई के लिये श्री दरबार से इजाज़त देदी जावे तो सुनवाई कर सकें गे ॥

दफ़ा ११ महकमें अपील के ५००) रुपैय जुर्माना और एक वर्ष की क़ैद का और कोर्ट सरदारान के भी एक वर्ष की क़ैद और ५००) रुपैय जुर्माने का अपील न होगा ॥

दफ़ा १२ सदर अदालत फ़ौजदारी के ५०) रुपैय जुर्माना और एक महीने की क़ैद का और मातहतों की अपील के बाबत १००) रुपैय जुर्माना और तीन

فیصلہ قطعی ہوگا اور اُسکا
بھی اپیل نہوگا مگر نگرانی
محکمہ خاص کی اس سے
مستثنیٰ ہے۔

دفعہ ۱۳۔ محکمہ خاص کو
مقدمات فوجداری میں
کامل اختیارات ہر قسم کے
حاصل ہیں وہ مجاز ہے
کہ کسی فیصلہ ابتدائی کی
تحقیقات و تجویز کرے اور
اپنی مرضی سے خواہ کسی
فریق کی درخواست پر مناسب
سمجھے تو ہر ایک محکمہ سے
مسل ملاحظہ کے لئے
منگوائے یا تحقیقات و تجویز
کے لئے کسی دوسرے
محکمہ میں بھیجدے یا کسی
عدالت کے ایسے فیصلہ کی
کہ جس کی میعاد گزر گئی ہو
نظرثانی کرکے منسوخی کا حکم
جاری کرے۔

महीने की क़ैद का फ़ैसला क़त
ई होगा और उस्का भी अपील
न होगा मगर निगरानी महक
में खास की इस से मुस्तस्ना है

**दफ़ा १३** महकमे खास को मु
क़द्दमात फ़ौजदारी में कामि
ल अख़्तियारात हर किस्म के
हासिल हैं वह मजाज़ है कि
किसी मुक़द्दमे में इब्तदाई की
तहक़ीक़ात व तजवीज़ करे औ
र अपनी मरज़ी से ख़्वाह किसी फ
रीक़ की दरख़्वास्त पर मुना
सिब समझे तो हर एक मह
कमे से मिसल मुलाहज़े के
लिये मंगाले या तहक़ीक़ात
और तजवीज़ के लिये किसी
दूसरे महकमे में भेज दे या
किसी अदालत के ऐसे फ़ैसले
की कि जिसकी मयाद गुज़र
गई हो नज़रसानी करके म
न्सूख़ी का हुक्म जारी करे

دفعہ ۱۴ جو مقدمات کہ لایق فیصلہ ہر ایک عدالت کے مقرر ہیں۔ وہ نقشہ ضمیمہ کے خانہ ۹ میں درج کئے گئے بموجب اُسکے ہر ایک عدالت مجاز تجویز ہوگی اور جو اُنکے اختیارات سے باہر مقدمات ہوں گے اُن کو بعد تحقیقات و تکمیل مثل کے محکمہ بالا میں مع اسامی کے بھیجدیں گے۔

دफ़ा १४ जो मुकद्दमात कि लायक़ फ़ैसले हर एक अदालत के मुकर्रिर हैं वे नक़शे ज़मीमे के ख़ाने नौ ९ में दर्ज किये गये व मूजिब उनके हर एक अदालत मजाज़ तजवीज़ होगी और जो मुकद्दमात उनके अख़्तियारात से बाहिर होंगे उन को बाद तहक़ीक़ात और तकमील मिसल के महकमे बाला में भेज देंगे

دفعہ ۱۵۔ جس مقدمہ میں علاوہ قید کے جرمانہ بھی ہو اور جرمانہ داخل نہ کرنے کے سبب سے مجرم کو قید کی جاوے تو میعاد اُس قید کی نصف حصہ قید اصلی سے زائد نہوگی۔

दफ़ा १५ जिस मुकद्दमे में अलावा क़ैद के जुर्माना भी हो और जुर्माना दाख़िल न करने के सबब से मुजरिम को क़ैद की जावे तो मयाद उस की असली क़ैद के आधे हिस्से से ज़ादा न होगी

دفعہ ۱۶ اگر کسی مجرم کے ذمہ ایک قصور سے زیادہ قصور لگائے جاویں تو ہر

दफ़ा १६ अगर किसी मुजरिम के ज़िम्मे एक कसूर से ज़ादा क़सूर लगा ये जावें तो हर

ایک قصور کی سزا اوس کو جدی
جدی موافق جرم کے ہر ایک
عدالت فوجداری سے بلا
لحاظ اختیار مقررہ خود دی
جاویگی - لیکن وہ کل سزا
اپنے اختیارات معمولی کے
دوچند سے زیادہ نہیں ہونے
چاہئے -

دفعہ ۱۷ کمی بیشی اختیارات
مجسٹریٹوں کا سردربار
کی مرضی پر منحصر ہے -

دفعہ ۱۸ ہر ایک حاکم اور
سپرنٹنڈنٹ اپنے اپنے حدود
علاقہ کے اندر حکم اپنا جاری
کرسکتا ہے - اور اگر دوسری
علاقہ میں کوئی ضرورت
ہو تو حاکم یا سپرنٹنڈنٹ
اوس پرگنہ کی معرفت جس کے
علاقہ کے اندر وہ جگہ ہو کاروائی
کرے گا اور اگر -

एक कसूर की सज़ा उसको जु
दी जुदी मुवाफ़िक़ जुर्म के हर
एक अदालत फ़ौजदारी से ब
ग़ैर लिहाज़ मुक़र्ररा अख़्तिया
र अपने के दी जावे गी लेकिन
वह कुल सज़ा अपने अख़्तिया
रात मामूली के दुगनी से ज़ि
यादा न होनी चाहिये

दफ़ा १७ कमीबेशी अख़्ति
यारात मजिस्ट्रेटों का अफ़्सर
बार की मर्ज़ी पर मुन्हसिर है

दफ़ा १८ हर एक हाकिम
और सुपरन्टंडेंट अपने २
इलाक़े की हुदूद के अन्दर अ
पने हुक्मों को जारी कर सक्ता है
और अगर दूसरे इलाके में
कोई ज़रूरत हो तो हाकिम
या सुपरन्टंडेंट उस परगने की
मारफ़त कि जिसके इला
क़े के अन्दर वह जगह हो का
रवाई करेगा और अगर

ضلع غیر میں بند سوالات وغیرہ بھیجنے کی ضرورت سمجھے تو اضلاع غیر کی معرفت تعمیل کراوے۔

ज़िले ग़ैर में बंद सवालात वग़ैरा भेजने की ज़रूरत समझे तो इज़लाय ग़ैर की मारफ़त तामील करावे॥

## باب چوتھا

## चौथा बाब

دربارہ مدد و اطلاع دہی ملازمان فوجداری

सुलाज़िमान फ़ौजदारी को मदद व इत्तिला देने के बयान में

دفعہ ۱۹ ہر شخص کو گرفتاری مجرم میں کہ جس کی گرفتاری کا گرفتار کرنے والا مجاز ہو یا روکنے ہر ایک واردات میں جس سے رعیت کے سکھ میں حرج آتا ہو یا نقصان کسی کو پہنچتا ہو یا روکنے دنگہ و فساد و بلوہ میں بشرط درخواست مدد دینا لازم ہے۔

दफ़ा १९ हर शख्स को गिरफ़ारी मुजरिम में कि जिस की गिरफ़ारी का गिरफ़ार करने वाला मजाज़ हो या ने रोकने । हर एक वारदात या दंगा फिसाद और बलवे में जिससे रैय्यत के सुख में हर्ज आता हो या किसी को नुक़सान पहुंचता हो बशर्ते दरख्वास्त मदद देना लाज़िम है

دفعہ ۲۰ جس کسی کے نام وارنٹ تحریر ہو تو

दफ़ा २० जिस किसी के नाम वारन्ट तहरीर होतो उस की

وقت تعمیل اُس کے ہر
شخص کو مدد دینی لازم ہے
جو وارنٹ کی تعمیل کرنے والا
چاہے۔

دفعہ ۲۱۔ ہر گانو کے مکھیا کو
ہر ایک وقوعہ واردات کی اطلاع
خواہ وہ گانو کے اندر ہو یا
سرحد گانو میں ہو اُس
افسر کے پاس دینا لازم
ہے جو گانو سے نزدیک ہو
اور بصورت نہ دینے اطلاع کے
خبر نہ دینے کا قصور وار ہوگا اور
تفصیل مکھیوں کی یہ ہے۔
چودہری حوالدار چوکیدار
زمیندار گرداور بھومیہ
جاگیردار آمین کارندہ
جاگیردار۔

دفعہ ۲۲ اگر کوئی خبر صحیح ہو
تو ہر کوئی شخص بھی اُسکی
اطلاع دے سکتا ہے۔

## باب پانچواں

तामील वक्त हर शख्स को ।
वह मदद देनी लाजिम है जो
वारन्ट की तामील कराने वा
ला चाहे

दफ़ा २१ हर गांव के मुखि
या को हर एक वकूअ वारदा
त की इत्तिला ख्वाह वह गांव के
अन्दर या सरहद गांव में हो
उस अफसर के पास देना ला
ज़िम है जो गांव से नज़दीक
हो और बसूरत न देने इत्तला
के खबर न देने का कसूर वार
होगा तफ़सील मुखियों की
यह है चौधरी हवलदार चौकी
दार जमीदार गिर्दावर भोमिया
जागीरदार अमीन कारंदा
जागीरदार ॥

दफ़ा २२ अगर कोई खब
र सही हो तो हर कोई शख्स
भी इत्तला दे सक्ता है

## पांचवां बाब

| | |
|---|---|
| بابت گرفتاری اور بھاگ جانے اور پھر گرفتار کرلینے | गिरफ़्तारी और भाग जाने और फिर गिरफ़्तार करने के बाबत |
| دفعہ ۲۳ جو ملازم فوجداری کسی مجرم کی گرفتاری کا مجاز ہو اور مجرم زور سے اپنے آپ کو گرفتار ہونے دے اور مقابلہ کرے اور بھاگنے کا ارادہ کرے تو گرفتار کرنے والا ہر ایک تدبیر مناسب و ضروری اُس کی گرفتاری کی عمل میں لاوے گا مگر اسقدر احتیاط ضرور ہے کہ جس مجرم پر جرم قابل سزائے موت یا حبس دوام نہ لگایا گیا ہو تو اُسکے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کیا جاوے مگر ہر صورت میں گرفتاری کی تدبیر کرنا لازم ہے۔ | दफ़ा २३ जो मुलाज़िम फ़ौजदारी किसी मुजरिम की गिरफ़्तारी का मजाज़ हो और मुजरिम ज़ोर से अपने आप को गिरफ़्तार न होने दे और मुक़ाबिला करे या भागने का इरादा करे तो गिरफ़्तार करने वाला हर एक तदबीर मुनासिब व ज़रूरी उसकी गिरफ़्तारी की अमल में लावेगा मगर इस क़दर अहतियात ज़रूर है कि जिस मुजरिम पर जुर्म क़ाबिल सज़ा फांसी या उमर क़ैद का न लगाया गया हो तो उसके मार डालने का इरादा न किया जावे मगर हर सूरत से गिरफ़्तारी की तदबीर करना लाज़िम है। |
| دفعہ ۲۴ ـ جو مجرم کہ | दफ़ा २४ मुजरिम कि |

| | |
|---|---|
| کہ جس کی گرفتاری منظور ہے کسی مکان میں بلا واقفیت سازش مالک مکان روپوش ہوجاوے تو مالک یا دخیل یا قابض اوس مکان کو چاہیئے کہ وہ اوس مکان کی تلاشی کراوے اور مجرم ہاتھ آجاوے تو اوس کو پکڑ لے اور جو وہ مکان کسی کا زنانخانہ پردہ دار ہو تو اوس مکان میں جو عورتیں رہتی ہوں اون کو اس قدر فرصت دیجاوے کہ وہ اوس مکان سے دوسرے مکان میں اوس عورت کے سامنے جس کو تعمیل کرنے والا مقرر کرے چلی جاوین بعد اوسکے تعمیل کرنے والا وارنٹ کا اوس مکان کی تلاشی لے اور جو | जिस की गिरफ़्तारी मंज़ूर है। किसी के मकान में बिला वाक़फ़ियत व साज़िश यानी मिलावट मालिक मकान के छिप जावे तो उस मकान के मालिक को या जिस का उस मकान पर दख़ल या क़ब्ज़ा हो उस्को चाहिये कि वह उस मकान की तलाशी करा दे और मुजरिम हाथ आ जावे तो उसको पकड़ ले और जो वह मकान किसी का ज़नान ख़ाना पर्देदार होतो उस मकान में जो औरतें रहती हों उनको इस क़दर फ़ुरसत दी जावे कि वे उस मकान से दूसरे मकान में उस औरत के सामने जिस को तामील करने वाला मुक़र्रर करे चली जावें बाद इस के वारंट की तामील करने वाला उस मकान की तलाशी ले और जो। |

کوئی شخص کسی مجرم کو
جان بوجھ کر چھپاویگا تو وہ
پناہ دہی مجرم کا قصوروار ہوگا
اور جو کوئی شخص یا مالک
مکان مزاحم ہوگا تو وہ بھی
قصوروار ہوگا - اور جو
وارنٹ کی تعمیل کرنے والے
کو تحقیق معلوم ہوجاوے کہ
مجرم اس مکان میں ہے
اور مالک یا قابض مکان
یا خود مجرم تعمیل کرنے والے
کو مکان کے اندر نہ جانے
دیوے تو تعمیل کرنے والا
زبردستی اُس مکان
میں جاکر تعمیل کرسکتا
ہے -

دفعہ ۲۵ جو شخص گرفتار
کیا جاوے اُس کے ساتھ
اُسی قدر روک کی جاوے
کہ جو مجرم کے بھاگ نہ
جانے کو کافی ہو سواے

कोई शख़्स किसी मुजरिम को
जान बूझ कर छुपावेगा तो वह
पनाह दिही मुजरिम का क़सूर
वार होगा और जो कोई शख़्स
या मालिक मकान आड़ा फिरे
गा तो वह भी क़सूरवार होगा
और जो वारंट की तामील कर
ने वाले को तहक़ीक़ मालूम हो
जावे कि मुजरिम इस मकान
में है और मालिक या क़ाबि
ज़ मकान या ख़ुद मुजरिम ता
मील करने वाले को मकान के
अन्दर न जाने देवे तो तामील
करने वाला ज़बरदस्ती उस म
कान में जा कर तामील कर
सक्ता है ॥

दफ़ा २५ जो शख़्स गिरफ़्ता
र किया जावे उसके साथ उसी
क़दर रोक या नीज़ावता किया
जावे कि जो मुजरिम के भाग
न जाने को काफ़ी हो सिवाय

| | |
|---|---|
| زیادتی نکی جاوے | ज़ियादती नकी जावे |
| دفعہ ۲۶ جو شخص گرفتار ہو تو گرفتار کرنے والا اس کی تلاشی لے اور سوائے کپڑے پہرنے کے اور جو کچھ چیز اُس کے پاس سے برآمد ہو وہ حفاظت میں رکھے اور فرد میں لکھ کر شامل مسل کرے ۔ | **दफ़ा २६** जो शख्स गिरफ़्तार होतो गिरफ़्तार करने वाला उस की तलाशी ले और सिवाय पहिरने के कपड़ों के और जो कुछ चीज़ उस के पास निकले वह हिफ़ाज़त में रखे और फ़र्द उस की लिख कर शामिल मिसल करे |
| دفعہ ۲۷ - اگر مجرم عورت ہو تو اس کی تلاشی عورت ہی کی معرفت لی جاوے تاکہ اس کی شرم و حیا میں فرق نہ آوے | **दफ़ा २७** अगर मुजरिम औरत होतो उस की तलाशी-औरत ही की मारफ़त ली जावे ताकि उस की शरम और लज्जा में फ़रक न आवे ॥ |
| دفعہ ۲۸ بروقت گرفتاری اگر مجرم کے پاس سے کوئی ہتیار نکلے تو فوراً اسکو لیکر حاکم عدالت مجاز کے سپرد کر دیا جاوے | **दफ़ा २८** गिरफ़्तारी के वक़्त अगर मुजरिम के पास से कोई हतियार निकले तो फ़ौरन उस को लेकर हाकिम अदालत मजाज़ के सुपुर्द कर दिया जावे' |
| **بابت گرفتاری بلا وارنٹ** | **बिदून वारन्ट गिरफ़्तार करने के बाब में** |

دفعہ ۲۹ اہلکار پولیس اور اہلکار فوجداری مجاز ہیں کہ بلا حکم مجسٹریٹ اور بدون حصول وارنٹ ایسے شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں جس کا ذیل میں ذکر ہے

۱ وہ شخص جو کسی ایسے جرم سنگین کا مرتکب ہو یا اُس میں اعانت کرتا ہو یا شریک ہو جو حسب خانہ نمبر ۴ ضمیمہ منسلکہ کے بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے

۲ ہر ایسا شخص جو اشتہاری ہو

۳ وہ شخص کہ جس کے پاس سے کوئی مال مسروقہ یا مغروقہ یا مشتبہ برآمد ہو

दफ़ा २९ अहलकार पुलिस और अहलकार फ़ौजदारी मजाज़ है कि बग़ैर हुक्म मजिस्ट्रेट और बिदून हासिल करने वारंट के ऐसे शख़्स को गिरफ़्तार कर सक्ते हैं जिस का ज़िकर नीचे लिखा हुआ है

१ वह शख़्स जो किसी ऐसे जुर्म संगीन का मुर्तकिब हो या उस में मदद करता हो या शामिल हो वह सज़ा के नक़शे के ख़ाने नंबर ४ के मुवाफ़िक़ जो इस कानून के आख़ीर में है उस के मूजिब बिला वारंट गिरफ़्तार हो सक्ता है ॥

२ हर ऐसा शख़्स जो इश्तिहारी हो

३ वो शख़्स कि जिस के पास से माल चोरी का या लूट का या मुश्तबा यानी भरम वाला निकले ॥

۴ (۵) شخص جو بروقت گرفتاری سرکاری آدمی سے مقابلہ کرے۔

۵ جو شخص کہ حراست سے فرار ہوا ہو۔

۶ علاوہ ان کے ہر شخص اقوام جرائم پیشہ میں سے مثل باوری و مینہ و بھیل و تھوری وغیرہ کے کہ جو بطور خود بلا موجودی ٹکٹ مروجہ آوارہ پھرتا ہو اور مسلح ہو یا نہ ہو۔

۷ (۷) شخص جو اپنا اصلی نام اور سکونت یا اپنی موجودگی اور گزر اوقات کا سبب لائق اطمینان ظاہر نہ کرے مگر شرط یہ ہے کہ ایسے آدمی کو بہت جلد مجسٹریٹ کے پاس چالان کریں اور جو وہ تمام

४ वह शख्स जो गिरफ़्तारी के
वक्त सरकारी आदमी से मुक़ा
बिला यानी सामना करे ॥
५ वह शख्स कि हिरासत या
नी पहरे में से भागा हुवा हो
६ ऊपर लिखे हुये शख्सों के
सिवाय क़ौम जुरायम पेशा मि
सल बावरी मीना भील थोरी
वगैरा भी जो बतौर खुद बगैर
टिकट हर कहीं फिरता हो औ
र उस के पास शस्त्र हो या
न हो ॥
७ वह शख्स जो अपना ना
म और रहने की जगह अस
ली ज़ाहिर न करे या अपनी मौ
जूदगी और गुज़र औक़ात
का सबब लायक़ तसल्ली के
न बतावे मगर शर्त यह है
कि ऐसे आदमी को बहुत
जल्द मजिस्ट्रेट के पास
चालान करें और जो वह तमा

اصلی حال ظاہر کردے اور
اطمینان ہو جاوے تو رہا
کیا جاویگا۔

دفعہ ۳۰ سرکاری
عہدہ دار جو بلا وارنٹ
گرفتار کرنے کا مجاز ہے
اُس کو لازم ہے کہ
مجرموں کا تعاقب اپنے
علاقہ میں بھی کرے اور
اگر علاقہ غیر آجاوے تو
باطلاع و امداد علاقہ دار
غیر آیندہ بھی تعاقب کرے۔

دفعہ ۳۱ ہر کسی مجرم
سنگین لایق دست اندازی
پولیس ناقابل ضمانت یا
اشتہاری کو عام لوگ
بھی گرفتار کر سکتے ہیں مگر
اُنکو چاہیئے کہ بفور گرفتاری
مجرم کو پاس عہدہ دار
صیغہ فوجداری راج کے
جو قریب تر ہو پہنچا دیں

असली हाल ज़ाहिर कर दे औ
र तसल्ली हो जावे तो छोड़ दि
या जावेगा ॥

दफ़ा ३० सरकारी ओहदे
दार जिन को बग़ैर वारंट गिर
फ़्तार करने का मजाज है उसको
लाज़िम है कि मुजरिमों का पी
छा अपने इलाके में भी करे औ
र अगर इलाक़ा ग़ैर आ जावे
तो इलाक़े दार ग़ैर को इत्तला
दे कर उन की मदद के साथ
आयंदा भी पीछा करे

दफ़ा ३१ हर किसी मुजरिम
संगीन लायक़ दस्तंदाज़ी पुलि
स ना काबिल ज़मानत या
इश्तिहारी को आम लोग भी
गिरफ़्तार कर सक्ते है मगर उन
को चाहिये कि गिरफ़्तार होते
ही मुजरिम को ओहदेदार सी
ग़े फ़ौजदारी के पास जो नि
हायत नज़दीक हो पहुंचा दें

| | |
|---|---|
| اپنے پاس نرکھیں | अपने पास न रखें ॥ |
| دفعہ ۳۲ ہر عہدہ دار کہ | दफा ३२ हर ओहदे दार |
| جو گرفتاری بلا وارنٹ کرے | जो गिरफ़ारी वग़ैर वारंट के करे |
| اور خود فیصلہ نہ کرسکے تو | और ख़ुद फैसला न कर सके। |
| اُس کو چاہیئے کہ اگر اسامی کا | तो उस को चाहिये कि अगर |
| جُرم لایق ضمانت ہو تو | आसामी का जुर्म लायक़ जमा |
| اسامی سے ضمانت | नत होतो आसामी से जमा न |
| طلب کرے اگر وہ ضمانت | त मांगे अगर वह जमानत दा |
| داخل کردے تو اُس کی | ख़िल करदे तो उस की ज़मानत |
| ضمانت بغیر میعادی واسطے | वग़ैर मयादी वास्ते हाज़री अ |
| حاضری عدالت کے لیکر | दालत के लेकर अदालत म |
| عدالتِ مجاز میں بھیجدے | जाज़ में भेज देवें और वह मया |
| اور وہ میعاد پر حاضر نہو تو | द पर हाज़िर नहो तो ज़ामिन |
| ضامن سے مواخذہ کیا | से मवाख़ज़ा किया जावे, औ |
| جاوے اور اگر اسامی مذکور | र अगर आसामी मज़कूर। |
| ضمانت نہ دے تو اُس کو | जमानत न दें तो उस को विला |
| بلا توقف غیر ضروری کے | तवक्कुफ़ ग़ैर ज़रूरी के अदा |
| عدالتِ مجاز میں بھیجدے | लत मजाज़ में भेज देवें जिया |
| زیادہ دنوں اپنے پاس | दा दिनों तक अपने पास न |
| نرکھے اور اگر کوئی ضرورت ہو | र खें और अगर कोई ज़रूरत |
| تو اُس کی اجازت حاکم | होतो उस की इजाज़त हाकिम |

| | |
|---|---|
| بالادست سے منگا لے | बाला दस्त से मंगा ले ॥ |
| دفعہ ۳۳ جب کوئی جرم مجسٹریٹ کے خود مواجہہ میں سرزد ہو تو صاحب مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ مجرم کو خود گرفتار کرے یا حکم دے کہ کوئی شخص مجرم کو گرفتار کرے اور اُس کے بعد بپابندی احکام مجموعہ ہذا مندرجہ باب ضمانت کے مجرم کو حراست میں رکھے | **दफा ३३** जब कोई जुर्म मजिस्ट्रेट के रूबरू सरज़द हो तो साहब मजिस्ट्रेट को अख़्तियार है कि मुजरिम को ख़ुद गिरफ़्तार करे या मुजरिम की गिरफ़्तारी का किसी शख़्स को हुक्म दे और उस के बाद बपाबंदी अहकाम मजमूए हाज़ा मुन्दर्जे बाब जमानत के मुजरिम को पहरे में रक्खें ॥ |
| دفعہ ۳۴ اگر کوئی شخص جو قید جائز میں ہو اور وہ فرار ہو جاوے یا کوئی شخص غیر اُس کو چھڑا لے جائے تو وہ شخص کہ جس کی حراست سے وہ فرار ہوا یا چھڑایا گیا مجاز ہے کہ فوراً اُس کا تعاقب بپابندی دفعہ ۳۰ کے کر کے اُس کو گرفتار کرے | **दफा ३४** अगर कोई शख़्स जो क़ैद जायज़ में हो और वह भाग जावे या कोई ग़ैर शख़्स उस को छुड़ा ले जावे तो वह शख़्स जिसके पहरे से वह भागा या छुड़ाया गया मजाज़ है कि फ़ौरन उसका पीछा करके उस को मुवाफ़िक़ दफ़ै ३० के गिरफ़्तार करे |
| باب چھٹا | **छटा बाब** |

## بابت حکمنامجات

نمبر ا سمن

دفعہ ۳۵ ہر ایک سمن جو
بموجب اس مجموعہ کے کسی
عدالت سے جاری ہوگا وہ
تحریری ہوگا اور اُسکے دو پرت
زبان مروجہ میں ہوں گے اور
اُسپر دستخط اور مہر عدالت
جاری کنندہ سمن کے ثبت
ہونگے اور تعمیل کنندہ سمن
کو چاہیئے کہ ایک پرت اسامی
کو دیدے اور دوسرے پر
اسامی کی اطلاع یابی بگواہی
گواہان اُسکے دستخط سے
لکھا کر واپس عدالت میں
حاضر کرے۔

دفعہ ۳۶ اگر سمن علاقہ غیر
میں بھیجنا ہو تو اُس کی تعمیل
معرفت محکمہ رزیڈنسی
بوساطت سررشتہ اضلاع
غیر کرادی جاوے

## बाबत हुक्मनामों के नंबर

१ समन ॥

दफ़ा ३५ हर एक समन जो
इस ऐक्ट के मूजिब किसी अ-
दालत से जारी हो वह तहरीरी
होगा और उस की दो परतें देसी
ज़बान में होंगी और उस पर दस्त-
ख़त और मोहर उस अदालत
की होगी जहां से समन जारी हो
और समन की तामील करनेवा-
ले को चाहिये कि एक परत अ-
सामी को देदे और दूसरी पर
असामी की इत्तलायाबी व ग-
वाही गवाहान उस के दस्तख़-
त से लिखा कर वापस अदाल-
त में हाज़िर करे ॥

दफ़ा ३६ अगर समन इला-
के ग़ैर में भेजना हो तो उस की
तामील महकमे रज़ीडंसी की
मारफ़त सरिश्ते इत्तलाय ग़ैर
के वसीले से कराई जावे ॥

نمبر۲ وارنٹ گرفتاری
دفعہ ۳۷ ہر وارنٹ گرفتاری جو ازروے مجموعہ ہذا کسی عدالت سے جاری ہو وہ دستخطی اور مہری ہوگا اور دیسی حرفوں اور زبان میں لکہا جاوے گا اور اگر علاقہ غیر میں بہیجا جاوے۔ تو ہندی فارسی یا انگریزی میں لکہا جاوے گا اور دستخط اور مہر ہوگی۔

دفعہ ۳۸ اگر مجرم یا ملزم جس کی گرفتاری کے واسطے وارنٹ جاری کیا گیا ہے اور وہ مقدمہ لایق لینے ضمانت کے ہو اور ملزم ضمانت معتبر داخل کرے اور حاضری عدالت کا مچلکہ میعادی مع تعداد تاوان کے لکہدے تو وہ ضمانت پر چہوڑ

नम्बर २ वारन्ट गिरफ़ारी

दफ़ा ३७ हरवारंट गिरफ़ारी जो इस क़ानून की रूसे किसी अदालत से जारी हो वह दस्तखती और मोहरी होगा और देसी हरफों और देसी जबान में लिखा जावेगा और अगर इलाके ग़ैर में भेजा जावे तो हिंदी फ़ारसी या अंग्रेज़ी में लिखा जावेगा और दस्तखत और मोहर होवेगी॥

दफ़ा ३८ अगर मुजरिम या मुल्ज़िम जिसकी गिरफ़ारी के वास्ते वारंट जारी किया गया है और वह मुकदमा लायक़ ज़मानत के हो और मुलज़िम ज़मानत मोतबर दाखिल करे और हाज़री अदालत का मुचलका मयादी मये तादाद तावान यानी जुर्माने के लिख देतो वह ज़मानत पर छोड़

دیا جاوے اور اُسکو ہدایت ہو
کہ عدالت جاری کنندہ
وارنٹ میں حاضر ہو جاوے
مگر شرط یہ ہے کہ وہ
سرکاری عہدہ دار جسکے
نام وارنٹ تحریر ہوا ہے
خود البتہ ضمانت لے سکتا
ہے اور اگر اُس نے تعمیل
وارنٹ کی کسی اپنے
سپاہی کی معرفت
کرائی ہو تو سپاہی ضمانت
نہیں لے سکیگا اُس کو
چاہیئے کہ اسامی کو
اپنے افسر کے پاس
لے جاکر ضمانت دلاوے
اور وہ ضمانت نامہ عدالت
میں واسطے شمول مثل کے
بھیجدے۔

دفعہ ۳۹ وارنٹ کی تعمیل
کرنیوالے کو چاہیئے کہ بروقت
گرفتاری اسامی کو وارنٹ

दिया जावे और उस को हिदाय
त की जावे कि वह जिस अदा
लत से वारंट जारी हुवा हो उ
समें हाज़िर हो जावे मगर श
र्त यह है कि अगर सरकारी
ओहदह दार जिसके नाम वार
न्ट तहरीर हुआ है खुद अ
लबत्ता ज़मानत ले सक्ता है
और अगर उसने वारन्ट की
तामील किसी अपने सिपाही
की मारफ़त कराई हो तो सि
पाही ज़मानत नहीं ले सके
गा उस को चाहिये कि आ
सामी को अपने अफसर के
पास जा कर ज़मानत दिला दे
और वह ज़मानत नामा अदा
लत में वास्ते शामिल करने
मिसल के भेजदे॥

दफ़ा ३९ वारन्ट की तामील
करने वाले को चाहिये कि गिर
फ़्तारी के वक़्त आसामी को वारं

وکیلا گرفتار کرے اور اگر
اسامی لایق ضمانت ہو
اور وہ ضمانت داخل نہ
کرے تو اوس کو فوراً
چالان عدالت ضابطہ
مناسب سے کرے
مگر ضمانت حسب شرح دفعہ
۳۸ ہوگی

دفعہ ۴۰ ہر عدالت کو جو
کسی شخص کی گرفتاری
کے لئے وارنٹ جاری
کرے اختیار ہے کہ اگر
مناسب سمجھے تو وارنٹ کی
پشت پر یہ ہدایت لکھدے
کہ اگر شخص گرفتاری طلب
اس مضمون کا مچلکہ ساتھ
ضمانت کافی کے لکھدے
کہ وہ فلاں وقت متعینہ پر
عدالت میں حاضر ہوگا تو
تعمیل کنندہ وارنٹ کو
چاہیئے کہ شخص مذکور

ट दिखला कर गिरफ़ार करे
और अगर आसामी ज़मा नत
के लायक़ हो और वह ज़मा
नत दाखिल न करे तो उसको
फ़ौरन मुनासिब ज़ाबते के सा
थ चालान अदालत करे मग
र ज़मानत बमूजिब शरह
दफ़े ३८ के होगी ॥

दफ़ा ४० हर अदालत को
जो किसी शख़्स की गिरफ़्ता
री के लिये वारंट जारी करे अख़्ति
यार है कि अगर मुनासिब सम
झे तो वारंट की पुश्त पर यह
हिदायत लिख दे कि अगर
यह मुजरिम इस मज़मून
का मुचल्का साथ ज़मानत
काफ़ी के लिख दे कि वह फ़
लानी वक्त मुक़र्ररा पर अदा
लत में हाज़िर होगा तो वारंट
की तामील करने वाले को
चाहिये कि शख़्स मज़कूर से

سے ضمانت اور مچلکہ
لیکر اُس کو رہائی دے
اور عبارت ہدایت میں
یہ لکھا جاوے گا۔ اوّل
تعداد ضامنوں کی اور دوسرے
تعداد زرتاوان کی کہ جسمیں
ضامناں اور وہ شخص ماخوذ
کیا جاوے گا جس کی
گرفتاری کے لیئے وارنٹ
جاری ہوا ہو۔ تیسرے
وہ تاریخ جس پر اُس کو
عدالت میں حاضر ہونا چاہیئے
اور جب ایسی ضمانت
لی جاوے تو تعمیل کنندہ
وارنٹ کو چاہیئے کہ مچلکہ
اور ضمانت نامہ کو فوراً عدالت
میں بھیجدے ۔ نمبر ۳

اشتہار اور قرقی

دفعہ ۴۱ اگر کوئی شخص
بعد جاری ہولنے وارنٹ
گرفتاری کے بھاگ جائے یا

से ज़मानत और मुचल्का ले
कर उस को छोड़ दे और उस हि
दायत की इबारत में यह लि
खा जावेगा अव्वल तादा
द ज़ामनों की दूसरी तादाद सु
चल्के के रुपैयों की कि जिस
में ज़ामिन और वह शख़्स
माख़ूज़ किया जावेगा जिस
की गिरफ़्तारी के लिये वारन्ट
जारी हुवा हो तीसरे वह तारीख़
जिस पर उस को अदालत में
हाज़िर होना चाहिये जब ऐ
सी ज़मानत ली जावे तो वारन्ट
के तामील करने वाले को चा
हिये कि मुचल्का और ज़मा
नत नामे को फ़ौरन अदालत
में भेजदे ॥

नम्बर ३ इश्तहार कुरकी

दफ़ा ४१ अगर कोई शख़्स
गिरफ़्तारी का वारन्ट जारी होने
के बाद भाग जावे या छुप जावे

| | |
|---|---|
| چھپ جاوے اس نیت سے کہ وارنٹ اُسکے پاس تک نہ آسکے تو عدالت جاری کنندہ وارنٹ کو لازم ہے کہ ایک اشتہاری میعادی ایک ماہ کا واسطے حاضری شخص گرفتاری طلب کے جاری کرکے ایک نقل اُس کی کچہری میں نظرگاہ عام پر اور دوسرے مکان مسکن مجرم پر اور تیسرے نظرگاہ عام موضع مسکن مذکور پر چسپاں کردے اگر شخص مذکور اشتہار کی میعاد میں حاضر نہو تو عدالت اُس کی جائداد منقولہ و غیر منقولہ کی قرقی کا حکم دے سکتی ہے | वे इस नियत से कि वारंट उस के पास तक न आ सके तो वारंट जारी करने वाली अदालत को लाज़िम है कि एक इश्तिहार मयादी एक महीने का वास्ते हाज़री उस शख़्स के कि जिस की गिरफ़्तारी मंज़ूर है जारी करके एक नक़ल उस की कचहरी में नज़रगाह आम पर और दूसरी उस मुजरिम के रहने के मकान पर और तीसरी नज़रगाह आम मुजरिम के रहने के गांव पर चिपका दे अगर शख़्स मज़कूर इश्तिहारी मयाद में हाज़िर न हो तो अदालत उस की जायदाद मनकूला व ग़ैर मनकूला की कुरकी का हुक्म दे सकती है |
| **نمبر ۴ وارنٹ تلاشی** | **नम्बर ४ वारन्ट तलाशी।** |
| دفعہ ۴۲ اگر عدالت کو یقین ہو جاوے کہ کسی | **दफ़ा ४२** अगर अदालत को यकीन हो जावे कि किसी |

मकान में माल चोरी का या लूटा
हुआ या दूसरी कोई चीज़ ।
मिसल जाली दस्तावेज़ या स्टा
म्प या खोटा सिक्का या मोह
र बनावट की वग़ैरा जिसके
बाबत कोई मुक़द्दमा फ़ौज
दारी में दायर है फ़लाने मका
न या फ़लाने शख़्स के क़ब्ज़े
में है तो इस सूरत में वारंट तला
शी जारी कर सकते हैं मगर यह
अख़्तियार किसी के सिवाय म
हुक्मे आला के नहीं होगा कि
वारंट वास्ते तलाशी ऐसी द
स्तावेज़ के सादिर करे जो ओ
हदेदारान डाक या टेली ग्रा
फ़ के क़ब्ज़े में हो ॥

**दफ़ा ४३** अगर तलाशी के
वक़्त वे चीज़ें या उनमें से कि
सी क़दर जिन की तलाशी के
वास्ते वारंट जारी हुआ है पाई
जावें तो फ़ौरन उसको फ़ेहरिस्त

مکان میں مال مسروقہ یا
مغروقہ یا دوسری کوئی شے
مثل جعلی دستاویز یا اسٹام
یا سکہ قلب یا مواہیر
مصنوعی وغیرہ جس کی
بابت کوئی مقدمہ فوجداری
میں دائر ہے فلاں مکان یا
فلاں شخص کے قبضہ میں ہے
تو اُس صورت میں وہ وارنٹ
تلاشی جاری کر سکتی ہے۔
مگر یہ اختیار کسی کو سوائے
محکمہ اعلےٰ نہ ہوگا کہ وارنٹ
واسطے تلاشی ایسی دستاویز
کے صادر کرے جو عہدہ داران
ڈاک یا ٹیلی گراف کی تحویل
میں ہو

**دفعہ ۴۳** اگر بوقت تلاشی
وہ اشیا یا کچھ اس میں سے
کہ جسکی تلاشی کے واسطے وارنٹ
جاری ہوا ہے پائی جاوے
تو فوراً اس کو درج فہرست

کرکے حاکم جاری کنندہ
وارنٹ کے پاس مع فرد کے
بھیجدے

دفعہ ۴۴ عدالت مجاز ہے
کہ اگر مناسب سمجھے تو وارنٹ
میں اس مقام یا مکان
یا جزو مکان یا مقام کی
تفصیل کردے کہ صرف
جسمیں تلاشی یا معاینہ کیا
جاوے گا پس وہ شخص
جسکو وارنٹ کی تعمیل
سپرد ہو صرف اس مقام
یا مکان یا جزو مکان کے
اندر تلاشی یا معاینہ کرے گا
جس کی تفصیل کی گئی
ہے

دفعہ ۴۵ اگر بوقت
تلاشی حسب دفعہ ۴۲
مجموعہ ہذا کوئی شخص اس
مقام یا مکان میں پایا
جاوے اور اس کی نسبت

में इस के कर के वारन्ट जारी क
रने वाले हाकिम के पास मय
फ़र्द के भेज दे

दफ़ा ४४ अदालत को म
जाज़ है कि अगर मुनासिब
समझे तो वारंट में उस मकान
या मुक़ाम या टुकड़े मकान
या मुक़ाम की तफ़सील कर दे
कि सिर्फ़ जिसमें तलाशी या मा
इना किया जावे गा पस वह
शख़्स जिसको वारन्ट की ता
मील सुपुर्द हो सिर्फ़ उस मु
क़ाम या मकान या टुकड़े के
अन्दर तलाशी और मुआइना
करे गा जिस की तफ़सील
की गई है ॥

दफ़ा ४५ अगर तलाशी के
वक़्त मजमूए हाज़ा की दफ़ा
४२ के बमूजिब कोई शख़्स
उस मुक़ाम या मकान में पाया
जावे और उस की निसबत

तलाशी करने वाले को वजह
माकूल हो कि यह शख्स भी
इस मामलात से वाकिफ़ था
भेद जानने वाला है तो उसको
भी पहरे में लेकर पास मजि-
स्ट्रेट वारंट तलाशी जारी कर
ने वाले के हाज़िर कर दे ॥

नम्बर ५ खोलना हाल उ
न शख्सों का जो बेजा तौर पर
क़ैद किये गये हों ॥

दफ़ा ४६ मजिस्ट्रेट को इस
बात की यक़ीन करने की व-
जह हो कि कोई शख्स इस ब-
तौर पर क़ैद है कि उसको क़ैद
रखना जुर्म है तो वह वारन्ट
तलाशी के जारी करने का मजा
ज़ है और जिस शख्स के ना
म वारन्ट भेजा जावे वह उ-
स शख्स के तलाश करने का जो
इस तरह क़ैद हो मजाज़ हो-
गा और तलाशी मज़कूर ब-

تلاشی کنندہ کو وجہ معقول ہو
کہ یہ شخص بھی ان معاملات
سے واقف یا راز دار ہے
تو اُس کو بھی حراست میں
لیکر پاس مجسٹریٹ جاری
کنندہ وارنٹ تلاشی
کے حاضر کر دے

نمبر ۵ انکشاف حال اُن
اشخاص کا جو بطور بیجا
مقید کئے گئے ہوں

دفعہ ۴۶ - مجسٹریٹ کو
اس بات کے یقین کرنے کی
وجہ ہو کہ کوئی شخص اسطور پر
قید ہے کہ اُسکو قید رکھنا بمنزلہ
جرم کے ہے تو وہ وارنٹ
تلاشی کے صادر کرنے کا مجاز
ہے اور جس شخص کے نام
وارنٹ مذکور بھیجا جاوے وہ اُس
شخص کے تلاش کرنے کا جو اس طرح
مقید ہو مجاز ہو گا اور تلاشی مذکور
مطابق وارنٹ کے عمل میں آئیگی اور شخص کو

اگر دستیاب ہو فوراً مجسٹریٹ کے روبرو حاضر کیا جاوے گا*

## نمبر ٦ اطلاع عام نسبت تلاشی

دفعہ ۴۷ جس مکان تلاشی کے واسطے وارنٹ جاری ہوا ہے اُسکے مالک یا قابض کو چاہیے کہ بلا عذر تلاشی کرا دے اور اگر مکان بند یا مقفل ہو تو اُس کو کھولکر دکھلا دے*

دفعہ ۴۸ جو شخص وارنٹ تلاشی کی تعمیل کرے اُسکو چاہیے کہ دو چار آدمی معتبر کے روبرو تلاشی لے اور جو سامان قابل گرفتاری کے برآمد ہو اُس کی فہرست روبرو معتبرین مذکور

मुना विक़ वारन्ट के अमल में आवेगी और शख्स मज़कूर मिल जावे तो फ़ौरन मजिस्ट्रेट के रोबरू हाज़िर किया जावे

## नम्बर ६ हुक्म आम तलाशी के बाबत॥

**दफ़ा ४७** जिस मकान की तलाशी के वास्ते वारन्ट जारी हुवा है उस के मालिक काबिज़ को चाहिये कि बिला उज़र तलाशी करादे और अगर मकान बन्द या ताला लगा हुआ हो तो उस को खोल कर दिखला दे॥

**दफ़ा ४८** जो शख्स वारन्ट तलाशी की तामील करे उस्को चाहिये कि दो चार आदमी मोतबिर के रोबरू तलाशी ले और जो सामान गिरफ्तारी के काबिल निकले उस की फहरिस्त मोतबिर मज़कूर के

गोवरू लिखकर उनके दस्तखत
करा ले और अदालत में भेज
दे मगर शर्त यह है कि तला
शी रात को न होगी और जु
वाह हो कि माल गिरफ्तारी
तलब निकल जावेगा तो उस
का रात को मुहासरा यानी घे
रा रख्खे माल निकल न
सके और अगर मुद्दई या
मुखबिर साथ हो और वह
भी तलाशी के वास्ते मकान
के अन्दर जावे तो मकान म
ज़कूर की तलाशी लेने से प
हिले उसकी तलाशी अव्वल
ले ली जावे ताकि वह शख्स
कोई चीज़ उस मकान में नहीं
डालने पावे ॥

**दफा ४९** अगर मालिक
मकान या काबिज तलाशी
दिलाने में तकरार करे तो वा
रन्ट की तामील करने वाले

لکھ کے اُن کے دستخط کرائے
اور عدالت میں بھیجدے
لیکن شرط یہ ہے کہ
تلاشی رات کو نہوگی اور
جو شبہہ ہو کہ مالِ گرفتاری
طلب نکل جاوے گا تو اُس کا
رات کو محاصرہ رکھے کہ مال
برآمد نہ ہو سکے اور اگر مدعی
یا مخبر ساتھ ہو اور وہ بھی
تلاشی کے واسطے اندر
مکان کے جاوے تو
مکان مذکور کی تلاشی
لینے سے پہلے اُس کی
تلاشی لے لی جاوے
تاکہ وہ شخص کوئی چیز
اُس مکان میں نہ ڈالنے
پاوے۔

دفعہ ۴۹ - اگر مالک
مکان یا قابض تلاشی
دلانے میں تکرار کرے تو
تعمیل کنندہ وارنٹ

کو چاہیے کہ بموجب دفعہ ۲۴ کے عملدرامد کرے

دفعہ ۵۰ - ہر عدالت کو اختیار ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو کسی دستآویز یا دیگر شے کو جو اس مجموعہ کے مطابق اُس کے روبرو حاضر کی جاوے اور حاکم کو شبہ ہو کہ اس کی تحقیقات کی جاوے تو تا تحقیقات اُس کو ضبط رکھے -

دفعہ ۵۱ - دستور العمل اجرائے سمن اور وارنٹ کا جو سری دربار سے واسطے عملدرامد عدالت فوجداری کے پہلے مقرر ہو چکا ہے بعد ترمیم اس مجموعہ کے ضمیمہ نمبر ۲ میں درج کیا گیا ہے

باب ساتواں

को चाहिये कि वमूजिव दफा २४ के अमल दरामद करे।

**दफ़ा ५०** हर अदालत को अख़्तियार है कि अगर मुनासिब समझे तो किसी दस्तावेज़ या दूसरी चीज को इस मजमूआ के मुनाविक़ उसके रोबरू हाजिर की जावे और हाकिम को शुबाह हो कि इस की तहक़ीक़ात की जावे तो तहक़ीक़ात होने तक उस को ज़ब्त रखे ॥

**दफ़ा ५१** दस्तूरुल अमल इजराय समन और वारंट का जो श्री दरबार से वास्ते अमल दरामद अदालत फ़ौजदारी के पहिले मुकर्रिर हो चुका है बाद तरमीम इस मजमूए के ज़मीमे नम्बर २ में दर्ज किया गया है ॥

सातवां बाब

## انسدادِ جرائم بابت ضمانت حفظ امن و نیک چلنی

**دفعہ ۵۲** جب کسی شخص پر جرم بلوہ یا حملہ یا اور طرح پر رعیت کے سکھہ میں خلل ڈالنے کا یا ان میں سے کسی جرم میں اعانت کرنیکا یا ایسے جرم کے کرنے کی نیت ظاہر سے ہتیاربند آدمیوں کو جمع کرنے کا یا اور تدبیر ناجائز عمل میں لانے کا الزام لگایا جاوے یا جب کوئی شخص کسی کو جسم یا مال کا نقصان پہنچانے دھمکی کے ذریعہ سے ارتکاب تخویف مجرمانہ کا کرے اور مجسٹریٹ درجہ اوّل کے اجلاس سے اسیر جرم قرار دیا جاوے

## ज़ुर्मों के रोकने और अमन चैन और नेकचलनी की हिफ़ाज़त की ज़मानत के बयान में ॥

**दफ़ा ५२** जब किसी शख़्स पर ज़ुर्म बल्वा या हमला या और तरह पर रैय्यत के सुख में ख़लल डालने का या इन में से किसी ज़ुर्म में मदद करने का या ऐसे ज़ुर्म के करने के उद्योग से हथियारबंद आदमियों को जमा करने का या और तदबीर नाजायज़ अमल में लाने का इल्ज़ाम लगाया जावे या जब कोई शख़्स किसी को जिस्म या माल का नुक़सान पहुंचाने की धमकी के ज़रिये से इर्तकाब तख़्वीफ़ मुजरिमाना का करे और मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल के इजलास से उस पर ज़ुर्म करार दिया जावे

تو مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ
بروقت اصدار حکم سزا
کے مجرم سے مچلکہ حفظ
امن اور نیک چلنی کا مع
تعداد زر کے جو حیثیت مجرم
سے زیادہ نہو مع یا بلا
ضامنوں کے لکھالے جس
کی میعاد تین برس
سے زیادہ نہو - اور
اگر ممکن ہو تو ضمانت کے
عوض اُس سے زرِ نقد
بقدر اُس کی حیثیت کے
داخل کرالے اور وہ روپیہ
میعاد ختم ہونے تک سرکار
میں جمع رہے اور جو یہ
دونوں صورتیں نہو سکیں تو
اُس شخص کو سزا قید کی دیجاوے
جسکی میعاد تین برس سے
زیادہ نہو۔

دفعہ ۵۳ جو شخص
کہ آوارہ گرد ہو

तो वर वक्त स दूर हुक्म सज़ा के
मजिस्ट्रेट को अख़्तियार है कि
मुजरिम से अमन की हिफ़ाज
त और नेक चलनी का मुचल्ल
का मये ता दाद रुपे यों के जो मु
जरिम की है सियत से ज़िया दा
नहो म ये ज़ाम नो के या बिला
ज़ामि नों के लिखवा ले जिस्की
मया द तीन वर्ष से ज्यादा नहो
और अगर मुस किन न हो तो
ज़मा नत की एवज उससे रोक
ड रुपैया उस की है सियत के
मू जिब दाखिल करा ले और
वह रुपे या मयाद खतम होने
तक सर कार में जमा रहे और
जो ये दो नो सूर तें न हो स कें
तो उस शख्स को क़ैद की दी
जावे जिस की मयाद ३ वर्ष
से ज़ादा न हो ॥

**दफ़ा ५३** जो शख्स आवा
रा गर्द याने रुलिया रहा

اور اُس کی نسبت اشتدا
بد معاشی ہوجاوے توبصور
ممکن اُس سے ضمان
میعادی جو مجسٹریٹ مناسب
جانے لی جاوے اور جو ضمانت
نہوسکے تو اُس کو نگرانے
پولیس میں رکھاجاوے ورنہ
بمنظوری مجسٹریٹ درجہ اوّل
اُس کو علاقہ راج سے باہر
نکال دیا جاوے

دفعہ ۵۴ - اگر کوئی شخص
ضامن کسی مجرم کا قبل از
انقضائے میعاد اپنی
ضمانت نکلوایا چاہے تو
حاکم عدالت کو جس کے
حکم سے ضمانت لی گئی ہو
چاہیئے کہ مجرم کو بُلا کر
ہدایت کرے کہ وہ دوسری
ضمانت داخل کرے اور
پہلی ضمانت بیکار کیجاوے
اور جو ضامن فوت ہو

ग्रोर उसके निसवत् बदमाशी
का शुबाह होजावे तो बसूरत
मुमकिन उससे ज़मानत मया
दी जो मजिस्ट्रेट मुनासिब जाने
ली जावे ग्रोर जो ज़मानत न हो
सके तो उसको निगरानी पुलि
स में रखा जावे नहीं तो बमंजू
री मजिस्ट्रेट दरजे ग्रव्वल उ
सको इलाके राज से बाहर नि
काल दिया जावे ॥

**दफा ५४** ग्रगर कोई शख्स
ज़ामिन किसी मुजरिम का मया
द गुजर जाने से पहिले ग्रपनी
ज़मानत निकलवाया चाहे तो
हाकि ग्रदालत को जिसके हु
कम से जमानत ली गई हो
चाहिये कि मुजरिम को बु
लाकर हिदायत करे कि वह
दुसरी जमानत दाखिल करे ग्रोर
पहिले जमानत बेकार की जावे
ग्रोर जो ज़ामिन फ़ौत होजावे

جاوے تو بھی دوسری ضمانت کے داخل کرنے کا مدعا علیہ کو فرض ہوگا۔

دفعہ ۵۵- اگر کسی مجسٹریٹ کو یہ خبر پہنچے کہ اُس کے علاقہ میں کوئی شخص اپنی موجودگی کو چھپانے کی تدبیرین کر رہا ہے اور قرین قیاس ہے کہ وہ ضرور کوئی قصور کرے گا یا وہ مجرم کسی واردات کا ہے تو مجسٹریٹ کو چاہیئے کہ اُس سے مچلکہ معہ ضامنان کے واسطے نیک چلنی کے اُسقدر میعاد تک لکھالے جو چھ مہینے سے زیادہ نہو اور جو وہ مچلکہ معہ ضامنان نہ لکھے تو اُس کو مجسٹریٹ درجہ اوّل کے پاس بھیجدے اور جس طرح اُس کو خبر پہنچے اور اُس نے

तो भी दूसरी ज़मानत दाखि ल करने का मुद्दायले को फ़र्ज़ होगा ॥

**दफ़ा ५५** अगर किसी मजिस्ट्रेट को यह खबर पहुंचे कि उस के इलाके में कोई शख्स अपनी मौजूदगी को छुपाने की तदबीरें कर रहा है और कयास चाहता है कि वह ज़रूर कसूर करेगा या वह मुजरिम किसी वारदात का है तो मजिस्ट्रेट को चाहिये कि उस से मुचलका मये ज़ामिनों के वास्ते नेकचलनी के कदर मयाद तक का लेवे जो छःमहीने से ज़ियादा नहो और जो वह मुचलका मये ज़ामिनों के लिखे तो उस को मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल के पास भेज दे और जिस तरह उसको खबर पहुंची और उस ने

تحقیقات کی ہو وہ کُل
کارروائی کے کاغذات
بہی اُسکے ساتھ بھیجدے اور
مجسٹریٹ درجہ اول حسب
قاعدہ عمل کرے مگر اپیل کا
شخص مجرم کو اختیار
ہوگا +

**دفعہ ۵۶** جب مجسٹریٹ
درجہ اول کو اِس بات کی
اطلاع پہنچے کہ کوئی شخص
علاقہ راج میں عادتاً پیشہ
چوری دھاڑہ کا کرتا ہے
یا چوری دھاڑہ کا مال جان
بوجھ کر خریدتا ہے یا رعیّت
کو لوٹ کھسوٹ سے نقصان
پہنچاتا ہے یا اُس کا
ارادہ کرتا ہے تو اُسکو چاہیے
کہ اس شخص کی طلبی ذریعہ
سمن کرکے اپنے روبرو
بلاوے اور جو وہ قید میں ہو
تو معرفت جیلر اُسکو بلائے

तहक़ीक़ात की हो वह कुल का
रर्वाई के काग़ज़ात भी उस्के
साथ भेज दे और मजिस्ट्रेट दर
जे अव्वल हस्ब क़ायदे अम
ल करे मगर अपील करने का
शख्स मुजरिम को अख़्तिया
र होगा ॥

**दफ़ा ५६** जब मजिस्ट्रेट द
रजे अव्वल को इस बात की इ
त्तला पहुंचे कि कोई शख्स अ
इलाके राज में आदतन पेशा
चोरी धाड़े का करता है या चो
री धाडे का माल जान बूझ कर
खरीदता है या रैय्यत को लूट
खसोट से नुकसान पहुंचा-
ता है या उस का इरादा कर
ता है तो उस को चाहिये कि
उस शख्स को समन के ज
रिये से अपने रोबरू बुला
वे और जो वह क़ैद में होतो मा
र फ़त जेलर के उस को बुला

اور بروقت حاضری اُسکو خلاصہ
اُن کاغذات تحقیقاتی اور ثبوت
جرم کا سمجھاوے اور اگر وہ
بریت اپنی ظاہر کرے تو اُسکی
بھی تحقیقات کرے اور اگر
اُسپر جرم ثابت ہو تو اُس
سے مچلکہ مع تعداد زر کے
جو اُس کی حیثیت سے زیادہ
نہو مع ضامنان کے میعادی
لکھائے جسکی میعاد تین برس
سے زیادہ نہو اور جو وہ
ضمانت یا مچلکہ داخل نکرے
تو اُسکو اُس میعاد تک
قید رکھے جس کی تعداد
دو برس سے زیادہ نہو اور
جو مجسٹریٹ درجہ اوّل کے
نزدیک ایسے شخص کے
قصور کی پاداش اُسکے
حدّ اختیار سے زاید ہے
تو منظوری اُسکی محکمہ بالادست
سے منگا لے۔

ले और वरवक़्त हाज़री खुलासा
उन कागज़ात तहकीकाती
और जुर्म का सबूत उस को
समझावे और वह अगर अप
नी बरियत ज़ाहिर करे तो उस
की भी तहकीक़ात करे और
अगर उस पर जुर्म साबित हो
तो उस से मुचल्का मये तादा
द रुपयों के जो उस की हैसिय
त से ज़ियादा न हो मये ज़ामि
नों के लिखवाले जिस की मया
द तीन वर्ष से ज़ादा न हो और
जो वह ज़मानत या मुचल्का
दाखिल न करे तो उस को उस म
याद तक क़ैद रखे जिस की ते
दाद दो वर्ष से ज़ादा न हो औ
र जो ऐसे शख्स के कसूर की
सज़ा मजिस्ट्रेट दरजे अव्व
ल के हद्द अखतयार से ज़ि
यादा हो तो उस की मंज़ूरी म
हकमे बाला दस्त से मंगाले॥

# आठवाँ बाब

## मजमे हाय खिलाफ़ का नून या खेड़ के बाबत ॥

**दफ़ा ५७** हर मजिस्ट्रेट व सुपरन्टन्डेंट व कोतवाल व अमले पुलिस व गिर दावर मजाज़ है कि किसी मजमें खिलाफ़ क़ानून या पाँच या ज़ादे अशखासों की जमा अत को जिस के निसबत रैय्यत के सुख में खलल डालने का गुमान हो बिखर जाने का हुक्म दे उस के मुताबिक़ जमा अत मजकूर के तमाम शरीकों को लाज़िम है कि वह बिखर जावें ॥

**दफ़ा ५८** अगर किसी मौके पर ऐसी जमा अत हुक्म की तामील न करे तो मजिस्ट्रेट व सुपरन्टन्डेंट व अमला पुलिस को चाहिये कि हिकमत अ

# باب ۸ آٹھواں

## مجمع ہائے خلاف قانون یا کھیڑ

دفعہ ۵۷ - ہر مجسٹریٹ وسپرنٹنڈنٹ وکوتوال وعملہ پولیس وگرد آور مجاز ہے کہ کسی مجمع خلاف قانون کو یا پانچ یا زیادہ اشخاص کی جماعت کو جس کی نسبت احتمال ہو کہ وہ رعیت کے سکھ میں خلل ڈالیں گے بکھر جانے کا حکم دے اُس کے مطابق جماعت مذکور کے تمام شرکاء کو لازم ہوگا کہ وہ بکھر جاویں -

دفعہ ۵۸ - اگر کسی موقع پر ایسا مجمع حکم کی تعمیل نہ کرے تو مجسٹریٹ و سپرنٹنڈنٹ وعملۂ پولیس کو چاہیئے کہ بحکمت

عملی و و باعث وہی اُن کو
بکھیر دے اوّل اپنی
طرف سے فساد نکرے اور
جو وہ مجمع مقابلہ کرے
تو مضائقہ نہیں ۔

دفعہ ۵۹ ۔ اگر کسی جگہہ پر
بارادہ فساد کے کھیڑ جمع
ہوئی ہو تو ہر مجسٹریٹ و
سپرنٹنڈنٹ و عملۂ پولیس
اُس کے بکھیرے جانے میں
بھی حسب دفعہ ماسبق
عملدرآمد کرے گا ۔

دفعہ ۶۰ ۔ اگر ایسا مجمع یا
کھیڑ اور طرح سے نہ بکھرے
اور اُس کا بکھیرنا واسطے
آسایش رعایا کے
ضروری ہو تو حاکم یا
سپرنٹنڈنٹ افسرانِ فوج
سے جو اُس کے پاس تعینات
ہوں مدد لے سکتا ہے

मली और द बाव के साथ उन
को बिखेर दे और अव्वल अ
पनी तर्फ से फ़साद न करै औ
र जो वह जमात मुकाबला या
नी सामना करै तो कुछ मुज़ा
यका नहीं ॥

दफ़ा ५९ अगर किसी जगह
फिसाद के इरादे पर खेड़ इ
कट्ठी हो तो हर मजिस्ट्रेट व
सुपरन्टंडेंट व अमला पुलिस
उस के बिखेर देने में भी ऊपर
लिखे हुए दफा के मूजिब अ
मल दरामद करैगा ॥

दफ़ा ६० अगर ऐसा मज्मा
या खेड़ और तरह से न बि
खरे और उस का बिखेरना
रैय्यत के सुख के वास्ते ज़
रूर हो तो हाकिम या सुपरंटंडें
ट अफ़सरान फ़ौज से जो उस
के पास तइनात हो मदद ले
सक्ता है और अफ़सरान सज़

क़ूर को लाज़िम है कि उस की
तामील करें ॥

दफ़ा ६१ अगर मजिस्ट्रेट या
हाकिम को ऐसे मजमे या खेड़
के जमा रहने से ज़ियादा फ़सा
द का गुमान हो तो उनको चा
हिये कि उस की मुफ़स्सिल
इत्तला महकमे खास में लि
खे और जैसा वहां से हुक्म आवे
उसकी तामील करें ॥

दफ़ा ६२ अगर फ़ौज के अ
फ़सर ऐसे मौके पर हुक्म की
तामील मुंदर्जे बाब हाज़ा जो
मुताल्लिक़ उनके हों न करें तो
हाकिम या सुपरंटेंडेंट या मजि
स्ट्रेट शिकायत उनकी महकमे
आला में कर सक्ता है वहां से
जैसा हुक्म हो उस के मुवाफ़ि
क़ तामील करें ॥

दफ़ा ६३ अगर फ़ौज के अ
फ़सर मजिस्ट्रेट या हाकिम

اور افسران مذکور کو لازم ہے
کہ اسکی تعمیل کریں۔

دفعہ ۶۱ اگر مجسٹریٹ یا
حاکم کو ایسے مجمع یا کھیڑ
کے جمع رہنے سے احتمال
زیادہ فساد کا ہو تو اسکو
چاہیئے کہ اطلاع مفصل
اسکی محکمۂ خاص میں لکھے
اور جیسا وہاں سے حکم آوے
اسکی تعمیل کرے۔

دفعہ ۶۲ اگر افسران فوج
ایسے موقع پر تعمیل احکام
مندرجہ باب ہذا جو متعلق
ان کے ہو نہ کریں تو حاکم
یا سپرنٹنڈنٹ یا مجسٹریٹ
شکایت ان کی محکمۂ اعلےٰ
میں کر سکتا ہے وہاں سے
جیسا حکم ہو موافق اسکے
تعمیل کرے

دفعہ ۶۳ اگر افسر فوج
حسب الحکم مجسٹریٹ یا حاکم

واسطے بکھیر لنے مجمع یا کھیڑ کے یا اُنکو سزا دلانے کے واسطے اُن میں سے کسی قدر آدمیوں کو گرفتار کرے تو اُس کو چاہیئے۔ کہ اُنکے ساتھ بیجا سختی نہ کرے۔

## باب نوان
## امور باعث تکلیف خلایق عام

دفعہ ۶۴ جب کسی مجسٹریٹ کو نیچے لکھی ہوئی باتوں کی اطلاع پہنچے یعنے
ا کسی راستہ یا دریا یا نالی میں جسکو عوام بطور جائز استعمال میں لاسکتے ہوں یا کسی مقام پر کسی شخص نے ایسی دیوار

के हुक्म के मुवाफ़िक़ मजमा या खेड़ बिखेरने के वास्ते या उन को सज़ा दिलाने के वास्ते उन में से किसी क़दर आदमियों को गिरफ़्तार करे तो उस को चाहिये कि उन के साथ बेजा सख़्ती न करे ॥

## नवाँ बाब ॥
## अमूर बाअस तक्लीफ़ आम ख़लायक़ यानी आम लोगों की तक्लीफ़ की बातें

दफ़ा ६४ जब किसी मजिस्ट्रेट को नीचे लिखी हुई बातों की इत्तला पहुंचे यानी
१ किसी रास्ते या दरियाव या नाले में जिसको आम लोग जायज़ तौर से काम में ला सक्ते हों या किसी मुकाम पर किसी शख़्स ने ऐसी भीत

یا آڑ بنا دی ہو کہ جس سے
پانی رُک جائے یا راستہ
میں کوئی ایسی چیز ڈال دی
ہو کہ جس سے تمام خلایق کو
تکلیف پھنچتی ہو وہ دُور ہو
جانی چاہیئے۔

۲ کسی دوکانداری یا پیشہ وری
یا رکھنے کسی مال یا مالِ تجارتی
سے خلایق کی تندرستی
یا آسایش کو نقصان
پھنچتا ہے اُس کا موقوف
کیا جانا یا دوسری جگہہ اُٹھا
دیا جانا یا منع کرا دیا جانا
واجب ہے۔ یا

۳ بنانا کسی عمارت یا استعمال
میں لانا کسی چیز کا جس سے
شک آگ لگنے یا بھک
سے اُڑ جانے کا پیدا ہوتا
ہے لایق روک دینے یا بند
کر دینے کے ہے۔ یا

۴ - کوئی عمارت ایسی حالت میں

या आड़ बना दी हो कि जिस
से पानी रुक जाय या रास्ते में।
कोई ऐसी चीज़ डाल दी हो।
कि जिससे तमाम खलायक़ को
तक्लीफ पहुंचती हो वह दू
र हो जानी चाहिये

२ किसी दुकानदारी पेशेव
री या किसी माल या मालति
जारती रखने से खलायक़।
की तन्दुरुस्ती या सुख को नु
कसान पहुंचता है उसका मौकू
फ किया जाना या दूसरी जगह
उठा दिया जाना या मने करा दि
या जाना वाजिब है या

३ बनाना किसी मकान का
या काम में लाना किसी चीज़
का जिससे शक आग लगने
या भक से उड़ जाने का पैदा
होता हो रोकने या बंद करने
के लायक़ है या

४ कोई इमारत ऐसी हालत।

ہے کہ غالبًا گر پڑے گی
جس سے اُن لوگوں کو جو
اُس کے پاس رہتے ہیں یا
کاروبار کرتے ہیں یا اُس کے
پاس ہوکر نکلتے ہیں نقصان
آوے گا اِس واسطے اُس کا دور کیا
جانا یا مرمت کرایا جانا ضرور
ہے۔

۵۔ کسی تالاب یا چاہ کے
گرد جو کسی ایسے راستہ یا
مقام عام کے متصل ہو کہ
جس میں آدمی یا جانور کے
گر پڑنے کا اندیشہ ہے
کوئی دیوار یا جنگلا آہنی یا
چوبی بنا دیا جاوے کہ
جس سے وہ اندیشہ اور
خطرہ جو عوام کو پیدا ہوتا ہے
بند ہو جاوے تو
مجسٹریٹ موصوف مجاز
ہوگا کہ جو شخص ایسی سند
یا امر باعثِ تکلیفِ عام

में है कि अचानक गिर पड़ेगी
जिस्से उन लोगों को जो उस के
पास रहते हैं या काम करते हैं
या उसके पास होकर निकलते
हैं नुकसान आवेगा इस वा
स्ते उस का दूर किया जाना या
मरम्मत किया जाना जरूर
है या

५ कोई तालाव या कुवां कि
सी ऐसे रास्ते या मुकाम आम
के नजदीक हो कि जिस में आ
दमी और जानवर के गिर पड़
ने का गुमान है तो उस्के गिर्द
कोई दीवार या जंगला या ने
चोरवट लोहे या लकड़ी की ब
नादी जावे कि जिससे वह अं
देशा और खतरा जो लोगों को
पैदा होना है बंद हो जावे तो
मजिस्ट्रेट मौसूफ मजाज हो
गा कि जो शख्स ऐसी दीवार
या बाअस तक्लीफ आम ख

خلایق کا باعث ہو یا ایسی
دوکانداری یا پیشہ کرتا ہو
یا کوئی مال یا مال تجارتی رکھتا
ہو یا ایسی عمارت یا چیز یا
تالاب یا چاہ کا مالک یا
قابض ہو یا اُس پر اختیار
رکھتا ہو اُس کے نام حکم
ذریعہ سمن شرطیہ اس
ہدایت سے صادر کرے
کہ وہ میعاد مقررہ حکم کے
اندر تعمیل حکم کرے۔

۱ ایسے سد یا امر
باعث تکلیف عام خلایق کو
دور کرے یا

۲ ایسی دوکانداری یا پیشہ
کو موقوف کرے یا اُٹھا دے یا

۳ اشیاء مذکور یا مال
تجارتی کو اُٹھوا دے
یا

۴ ایسی عمارت کی تعمیر
بند کر دے یا گرا دے یا

लायक का हो या ऐसी दुकान-
दारी या पेशा करता हो या कोई
माल या माल तिजारती रखता
हो या ऐसी इमारत या चीज़
या तालाव या कुवे का मालि-
क या काबिज़ हो या उस पर अ-
ख़्तियार रखता हो उसके नाम
समन शर्ति या इस हिदायत
से सादिर करैं कि वह मयाद
मुकर्रिरा के अंदर हुक्म की
तामील करै ॥

१ ऐसी भीत वा असनक्की-
फ आम ख़लायक़ को दूर-
करै —— या

२ ऐसी दुकानदारी या पेशे-
को मौकूफ करै या उठादे — या

३ ऊपर ज़िकर की गई ची-
ज़ें या माल तिजारती को उठ-
वादे —— या

४ ऐसी इमारत की तामीर-
बंद कर दे या गिरादे — या

۵ اُسکو دور کر دے یا
اُس کی مرمت کرا دے یا
اُس میں آڑ لگا دے یا
اُس چیز کے استعمال کرنیکا
طریقہ بدل دے یا تالاب یا
چاہ کے گرد دیوار یا جنگلا
بنوا دے یا اُسی مجسٹریٹ
کے رو برو بروقت اور مقام
مندرجہ حکم پر حاضر ہو کر
اپنے عذرات پیش کرے
کہ وہ کس سبب سے یا
کس استحقاق سے تعمیل حکم
کی نہیں کرتا ؛

دفعہ ۶۵ اگر اُس میعاد
میں شخص مذکور حکم کی تعمیل
نکرے یا حاضر ہو کر اپنے
عذرات پیش نکرے تو
اُسکو سزا اُسے جرمانہ دیجاوے
جس کی تعداد دس روپیے
زیادہ نہو ؛

دفعہ ۶۶ اگر کوئی شخص

५ उस को दूर कर दे या उस्की
मरम्मत करा दे या उसमें आड़
लगा दे या उस चीज़ के काम
में लाने का तरीका बदल दे।
या तालाब या कुवे के गिर्द दी
वार या जंगला या ने चौखट
बनवा दे या उसी मजिस्ट्रेट
के रोबरू हुक्म में लिखे हुवे।
वक्त और मुकाम पर हाज़िर
होकर अपने उज्रात पेश क
रे कि वह किस सबब से या
किस हक से तामील हुक्म की
नहीं करता ॥

दफ़ा ६५ अगर उस मया
द में शख्स मज़कूर हुक्म की
तामील न करे या हाज़िर हो क
र अपने उज्रात पेश न करे
तो उस को जुर्माने की सज़ा
दी जावे जिसको तादाद दस
रुपैय से ज़ादा न हो ॥

दफ़ा ६६ अगर कोई शख्स

بابت دفعات ماسبق عذر پیش کرے یا کسی حق کا حوالہ دے تو اُس کی تحقیقات کرکے جیسا کہ مجسٹریٹ کے نزدیک مناسب متصور ہو۔ فیصلہ کردے۔

دفعہ ۶۷۔ اگر وہ مجرم جو باعث تکلیف عام خلایق کا ہوا ہے ظاہر نہو تو تلاش اُسکی ذریعہ اشتہار یا محکمہ کوتوالی کرائی جاوے۔

دفعہ ۶۸۔ بعد اسقدر کارروائیوں کے پھر بھی اگر مجرم تعمیل حکم سرکار نہ کرے اور وہ اشیاء بدستور ویسی ہی اُسی جگہ موجود ہوں یا مجرم پیدا نہ ہو تو مجسٹریٹ بذریعہ اپنے حکم ثانی کے اُن کو وہاں

स ऊपर लिखे हुवे दफ़ों के बा
बत उज़र पेश करे या किसी ह
क़ का हवाला दे तो उस की
तहक़ीक़ात करके जैसा कि
मजिस्ट्रेट के नज़दीक मुना
सिब मुतसव्विर हो फ़ैसला क
र दे ॥

**दफ़ा ६७** अगर वह मुजरि
म जो बाअस तक्लीफ़ आमख़
लायक़ का हुवा है जाहिर न
हो तो तलाश उस की ज़रिये इ
श्तिहार या महकमे कोतवा
ली के कराई जावे ॥

**दफ़ा ६८** इस क़दर कार र
वाइयों के बाद फिर भी अगर
मुजरिम सर्कारी हुक्म की ता
मील न करे और वह चीजें ब
दस्तूर वैसे ही उसी की जगह
मौजूद हों या मुजरिम पैदा नहो
तो मजिस्ट्रेट अपने हुक्म
सानी के ज़रिये से उन को वहां

سے ہٹوا دے یا نیلام
کرا دے اور جو اُس میں خرچ
پڑے وہ بذمہ مجرم ہوگا یا مال
پر عائد ہوگا۔

دفعہ ۶۹- اگر کوئی مکان
گرنے والا دوسرے کے
مکان پر یا راستہ پر ہو کہ
جہاں آدمی آتے یا نکلتے
ہوں تو اُس مکان کو بھی
مجسٹریٹ اُتروا سکتا ہے۔
کوئی نالش کسی مجسٹریٹ پر
بابت کسی عمل کے جو
ان دفعات کے بموجب
بطور نیک نیتی کیا گیا ہو
جائز نہ ہوگی اور نہ کسی عدالت
دیوانی سے اعتراض کیا
جاوے گا۔

## باب دسواں

تنازعات بابت
جائداد منقولہ و غیر

से हठवा दे या नीलाम करा दे।
और जो उस में खर्च पड़े वह मु
जरिम के ज़िम्मे पड़ेगा या मा
ल पर आयद होगा

**दफ़ा ६९** अगर कोई मकान
गिरने वाला दूसरे के मकान।
या रास्ते पर हो कि जहाँ आद
मी आते या निकलते हों तो
उस मकान को भी मजिस्ट्रेट।
उत्तरवा सक्ता है कोई नालि
श किसी मजिस्ट्रेट पर किसी
अमल के बाबत जो इन दफ़ों
के बमूजिब बतौर नेक नी
यती किया गया हो जायज़
न होगी और न किसी अदा
लत दीवानी से एतराज़ कि
या जावेगा॥

## दसवांबाब

जायदाद मनकूला व गैर
मनकूला के झगड़ों के।

منقولہ

دفعہ ۷۰ جب مجسٹریٹ یا
حاکم یا کوتوال کو ایسی اطلاع
پہنچے کہ اسکے علاقہ کے
حدود کے اندر کسی جائداد
منقولہ یا غیر منقولہ کے یا
حدود کے بابت ایسی
لڑائی درپیش ہے کہ جس
سے رعیت کے سکھ میں
خلل عائد ہو تو مجسٹریٹ ذریعہ
سمن فریقین کو بلوا کر ہدایت
کرے کہ وہ آپس میں تکرار و
فساد نکریں اور جو کچھ دعوے
بابت جائداد منقولہ یا
غیر منقولہ یا حدود کے رکھتے
ہوں تو عدالت مجاز میں
پیش کریں اور اگر مناسب
سمجھے تو فریقین کے سرغنوں
سے مچلکہ بھی لے سکتا
ہے اور جو قبضہ ایک ماہ
تک کا ہو تو فوجداری اسکی

## बयान में

**दफ़ा ७०** जब मजिस्ट्रेट या
हाकिम या कोतवाल को ऐसी इ
त्तला पहुंचे कि उसके इला के
की हद्द के अन्दर किसी जाय
दाद मनकूला या गैर मनकूला-
की या हद्द की बाबत ऐसी लड़ा
ई दरपेश है कि जिस्से रैय्यत के सु
ख में खलल आता हो तो मजिस्ट्रे
ट फ़रीकैन को समन के जरिये
से बुलवा कर हिदायत करे कि
वे आपस में तकरार व फ़िसा
द न करें और जो कुछ दा वा-
बाबत जायदाद मनकूला।
या गैर मनकूला या हद्द के रख
ने हों तो अदालत मजाज में पे
श करें और अगर मुनासिब
समझे तो फ़रीकैन के मुखियों
से मुचलका भी ले सक्ते हैं औ
र जो कब्ज़ा एक महीने तक
का हो तो फौजदारी उसकी।

سماعت بھی کر سکتی ہے
اور جو زیادہ کا ہو تو عدالت
دیوانی سے فیصلہ ہونا چاہیئے
اور تا فیصلہ دیوانی جس کا
قبضہ اُس وقت ہو اُسکا
ہی رکھا جاوے۔ جب
تک کہ دوسرا شخص
بحکم دیوانی اُسکو بیدخل
نکراوے ❊
دفعہ ۷۱ اگر کسی قبضہ
موسمی یا میلہ وغیرہ کی تکرار
ہو تو اُس کا فیصلہ بھی
حسب شرح صدر عمل
میں آوے اور خرچہ
امین وغیرہ جو صرف ہو وہ
حسب رائے مجوز بطور
جرمانہ جس سے مناسب
متصور ہو وصول کیا
جاوے ❊
دفعہ ۷۲ اگر کسی کا قبضہ
قابل اطمینان کے نہ پایا

संमाअत भी कर सकती है और
जो ज़ियादे का हो तो अदालत
दीवानी से फैसला होना चाहि
ये और दीवानी में फैसला हो
ने तक जिसका कब्ज़ा उस वक्त
हो उस का ही रखा जावे जब त
क कि दूसरा शख़्स दीवानी
के हुक्म से उसका बेदख़ल
न करावै॥

**दफ़ा ७१** अगर किसी क
ब्ज़े मोसमी या मेले वगैरे के वा
स्ते तकरार हो तो उसका फ़ैस
ला भी बमूजिब ऊपर लिखे हु
वे के अमल में आवे और अ
मीन वगैरा का खर्चा जो
सर्फ हो वह हस्ब राय अदा
लत बतौर जुर्माना जिससे मु
नासिब मुतसव्विर हो वसू
ल किया जावे॥

**दफ़ा ७२** अगर किसी का
कब्ज़ा काबिल तसल्ली के न पा

جاوے۔ اور نہ یہ ثابت ہو کہ فریقین سے کون مستحق قبضہ کا ہے تو مجسٹریٹ جائداد مذکور کو اٹکا کر فریقین کو ہدایت عدالت دیوانی میں نالش کرنے کی کرے اور وہاں سے فیصلہ ہو کر جس فریق کو جائداد مذکور پر قبضہ دلانے کا حکم آوے اُس کو سپرد کر دے۔

دفعہ ۷۳۔ کوئی جھگڑا کسی جائداد غیر منقولہ کے اوپر اس قسم کا ہو کہ ایک تو چاہتا ہے کہ کوئی کارروائی کرے اور دوسرا اُس کو روکتا ہے۔ جیسے تعمیر مکان و کاشت اراضی وغیرہ اور اُس سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہو کہ باعث نقص امن

या जावे और न यह साबित हो कि फरीकैन में से कौन हकदार कब्ज़े का है तो मजिस्ट्रेट जायदाद मज़कूर को अटकाय कर फ़रीकैन को हिदायत अदालत दीवानी में नालिश करने की करे और वहां से फ़ैसला होकर जिस फ़रीक को जायदाद मज़कूर पर कब्ज़ा दिलाने का हुक्म आवे उस के हवाले कर दे॥

**दफ़ा ७३** कोई झगड़ा किसी जायदाद गैर मनकूला के ऊपर इस किस्म का हो कि एक तो चाहता हो कि कोई कार्रवाई करे और दूसरा उस को रोकता हो जैसे बनाना मकान और बोने जमीन बगैरा और उससे यह अंदेशा पैदा होता हो कि यह सबब नुकसान अमन चैन का

ہوگا تو جائز ہے کہ مجسٹریٹ یا حاکم یا کوتوال فوراً بفور اطلاع یابی تحقیقات کرکے حکم دے سکتا ہے۔ کہ وہ کارروائی جب تک کہ فیصلہ عدالت دیوانی کا فریقین امین سے کوئی بابت روکنے یا کئے جانے اُس کارروائی کے حاصل نکرے کیجاوے یا نہ کیجاوے۔

دفعہ ۴۷۔ مندرجہ بالا تنازعات کی تحقیقات موقع کے واسطے اگر ضرورت ہو تو خود مجسٹریٹ یا حاکم یا کوتوال جا سکتا ہے۔ ورنہ کسی اپنے ماتحت یا امین کو مقرر کر سکتا ہے کہ وہ موقع پر جاکر بعد تحقیقات واخذ شہادت وغیرہ مفصل رپوٹ اپنی عدالت میں پیش کرے۔

होगा तो जायज़ है कि मजिस्ट्रेट या हाकिम या कोतवाल फ़ौरन इत्तला पहुंचते ही तहकीकात करके यह हुक्म दे सक्ता है कि जब तक फ़ैसला अदालत दीवानी का फ़रीक़ैन से कोई बाबत रोकने या कियेजाने उस कारर वाईके हासिल न करले वह कारर वाई की जावे या न की जावे।

**दफ़ा ७४** ऊपर लिखे हुवे झगडों के मौके की तहकीकात के वास्ते अगर जरूरत हो तो खुद मजिस्ट्रेट या हाकिम या कोतवाल जा सक्ता है वरना किसी अपने मातहत या अमीन को मुकर्रिर कर सक्ता है कि वह मौके पर जाकर तहकीकात व गवाही वग़ैरा हासिल करने के बाद अपनी मुफ़स्सिल रिपोर्ट अदालत

ایسی تحقیقات کا خرچہ اگر
کچھ ہو تو مجسٹریٹ فریقین یا
ایک فریق سے جیسا کہ
مناسب سمجھے وصول
کرسکتا ہے

## باب گیارہواں
## پولیس کا عمل انسدادی

دفعہ ۷۵ - ہر عہدہ دار صیغہ
فوجداری جرائم قابل دست
اندازی پولیس کے روکنے کی
غرض سے دست اندازی
کرسکتا ہے اور جہاں تک
ممکن ہو اُسکو روکے گا -

دفعہ ۷۶ - ہر عہدہ دار صیغہ
فوجداری جرائم قابل
دست اندازی پولیس کے
ارتکاب کی نیت سے
اطلاع پہنچنے پر فوراً اپنے
افسر کو رپورٹ دے گا -



में पया करे ऐसी नह़क़ीकात
का खर्चा अगर कुछ होतो
मजिस्ट्रेट फ़रीकैन या एकफ
रीक़ से जैसा कि मुनासिब स
मझे वसूल करसक्ता है॥

## ग्यारवाँबाब
## पुलिसका अमल इनस दादी

**दफ़ा ७५** हर ओहदे दार ॰
सीग़े फ़ौजदारी जुरायम क़ाबि
ल दस्त दाज़ी पुलिस के रोकने
की गरज़ से दस्त दाज़ी कर सक्ता
है और जहां तक मुमकिन
हो उस को रोकेगा॥

**दफ़ा ७६** हर ओहदे दार
सीग़े फौजदारी जुरायम का
बिल दस्त दाज़ी पुलिस के ॰
इर्त्तकाब की नीयत की इत्त
लापहुंचने पर फ़ौरन अपने
अफ़सर को रिपोर्ट देवेगा॥

دفعہ ۷۷ ہر عہدہ دار فوجداری
وعملہ پولیس جرائم قابل
دست اندازی پولیس
کے ارتکاب یا اقدام کے
حال سے واقف ہو کر بغیر
حکم مجسٹریٹ اور بلا وارنٹ
کے اُس ارتکاب یا ارادہ
کرنے والے کو گرفتار کر
سکتا ہے جبکہ یہ اطمینان
ہو جاوے کہ بدوں گرفتاری
انسداد اُسکا ممکن ہی نہیں
لیکن شرط یہ ہے کہ یہ
کارروائی اُن ہی مقدمات
میں عمل میں آویگی کہ جو لائق
دست اندازی پولیس
تجویز ہوئے ہیں نہ اُن سے جو
قابل اجرائے وارنٹ قرار پائے ہیں
دفعہ ۷۸ اگر کوئی شخص
جائداد سرکار یا نشان
سرکار کو بمواجہ عہدہ دار
فوجداری یا عملہ پولیس کے

दफ़ा ७७ हर ओहदे दार फ़ौ
ज दारी व अमला पुलिस जु
रायम काबिल दस्त दाज़ी पु
लिस के इर्तकाब या इक़दाम के
हालसे वाकिफ़ होकर बग़ैर हु
क्म मजिस्ट्रेट और बिला वार
न्ट के उस इर्तकाब या इरा
दा करने वाले को गिरफ़ार क
र सक्ता है जब कि यह तसल्ली
हो जावे कि बिदून गिरफ़ारी
बंदोबस्त उस का मुमकिन न
ही है लेकिन शर्त यह है कि
यह कार रवाई उन ही मुक़द्द
मों में की जावेगी कि जो लायक़
क दस्त दाज़ी पुलिस तजवीज़
हुवे हैं न उनमें जो काबिल इजरा
य वारन्ट करार पाये हैं
दफ़ा ७८ अगर कोई शख़्स
सर कारी जाय दाद या निशा
न को ओहदे दार फ़ौज दारी
या पुलिस के अमले के

| | |
|---|---|
| नुकसान पहुंचावे तो ओहदेदार मज़कूर उस शख्स को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के रोबरू हाजिर करे ॥ | نقصان پہنچاوے تو عہدہ دار مذکور اس شخص کو گرفتار کرکے مجسٹریٹ کے روبرو حاضر کرے۔ |
| दफ़ा ७९ अगर ओहदेदार सीग़े फ़ौजदारी या अमला पुलिस किसी मुकाम पर किसी शख्स के पास बाट या झूटे पैमाने मामूली वजन से कम या जियादा वजन के पावें तो फौरन उन को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के रोबरू हाज़िर करें ॥ | دفعہ ۷۹ اگر عہدہ دار صیغہ فوجداری خواہ عملہ پولیس کسی مقام پر کسی شخص کے پاس باٹ یا پیمانہ جھوٹے یا کم و بیش وزن کے معمولی وزن سے پاوے تو فوراً اُنکو گرفتار کرکے مجسٹریٹ کے روبرو حاضر کردے ۞ |

## बारवाँ बाब

## باب بارہواں

| | |
|---|---|
| पुलिस को इत्तला पहुंचाने और पुलिस के दरियाफ़ करने के अख़्तियारात के बयान में | پولیس کو اطلاع پہنچانے اور پولیس کے اختیارات تفتیش کا بیان |
| दफ़ा ८० अगरचे अबतक इस मुल्क में अमला पुलिस | دفعہ ۸۰ ۔ اگرچہ ہنوز اس ملک میں عملہ پولیس |

حسب قاعدہ مقرر نہیں کہ جو
پوری پوری تعمیل نشائے
اس بات کی کر سکے۔ مگر
بخیال واقفیت و آگہی
مجسٹریٹاں و سپرنٹنڈنٹان
پرگنات و عملہ پولیس و
تھانہ داران متعلقہ حاکمان
و سپرنٹنڈنٹان چند دفعات
واسطے حاصل کرنے
غرض اس بات کے درج
ذیل کی جاتی ہیں چاہیئے
کہ تا تقرری و بندوبست
پولیس بموجب اس کے
عملدرآمد رہے۔

دفعہ ۸۱ اگر کسی عہدہ دار
پولیس یا تھانہ دار متعلق
حاکم یا تھانہ دار ماتحت
سپرنٹنڈنٹ کو اطلاع ایسے
وقوعہ کی پہونچے اور وہ لایق
دست اندازی پولیس نہو تو
اسکو چاہیئے کہ رپٹ درج روزنامچہ

काय दे के मूजिब मुकर्रिर नहीं
है कि जो पूरी २ तामील इस म-
न्शा की कर सके मगर परग
नों के मजिस्ट्रेटों और सुपरंटंड
टों और अमले पुलिस व नीज था
नेदार कि जो हाकिमों और सुपरं
टंडंटों के तअल्लुक हैं उन की
आगाही और वाक़फ़ियत
के वास्ते चंद दफ़ा अन वास्ते
हासिल करने ग़रज़ इस बात
के नीचे लिखे जाते हैं चाहि-
ये कि बंदोबस्त पुलिस का मु
क़र्रिर होने तक बमूजिब इस
के अमल दरामद रखे.

**दफ़ा ८१** अगर किसी ओहदेदा
र पुलिस या थानेदार मुतअल्लिके
हाकिम या थानेदार मातहत सु
परंटंडंट को ऐसी वारदात की
इत्तला पहुंचे और वह लायक़
दस्तंदाज़ी पुलिस न हो तो उसको
चाहिये कि रिपोर्ट रोज़नामचे में दर्ज

| | |
|---|---|
| کے اور دستخط خبر دہندہ کرا کے اس کو ہدایت حاضری روبرے حاکم کہ جس کا وہ ماتحت ہو کرے اور ہفتہ وار روزنامچہ بھیجدیا کرے۔ | कर के और दस्तख़त ख़बर देने वाले के कराके उसको हिदायत हाज़री रोबरू हाकिम कि जिस का वह मातहत हो करदे और हफ़्ते वार रोज़नामचा भेज दिया करे॥ |
| دفعہ ۸۲ ہر عہدہ دار پولیس یا تھانہ دار متعلقہ حاکم یا سپرنٹنڈنٹ کو کوئی اطلاع لائق دست اندازی پولیس پہنچے تو فوراً رپوٹ اسکی درج روزنامچہ کرکے اور دستخط خبر دہندہ کرا کے رپوٹ اطلاعی فوراً اس حاکم کے پاس کہ جسکا وہ ماتحت ہے بھیجدے اور وہ حاکم یا سپرنٹنڈنٹ اطلاع اس کی حسب سررشتہ صدر فوجداری و محکمہ گرائی میں کرے گا اور خود یا معرفت ماتحت خود | दफ़ा ८२ हर ओहदहदार पुलिस या थानेदार मुतअल्लिक़ हाकिम या सुपरंटंडंट को कोई इत्तला लायक़ दस्तंदाज़ी पुलिस पहुंचे तो फ़ौरन रपोर्ट उस की रोज़नामचे में दर्ज करके और दस्तख़त ख़बर देने वाले के कराके रपोर्ट इत्तलाई फ़ौरन उस हाकिम के पास कि जिस का वह मातहत है भेजदे और वह हाकिम या सुपरंटंडंट इत्तला उस की हस्ब सरिश्ते सदर फ़ौजदारी व महकमे गिराई में करेगा और ख़ुद या मातहत ख़ुद की मारफ़त दरियाफ़्त |

تفتیش اُس مقدمہ کی موقع پر
عمل میں لاوے گا اور سُراغ
رسانی مال و مجرمان میں انتہائے
سُراغ تک کوشش کریگا
دفعہ ۱۲۸ جس وقت کہ
تھانہ دار ماتحت حاکم پرگنہ
یا ماتحت سپرنٹنڈنٹ کی
طرف سے حاکم یا سپرنٹنڈنٹ
کو اطلاع پہنچے اور وہ
مقدمہ لایق دست اندازی
پولیس ہو تو حاکم یا سپرنٹنڈنٹ
کو لازم ہے کہ وہ فوراً
بذات خود یا اپنے کسی
ماتحت کو موقع پر بھیجکر
تحقیقات اُس کی کرا دے
اور اظہارات مدعی و مدعا علیہ
و گواہان قرارداده فریقین
قلمبند کرے اور جو شخص
کہ علاوہ گواہان قرارداده
فریقین سے واقف کار معلوم
ہو تو اُسکا بھی اظہار لے

उस मुक़द्दमे की मौक़े पर अम
ल में लावेगा और माल व मुजरि
मों के खोज पहुंचाने में कि जहां त
क खोज पहुंचे कोसिस करेगा
दफ़ा १२८ जिस वक़्त कि थान
दार मातहत हाकिम परगने या
मातहत सुपरंटेंडंट की तर्फ़ से
हाकिम या सुपरंटेंडंट को इत
ला पहुंचे और वह मुक़द्दमा ला
यक़ दस्तंदाज़ी पुलिस हो तो हा
किम या सुपरंटेंडंट को लाज़िम
है कि वह फ़ौरन खुद या किसी
अपने किसी मातहत को मौक़े
पर भेज कर तहक़ीक़ात उस की
करावे और मुद्दई व मुद्दा यले
व फ़रीक़ैन के क़रार दिये
हुवे गवाहों के इज़हार क़ल
म बंद करे और जो शख़्स कि
सिवाय फ़रीक़ैन के मुक़र्रर
किये हुये गवाहों के वाक़िफ़
कार हो तो उस का भी इज़हा

اور ایسے آدمی کو چاہیئے کہ اظہار لکہاوے لیکن ایسے آدمی سے زیادہ سختی نکرے نہ کچھ دباوٹ یا ترغیب دے اور نہ ایسا کرے کہ جو وہ خود اپنے دل سے بیان کرنا چاہتا ہو اُسکو روکے یا اُس سے کوئی وعدہ کرے اور اگر کسی شخص کی تحریر و تقریر سے کوئی حال معلوم ہو تو وہ درج رپورٹ خود کرکے بعد تکمیل مسل کو مع اپنی راے کے اور مال مجرم کے روانہ عدالت کرے۔

**دفعہ ۸۴**۔ ہنگام تفتیش اگر ضرورت پیشی کسی دستاویز یا دیگر شے کی ہو اور اُس کے علاقہ کے اندر اُس دستاویز اور شے کا پتہ ہو تو وہ تلاشی کر

ओर ऐसे आदमी को चाहिये कि इज़हार लिखावे लेकिन ऐसे आदमी से ज़ियादा सख्ती न करे न कुछ दबाव या तरगीब दे ओर न ऐसा करे कि जो वह खुद अपने दिलसे बयान करना चाहता हो उसको रोके या उससे कोई वायदा करे ओर अगर किसी शख्स की तहरीर व तकरीर से कोई हाल मालूम हो तो वह अपनी रिपोर्ट में दर्ज करके बाद तैय्यार करने मिसल को मये अपनी राय के ओर माल मुजरिम के रवाने अदालत मज़ाज़ करे ॥

**दफ़ा ८४** दरियाफ़्त करने के वक़्त अगर ज़रूरत पेशी किसी दस्तावेज या दूसरी चीज़ की हो ओर उसके इलाके के अंदर उस दस्तावेज या चीज़ का पता हो तो वह तलाशी कर स

سکتا ہے ❖

دفعہ ۸۵ اگر کوئی اطلاع مرگ اتفاقیہ یا مرگ مشتبہ کی حاکم یا سپرنٹنڈنٹ کو پہونچے تو اُن کو چاہیے کہ خود یا اپنے ماتحت کو موقع پر بھیجکر تحقیقات اُس کی وہاں کے معتبرین کے سامنے کرے۔ اور وجہ مرگ کی دریافت کرے اور جو متوفی کے جسم پر کوئی نشان زد و ضرب کا پایا جاوے تو اُسکا صورت حال بھی لکھ کے شامل مسل کرے اور اپنی رپوٹ میں تفصیل اس کی لکھے کہ وہ نشانات کس چیز یا ہتیار کے ہیں اور اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم یا بید وہاں خواہ نزدیک ہو تو اُسکو بھی دکھلا کر رپوٹ اُسکی شامل مسل کرے اور اگر وقوعہ

क्ता है ॥

**दफ़ा ८५** अगर कोई इत्तलामर्ग इत्तफ़ाक़िया या मर्ग मुश्तबा की हाकिम या सुपरंटंडंट को पहुंचे तो उन को चाहिये कि खुद या अपने मातहत को मौके पर भेज कर तहकीकात उस की वहां के मोतबर आदमियों के सामने करे और सबब मरने का दरियाफ्त करे और जो उस मरे हुवे के बदन पर कोई निशान चोट वगैरे का पाया जावे तो उसका सूरत हाल भी लिख कर शामिल मिसल करे ॥ और अपनी रिपोर्ट में लिखे कि वह निशान किस चीज़ या हतियार के हैं और अगर कोई डाकटर या हकीम या वैद्य वहां या नजदीक हो तो उस को भी दिखला कर रिपोर्ट उस की शामिल मिसल करे ॥

اتفاقیہ ہو تو معتبرین گانو
پنچایت نامہ اور وارثان سے
لادعوے لکہا کر شامل
مسل کرے اور اگر کسی
آسامی کی طرف سے
مشتبہ ہو کہ اُس نے
اُسکو مارا ہے تو اُس
اسامی کو بہی بذریعہ ضمانت
معتبر چالان عدالت صدر
کرے اور جو اسامی لایق
ضمانت ہو تو اُسکو بحراست
چالان کرے مگر تجویز
ایسے مقدمہ کی مجسٹریٹ
درجہ اول کے محکمہ سے
ہوگی دوسرا کوئی مجسٹریٹ
بجز سپردگی مقدمہ اُسکی
تجویز کا مجاز نہیں
ہے

دفعہ ۸۶ اگر کسی مدعی
یا گواہ کو عدالت میں بہیجنے
کی ضرورت ہو تو اُسنے

और अगर वक़ूआ इत्तफ़ा-
क़िया हो तो गांव के मोतबिर
आदमियों से पंचायतनामा
और वारसों से लादावा लि
खा कर शामिल मिसल करे
और अगर किसी आसामी की
तर्फ़ से शुबा हो कि उसने उसको
मारा है तो उस आसामी को भी
ब ज़रिये ज़मानत मोतबिर चा
लान अदालत सदर करे और जो
आसामी लाइक़ ज़मानत न हो
तो उस को बहिरासत चालान
करे मगर तजवीज़ ऐसे मुक़द
में की मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल
के महकमे से होगी दूसरा को
ई मजिस्ट्रेट सिवाय सोंपदेने मु
क़द्दमे के उसकी तजवीज़ का
मजाज़ नहीं हैं॥

दफ़ा ८६ अगर किसी मुद्दई
या गवाह को अदालत में भेज
ने की ज़रूरत हो तो उन से

مچلکہ حاضری عدالت کا مع
تاریخ حاضری کے لکھا کر
انکو ذریعہ چالان و دستی
روانہ عدالت صدر کریں ایسے
لوگوں سے بابت ضمانت
وغیرہ کے تاکید نہو اور وہ
بعد تحریر مچلکہ حاضر نہونگے
تو مستوجب تدارک ہوں گے
**دفعہ ۸۷** اگر کوئی مجرم
اقبالی کسی جرم قابل
دست اندازی پولیس کا
مجسٹریٹ درجہ اول کے
روبرو کسی مجسٹریٹ
ماتحت کا سپرد کیا ہوا حاضر ہو
یا لایا جاوے تو مجسٹریٹ کو
چاہیئے کہ اسکے اقبال سابقہ
کو ہی قبول نکرے بلکہ اپنے
روبرو اس سے تصدیق کرے
اگر وہ اقبال کرے تو اسکے
اظہار پر تصدیق اس مضمون
سے لکھے کہ اس آسامی

मुचलका हाज़री अदालत का म
थे तारीख़ हाज़री के लिखा कर
उनको जरिये चालान दस्ती रवा
ने अदालत सदर करें ऐसे लो
गों से बाबत ज़मानत वग़ैरा के
ताकीद न हो और वह बाद तह
रीर मुचलका हाज़िर न होंवेंगे
तो लायक़ सज़ा के होंगे
दफ़ा ८७ अगर कोई मुजरि
म इक़बाली किसी जुर्म क़ाबि
ल दस्तंदाज़ी पुलिस का मजिस्ट्रे
ट दरजे अव्वल के रूबरू किसी
मजिस्ट्रेट मातहत का सिपुर्द
किया हुवा हाज़िर हो या लाया
जावे तो मजिस्ट्रेट को चाहिये
कि उसके पहिले इक़बाल को
ही कबूल न करे बल्कि अपने
रूबरू उससे तसदीक़ करे अगर
वह इक़बाल करे तो उसके इज़
हार पर तसदीक़ इस मज़मून
से लिखे कि इस आसामी

نے بلا جبر کسی طرح کے جرم سے ہمارے روبرو بخوشی خود اقبال کیا اس واسطے ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں کہ مجرم نے یہ اقبال صحیح کیا ہے اور جو وہ اقبال سابق سے انحراف کرے تو اسکی تحقیقات مزید کرے ہر ایک اقبال پر دستخط گواہان یعنے ساکنان والوں کے ہونے چاہیے۔

## کارروائی متعلقہ نالشات

## باب تیرہواں

### اختیارات عدالت ہائے فوجداری دربارہ تحقیقات و تجویز

دفعہ ۸۸ جس جس تعداد کے اختیارات حاکمان و سپرنٹنڈنٹاں کو سرکار سے عطا ہیں

ने बिला जबर किसी तरह के जुर्म से हमारे रूबरू अपनी खुशी से इकबाल किया इस वास्ते हम इसको तसदीक करते हैं कि मुजरिम ने यह इकबाल सही । किया है और जो वह पहिले इकबाल से इनकार करे तो उसकी तहकीकात फिर करे । हर एक इकबाल पर दस्तखत गवाहान याने साखीं वालों के होने चाहिये ॥

## नालशों के तअल्लुक का कार रवाई

## तेरहवां बाब

### फौजदारी अदालतों की तह । कीकात व तजवीज के अख्तियारात के बयान में ॥

दफा ८८ जिस २ तादाद के अख्तियारात हाकिमों व सुपरिंटन्डंटों को सरकार से इनायत है

تحقیقات و تجویز اُن کی اُن ہی سررشتہ جات میں ہوگی مابقی مقدمات کی تحقیقات اور تجویز صدر عدالت فوجداری میں ہوگی اور اگر ماتحتان کی کارروائی سے کوئی شخص ناراض ہوکر درخواست تحقیقات اور تجویز کے صدر فوجداری میں کرے تو اُس کی سماعت ہوسکے گی اور اگر مناسب ہوگا تو مسل بھی منگائی جاوے گی

दफ़ा ८९ محکمہ خاص مجاز ہے کہ مجسٹریٹ درجہ اوّل یا دوم کو اُن جرائم کہ جن کی وہ تجویز نہیں کرسکتا یا تجویز کے واسطے سپرد نہیں کرسکتا سماعت کا اختیار دے

دفعہ ۹۰ مجسٹریٹ درجہ اوّل کسی مقدمہ کو جسکی

उन की तह़की क़ात व तज्वीज उनही सरि श्तेां मे होगी बाकी मुक़द्दमां की तह़की क़ात और तज्वीज़ सदर अदालत फ़ौजदारी में होगी और अगर मा तह़तों की कार रवा ई से कोई शख्स नाराज हो कर दर ख्वास्त तह़की क़ात और तजवीज़ की सदर फ़ौज दारी में करे तो उस्की समाअत हो सके गी और अगर मुनासिब होगा तो मिसल भी मंगा ई जावे गी

दफ़ा ८९ महकमा ख़ास मजाज है कि मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल या दोयम को उन जुर्मों की जिनकी वह तज वीज नहीं कर सका या तज वीज के वास्ते सिपुर्द नहीं कर सक्ता उन की समाअत का अख़्तियार दे॥

दफ़ा ९० मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल किसी मुक़ मे को जिस

تحقیقات و تجویز کا وہ خود مجاز
ہے تحقیقات و تجویز کے
لئے اپنے کسی ماتحت
کے پاس بھیج سکتا ہے
بشرطیکہ فریقین سے
کوئی عذر واجب پیش
نہو

دفعہ ۹۱ عدالت اپیل
کسی مقدمہ ابتدائی کی
تحقیقات کرنے کی مجاز نہیں
ہے سوائے اُس صورت کے
کہ جو محکمہ خاص سے کسی
مقدمہ کی بابت حکم ہو

دفعہ ۹۲ ہر مقدمہ کی
تحقیقات ابتدائی اُسکی
جگہ ہوگی کہ جہاں وہ واقع
ہوگا اگر حاکم محال یا سپرنٹنڈنٹ
مجاز اُس کی تحقیقات و
تجویز کا نہو تو اُسکو چاہیئے
کہ مسل کو مع اسامی
و اشیاء ثبوت کے

की तहक़ीक़ात और तजवीज
का वह खुद मजाज़ है तहक़ी
क़ात और तजवीज़ के लिये
अपने किसी मातहत के पास भे
ज सकता है मगर शर्त यह है कि
फ़रीक़ैन से कोई वाजबी उज़्र
पेश नहो ॥

दफ़ा ९१ अदालत अपील
किसी मुक़द्दमे की इब्तदाई
तहक़ीक़ात करने की मजाज़ न
हीं है सिवाय उस सूरत के कि जो
महकमे खास से किसी मुक़द्द
मे के बाबत हुक्म हो ॥

दफ़ा ९२ हर मुक़द्दमे की इ
ब्तदाई तहक़ीक़ात उसी जग
ह होगी कि जहां वह वाक़े हो
गा अगर हाकिम महाल या
सुपरंटडंट उस की तहक़ीक़ा
त व तजवीज़ का मजाज़ नहो तो
उसको चाहिये कि मिसल को
मये आसामी और सबूत की ।

صدر عدالت فوجداری میں چالان کروے کوئی حاکم یا سپرنٹنڈنٹ زیادہ حد اختیارات کے مقدمہ کی تجویز کا مجاز نہوگا۔

दीज़ों के सदर अदालत फ़ौज दारी में चालान कर दे कोई हाकिम या सुपरटंडंट हद्द अख़्तियार से ज़ियादे के मुक़द्दमों की तजवीज का मजाज़ न होगा॥

دفعہ ۹۳ مقدمات فوجداری میں کوئی ایسی عدالت مجاز تحقیقات اور تجویز کے نہوگی کہ جسکو فوجداری کے اختیارات عطا نہیں ہیں۔

दफ़ा ९३. फ़ौज दारी के मुक़द्दमों में कोई ऐसी अदालत म जाज़ तह क़ीक़ात व तजवीज़ की न होगी कि जिसको फ़ौ ज दारी के अख़्तियारात इना यत नहीं है॥

دفعہ ۹۴ جب کوئی جرم کسی مجسٹریٹ یا افسر اعلے کسی دیگر محکمہ جات پر لگایا جاوے جو اپنے عہدہ سے بلا منظوری سری دربار کے موقوف نہیں ہوسکتا ہے تو اسکی سماعت خود محکمہ خاص کرے گا یا اسکی اجازت سے دوسرا کوئی محکمہ جسکو کہ وہ اسکا اختیار دے

दफ़ा ९४ जब कोई जुर्म कि सी मजिस्ट्रेट या अफ़सर आ ला किसी दूसरे महकमें जात पर लगा या जावे जो अपने ओहदे से बिला मंजूरी श्री दरबार के मौकूफ़ नहीं हो सक्ता है तो उ सकी समा अत खुद महकमा खास करेगा या उसकी इजाज़ त से दूसरा कोई महकमा जि सको यह उस का अख़्तियार दे

دفعہ ۹۵ کوئی عدالت بدوں استغاثہ مستغیث کے جرائم مفصلہ ذیل کی سماعت نہ کرے گی یعنے نقص معاہدہ و ازالہ حیثیت عرفی و جرائم متعلق ازدواج

دफ़ा ९५ कोई अदालत बिदून फरियाद करने फरियादी के नीचे लिखे हुवे जुर्मों की समाअत न करेगी यानी नुक्स माहिदा यानी नोकरी का क़ौल करार तोड़ना व अज़ाले हैसियत उरफ़ी याने किसी को अपयश लगाना व जुरायम मुत्तलके इज़दवाज याने विवाह संबंधी अपराध॥

دفعہ ۹۶ زنا کاری یا منکوحہ عورت کے پھسلا لیجانے کی سماعت بجز استغاثہ اُس عورت کے کہ جو اُس عورت کی نگرانی بوقت ارتکاب اُس جرم کے کرتا ہو یا اُسکا ولی جائز کوئی عدالت نکرے گی

दफ़ा ९६ ज़िनाकारी या शादी की हुई औरत को फुसला ले जाने की समाअत सिवाय उस औरत के खाविंद के या उस शख्स के कि जो उस औरत की निगरानी उस जुर्म के इर्तकाब के वक्त करता हो या उसका वली जायज़ कोई अदालत न करेगी॥

## باب چودھواں

## चौदवां बाब

### دربیان تحقیقات ابتدائی

### मजिस्ट्रेटों के रूबरू इब्त

روبروے مجسٹریٹ

دفعہ ۹۷ ہر ایک نالش پر مجسٹریٹ اپنے روبرو یا نگرانی میں اظہار ازروے حلف لے گا اور اُسکو اپنے دستخطوں سے تصدیق کردیگا اور اظہار دہندہ کے دستخط ہوجینگے اور اگر وہ مقدمہ کسی جگہ واسطے تحقیقات کے منتقل کیا جاویگا تو اظہار سابقہ بدستور رہے گا اگر ضرورت تتمہ کی واسطے دریافت دیگر حالات کے ہو تو مضایقہ نہیں ✣

دفعہ ۹۸ جو استغاثہ تحریری عدالت میں پیش ہو اور اگر وہ تعلق عدالت فوجداری کے نپایا جاوے تو اسکے اوپر حکم تحریر ہوکر مستغیث کو ہدایت حاضری عدالت مجاز کے کی جاویگی ✣

दाई नहक़ीक़ात के बाबत।

दफ़ा ९७ हरेक नालिश पर म जिस्ट्रेट अपने रोबरू या अपनी निगरानी में इज़हार अज़रूय हलफ़ लेवेंगे और उसको अप ने दस्तखतों से तसदीक़ करदेगा और इज़हार देने वाले केदस्त खत होगें अगर वह मुकद्दमा। किसी जगह तहक़ीक़ात के वा स्ते मुन्तक़िल किया जावे गा तो पहला इज़हार बदस्तूर रहे गा अगर दूसरे हाल दरियाफ़्त कर नेके वास्ते तितम्मा होवे तो मुज़ा यक़ा नहीं॥

दफ़ा ९८ जो नालिश तहरी री अदालत में पेश हो और व ह फ़ौजदारी अदालत के ता ल्लुक़ न पाई जावे तो उसके ऊ पर तहरीरी हुक्म हो कर फ़रिया दी को अदालत मजाज़ में हाज़िर होने की हिदायत की जावे॥

دفعہ ۹۹ جو مقدمہ کہ ابتدا
میں ہی جھوٹا پایا جاوے
تو اُسکے اخراج کے وجوہات
حکم میں لکھکر مجسٹریٹ اُسکو
خارج کرے گا۔

## باب پندرہواں
## بابت تحقیقات
## مقدمات قابل تجویز
## عدالت بالادست

دفعہ ۱۰۰ جن مقدمات
میں کہ صدر عدالت فوجداری
کو اختیار تجویز حاصل نہیں
مسلہ اُنکی محکمہ اپیل کو بھیجی
جاویں گی اور جن مقدمات
میں عدالت فوجداری سزا
جرم اپنے اختیار سے زائد
دی جانی مناسب سمجھے
تو وہ مسلین بھی محکمہ اپیل کو
واسطے منظوری سزا
زائد کے بھیجدے

दफ़ा ९९ जो मुक़द्दमा शुरू
में ही झूठा पाया जावे तो उसके
खारिज की वजूहात हुक्म में ।
लिख कर मजिस्ट्रेट उस को खा
रिज करेगा ॥

## पन्द्रहवां बाब ॥

मुक़द्दमों में अदालत बाला
दस्त की तहक़ीक़ात और त
जवीज़ के बयान में ॥

दफ़ा १०० जिन मुक़द्दमों में
कि सदर अदालत फ़ौजदारी को
तजवीज़ का अख़्तियार हासिल
नहीं है उनकी मिसलें महकमे
अपील को भेजी जावेंगी और
जिन मुक़द्दमों में अदालत फ़ौ
जदारी जुर्म की सज़ा अपने अ
ख़्तियार से ज़ियादा दी जानी मु
नासिब समझे तो वे मिसलें
भी महकमे अपील को ज़ियादा
सज़ा की मंज़ूरी के वास्ते भेज दे

| | |
|---|---|
| اور جو اپیل کے اختیار سے بھی زاید ہوں گے وہ محکمہ اعلے میں بھیجے جاوینگے جیسا کہ خون اور ڈکیتی و سکہ قلب کے مقدمات میں دستور ہے اور سوائے صدر عدالت فوجداری کے اور کوئی مجسٹریٹ مجاز سپردگی مقدمہ بہ محکمہ اپیل یا اعلے نہوگا۔ | और जो अपील के अख़्तियार से भी ज़ियादे होंगी वे महकमें आला में भेजी जावेंगी जैसा कि ख़ून व डकैती व सिक्का क़ल्ब याने खोटा सिक्का के मुक़द्दमों में दस्तूर है और सदर अदालत फ़ौजदारी के सिवाय और कोई मजिस्ट्रेट महकमें अपील या महकमें आला में मजाज़ सौंपने मुकद्दमें का नहोगा॥ |
| دفعہ ۱۰۱ جو مقدمہ کہ اپیل کو بہیجا جاوے اُسکی اشیاء ثبوت بھی اُس کے ساتھ اپیل کو بھیجے جاوینگے۔ | दफ़ा १०१ जो मुकद्दमा कि अपील को भेजा जावे उस के सबूत की चीज़ें भी उसके साथ अपील को भेजी जावेंगी॥ |
| دفعہ ۱۰۲ اگر مدعی اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرے اور ملزم اپنی صفائی کا تو مجسٹریٹ کو واجب ہے کہ دونوں کے ثبوت لیکر تحقیقات کرے۔ | दफ़ा १०२ अगर मुद्दई अपने दावे का और मुलज़िम अपनी सफ़ाई का सबूत पेश करे तो मजिस्ट्रेट को वाजिब है कि दोनों के सबूत ले कर तहक़ीक़ात करे॥ |
| دفعہ ۱۰۳ گواہان فریقین | दफ़ा १०३ फ़रीक़ैन के गवाहों |

کے اظہارات ملزم کے سامنے ہونے چاہیئے تاکہ ملزم اگر سوال کرنا چاہے تو کرلے

के इज़हार मुलज़िम के सामने होने चाहिये ताकि मुलज़िम अगर सवाल करना चाहे तो करले·

# باب سولھواں

# सोलवाँ बाब

## تجویز مقدمات قابل اجرائے سمن

## इजराय समन के काबिल मुकद्दमों की तजवीज़ के बयान में

دفعہ ۱۰۴ مقدمات قابل اجرائے سمن میں ضابطہ مفصلہ ذیل مجسٹریٹاں سے عمل میں آوے ❊

दफ़ा १०४ मुकद्दमात का विल इजराय समन में मजिस्ट्रेट नीचे लिखे हुवे काय दे के मुआफ़िक अमल करें॥

دفعہ ۱۰۵ جو شخص ملزم قرار دیا جاوے اُسکی حاضری اصالتاً یا وکالتاً پر الزام کی تفصیل اسکو سُنائی جاوے اور پوچھا جاوے کہ وہ اُسکی بریت کی کیا وجوہات رکھتا ہے ❊

दफ़ा १०५ जो शख्स मुलज़िम करार दिया जावे उसके असालतन या वकालतन हाज़िर होने पर इल्ज़ाम की तफ़सील उसको सुनाई जावे और पूछा जावे कि वह उसकी बरियत की क्या वजूहात रखता है॥

دفعہ ۱۰۶ اگر شخص ملزم جرم کے کرنے کا اقرار

दफ़ा १०६ अगर शख्स मुलज़िम जुर्म के करने का इक़रार करे

کرے جو اُس پر لگایا گیا ہو تو
اُسکا اقبال حتی المقدور اُن ہی
الفاظ میں لکھا جاویگا جو اُسکے
مُنہ سے نکلیں ✤

دفعہ ۱۰۷ اگر ملزم اقرار
جرم نکرے تو مدعی سے
ثبوت لیا جاوے اور مدعاعلیہ
جو کچھ ثبوت اپنے بیان کا
دے وہ بھی لیا جاوے
اور فریقین کی درخواست پر
کسی گواہ یا دستاویز کی حاضری
کے واسطے حکمنامہ بھی
مجسٹریٹ جاری کر سکتا ہے
اور مجسٹریٹ اسکا بھی مجاز ہے
کہ خرچہ حاضری گواہ کا بیشتر
جمع کرالے ✤

دفعہ ۱۰۸ اگر ملزم پر
جرم کا ثبوت کافی ہو تو اسکو
موافق قاعدہ کے سزا
دی جاوے اور جو جرم
ثابت نہو تو اُس کو رہا کیا

जो उस्पर लगा या गया हो तो उस
का इक़बाल जहां तक मुमकिन
हो उन्हीं लफ़्ज़ों में लिखा जावेगा
जो उस्के मुंह से निकले ॥

दफ़ा १०७ अगर मुल्ज़िम जु
र्म का इक़रार न करे तो मुद्दई
से सबूत लिया जावे और मुद्दाय
ले अपने बयान का जो कुछ स
बूत दे वह भी लिया जावे और फ़
रीक़ैन की दरख़ास्त पर किसी
दस्तावेज़ या गवाह की जबर नू
हाज़िरी के वास्ते मजिस्ट्रेट हुक्म
नामा भी जारी कर सक्ता है और
मजिस्ट्रेट इस का भी मजाज़ है
कि गवाहों की हाज़िरी का खर्चा
पेश्तर जमा करा ले ॥

दफ़ा १०८ अगर मुल्ज़िम
पर जुर्म का सबूत काफ़ी हो तो
उसके क़ायदे के मुआफ़िक़ स
ज़ा दी जावे और जुर्म साबित न हो तो
उसको रिहा याने छोड़ दिया ॥

جاوے
دفعہ ۱۰۹ اگر سمن استغاثہ مدعی پر جاری ہوا ہو اور ملزم حاضر ہو جاوے اور اُس روز مدعی حاضر نہو تو اگر پہلے سے مدعی نے ثبوت دعوے پیش کر دیا ہو تو ملزم کا جواب لیا جاوے اور جو پہلے سے مدعی نے کوئی ثبوت دعوے پیش نکیا ہو اور نہ خود بروقت حاضری ملزم حاضر ہو تو مجسٹریٹ کو اختیار ہے اُسکے دعوے کو خارج کر دے۔
دفعہ ۱۱۰ مقدمات خفیف میں مدعی اپنا دعوے بھی پیش کرسکتا ہے۔
دفعہ ۱۱۱ اگر مجسٹریٹ کو بوجوہ معلوم ہو جاوے کہ مدعی نے نالش صرف واسطے خراب کرنے اور تکلیف

जावे ॥
दफ़ा १०९ अगर मुद्दई की फ़रियाद पर समन जारी किया जावे और मुलज़िम हाज़िर हो जावे और उस रोज़ मुद्दई हा़जिर नहो और अगर पहिलेसे मुद्दईने दावे का सबूत पेश कर दिया हो तो मुलज़िम का जवाब लिया जावे और जो पहिलेसे मुद्दई ने दावे का कोई सबूत पेश न किया हो और न मुलज़िम की हाज़री के वक्त हाज़िर हो तो मजिस्ट्रेट को अख़्तियार है कि उसके दावे को ख़ारिज कर दे ॥
दफ़ा ११० ख़फ़ीफ़ मुक़द्दमों में मुद्दई अपना दावा भी पेश कर सक्ता है ॥
दफ़ा १११ अगर मजिस्ट्रेट को मालूम हो जावे कि मुद्दई ने नालिश सिर्फ़ मुद्दायले को ख़राब करने या तकलीफ़ देने

ویہے مدعا علیہ کے کی ہے تو مجسٹریٹ دعوے دار سے ہرجانہ مناسب مدعا علیہ کو اور جو چند مدعا علیہ ہوں تو ہر واحد کو دلادیگا جسکی تعداد ۳۰ روپیہ سے زیادہ نہو اور یہ رقم بطور جرمانہ وصول کی جاویگی اور جو مدعی ہرجانہ داخل نکرے تو قید محض کی سزا اُسکو دی جاویگی جس کی میعاد ایک ماہ سے زیادہ نہو۔

دفعہ ۱۱۲ ہر ایک سمن عدالت سے معرفت مہروہ ڈاک یا بذریعہ حاکمان بھیجا جایا کریگا اور حاکمان معرفت سپاہیاں جاری کریں۔

## باب سترواں

### تجویز مقدمات قابل اجرائے وارنٹ

के वास्ते की है तो मजिस्ट्रेट दावे दार से हरजा मुनासिब मुद्दायले को और जो चंद मुद्दायले हों तो हर एक को दिला देगा जिस्की तादाद तीस रुपेय से ज़ियादा न हो और यह रकम जुर्माने के तौर से वसूल की जावेगी और जो मुद्दई हरजा दाखिल न करे तो महज़ कैद की सज़ा उस्को दी जावेगी जिस की मयाद एक महीने से ज़ियादा नहो॥

दफा ११२ हर एक समन अदालत से डाक के सिर मोहर की मारफत या बज़रिये हाकिमान भेजा जाया करेगा और हाकिम सिपाहियों की मारफत जारी करें॥

## सत्तरवाँ बाब

उन मुकद्दमात की तजवीज़ में जो इजरा मजिस्ट्रेटों

بہ پیشگاہ مجسٹریٹ

دفعہ ۱۱۳ مقدمات قابل اجرائے وارنٹ میں مجسٹریاں ضابطہ مفصلہ ذیل کے پابند رہینگے ٭

دفعہ ۱۱۴ صدر عدالت فوجداری سے جو وارنٹ جاری ہونگے وہ معرفت حاکمان یا سپرنٹنڈنٹان یا کوتوال جودھ پور تعمیل پاوینگے — حاکم سپرنٹنڈنٹ کوتوال کو اختیار ہے کہ وارنٹ کی تعمیل وہ خود کریں یا اپنے کسی ماتحت کے ذریعہ سے اسکی تعمیل کرادیں ٭

دفعہ ۱۱۵ حاکمان پرگنات و سپرنٹنڈنٹان و کوتوال جودھ پور اگر کسی مقدمہ میں وارنٹ جاری کرنا چاہیں تو بموجب اختیار کے حسب سرشتہ

से क़ाबिल इजराय वारंट हो

दफ़ा ११३ मुक़द्दमात क़ाबिल इजराय वारंट में मजिस्ट्रेटों को नीचे लिखे हुवे ज़ाबतों की पाबंदी रखनी होगी ॥

दफ़ा ११४ सदर अदालत फ़ौजदारी से जो वारंट जारी होंगे उनकी तामील हाकिमों या सुपरंटंडंटों या कोतवाल जोधपुर की मारफ़त होगी हाकिम व सुपरंटंडंट व कोतवाल को अख़्तियार है कि वारंट की तामील वह ख़ुद करें या अपने किसी मातहत के ज़रिये से उस की तामील करावे ॥

दफ़ा ११५ परगनों के हाकिम व सुपरंटंडंट और कोतवाल जोधपुर अगर किसी मुक़द्दमे में वारंट जारी करना चाहें तो बमूजिब अख़्तियारात के सरिश्ते के

وارنٹ جاری کریں

دفعہ ۱۱۶ جس وقت ملزم حاضر ہو یا حاضر لایا جاوے اُسوقت اگر مدعی نے پہلے سے ثبوت دعوے پیش نہ کیا ہو تو مجسٹریٹ مدعی سے ثبوت لیوے اور شہادت جو واسطے تائید نالش کے ہوں لیوے پیچھے مدعا علیہ کا جواب لیا جاوے *

دفعہ ۱۱۷ مجسٹریٹ کو لازم ہے کہ مستغیث سے یا اور طور پر نام اُن اشخاص کے دریافت کرے جو حالات مقدمہ سے غالباً واقف ہوں اور مدعی کیطرف سے شہادت دے سکیں اُنمیں سے اسقدر کو کہ جو ضروری معلوم ہوں واسطے گواہی کے طلب کرے

دفعہ ۱۱۸ اگر مدعا علیہ کے اوپر جرم ثابت ہو جاوے تو مجسٹریٹ اُسکے جرم کو بوجوہ

मुवाफ़िक वारंट जारी करें॥

दफ़ा ११६ जिस वक्त मुल्ज़िम हाज़िर हो या हाज़िर लाया जावे उस वक्त अगर मुद्दई ने पहिले से दावे का सबूत पेश न किया हो तो मजिस्ट्रेट मुद्दई से सबूत लेवे और जो गवाही वास्ते सबूत नालिश के होवें लेवे पीछे मुद्दायले का जवाब लिया जावे॥

दफ़ा ११७ मजिस्ट्रेट को लाज़िम है कि फ़रियादी से या और तौर पर उन शख्सों के नाम दरियाफ़्त करे जो हालात मुकद्दमे से वाकिफ़ हों और मुद्दई की तर्फ़ से गवाही दे सकें उनमें से उस क़दर को जो ज़रूरी मालूम हों वास्ते गवाही के बुलावे॥

दफ़ा ११८ अगर मुद्दायले के ऊपर जुर्म साबित हो जावे तो मजिस्ट्रेट उस्के वजूहात के

قایم کرکے سزا دے سکتا ہے

دفعہ ۱۱۹ جسقدر گواہ اوپر لکھے گئے ہوں اُن سے یا گواہان مدعی سے کسی طرح ثبوت جرم نسبت ملزم نہو توقبل داخل کرنے ثبوت صفائی کے مدعا علیہ کو مجسٹریٹ رہا کریگا۔

دفعہ ۱۲۰ بعد ختم تحقیقات و لکھے جانے تجویز کے مجرم کو حکم اخیر مجسٹریٹ اپنے روبرو مع وجوہات کے سُنا دے۔

دفعہ ۱۲۱ اگر ملزم جرم سے انکار کرے اور تحقیقات چاہے اور ثبوت اپنی برئیت کا بیان کرے تو اُسکو ہدایت کی جاوے کہ وہ پیروی اپنے مقدمہ کی کرے اور اگر وہ کوئی ثبوت تحریری

साथ कायम कर के सज़ा दे सक्ता है ॥

दफ़ा ११९ जिस क़दर गवाह ऊपर लिखे गये हैं उन से या मुद्दई के गवाहों से मुलज़िम के निसबत किसी तरह जुर्म साबित नहो तो सफ़ाई का सबूत दाखिल करने पहिले मुद्दा यले। को मजिस्ट्रेट रिहा करेगा ॥

दफ़ा १२० तहकीक़ात ख़तम होने के बाद मजिस्ट्रेट मुजरिम को हुक्म अपने रूबरू तजवीज़ अख़ीर का मये वजूहात के सुना दे ॥

दफ़ा १२१ अगर मुलज़िम। जुर्म से इनकार करे और तहक़ीक़ात चाहे और अपनी। बरियत का सबूत बयान करे तो उसको हिदायत की जावे कि वह अपने मुकद्दमे की पैरवी करे। और अगर वह कोई तहरीरी

داخل کرے تو وہ بھی شامل
مسل کیا جاوے اور اگر
وہ کسی گواہ مدعی سے جو
حاضر عدالت ہو بعد اظہار
مکرر کے کچھ پوچھا چاہے تو
اُس سے سوال کر سکتا
ہے ✣

دفعہ ۱۲۲ اگر کوئی ملزم
کسی دست آویز یا گواہ کے
بجبر حاضر کرا لینے کی درخواست
کرے اور مجسٹریٹ
کو یہ امر ثابت ہو کہ وہ ایام
گزاری یا ایذا رسانی کے
واسطے نہیں ہے تو اُسکی
طلبی کے واسطے حکمنامہ
جاری ہوگا اور حاضری گواہ
کی خرچ بھی داخل عدالت
کرا لینے کا مجسٹریٹ مجاز
ہے ✣

دفعہ ۱۲۳ بعد ہو جانے حکم
سزا کے اگر مجسٹریٹ کو ملزم یا

सबूत दाखिल करे तो वह भी शा
मिल मिसल कि या जावे और
अगर वह मुद्दई के किसी ग
वाह से जो हाजिर अदालत हो
बाद इज़हार फेर कुछ पूछा
चाहे तो उससे सवाल कर स
क्ता है ॥

दफ़ा १२२ अगर कोई मुल
ज़िम किसी दस्तावेज़ या गवाह
का जबरन हाज़िर कराने की द
रख्वास्त करे और मजिस्ट्रेट को
यह अमर साबित हो कि वह
दिन गुज़रने या तक्लीफ पहुंचा
ने के वास्ते नहीं है तो उस्की
तलबी के वास्ते हुक्मनामा
जारी होगा और हाज़री गवाह
का खर्चा भी अदालत में दा
खिल करा लेने का मजिस्ट्रेट
मजाज़ है ॥

दफ़ा १२३ सज़ा का हुक्म
होजाने के बाद मुल्ज़िम या

اُسکا کوئی وارث یہ امر تحقیق
کرا دے کہ ملزم مجرم نہیں ہے
اور مجسٹریٹ اُس کے
بے جرمی کو یقین کر لے
تو مجسٹریٹ اُس کو رہا
کرے گا اور تمام وجوہات
اُس کی بریّت کے تحریر
کرے گا ✤

دفعہ ۱۲۴ جو مقدمہ کہ
استغاثہ پر رجوع ہوا اور
اُسمیں باہم صلح جائز ہو تو
ایسے مقدمہ کی تاریخ مقررہ
پر مدعی کے حاضر نہونے پر
بشرطیکہ اُس نے ثبوت
جرم مدعا علیہ کا کافی
ندیا ہو مجسٹریٹ مدعا علیہ کو
رہا کرسکتا ہے ✤

## باب اٹھارواں

شرائط عام
بابت تحقیقات وتجویز

उस्का कोई वारिस मजिस्ट्रेट को
यह अमर तहक़ीक करादे
कि मुल्ज़िम मुज्रिम नहीं है
और मजिस्ट्रेट उसकी बेजुर्मी
को यक़ीन कर लेतो मजिस्ट्रेट
उस्को छोड़ देगा और तमाम व
जूहात उस्की बरियत के लिखे
गा ॥

**दफ़ा १२४** जो मुक़द्दमा कि
फरियाद पर रुजो हो और उस
में बाहम सुलह जायज़ होतो
ऐसे मुक़द्दमे की तारीख मुक़र्रि
रा पर मुद्दई के हाज़िर न होने
पर मजिस्ट्रेट मुद्दायले को छो
ड़ सक्ता है मगर शर्त यह है
कि उसने मुद्दायले के जुर्म का स
बूत काफ़ी न दिया हो॥

## अठारवाँ बाब

तहक़ीक़ात और तजवीज़
मुक़द्दमें की आम शर्तों के

مقدمہ

دفعہ ۱۲۵ اگر مجسٹریٹ کو خبر پہنچے - کہ فلاں آدمی فلاں سنگین سے واقف ہے یا وہ یا اُسکا کوئی وارث مجسٹریٹ سے درخواست کرے کہ فلاں مجرم سارا حال مفصل عرض کردیگا اُسکا قصور معاف ہونا چاہیئے تو مجسٹریٹ مجاز ہے کہ باطلاع محکمہ اعلےٰ معافی کا وعدہ کرے اور اُسکو پورا کرے ✣

دفعہ ۱۲۶ سپردگی مقدمہ کے بعد بھی وہ عدالت کہ جسمیں سپردگی کی گئی ہو بشرطیکہ ضرورت حسب دفعہ مندرجہ بالا کارروائی وعدہ معافی کی کرسکتی ہے ✣

دفعہ ۱۲۷ جو شخص وعدہ معافی لیکر اُس کو

बयानमें

दफा १२५ अगर मजिस्ट्रेट को खबर पहुंचे कि फ़लां ना आदमी फलां ने जुर्म संगीन से वाकिफ़ है या वह या उस्का कोई वारिस मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त करे कि फलां ना मुजरिम तमाम हाल मुफ़स्सिल अरज़ करदेगा उसका क़सूर माफ़ होना चाहिये तो मजिस्ट्रेट को चाहिये कि महकमे आला में इत्तला कर के माफ़ी का वाएदा करे और उस्को पूरा करे ॥

दफ़ा १२६ मुकद्दमा सोंपने के बाद भी वह अदालत कि जिसमें मुकद्दमा सोंपा गया हो। बशर्ते ज़रूरत ऊपर लिखे हुये दफेके मुवाफ़िक़ कारवाई वाएदे माफ़ी की कर सक्ती है।

दफा १२७ जो शख्स माफी का वायेदा कर के उसको पूरा न

پورا نکرے تو مستوجب سزا کا ہوگا اور وہی بیان اُسکا اُسکے جرم کو بطور وجہ ثبوت کے مدد دے گا ❖

دفعہ ۱۲۸ شخص ملزم مقدمہ سنگین میں اگر چاہے تو وکیل مقرر کرسکتا ہے لیکن یہ نہوگا کہ بوجہ مقرر ہو جانے وکیل کے اصل ملزم حراست سے علیحدہ ہو سکے یا گرفتار نہ کیا جاوے ❖

دفعہ ۱۲۹ ملزم سے بروے دباغت اقرار بیان کر دینے حالات اصلی مقدمہ کا نکرایا جاوے ❖

دفعہ ۱۳۰ بروقت قلمبندی اظہار ملزم کو حلف نہ دیا جاوے گا ❖

دفعہ ۱۳۱ اگر مجسٹریٹ کو مناسب معلوم ہو



करै तो सज़ा के मस्तूजिब होगा और उसका वही बयान उसके जुर्म को बतौर वजह सबूत के मदद देगा ॥

दफ़ा १२८ शख़्स मुलज़िम मुक़द्दमें संगीनमें अगर चाहे तो वकील मुक़र्रिर कर सक्ता है लेकिन यह नहोगा कि वकील मुक़र्रिर हो जाने की वजह से असल मुलज़िम हिरासत से अलैहदा हो सके या गिरफ़्तार न किया जावे ॥

दफ़ा १२९ मुलज़िम से मुक़द्दमें का असली हाल बयान करने का इक़रार दबाव देकर न कराया जावे ॥

दफ़ा १३० इज़हार क़लमबंद होने के वक़्त मुलज़िम को हलफ़ न दिया जावेगा ॥

दफ़ा १३१ अगर मजिस्ट्रेट को मुनासिब मालूम हो कि

کہ بوجہ غیر حاضری کسی گواہ یا اور وجہ معقول کے تحقیقات وتجویز کا ملتوی کرنا واجب ہے تو وہ کر سکتا ہے ۔ الا پندرہ روز سے زیادہ نہیں مگر شرط یہ ہے کہ ملزم کو ذریعہ وارنٹ حراست میں بدستور بھیجدے ٭

دفعہ ۱۳۲ مندرجہ ذیل جرائم مدعی کے راضی نامہ پر طے ہو سکتے ہیں ٭

نقشہ

جرائم کہ جو راضی نامہ مدعی پر طے ہو سکتے ہیں

सी गवाह की गेर हाज़िरी की व जेसे या और वजह माकूल से तहकीक़ात व तजवीज़ का मुल्तवी करना वाजिब है तो वह कर सक्ता है मगर पन्द्रह रोज़ से ज़ियादा नहीं मगर शर्त यह है कि मुल्ज़िम को वारंट के ज़रिये से बदस्तूर फिर हिरासत में भेजदे

दफ़ा १३२ नीचे लिखे हुये जुरम मुद्दई के राज़ी नामे पर ते हो सक्ते हैं ॥

नक़्शा

जुर्मों का जो मुद्दई के राज़ी नामे पर ते हो सक्ते हैं

| नम्बर शुमार / نمبر شمار | शरह जुर्म / شرح جرم | दफ़ा नक़शे ज़मीमे नंबर २ व ३ मुतअल्लिक़े जराइम / دفعہ نقشہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ متعلقہ جرائم — नंबर २ / نمبر ۲ | नं० ३ / نمبر ۳ | नाम उस शख़्स का जिस की तर्फ़ से राज़ी नामा हो सक्ता है / نام اس شخص کا جسکی طرف سے راضی نامہ ہوسکتا ہے |
|---|---|---|---|---|
| १ | सोच बिचार के इस निय्यत से कोई बात वग़ैरह कहना जिस से मज़हब के बाबत किसी शख़्स का दिल दुखे | ११।१२ | ` | वह शख़्स जिस का मज़हब के बाबत दिल दुखाना मक़सूद हो ॥ |
| ۱ | سوچ بچار کی اس نیت سے کوئی بات وغیرہ کہنا جس سے مذہب کی بابت کسی شخص کا دل دکھے | ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ | | وہ شخص جسکا مذہب کی بابت دل دکہانا مقصود ہو |
| २ | ज़रर पहुंचाना | १९ | २५ | वह शख़्स जिस्को ज़रर पहुंचा हो |
| ۲ | ضرر پہچانا | ۱۹ | ۲۵ | وہ شخص جسکو ضرر پہنچا ہو |
| ३ | बेजा तौर पर किसी शख़्स की सज़ाहमत करनी या हब्स बेजा में रखना | २०।३२ | १७ | वह शख़्स जिसके साथ सज़ाहमत की जावे या जो हब्स में रक्खा जावे |
| ۳ | بیجا طور پر کسی شخص کی مزاحمت کرنی یا حبس میں رکھنا | ۲۰ و ۳۲ | ۱۷ | وہ شخص جسکے ساتھ مزاحمت کیجائے یا جو حبس میں رکھا جاوے۔ |
| | हमला करना या जब्र मुजरमाना याने गुनी | | | वह शख़्स जिस पर हमला किया जावे या जिस्के नि |

| नम्बर शुमार / نمبر شمار | शरह जुर्म / شرحِ جرم | दफ़ा नक्शा नम्बर २ व ३ मुतअल्लिके जराय / دفعہ نقشہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ متعلقہ جرائم — नंबर २ / نمبر ۲ | नं० ३ / نمبر ۳ | नाम उस शख़्स का जिस की तरफ़ से राज़ी नामा हो सकता है / نام اُس شخص کا جسکی طرف سے راضی نامہ ہو سکتا ہے |
|---|---|---|---|---|
| ४ / ۴ | तिबल्ल अमल में लाना / حملہ کرنا یا جبر مجرمانہ کا عمل میں لانا۔ | ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ | ۰ | सवन् जबर मु जरिमाना अमल में आवे / وہ شخص جسپر حملہ کیا جاوے یا جسکی نسبت جبر مجرمانہ عمل میں آوے |
| ५ / ۵ | बतौर ना जायज़ महनन करने पर मज़बूर करना / بطور ناجائز محنت کرنے پر مجبور کرنا | ४३ / ۴۳ | | वह शख़्स जिस्से जबरन महनत ली जावे॥ / وہ شخص جس سے جبراً محنت لی جائے۔ |
| ६ / ۶ | नुकसान रसानी जब कि सिर्फ़ नुकसान या हरजा जो पहुंचाया जावे या किसी शख़्स का नुकसान या हर्जा हो / نقصان رسانی جبکہ صرف نقصان یا ہرجا پہنچایا جاوے یا کسی شخص کا نقصان یا ہرجہ ہو | २५ / ۲۵ | ९० / ۱۰ | वह शख़्स जिसको नुकसान या हरजा पहुंचाया जावे / وہ شخص جسکو نقصان یا ہرجہ پہنچایا جاوے |

| नम्बर शुमार / نمبر شمار | शरह जुर्म / شرح جرم | दफ़ा नक़शेजात ज़मीमे नम्बर २ व ३ मुताल्लिक़ जुरायम / دفعہ نقشہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ متعلقہ جرائم | | नाम उस शख्स का जिसकी तरफ़ से राज़ीनामा हो सकता है / نام اس شخص کا جسکی طرف سے راضی نامہ ہو سکتا ہے |
|---|---|---|---|---|
| | | नंबर २ / نمبر ۲ | नं ३ / نمبر ۳ | |
| ٧ | मदाखलत बेजा मुजरिमाना॥<br>مداخلت بیجا مجرمانہ | · | ११<br>١١ | शख्स का बिज़ उस जायदाद का जिस पर मदाखलत बेजा की जावे॥<br>شخص قابض اس جائداد کا جسپر مداخلت بیجا کی جاے |
| ८<br>٨ | मदाखलत बेजा बखाने<br>مداخلت بیجا بخانہ | | ११<br>١١ | शख्स का बिज़ उस घर का जिस पर मदाखलत बेजा की जावे<br>شخص قابض اس گھر کا جسکے اوپر مداخلت بیجا کی جاوے |
| ९<br>٩ | ख़िदमत के मुआहदे का नुक्स मुजरिमाना<br>خدمت کے معاہدہ کا نقص مجرمانہ | ४१।४२<br>٤١ و ٤٢ | · | वह शख्स जिसके साथ मुजरिम ने मुआहदा या इक़रार किया हो॥<br>وہ شخص جسکے ساتھ مجرم نے معاہدہ کیا ہو |
| १०<br>١٠ | ज़िना<br>زنا | | | ख़ाविंद या जो मुद्दई हो<br>خاوند یا جو مدعی ہو |

| नम्बर सिलसिला نمبر | शरह जुर्म شرح جرم | दफ़ा ताज़ीरात हिंद जो कि नम्बर २ व ३ मुताल्लिक़े नक़्शे ضمیمہ کے हैं دفعہ نقشہ ضمیمہ نمبر۲و۳ متعلقہ | | नाम उस शख़्स का जिसकी तरफ़ से राज़ी नामा हो सक्ता है نام اس شخص کا جسکی طرف سے راضی نامہ ہو سکتا ہے |
|---|---|---|---|---|
| | | नम्बर २ نمبر۲ | नं० ३ نمبر۳ | |
| ११ ١١ | मुज्रिमाने की नियत के साथ किसी ब्याही हुई औरत का फुसलाले जाना या ले उड़ना या रोक रखना نیت مجرمانہ کے ساتھ کسی عورت کدخداشدہ کا پھسلا لیجانا یا لے اڑنا یا روک رکھنا | | १२ ١٢ | औरत के खाविंद का شوہر عورت کا یا ولی جائز |
| १२ ١٢ | अज़ाले हैसियत उरफी यानी किसी को अपयश लगाना किसी मजमून को यह जान कर कि वह है सियत उरफी की दूर करने वाला है छपवाना या खुदवाना या किसी छपे हुये या खुदे हुवे मजमून को कि जिसमें कोई इबारत है सियत उरफी की दूर करने वाली हो यह जान - | | १६ | वह शख्स जिस का अज़ाले हैसियत उरफी याने अपजस हुआ हो॥ |

| नम्बर शुमार | शरह जुर्म<br>شرح جرم | दफा नकसे ज़ सोमे नंबर २ व ३ मुताल्लुके जुराय<br>دفعہ نقشہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ متعلقہ جرائم | | नाम उस शख्स का जिस की तर्फ से राजी नामा हो सकता<br>نام اُس شخص کا جسکی طرف سے راضی نامہ ہو سکتا ہے |
|---|---|---|---|---|
| १ | | नम्बर २<br>نمبر۲ | नं ३<br>نمبر۳ | |
| १२<br>١٢ | करकि इसमें ऐसा मज़मून है बेचना<br>کسی مضمون کو یہ جانکر کہ وہ مزیل حیثیت عرفی ہے چھاپنا یا کندہ کرنا کسی چھپے ہوئے یا کندہ کئے ہوئے مضمونکو جسمیں کوئی عبارت مزیل حیثیت عرفی ہو یہ جانکر کہ اسمیں ایسا مضمون ہے فروخت کرنا | | ١٦ | وہ شخص جسکا ازالہ حیثیت عرفی ہوا ہو |
| १३<br>١٣ | नुक्स अमन कराने की नियत से तोहीन करना<br>نقص امن کرانے کی نیت سے توہین کرنا | | ६२<br>٦٢ | वह शख्स जिसकी तोहीन याने बुराई या निंदा की जावे<br>وہ شخص جسکی توہین کی جائے |
| १४<br>١٤ | तख़वीफ़ मुजरिमाना इल्ला उस सूरत में जबकि जुर्म सात वर्ष की सजा के लायक हो<br>تخویف مجرمانہ الا اس صورت میں جبکہ جرم لایق سزا قید ہفت سالہ کے ہو | | ५३<br>५४<br>٥٣ و ٥٤ | वह शख्स जिसके साथ तख़वीफ़ की जावे यानी धमकी दी जावे॥<br>وہ شخص جسکے ساتھ تخویف کی جائے |

اور ضرر شدید بھی لایق راضی نا
کے ہے اگر فریقین رضامند
ہوں ٭

## باب انیسواں

### بابت طریقہ لینے و قلمبند کرنے شہادت کے مقدمات کی تحقیقات و تجویز میں

**دفعہ ۱۳۳** بجز اُس
صورت کے جسکے لئے اور طرح
حکم ہو۔ ہر ایک شہادت شخص ملزم
یا اُسکے وکیل کے روبرو لیجاے

**دفعہ ۱۳۴** شخص ملزم کا
اظہار لیا جاوے تو نام
اور ولدیت اور قومیت
اور سکونت کا پتہ مفصّل
لکھا جاوے ٭

**دفعہ ۱۳۵** ہر ایک اظہار
ہر ایک شخص کا دیسی بولی میں
لکھا جاوے اور اظہار دہندہ

और ज़रर शदीद भी लायक़ रा
ज़ी नामें के है अगर फ़रीक़ैन र
ज़ा मंद हों ॥

## उन्नीसवाँ बाब

### मुक़द्दमात की तहक़ीक़ात और तजवीज़ में गवाही के लेने और क़लम बंद करने के बयान में ॥

**दफ़ा १३३** सिवाय उस सूरत के
जिस के लिये और तरह हुक्म हो
हर एक गवाही शख़्स मुलज़िम या
उस्के वकील के रूबरू ली जावे ।

**दफ़ा १३४** शख़्स मुलज़िम
का इज़हार लिया जावे तो नाम
और वल्दियत और कौम याने
ज़ान और सकूनत का पता मुफ़
स्सिल लिखा जावे ॥

**दफ़ा १३५** हर एक शख़्स का
इज़हार देसी बोली में लिखा
जावे और उस पर इज़हार देने

اور مجسٹریٹ کے دستخط ثبت
ہوں گے
دفعہ ۱۳۶ اگر اظہار دہندہ
زبان مندرجہ اظہار کو بخوبی نہ
سمجھ سکے تو اُس کا ترجمہ
اُس کو اُس زبان میں
جسمیں وہ سمجھتا ہووے سمجھا
دیا جاوے
دفعہ ۱۳۷ جہانتک ممکن ہو
اظہار مسلسل اور مختصر لکھے
جاویں اور جو مقدمہ کے متعلق
باتیں ہوں وہ اسمیں درج
کی جاویں اور جو مقدمہ کے
خلاف باتیں ہوں وہ نہ
لکھی جاویں۔
دفعہ ۱۳۸ اگر کوئی دستاویز
کوئی شخص پیش کرے تو
نقل اُس کی بعد مطابقت
اصلی کے شامل مثل کی جاوے
اور اصل اُسکو واپس دی جاوے
اور اصل کے ہی رکھنے

वाले और मजिस्ट्रेट के दस्तखत
होने चाहिये॥
दफा १३६ अगर इज़हार देने
वाला इज़हार में लिखी हुई ज़बा
न को बखूबी न समझ सके तो उस
का तर्जुमा उस को उस ज़बान में
कि जिस में वह समझता हो सम
झा दिया जावे॥
दफा १३७ जहांतक मुमकि
न हो इज़हार सिलसिलेवार और
मुख्तसिर लिखे जावें और जो बा
तें मुकद्दमे के ताल्लुक की हों वह
उसमें दर्ज की जावें और जो बा
तें मुकद्दमे के खिलाफ हों वह
न लिखी जावें
दफा १३८ अगर कोई दस्ता
वेज़ कोई शख्स पेश करे तो
नकल उस की बाद मुताबिक़ अ
सल के शामिल मिसल की जावे
और असल उस को वापिस दी
जावे अगर असल के ही रखने

की ज़रूरत हो तो वह भी मुकद्दमें की तहकीक़ात तक मजिस्ट्रेट रख सक्ता है॥

दफ़ा १३९ हर मजिस्ट्रेट व सुपरंटंडंट व कोतवाल व महकमें अपील को लाज़िम है कि कोई क़यासी वजूहात रूबकार में दर्ज न किया करे और जो किसी मामले में किसी अमर का शक बाक़ी रह जावे तो जिहां तक मुमकिन हो उस शक की तहक़ीक़ात करके सफ़ाई करे सिर्फ़ शक से कोई तजवीज़ न की जावे॥

## बीसवां बाब

### सज़ा के मुल्तवी रखने और माफ़ी करने और बदलने के बयान में

दफ़ा १४० जब किसी शख़्स को किसी जुर्म के वास्ते

کی ضرورت ہو تو اسکو بھی مجسٹریٹ تا تحقیقات مقدمہ رکھ سکتا ہے۔

دفعہ ۱۳۹ ہر مجسٹریٹ و سپرنٹنڈنٹ و کوتوال و محکمہ اپیل کو لازم ہے کہ کوئی وجوہات قیاسی درج روبکار نکیا کریں اور جو کسی معاملہ میں کسی امر کا شک باقی رہجاوے تو جہاں تک ممکن ہو اُس شک کی تحقیقات کرکے صفائی کرے صرف شک سے کوئی تجویز نہ کی جاوے۔

## باب بیسواں

### سزا کے التوا اور معافی اور تبدل کے بارہ میں

دفعہ ۱۴۰ جب کسی شخص کو کسی جرم کے واسطے

حکم سزا کا دیا گیا ہو تو سیر بدربار یا مصاحب اعلےٰ کسی وقت بلا شرائط کے یا شرائط پر جسکو وہ شخص منظور کرے اُسکے حکم سزا کی تعمیل کو ملتوی کر سکتے ہیں یا کُل یا کسی قدر جزو اُس سزا کو معاف فرما سکتے ہیں مگر اُسکا اعلان ہونا واسطے آگاہی ملازمان کے ضرور ہے *

دفعہ ۱۴۱ اگر وہ شخص اُن شرائط کا پابند نہ رہے۔ تو عہدہ دار پولیس اُسکو بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے اور وہ شخص اُس سزا یا اُسکا کسی قدر جزو باقی ماندہ کو واسطے بھگتنے کے پھر جیل میں بھیجا جا سکتا ہے *

دفعہ ۱۴۲ سر بدربار یا مصاحب اعلےٰ اگر مناسب سمجھیں تو کسی شخص کی

सज़ा का हुक्म दिया गया होतो श्रीदरबार या मुसाहिब आला किसी वक्त बिला शर्त या शर्त पर जिस्को वह शख्स मंजूर करे उसके तामील सज़ा के हुक्म को मुल्तवी कर सक्ते हैं या कुल या किसी क़दर उस सज़ा के हिस्से को माफ़ फ़रमा सक्ते हैं मगर वास्ते आगाही मुलाजिमान के उसके इत्तला होनी ज़रूर है ॥

दफ़ा १४१ अगर वह शख्स उन शर्तों का पाबन्द न रहे तो ओहदेदार पुलिस उसको बिला वारंट गिरफ्तार कर सक्ता है और वह शख्स उस सज़ा या उसके किसी क़दर हिस्से बाकी रहे हुवे को भुगतने के वास्ते फिर जेलखाने में भेजा जा सक्ता है ॥

दफ़ा १४२ श्रीदरबार या मुसाहिब आला अगर मुनासिब समझे तो किसी शख्स के

نسبت جسکو کسی عدالت سے حکم سزائے تعزیری یا با مشقت کا دیا گیا ہو قید محض کا حکم دیگر تبدیل سزا کا فرما سکتے ہیں٭

## باب اکیسواں

### اپیل کے بارہ میں

دفعہ ۱۴۳ جو محکمہ جات فوجداری اوپر لکھے گئے ہیں اُنمیں حاکماں و سپرنٹنڈنٹان اور کوتوال کا اپیل صدر عدالت فوجداری میں ہوگا اور فوجداری کا اپیل محکمۂ اپیل میں اور محکمہ اپیل و کورٹ سرداران کا اپیل محکمۂ خاص میں ہوگا٭

دفعہ ۱۴۴ جو اختیارات قطعی دیئے گئے ہیں اُنکا اپیل نہ ہوگا٭

دفعہ ۱۴۵ ہر اپیل

निसबत जिस को किसी अदालत से नाज़ारी या मशक्कत की सज़ा का हुक्म दिया गया हो कैद महज़ का हुक्म देकर तब्दील सज़ा का फ़रमा सक्ते हैं ॥

## इक्कीसवाँ बाब

### अपील के बारे में ॥

**दफ़ा १४३** जो फ़ौजदारी के महकमे ऊपर लिखे गये हैं उनमें हाकिमों व सुपरंटंडंटों और कोतवाल का अपील सदर अदालत फ़ौजदारी में होगा और फ़ौजदारी का अपील महकमे अपील में और अपील और कोर्ट सरदारान का अपील महकमे खास में होगा ॥

**दफ़ा १४४** जो अख़्तियारात क़तई दिये गये हैं उनका अपील न होगा ॥

**दफ़ा १४५** हर अपील लि

| | |
|---|---|
| بطریق عرضی تحریری کے اپیلانٹ یا اُسکے وکیل کی معرفت پیش ہوگا اور اُسکے ہمراہ نقل حکم اخیر عدالت جسکے حکم کی ناراضی سے اپیل ہوا ہے اور فرد موجبات اپیل مع کاغذات اسٹام رشتہ دوز کیے جاویں گے | रवीहुई अरज़ीके तरीके से अपीलांट या उस के वकील की मारफ़त पेश होगा और उस के साथ नकल हुक्म अख़ीर अदालत जिस के हुक्म की नाराज़ी से अपील हुआ है और फ़र्द अपील के उज़रों की मय इस्टाम्प के कागज़ों के नत्थी की जावे गी॥ |
| دفعہ ۱۴۶ اگر اپیلانٹ جیلخانہ میں ہو تو وہ اپنی عرضی اپیل اور نقول کو جو اُسکے ہمراہ ہوں افسر جیلخانہ کے پاس پیش کر سکتا ہے اور وہ اُس عرضی اور نقول کو عدالت میں جہاں اپیل ہوتا ہو مرسل کرے گا قیدی کو اسٹامپ معاف رہیگا۔ | **दफ़ा १४६** अगर अपीलांट जेलखाने में हो तो वह अपील की अरज़ी और नक़लों को जो उस्के साथ हों जेलखाने के अफ़सर के पास पेश कर सक्ता है और वह उस अरज़ी और नक़लों को अदालत में जहां अपील हो ताहो भेजे गा क़ैदी को इस्टाम्प माफ़ रहे गा॥ |
| دفعہ ۱۴۷ عرضی اپیل اور نقول کے وصول ہونے پر عدالت سماعت کنندہ اپیل اُس کو پڑھے گی۔ | **दफ़ा १४७** अरज़ी अपील और नक़लों के वसूल होने पर अपील की सम्मात करने वाली अदालत उसको पढ़े गी |

اور اگر وہ خیال کرے کہ کافی
وجہ دست اندازی کی نہیں ہے
تو اپیل کو بطور سرسری کے
نامنظور کر سکتی ہے

دفعہ ۱۴۸ اگر عدالت
اپیل بطور سرسری اپیل
کو نامنظور نکرے تو اپیلانٹ
یا اُسکے وکیل کو اطلاع دیگی
کہ فلاں وقت اور موقع پر
اپیل سماعت کیا جاویگا۔

دفعہ ۱۴۹ جب اپیل
لائق سماعت کے ہو اور
مسل اُسکی محکمہ ماتحت سے
طلب کی جاوے تو عدالت اپیل
سے عذرات اپیلانٹ پر نظر
ہوکر اگر وہ واجب پائے جاویں
تو اُسکی تجویز منسوخی یا بحالی
یا ترمیم وغیرہ کے جیساکہ
مناسب معلوم ہو کیجاوے
اور اگر کوئی امر تحقیقات
محکمہ ماتحت

और अगर वह ख़याल करे
कि दस्तंदाज़ी की काफ़ी वजह
नहीं है तो अपील को बतौर स
र सरी के नामंज़ूर कर सक्ती है

दफ़ा १४८ अगर अदालत
अपील बतौर सर सरी अपील
को नामंज़ूर न करे तो अपीलांट
या उसके वकील को इत्तला देगी
कि फ़लाने वक्त और मौके पर अ
पील सुना जावेगा॥

दफ़ा १४९ जब अपील ला
यक़ समाअत के हो और मिस
ल उस की महकमे मातहत से
मंगाई जावे तो अदालत अपील
से अपीलांट के उज़रों पर नज़र हो
कर अगर वह वाजिब पाये जा
वें तो उस की तजवीज़ मनसू
ख़ी या बहाली या तरमीम वगै
रा की जैसा कि मुनासिब मा
लूम हो की जावे अगर कोई अ
मर तहक़ीक़ात महकमे मातहत

میں باقی رہ گیا ہو یا اور
کوئی امر اپیلانٹ نے اپیل میں
زیادہ ظاہر کیا ہو تو اُس کی
تحقیقات کا اپیل مجاز ہے
چاہیئے وہ خود تحقیقات
کرے یا محکمۂ ماتحت کی
معرفت کرائے از سرِ نو کل
مقدمہ کی تحقیقات کا محکمۂ اپیل
مجاز ہوگا*
دفعہ ۱۵۰ کمی سزا کا
حسب حیثیت جرم اور
تحقیقات کے محکمۂ اپیل
مجاز ہے مگر بیشی سزا کا
اختیار سوائے محکمہ خاص
کے نہیں ہے*
دفعہ ۱۵۱ اگر کسی شخص پر
سزا تجویز ہوئی ہے اور
اُس نے اپیل کیا ہو تو
عدالت اپیل مجاز ہے کہ
اگر مناسب جانے تو تعمیل
سزا کو تا ختم تحقیقات

में वाकी रह गया हो या और को
ई अमर अपीलांट ने अपील में
जियादा जाहिर किया हो उसकी
तहक़ीक़ात का अपील मजाज़
है चाहे वह खुद तहक़ीक़ात करे
या महकमे मातेहत की मारफ़त
करावे नये सिरेसे कुल मुकद्दमे
की तहकीक़ात का महकमे अ
पील मजाज न होगा॥
दफा १५० बमूजिब हैसियत
जुर्म के सजा का कम करना और त
हकीक़ात का महकमे अपील म
जाज़ है मगर सज़ा जियादा कर
ने का अख्तियार सिवाय महक
मे खास के नहीं है॥
दफ़ा १५१ अगर किसी श
ख्स पर सज़ा की तजवीज़ हुई है
और उसने अपील किया हो तो अ
दालत अपील मजाज़ है कि
अगर मुनासिब जाने तो तामी
ल सज़ा को अपील की तहक़ी

اپیل ملتوی کرا دے ❖
دفعہ ۱۵۲ میعاد اپیل کی اُس تاریخ سے کہ جس روز حکم سُنایا جاوے ایک مہینے کی ہے اُس کے اندر اپیل ہو سکے گا اور اگر اُس میعاد میں کوئی شخص کسی وجہ سے دایر کرنے اپیل سے معذور ہو تو حفظ میعاد کے واسطے عرضی اپنی مع وجوہ معقول کے پیش کر دے مجسٹریٹ بعد غور کے حکم میعاد کا دیدیوے مگر پندرہ یوم سے زیادہ میعاد نہیں دے سکتا ہے ❖
دفعہ ۱۵۳ مقدمات اپیل روز دایر ہونے سے تین مہینے کے اندر فیصل ہو جانے چاہیئے اور اگر کوئی وجہ خاص ہو تو اُسکی وجہ درج حکم اخیر کی جاوے ❖

## باب بائیسواں

क़ान होनेतक मुल्तवी करा दे।
**दफ़ा १५२** अपील की मयाद उस तारीख़ से कि जिस रोज़ हुक्म सुनाया जावे एक महीने की है उसके अंदर अपील होसकेगा अगर इस मयाद में कोई शख़्स किसी वज्ह से अपील दायर करने से लाचार होतो मयाद क़ायम रखने के वास्ते अरज़ी अपनी मय माकूल वजूहात के पेश करदे मजिस्ट्रेट बाद ग़ौर के हुक्म मयाद का देदेवे मगर १५ दिन से ज़ियादा मयाद नही दे सक्ता है॥
**दफ़ा १५३** अपील के मुकद्दमे दायर होने की तारीख़ से तीन महीने के अंदर फ़ैसल होने चाहिये अगर कोई ख़ास वज्हे हो तो उसकी वज्हे हुक्म अख़ीर में दर्ज की जावे॥

## बाईसवां बाब॥

## درباب استصواب نگرانی

دفعہ ۱۵۴ مجسٹریٹ یا حاکم اپیل اگر مناسب سمجھے تو کسی بات ضروری کو جو کسی مقدمہ کی سماعت میں پیدا ہوئی ہو محکمہ خاص میں استصواب کے لیئے بھیج سکتا ہے یا کسی ایسے مقدمہ میں بشرط پابندی اس فیصلہ کے جو محکمہ خاص استصواب پر صادر کرے فیصلہ کر سکتا ہے اور محکمہ خاص کا فیصلہ صادر ہو لینے تک ملزم کو سپرد جیلخانہ کر سکتا ہے یا حکم اخیر کے وقت عند الطلب حاضر ہونے کی ضمانت لیکر رہا کر سکتا ہے۔

دفعہ ۱۵۵ جب ایسی بات واسطے صلاح پوچھنے کے محکمہ

## इसतसवाब ओर निगरानी के बयान में

दफ़ा १५४ मजिस्ट्रेट या हाकिम अपील अगर मुनासिब समझे कि किसी बात ज़रूरी को जो किसी मुक़द्दमे की समाअत में पैदा हुई हो महकमे ख़ास की राय में इसतसवाब के लिये भेज सक्ता है या किसी ऐसे मुक़द्दमे में बशर्त पाबंदी उस फ़ैसले के जो महकमा ख़ास इसतसवाब पर सादर करे फ़ैसला कर सक्ता है ओर महकमे ख़ास का फ़ैसला सादर होने तक मुलज़िम को सुपुर्द जेलख़ाने कर सक्ता है या हुक्म अख़ीर के वक्त तलब करने के वक्त हाज़िर होने की ज़मानत लेकर उस को छोड़ सक्ता है॥

दफ़ा १५५ जब ऐसी बात वास्ते सलाह पूछने के महकमे में

आला में भेजी जावे तो महकमे मसदूह को लाज़िम है कि उसके निसबत जो हुक्म मुनासिब समझे सादर फ़रमावे और एक नक़ल हुक्म मज़कूर की उस मजिस्ट्रेट के पास भेज दे कि जिसने सलाह पूंछी हो और मजिस्ट्रेट मज़कूर उस हुक्म की पाबंदी से मुक़द्दमे को फ़ैसल करैगा

दफ़ा २५६ महकमा खास मजाज़ है कि किसी अमर कानूनी की दरयाफ़त या खिलाफ़ क़ायदे काररवाई की सिहत करने के वास्ते चाहे जिस महकमे से मिसल को वास्ते मुलाहिज़े के तलब फ़रमावे लेकिन महकमे खास को इस का बेशक ख्याल रहेगा कि बेसबब व कवी और बग़ैर सबूत कामिल के किसी अदालत से बनज़र

اعلے میں بھیجی جاوے تو محکمۂ ممدوح کو لازم ہے کہ اسکی نسبت جو حکم مناسب سمجھے صادر فرماوے اور حکم مذکور کی ایک نقل اس مجسٹریٹ کے پاس بھیجدے جس نے صلاح پوچھی ہو اور مجسٹریٹ مذکور اس حکم کی پابندی سے مقدمہ کو فیصل کریگا

دفعہ ۲۵۶ محکمۂ خاص مجاز ہے کہ کسی امر قانونی کے دریافت یا خلاف قاعدہ کارروائی کے صحت کرنے کے واسطے چاہے جس محکمہ سے مسل کو واسطے ملاحظہ کے طلب فرماوے لیکن محکمۂ خاص کو اس کا بیشک خیال رہیگا کہ بے سبب قوی کے اور بغیر ثبوت کامل کے کسی عدالت سے بنظر

جاوے اور اسکی اطلاع یابی
کرائی جاوے کوئی حکم کہ
جسمیں مجرم کو سزائے قید
دیجاوے اسکی غیرحاضری
میں صادر نہو

دفعہ ۱۶۱ ہر فیصلہ کو
مجسٹریٹ دیسی یا اردو زبان
میں لکھا دیگا اور اسمیں ہر
ایک امر تصفیہ طلب اور اسکا
فیصلہ مع وجوہات کے قلمبند
کریگا اور تاریخ اور دستخط
مجسٹریٹ کی قلم سے بروقت
سنانے فیصلہ کے سر
اجلاس کیئے جاوینگے اور
فیصلہ میں جرم کی تقریح
مطابق مندرجہ نقشہ ضمیمہ
نمبر ۲ و ۳ لکھی جاویگی اور اگر
مجرم بری کیا جاوے تو
وجوہات بریت جرم کی
صراحت ہوگی

دفعہ ۱۶۲ بعد لکھے جانے

जावे और उसकी इत्तलायाबी
कराई जावे कोई हुक्म कि जि
समें मुजरिम को कैद की स
ज़ा दी जावे उसकी गैरहाज़
री में सादर नहो ॥

**दफ़ा १६१** हर मुकद्दमे को
मजिस्ट्रेट देसी या उर्दू ज़बानमें
लिखवेगा और उस में हर एक
अमर तस्फिया तलब और उ
सका फ़ैसला मये वजूहात के
लिखेगा और तारीख और
दस्तखत मजिस्ट्रेटकी कलम
से फ़ैसला सुनाने के वक्त सरे
इजलास किये जावेंगे और फ़ैस
ले में जुर्म का खुलासा मुताबि
क नकशाजात नम्बर २ व
३ के लिखा जावेगा और अगर
मुजरिम बरी किया जावे तो
जुर्म की बरियत के वजूहात
खुलासा होंगे ॥

**दफ़ा १६२** बाद लिखे जाने

फैसले के कोई फैसला बिला वजूहात खास के तबदील न होगा मगर नज़र सानी एक म हीने के अन्दर करने का हर एक अदालत को अख्तियार होगा मगर शर्त यह है कि फैसला न ज़र सानी बा वजूहात हो और नज़र सानी की वजह काफ़ी। लिखी जावे ॥

दफ़ा १६३ फैसले की इत्तला याबी के बाद एक महीने में अ गर फरीकैन से कोई दरख्वास्त अपील के वास्ते नकल हुक्म की करेगा तो दी जावेगी॥

दफ़ा १६४ फैसला शामिल मि सल होगा और दूसरी ज़बान में हो तो तर्जुमा उस का शामिल मिसल होगा ॥

## चौबीसवां बाब

### सज़ा के हुक्मों के बयान में ॥

فیصلہ کے کوئی فیصلہ بلا وجوہات خاص کے تبدیل نہوگا مگر نظر ثانی ایک مہینے کے اندر کرنے کا ہر ایک عدالت کو اختیار ہوگا الّا شرط یہ ہے کہ فیصلہ نظر ثانی باوجوہات ہو اور نظر ثانی کی وجہ کافی لکھی جاوے

دفعہ ۱۶۳ اطلاعیابی فیصلہ کے بعد ایک مہینے میں اگر فریقین سے کوئی درخواست نقل حکم واسطے اپیل کے کریگا تو دی جاویگی

دفعہ ۱۶۴ فیصلہ شامل مسل ہوگا اور زبان دیگر میں ہو تو ترجمہ شامل مسل ہوگا

## باب چوبیسواں

### احکامات سزا

دفعہ ۱۶۵ حاکمان یا
سپرنٹنڈنٹان ہرایک وہ مسل
کہ جو اُنکے حدّ اختیار سے
باہر ہو عدالت میں بھیجیں گی
اور جو مقدمہ سنگین مثل قتل
و ڈکیتی و سکّہ قلب بنانا و
زہر خورانی و سرقہ بالجبر
وغیرہ ہوگا تو اُسکی مسل
کے ساتھ اسامیان
متعلقہ مقدمہ کو بھی مع
آلہ قتل یا حربہ وغیرہ روانہ
کرینگے تاکہ عدالت میں زیادہ
توقف بہ انتظار اسامیان کے
تجویز میں نہو اور عدالت
فوجداری اُن مقدمات کو
جو اُس کے اختیار سے
باہر ہوں ثبوت جرم پر
سوائے اُن مقدمات
کے کہ جن کی تجویز محکمہ
خاص میں ہوگی محکمہ
مجاز میں بھیجے

दफा १६५ हाकिम या सुपरंट
इंट हर एक वह मिसल कि जो
उनके हद्द अख्तियार से बाहर
हो अदालत बाला में भेजेंगे औ
र जो मुकद्दमे संगीन मिसल क
तल व डकैती व सिक्का कल
ब बनाना व ज़हर खुरानी व
सिरका बिल जब्र वगैरे होगा
तो उसकी मिसल के साथ मुक
द्दमे की आसामी मये हथिया
र कतल वगैरा के रवाने करें
गे ताकि अदालत में जिया
दा देर आसामियों की इंत
ज़ारी के सबब से तजवीज़ में
नहो और अदालत फौजदा
री उन मुकद्दमात को जो उस
के अख्तियार से बाहर हों जु
र्म साबित होने पर सिवाय
उन मुकद्दमों के कि जिन की
तजवीज महकमे ख़ास में हो
गी महकमे मजाज़ में भेजे

गी ॥
दफ़ा १६६ मौत या उमर
कैद की सज़ा की तजवीज़ कर
ने का किसी महकमे को अख़्ति
यार नहीं है सिर्फ़ महकमे ख़ा
स ऐसे मुकद्दमें में बमूजिब
मंज़ूरी और हुक्म श्री हज़ू
र के कारवाई करने का म
जाज़ होगा ॥
दफ़ा १६७ श्री दरबार अ
गर मुनासिब ख्याल फ़र्मावें
तो मुजरिम को मौत की सज़ा के
बदले उमर कैद का हुक्म सा
दिर फर्मावें और अगर श्री द
रबार को माफ़ करना मंज़ूर हो
तो माफ़ भी फर्मा सक्ते हैं ॥
दफ़ा १६८ इस किसम के
मुकद्दमों की इब्तदाई कार र
वाई सदर अदालत फ़ौजदारी
मे होगी और वहां से मिस
ल पूरी तहकीकात के बाद

گی ÷
دفعہ ۱۶۶ سزائے موت
یا دائم الحبس کی تجویز کرنے
کا اختیار کسی محکمہ کو نہیں ہے
صرف محکمۂ خاص ایسے
مقدمات میں حسب منظوری
اور حکم بندگان سرکار حضور پُرنور
کے کارروائی کرنے کا مجاز
ہوگا ÷
دفعہ ۱۶۷ سری دربار
اگر مناسب خیال فرمائیں
تو مجرم کو بجائے سزائے
موت کے حکم قید دائم الحبس کا
صادر فرماویں اور اگر سری دربار
کو معافی منظور خاطر انور ہو تو
معاف بھی فرما سکتے ہیں۔
دفعہ ۱۶۸ اس قسم کے
مقدمات کی کارروائی ابتدائی
صدر عدالت فوجداری میں
ہوگی اور وہاں سے مسل بعد
تکمیل کل مدارج تحقیقات

کے تجویز سزا کے لیے
محکمہ خاص میں بھیج دینے
کے واسطے ارسال محکمہ اپیل
ہو گی محکمہ اپیل کو اختیار ہے
کہ اگر مسل مذکور میں کوئی
فرو گذاشت دیکھے یا بابت
کسی امر اہم کی تحقیقات
مزید کئے جانے یا شہادت
مزید لئے جانے کی ضرورت
سمجھے تو اُس کی کارروائی
خود شروع کرے یا صدر عدالت
فوجداری کو وہ حکم لکھ بھیجے
اور یہی کارروائی ایسی صورت
میں محکمہ خاص بھی کر سکتا ہے اور
معرفت محکمہ اپیل یا صدر عدالت
فوجداری کے بھی کرا سکتا ہے

دفعہ ۱۴۹ صدر عدالت
فوجداری یا محکمہ اپیل کسی
مسل میں سزاے موت یا
قید دوام از حبس کی رائے دے
سکتا ہے مگر سرِ دربار کو اسکی

सज़ा की तजवीज़ के लिये महक
में ख़ास में भेज देने के वास्ते महक
में अपील में भेजेगी महकमे अ
पील को अख़्तियार है कि अगर
मिसल मज़कूर में कोई कसर दे
खे या किसी अमर की तहक़ी
क़ात ज़ियादा की जाने या गवा
ही ज़ियादा लिये जाने की ज़रूर
त समझे तो उसकी कारर वाई ख़ु
द शुरू करे या सदर अदालत फ़ौ
जदारी को वह हुक्म लिख भेजे औ
र यही कारर वाई ऐसी सूरत में म
हक में ख़ास कर सक्ता है और म
हक में अपील या सदर अदालत
फ़ौजदारी की मारफ़त भी करा
सक्ता है ॥

दफ़ा १४९ सदर अदालत
फ़ौजदारी या महकमे अपील
किसी मिसल में मौत या उमर
क़ैद की सज़ा की राय दे सक्ती है
मगर अब दरबार को उस की

منظوری یا نا منظوری کا اختیار ہے

دفعہ ۱۷۰ عدالت اپیل اگر مناسب خیال کرے تو عدالت فوجداری کی رائے کو کم و بیش کر سکتی ہے اور یہی اختیار محکمہ خاص کو بنسبت تجویز عدالت اپیل اور دوسری عدالتوں کے حاصل ہے۔

دفعہ ۱۷۱ عدالت فوجداری اپیل کی میعاد میں اور اگر اپیل کر دیا گیا ہو تو تا تجویز اخیر محکمہ اپیل کے اُس سزا کے عمل میں لانے کا حکم نہ دے گی۔

منज़ूरी या ना मंज़ूरी का अख़्तियार है॥

दफ़ा १७० अदालत अपील अगर मुनासिब ख़्याल करे तो फ़ौजदारी अदालत की राय को कम या ज़ियादा कर सक्ती है और यही अख़्तियार महकमे ख़ास को निस्बत तजवीज़ अदालत अपील और दूसरी अदालतों के हासिल है॥

दफ़ा १७१ अदालत फ़ौजदारी अपील की मयाद में और अपील कर दिया गया हो तो अपील की आख़ीर तजवीज़ होने तक उस सज़ा के तामील का हुक्म न देगी॥

## باب پچیسواں
## در باب تعمیل
## حکم

## पच्चीसवाँ बाब
## हुक्म की तामील के बयान में॥

دفعہ ۱۷۲ اگر کسی

दफ़ा १७२ अगर किसी

مقدمہ میں محکمہ خاص سے بحکم سریدربار کسی مجرم کو سزا موت دینے کا حکم ہو تو جس روز مسل ایسے مقدمہ کی واسطے تعمیل کے فوجدار کے پاس پہنچے تو فوجدار کو چاہیئے کہ چار دن کے بعد اور آٹھ دن سے پہلے تعمیل اسکی کر کے رپوٹ تعمیلی بھیجدے اور جو مجرم کوئی امر دوسرا واقعی ظاہر کرے تو اسکی اطلاع محکمہ خاص میں کر دے۔ اور جیسا حکم آوے اسکی تعمیل کرے سپرنٹنڈنٹ جیل کا بروقت تعمیل یعنی دیئے جانے پھانسی کے موجود ہونا ضرور ہے*

دفعہ ۱۷۳ جب کہ ملزم کو قید کی سزا کا حکم دیا جاوے تو وہ عدالت جو ایسا حکم دے فوراً مجرم کو مع

मुकद्दमें में बमूजिब हुक्म श्री दरबार महकमे ख़ास से किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा देने का हुक्म होतो जिस रोज़ ऐसे मुकद्दमे की मिसल तामील के वास्ते फ़ौजदार के पास पहुंचे तो फ़ौजदार को चाहिये कि चार दिन के बाद और ८ दिन से पहिले उस की तामील करके रिपोर्ट तामीली भेज दे और जो मुजरिम कोई दूसरा अमर वाकई ज़ाहिर करे तो उस्की इत्तला महकमे ख़ास में करदे और जैसा हुक्म आवे उसकी तामील करे जेलख़ाने के सुपरंटंडेंट का फांसी की तामील कराने के वक़्त मौजूद होना जरूर है॥

**दफा १७३** जबकि मुलज़िम को क़ैद की सज़ा का हुक्म दिया जावे तो वह अदालत जो ऐसा हुक्म दे फ़ौरन मुजरिम को मय

وارنٹ کے جیل خانہ میں
بھیج دیگی اور اگر مجرم پہلے سے
جیلخانہ میں قید ہو تو صرف وارنٹ
اُسکا جیلخانہ میں پہنچے گی ٭

دفعہ ۱۷۴ ہر وارنٹ
تعمیل حکم سزائے قید کا بنام
داروغہ جیل لکھا جاوے گا یا
دوسرے کے نام کہ جہاں
قیدی رکھا جاوے وارنٹ میں
تاریخ قید میں رکھنے اور اُس
قید کے منقضی ہونے کی
لکھی جاویگی تاکہ قیدی بعد
انقضائے میعاد فوراً رہائی
پا سکے اور داروغہ جیل خانہ
کو چاہیئے کہ ایک ٹکٹ چوبی
قیدی کو بموجب نقل وارنٹ
کے سونپ دے کہ وہ اُسکو ہر وقت
اپنے پاس رکھے ۔ اور مطلع
رہے ٭

دفعہ ۱۷۵ جب کسی
مجرم کو جرمانہ ادا کرنے

वारंट के जेल खाने में भेज देगी
और अगर मुजरिम पहिले से जेल
खाने में क़ैद हो तो सिर्फ़ वारंट
उस का जेल खाने से भेजे गी ॥

**दफ़ा १७४** हर एक वारंट ता
मील हुक्म सज़ाय क़ैद का जेल
खाने के दारोगे के नाम लिखा
जावे गा या दूसरे के नाम जिहां
क़ैदी रखा जावे वारंट में क़ैद रख
ने और उस क़ैद के पूरी हो जाने
की तारीख लिखी जावे गी ताकि
क़ैदी मयाद पूरी होने के बाद फ़ौ
रन रिहाई पास के और जेल
खाने के दारोगे को चाहिये
कि एक लकड़ी का टिकट क़ै
दी को वारंट की नक़ल के बमू
जिब सोप दे कि वह उसको अप
ने पास हर वक्त रखे और वाकि
फ़ रहे

**दफ़ा १७५** जब किसी मुज
रिम को जुर्माना दाखिल करने

| | |
|---|---|
| کا حکم دیا جاوے اور وہ جرمانہ فوراً داخل نکرے تو اُسکے عوض مجرم کو سزائے قید دی جاویگی جسکی تشریح یہ ہے | का हुक्म दिया जावे और वह जु र्माना फौरन दाखिल न करे तो उसकी एवज़ मुजरिम को क़ैद की सज़ा दी जावे गी जिसकी शरह यह है ॥ |
| (الف) اگر جرمانہ پچاس روپیہ تک ہے تو قید ایک مہینے سے زیادہ نہوگی۔ | (क) अगर जुर्माना ५० रुपे तक है तो कैद १ महीने से ज़िया दा न होगी ॥ |
| (ب) اگر جرمانہ سو روپیہ تک ہے تو دو مہینے سے زیادہ قید نہوگی۔ | (ख) अगर जुर्माना १०० रुपे तक है तो कैद २ महीने से ज़िया दा न होगी ॥ |
| (ج) اگر جرمانہ دو سو روپیہ تک ہے تو قید چار مہینے سے زیادہ نہوگی | (ग) अगर जुर्माना २०० रुपे तक है तो कैद ४ महीने से ज़िया दा न होगी ॥ |
| (د) اگر جرمانہ پانچسو روپیہ تک ہے تو قید پانچ مہینے سے زیادہ نہوگی اور کسی حالتمیں چھ مہینے سے زیادہ قید کی سزا بعوض جرمانہ نہ دی جاویگی | (घ) अगर जुर्माना ५०० रुपये तक है तो क़ैद ५ महीने से ज़िया दा न होगी और किसी हाल में छः महीनों से ज़ियादा कैद की सज़ा जुर्माने की एवज़ न दी जा वे गी ॥ |
| دفعہ ۱۶۷ اگر کسی مسل | दफ़ा १६७ अगर किसी सि |

میں ایسا حکم ہو کہ مجرم بصورت عدم ادائے زر جرمانہ قید کیا جاوے اور وہ بروقت اجرائے وارنٹ اقرار ادائے جرمانہ کرکے مہلت طلب کرے تو اُس کو مہلت پندرہ روز سے ایک مہینے تک مع ضمانت یا بلا ضمانت کے دی جاوے اور اُس میعاد میں اگر وہ جرمانہ داخل نہ کرے تو فوراً سزائے قید کے حکم کی تعمیل کرانے کو وارنٹ جاری کیا جاویگا اور اگر مجرم ادائے جرمانہ سے پہلے کسی قدر میعاد قید بھگت چکا ہو یعنے بحصہ چہارم تو چہارم حصہ جرمانہ کا اُس کو معاف ہوگا اور اسی طرح اگر نصف یا پورن قید بھگت

सूरत में ऐसा हुक्म हो कि मुजरिम जुर्माने का रुपया दाखिल न करे तो क़ैद किया जावे और वह वारंट जारी होने के वक्त जुर्माने का रुपया दाखिल करने का इक़रार करके मोहलत मांगे तो उसको मोहलत पन्द्रह रोज़ से एक महीने तक की मय ज़मानत या बिला ज़मानत के दी जावे और उस मयाद में अगर वह जुर्माना दाखिल न करेगा तो फ़ौरन कैद की सज़ा के हुक्म की तामील करने को वारंट जारी किया जावेगा और अगर मुजरिम जुर्माना दाखिल करने से पहिले किसी क़दर कैद की मयाद भुगत चुका हो यानी चौथाई हिस्सा तो जुर्माने का चौथा हिस्सा उस को माफ़ होगा और इसी तरह अगर आधी या पूरी कैद भुगत

| | |
|---|---|
| چکا ہو تو اُسی قدر حصّہ جرمانہ کا اُس کو معاف کیا جاویگا اور اگر چہارم حصّہ سے کم قید بھگتی ہو تو وہ ایام مجرا نہوں گے ॥ | चुका हो तो उसी कदर जुर्माने का हिस्सा उस को माफ़ किया जावेगा और अगर चौथाई हिस्से से कम कैद भुगती हो तो वे दिन मुजरे न होंगे ॥ |
| دفعہ ۱۷۷ جبکہ ملزم کو صرف سزائے بید کا حکم دیا جاوے تو اُسکی تعمیل عدالت یا جیل خانہ میں بموجودگی سپرنٹنڈنٹ جیل کی جاوے کہ دوسرے قیدیوں کو بھی عبرت ہو لیکن بروقت سزا دہی تازیانہ ڈاکٹر کا سارٹیفکٹ ضرور ہونا چاہیئے کہ آیا ملزم طاقت برداشت سزائے بید رکھتا ہے یا کس طرح اور اقوام برہمن و راجپوت کو سزائے تازیانہ سے بموجب حکم محکمۂ اعلےٰ مندرجہ پرچہ مورخہ اساڑھ سودی ۶ سمت ۱۹۳۸ اسمی عدالت | दफ़ा १७७ जब कि मुलज़िम को सिर्फ़ बेद की सज़ा का हुक्म दिया जावे तो उसकी तामील अदालत या जेलखाने में सुपरंटंडंट जेल की मौजूदगी में की जावे कि दूसरे कैदियों को भी इबरत हो लेकिन बेद की सज़ा देने के वक़्त डाकटर का साटीफ़िकट जरूर होना चाहिये कि आप मुलज़िम बेद की सज़ा साहिने की ताक़त रखता है या किस तरह और ब्राह्मन व राजपूत ताज़ियाने की सज़ा से बमूजिब हुक्म महकमे आला परचे मिति आषाढ़ सुदि ६ सम्बत् १९३८ इसमी अदालत |

| فوجداری کے مستثنے کیا گیا ہے وہ بدستور بری رہیں گے اور عورت کو بھی سزاے تازیانہ نہوگی + | न फ़ौजदारी के मुस्तसना याने बरी किये गये हैं वह बदस्तूर बरी रहेंगे और औरत को भी ताज़ियाने की सज़ा न होगी ॥ |
|---|---|
| **دفعہ ۱۷۸** جب کہ حکم سزا کی تعمیل ہو جاۓ تو داروغہ جیل خانہ یا دوسرا افسر یا ناظر عدالت جس نے اس تعمیل کو کیا ہو وارنٹ کو اس کی پشت پر تعمیل کی رپوٹ لکھہ کے اسی عدالت میں بھیجدے گا + | **दफ़ा १७८** जब कि सज़ा के हुक्म की तामील हो जावे तो जेलख़ाने का दरोगा या दूसरा अफ़सर या नाज़र अदालत जिसने उस तामील को किया हो वारंट को उस्के पुश्त पर तामील की रिपोर्ट लिख के उसी अदालत में भेज कर शामिल मिसल करेगा ॥ |
| **دفعہ ۱۷۹** مجسٹریٹ درجہ اول یا اپیل مناسب خیال کرے کہ کسی کارروائی مسل کا معاینہ کرنے پر اس معاینہ کے نتیجہ کی رپوٹ محکمۂ خاص کی اطلاع کیواسطے کرنی ضرور ہے تو کرسکتا ہے اور جب اس | **दफ़ा १७९** मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल या अपील मुनासिब ख़्याल करै कि किसी मिसल की काररवाई का मयाना करने पर उस मायने के नतीजे की रिपोर्ट महकमे ख़ास के हुक्म के वास्ते करनी ज़रूर है तो कर सक्ता है और जब उस |

رپوٹ میں سفارش ہو
کہ کوئی حکم سزا کا
منسوخ کیا جاوے تو حکم
دے سکتا ہے کہ اس حکم سزا
کی تعمیل ملتوی کی جاوے
اور اگر ملزم قید میں ہو تو
وہ ضمانت پر یا مچلکہ پر رہا
کیا جاوے۔

دفعہ ۱۸۰۔ جو مسل
محکمہ اعلے سے واسطے
ملاحظہ کے طلب ہو اُسمیں
کمی بیشی سزا اور
منسوخی تجویز محکمہ جات
ماتحت کا محکمہ اعلے کو اختیار
ہوگا۔

## باب چھبیسواں

دربارہ اشخاص فاتر العقل

دفعہ ۱۸۱ اگر کسی مجسٹریٹ کو
اثنائے تحقیقات میں معلوم
ہو کہ ملزم فاتر العقل

रिपोर्ट में सिपारस हो कि कोई
हुक्म सज़ा का मनसूख किया
जावे तो हुक्म दे सक्ता है कि
उस सज़ा के हुक्म की तामील
मुल्तवी की जावे और अगर
मुल्ज़िम क़ैद में हो तो वह ज़
मानत पर या मुचलके पर रिहा
किया जावे॥

दफ़ा १८० जो मिसल महकमे
आला से वास्ते मुलाहिज़े के म
गाई जावे उसमें सज़ा की कमी
बेशी और मातहत महकमों
की तज़वीज़ को मनसूख कर
ने का महकमे आला को अख़ति
यार होगा॥

## छब्बीसवाँ बाब

दीवाने शख़्सों के बयान में

दफ़ा १८१ अगर किसी मजि
स्ट्रेट को दौरान तहक़ीक़ात
में मालूम हो कि मुल्ज़िम फातर

ہے تو ڈاکٹر سے اُس کی
تصدیق کر لی جاوے اور
بعد صداقت ڈاکٹر کے اگر
مجسٹریٹ کی رائے ہو کہ وہ
ملزم فاتر العقل ہے اور
اسی وجہ سے وہ اپنی
جوابدہی کرنے کے قابل
نہیں ہے تو مقدمہ میں
کارروائی مزید ملتوی
کرے

دفعہ ۱۸۲ جس مقدمہ
میں کہ بموجب دفعہ ماسبق
کارروائی مزید ملتوی کیجاوے
تو مجسٹریٹ کو لازم ہے کہ
اگر وہ مقدمہ لایق ضمانت ہو
تو ملزم کو ضامن معتبر کے
سپرد کرکے اُس سے
ضمانت نامہ لکھا لے کہ وہ
شخص کسی کو نقصان
نہیں پہنچا سکے گا اور
ہم اسکی خبرگیری

रुल अकल यानी दीवाना है तो
डाकटर से उस की तसदीक़ क
रली जावे और डाकटर की त
सदीक़ होने के बाद अगर म
जिस्ट्रेट की राय हो कि वह मु
लज़िम दीवाने है और इसी
वजह से वह अपनी जवाब दे
ही कर ने के काबिल नहीं है।
तो मुकद्दमे में कार रवाई मु
ल्तवी करे गा॥

दफ़ा १८२ जिस मुकदमे में।
कि ऊपर लिखी हुई दफ़ा के बमू
जिब कार रवाई मुल्तवी की जावे
तो मजिस्ट्रेट को लाज़िम है कि।
अगर वह मुक़द्दमा ज़मानत के
लायक़ हो तो मुलज़िम को ज़ा
मिन मोतबिर के सिपुर्द क
र के उससे ज़मानत नामा।
लिखाले कि वह शख्स किसी
को नुकसान नहीं पहुंचा सके
गा और हम उस की खबर गीरी

और इलाज बखूबी करेंगे और
बुलाने के वक्त अदालत में हा
ज़िर कर देंगे ॥
दफ़ा १८३ जो मुकद्दमे ज़मा
नत के लायक़ नहीं हैं उनमें अ
दालत महकमे खास से रिपोर्ट
करेगी और महकमे मौसूफ़ हु
क्म देगा कि मुलज़िम पागलखा
ने में या दूसरे माकूल मुक़ाम हि
रासत में रखा जावे उस्के मु
वाफ़िक़ तामील होगी ॥
दफ़ा १८४ जो तहक़ीक़ात
या तजवीज़ ऊपर लिखी हुई द
फ़ा के बमूजिब मुल्तवी की
जावे तो मजिस्ट्रेट या हाकिम
अपील किसी वक्त तहक़ीक़ात
या तजवीज़ को फिर जारी कर
सके हैं और मुलज़िम को अप
ने रूबरू बुलाने का हुक्म दे स
के हैं मगर ऐसे बीमार की रि
पोर्ट हफ़्तेवार ज़ामिनों की, न

اور علاج بخوبی کرینگے اور
بروقت طلبی عدالت میں
حاضر کردیں گے ٭
دفعہ ۱۸۳ مقدمات
ناقابل ضمانت میں عدالت
محکمۂ خاص کو رپوٹ کرے
گی اور محکمہ موصوف حکم دیگا
کہ ملزم پاگل خانہ میں یا
دوسرے معقول مقام
حراست میں رکھا جاوے
اُسکے موافق تعمیل ہوگی ٭
دفعہ ۱۸۴ جو تحقیقات
یا تجویز کہ حسب دفعات
ماسبق ملتوی کی جاوے
تو مجسٹریٹ یا حاکم اپیل
کسی وقت تحقیقات یا تجویز
کو پھر جاری کرسکتے ہیں اور
ملزم کو اپنے روبرو طلب
کئے جانے کا حکم دے
سکتے ہیں مگر ایسے بیمار کی
رپوٹ ہفتہ وار جانب ضامنان

یا اگر ملزم جیلخانہ میں ہو تو ڈاکٹر جیلخانہ کی طرف سے ہونی چاہیئے*

دفعہ ۱۸۵ جب کہ ملزم عدالت میں حاضر ہو یا پھر لایا جاوے اور عدالت اُس کو جوابدہی کرنے کے قابل خیال کرے تو تحقیقات اور تجویز جاری کی جاوے*

دفعہ ۱۸۶ جب کہ ملزم تحقیقات اور تجویز کے وقت صحیح العقل معلوم ہو اور شہادت سے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جاوے اور اُس کو اطمینان ہو کہ ملزم نے ایسے فعل کا ارتکاب کیا جو اگر وہ صحیح العقل ہوتا تو جرم ہوتا اور وہ شخص اُس وقت

रफ़ से या अगर मुलज़िम जेलखाने में हो तो जेलखाने के डाक्टर की तरफ़ से होनी चाहिये॥

**दफ़ा १८५** जब कि मुलज़िम अदालत में हाज़िर हो या फिर लाया जावे और अदालत उस को जवाबदिही करने के काबिल ख्याल करे तो तहकीकात और तजबीज़ जारी की जावे॥

**दफ़ा १८६** जब कि तहकीकात और तजवीज के वक्त मुलज़िम की अक्ल दुरुस्त मालूम हो और गवाही से मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जावे और उसको तसल्ली हो कि मुलज़िम ने ऐसे जुर्म का इर्तकाब किया कि अगर वह दुरुस्ती अक्ल की हालत में करता तो जुर्म होता और वह शख्स उस वक्त

جبکہ فعل کا ارتکاب کیا گیا
فاترالعقلی سے اُس فعل
کی نوعیت یا اس امر کی
جاننے کو کہ وہ بیجا یا خلاف
قاعدہ ہے قابل نہ تھا تو
مجسٹریٹ کارروائی مقدمہ کی
جاری کرے گا اور اگر
ملزم عدالت اپیل یا محکمہ
خاص کو سپرد کیا جانا
چاہیئے تو اُس کی تجویز
کے واسطے عدالت اپیل
یا محکمہ خاص کو بھیجے
گا۔

دفعہ ۱۸۷ اگر ایسا شخص
جو حسب شرائط مرقومہ بالا
قید کیا گیا ہو یا ضمانت پر
رکھا گیا ہو اور داروغہ
جیل مع رپورٹ ڈاکٹر
یا ضامن اُس امر کی
تصدیق کرے کہ شخص
مذکور جواب دہی

जबकि जुर्म का इर्त्तकाब कि-
या गया दीवानगी से उस जुर्म।
को अस्लियत या इसबात के
जानने को कि वह बेजा या खि
लाफ़ क़ानून है काबिल न
था तो मजिस्ट्रेट कार रवाई
मुक़द्दमें की जारी करेगा और
अगर मुल्ज़िम को अदालत
अपील या महकमें खास के
सिपुर्द करना चाहे तो उस्की त
जवीज़ के वास्ते अदालत।
अपील या महकमें ख़ास में
भेजेगा॥

दफ़ा १८७ अगर ऐसा श-
ख्स ऊपर लिखी हुई शर्तों
के मुवाफ़िक़ क़ैद किया ग
या हो या ज़मानत पर रखा
गया हो और दारोग़ा जेल ख़ा-
ना मये रिपोर्ट डाकटर या ज़ा
मिन इस अमर की तसदीक
करे कि शख्स मज़कूर जवाब

दिहीकरनेके क़ाबिल है तो श़ख़्स मज़कूर मजिस्ट्रेट के रूबरू हाज़िर किया जाय गा और मजिस्ट्रेट रिपोर्ट उसकी महकमे ख़ास को करेगा और महकमे ख़ास हुक्म देगा कि वह रिहा किया जावे या हिरासत में रखा जावे॥

کرنے کے قابل ہے تو شخص مذکور مجسٹریٹ کے روبرو حاضر کیا جاوے گا اور مجسٹریٹ رپورٹ اسکی محکمہ خاص کو کرے گا اور محکمہ خاص حکم دیگا کہ وہ رہا کیا جاوے یا حراست میں رکھا جاوے۔

# मत्ताईसवां बाब

# باب ستائیسواں

## बाबत करने कार रवाई उन जुर्मों के जो ख़िलाफ़ शान अदालत के हों

## کارروائی متعلقہ بعض جرائم جو خلاف شان عدالت ہوں

दफ़ा १८८ जब किसी अदालत दीवानी या फ़ौजदारी या माल के रोबरू जुर्म तौहीन अदालत या तहक़ीर मुलाज़िमान राज यानी राज के मुलाज़िमों का अपमान करने का इर्तिकाब हो तो वह अदालत कुछ इब्तदाई और ज़रूरी तहक़ी

دفعہ ۱۸۸ جب کسی عدالت دیوانی یا فوجداری یا مال کے روبرو جرم توہین عدالت یا تحقیر ملازمان راج ارتکاب ہو تو وہ عدالت کچھ ابتدائی ضروری تحقیقات

کرلنے کے بعد مقدمہ کو
تحقیقات اور تجویز کے لئے
مع مجرم کے مجسٹریٹ کے
پاس بہیج سکتی ہے اور
مجسٹریٹ حسب ضابطہ اُسکی
کارروائی کریگا مگر کورٹ
سرداران کو بموجب حکم مندرجہ
پرچہ مورخہ اساڑہ سودی ۴
سمت ۱۹۴۰ مقدمات توہین
عدالت اور عدول حکمی میں
پچاس روپیہ تک جرمانہ اورایک
مہینے تک قید کرنے کا اختیار
حاصل ہے جسکا اپیل نہ ہوگا
اور جو اِس سے سوا ہو اُسکا
اپیل محکمہ خاص میں ہوگا*
**دفعہ ۱۸۹** - اگر کوئی وقوعہ
حسب دفعہ سابق وقوع
میں آوے تو وہ مقدمہ سپرد
عدالت فوجداری کے
ہوگا اور عدالت فوجداری
اگر مناسب سمجھے کہ تجویز

क़ात करने के बाद मुक़द्दमे को
तहक़ीक़ात और तज्वीज़ के लि
ये मये मुजरिम के मजिस्ट्रेट के
पास भेज सक्ती है और मजिस्ट्रेट
ज़ाब्ते के मुआफ़िक़ उस की कार
रवाई करेगा मगर कोर्ट सरदारा
न को बमूजिब हुक्म मुन्दर्जे पर
चे मिती आसाढ़ सुदि ४ सम्बत् १९४०
मुक़द्दमात तौहीन अदालत और
अदूलहुक्मी में ५० रुपये तक जु
र्माना और एक माह तक की कै
द करने का अख़्तियार हासिल
है जिस का अपील न होगा और
इस से सिवाय हो उस का अपी
ल महकमे ख़ास में होगा ॥
**दफ़ा १८८** अगर कोई वक़ू
आ ऊपर लिखे हुये दफ़े के मु
आफ़िक़ होजावे तो वह मुक़द्द
मा अदालत फ़ौजदारी के सुपुर्द
होगा और अदालत फ़ौजदारी
अगर मुनासिब समझे कि तज

اس مقدمہ کی محکمۂ اپیل یا محکمہ خاص سے ہو تو وہ بعد تحقیقات مسل کو مع ملزم کے سپرد محکمۂ اپیل یا محکمہ خاص کے کردے *

دفعہ ۱۹۰ عدالتِ دیوانی اور مال جرائم مندرجہ ذیل میں جس کا ارتکا اُس کے مواجہہ میں کیا جاوے مجرم کو حراست میں کر سکتی ہے اور اُسی روز کسی وقت اُٹھنے عدالت سے پہلے جُرم کی سماعت کر سکتی ہے اور مجرم کو حسب حیثیت سزا دے سکتی ہے کہ جو پچاس روپیہ تک جرمانہ اور ایک مہینے تک قید سے نہ بڑھے *

(۱) کوئی دستاویز کسی سرکاری آدمی کو نہ دکھلانا جب کہ دکھلانا اُسکا واجب ہو *

वीज़ इस मुकद्दमे की महकमे अपील या महकमे खास से होवे वह तहकीक़ात मिसल को मये मुलजिम के महकमे अपील या महकमे खास के सुपुर्द कर दे ॥

दफ़ा १९० अदालत दीवानी और माल नीचे लिखे हुये जुर्मों में कि जिसका इर्तकाब उसके रूबरू किया जावे मुजरिम को हिरासत में कर सक्ती है और उसी रोज़ किसी वक़्त उठने अदालत से पहिले जुर्म की समाअत कर सक्ती है और मुजरिम को हैसियत के मुआफ़िक़ सज़ा दे सक्ती है कि जो ५० रुपये तक जुर्माना और एक महीने तक की क़ैद से जियादा न हो ॥

१ कोई दस्तावेज़ किसी सरकारी आदमी को न दिखलाना जब कि दिखलाना उस का वाजिब हो ॥

۲ بیان خود پر جو سرکاری ملازم کے روبرو کیا گیا دستخط کرنے سے انکار کرے

۳ حلف اٹھانے سے انکار کرنا جبکہ کوئی سرکاری ملازم باضابطہ حکم دے

۴ سرکاری آدمیوں کو جھوٹی خبر اس غرض سے دینا کہ اس سے کسی کو نقصان یا رنج پہنچے

۵ سوالات کے جواب دینے سے انکار کرنا

دفعہ ۱۹۱ ایسے ہر مقدمہ میں عدالت اُن واقعات کو جن سے جرم پیدا ہوا ہو اور جواب مدعا علیہ کا خلاصہ لکھ کے تجویز اور حکم سزا کو مفصل لکھے گی

دفعہ ۱۹۲ اگر مجرم

२ अपने बयान पर जो सरकारी मुलाज़िम के रूबरू किया गया हो दस्तख़त करने से इनकार करे ॥

३ हलफ़ उठाने से इनकार करना जबकि कोई सरकारी मुलाज़िम बाज़ाब्ता हुक्म दे ॥

४ सरकारी आदमियों को झूठी ख़बर इस ग़र्ज़ से देना कि उससे किसी को नुक़सान या रंज पहुंचे ॥

५ सवालात के जवाब देने से इनकार करना ॥

दफ़ा १९१ ऐसे हर मुक़द्दमें में अदालत उन बातों को कि जिन से जुर्म पैदा हुआ हो और मुद्दालेके जवाब का ख़ुलासा लिख कर तजवीज़ और सज़ा के हुक्म को मुफ़स्सल लिखेगी ॥

दफ़ा १९२ अगर मुजरिम

جرائم مندرجہ بالا میں حسب اطمینان عدالت تعمیل حکم کی کرلے تو عدالت اسکو معاف اور حوالات سے رہا کر سکتی ہے۔

دفعہ ۱۹۳ جو سزا کہ حسب دفعات ماسبق مجرم کو دی جاوے تو اسکا اپیل مجرم کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ حکم حدِّ اختیار مجوزہ سے زیادہ ہو اور جو حدّ اختیار میں سزا دی جاویگی تو اسکا اپیل نہیں ہوگا

## باب اٹھائیسواں

## عورتوں اور بچوں کی پرورش کے بارہ میں

دفعہ ۱۹۴ اگر کوئی شخص باوجود مقدور اپنی عورت یا اولاد کی پرورش

ऊपर लिखे हुवे जुर्मों में अदालत की तसल्ली के मुवाफ़िक़ तामील हुक्म की कर ले तो अदालत उस को माफ़ और हवालात से रिहा कर सक्ती है

दफ़ा १९३ जो सज़ा ऊपर लिखे हुवे दफ़ों के मुवाफ़िक़ मुजरिम को दी जावे तो उस का अपील मुजरिम कर सक्ता है मगर शर्त यह है कि वह हुक्म अख़्तियार मुक़र्ररा की हद्द से ज़ियादा हो और जो सज़ा हद्द अख़्तियार में दी जावे गी तो उसका अपील न होगा ॥

## अट्ठाईसवां बाब

## औरतों और बच्चों की परवरिश के बयान में

दफ़ा १९४ अगर कोई शख़्स बावजूद मक़दूर अपनी औरत या औलाद की परवरिश

نکرے تو مجسٹریٹ بعد تحقیقات
مناسب کے اُس شخص کو
حکم دے سکتا ہے کہ وہ
اپنی عورت اور اولاد
کی پرورش کے لئے کچھ
روزینہ بقدر اُسکے گزارہ کے
دیا کرے اور پھر بھی اگر وہ
ندے یا دینے سے انکار
یا ڈھیل کرے تو بزور عدالت
بندوبست اُسکے ادا کا کر سکتا ہے
مگر شرط یہ ہے کہ وہ عورت
جسکی پرورش یا نان نفقہ
کے واسطے حکم دیا گیا
بدکار نہو اور بلا وجہ قوی
اپنے شوہر سے علیحدہ نہ
رہتی ہو اور اگر ایسا ثابت
ہو جاوے تو مجسٹریٹ
اُس حکم کو منسوخ کر
سکتا ہے اور یہ بھی واضح
رہے کہ اِس دفعہ کی
رو سے کسی مجسٹریٹ کو

न करै तो मजिस्ट्रेट बाद तहक़ी
क़ात मुनासिब के उस शख्स
को हुक्म दे सक्ता है कि वह अप
नी औरत और औलाद की पर
वरिश के लिये उस्के गुज़ारे के मु
वाफ़िक रोज़ीना कुछ दिया क
रे और फिर भी अगर वह न दे-
या देने से इनकार या ढील करे
तो अदालत ज़ोर के साथ उस
के दिलाने का बन्दोबस्त करस
क्ती है मगर शर्त यह है कि
वह औरत जिस की परवरिश
या रोटी कपड़े के वास्ते हुक्म
दिया गया बदचलन नहो और
बगैर किसी माकूल वजह के
अपने खाविंद से अलहेदा न
रहती हो और अगर ऐसा सा
बित होजावे तो मजिस्ट्रेट उस
हुक्म को मनसूख कर क्ती है
और यह भी वाज़े रहे कि इस द
फ़े की रूसे किसी मजिस्ट्रेट को

پچاس روپیہ ماہوار سے زیادہ
دلانے کا اختیار نہیں ہے
اور اگر اُس عورت کی
قوم میں عورتیں مزدوری
وغیرہ کرتی ہوں تو وہ بھی
حسب رضامندی شوہر خود
مزدوری کرے گی *

دفعہ ۱۹۵ جو روزینہ کہ
حسب دفعہ ماسبق دلایا جاوے
وہ حالات اور شرائط
تبدّل کے ثبوت پر
مجسٹریٹ اُس روزینہ مقررہ
سے ایسا تبدّل مناسب
کرسکتا ہے کہ جو مناسب
وقت ہو مگر شرح ماہانہ
پچاس روپیہ سے زیادہ نہو
اور ایسا روزینہ حکم کی تاریخ
سے ملے گا *

## باب اُنیسواں

## دربارہ حاضر ضمانت

५०) रुपये माहवार से जियादा।
दिलाने का अख्तियार नहीं है
और अगर उस औरत की क़ौम
में औरतें मजदूरी वगैरा कर।
ती हों तो वह भी अपने ख़ाविंद
की रज़ा मंदी के मुआफ़िक़ म
जदूरी करेगी॥

**दफ़ा १९५** जो रोज़ीना कि
ऊपर लिखे हुये दफा के बमू।
जिब दिलाया जावे वह हालात
और शर्तें बदलने के सबूत पर म
जिस्ट्रेट उस मुकर्रिरा रोज़ीने से
ऐसी तब्दील मुनासिब कर सक्ता
है कि जो मुनासिब वक़्त हो
मगर शरह ५०) रुपये माहवा
र से ज़ियादा न हो और ऐसा रो
ज़ीना हुक्म की तारीख से मिले
गा॥

## उन्नीसवां बाब

## हाज़िर ज़मानत के बयान में

**دفعہ ۱۹۶** اگر مجرم ایسے جرم کا مجرم قرار دیا جاوے کہ جسکی ضمانت نہیں ہے اور ذریعہ وارنٹ کے وہ گرفتار ہو کر آوے تو دوران تحقیقات میں جو وہ ضمانت دینا چاہے اور عدالت مناسب سمجھے تو ضمانت اسکی لے سکتی ہے بشرطیکہ جرم کا ثبوت ایسا کمزور ہو کہ عدالت کی سمجھ میں آسکے بری ہو جانے کا یقین ہو اور اگر ایسا یقین ہووے کہ جرم اسکے اوپر ثابت ہے تو ضمانت پر رہا ہوگا۔

**دفعہ ۱۹۷** جب کوئی ملزم ضمانت یا خود اپنے مچلکہ پر رہا کیا جاوے تو اہلکار پولیس یا عدالت مجسٹریٹ کو چاہیئے کہ تحریر ضمانت یا مچلکہ سے

**दफ़ा १९६** अगर मुजरिम ऐसे जुर्म का मुजरिम क़रार दिया जावे कि जिसकी ज़मानत नहीं है और वह वारंट के ज़रिये से गिरफ़्तार हो कर आवे और दौरान तहक़ीक़ात में जो वह ज़मानत देना चाहे और अदालत मुनासिब समझे तो ज़मानत उसकी ले सकती है मगर शर्त यह है कि जुर्म का सबूत ऐसा कम ज़ोर हो कि अदालत की समझ में उसके बरी हो जाने का यक़ीन हो और अगर ऐसा यक़ीन होवे कि जुर्म उस के ऊपर साबित है तो ज़मानत पर रिहा न होगा॥

**दफ़ा १९७** जब कोई मुल्ज़िम ज़मानत या ख़ुद अपने मुचल्के पर रिहा किया जावे तो पुलिस के अहलकार या मजिस्ट्रेट अदालत को चाहिये कि ज़मानत या मुचल्का लिखे जाने से

| | |
|---|---|
| بیشتر تعداد مچلکہ مقرر کرکے بر وقت تحریر اُسمیں درج کردے اور جب وہ ضمانت پر رہائی پاوے تو ایک یا چند ضامنوں سے اُسکی ضمانت پر مچلکہ لکھا جاوے کہ فلانے وقت اور فلانے مقام پر حاضر کردینگے اور جو حاضر نکریں تو پورا مچلکہ ہم بھردیں گے۔ | पहिले तादाद मुचलका मुकर्रर करके लिखनेके वक्त उसमें दर्ज करदे और जब वह ज़मानत पर छोड़ा जावे तो एक या कई ज़ामिनों से उसकी ज़मानत पर मुचलका लिखा लिया जावे कि फलाने वक्त और फ़लाने मुक़ाम पर हाज़िर करदेंगे और जो हाज़िर न करें तो पूरा मुचलका हम भर देंगे॥ |
| دفعہ ۱۹۸ بعد تکمیل مچلکہ مندرجہ بالا کے ملزم حراست سے رہا کیا جاوے گا اور اگر ملزم جیلخانہ میں ہو تو عدالت بعد لینے ضمانت اور مچلکہ کے داروغہ جیلخانہ کے نام حکم اُس کی رہائی کا لکھے گی اور داروغہ تعمیل حکم کرکے اُسکو رہائی دے گا۔ | दफ़ा १९८ ऊपरलिखीहुई ज़मानतों के बमूजिब मुचलका लिखे जाने के बाद मुलज़िम हिरासत से रिहा किया जावे गा. और अगर मुलज़िम जेलखाने में हो तो अदालत बाद लेने ज़मानत और मुचलके के दारोगे जेलखाने के नाम उसके छोड़ देने का हुक्म लिखवे गी और दारोगा तामील हुक्म करके उस्को रिहाई देगा॥ |

دفعہ ۱۹۹ اگر غلطی یا
فریب یا اور وجہ سے غیر معتبر
ضامنان منظور کیے جاویں
یا اگر وہ بعد ازاں غیر معتبر
ہو جاویں تو عدالت وارنٹ
گرفتاری کا اس حکم سے
جاری کر سکتی ہے کہ وہ شخص
جو ضمانت پر رہا کیا گیا ہو
عدالت کے روبرو حاضر کیا جاوے
اور اس کو معتبر ضمانت
دینے کا حکم دے سکتی ہے اور
نہ دینے ضمانت پر سپرد جیلخانہ کر
سکتی ہے *

دفعہ ۲۰۰ اگر ضامنان
ملزمان رہائی یافتہ ضمانت
سے کل یا کوئی درخواست
نکال دینے ضمانت یا مچلکہ خود کے
کریں تو مجسٹریٹ شخص
ملزم کے نام وارنٹ جاری
کرے گا اور بروقت حاضری
اسکے دوسری ضمانت اور مچلکہ

दफ़ा १९९ अगर गलती या
फरेब या किसी और वजह से
बे ऐतबारी ज़ामिन मंजूर कर
लिये जावें या उसके बाद बे ऐत
बारी हो जावें तो अदालत वारंट
गिरफ़्तारी का इस हुक्म से जारी
कर सक्ती है कि वह शख्स जो
जमानत पर छोड़ा गया हो अदा
लत के रोबरू हाजिर किया जावे
और उसको मोतबिर जमानत
देने का हुक्म दे सक्ती है और
न देने जमानत पर सुपुर्द ज़े
लखाने कर सक्ती है ॥

दफ़ा २०० अगर कुल या को
ई ज़ामिन छूटे हुये मुलज़िमों
की जमानत से अपनी जमानत
या मुचलका निकाल देने की द
रख्वास्त करें तो मजिस्ट्रेट शख्स
मुलजिम के नाम वारंट जारी
करेगा और उसकी हाज़री के
वक़्त दूसरी जमानत और मुचल

طلب کریگا اور پہلا مچلکہ و ضمانت فسخ کردے گا اور جو ملزم دوسری ضمانت یا مچلکہ نہ دلادے تو حراست میں بہیجا جاوے ٭

## باب تیسواں

### کمیشن یا بند سوال جہت قلم بندی اظہار گواہاں

دفعہ ۲۰۱ اگر کسی مقدمہ کی تحقیقات اور تجویز میں عدالت کسی گواہ کی شہادت ضروری سمجہے اور اُس کی حاضری میں کوئی ہرج یا وقت یا بہت سا توقف ہوتا ہو تو عدالت اُسکی طلبی معاف رکھ کے اُسکی شہادت ذریعہ بند سوالات لے سکتی ہے اور وہ بند سوالات اپنے کسی ماتحت یا دوسرے

का तलब करेगा और पहिला मुचलका व ज़मानत मनसूख कर देगा और जो मुलज़िम दूसरी ज़मान या मुचलका न दिलावे तो हिरासत में भेजा जावे ॥

## तीसवाँ बाब

### कमीशन या बंद सवाल वास्ते कलम्बंदी इज़हार गवाहान ॥

दफ़ा २०१ अगर किसी मुकद्दमे की तहक़ीक़ात और तजवीज में अदालत किसी गवाह की शहादत मुनासिब समझे और उस की हाज़री में कोई हर्ज या दिक़्क़त या बहुत सी ढील होती होतो अदालत उसका बुलाना माफ रख: कर बंद सवालों के ज़रिये से उस की शाहदी ले सकती है और वह बन्द सवाल अपने किसी मातहत या दूसरे

کسی سرکاری عہدہ دار کے نام جو گواہ مذکور سے بہت قریب رہتا ہو جاری کرسکتی ہے اور وہ حاکم یا عہدہ دار آسامی کو طلب کر کے اسکی شہادت حسب ضابطہ قلمبند کریگا۔

किसी सरकारी ओहदेदार के नाम जो गवाह मज़कूर से बहुत नज़दीक रहता हो जारी कर सकती है और वह हाकिम या ओहदेदार आसामी को ला कर उसकी गवाही हस्ब ज़ाब्ते क़लम्बंद करेगा ॥

دفعہ ۲۰۲ فریقین مقدمہ سے جو گواہ قرار دئے جاویں اُن سے بابت اُن باتوں کے بند سوالات میں سوالات کئے جاوینگے کہ جو فریقین کے بیان سے ظاہر ہوے ہوں۔

**दफ़ा २०२** फ़रीक़ैन मुक़द्दमे से जो गवाह मुक़र्रिर हों उनसे बंद सवालों में बाबत उन बातों के सवालात किये जावेंगे कि जो फ़रीक़ैन के बयान से ज़ाहिर हुवे हों ॥

دفعہ ۲۰۳ بعد حسب ضابطہ تعمیل ہونے بند سوالات کے وہ بند سوالات اُس عدالت میں واپس کئے جاوینگے جسنے اسکو جاری کیا تھا۔

**दफ़ा २०३** हस्ब ज़ाब्ते तामील होने के बाद वे बंद सवालात उसी अदालत में वापिस किये जावेंगे कि जिस ने उस को जारी किया था ॥

دفعہ ۲۰۴ ہر مقدمہ میں جسمیں کمیشن جاری کیجائے تحقیقات یا تجویز یا اور

**दफ़ा २०४** हर मुक़द्दमे में कि जिस में कमीशन जारी की जाय तहक़ीक़ात या तजवीज़ या और

कारखाई ऐसे अरसे तक मुल्तवी रक्खी जा सक्ती है कि तामील और वापसी कमीशन के वास्ते माकूल तौर पर काफ़ी हो ॥

दफ़ा २०५ बंद सवालात के इजराय का जो कुछ खर्च होगा वह उस शख्स से लिया जावेगा कि जिस्का वह गवाह होगा और अगर उस्को ताक़त न हो और मुकद्दमा भी लायक़ तह्क़ीक़ात जरूरी के हो तो सरकार से खर्च उस्का दिया जावे गा ॥

दफ़ा २०६ जब किसी मुकद्दमे में असल गवाह के बुलाने की जरूरत हो और वह खर्च खुराक और किराया दिलाया जावे गा मगर किरायों का खर्च मामूली होगा और खुराक का खर्च =) से ।) रोज़ाना तक होगा ॥

کارروائی کا التوا ایسے عرصہ تک کیا جا سکتا ہے کہ جو تعمیل اور واپسی کمیشن کے واسطے بطور معقول کافی ہو

دفعہ ۲۰۵ خرچ اجرائے بند سوالات اہل کمیشن کا جو کچھ ہوگا وہ اس شخص سے لیا جاویگا کہ جسکا وہ گواہ ہوگا اور اگر اس کو طاقت نہ ہو اور مقدمہ بھی لایق تحقیقات ضروری کے ہو تو سرکار سے خرچہ اسکا دیا جاوے گا۔

دفعہ ۲۰۶ اور جب کسی مقدمہ میں اصل گواہ کی طلبی کی ضرورت ہو اور وہ خرچ خوراک اور کرایہ وغیرہ کا خواستگار ہو تو جسکا وہ گواہ ہو اس سے خرچ خوراک اور کرایہ لایا جاویگا خرچہ کرایہ کا معمولی ہوگا اور خوراک کا خرچ دو آنہ سے چار آنہ روزانہ تک ہوگا۔

# باب اکتیسواں

## قواعد خاص متعلقہ شہادت

دفعہ ۲۰۷ اگر کسی مقدمہ میں ڈاکٹر یا حکیم یا بید یا پنڈت یا مولوی یا قاضی سے کوئی بات متعلقہ اسکے پیشہ کی دریافت کرنا ضرور ہو تو اُن سے بذریعہ بند سوال تحریری عدالت استفسار کر سکتی ہے یا اُن کو اپنے روبرو بطور گواہ کے بُلاکر اظہار لے سکتی ہے ٭

دفعہ ۲۰۸ اگر یہ بات ثابت ہو جاوے کہ شخص ملزم بھاگ گیا ہے اور اُسکی گرفتاری کی بالفعل امید نہیں ہے تو عدالت جو مجاز ہو کہ اُسکے اوپر جرم

# इक्कीसवाँ बाब

## गवाहियों के ख़ास क़ायदों के बयान में

दफ़ा २०७ अगर किसी मुक़द्दमे में डाक्टर या हकीम या बैद्य या पंडित या मौलवी या क़ाज़ी से कोई बात उसके पेशे के तअ़ल्लुक़ की दरियाफ़्त करना ज़रूर हो तो अदालत उनसे बज़रिये बंद सवाल तहरीरी दरियाफ़्त कर सक्ती है या उन्को अपने रूबरू गवाह के तौर पर बुलाकर इज़हार ले सक्ती है॥

दफ़ा २०८ अगर यह बात साबित हो जावे कि शख़्स मुल्ज़िम भाग गया है और उसकी गिरफ़्तारी की बिलफ़ेल उमेद नहीं है तो जिस अदालत को कि उसके ऊपर जुर्म

ثابت کرے یا سپرد کرے
وہ اظہار گواہاں کے جو بتائید
استغاثہ پیش کئے جاویں
لے سکتی ہے مگر ایسا اظہار
اُس شخص کے گرفتار
ہونے پر اُس جرم کی
تحقیقات اور تجویز میں جسکا
الزام اُسکے ذمہ لگایا گیا
ہے اُس کے خلاف شہادت
میں پیش کیا جا سکتا
ہے ❊

## باب بتیسواں

## تصرف مال

دفعہ ۲۰۹ جو مال کسی
مقدمہ کے تعلق کا برآمد
ہو کر عدالت میں آوے تو
بعد تحقیقات اگر وہ مال لایق
واپسی کسی مدعی کے ہو تو
مدعی کو باخذ رسید و رسم کے

साबित करने या सिपुर्द करने ।
का मजाज़ हो वह गवाहों के
इज़हार जो फ़रियादी की मद
द के साथ पेश किये जावें ले सक्ती
है मगर ऐसा इज़हार उस श
ख़्स के गिरफ़्तार होने पर उस जु
र्म की तहक़ीक़ात और तजवी
ज़ में जिस का इलज़ाम उस के
ज़िम्मे लगाया गया है उस के ।
ख़िलाफ़ गवाही में पेश किया
जा सक्ता है ॥

## बत्तीसवां बाब

तसर्रुफ़ माल याने माल को
ख़र्च करने के बयान में ॥

दफ़ा २०९ जो माल किसी
मुक़द्दमे के ताल्लुक़ का बराम
द हो कर अदालत में आवे तो बा
द तहक़ीक़ात अगर वह माल मु
द्दई को देने के लायक़ हो तो मुद्द
ई से रसीद और रसम लेकर

دیا جاوے اور جو کسی دوسرے
کا پایا جاوے تو اُس کو
حسب شرشتہ دیا جاوے اور
جو لایق ضبطی ہو تو سرکار میں
ضبط کیا جاوے اور اگر کسی
مقدمہ میں ضرورت منظوری محکمہ
اعلے ہو تو منگالی جاوے
دفعہ ۲۱۰ اگر مال مشتبہ
رہ جاوے تو واجب ہے کہ
اُسکے مالک کی حاضری
کے واسطے اشتہار میعادی
چھ ماہ جاری کیا جاوے اور
اگر مالک مال اندر میعاد
کے حاضر ہو کر ثبوت ملکیت
خود پیش کرے تو اُسکو
باخذ رسید و رسم دیا
جاوے ورنہ بعد انقضائے
میعاد مقررہ نیلام کیا
جاوے۔
دفعہ ۲۱۱ اگر انتظار
حاضری مالک مال

दिया जावे और जो किसी दूसरे
का पाया जावे तो उस्को शरिस्ते
के मुआफिक दिया जावे और जो ज़
ब्ती के लायक हो तो सरकार में ज़
ब्त किया जावे और अगर किसी मुक़
द्दमे में ज़रूरत मंजूरी महकमे आ
ला होतो मंगा ली जावे ॥
दफ़ा २१० अगर माल में शुबा:
रह जावे तो वाजिब है कि उस
के मालिक की हाज़री के वास्ते
छ: महीने की मयाद का इश्त
हार जारी किया जावे और अगर
मालिक माल अन्दर मयाद के
हाज़िर होकर सबूत अपने
माल का पेश करे तो उस से रसी
द और रसम लेकर दिया जा
वे नहीं तो बाद गुज़रने मया
द मुक़र्ररा के नीलाम कि
या जावे ॥
दफ़ा २११ अगर शुबा: के मा
ल में मालिक के हाज़िर होने

مشتبہ ہیں مال لایق خراب
ہو جانیکے معلوم ہو تو
عدالت آسکو نیلام کرکے
زرِ ثمن اسکا صیغۂ امانت میں
جمع رکھے اور بعد انقضائے
میعادِ مقررہ حسب منشاء
دفعہ ماسبق عدالت عملدرآمد
کرے

## باب تیتیسواں

### دربارہ انتقال مقدمات فوجداری

دفعہ ۲۱۲ اگر کوئی شخص
محکمہ اعلے کو یہ ثبوت
پہنچا دے کہ اسکے مقدمہ میں
کوئی عدالت فوجداری یا
عدالتِ اپیل منصفی سے
تجاوز کرتی ہے تو محکمۂ
اعلے کو اختیار ہے کہ وہ
مقدمہ واسطے تحقیقات کے
دوسرے محکمہ میں منتقل

तक माल खराब होने के लायक
मालूम हो तो अदालत उसको नी
लाम करके क़ीमत उसकी सी
ग़े अमानत में जमा रक्खे और
बाद गुज़रने मयाद मुक़र्रर के
अदालत बमूजिब मन्शा दफ़ा
ऊपर लिखे हुवे के अमलदराम
द करे ॥

## तेंतीसवां बाब

### फ़ौजदारी मुक़द्दमों को मुन्तक़िल करने के बयान में ॥

दफ़ा २१२ अगर कोई शख़्
स महकमे आला को यह स
बूत पहुंचा दे कि उसके मुक़द्दमे
मे कोई अदालत फ़ौजदारी या अ
दालत अपील इन्साफ़ करने में
रिआयत करती है तो महक
मे आला को अख़्तियार है
कि वह मुक़द्दमा वास्ते तह्क़ी
क़ात के दूसरे महकमे में मुन्त

کر دے یا اپنے ہاں منگا
لے ٭

## باب چونتیسواں

### بید یا تازیانہ کی سزا کے بیان میں

دفعہ ۲۱۳ چونکہ مجسٹریٹوں
کو اختیارات سزائے تازیانہ
کے بموجب دفعہ ۹ کے
دئے گئے ہیں اسواسطے
اُس کی کارروائی کی تشریح
حسب ذیل کی جاتی ہے کہ
مقدمات مندرجہ ذیل میں
علاوہ سزائے قید اور جرمانے کے
جو ضابطہ ہذا کے ضمیمہ نمبر ۲ و ۳
میں درج ہے سزائے تازیانہ
یا بید کی بھی دی جایا کریگی
سوائے اِن جرائم کے اور جرائم
میں بید کی سزا دینے کی بالکل
ممانعت ہے ٭

(۱) چوری۔

क़िलकर दे या अपने यहां मंगा
ले॥

## चौंतीसवां बाब

### बेद या ताज़ियाने की सज़ा के बयान में॥

दफ़ा २१३ जो कि मजिस्ट्रेटों
को ताज़ियाने की सज़ा देने के
अख़्तियारात बमूजिब दफ़ा
९ के दिये गये हैं इस वास्ते उस
की कारर वाई की तफ़सील ज़ैल
में की जाती है कि नीचे लिखे हुए
ये मुकद्दमात में सिवाय सज़ाय
क़ैद और जुर्माने के जो इस ज़ा
बते के ज़मीमे नम्बर २ व ३ में
दर्ज है सज़ाय ताज़ियाना या
बेद की भी दी जाया करेगी इन
जुर्मों के सिवाय और जुर्मों में
बेद की सज़ा देने की बिलकुल
मना ई है॥

१ चोरी

(۲) چوری کا ارتکاب متصدی یا نوکر کی طرف سے *

(۳) کسی شخص کو مار ڈالنے یا جسم و جان کا نقصان پہنچانے کی تیاری کرکے چوری کرنا *

(۴) دھمکی دے کر جبراً مال حاصل کرنا *

(۵) زبردستی مال حاصل کرنے کی نیت سے کسی شخص کو کوئی تہمت لگانے کی دہمکی دینا *

(٦) چوری کے مال کو جان بوجھ کر بدنیتی سے خریدنا *

(۷) دہاڑہ کے مال کو جان بوجھ کر بدنیتی سے مول لینا *

(۸) مداخلت بیجا گہر میں کسی ایسے جرم کی نیت سے کہ جسکی سزا بموجب دفعہ ہذا کے تازیانہ ہو سکتی ہے *

(۹) نقب زنی یا گہر پھوڑ

२ चोरी का इर्त्तकाब मुत्सद्दी या नौकर की तरफ़ से ॥

३ किसी शख़्स को मार डालने या बदन और जान का नुक़सान पहुंचाने की तैय्यारी कर के चोरी करना ॥

४ धमकी देकर ज़बरदस्ती से माल हासिल करना ॥

५ ज़बरदस्ती माल हासिल करने की नियत से किसी शख़्स को कोई तोहमत लगाने की धमकी देना ॥

६ चोरी के माल को जान बूझ कर बदनीयती से खरीदना ॥

७ धाड़ा के माल को जान बूझ कर बदनीयती से मोल लेना ॥

८ मदाखलत बेजा घर में किसी ऐसे जुर्म की नीयत से कि जिसकी सज़ा इस दफ़ा के मुआफ़िक़ ताज़ियाना हो सक्ती है ॥

९ नक़ब ज़नी या घर फ़ोड़ा

| رات کے وقت | रात के वक़्त ॥ |
| --- | --- |
| ۱۰ کوئی جرائم پیشہ شخص جو بلا ٹکٹ اپنے اسٹیشن سے چلا جاوے یا غیر حاضر ہو جاوے یا خلاف ورزی قواعد جرائم پیشہ ٹھگی ڈکیتی کا مجرم ثابت ہووے۔ | १० कोई जुरायम पेशा शख़्स बग़ैर टिकट अपने इस्टेशन से चला जावे या ग़ैर हाज़िर हो जावे या ख़िलाफ़ वरज़ी क़वायद जुरायम पेशा ठगी डकैती का मुजरिम साबित होवे ॥ |
| دفعہ ۲۱۴ اگر کوئی شخص جسپر کوئی جرم اوپر لکھے ہوئے جرموں میں سے ایک دفعہ ثابت ہو گیا ہو اور پھر وہ اُسی جرم میں ماخوذ ہو تو بصورت ثبوت جرم کے جائز ہے کہ بعوض یا باضافہ کسی اور سزا کے کہ جسکا وہ بموجب ضابطہ ہذا کے مستوجب ہو اُسکو سزائے تازیانہ دی جاوے۔ | दफ़ा २१४ अगर किसी शख़्स पर ऊपर लिखे हुये जुर्मों में से कोई जुर्म एक बार साबित हो गया हो और फिर वह उसी जुर्म में पकड़ा जावे तो जुर्म साबित होने पर उस सज़ा के एवज़ में या सिवाय किसी और सज़ा के कि जिस्का वह इस ज़ाब्ते के मुआफ़िक़ मस्तूजिब हो उसको ताज़ियाने की सज़ा दी जावे ॥ |
| دفعہ ۲۱۵ مندرجہ ذیل جرموں میں بھی مجرم کو بصورت ثبوت جرم علاوہ کسی اور سزا کے جسکا وہ مستوجب ازروے مجموعہ | दफ़ा २१५ नीचे लिखे हुये जुर्मों में भी मुजरिम को जुर्म साबित होने पर सिवाय किसी और सज़ा के (जिस्का वह मजमूए |

ہذا کے ہو سزا سے تازیانہ دی جاوے مگر شرط یہ ہے کہ جرم مذکور میں وہ شخص ایک دفعہ سزا پانے کے بعد پھر ماخوذ ہوا ہو۔

۱ جھوٹی گواہی دینا یا بنانا

۲ جھوٹی گواہی دینا یا بنانا اس جرم کے ثابت کرنے کی نیت سے کہ جسکی سزا پھانسی ہو۔

۳ جھوٹی گواہی دینا یا بنانا اس نیت سے کہ کوئی جرم ثابت کرایا جاوے جو قابل سزا حبس دوام کے ہو

۴ کسی کو جھوٹا الزام جرائم خلاف وضع فطری کے ارتکاب کا لگانا۔

۵ کسی عورت کی عفت میں خلل ڈالنے کے نیت سے حملہ یا جبر مجرمانہ کرنا۔

۶ زنا بالجبر

हाज़ा की रू से मस्तूजिब हो। ता ज़ियाने की सज़ा दी जावे मगर शर्त येह है कि जुर्म मज़कूर में वह शख़्स एक दफ़े सज़ा पाने के बाद फिर गिरफ़ार हुआ हो॥

१ झूटी गवाही देना

२ झूटी गवाही देना या बनाना उस जुर्म के साबित करने की नियत से कि जिस्की सज़ा फांसी हो॥

३ झूटी गवाही देना या बनाना इस नियत से कि कोई जुर्म साबित कराया जावे जो लायक़ सज़ा उमर क़ैद के हो॥

४ किसी को झूटा इल्ज़ाम जुरायम ख़िलाफ़ वज़े फ़ितरी के इर्तकाब का लगाना॥

५ किसी औरत की लज्जा में ख़लल डालने की नियत से हमला या जब्र मुजिरमाना करना॥

६ ज़िना बिल जब्र॥

| | |
|---|---|
| (۷) جرائم خلاف وضع فطری + | ७ जुरायमु ख़िलाफ़ वज़ फ़ितरी ॥ |
| (۸) سرقہ بالجبر یا ڈکیتی + | ८ सरक़ाबिलजब्र या डकैती |
| (۹) سرقہ بالجبر کا اقدام کرنا + | ९ सरकाबिलजब्र का इक़दाम करना ॥ |
| (۱۰) سرقہ بالجبر کے ارتکاب میں قصداً کسی کو ضرر پہنچانا + | १० सरकाबिलजब्र के इर्तकाब में क़सदन किसी को ज़रर पहुंचाना ॥ |
| (۱۱) مال مسروقہ کا لینا یا بیوپار کرنا + | ११ चोरी के माल का लेना या ब्योपार करना ॥ |
| (۱۲) جعلسازی + | १२ जालसाज़ी ॥ |
| (۱۳) جعلسازی دستاویزوں کی | १३ जालसाज़ी दस्तावेज़ों की ॥ |
| (۱۴) دغا دینے کی نیت سے جعلسازی کرنا + | १४ दगा देने की नियत से जालसाज़ी करना ॥ |
| (۱۵) کسی شخص کی نیکنامی میں خلل ڈالنے کی نیت سے جعلی دستاویز بنانا + | १५ किसी शख़्स की नेकनामी में ख़लल डालने की नियत से जाली दस्तावेज़ बनाना ॥ |
| دفعہ ۲۱۶ کسی کم عمر والے شخص کو جو ایسا جرم کرے کہ جسکی سزا پھانسی نہ ہو بعوض کسی اور سزا کے | **दफ़ा २१६** किसी कम उमर वाले शख़्स को जो ऐसा जुर्म करे कि जिस की सज़ा फांसी न हो उस सज़ा की एवज़ में कि जि |

جسکا وہ مستوجب بموجب ضابطہ ہذا کے ہو سزا تازیانہ کی دیجاوے چاہے وہ جرم اُس سے پہلی ہی دفعہ ہوا ہو خواہ دوسری یا تیسری دفعہ *

**دفعہ ۲۱۷** سزاے تازیانہ کسی عورت کو نہ دی جاوے گی اور نہ اُس کی شخص کو دی جاویگی کہ جسکے واسطے حکم پھانسی کا یا عمر قید کا یا سات سال سے زیادہ کی قید کا ہوا ہو اور علاوہ اِسکے اقوام برہمن اور راجپوت بھی سزاے تازیانہ سے بری ہیں *

**دفعہ ۲۱۸** اگر تازیانہ کی سزا کا حکم علاوہ سزا قید کے کسی ایسی عدالت سے دیا جاوے کہ جسکی تجویز کی نگرانی کسی عدالت بالا دست سے ہو سکتی ہے تو سزا تازیانہ تاریخ حکم

स का वह मस्तूजिब मुआफ़िक़ ज़ाब्ते हाज़ा के होता ज़ियाने की सज़ा दी जावे चाहे वह जुर्म उस से पहली ही दफ़े हुआ हो चाहे दूसरी या तीसरी दफ़े ॥

**दफ़ा २१७** ताज़ियाने की सज़ा किसी औरत को न दी जावेगी और न उस शख़्स को दी जावेगी कि जिसके वास्ते फांसी का हुक्म या उमर क़ैद का या सात बरस से ज़ियादे की क़ैद का हुआ हो। और इसके सिवाय ब्राह्मण व राजपूत की क़ौम की ताज़ियाने की सज़ा से बरी है ॥

**दफ़ा २१८** अगर ताज़ियाने की सज़ा का हुक्म सिवाय सज़ा क़ैद के किसी ऐसी अदालत से दिया जावे कि जिसकी तजवीज़ की निगरानी किसी अदालत बाला दस्त से हो सकती है तो ताज़ियाने की सज़ा हुक्म की तारी

سے پندرہ روز تک ندیجائیگی
اور اگر اُس میعاد کے اندر
اپیل ہوگیا ہو تو اپیل سے
بحالی تجویز کی منظوری
آنے تک۔

دفعہ ۲۱۹ ہر جرم کیواسطے
ضرب تازیانہ کی تعداد حاکم
تجویز کرے گا جو اُسکے
اختیار سے زیادہ نہوگی
اور غایت درجہ تیس ضرب
سے زیادہ بید لگانیکا کوئی
مجاز نہ ہوگا۔

دفعہ ۲۲۰ لازم ہے کہ
سزا تازیانہ مجسٹریٹ مجاز و
ڈاکٹر کی حاضری میں دیجاوے
مگر سزا دینے سے پیشتر
ڈاکٹر سے اس بات کی تصدیق
کر لی جاوے کہ مجرم اس قدر
تندرست ہے کہ سزا مذکور کو
برداشت کر سکیگا اگر ڈاکٹر موجود
نہ ہو تو خود مجسٹریٹ

ख से १५ रोज़ तक न दी जावेगी
और अगर उस मयाद के अंदर
अपील होगया हो तो अपील से
बहाली तजवीज़ की मंज़ूरी
आने तक॥

**दफ़ा २१९** हर जुर्म के वास्ते ज़
र्बे ताज़ियाने की तादाद हाकि
म तजवीज़ करेगा जो उस्के अ
ख़्तियार से ज़ियादा न होगी
मगर ज़ियादा से ज़ियादा ३०
जरब से ज़ियादा लगाने का को
ई मजाज़ न होगा॥

**दफ़ा २२०** लाज़िम है कि
ताज़ियाने की सज़ा मजिस्ट्रेट व म
जाज़ और डाकटर की हाज़री
में दी जावे मगर सज़ा देने से
पेशतर डाकटर से इस बात की
तसदीक करली जावे कि मुजरि
म इस कदर तंदरुस्त है कि सज़ा
मज़कूर को सह सकेगा जो डाक
टर मौजूद न हो तो खुद मजिस्ट्रेट

اس بات کی جانچ کرے اور نیز
اگر ڈاکٹر تعمیل سزائے
تازیانہ کے درمیان میں اس
بات کی تصدیق کرے یا مجسٹریٹ
حاضر وقت کو معلوم ہو کہ
مجرم اسقدر تندرست نہیں ہے
کہ باقی ماندہ ضرب کی برداشت
کر سکے تو تعمیل سزا کی موقوف
کی جاویگی اور یہ بھی جائز نہیں
ہے کہ سزا تازیانہ کی تعمیل کئی
دفعہ کر کے دی جاوے ؂

دفعہ ۲۲۱ اگر حسب دفعہ
مذکورہ بالا سزا تازیانہ کے
حکم کی کچھ بھی تعمیل نہ ہوئی ہو
تو عدالت یا مجسٹریٹ کو
اختیار ہے کہ حسب مناسب
تجویز قید کی علاوہ اُس
سزا کے جو اس جرم
کی علت میں تجویز ہو
چکی ہو تازیانہ کے عوض
کرے مگر شرط یہ ہے کہ

इस बात की जांच करने और जो
डाक्टर सज़ा की तामील के दर
म्यान में इस बात की तसदीक करे
या मजिस्ट्रेट हाज़िर वक्त को मा
लूम हो कि मुजरिम उस क़दर
तन्दुरुस्त नही है कि बाक़ी रही
हुई ज़रब को सह सके तो तामील
सज़ा की मौकूफ़ की जावे गी।
और यह भी जायज़ नही है कि
सज़ा ताज़ियाने की तामील क
ई दफ़े करके दी जावे॥

दफ़ा २२१ अगर ऊपर लिखी
हुई दफ़ा के बमूजिब ताज़िया
ना की सज़ा के हुक्म की कुछ
भी तामील न हुई हो तो अदालत
या मजिस्ट्रेट को अख़्तियार है।
कि जो सज़ा उस जुर्म के बाबत्।
तजवीज़ हो चुकी हो उसके सि
वाय ताज़ियाने की सज़ा की ए
वज़ में मुनासिब क़ैद की तज
वीज़ करे मगर शर्त यह है कि

قید کی کل تعداد اسکی معمولی حدّ اختیارات سے تجاوز نہ کرے

دفعہ ۲۲۲ اگر مجرم کم سن ہو تو اسکو سزائے مذکور بطور سبق یعنے تادیب کے طور پر اور وہ پیٹھ پر بہت ہی ہلکی بطور چشم نمائی لگائی جاویں جیسے مدرسوں میں بطور تادیب دی جاتی ہیں۔

دفعہ ۲۲۳ سزار تازیانہ ٹھیک پوٹھ چوتڑوں پر ہونی چاہیئے اور بروقت لگانے بید کے مجرم کو ایک ٹکٹی سے باندھ دینا چاہیئے اور احتیاط سے یہ سزا دینی چاہیئے۔

## باب پینتیسواں

بابت اجرائے کھوج

دفعہ ۲۲۴ ہر گرداور حاکم تھانہ دار و سپرنٹنڈنٹ

क़ैद की कुल तादाद उसके मामूली हद्द अख़्तियारात से ज़ियादा न हो ॥

दफ़ा २२२ जो मुजरिम कम उमर होतो उस को सज़ा ताज़िया ने की बतौर सबक़ अर्थात सिक्षा के तौर पर और वह पीठ पर बहुत ही हल्की बतौर चश्म नुमाई लगाई जावें जैसे मदरसों में बतौर सिक्षा के दी जाती है ॥

दफ़ा २२३ ताज़ियाने की सज़ा ठीक पूठ चूतड़ों पर होनी चाहिये और बेद लगाने के वक्त मुजरिम को एक टिकटी से बांध देना चाहिये और अहतियात से यह सज़ा देनी चाहिये ॥

## पैंतीसवां बाब

बाबत जारी करने खोजों के

दफ़ा २२४ हर एक गिरदावर हाकिम थानेदार सुपरंटंडंट

| | |
|---|---|
| و جاگیردار و بھومیہ و زمیندار و چودھری و پٹواری و حولدار و امین و کارندہ جاگیردار و مکھیا دیہہ کو لازم ہے کہ جب انکے پاس بابت وقوعہ واردات دھاڑہ ڈکیتی و غارتگری و رہزنی و چوری و نقب زنی و قفل شکنی و سرقہ بالجبر وغیرہ کی اطلاع پہنچے تو انکی سراغ برآری میں بطور حسب ضابطہ ذیل عملدرآمد کریں۔ | ज़ागीर दार भोमिया ज़मी दार। चौधरी पटवारी हवल्ल दार ऋमीन ज़ागीर दारों के कामेती ऋौर गांव के मुखिया को लाज़िम है कि जब उन के पास कोई ख़बर धाड़ा डकेती ग़ारत गरी रहज़नी चोरी घर फोड़ा ताला तोड़ ने ऋौर सरका बिल्ल ज़ब्र वग़ैरा की पहुंचे तो उस के खोज निकाल ने में फ़ोरन नीचे लिखे हुये के माफ़िक़ ऋमल्ल दरामद करें॥ |
| دفعہ ۲۲۵ جب وارداتہائے مندرجہ بالا کی اطلاع ان عہدہ داران کے پاس کہ جسکا ذکر اوپر ہوچکا ہے پہنچے تو لازم ہے کہ بذات خود یا ان کے نائب مع پاگی کے موقع پر پہنچکر سراغ برآری اُسکی محل منتہی سراغ تک کریں موقع پر جو کھوج ہوں اُنپر اور کہیں کہیں رستہ میں | दफ़ा २२५ जब ऊपर लिखी। हुई वार दातों की इत्तला उन ऋोहदे दारों के पास कि जिन का। ज़िक्र ऊपर हो चुका है पहुंचे तो लाज़िम है कि खुद या उन के नायब मये पागी के मौके पर पहुंच कर खोज निकालें ऋौर उन को वे ऋखीर जगह तक पहुंचावें। मौके पर जो खोज हों उन के ऊपर ऋौर कहीं कहीं रस्ते में। |

کوئی چیز ایسی جس سے کھوج پوشیدہ رہیں اور مٹ نہ سکیں رکھدیں تاکہ جب آگے کسی دوسرے گانو کی حد میں اُن کھوجوں کی بابت تنازعہ پڑجاوے تو وہی موقع کے کھوج واسطے شہادت کے دکھا دئے جاویں *

دفعہ ۲۲۶ مدعی کو بھی لازم ہوگا کہ محل منتہی سراغ تک کھوج نکالنے والوں کے ساتھ رہے اور جو کسی سبب معقول سے خود ساتھ نہ رہ سکے تو اپنے کسی آدمی کو اُنکے ساتھ بھیجدے *

دفعہ ۲۲۷-جب موقع سے کھوج رواں ہوں اور کسی گانو کی سرحد میں پہنچیں تو اُس گانوں کے مکھیہ کو بلاکر وہ کھوج دکھلائے جاویں اور مکھیا کو لازم ہوگا کہ اُنکے ساتھ ہوکر اپنی حد سے کھوج

कोई चीज़ ऐसी कि जिस से खोज ढके रहें और मिट न सके रख देवें ता कि जब आगे किसी दूसरे गांव की हद में उन खोजों के बाबत झगड़ा पड़ जावे तो वेही मौक़े के खोज सबूती के वास्ते दिखा दिये जावें॥

दफ़ा २२६ मुद्दई को भी लाज़िम होगा कि जहां तक खोज पहुंचे खोज निकालने वालों के साथ रहे और जो किसी ज़रूरी सबब से खुद साथ न रह सके तो अपने किसी आदमी को उन के साथ भेज दे॥

दफ़ा २२७ जब मौक़े से खोज रवाना हों और किसी गांव की सरहद में पहुंचे तो उस गांव के मुखिया को बुलाकर वे खोज दिखलाये जावें और मुखिया को लाज़िम होगा कि उन के साथ होकर अपनी सरहद से खो

نکل واویوے اور دوسرے
گانوں والوں کو سمجھلا دیوے۔

دفعہ ۲۲۸ جب کبھی کسی
حالت میں کوئی تنازعہ اس قسم
کا واقع ہو جاوے کہ کسی گانوں کے
لوگ عذر کریں کہ یہ کھوج جھوٹے
ہیں یا دوسرے ہیں تو اس حالت
میں پچھلے دوسرے کنارے کے
کھوج یا اس سے پچھلے گانوں کی سرحد
کے کھوج کہ جہاں جہاں ڈھلے
گئے تھے دکھلائے جاویں اور جو
بھی اسکی بابت یہ تکرار پیدا ہو جاوے
کہ کھوج لیجانیوالے تو کہیں کہ یہ اور
پچھلے گانوں کے ایک کھوج ہیں
اور جنکے گانوں کی سرحد میں ہوں
وہ انکار کریں کہ یہ کھوج وہ نہیں
ہیں تو اس صورت میں قرب و
جوار گانوں کے دوسرے چار
پاگیاں کو بلا کر ان کھوجوں کی
تصدیق کرائی جاوے۔

دفعہ ۲۲۹ ہر کھوج

जनिकाल देवे और दूसरे गांव वा
लों को समभला देवें ॥

दफ़ा २२८ जब कभी किसी
हालत में कोई झगड़ा इस तार
का पड़जावे कि किसी गांव के
लोग उज़र करें कि ये खोज झूटे
हैं या दूसरे हैं तो उस हालत में
पिछले या उस से पिछले गां
व की सरहद के खोज कि जहां र
हके गये थे दिखलाये जावें औ
र जो फिर भी उसके बाबत यह
तक रार पड़ जावे कि खोज ले
जाने वाले तो कहें कि ये और पि
छले गांव के एक खोज हैं औ
र जिन के गांव की सरहद में हो
वें इन कार करें कि ये खोज वे
नहीं हैं तो उस सूरत में नज़
दीकी गांवों के दूसरे चार पा
गियों को बुला कर उन खोजों
की तसदीक कराई जावे ॥

दफ़ा २२९ हर एक खोज

دفعہ ۲۳۲ جب کوئی کھوج
علاقہ غیر سے علاقہ راج میں
آویں اور بموجب قاعدہ کے
صحیح نہوں تو اُنکے جملہ حالات
اور واقعات کو موقع کے اوپر
لکھکر کھوج لانے والوں کو
سمجھا دیں اور پھر بھی جو وہ اُسی
غلط کھوج کو جاری کرنا چاہیں
تو اُنکے مانع اور مزاحم نہ ہوں
بلکہ اُن کے ساتھ ہو کر جہاں
وہ اُس کھوج کو منتہی کریں
وہاں کی تلاشی اُن کو اچھی
طرح سے کرادیں تو تلاشی
میں اگر مال و مجرم ملجاوے
تو وہ گاؤں ذمہ دار ہوگا ورنہ
جو عذر بسبب غیر صحیح ہونے
کھوج کے ابتدا میں
قائم ہوا تھا وہ صحیح
متصوّر ہوگا اور یہ کارروائی
سراغ برآری کے قابل
لحاظ کے نہیں

दफ़ा २३२ जब कोई खोज इ
लाके ग़ैर से इलाके राज में आ
वे और बमूजिब क़ायदे सही न
हो तो उन के जुमले हालात और
वाक़े आत को मौक़े के ऊपर लि
ख कर खोज लाने वाले को सम
झादे और फिर भी जो वे उसी ग़ल
त खोज को जारी करना चाहे तो
उन को न रोके बल्कि उन के सा
थ होकर जहां वे उस खोज को
मुन्तही करे वहां की तलाशी उ
न को अच्छी तरह से करादे त
लाशी में अगर माल और मु
जरिम मिल जावें तो वह गां
व जिम्मेवार होगा नहीं तो
उज़र सही नहोगा खोज के
इबतदाई में क़ायम हुआ
या सही समझा जावेगा और
र यह कारवाई खोज नि
कलने की काबिल लिहा
ज़ करने के नहीं ॥ ॥

होगी

## छत्तीसवाँबाब

## चोरी और धाड़े में गये हुए मालका एवज़ दिलाने के बयान में

दफ़ा २३३ चोरी और धाडे के मुकद्दमें जो खोजों के क़ायदे की रू से महल मुन्तही सुराग या मौक़े वारदात पर साबित होवे उन में माल मग़रूता और मसरूका की क़ीमत मुद्दैयों को असली दावे से कम मुआफ़िक नक़्शे ज़ैल के दिलाई जावे

ہوگی

## باب چھتیسواں

## بابت دلانے معاوضہ اشیائے مغروقہ او مسروقہ

دفعہ ۲۳۳ چوری اور دھاڑہ کے مقدمات جو ازروئے قاعدہ کھوج کے محل منتہی سراغ و موقع واردات پر ثابت ہوویں ان میں مال مغروقہ اور مسروقہ کی قیمت مدعیوں کو اصلی دعوے سے کم حسب مصرحہ ذیل دلائی جاوے ؎

---

(१) नोट यह हुक्म ब मंज़ूरी तजवीज राज जयपुर व राय साहिब रजीडंट बहादुर ग़रबी राजपूताने के ता० २० मई सन १८८६ को जारी हो चुका है

(۱) نوٹ یہ حکم بمنظوری تجویز راج جیپور و رائے صاحب رزیڈنٹ بہادر مغربی راجپوتانہ کے تاریخ ۲۰ مئی ۱۸۸۶ء کو جاری ہو چکا ہے۔

| Urdu | Hindi |
|---|---|
| ۱ زیور سونے اور چاندی کی قیمت ...... تین چوتھائی | १ सोने और चांदी के ज़ेवर की क़ीमत ...... तीन चौथाई |
| ۲ ہتیار اور برتن کی قیمت ...... دو تہائی | २ हथियार और बरतन की क़ीमत ...... दो तिहाई |
| ۳ پہننے کے کپڑوں کی قیمت ...... نصف | ३ पहनने के कपडों की क़ीमत आधी |
| دفعہ ۲۳۴ مویشی و دیگر جانوران مسروقہ کی قیمت دلانے کیواسطے جو پہلے سے قاعدہ حسب مندرجہ ذیل جاری ہے وہی جاری رہیگا۔ | **दफ़ा २३४** मवेशी और दूसरे जानवर मसरूका की क़ीमत दिलाने के वास्ते जो पहिले से क़ायदा जारी है वही नीचे लिखे मुआफ़िक़ जारी रहेगा॥ |
| ۱ شتر باربرداری [illegible] | १ ऊंट बारबरदारी का ५० रुपे |
| ۲ شتر سواری [illegible] | २ ऊंट सवारी का ...... ७० रुपे |
| ۳ بیل ...... [illegible] | ३ बैल ...... २७ रुपे |
| ۴ گھوڑا یا گھوڑی [illegible] سے [illegible] تک | ४ घोडा ...... ५० से १०० तक |
| ۵ ٹٹو ...... [illegible] سے [illegible] | ५ टट्टू ...... १० से २५ तक |
| ۶ گائے ...... [illegible] سے [illegible] تک | ६ गाय ...... १२ से १५ तक |
| ۷ گدھا ...... [illegible] | ७ गधा ...... १० रुपे |
| ۸ بھیڑ اور بکری ...... [illegible] | ८ भेड और बकरी ...... ३ रुपे |
| ۹ جاموش یعنے بھینسا [illegible] | ९ भैंसा ...... ७ रुपे |
| ۱۰ گاؤمیش یعنے بھینس [illegible] | १० भैंस ...... ४० रुपे |

دفعہ ۲۳۵ جو حق رسمی مدعیان کی مقدمات چوری و دھاڑہ وغیرہ میں کرائی جاوے اُسکی رسم مدعی سے فیصدی مدعی اور معہ ر مدعا علیہ سے لیجاتی ہے وہ ہی حسب دستور قدیم لی جاوے

## باب سینتسواں

بابت کارروائی آوارہ و لاوارث مویشی

دفعہ ۲۳۶ جو لاوارث و آوارہ مویشی آوے وہ پھاٹک میں رکھی جاوے اور اُسی وقت اُسکا نام درج رجسٹر کرلیا جائے اور رسید اُسکی اُس شخص کو دی جاوے کہ جو گرفتار کرکے لاوے اور ایک ہفتہ تک اُسکے مالک کا انتظار کیا جاوے اگر اس عرصہ میں وہ نہ آوے تو اُسکی اطلاع کے واسطے ایک اشتہار اس مضمون

दफ़ा २३५ जो हक़ रसीमुद्दे योंकी चोरी धाड़े वगैरे के मुक़द्द मोंमें काराई जावे उसकी र स्मम मुद्दई से १० रुपये सैंकड़ा ओ रमुद्दाय लेसे ७ रुपै सैकड़ा के हिसा बसे मुआफ़िक़ काय दे कदीम के ली जावे ॥

## सैंतीसवां बाब ॥

आवारा ओर लावारिस मवे शी की कारर वाई के बयान में॰

दफ़ा २३६ जो लावारिस ओ र आवारा मवेशी आवे वो फ़ाटक में रक्खी जावे ओर उसी वक्त उस का नाम रजिस्टर मे दरज कर लि या जावे ओर रसीद उसकी उस शख्स को दी जावे कि जो गिरफ़्तार करके लावे ओर एक हफ़्ते तक उस के मालिक का इन्तज़ार किया जावे अगर इस अरसे में वह न आवे तो इस की इत्तलाके वा स्ते एक इशतिहार इस मज़

کا دیا جاوے کہ وہ ایک مہینے میں
حاضر ہو کر ثبوت پیش کرے
دفعہ ۲۳۷ اگر اس میعاد میں
مالک مویشی حاضر ہو کر ثبوت
دیدے تو وہ مویشی اسکو بابت
جرمانہ اور خوراک سپرد کر دیجاوے
اور رسید لیجاوے شرح جرمانہ
اور خوراک کی حسب مندرجہ ذیل
ہو گی اور اگر کوئی مالک مویشی
جرمانہ اور خرچہ خوراک دینے سے
انکار کرے تو مویشی نیلام
کر دی جاوے اور زر نیلام میں سے
مطالبہ سرکاری وصول کرنے کے
باقی اگر کچھ بچے تو اسکو دیدیا
جاوے اور جو مویشی زیادہ
ہوں تو انمیں سے اسیقدر
کو نیلام کیا جاوے کہ جو
اس مطالبہ کے واسطے
کافی ہو اور باقی مالک کو
دی جاوے ٭

मून का दिया जावे कि वह एक मही
ने में हाजिर होकर सबूत पेश करे॰
**दफा २३७** अगर उस मयाद में
मवेशी का मालिक हाजिर होकर
सबूत दे देवे तो वह मवेशी जुर्मा
ना और खुराक लेकर उस्के सिपु
र्द करके रसीद ले ली जावे शरह
जुर्माना और खुराक की हस्ब मु
न्दर्जे जैल होगी और अगर को
ई मवेशी का मालिक जुर्माना औ
र खरचा खुराक देने से इनकार क
रे तो मवेशी नीलाम करदी जावे।
और नीलाम की जमा में से मताल
वा सरकारी वसूल करने के बाद
अगर कुछ वाकी बचे तो उस्को दे
दिया जावे और जो मवेशी जि
यादा हों तो उन में से उसी क़दर को
नीलाम की जावे कि जो उस मता
लवे के वास्ते काफ़ी हों और वाकी
मालिक को दी जावे ॥

| नंबर शुमार / نمبر شمار | नाम मवेशी / نام مویشی | [illegible] | [illegible] | नंबर शुमार / نمبر شمار | नाम मवेशी / نام مویشی | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ / ۱ | हाथी / ہاتھی | عہ/ | ۸/ | ६ / ۶ | ऊंट का बच्चा / اونٹ کا بچہ | ۴/ | ۱/ |
| २ / ۲ | भैंस व भैंसा / بھینس و بھینسا | ۸/ | ۳/ | ७ / ۷ | बछड़ा या बछेरा / بچھڑا یا بچھیرا | ۲/ | ۱/ |
| ३ / ۳ | ऊंठ व सांड / اونٹ و سانڈ | ۸/ | ۱۰/ | ८ / ۸ | गधा / گدھا | ۲/ | ۵/ |
| ४ / ۴ | गाय व घोड़ा व घोड़ी व बैल / گائے و گھوڑا و گھوڑی و بیل | ۴/ | ۲/ | ९ / ۹ | गधे का बच्चा / گدھے کا بچہ | ۱/ | ۳/ |
| ५ / ۵ | भैंस का बच्चा / بھینس کا بچہ | ۴/ | ۱/ | १० / ۱۰ | भेड़ व बकरी / بھیڑ و بکری | ۱/ | ۳/ |

دفعہ ۲۳۸ اگر مالک ایک ماہ میں نہ آوے تو اونٹ اور گھوڑے کو تو سرکاری طویلہ و شترخانہ میں داخل کرنے کیواسطے چالان عدالت فوجداری کیا جاوے اور بیل یا ورنیوں کو واسطے زراعت اور کاشتکاری کے دیدے جاویں باقی جانور نیلام کردئے جاویں اور زر نیلام کو تین ماہ تک امانت رکھا

दफ़ा २३८ अगर मालिक एक महीने में न आवे तो ऊंट और घोड़ा को तो सरकारी तवेल्ले और शुतरख़ाने में दाख़िल करने के वास्ते चालान अदालत फ़ौजदारी किया जावे और बैल वा वरियों को वास्ते ज़राअत और काश्तकारी के दे दिये जावें और बाक़ी जानवर नीलाम कर दिये जावें और ज़रे नीलाम को तीन महीने तक अमानत रखा

تاریخ وقوعہ سے تین مہینے
(ب) مقدمات سنگین ہیں
تاریخ وقوعہ سے چھ مہینے (۱)
دفعہ ۲۴۳ محکمہ خاص کو
اختیار ہے کہ جس مقدمہ میں
مناسب سمجھے اس میعاد
سے زاید ایام گزر
جانے پر بھی اسکی سماعت
تحقیقات اور تجویز کا حکم
دے

तारीख़ वक़ूअ़से ३ महीने ॥ (ख) संगीन मुक़द्दमों में तारीख़ वक़ूअ़ से ६ महीने ॥ (१)
दफ़ा २४३ महकमे ख़ास को अख़्तियार है कि जिस मुक़द्दमे में मुनासिब समझे इस मयाद से ज़ियादा दिन गुज़र जाने पर भी उसकी समाअ़त तहक़ीक़ात और तजवीज़ का हुक्म दे ॥

(१) **नोट** देखो तशरीह जुरायम ख़फ़ीफ़ और संगीन की जो ज़मीमे नम्बर २ व ३ मजमूए हाज़ा में दर्ज हैं ॥

(۱) **نوٹ** دیکھو تشریح جرایم خفیف وسنگین کی جو ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ مجموعہ ہذا میں درج ہے

# ضمیمہ جات ضابطہ فوجداری

## ضمیمہ نمبر ۱

## ضابطہ اجرائے سمن و وارنٹ

**(الف)** دربارہ اجرائے سمن

**دفعہ ۱** - اُن مقدمات کے ہر ایک نالش کے بابت جنمیں بموجب خانہ پنجم نقشہ جرائم مندرجہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ کے ابتدائی سمن جاری کرنا جائز ہے ملزم کے نام سمن مہری اور دستخطی حاکم عدالت کا جاری کیا جاوے گا اور تفصیل اُن جرموں کی یہاں بھی بقید دفعہائے نقشہ جات مرقوم الصدر کے درج ذیل کی جاتی ہے۔

# ज़ाब्ते फ़ौजदारी के ज़मीमे

## ज़मीमा नम्बर १

## समन और वारंट जारी करने का कायदा

**(क)** समन जारी करने के बयान में

**दफ़ा १** उन मुक़दमों की हर एक नालिश के बाबत जिनमें मुआफ़िक़ खाने ५ नक़शे जुरायम मुंदर्जे ज़मीमे २ और ३ के इब्तदाई समन जारी करना जायज़ है मुलज़िम के नाम समन मुहरी और दस्तख़ती अदालत के हाकिम का जारी किया जावेगा और तफ़सील उन जुर्मों की यहां भी मये दफ़ाआत ऊपर लिखे हुये दोनों नक़शों के नम्बरों समेत नीचे लिखी जाती है

| دفعه ضمیمه نمبر ۲ و ۳ متعلقه جرائم | | نام جرم | نمبر شمار | नम्बर शुमार | नाम जुर्म | दफ़ा ज़मीमा नम्बर २ व ३ मुताल्लक़ जुरायम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضمیمه نمبر ۳ | ضمیمه نمبر ۲ | | | | | ज़मीमा नम्बर २ | ज़मीमा नम्बर ३ |
| ۰ | ۱ و ۲ | اعانت جرائم خفیف | ۱ | १ | अआनत जुरायम खफ़ाफ़ | १,२ | ० |
| ۰ | ۳ و ۴ | عدول حکمی | ۲ | २ | अदूल हुक्मी | ३,४ | ० |
| ۰ | ۵ و ۶ | مخالفت آسودگی عام خلایق و ہنگامہ پردازی | ۳ | ३ | मुखालिफ़त आसूदगी आम खलायक़ व हंगामा परदाज़ी | ५,६ | ० |
| ۰ | ۷ | خانہ جنگی | ۴ | ४ | खाना जंगी | ७ | ० |
| ۰ | ۸ و ۹ | تحقیر ملازمان راج | ۵ | ५ | तहक़ीर मुलाज़िमान राज | ८,९ | ० |
| ۰ | ۱۰ | جھوٹے پیمانہ اور باٹوں کا بنانا | ۶ | ६ | झूटे पैमाने और बटों का बनाना | १० | ० |
| ۰ | ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ | اہانت مذہب | ۷ | ७ | अहानत मज़हब | ११,१२,१३ | |
| ۰ | ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ | امور باعث تکلیف عام خلایق | ۸ | ८ | उमूर बाइस तकलीफ़ आम खलायक़ | १४, १५,१६, १७,१८ | |

| دفعہ نمبر ۲ و ۳ متعلقہ جرائم — ضمیمہ نمبر ۳ | ضمیمہ نمبر ۲ | نام جرم | نمبر سلسلہ | नम्बर सिलसिला | नाम जुर्म | दफ़ा ज़मीमा नम्बर २ व ३ मुतालक़ जुरायम — नम्बर २ ज़मीमा | नम्बर ३ ज़मीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۱۹ | ضرر خفیف | ۹ | ९ | ज़रर ख़फ़ीफ़ | १९ | • |
| ۰ | ۲۰ | مزاحمت بیجا | ۱۰ | १० | मज़ाहमत बेजा | २० | • |
| ۰ | ۲۱ | جبر مجرمانہ | ۱۱ | ११ | जब्र मुजरिमाना | २१ | • |
| ۰ | ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ | حملہ مجرمانہ | ۱۲ | १२ | हमला मुजरिमाना | २२।२३ २४ | • |
| ۰ | ۲۵ | نقصان رسانی | ۱۳ | १३ | नुक़सानरसानी | २५ | • |
| ۰ | ۳۰ | ذبوحی ناجائز | ۱۴ | १४ | मज़बूही नाजायज़ | ३० | • |
| ۰ | ۳۱ | اقدام خودکشی | ۱۵ | १५ | इक़दाम ख़ुदकुशी | ३१ | • |
| ۱۷ | ۳۲ | حبس بیجا | ۱۶ | १६ | हब्स बेजा | ३२ | १७ |
| ۰ | ۳۳ | قطع درختاں | ۱۷ | १७ | क़ते दरख़्तान | ३३ | • |
| ۰ | ۳۴ | قمار بازی | ۱۸ | १८ | क़िमार बाज़ी | ३४ | • |
| ۰ | ۳۵ | تشکل | ۱۹ | १९ | नशाकुल | ३५ | • |
| ۱۸ | ۳۶ | اخفائے واردات | ۲۰ | २० | इख़फ़ाय वारदात | ३६ | • |
| ۰ | ۳۷ | جرائم متعلق معدلت عامہ و جھوٹی گواہی | ۲۱ | २१ | जुरायम मुतालल्लक़ के मआदलत आम्मा व झूटी गवाही | ३७ | • |

| دفعه ضمیمه نمبر ۲ و ۳ متعلقه جرائم | | نام جرم | نمبر شمار | नम्बर शुमार | नाम जुर्म | दफा ज़मीमा नम्बर २ व ३ मुताल्लक जुरायम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضمیمه نمبر ۳ | ضمیمه نمبر ۲ | | | | | ज़मीमा नम्बर २ | ज़मीमा नम्बर ३ |
| ٠ | ۳۸ و ۳۹ | تصرف بیجا | ۲۲ | २२ | तसरूफ बेजा | ३८<br>३९ | ० |
| ٠ | ۴۰ | فریب و دغا | ۲۳ | २३ | फरेब व दग़ा | ४० | ० |
| ٠ | ۴۱ و<br>۴۲ | نقض معاہده | ۲۴ | २४ | नुक़स माहदा | ४१<br>४२ | ० |
| ۵۴ و ۵۵ | | تخویف مجرمانه | ۲۵ | २५ | तखवीफ़ मुजरिमाना | ४४ | ५४<br>५५ |
| ۷ و ۹ | ٠ | جرائم جو سرکاری ملازموں سے سرزد ہوں | ۲۶ | २६ | जुरायम जो सरकारी आदमियों से सरज़द हों | ० | ७।८<br>९ |
| ۱۱ | ٠ | مداخلت بیجا بخانه | ۲۷ | २७ | मदाखलत बेजा व खाना | ० | ११ |
| ۱۴ | ٠ | سرقه | ۲۸ | २८ | सरका | ० | १४ |
| ۱۶ | ٠ | ازالهٔ حیثیت عرفی | ۲۹ | २९ | अज़ाले हैसियत उरफ़ी | ० | १६ |
| ۲۱ | ٠ | خیانت مجرمانه | ۳۰ | ३० | खयानत मुजरिमाना | ० | २१ |

| ضمیمہ نمبر ۳ | ضمیمہ نمبر ۲ | نام جرم | نمبر شمار | नम्बर शुमार | नाम जुर्म | नम्बर ज़मीमा २ | नम्बर ज़मीमा ३ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ متعلقہ جرائم | | | | | | दफ़ा ज़मीमा नम्बर २ व ३ मुताल्लक़ जुरायम | |
| ۲۴ | ۰ | جرائم متعلق ازدواج | ۳۱ | ३१ | जुरायम मुताल्लिक़े इज़दवाज | • | २४ |
| ۵۷ | ۰ | سرکاری نشان توڑنا | ۳۲ | ३२ | सरकारी निशान तोड़ना | • | ५७ |
| ۶۱ | ۰ | جرائم متعلق ٹھیکہ داری | ۳۳ | ३३ | जुरायम मुताल्लिक़े ठेकेदारी | • | ६१ |
| ۶۳ | ۰ | نقص امن | ۳۴ | ३४ | नुक़्स अमन | • | ६३ |

دفعہ ۲ گواہوں کی حاضری کے واسطے بھی خواہ وہ کسی فریق کے ہوں عموماً ابتدائی سمن جاری ہوں گے

دفعہ ۳ جس محکمہ سے کہ سمن جاری ہوں وہاں ایک رجسٹر اجرائے سمن کا حسب نمونہ ذیل رہنا چاہیے جسمیں

**दफ़ा २** गवाहों की हाज़िरी के वास्ते भी चाहे वे किसी फरीक़ के हों असूमन इब्तदाई समन। जारी होंगे

**दफ़ा ३** जिस महकमें से कि समन जारी होवें वहां इजराय समन। का एक रजिष्टर नीचे लिखे नमूने के मुआफ़िक़ रहना चाहिये जिस

| سمن نقل ہوکر جاری کیا جاوے | मे नक़ल हो कर समन जारी किया जावे |
|---|---|

| [illegible] | नाम मुद्दई मय वल्दियत कौमियत सकून्त | नाम मुद्दाअलेह मय वल्दियत कौमियत सकून्त | [illegible] | तारीख़ इजराय समन | तारीख़ पेशी मुक़द्दमा कि जिस रोज़ आसामी का हाज़िर होना ज़रूर है | समन लेजाने वाले का नाम | तादाद तलबाना | तारीख़ वापसी समन | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | نام مدعی مع ولدیت و قومیت و سکونت | نام مدعا علیہ مع ولدیت و قومیت و سکونت | [illegible] | تاریخ اجراے سمن | تاریخ پیشی مقدمہ کہ جس روز آسامی کا حاضر ہونا ضرور ہے | سمن لیجانے والے کا نام | تعداد طلبانہ | تاریخ واپسی سمن | کیفیت |

| دفعہ ۴۷ سمن معرفت قاصدان مرده کے جاری کیا جاوے اور اگر مناسب سمجھا جاوے تو آسانی کے واسطے حاکموں اور | दफ़ा ४७ समन मारफ़त क़ासिदों मिरधे के जारी किया जावे और अगर मुनासिब समझा जावे तो आसानी के वास्ते हाकिमों और |
|---|---|

جاگیرداروں کے معرفت بھی
دفعہ ۵ ہر شخص کے نام
دو قطعہ سمن جاری ہونگے
اُنمیں ایک تو اُس شخص کو
دیا جاویگا کہ جسکے نام سمن ہوگا
اور دوسرے کے اوپر سمن
لیجانے والا اُسکی اطلاعیابی
مع گواہی کے کراکے واسطے
شامل کرنے مثل کے واپس لاویگا
دفعہ ۶ جسکے نام سمن جاری
ہو اگر وہ پڑھا ہوا ہو تو اپنے ہاتھ
سے دستخط اطلاعیابی کرکے
گواہی کرادے نہیں تو
دوسرے سے اطلاع یابی لکھا
کر اپنی نشانی مع گواہی کے
کرادے
دفعہ ۷ اگر وہ آسامی جسکے
نام سمن جاری ہوا ہو اپنے
مکان پر نہ ملے اور دوسرے
گانوئیں چلا گیا ہو اور سمن
لیجانے والے کو اُسکا پتا

जागीरदारों के मारफ़त भी —
दफ़ा ५ हर शख़्स के नाम दो प
ने समन जारी होंगे उनमें से एक
तो उस शख़्स को दिया जावेगा
कि जिसके नाम समन होगा औ
र दूसरे के ऊपर समन लेजाने वा
ला उस की इत्तला याबी मये ग
वाही के करा के वास्ते शामिल क
रने मिसल के वापिस लावेगा।
दफ़ा ६ जिसके नाम समन जा
री हो अगर वह पढ़ा हुआ हो तो
अपने हाथ से इत्तला याबी के द
स्तख़त कर के गवाही करा दे न
हीं तो दूसरे से इत्तला याबी लि
खा कर के अपनी निशानी मये
गवाही के करा दे।
दफ़ा ७ अगर वह असामी जिस
के नाम समन जारी हुआ हो अप
ने मकान पर न मिले और दूस
रे गाँव में चला गया हो और स
मन ले जाने वाले को उसका पता

معلوم ہو جاوے تو اسکو چاہیے کہ وہاں جا کر اسکی تعمیل کرے۔

دفعہ ۸ سمن کا طلبانہ ایک آنہ کوس کے حساب سے سمن میں درج کیا جائے گا اور اگر کوئی سمن حسب دفعہ ۷ کے دوسرے گانو میں پہنچے تو اسکا طلبانہ بھی اسی حساب سے بموجب فاصلہ اس گانو کے دیہہ سکونت آسامی سے آسامی مذکور کو دینا ہوگا۔

دفعہ ۹ جو مجرم سمن کی رسید کرکے حاضر نہو تو بعد گزر جانے میعاد مندرجہ سمن طلب جاری کرکے بلایا جاوے

دفعہ ۱۰ - گواہ پر بھی اطلاعیابی کرنیکے بعد حاضر نہونے کی صورت میں طلب جاری کیجاویگی اور

मालूम हो जावे तो उस को चाहिये कि वहां जाकर उस की तामील करे ॥

दफ़ा ८ समन का तलबाना ↿ एक आना ⌐ कोस के हिसाब से समन में लिखा जावेगा और जो कोई समन मुआफ़िक़ दफ़े ७ के दूसरे गांव में पहुंचे तो उस का तलबाना भी आसामी के रहने के गांव से उस गांव के फ़ासले के मुआफ़िक़ उसी हिसाब से आसामी मज़कूर को देना होगा ॥

दफ़ा ९ जो मुजरिम समन की रसीद करके हाज़िर न होवे तो समन में लिखी हुई मयाद गुज़र जाने के बाद तलब जारी कर के बुलाया जावे ॥

दफ़ा १० गवाह भी इत्तला याबी करने के बाद हाज़िर न हों तो तलब जारी की जावेगी और हा

حاضر ہونے پر بشرط ثبوت جرم
تمردسکے جرمانہ بھی حسب حیثیت
ہو سکے گا جسکی زیادہ سے زیادہ
تعداد پچاس روپیہ تک ہوگی
اور اگر یہہ جرمانہ صدر عدالت
فوجداری سے ہوگا تو اوسکا
اپیل نہ ہوگا اور جو اوسکے ماتحت
عدالتون سے ہوگا تو اوس کا
اپیل صدر عدالت
فوجداری مین ہوگا

ज़िर होने पर बशर्त साबित होने जुर्म सरकशी के हैसियत के मुआफ़िक़ जुर्माना भी हो सकेगा जिस की ता दाद ज़ियादा से ज़ियादा ५०) तक होगी और अगर यह जुर्माना सदर अदालत फ़ौजदारी से होगा तो उसका अपील न होगा और जो उस की मातहत अदालतों से होगा तो उसका अपील सदर अदालत फ़ौजदारी में होगा॥

دفعہ ۱۱ ۔ اگر وہ شخص کہ
جس کے نام سمن جاری ہوا
تہا موجود نہ ملے اور نہ اوسکا
پتہ معلوم ہو تو سمن لیجانیوالے
کو چاہیئے کہ سمن اوسکے گہر
کے کسی مرد بالغ کو حوالہ
کرکے اطلاع یابی اوس کی
اس وعدہ سے لکہالے کہ
وہ یہہ سمن اوس شخص کو دیدیگا
اور اوسپر گواہی کرالے اور جو اوسکے

दफ़ा ११ अगर वह शख़्स कि जिसके नाम समन जारी हुआ था मौजूद न मिले और न उसका पता मालूम हो तो समन ले जाने वाले को चाहिये कि समन उस्के घरके किसी बालिग़ मर्द के हवाले करके इत्तला याबी उस्की इस क़ौल से लिखवा ले कि वह यह समन उस शख़्स को दे देगा और गवाही करा ले और जो उस्के

گھر پر کوئی مرد ایسا نہو تو سمن اسکے گھر پر چپکا کر اپنی تعمیل کی رپوٹ اوس گانوں کے چودھری کی گواہی سے پیش کرے

دفعہ ۱۲ اگر وہ گواہ کہ جسکے نام سمن جاری ہوا کسی معقول سبب بیماری یا شادی یا غمی وغیرہ سے تاریخ مقررہ پر حاضر نہو سکتا ہو تو اطلاعیابی میں اس سبب کو مفصل گواہوں کی گواہی سے لکھدے اور عدالت اگر مناسب سمجھے تو بانتظار حاضری گواہ مذکور کے دوسری تاریخ پیشی مقدمہ کی مقرر کر دے ورنہ تجویز مناسب مقدمہ کی کرے

## (ب) دربارہ اجرائے وارنٹ

घर पर कोई मर्द ऐसा नहो तो समन उस के घर पर चिपका कर अपनी तामील की रपोर्ट उस गांव के चौधरियों की गवाही से पेश करे

दफ़ा १२ अगर वह गवाह कि जिस्के नाम समन जारी हुआ बीमारी या शादी या ग़मी वग़ैरा के माकूल सबब से मुकर्रिरा तारीख पर हाज़िर न हो सक्ता हो तो इत्तला याबी में उस सबब को मुफ़स्सिल गवाहों की गवाही से लिख दें और जो अदालत मुनासिब समझे तो गवाह मज़्कूर की इन्तज़ारी में मुक़दमा की पेशी की दूसरी तारीख मुक़र्रिर कर दे नहीं तो मुक़दमे की मुनासिब तजबीज़ करे

## (ख) वारंट जारी करने के बयान में

دفعہ ۱۳ عملہ پولیس یا جو آدمی کہ اختیار فوجداری رکھتا ہو وہ مندرجہ ذیل جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کو بلا وارنٹ گرفتار کرسکتا ہے -

दफ़ा १३ अमला पुलिस या जो आदमी कि इख़्तियार फ़ौजदारी का रखता हो वह नीचे लिखे हुये जुर्मों के इर्तकाब करने वालों को बिलावारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है

| دفعہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ | | نام جرم | نمبر شمار | नम्बर शुमार | नाम जुर्म | दफ़ा ज़मीमा नम्बर २ व ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | | | | [illegible] | [illegible] |
| ۱ و ۲ | ٠ | اعانت پناہ دہی | ۱ | १ | अआनत पनाहदही | · | १।२ |
| ۳ و ۴ | ٠ | خلاف ورزی با سرکار | ۲ | २ | ख़िलाफ़ वरज़ी बा सरकार | · | ३।४ |
| ۵ و ۶ | ٠ | مخالفت آسودگی عام خلایق و ہنگامہ پردازی | ۳ | ३ | मुख़ालिफ़त आसूदगी आम ख़लायक़ व हंगामा परदाज़ी | · | ५।६ |
| ۹ | ٠ | جرائم جو سرکاری ملازموں سے سرزد ہوں | ۴ | ४ | जुरायम जो सरकारी मुलाज़िमों से सरज़द हों | · | ९ |

| دفعہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ | | نام جرم | نمبر شمار | नम्बर शुमार | नाम ज़ुर्म | दफ़ा ज़मीमा नम्बर २ व ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمبر ۳ ضمیمہ | نمبر ۲ ضمیمہ | | | | | नम्बर २ ज़मीमा | नम्बर ३ ज़मीमा |
| ۱۰ | • | نقصان رسانی | ۵ | ५ | नुकसान रसानी | • | १० |
| ۱۵ | • | مذبوحی ناجائز | ٦ | ६ | मज़बूही नाजायज़ | • | १५ |
| ۲۲ | • | خیانت مجرمانہ | ۷ | ७ | खयानत मुजरिमाना | • | २२ |
| ۲۳ | • | ٹھگی وزہر خورانی | ۸ | ८ | ठगी व ज़हरखुरानी | • | २३ |
| ۲۵ | • | ضرر شدید | ۹ | ९ | ज़रर शदीद | • | २५ |
| ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ | | تلبیس سکہ و اسٹام | ۱۰ | १० | तलबीस सिक्का व इस्टाम | • | २७।२८ २९ |
| ۳۰ | • | قتل عمد | ۱۱ | ११ | क़तल अमद | • | ३० |
| ۳۱ | • | قتل انسان مستلزم سزا | ۱۲ | १२ | क़तल इनसान मुसल्लज़िम सज़ा | • | ३१ |
| ۳۲ | • | سمادھ | ۱۳ | १३ | समाध | • | ३२ |
| ۳۳ | • | دختر کشی | ۱۴ | १४ | दुखतर कुशी | • | ३३ |
| ۳۴ و ۳۵ | • | ستی | ۱۵ | १५ | सती | • | ३४।३५ |
| ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ | | ڈکیتی | ۱۶ | १६ | डकेती | • | ३६।३७ |
| ۳۹ و ۱۳ ۴۰ و ۴۱ | ۲۶ ۲۷ | سرقہ و سرقہ بالجبر | ۱۷ | १७ | सिर्क़ा व सिरक़ा बिलजब्र | २६ २७ | ३८।३९ ४०।४१ |

| دفعہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ | | نام جرم | نمبر شمار | नम्बर शुमार | नाम जुर्म | दफ़ा ज़मीमा नम्बर २ व ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمبر ۳ سنگین | نمبر ۲ خفیف | | | | | नम्बर २ ख़फ़ीफ़ | नम्बर ३ संगीन |
| ۴۴ | • | اسقاط حمل | ۱۸ | १८ | इसक़ात हमल | • | ४४ |
| ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ | ۴۳ | فراری انسان | ۱۹ | १९ | फ़रारी इनसान | ४३ | ४५।४६ ४७।४८ |
| ۵۱ | • | زنا بالجبر | ۲۰ | २० | ज़िनाबिलजब्र | • | ५१ |
| ۵۲ | • | خلاف وضع فطری | ۲۱ | २१ | ख़िलाफ़ वज़े फ़ितरी | • | ५२ |
| ۵۳ | • | خرید مال مغروقہ و مسروقہ | ۲۲ | २२ | खरीद माल मगरूताव मसरूक़ा | • | ५३ |
| ۵۶ | • | سرکاری نشان توڑنا | ۲۳ | २३ | सरकारी निशान तोड़ना | • | ५६ |
| ۵۸ | • | تہانگ داری | ۲۴ | २४ | थाग दारी | • | ५८ |
| ۵۹ | • | فراری از حراست | ۲۵ | २५ | फ़रारी अज़ हिरासत | • | ५९ |
| ۶۲ | • | جرائم متعلق ریلوے | ۲۶ | २६ | जुरायम मुत्तालक़ रेलवे | • | ६२ |
| ۱۰ | ۴۵ | آوارہ گردی | ۲۷ | २७ | आवारागरदी म | ४५ | • |
| • | ۴۶ | مویشی کو جبراً | ۲۸ | | वेशी को जबरन | ४६ | • |

| دفعه ضمیمه نمبر ۲ و ۳ | | نام جرم | نمبر سلسله |
|---|---|---|---|
| نمبر فہرست ۳ | نمبر ضمیمه ۴ | | |
| | ۴۶ | پھاٹک سے یا گرفتار کنندہ سے چھوڑا لیجانا | |

| नम्बर सिलसिला | नाम जुर्म | दफ़ा ज़मीमे नम्बर २ व ३ | |
|---|---|---|---|
| | | नम्बर ज़मीमा ४ | नम्बर फ़िहरिस्त ३ |
| | फाटक से या गिरिफ़्तार करनेवाले से छुड़ाले जाना | ४६ | |

دفعه ۱۴ جرائم ذیل میں مجسٹریٹ درجه اول بشرط ضرورت مجرموں کی گرفتاری کے واسطے ابتدائی وارنٹ جاری کر سکتا ہے اور ہر وارنٹ مہری و دستخطی ہوگا۔

**दफ़ा १४** नीचे लिखे जुर्मों में मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल बशर्त ज़रूरत मुजरिमों की गिरफ़्तारी के वास्ते इब्तदई वारंट जारी कर सक्ता है और हर वारंट पर मोहर और दस्तख़त होंगे·

| دفعه ضمیمه نمبر ۲ و ۳ | | نام جرم | نمبر سلسله |
|---|---|---|---|
| نمبر فہرست ۳ | نمبر ضمیمه ۴ | | |
| ۳۰۱ | · | اعانت بغاوت | ۱ |
| ۳۰۳ | · | خلاف ورزی پاس کا | ۲ |

| नम्बर सिलसिला | नाम जुर्म | दफ़ा ज़मीमे नम्बर २ व ३ | |
|---|---|---|---|
| | | नम्बर ज़मीमा ४ | नम्बर फ़िहरिस्त ३ |
| १ | अआनत बग़ावत | · | १ २ |
| २ | ख़िलाफ़ वरज़ी पास का | · | ३ १ ४ |

| دفعہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ | | نام جرم | نمبر شمار | नम्बर शुमार | नाम जुर्म | दफ़ा ज़मीमे नम्बर २ व ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضمیمہ نمبر ۲ | ضمیمہ نمبر ۳ | | | | | ज़मीमा नम्बर ३ | ज़मीमा नम्बर २ |
| ۵ و ۶ | ۰ | مخالفت آسودگی عام خلایق و ہنگامہ پردازی | ۳ | ३ | मुख़ालिफ़त आसूदगी आमख़लायक़ व हंगामापरदाज़ी | ० | ५।६ |
| ۱۰ | ۰ | نقصان رسانی | ۴ | ४ | नुक़सानरसानी | ० | १० |
| ۱۲ | ۰ | زناکاری | ۵ | ५ | ज़िनाकारी | ० | १२ |
| ۱۳ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ | ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ | سرقہ و سرقہ بالجبر × | ۶ | ६ | सिर्क़ा व सिर्क़ा बिल जब्र | २६।२७ २८।२९ | १३।३९ ४०।४१ |
| ۱۵ | ۰ | مذبوحی ناجائز | ۷ | ७ | मज़बूही नाजायज़ | ० | १५ |
| ۱۹ و ۲۰ | ۰ | جرائم مخالف معدلت عامہ و جھوٹی گواہی | ۸ | ८ | जुरायम मुख़ालिफ़ मआदलत आम्मा व झूठी गवाही | ० | १९।२० |
| ۲۲ | ۰ | خیانت مجرمانہ × | ۹ | ९ | ख़यानत मुजरिमाना | ० | २२ |
| ۲۳ | ۰ | ٹھگی و زہرخورانی | ۱۰ | १० | ठगी व ज़हरख़ुरानी | ० | २३ |
| ۲۵ | ۰ | ضرر شدید | ۱۱ | ११ | ज़रर शदीद | ० | २५ |
| ۲۶ | ۰ | جعلسازی | ۱۲ | १२ | जालसाज़ी | ० | २६ |

| دفعہ ضمیمہ نمبر ۲ و ۳ | | نام جرم | نمبر شمار | नम्बर शुमार | नाम जुर्म | दफ़ा ज़मीमा नम्बर २ व ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمبر ضمیمہ ۳ | نمبر ضمیمہ ۴ | | | | | नम्बर ज़मीमा ४ | नम्बर ज़मीमा ३ |
| ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ | ۰ | جرائم متعلق سکہ و اسٹامپ | ۱۳ | १३ | जुरायम मुताल्लिक़ सिक्का व इस्टाम | ० | २७।२८ २९ |
| ۳۰ | ۰ | قتل عمد | ۱۴ | १४ | क़तल अमद | ० | ३० |
| ۳۱ | ۰ | قتل انسان مستلزم سزا | ۱۵ | १५ | क़तल इनसान मुसतलज़िम सज़ा | ० | ३१ |
| ۳۲ | ۰ | سمادھ | ۱۶ | १६ | समाध | ० | ३२ |
| ۳۳ | ۰ | دختر کشی | ۱۷ | १७ | दुख़्तर कुशी | ० | ३३ |
| ۳۴ و ۳۵ | ۰ | ستی | ۱۸ | १८ | सती | ० | ३४।३५ |
| ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ | ۰ | ڈکیتی | ۱۹ | १९ | डकैती | ० | ३६।३७ ३८ |
| ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ | | اسقاط حمل | ۲۰ | २० | इसक़ात हमल | ० | ४२।४३ ४४ |
| ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ | ۴۳ | فراری انسان | ۲۱ | २१ | फ़रारी इनसान | ४३ | ४५।४६ ४७।४८ |
| ۴۹ و ۵۰ | ۰ | بردہ فروشی | ۲۲ | २२ | बरदा फ़रोशी | ० | ४९।५० |
| ۵۱ | ۰ | زنا بالجبر | ۲۳ | २३ | ज़िना बिलजब्र | ० | ५१ |
| ۵۲ | ۰ | خلاف وضع فطری | ۲۴ | २४ | ख़िलाफ़ वज़े फ़ितरी | ० | ५२ |

| دفعه ضمیمه نمبر ۲ و ۳ | | نام جرم | نمبر جرم | नम्बर जुर्म | नाम जुर्म | दफा ज़मीमे नम्बर २ व ३ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمبر ضمیمه ۳ | نمبر ضمیمه ۲ | | | | | नम्बर ज़मीमा २ | नम्बर ज़मीमा ३ |
| ۵۳ | • | خریدِ مال مغروقه و مسروقه × | ۲۵ | २५ | खरीद माल मगरूना व मसरूक़ा | • | ५३ |
| ۵۶ | • | سرکاری نشان توڑنا | ۲۶ | २६ | सरकारी निशान तोड़ना | • | ५६ |
| ۵۸ | • | تهانگ داری | ۲۷ | २७ | थांग दारी | • | ५८ |
| | | فراری از حراست | ۲۸ | २८ | फरारी अज़ हिरासत | • | ५९ |
| ۶۰ | • | چوری محصول سایر | ۲۹ | २९ | चोरी महसूल सायर | • | ६० |
| ۶۲ | • | جرائم متعلق ریلوے | ۳۰ | ३० | जुरायम मुतालक़ रेलवे | • | ६२ |
| • | ۴۵ | آواره گردی | ۳۱ | ३१ | आवारागरदी | ४५ | • |
| • | ۴۶ | مویشی جبراً پهاٹک سے چهڑا لیجانا × | | ३२ | मवेशी जबरन फाटक से छुड़ा ले जाना | ४६ | • |

| | |
|---|---|
| دفعہ ۱۵- وارنٹ کا اجرا معرفت حاکمان و سپرنڈنٹان پرگنات و عملہ پولیس و ملازمان فوج راج و کوتوال جودھپور عمل میں آوے گا کوی وارنٹ مذکوریوں کے ذریعہ سے جاری نہوگا- | दफ़ा १५ वारंट हाकिमो सुपरंडंटो परगनात अमला पुलिस मुलाज़िमान फ़ौज राज और जोधपुर के कोतवाल की मारफ़त जारी किये जावेंगे। कोई वारंट मज़कूरियों के ज़रिये से जारी न होगा |
| دفعہ ۱۶ ایک رجسٹر نقل وارنٹ کا حسب نمونہ ذیل کے عدالت میں رہیگا جسمیں نقل ہوکر وارنٹ جاری ہوگا | दफ़ा १६ एक रजिस्टर वारंट की नक़ल का मुआफ़िक़ नमूने ज़ैल के अदालत में रहेगा जिसमें नक़ल हो कर वारंट जारी होगा |

| नम्बर शुमार | नाम मुद्दई मये वल्दियत व क़ौमियत व सकूनत | नाम मुद्दायले मये वल्दियत क़ौमियत सकूनत | इल्लत | | नाम आसामी जिसके वास्ते वारंट लिखा गया | तारीख़ इजराय वारंट | नाम तामील करने वाले का | रपोट तामील मये तारीख़ | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सबब इजराय वारंट मये शरह इस अमर के कि वारंट सिर्फ़ बाबत गिरफ़्तारी आसामी के है या वास्ते क़ुर्की जायदाद या तलबी या हाज़री गवाह के | | | | | |

| نمبر شمار | نام مدعی مع ولدیت و قومیت و سکونت | نام مدعا علیہ مع ولدیت و قومیت و سکونت | علت | سبب اجرای وارنٹ مع شرح اس امر کے کہ وارنٹ صرف بابت گرفتاری آسامی کے ہے یا واسطے قرقی جائداد یا تلاشی یا حاضری گواہ کے | نام آسامی جسکے واسطے وارنٹ لکھا گیا | تاریخ اجرای وارنٹ | نام تعمیل کرنے والے کا | رپورٹ تعمیلی مع تاریخ | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

دفعہ ١٧ جو مجسٹریٹ وارنٹ
جاری کرے اُسکو چاہیئے
کہ مقدمات قابل ضمانت اور
مچلکہ میں وارنٹ کی پشت پر
یہہ ہدایت واسطے تعمیل کرنے
والے کے لکھدے کہ اگر
ملزم ضمانت معتبر ایک یا کئی
آدمی کی واسطے حاضری
عدالت بہ تقرر تاریخ یا مچلکہ
مع تاوان کے جو مجسٹریٹ
مقرر کرے لکھدے تو تعمیل
کرنے والے وارنٹ کو لازم
ہے کہ ضمانت اور مچلکہ لکھا کر
بھیجدے اور آسامی
کو سپرد ضامن

दफ़ा १७ जो मजिस्ट्रेट वारंट
जारी करे उसको चाहिये कि मुक़द्द
मात क़ाबिल ज़मानत और मुचल
का में वारंट की पुश्त पर यह हि
दायत तामील करने वाले के वा
स्ते लिखदे कि अगर मुलज़िम
मोतबिर एक या कई आदमियों
की ज़मानत वास्ते हाज़िरी अदा
लत के तारीख मुक़र्रिर कर के
या मुचलका मये ज़र मानेके
जो मजिस्ट्रेट तक़र्रिर करे लि
खदे तो वारंट के तामील करने वा
ले को लाज़िम है कि ज़मानत औ
र मुचलका लिखा कर भेज दे
और आसामी को सुपुर्द ज़ामिन

کرکے اُسکی رسید بھی لکھالے
مگر شرط یہہ ہے کہ کوئی سپاہی
ضمانت نہیں لے سکے گا اگر
حاکم یا سپرنٹنڈنٹ یا
کوتوال تعمیل وارنٹ کی
معرفت کسی سپاہی کے
کرادیں کہ وہ آسامی کو مع
ضامنان کے اُنکے پاس
حاضر لاوے اور اُسوقت
حاکم یا سپرنٹنڈنٹ یا کوتوال
حسب شرح صدر عمل کرے
اور ضمانت نامہ اور
مچلکہ و رسید مع رپوٹ
تعمیلی کے اُس عدالت
کو روانہ کرے کہ جس نے
وارنٹ جاری کیا ہو
لیکن ایسے مقدمات میں
کہ جو لایق تجویز محکمہ خاص
قرار پائے ہیں مثل
قتل و ڈکیتی و سکہ قلب و
خلاف ورزی با سرکار وغیرہ

के करके उसकी रसीद भी लिखवा
ले मगर शर्त यह है कि कोई सि
पाई ज़मानत नहीं ले सकेगा।
अगर हाकिम या सुपरंटंडेंट या
कोतवाल वारंट की तामील कि
सी सिपाही की मारफ़त करावें
तो उस को हिदायत कर दे कि
वह आसामी को मये ज़ामिनों
के उनके पास हाज़िर लावे औ
र उस वक्त हाकिम या सुपरंटंड
ट या कोतवाल मुवाफ़िक ऊपर
लिखे हुवे के अमल करे औ
र ज़मानत नामा मुचलका र
सीद मये रपोट तामीली के उ
स अदालत को रवाना करे कि
जिसने वह वारंट जारी किया।
हो लेकिन ऐसे मुक़द्दमों में कि
जो लायक तजवीज़ महकमे खा
स के करार पाये हैं मिस्ले क़त्ल ड
कैती सिक्का क़लब और खि
लाफ़वरज़ी बा सरकार वग़ैरा

| | |
|---|---|
| ضمانت ہرگز نہیں ہوگی۔ | ज़मानत हरगिज़ नहीं होगी |
| دفعہ ۱۸ اگرفتاری قرقی اور تلاشی کے وارنٹ کی تعمیل سورج کے نکلنے سے پہلے اور چھپنے کے بعد نہیں ہوگی اور اگر ملزم کے بھاگ جانے یا مال کے نکل جانے کا احتمال ہو تو اُس مکان کا محاصرہ وقت مقررہ تک رکھا جاوے۔ | दफ़ा १८ गिरिफ़्तारी क़ुर्की और तलाशी के वारंट की तामील सूरज के निकलने से पहले और छुपने से पीछे नहीं होगी और अगर मुलज़िम के भाग जाने या माल के निकल जाने का ख़ुबा हो तो उस मकान का मुहासिरा वक़्त मुक़र्रेरा तक रक्खा जावे |
| دفعہ ۱۹ اگر کوئی شخص تعمیل وارنٹ میں تعرض یا مخالطہ وہی کرے تو لایق تدارک کے ہوگا اور تعمیل کرنے والے وارنٹ کو لازم ہے کہ جب وہ کسی ٹھکانے مغزر میں تعمیل وارنٹ کی کرے اور گاؤں کا مکھیا درخواست کرے کہ یہ آسامی ہمارے سپرد کر دیجائے ہم اُسکو حاضر عدالت کر دیں گے تو | दफ़ा १९ अगर कोई शख़्स वारंट की तामील में सनराज़ या बहाना करे तो लायक़ तदारुक के होगा और वारन्ट के तामील करने वाले को लाज़िम है कि जब वह किसी अज़ीज़ ठिकाने में वारंट की तामील करे और गांव का मुखिया दरख़्वास्त करे कि यह आसामी हमारे सुपुर्द कर दी जावे हम इस को अदालत में हाज़िर |

وہ اس سے ایک مچلکہ یا رقعہ اس مضمون کا لکھا کر کہ آسامی مقبوضہ کو حاضر کر دینگے وہ آسامی کو سپرد اُنکے کر کے رسید لکھا لے اور مچلکہ اور رسید کو مع وارنٹ اور رپورٹ تعمیلی کے وارنٹ جاری کرنے والے کے پاس بھیجدے۔

دفعہ ۲۰ اگر وہ آسامی جسکی گرفتاری مطلوب ہے کسی سرکار زنانہ یا بیٹہ مہاراج مہاجان یا راوراجگان یا سرداران ذی عزت کے گانو میں موجود ہو تو وارنٹ جاری کرنے والے کو چاہیئے کہ وارنٹ کے ساتھ ایک کاغذ بنام کارپرداز متعینہ دیہہ مذکور کے بھی لکھکر تعمیل کرنے والے کے حوالہ کر دے اور تعمیل کرنیوالے کو چاہیئے کہ اوّل اس گانو میں تلاش آسامی کی کرے اور وہ کاغذ کارپرداز کو

करदेंगे तो वह उससे एक मुचल्का या रुक्का इस मज़मून का लिखा कर कि आसामी मुकबूज़े को हाज़िर कर देंगे वह आसामी को सुपुर्द उनके करके रसीद लिखाले और मुचल्का और रसीद को मय वारंट और रपोर्ट तामील्ली के वारंट जारी करने वाले के पास भेजदे

दफ़ा २० अगर वह आसामी जिसकी गिरिफ़ारी मतलूब है किसी ज़नाने सरकार या महाराज साहबान या राव राजगान या ज़ी इज़्ज़त सरदारों के पट्टे के गावों में मौजूद हों तो वारंट जारी करने वाले को चाहिये कि वारंट के साथ एक काग़ज़ देहमज़कूर के कारपरदाज़ के नाम भी लिखकर तामील करने वाले के हवाले करदे और तामील करने वाले को चाहिये कि अव्वल उस गाव में आसामी की तलाश करे और वह काग़ज़ गांव के कारपरदाज़ को दे

دیگر آسامی کو گرفتار کرے اور
جو وہ اپنی ضمانت سے عدالت
میں حاضر کر دینے کا اطمینان
کر دے تو موافق دفعہ ماسبق
کے عمل درآمد کرے -
دفعہ ۲۱ جس گانو میں کسی وارنٹ
کی تعمیل درپیش ہو اُس گانو کے
جاگیردار حولدار بھومیہ چودھری
و پٹواری بھی ذمہ دار ہیں کہ
تعمیل حکم وارنٹ میں مدد
کریں اگر سہل انکاری یا
پہلو تہی کریں گے تو مواخذہ
دار ہوں گے
دفعہ ۲۲ اگر وہ آسامی
جسکی گرفتاری درکار ہے بروقت
گرفتاری کے فرار ہوکر کسی
زنان خانہ میں گھس جائے تو
تعمیل کرنے والے وارنٹ کو
لازم ہے کہ اُس گھر کے مالک
یا قابض کو ہدایت کر دے کہ وہ پردے
والی عورتوں کو اُس مکان سے

कर असामी को गिरिफ़्तार करे और
जो वह अपनी ज़मानत से अदाल
त में हाज़िर कर देने का इत मी
नान कर दे तो पहली दफ़े के मु
वाफ़िक़ अमल करे
दफ़ा २१ जिस गांव में किसी वा
रंट की तामील दर पेश हो उस गांव
के जागीर दार हवाल दार भो मि
या चौधरी और पटवारी भी ज़िम्
मे वार हैं कि वारंट के तामील के
हुक्म में मदद करें अगर सहल अं
कारी या पहलू तिही करें गे तो मुवा
ख़ज़े दार होंगे
दफ़ा २२ अगर वह असामी जिस
की गिरिफ़्तारी दरकार है गिरफ़्
तारी के वक़्त भाग कर किसी ज़ना
न ख़ाने में घुस जावे तो वारंट की ता
मील करने वाले को लाज़िम है कि
उस घर के मालिक या क़ाबिज़
को हिदायत कर दे कि वह परदे
वाली औरतों को उस मकान से

دوسرے مکان میں اُس
عورت کے سامنے جسکو
تعمیل کرنے والا مقرر کرے
ہٹا دیں اور اس کام کیواسطے
کچھ مہلت بھی دیجاوے کہ وہ
عورت بہ سہولیت وہاں سے
علیحدہ ہو سکیں اور بعد
اُسکے گرفتار کرنے والا
اُس مکان میں جا کر تعمیل وارنٹ
کی کرے اور اگر قفل مکان کا
اندر سے بند ہو تو اُسکو
بزور توڑ کر تعمیل حکم کی کرے
یا جو تدبیریں کہ مناسب ہوں انکو
عمل میں لاوے زیادہ سخت مزاحمت نکرے
دفعہ ۲۳ اگر کوئی مجرم یا ملزم
گرفتاری کے وقت مقابلہ سے
پیش آوے اور تعمیل کرنے والا
وارنٹ کا کسی تدبیر مناسب
سے اُسکو بوجہ مقابلہ
آرائی کے گرفتار نہ
کرسکے اور مجرم



दूसरे मकान में उस औरत के सामने
कि जिस्को तामील करने वाला मु
क़र्रर करे हटा दें और इस काम
के वास्ते कुछ मोहलत भी देदी जा
वे कि वह औरतें सहूलियत के सा
थ वहां से अलैहदा हो सकें और उ
सके बाद गिरफ़ार करने वाला उस
मकान में जाकर तामील वारंट
की करे और अगर मकान का क़ुफ़
ल अंदर से बंद हो तो उस्को ब
ज़ोर तोड़ कर हुक्म की तामील
करे या जो तदबीरें कि मुनासिब
हों उन को अमल में लावे जिया
दा सख़्त मुज़ाहमत न करे
दफ़ा २३ अगर कोई मुजरिम
या मुलज़िम गिरफ़ारी के वक्त
मुकाबिला करे और वारंट
की तामील करने वाला कि-
सी तदबीर मुनासिब से उस्को
मुकाबिला करने के सबब से गि
रिफ़ार न कर सके और मुजरिम

या मुलज़िम की यह नियत मालूम·
होकि वह कोई हर्बा मोहलिक करे·
गा तो उस वक़्त वारंट की तामील कर
ने वाला हिफ़ाज़त खुद इख़्तियारी
काम जायज़ होगा'॥

یا ملزم کی یہ نیت معلوم ہو کہ وہ
کوئی حربہ مہلک کریگا تو اسوقت
تعمیل کرنے والا وارنٹ کا
حفاظت خود اختیاری کا مجاز
ہوگا۔

نقشہ ضمیمہ نمبر ۲ متعلقہ سزا بر جرائم خفیف

नक़्शा ज़मीमा नम्बर २ मुताल्लिक़े सज़ा जुरायम ख़फ़ीफ़

| दफ़ा دفعہ | نام جرم | تشریح جرم | आमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकता है या नहीं | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट | काबिल ज़मानत के है या नहीं | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं | شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी | अपील कहाँ होगी | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९ | अआनत यानेसहायताकरना | (क) किसी आदमी को किसी जुर्म याने अपराध करने की तरग़ीब देना कि तू फ़लाना काम कर मैं तेरा मददगार हूं और वह उसी तरह है करे (ख) या अयानत याने सहायता करना (ग) या तरक फ़ेल | नहीं कर सक्ता है | समन | काबिल ज़मानत के है | काबिल राज़ीनामे के नहीं है | जो जुर्म याने अपराध की सज़ा वही अयानत की सज़ा | जो जुर्म की तजवीज़ करे | जहां जायज़ हो | |
| ۱ | اعانت | (۱) کسی آدمی کو کسی جرم کے ارتکاب کی ترغیب دینا کہ فلاں کام کر میں تیرا مددگار ہوں اور وہ اسیطرح کرے (ب) یا اعانت کرنا (ج) یا ترک فعل | نہیں کر سکتا ہے | سمن | قابل ضمانت ہے | قابل راضی نامہ نہیں ہے | جو جرم کی سزا وہی اعانت کی سزا | جو جرم کی تجویز کرے | جہاں جائز ہو | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | राज़नु | चंद आदमी जो वहकाने किसी शख्स से मुरतकिब याने जो ग्य किसी जुर्म खफ़ीफ़ के होते हों उनका शरीक होना. | राज़नु | राज़न | राज़न | राज़न | तीन महीने तक की क़ैद या ५०) रुपये तक जुर्माना. | हरमजिष्ट्रेट | फ़ौज़दारी अदालत. | . |
| ۲ | اعانت | چند آدمی جو بہکانے کسی شخص سے مرتکب کسی جرم خفیف کے ہوتے ہوں انکا شریک ہونا | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | تین ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ | ہر مجسٹریٹ | عدالت فوجداری | |
| ३ | अदल हुकमी | (क) सर्कारी मुलाज़िम के हुक्म जायज़ की तामील न करे (ख) या उस की तलबी पर हाज़िर न होना. (ग) या कैद की हालत में रोटी न खाने की धमकी देना. | राज़न | राज़न | राज़न | राज़न | तीन महीने तक की कैद ५०) रुपये तक जुर्माना. | राज़न | राज़न | . |
| ۳ | عدول حکمی | ا سرکاری ملازم کے حکم جایز کی تعمیل نکرنا ب یا اسکی طلبی پر حاضر نہونا ج یا قید کی حالت میں روٹی نہ کھانے کی دھمکی دینا | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | تین ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ | ایضاً | ایضاً | . |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़ार कर सक्ता है या नहीं ॥ / عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کرسکتا ہے یا نہیں | इब्तिदाई समन जारी होगा या वारंट / ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت کے ہے یا نہیں | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ کے ہے یا نہیں | शरेह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी / کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा / اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ / ۴ | अदूल हुकमी / عدول حکمی | इज़हार लिखाने से इन्कार करना (ख) या अपने इज़हार पर दस्तख़त करने से इनकार करना (ग) या हल्फ़ उठाने से इन्कार करना (घ) या वाजबी बात नपा न करना (ङ) या तलब किये हुये दस्तावेजें पेश करना / (ا) اظہار لکھانے سے انکار کرنا (ب) یا اپنے اظہار پر دستخط کرنے سے انکار کرنا (ج) یا حلف اٹھانے سے انکار کرنا (د) یا واجبی بات بیان نہ کرنا (ہ) یا دستاویز مطلوبہ پیش نہ کرنا | नहीं कर सक्ता है ॥ / نہیں کر سکتا ہے | समन / سمن | काबिल ज़मानत के है / قابل ضمانت ہے | काबिल राज़ीनामे के नहीं है / قابل راضی نامہ نہیں ہے | तीन महीने तक की क़ैद या ५० रुपये तक जुर्माना / تین ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ | हर मजिस्टरेट / ہر مجسٹریٹ | फौजदारी अदालत / صدر عدالت فوجداری | • • |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | जुर्म मुखालिफ आसूदगी आम खलायक वहंगामा परदाजी यानें सर्वसंबंधी कुशल मे विघन डालने वाले | (क) बल्वा करना· (ख) या तनाज़े की जमीन या खेती वगैरा के बाबत दूसरे आदमियों की मदद लेकर दंगा फसाद करना· | राज़न· | राज़न· | राज़न· | राज़न· | एक महीने की कैद या २५) रुपैतक जुर्माना फरीक़ सानी पर और इससे दुगना फरीक़ अव्वल पर | राज़न· | राज़न· | |
| ۵ | مخالف آسودگی عام خلایق و ہنگامہ پردازی | (ا) بلوہ کرنا (ب) یا آپس میں بابت تنازعہ اراضی سکنی یا زرعی وغیرہ کے بشمول دیگر مجرمان کے دنگا و فساد کرنا | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایکماہ تک کی قید اور ۲۵ روپیہ تک جرمانہ فریق ثانی پر اور اس سے دوچند فریق اول پر | ایضاً | ایضاً | . |
| ६ | राज़न· | जिस मुकाम पर कि मजमा नाजायज़ यानें खेड़ जमा होवे और उस मकान के मालिक या काबिज का सर्कार में इत्तला न देना (तशरीह) पांच आदमी या पांच से जियादा जो फसाद की नियत से जमा हों उसको मजमा नाजायज कहा जावेगा | राज़न· | राज़न· | राज़न· | राज़न | ५००) रुपैतक जुर्माना अगर न दे तो छः महीनेतक की कैद | राज़न· | राज़न· | · |
| ٦ | مخالف آسودگی عام خلایق و ہنگامہ پردازی | جس مقام پر مجمع ناجائز جمع ہو اس مکان کے مالک یا قابض کا سرکار میں اطلاع نہ دینا (تشریح) پانچ آدمی یا پانچ سے زیادہ بخوف فساد کے جمع ہوں اسکو مجمع خلاف قانون کہا | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | پانچسو روپیہ تک جرمانہ اور نہ دے تو چھ ماہ تک کی قید | ایضاً | ایضاً | . |

| दफ़ा / دفعہ | नामजुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट | काबिल ज़मानत के हैं या नहीं | काबिल राजीनामे के हैं या नहीं | शरेह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत में तजवीज़ होगी | अपील कहां होगा | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ७ / ۷ | खानेजंगी / خانہ جنگی | घर घरके आद मियोंका बाबत तकरार रहनेकी या रैनी की ज़मीनके या पडोसीपनके आपसमें लड़ना। / گھر گھر کے آدمیوں کا بابت تکرار اراضی سکنی یا زرعی یا ہمسائگی کے آپس میں لڑنا | नहीं कर सक्ता / نہیں کر سکتا ہے | समन / سمن | काबिल ज़मानत के हैं॥ / قابل ضمانت ہے | काबिल राजीनामे के नहीं हैं / ہے | फ़रीक अव्वल पर छे माह तक की कैद या १०००) रुपये तक जुर्माना और फ़रीक़ सानी पर तीन माह तक की क़ैद या ५००) रु० तक जुर्माना। / فریق اول پر چھ ماہ تک کی قید یا ایک ہزار روپیہ تک جرمانہ اور فریق ثانی پر تین ماہ تک کی قید اور یا پانسو روپیہ تک جرمانہ | हर मजिस्टरेट / ہر مجسٹریٹ | सदर अदालत फ़ौजदारी / صدر عدالت فوجداری | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८ | तहक़ीरमुलाज़मान राजे या नेराजक मुलाज़मान का अपमान करना | (क) सरकारी मुलाज़िम के मुक़ाबले में जिस वक़्त के वो अपने ओहदे की हैसियत से सरकारी काम को भुगताता हो कोई ऐसा लफ़्ज़ कहे कि जिस्से उस्की खिफ़्फ़त यानी अपमान मुतसव्विर हो (ख) या तौहीन अदालत करना (ग) मुलाज़िम सरकारी के हुक्म जायज़ को रोकना (घ) या उसमें हरज करना | एज़न | एज़न | एज़न | एज़न | छ: महीने तक की क़ैद या १०० रुपये तक जुर्माना | एज़न | एज़न | . |
| ۸ | تحقیر ملازمان راج | سرکاری ملازم کے مقابلہ میں جسوقت کہ وہ اپنے عہدہ کی حیثیت سے لوازم منصبی کو انجام دیتا ہو کوئی ایسا لفظ کہنا کہ جس سے اسکی خفت متصور ہو (ب) یا توہین عدالت کرنا (ج) یا ملازم سرکاری کے حکم جائز کو روکنا۔ (د) یا اسمیں ہرج کرنا۔ | ایضاً | ایضاً | ایضاً | نہیں ہے | چھ ماہ تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ | ایضاً | ایضاً | . |

| दफ़ा دفعہ | नाम जुर्म نام جرم | तशरीह जुर्म تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं قابل ضمانت کے ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं قابل راضی نامہ کے ہے یا نہیں | शरेह सज़ा شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगी اپیل کہاں ہوگی | कैफ़ियत کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९<br>۹ | तहक़ीर मुलाज़मान राज यानि राज के मुलाज़मान का अपमान करना<br>تحقیر ملازمان راج | (क) अदालत के अहकाम जायज़ को दूसरे लोगों के रूबरू दूसरी तरह से ज़ाहिर करना। (ख) या कोई दस्तावेज़ पेश न करना जब के पेश करना उसका वाजिब हो। (ग) या सवाल का जवाब न देना<br>(ا) عدالت کے احکام جایز کو دوسرے لوگوں کے روبرو دوسری طرح ظاہر کرنا (ب) یا کوئی دستاویز پیش نہ کرنا جبکہ پیش کرنا اسکا واجب ہو۔ (ج) یا جواب سوال کا نہ دینا۔ | नहीं कर सक्ता है।<br>نہیں کر سکتا ہے | समन | क़ाबिल ज़मानत के है।<br>قابل ضمانت ہے | क़ाबिल राज़ीनामे के नहीं है<br>قابل راضی نامہ کے نہیں ہے | छः महीने तक की क़ैद या ५०) रुपये तक जुर्माना या दोनो।<br>چھ ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | हर मजिष्ट्रेट।<br>ہر مجسٹریٹ | सदर अदालत फ़ौजदारी।<br>صدر عدالت فوجداری | . |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९० | झूठे पैमाना यानि माप और बांटो का बनाना या रखना या काम में लाना या उनके औज़ार बनाना। | (क) झूठे पैमाने रखना (ख) या बाट मामूली वज़न से कम या ज़ियादा रखना (ग) या उसका इस्तेमाल करना या बेचना (घ) या उसके औज़ार बनाना (ङ) या उसको रखना या बेचना (च) या किसी को देना | राज़न | राज़न | राज़न | राज़न | तीन महीने तक की कैद या ५० रुपये तक जुर्माना या दोनों | राज़न | राज़न | |
| ۱۰ | جھوٹے پیمانہ یا باٹونکا بنانا یا رکھنا یا کام مین لانا یا اون کے اوزار بنانا - | (ا) جھوٹے پیمانہ رکھنا (ب) یا باٹ معمولی وزن سے کم وبیش کرنا - (ج) یا اوس کا استعمال کرنا یا فروخت کرنا (د) یا اوس کے اوزار بنانا - (ہ) یا اوسکو رکھنا یا فروخت کرنا (و) یا کسی کو دینا - | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | تین ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونون | ایضاً | ایضاً | |

| दफ़ा دفعہ | नाम जुर्म نام جرم | तशरीह जुर्म تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं | इब्तदाई में समन जारी होगा या वारंट | काबिल ज़मानत के है या नहीं | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं | शरह सज़ा شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी | अपील कहां होगा | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ११ | अहानत मज़हब अर्थात मतरंब्जुन / اہانت مذہب | (क) किसी फिरके के मजहब की अहानत के वास्ते उस्की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाना. (ख) या किसी तरह की बेअदबी करना. (ग) या अहानत मज़हब के ज़रिये से किसी को रंज पहुंचाना. / (ا) کسی فرقہ کے مذہب کی اہانت کیواسطے اسکی معبدگاہ کو نقصان پہنچانا + (ب) یا کسیطرح کی بے ادبی کرنا (ج) یا اہانت مذہب کے ذریعہ سے کسیکو رنج پہنچانا۔ | नहीं कर सक्ता है. / نہیں کرسکتا ہے | समन. / سمن | काबिल ज़मानत के है. / قابل ضمانت ہے | काबिल राज़ीनामे के नहीं है. / قابل راضی نامہ کے ہے - | छः महीने तक की क़ैद या १००) रुपये तक जुर्माना या दोनो. / چھ ماہ تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | हर मजिस्ट्रेट / ہر مجسٹریٹ | फ़ौजदारी अदालत. / صدر عدالت فوجداری | • |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२<br>۱۲ | एज़न॰ | (क) किसी मज़हबी मजमें को सराहनन याकिनायतन तकलीफ़ देना॰<br>(ख) याउस्का दिल दुखाना<br>ا کسی مذہبی مجمع کو صراحتاً یا کنایتاً تکلیف دینا<br>ب یا اُسکا دل دُکہانا | एज़न॰<br>ایضاً | एज़न॰<br>ایضاً | एज़न॰<br>ایضاً | एज़न॰<br>ایضاً | तीन माह तक की क़ैद या ५०) रुपये तक जुरमाना या दोनों<br>تین ماہ کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | एज़न॰<br>ایضاً | एज़न॰<br>ایضاً | • |
| १३<br>۱۳ | एज़न॰<br>ایضاً | (क) किसी की कबरस्तान में मदाख़लत करना॰<br>(ख) या मकानात वक़्फ़ यानेपरमारथी मकान में मदाख़लत करना॰<br>ا کسی کی قبرستان میں مداخلت کرنا<br>ب یا مکانات وقف میں مداخلت کرنا | एज़न॰<br>ایضاً | एज़न॰<br>ایضاً | एज़न॰<br>ایضاً | एज़न॰<br>ایضاً | तीन महीने तक क़ैद या ५०) रुपये तक जुर्माना॰ या दोनों॰<br>تین ماہ کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | एज़न॰<br>ایضاً | एज़न॰<br>ایضاً | • |

| दफ़ा دفعه | नामजुर्म نام جرم | तशरीह जुर्म تشریح جرم | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकती है या नहीं آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | आया समन जारी होगा या वारंट آیا سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल ज़मानत है या नहीं قابل ضمانت ہے یا نہیں | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा شرح سزا | किस अदालत में तजवीज़ होगी کس عدالت میں تجویز ہوگی | अपील कहां होगी اپیل کہاں ہوگی | कैफियत کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १४ ۱۴ | अमूर बाइस तकलीफ़ आम ख़ल्क यानी सर्व संबंधी आरोग्यता और सुगमता और सुलजनामें विघन डालने वाले अपराध امور باعث تکلیف عام خلایق | जान बूझ कर कोई ऐसा काम करना जिससे मोहल्ले वालों या रास्ते चलने वालों या पास रहने वालों को किसी तरह का ख़तरा या आज़ुर्दगी या ख़ौफ़ बीमारी मुतसव्विर रहो. جان بوجھکر کوئی فعل ایسا کرنا جس سے محلے والون یا رستہ چلنے والون یا پاس رہنے والون کو کسیطرح کا خطرہ یا آزردگی یا خوف بیماری متصور ہو | नहीं कर सक्ता है. نہیں کرسکتا ہے | समन سمن | काबिल ज़मानत के है. قابل ضمانت ہے | काबिल राज़ीनामे के नहीं है. قابل راضی نامہ نہیں ہے | तीन महीने तक क़ैद या ५०) रुपे तक जुर्माना. या दोनों. تین ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونون | हरमजिस्ट्रेट. ہر مجسٹریٹ | फौजदारी अदालत. صدر عدالت فوجداری | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २५<br>۱۵ | अमूर वायस तकलीफ़ आम खल्लायक<br>امور باعث تکلیف عام خلائق | जिस चीज़ से खल्क़ को अंदेशा हो उसको बावजूद हुक्म के न उठाना<br>جس چیز سے خلق کو اندیشہ ہو اوس کو با وجود حکم کے نہ اوٹھانا - | एज़न | एज़न | एज़न | एज़न | २०) रुपये तक जुर्माना<br>دس روپے تک جرمانہ | एज़न | एज़न | . |
| | | | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | | ایضاً | ایضاً | |
| २६<br>۱۶ | एज़न<br>ایضاً | (क) बे अहतियाती से बाज़ार में घोड़ा या गाड़ी दौड़ाना<br>(ख) या रास्ते या आम गुज़रगाह पर ऐसी चीज़ डालना जिस से अफ़ज़ून याने हरगिज़ द फेले ॥<br>(ग) या रास्ते चलने वालों को तकलीफ़ या खतरा हो<br>(۱) بے احتیاطی سے بازار میں یا تنگ جگہہ میں گہوڑا یا گاڑی دوڑانا (ب) یا راستہ یا عام گذرگاہ پر ایسی چیز ڈالنا جس سے تنگی پیدا ہو (ج) یا رستہ چلنے والونکو تکلیف یا خطرہ ہو | एज़न | एज़न | एज़न | एज़न | एक माह तक क़ैद या २००) रुपये तक जुर्माना या दोनों<br>قید ایک ماہ تک یا جرمانہ سو روپے تک یا دونوں | एज़न | एज़न | . |
| | | | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | | ایضاً | ایضاً | |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं<br>عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई में समन जारी होगा या वारंट<br>ابتدا میں سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामा के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस क़िस्म की अदालत में जुर्म क़ाबिल तजवीज़ है<br>کس قسم کی عدالت میں جرم قابل تجویز ہے | अपील कहां होगी<br>اپیل کہاں ہوگی | कैफ़ियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २० | मज़ाहमत बेजा यानेअ नीली रोक | किसी शख़्स को कोई काम जायज़ करने से रोकना (ख) या उनसे पर खास करना (ग) या मज़ाहमत बेजा पहुंचाना | नहीं कर सक्ता | समन | है | है | तीन माह तक कीकैद या ५७ रुपये जुरमाना या दोनो | हरमजिस्ट्रेट | अदालत फौजदारी | |
| ۲۰ | مزاحمت بیجا | (الف) کسی شخص کو کوئی کام جائز کرنے سے روکنا۔ (ب) یا اوس سے پرخاش کرنا (ج) یا مزاحمت بیجا پہنچانا | نہیں کرسکتا | سمن | ہے | ہے | تین ماہ تک قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | ہر مجسٹریٹ | صدر عدالت فوجداری | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २१ | जबरमुज़ाना याने अनीति बल | (क) किसी शख्स की सवारी की बग्गी या घोड़ा पालकी या गाड़ी को किसी जुर्म चोरी वगैरा: करने के इरादे से रोक लेना (ख) या उसकी रफ्तार याने चाल को तेज करलेना जिससे नुकसान मुतसव्विर हो | राज़न | राज़न | राज़न | राज़न | तीन महीने तक की कैद या ५०) रुपये तक जुर्माना या दोनो | राज़न | राज़न | • |
| ۲۱ | جبر مجرمانہ | کسی شخص کی سواری کی بگی یا گھوڑا یا پالکی یا گاڑی کو بارادہ کسی جرم چوری وغیرہ کے روک لینا یا اسکی رفتار کو تیز کر دینا جس سے نقصان متصور ہو | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | تین ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | ایضاً | ایضاً | • |
| २२ | हमला मुज़रमाना याने उठैया | किसी सर्कारी मुलाज़िम पर हमला करना इस नियत से कि उसको अख्तियारात मुनसबी के जारी करने से रोका जावे | राज़न | राज़न | राज़न | राज़न | छः महीने तक की कैद या २००) रुपये तक जुर्माना | राज़न | राज़न | |
| ۲۲ | حملہ مجرمانہ | کسی سرکاری ملازم پر حملہ کرنا اس نیت سے کہ اسکو اختیارات منصبی کی جاری کرنے سے روکا جاوے | ایضاً | ایضاً | ایضاً | نہیں ہے | چھ ماہ تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ | ایضاً | ایضاً | • |

| दफ़ा / دفعہ | नामजुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमल पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकती है या नहीं | इब्तदाई में समन जारी होगा या वारंट | काबिल ज़मानत के है या नहीं | काबिल राज़ीनामा के है या नहीं | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से तजवीज़ होगा | अपील कहां होगा | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २३ / ۲۲۳ | हमला मुजरमाना याने उठैया / حملہ مجرمانہ | किसी औरत की इज़्ज़त याने लज्जा में खलल डालने को हमला करना / کسی عورت کی عفت میں خلل ڈالنے کو حملہ کرنا | नहीं कर सकता / نہیں کرسکتا | समन / سمن | है / ہے | काबिल राज़ीनामे के नहीं है / قابل راضی نامہ نہیں ہے | छः माह तक की क़ैद या १००) रुपये तक जुर्माना / چھ ماہ تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ | हर मजिस्ट्रेट / ہر مجسٹریٹ | अदालत फ़ौजदारी / صدر عدالت فوجداری | · |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २४<br>۲۴ | हमला मुजरमाना<br>حملہ مجرمانہ | (क.) किसी शख्स के ऊपर क़ैद करने के वास्ते अपनी कुवत बाज़ू से हमला करना<br>(ख) या दूसरों की मदद से हमला करना<br>(ग) या धरना देना<br>(الف) کسی شخص کے اوپر قید کرنے کیواسطے اپنی قوت بازو سے حملہ کرنا<br>(ب) یا دوسروں کی مدد سے حملہ کرنا<br>(ج) یا دھرنا دینا۔ | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | छः माह तक की क़ैद या १००) रुपये तक जुरमाना<br>چھ ماہ تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | • |
| २५<br>۲۵ | नुक्सान रसानी याने नुक्सान पहुंचना<br>نقصان رسانی | किसी शख्स के माल या ज़रायत याने खेती व: खलियान व घास व चारा वगैरा का नुक़्सान मवेशी के ज़रिये से या आग लगाने या और तरह से पहुंचाना जिस्की तादाद ५०) रुपये से कम हो:<br>کسی شخص کے مال یا زراعت یا خرمن یا گھاس یا چارہ وغیرہ کا نقصان کرنا یا مویشی کے ذریعہ سے یا آگ لگا کر یا اور طرح پر کرنا جسکی تعداد پچاس روپیہ سے کم ہو | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | है<br>ہے | छः माह तक की क़ैद या १००) रुपये तक जुरमाना या दोनो<br>چھ ماہ تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | • |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं / عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तिदाई समन जारी होगा या वारंट / ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी / کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा / اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २६ ۲۶ | सिरका याने चोरी / سرقہ | चोरी करना / چوری کرنا | करसक्ता है / کرسکتا ہے | वारंट / وارنٹ | नहीं हैं / نہیں | नहीं है / نہیں ہے | छः महीने तक की क़ैद या १००) रु० जुर्माना या दोनों / چھ ماہ تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | हर माजिस ट्रेट / ہر مجسٹریٹ | अदालत फ़ौजदारी / صدر عدالت فوجداری | |
| २७ ۲۷ | राज़न / الیضاً | चोरी के इरादे से कोई नक़बज़नी याने सांता लगाने का औज़ार लिये फिरना / چوری کے ارادہ سے کوئی آلہ نقب زنی کا لئے پھرنا | राज़न / الیضاً | राज़न / الیضاً | राज़न / الیضاً | राज़न / الیضاً | तीन माह तक की क़ैद या ५०) रु० तक जुर्माना या दोनों / تین ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونو | राज़न / الیضاً | राज़न / الیضاً | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २८<br>۲۸ | राज़न<br>ایضاً | (क) चोरी के इरादे से किसी दरख़्त को काटना<br>(ख) या किवाड़ वग़ैरा उतारना<br>(الف) چوری کے ارادہ سے کسی درخت کو کاٹنا<br>(ب) یا کواڑ وغیرہ اتارنا۔ | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | तीन महीने तक की क़ैद या ५० रुपये तक जुर्माना या दोनों<br>تین ماہ تک کی قید یا ۵۰ تک جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | • |
| २९<br>۲۹ | राज़न<br>ایضاً | चोरी की नियत से किसी जानवर या चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देना<br>چوری کی نیت سے کسی جانور یا چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہہ لیجا کر چھوڑ دینا | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | तीन महीने तक की क़ैद या ५० रु० तक जुर्माना या दोनों<br>تین ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | • |
| ३०<br>۳۰ | मज़बूहीना जायज़ याने अवध का बध करना<br>مذبوحی ناجائز | मोर या अमर बकरा वग़ैरा जानवरों को मारना कि जिन का मारना मना है<br>مور یا امر بکرہ وغیرہ جانوروں کو مارنا کہ جنکا مارنا منع ہے | नहीं<br>نہیں | समन<br>سمن | है<br>ہے | नहीं<br>نہیں | छः माह तक की क़ैद या ५० रु० तक जुर्माना या दोनों<br>چھ ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | • |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकती है या नहीं<br>آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | समन जारी होगा या वारंट<br>سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल ज़मानत है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | काबिल राज़ीनामा है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस मजिस्ट्रेट के रूबरू काबिल तजवीज़ है<br>کس مجسٹریٹ کے روبرو قابل تجویز ہے | अदालत किसकी होगी<br>[illegible] | कैफ़ियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३१<br>۳۱ | इकदाम खुदकशी याने आपघात करने का उद्योग करना<br>اقدام خودکشی | (क) किसी शख्स को धमकी देने के वास्ते खुद कशी का इरादा करना<br>(ख) या चांदी करना<br>(الف) کسی شخص کو دھمکی دینے کے واسطے ارتکاب خودکشی کا کرنا<br>(ب) یا چاندی کرنا | नहीं<br>نہیں | समन<br>سمن | नहीं है<br>نہیں ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | छ महीने तक की कैद या ५०० रुपै तक जुर्माना या दोनो<br>چھ ماہ تک کی قید یا پانسو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | हर मजिस्ट्रेट<br>ہر مجسٹریٹ | अदालत फ़ौजदारी<br>صدر عدالت فوجداری | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३२ ٣٢ | हस्व बेजा याने अनीती रोक<br>حبس بیجا | (क) किसी शख्स को कैद करना<br>(ख) या निगरानी में रखना<br>(ग) या किसी को मकान या गांव से बाहर न जाने देना बशर्ते के तीन रोज से कम हो<br>(الف) کسی شخص کو قید کرنا<br>(ب) یا نگرانی میں رکھنا<br>(ج) یا کسی کو مکان یا گاؤں سے باہر نہ جانے دینا بشرطیکہ تین روز سے کم ہو | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | है<br>ہے | है<br>ہے | छः माह तक की कैद या ५०० रु० तक जुरमाना या दोनो<br>چھ ماہ تک کی قید یا پانسو روپیہ جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً |
| ३३ ٣٣ | किनेदरख्तां ना याने दरख्तों को काटना<br>قطع درختاں | (क) सबके फायदे का या सड़क के किनारे के दरख्तों को काटना<br>(ख) या सब्ज नीम को काटना<br>(ग) या सब्ज़ रोहिड़े को काटना<br>(الف) مفید عام یا سڑک کے کنارہ کے درختوں کو کاٹنا<br>(ب) یا سبز نیم کو کاٹنا<br>(ج) یا روہیڑہ کے سبز درخت کو کاٹنا | नहीं<br>نہیں | समन<br>سمن | है<br>ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | एक माह तक की कैद महज़ या ५० रुपे तक जुर्माना या दोनो<br>ایک ماہ تک کی قید محض یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सक्ती है या नहीं | आया इब्तिदा में समन जारी होगा या वारंट | काबिल ज़मानत के है या नहीं | काबिल राज़ीनामा के है या नहीं | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से तजवीज़ होगी | अपील कहां होगा | कैफियत / کیفیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ३४ / ۳۴ | किमार बाज़ी याने जुआ खेलना / قمار بازی | जूआ खेलना / جوا کھیلنا | नहीं कर सक्ता है / نہیں | समन / سمن | है / ہے | नहीं है / نہیں ہے | दो माह तक की क़ैद महज़ या ५०) रुपये जुर्माना या दोनो / دو ماہ تک کی قید محض یا ۵۰ روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | हर मजिस्ट्रेट / ہر مجسٹریٹ | अदालत फ़ौजदारी / صدر عدالت فوجداری | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३५<br>۳۵ | नशकूलत या सिकल बनाना<br>تشکل یا شکل بنانا | (क) दूसरे के नाम से उस की शकल बना कर कारखाई करना<br>(ख) या अपने को दूसरा शख्स जाहिर करना<br>(ग) या फरजी नाम से इज़हार वगैरा लिखाना<br>(الف) دوسرے نام سے اسلی شکل بنا کر کارروای کرنا (ب) یا اپنے کو دوسرا شخص ظاہر کرنا (ج) یا فرضی نام سے اظہار وغیرہ لکھانا ۔ | राज़न<br>الیضاً | राज़न<br>الیضاً | राज़न<br>الیضاً | राज़न<br>الیضاً | ६ माह तक की क़ैद या २००) रु॰ तक जुर्माना या दोनों<br>چھ ماہ تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ یا دونو | राज़न<br>الیضاً | राज़न<br>الیضاً | . |
| ३६<br>۳۶ | इकफ़ाय वारदात या ने वारदात को छुपाना<br>اخفا واردات | जुर्म खफ़ीफ़ की वाजबी खबर न देना<br>جرم خفیف کی واجبی خبر نہ دینا | राज़न<br>الیضاً | राज़न<br>الیضاً | राज़न<br>الیضاً | राज़न<br>الیضاً | १ माह की कैद या २५) रुपे तक जुर्माना या दोनों<br>ایک ماہ تک کی قید یا پچیس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>الیضاً | राज़न<br>الیضاً | . |

| दफ़ा<br>دفعہ | नामजुर्म<br>نام جرم | तशरीहजुर्म<br>تشریح جرم | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सकती है या नहीं<br>آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट<br>ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं<br>قابل ضمانت کے ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ کے ہے یا نہیں | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस अदालत में मुक़द्दमा क़ाबिल तजवीज़ है<br>کس عدالت میں مقدمہ قابل تجویز ہے | अपील किस अदालत में होगी<br>اپیل کس عدالت میں ہوگی | कैफियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३७<br>۳۷ | जुरायम मुतअल्लिक़े मआदलत आमा व झूठी गवाही देना यानी सर्व संबंधी न्याव में विघ्न डालने वाले या झूठी गवाही देना<br>جرائم متعلق معدلت عام و جھوٹی گواہی | (क) झूठी दस्तावेज़ पेश करना (ख) या जुर्म खफ़ीफ़ में झूठी गवाही देना<br>(الف) جھوٹی دستاویز پیش کرنا (ب) یا جرم خفیف میں جھوٹی گواہی دینا | नहीं कर सकती<br>نہیں | समन<br>سمن | है<br>ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | ६ महीने तक की क़ैद या ५०) रुपे तक जुर्माना या दोनों<br>چھ ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दोयम<br>مجسٹریٹ درجہ اول یا دویم | सदर अदालत फ़ौजदारी या महकमे अपील<br>صدر عدالت فوجداری یا محکمہ اپیل | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३८<br>۳۸ | नसरुफ़ बेजा<br>تصرف بیجا | जस्ते कद या कोई माल रास्ते में पड़ा हुआ पाकर बिला इत्तिला सरकार अपने तसरुफ़ में लाना जब ये मालूम न हो कि यह माल किस का है<br>زر نقد یا کوئی مال راستہ میں پڑا ہوا پا کر بلا اطلاع سرکار اپنے تصرف میں لانا جب یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مال کس کا ہے | नहीं<br>نہیں | समन<br>سمن | है<br>ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | ६ माह तक की क़ैद या ५०) रुपये तक जुर्माना या दोनों<br>چھ ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | हर मजिस्टरेट<br>ہر مجسٹریٹ | सदर अदालत फ़ौजदारी<br>صدر عدالت فوجداری | |
| ३९<br>۳۹ | राज़न<br>ایضاً | किसी दूसरे शख्स के माल को कब्ज़े यक सां होने के अपना जान कर ले लेना और फिर अपनी गलती मालूम करके भी उसकी इत्तिला सरकार में न देना<br>کسی دوسرے شخص کے مال کو جو حسبان ہو سکے اپنا تصور کر کے لے لینا اور پھر اپنی غلطی معلوم کر کے بھی اس کی اطلاع سرکار میں نہ دینا | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | ३ माह तक की क़ैद या २५) रुपये तक जुर्माना या दोनों<br>تین ماہ تک کی قید یا پچیس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार करे या नहीं | इब्तिदाई सम्मन जारी होना या वारंट | काबिल ज़मानत के है या नहीं | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी | अपील किस अदालत में होगा | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४०<br>۴۰ | फरेब वद ग़ा याने छ ल करना<br>فریب ودغا | (क) किसी शख़्स के साथ किसी तरह की दग़ा करना (ख) या फ़रेब करना<br>(الف) کسی شخص کے ساتھ کسی طرح کا دغا کرنا (ب) یا فریب کرنا | नहीं<br>نہیں | समन<br>سمن | है<br>ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | ६ माह तक की क़ैद या ५०) रु० जुर्माना या दोनों<br>چھ ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दोयम<br>مجسٹریٹ درجہ اول و دوم | सदर अदालत फ़ौजदारी या महकमे अपील<br>صدر عدالت فوجداری و محکمہ اپیل | . |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४१ | नुक़्स मआ़हिदा यानै नौकरी का कौल क़रार तोड़ना | (क) किसी शख़्स के साथ कोई जायज़ मआ़हिदा तहरीरी या ज़बानी करके सिवाय हालत बीमारी या बदसलूकी किये जाने के बग़ैर गुज़रने मयाद के उसको तोड़ डालना (ख) या उसमें फ़रक़ करना | राज़न | राज़न | राज़न | है | २५) रुपे तक जुर्माना | हर मजिस्टरेट | अदालत फ़ौजदारी | ऐसे मुकदमों में तहरीरी नालिश बग़ैर समाअ़त |
| ۴۱ | نقض معاہدہ | (الف) کسی شخص کیساتھ کوئی جائز معاہدہ تحریری یا زبانی کرکے سوائے حالت بیماری یا بدسلوکی کئے جانے کے بلا انقضائے میعاد اسکو توڑ ڈالنا (ب) یا اسمیں فرق کرنا | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ہے | عـــہ روپیہ تک جرمانہ | ہر مجسٹریٹ | عدالت فوجداری | ماسوا ایسے مقدمات بلا استحقاق تحریری سماعت ہوگی |
| ४२ | राज़न | (क) औरत या औलाद की परवरिश से हस्बमक़दूर न करना (ख) या उनके रोटी कपड़े के बंदोबस्त से इनकार करना (ग) या मां बाप की ख़िदमत न करना | नहीं | समन | है | है | ३ माह तक की क़ैद २५) रुपे तक जुर्माना या दोनों | राज़न | राज़न | · |
| ۴۲ | ایضاً | (الف) زوجہ یا اولاد کی پرورش حسب مقدور نکرنا (ب) یا انکے نان نفقہ کے بندوبست سے انحراف کرنا (ج) یا ماں باپ کی خدمت نکرنا | نہیں | سمن | ہے | ہے | تین ماہ تک کی قید یا عـــہ روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | ایضاً | ایضاً | · |

| दफ़ा वفعہ | नाम जुर्म نام جرم | तशरीह जुर्म تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کرسکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट ابتدائی سمن جاری ہوگی یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ी नामे के है या नहीं قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगी اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४३<br>۴۳ | फ़रारी इन्सान या जबरन मेहनत लेना<br>فراری انسان اور جبراً محنت لینا | (क) किसी इन्सान को बतौर नाजायज़ मेहनत कराने की नियत से भगा ले जाना<br>(ख) या नाजायज़ मेहनत करने पर मजबूर करना<br>(الف) کسی انسان کو بطور ناجائز محنت کرانے کی نیت سے بھگا لیجانا<br>(ب) یا ناجائز محنت کرنے پر مجبور کرنا | कर सक्ता है<br>کرسکتا ہے | वारंट<br>وارنٹ | है<br>ہے | है<br>ہے | ६ माह तक की क़ैद दोनों किसमों से एक किस्म की या २०० रु तक जुर्माना या दोनों<br>چھ ماہ تک کی قید دونوں قسموں میں سے ایک قسم کی اور دو سو روپیہ تک جرمانہ یا دونو | एज़न<br>ہر مجسٹریٹ | एज़न<br>عدالت فوجداری | . |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४४ | तक़फ़ीफ़ मुज़रमाना· याने डंड जोग धमकी देना· | (क) किसी शख़्सके ज्ञान और मालको नुकसान पहुचाने की धमकी या धर्ना देकर उस्से कोई बेवाजबी काम करना· (ख) या वाजबी काम करनेसे बाज़ रखना. | नहीं करसक्ता | समन· | है· | है· | २ महीने तक की क़ैद और ५०) रुपै तक जुर्माना· | हर मजिस टरेट | सदर अदालत· फ़ौजदारी· | · |
| ۴۴ | تخویف مجرمانہ | (الف) کسی شخص کے جان اور مال کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیکر اُس سے کوئی ناواجب فعل کرانا (ب) یا واجبی فعل کرنیسے باز رکھنا | نہیں کرسکتا ہے | سمن | ہے | ہے | دو ماہ تک کی قید اور پچاس روپیہ تک جرمانہ | ہر مجسٹریٹ | صدر عدالت فوجداری | |
| ४५ | आवारागरदी· | (क) आवारा फिरना· (ख) या अपने मकान और बसर के न गुजारे की सूरत तसल्ली के लायक ज़ाहिर करना· (ग) या ज़मानत न देना· (घ) या अपने को किसी जुर्म के करने के इरादे से पोशीदा रखना. | कर सक्ता है· | वारंट· | नही है· | नही है· | ६ माह तक की क़ैद या २००) रुपै तक जुरमाना· और इलाके से ख़ारिज· | मजिसटरेट दरजे अव्वल | महकमे अपील | · |
| ۴۵ | آوارہ گردی وغیرہ | (الف) آوارہ پھرنا (ب) یا اپنا مکان اور مسکن وجہ معاش کو لائق اطمینان ظاہر نکرنا (ج) یا ضمانت نہ دینا (د) یا اپنے کو بارادہ ارتکاب کسی جرم کی پوشیدہ کرنا | کر سکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | چھ ماہ تک کی قید یا دو سو روپیہ تک جرمانہ اور علاقہ سے خارج | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार करसक्ता है या नहीं<br>عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کرسکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट<br>ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी<br>کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा<br>اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४६ | मवेशी को जबरन फाटक सरकारी या गिरफ़्तार करनेवाले से छुड़ाले जाना | मवेशी को जो किसी के खेत या अनाज का नुक्सान करती हुई गिरफ़्तार हुई हो रास्ते या फाटक से जबरन छुड़ाले जाना | करसक्ता है | वारंट | नहीं है | नहीं है | ३ माह तक की कैद या ३०० रुपय तक जुर्माना | हर मजिस्टरेट | सदर अदालत फ़ौजदारी | |
| ۴۶ | مویشی کو جبراً پھاٹک سرکاری یا ملازمان سرکاری سے چھڑا لیجانا | مویشی کو جو کسی کے کھیت یا غلّہ کا نقصان کرتی ہوئی گرفتار ہوئی ہو راستہ یا پھاٹک سے جبراً چھڑا لیجانا + | کرسکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | تین ماہ تک کی قید یا تین سو روپیہ تک جرمانہ | ہر مجسٹریٹ | صدر عدالت فوجداری | |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अहलकार पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं | हुक्म इब्तिदाई समन जारी होगा या वारंट | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस महकमे से जुर्म क़ाबिल तजवीज़ के है | अपील कहाँ होगी | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | अआनत व पनादही या ने सहायता करना व आसरा देना।<br>اعانت چھپا دہی | (क) किसी मुलज़िम को गिरफ़्तारी से बचाने के वास्ते छुपाना। (ख) या भगा देना। (ग) या पहरे से से भागे हुये मुजरिम को छुपाना (घ) या भगा देना। (ङ) या पहरे में से मुल्ज़िम को छुड़ाना (च) या उस्के दुबारा गिरफ़्तारी में ग़न राज़ करना। (छ) या तरक फ़ेल<br>(ا) کسی ملزم کو گرفتاری سے بچانے کے واسطے چھپانا (ب) یا بھگا دینا (ج) یا حراست سے بھاگے مجرم کو چھپانا (د) یا بھگا دینا (ہ) یا ملزم کو حراست سے چھوڑا دینا | कर सक्ता है<br>کر سکتا ہے | वारंट।<br>وارنٹ | नहीं है।<br>نہیں ہے | नहीं है।<br>نہیں ہے | ७ बरस तक की कैद या १०००) रु० तक जुरमाना। या दोनो।<br>قید سات برس تک اور جرمانہ ایک ہزار روپیہ تک یا دونوں | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | महकमे ख़ास।<br>محکمہ خاص | । |

| दफ़ा / دفعہ | नामजुर्म / نام جرم | तश्रीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिलावारंट गिरफ्तार कर सक्ता है या नहीं / عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई सम्मन जारी होगा या वारंट / ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت کے ہے یا نہیں | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ کے ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी / کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा / اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | अआनत व पनाहदही याने सहायता करना व आसरा देना य जुर्म संगीन | (क) जुर्म संगीन में अआनत याने सहायता करना (ख) या मुजरिमों को पनाह देना (ग) या मदद देना | कर सक्ता है | वारंट | नहीं है | नहीं है | जो जुर्म की सजा वही अआनत की सजा | महकमे अपील | महकमे खास | |
| ۲ | اعانت و پناہ دہی بجرم سنگین | (ا) جرم سنگین میں اعانت کرنا (ب) یا مجرموں کو پناہ دینا (ج) یا مدد دینا | کر سکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | جو جرم کی سزا وہی اعانت کی سزا | محکمہ اپیل | محکمہ خاص | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | खिलाफ़वरज़ी'यासरकार यानेराज़्यविरोधी। अपराध' | (क) सरकारके मुकाबलेमें जंग याने लड़ाइ करना'<br>(ख) याजंगकी नीयतसे उस्का सामान इखट्टा करना'<br>(ग) या बारोटीया होकर सर्कार' या जागीरदार मतासरकार' या रैयत सरकार का नुक्सान करना'<br>(घ) याकैदी सुलतानी हिरासत याजबी मेसें छुड़ाना या भगा देना' | एज़न' | एज़न' | एज़न | एज़न' | १० वरसतकको कैद और ज़ब्ती ज़मीन ज़ायदाद' | एज़न | एज़न | |
| ۳ | خلاف ورزی یا سرکار | (ا) سرکار کے مقابلہ میں جنگ کرنا<br>(ب) یا جنگ کی نیت سے اسکا سامان مہیا کرنا۔<br>(ج) یا باروٹھیا ہو کر سرکار یا جاگیردار مطیع سرکار یا رعیت سرکار کا نقصان کرنا<br>(د) یا اسیر سلطانی کو حراست واجب سے چھڑانا یا بھگا دینا | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | دس برس تک کی قید اور ضبطی جائداد | ایضاً | ایضاً | ۔ |

| दफा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सकती है या नहीं / پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट / ابتدا میں سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल जमानत के है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | काबिल राजीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सजा / شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज होगी / کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगी / اپیل کہاں ہوگی | कैफियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | खिलाफवरजी या सरकार याने राजविरोधी अपराध | (क) राज के कामों की निसबत झूठी गया (ख) या इंतजाम के खिलाफ कारखाई करने की कोशिश करना (ग) या उसमें शामिल होकर खराब नियत से सलाह या मदद करना | कर सक्ता है | वारंट | नहीं है | नहीं है | २ बरस तक की कैद या १०००) रुपये तक जुरमाना | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल | महकमे अपील | |
| ۴ | خلاف ورزی با سرکار | (ا) راج کے کاموں کی نسبت جھوٹی خبریں اڑانا (ب) یا انتظام کی خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرنا - (ج) یا اوس میں شامل ہوکر خراب نیت سے مشورہ یا مدد کرنا | کر سکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | دو برس تک کی قید یا ایکہزار روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | मुखालिफ़ आसूदगीआ मखलायक व हंगामा प र दाजी॰<br>مخالف آسودگی عام وخلایق وہنگامہ پردازی | (क) किसीजुर्म बलवे या हंगामे पर दाजी या डाकाज़नी या गारत गरी या रहज़नी या सर का बिलजबर याने जोरी या इस्ते मालबिलजबर याने दबा कर लेनेसे नियतसे पांच आदमियोंसे ज़ियादा का जमा होना॰<br>(ख) या उस मजमेमें शरीक होना।<br>(ग) या खेड़ जमा करना॰<br>(घ) या उसके वास्ते आदमियों को रोज़गार देकर रखना॰<br>(۱) کسی جرم بلوہ یا ہنگامہ پردازی یا ڈاکہ زنی یا غارت گری یا رہزنی یا سرقہ بالجبر یا استحصال بالجبر کے ارتکاب کی نیت سے پانچ آدمیوں سے زیادہ کا جمع ہونا۔<br>(ب) یا اوس مجمع مین شریک ہونا۔<br>(ج) یا بھیڑ جمع کرنا یا اوس کے واسطے آدمیون کو اجرت پر رکھنا۔ | राज़न॰<br>ایضاً | राज़न॰<br>ایضاً | राज़न॰<br>ایضاً | राज़न॰<br>ایضاً | इनजुर्मोंसे जो असल जुर्मकी सजा हो यही उसमें हर एक शरीक होनेवालेको होगी॰<br>ان جرمون مین جو اصل جرم کی سزا ہو وہی اوس مین ہر ایک شریک ہونے والے کو ہوگی۔ | राज़न॰<br>ایضاً | राज़न॰<br>ایضاً | ॰ |

| दफ़ा. دفعہ | नाम जुर्म نام جرم | तशरीह जुर्म تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सक्ता है या नहीं عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल ज़मानत के है या नहीं قابل ضمانت کے ہے یا نہیں | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं قابل راضی نامہ کے ہے یا نہیں | शरह सज़ा شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा اپیل کہاں ہوگا | कैफियत کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६<br>٦ | मुखालिफ़ आसूदगी आम खला यक व हंगामा परदाज़ी<br>مخالف آسودگی عام خلایق و ہنگامہ پردازی | (क) जिस मज्मे नाजायज़ के बिखर जाने का हुकम होचुका हो उस्में शामिल रहना. (ख) या खेड़ जमा करना.<br>(۱) جس مجمع ناجایز کے بکھر جانے کا حکم ہو چکا ہو اسمیں شامل ہونا (ب) یا کھیڑ جمع کرنا | कर सक्ता है<br>کر سکتا ہے | वारंट<br>وارنٹ | है<br>ہے | नहीं है.<br>نہیں ہے | ३ बरस तक की कैद दोनों किसमों में से एक क़िस्म की या २००) रुपै तक जुरमाना या दोनों.<br>قید تین سال دونوں قسموں سے ایک قسم کی یا دو سو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | महकमे खास.<br>محکمہ خاص | |

| ७ | जुरायम जो सर्कारी आदमियों से सरज़द हों | (क) किसी फ़रीक़ मुकदमें से अपने वास्ते या दूसरे के वास्ते रोकड़ रुपया या कोई माल वगैरा देने पूरी कीमत के लेना<br>(ख) या कोई नविस्त कराना<br>(ग) या रिशवत लेने पर राज़ी होना<br>(घ) या उसमें को शिपा करना | नहीं कर सक्ता | समन | नहीं है | नहीं है | २ बरस तक की क़ैद या २००) तक जुर्माना | मजिस्टरेट दरजे अव्वल | महकमें अपील | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷ | جرائم جو سرکاری آدمیوں سے سرزد ہوں | (الف) کسی فریق مقدمہ سے اپنی واسطے یا دوسرے کیواسطے زر نقد یا کوئی مال بلا ادا پوری قیمت کے لینا۔<br>(ب) یا کوئی نوشت کرانا۔<br>(ج) یا رشوت لینے پر راضی ہونا<br>(د) یا کاغذ سرشتہ کو گم کرنا۔ | نہیں | سمن | نہیں ہے | نہیں ہے | دو برس تک کی قید یا دوسَو روپیہ تک جرمانہ | مجسٹریٹ درجہ اوّل | محکمہ اپیل | |

| दफ़ा دفعه | नाम जुर्म | तशरीह जुर्म تشریح جرم | आमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं | पहले वारंट या समन जारी होगा | काबिल ज़मानत के है या नहीं | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं | शरह सज़ा شرح سزا | किस अदालत में जुर्म की तजवीज़ होगी | अपील कहां होगी | कैफ़ियत کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८ | जुरायम जो सरकारी आदमियों में से सरज़द हों। | (क) जो अमूर याने बातें मना हैं उनके करने की मुबादरत करना। (ख) या किसी के मुफ़ीद मतलब के वास्ते झूठा कागज़ लिखना। (ग) या मुजरिम या मुलाज़िम की गिरफ़्तारी जायज़ से पहलू तही या ने ग़फ़लत करना। (घ) या शरिश्ते के कागज़ को गुम करना। | नहीं कर सक्ता | समन। | है। | नहीं है। | १ बरस तक की कैद या ३००) रुपये तक जुर्माना। | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल | महकमे अपील। | · |
| ۸ | جرائم جو سرکاری آدمیوں سے سرزد ہوں | جو امور کہ منع ہیں اونکے کرنیکی مبادرت کرنا (ب) یا کوئی جھوٹا کاغذ کسیکے مفید مطلب لکھنا (ج) یا مجرم یا ملزم کی گرفتاری جایز سے پہلو تہی کرنا (د) یا کاغذ سررشتہ کو گم کرنا۔ | نہیں | سمن | ہے | نہیں ہے | ایک برس تک کی قید یا تین سو روپیہ تک جرمانہ | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९ | जुरायम जो सरकारी मुलाजिम से सरज़द हो<br>جرائم جو سرکاری آدمیوں سے سرزد ہوں | (क) सरकारी मुलाजिम न होकर तमगा सरकारी लिये फिरना (ख) या किसी से यह बयान कहना कि मैं अनकरीब नौकर होने वाला हूं उस वक्त तुमारे काम आऊंगा (ग) या तुमको नफा या नुकसान पहुंचाऊंगा<br>(ا) سرکاری ملازم نہ ہو کر تمغۂ سرکاری لئے پھرنا (ب) یا کسی سے یہ بات کہنا کہ میں عنقریب نوکر ہونے والا ہوں اور وقت تمہارے کام آؤنگا۔ (ج) یا تمکو نفع یا نقصان پہونچاؤنگا۔ | कर सक्ता है<br>کر سکتا ہے | समन<br>سمن | है<br>ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | १ बरस तक की कैद या १००) रुपये तक जुर्माना या दोनो<br>ایک سال تک کی قید یا سو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल<br>مجسٹریٹ درجہ اول | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | · |
| १० | नुकसान रसानी याने नुकसान पहुंचाना<br>نقصان رسانی | किसी शख्स के माल या जुराअत या खल्ले या घास या चारा वगैरा का नुकसान मवेशी के जरिये या आग के ज़रिये से या और किसी तरह पर करना जिसकी तादाद ५०) रु० से जियादा हो<br>کسی شخص کے مال یا زراعت یا خرمن یا گیاہ یا چارہ وغیرہ کا نقصان آگ یا مویشی کے ذریعے اور کسی طرح پر کرنا جسکی تعداد پچاس روپے سے زیادہ ہو | एज़न<br>ایضاً | वारंट<br>وارنٹ | नहीं है<br>نہیں ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | ५ बरस तक की क़ैद या १०००) रुपे तक जुर्माना या दोनो<br>پانچ برس تک کی قید یا ہزار روپیہ جرمانہ یا دونوں۔ | मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या महकमे अपील<br>مجسٹریٹ درجہ اول و محکمہ اپیل | महकमे अपील या महकमे खास<br>محکمہ اپیل یا محکمہ خاص | · |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकता है या नहीं<br>آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट<br>ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस अदालत से जुर्म क़ाबिल तजवीज़ के है<br>کس عدالت سے جرم قابل تجویز ہے | मुराफ़ा किस अदालत में होगा<br>اپیل کہاں ہوگا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २२ | मदाखलत बेजा करवाने | (क) किसीके मकान पर या जमीन पर बतौर नाजायज़ दखल करना<br>(ख) या किसीके ज़नानेमें मदाखलत करना | नहीं | समन | है | है | १ बरस तक की क़ैद या २००) रुपये तक जुर्माना या दोनों | मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल | महकमे अपील | अगर वकूअ से १ महीने के अंदर नालिश हो जावे तो अदालत फ़ौजदारी समाअत करेगा और बाद १ महीने के अदालत दीवानी से समाअत होगी |
| ۱۱ | مداخلت بیجا بیجانہ | (الف) کسی کے مکان یا اراضی پر بطور ناجائز دخل کرنا<br>(ب) یا کسی کے زنانہ میں مداخلت کرنا | نہیں | سمن | ہے | ہے | ایک برس تک کی قید یا دو سو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ اوّل | محکمہ اپیل | اگر وقوعہ سے ایک مہینے کے اندر نالش ہو جاوے تو عدالت فوجداری سماعت کریگی اور بعد مہینے کے عدالت دیوانی میں سماعت ہوگی |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२<br>۱۲ | जिनाकारी याने संभोग करना<br>زناکاری | (क) किसी औरत से बुरा काम करना.<br>(ख) या मेहरमान से जिन्के साथ निकाया फेरा दुरुस्त नहीं है बुरा काम करना.<br>(तशरीह) मगर शरत ये है कि ऐसे मुकद्दमे में बगैर नालिश वारिस औरत के समाअत और दस्तंदाजी न होगी.<br>(۱) کسی عورت سے برا کام کرنا (ب) یا محرمات سے جن کے ساتھ نکاح یا پھیرا درست نہیں ہے برا کام کرنا<br>مگر شرط یہ ہے کہ ایسے مقدمہ میں بغیر نالش وارث عورت کے سماعت اور دست اندازی نہ ہوگی | नहीं.<br>نہیں | वारंट<br>وارنٹ | है.<br>ہے | है.<br>ہے | २ बरस तक की कैद या १००) रुपे तक जुरमाना या दोनों.<br>دو برس تک قید یا یکسو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | राजन.<br>ایضاً | राज़न.<br>ایضاً | . |
| १३<br>۱۳ | सिरका याने चोरी.<br>سرقہ | नक़बज़नी याने गाथालगा कर या कुफ़ल सिकनी याने ताला तोड़ कर चोरी करना.<br>نقب زنی یا قفل شکنی کے ذریعے سے چوری کرنا - | कर सक्ता है<br>کر سکتا ہے | वारंट.<br>ایضاً | नहीं है.<br>نہیں ہے | नहीं है.<br>نہیں ہے | २ बरस तक की कैद या जुरमाना या दोनों<br>دو برس تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں | राजन.<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | . |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं / عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट / ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी / کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा / اپیل کہاں ہوگا | कैफियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १४ | सिरका याने चोरी। | चोरी का माल किसी दूसरे की संदूक या कबज़े में पोशीदा रख देना इस नियत से कि अमला पुलिस उसको तलाश न कर सके और दूसरा शख़्स जिसके पास से वह माल बरामद हो माख़ूज़ हो। | नहीं। | समन। | नहीं है। | नहीं है। | १ बरस तक की कैद या २०० रुपे तक जुरमाना या दोनों। | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल | महकमे अपील | । |
| ۱۴ | سرقہ | کوئی مال مسروقہ کسی دوسرے کے صندوق یا قبضہ میں پوشیدہ رکھ دینا اس نیت سے کہ عملہ پولیس اوسکو تلاش نہ کر سکے اور دوسرا شخص جسکے پاس وہ مال برآمد ہوا ماخوذ ہو۔ | نہیں ۔ | سمن | نہیں ہے | نہیں ہے | ایک برس تک کی قید یا دو سو روپیہ جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १५<br>١٥ | मज़हबी नाजायज़<br>مذہبی ناجائز | गाय और सूरज के सांड या बैल वग़ैरा को मार डालना<br>گائے اور سورج کے سانڈ یا بیل وغیرہ کو مار ڈالنا - | कर सक्ता है<br>کرسکتا ہے | वारंट<br>وارنٹ | एज़न<br>ایضاً | एज़न<br>ایضاً | १० बरस तक की कैद या २०००) रु० तक जुर्माना या दोनों<br>دس برس تک کی قید یا دو ہزار روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | महकमे खास<br>محکمہ خاص | |
| १६<br>١٦ | अज़ाले हैसियत उरफ़ी याने अपमान लगाना<br>ازالہ حیثیت عرفی | (क) किसी शख़्स की नेकनामी को किसी ज़रिये से नुक़सान पहुंचाना सराहतन या किनायतन् याने स्पष्ट अथवा लोट फेर करना (ख) या बतौर ज़ोमली तहरीर कहना जो उसकी आदत से बरख़िलाफ़ हो (तशरीह) अगर सूरत ये है कि ऐसा दावा तहरीरी पेश होतो समाअत होगी<br>(۱) کسی شخص کی نیکنامی کو کسی ذریعہ سے نقصان پہونچانا صراحتاً یا کنایتاً - (ب) یا بطور تحقیر کچھ کہنا جو اوس کی عادت سے برخلاف ہو - (تشریح) اگر شرط یہ ہے کہ ایسا دعوی تحریری پیش ہو تو سماعت ہوگی | नहीं<br>نہیں | समन<br>سمن | है<br>ہے | है<br>ہے | १ बरस तक की क़ैद महज़ या ५००) रुपये तक जुरमाना या दोनों<br>ایک برس تک کے قید محض یا پانسو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल<br>مجسٹریٹ درجہ اول | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | |

| दफ़ा / دفعه | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकता है या नहीं / عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट / ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत में जुर्म की तजवीज़ होगी / کس عدالت میں جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा / اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २७ / ۱۷ | हब्स बेजा याने अनीती बंधन / حبس بیجا | किसी शख़स को तीन रोज़ से ज़ियादा क़ैद रखना / کسی شخص کو تین روز سے زیادہ قید میں رکھنا | नहीं / نہیں | समन / سمن | है / ہے | है / ہے | १ बरस तक की क़ैद या २०० रुपैये तक जुरमाना या दोनो / ایک برس تک کی قید یا دو سو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल या दोयम / مجسٹریٹ درجہ اول و دوم | महकमे अपील या अदालत फ़ौजदारी / عدالت فوجداری یا محکمہ اپیل | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २८ | इक़ मया रदात संगीन याने वारदात को छुपाना | (क) किसी वकूए संगीन की खबर या इत्तला अफ़सर पुलिस या हाकिम या सुपरंटंडेंट या कोतवाल या थानेदार या गिरदावर को जो उससे नज़दीक हो न देना। (ख) या वारदात को छुपाना। | राज़न। | राजन। | राजन। | नहीं है। | २ बरस तक की क़ैद या जुर्माना या दोनो | मजिसट्रेट दरजे अव्वल | मुहकमे अपील | ,, |
| ١٨ | اخفائے واردات سنگین | (ا) کسی وقوعہ سنگین کی خبر یا اطلاع افسر پولیس یا حاکم یا سپرنٹنڈنٹ یا کوتوال یا تھانہ دار یا گرداور کو جو اس سے قریب تر ہو نہ دینا (ب) یا اخفائے واردات کرنا۔ | ایضاً | ایضاً | ایضاً | نہیں ہے | دو سال تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ اوّل | محکمہ اپیل | ,, |
| २९ | जुरायम मुखालिफ़ अदालत आम व झूठी गवाही देना। | या से नफ़े नुक्सान किसी शख्स के झूठी गवाही देना या बनाना कि जिससे उसको बशर्त सबूत जुर्म पांच बरस की क़ैद की सज़ा होती हो। | नहीं। | वारंट। | राज़न | राज़न। | २ बरस तक की क़ैद या ५००) रुपै तक जुरमाना या दोनो। | राज़न। | राज़न। | . |
| ١٩ | جرائم مخالف معدلت عامہ و جھوٹی گواہی | جھوٹی گواہی دینا یا بنانا بہ نیت نقصان یا نفع کسی شخص کے کہ جس سے اسکو بشرط ثبوت جرم پانچ برس کی قید کی سزا ہوتی ہو | نہیں | وارنٹ | ایضاً | ایضاً | دو سال تک قید یا پانسو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | ایضاً | ایضاً | . |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अफ़सर पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकता है या नहीं / افسر پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तिदा में समन जारी होगा या वारंट / ابتدا میں سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामा के है या नहीं / قابل راضی نامہ کے ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत में तजवीज़ के क़ाबिल है / کس عدالت میں تجویز کے قابل ہے | अपील किस अदालत में होगी / اپیل کس عدالت میں ہوگی | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २० / ٢٠ | जुरायम मुख़ालिफ़ मोआदलत आम्मा व झूठी गवाही देना / جرائم مخالف معدلت عامہ وجھوٹی گواہی | ऐसे मुक़द्दमे में झूठी गवाही देना जिसमें बशर्त सबूत जुर्म मुजरिम लायक सज़ा ए मौत या दाइमुल हब्स या सात बरस की क़ैद से ज़ियादा का मुस्तौजिब हो / ایسے مقدمہ میں جھوٹی گواہی دینا جسمیں بشرط ثبوت جرم مجرم لایق سزاے موت یا دایم الحبس یا سات برس کی قید سے زیادہ کا مستوجب ہو | नहीं / نہیں | वारंट / وارنٹ | है / ہے | नहीं है / نہیں ہے | ७ बरस तक की क़ैद सख़्त या १०००) रुपये तक जुर्माना या दोनों / قید سخت ہفت سالہ یا ایک ہزار روپیے تک جرمانہ یا دونوں | मह्कमे अपील / محکمہ اپیل | मह्कमे ख़ास / محکمہ خاص | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २१ | खयानतमुजरिमानायानेइंड जोग विस वास-घात· | किसी कार खाने की मिल कियत या माल में जब कि अमानतन सिपुर्द हो या माल पहुंचानेका पेशा हो खयानत करना· | रज़ान· | रज़ान· | रज़ान· | रज़ान· | १ बरस तक की केद या २००) रुपैतक जुरमाना या दोनों· | मजिस ट्रेट दरजे अव्वल· | महकमेंअपील· | · |
| ۲۱ | خیانت مجرمانہ | کسی کارخانہ کی ملکیت یا مال میں جبکہ امانتاً سپرد ہو یا مال پہنچانیکا پیشہ ہو خیانت کرنا | ایضاً | سمن | ایضاً | ایضاً | ایک برس تک کی قید یا دوسو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |
| २२ | खयानतमुजरमाना· | किसी मुलाजिम सरकारी· यानोकर या मुतसदी या किसी दुकानके गुमास्ते का सरकारी रकममें खयानत करना | करसक्ता है· | वारंट· | नहीं है | नहीं है· | २ बरस तक की केद या ४००) रुपैतक जुरमाना या दोनों· | मजिसट्रेट दरजे अव्वल | महकमें अपील | · |
| ۲۲ | خیانت مجرمانہ | کسی ملازم سرکاری یا نوکر یا متصدی یا کسی دوکان کے گماشتہ کا سرکاری رقم میں خیانت کرنا۔ | کرسکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | دو برس تک کی قید یا چار سو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| दफ़ा دفعہ | नाम जुर्म نام جرم | तशरीह जुर्म تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کرسکتا ہے یا نہیں | हुक्म दाई समन जारी होगा या वारंट ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल ज़मानत के है या नहीं قابل ضمانت ہے یا نہیں | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २३ ۲۳ | ठगी व ज़ेहर खूरानी ٹھگی و زہر خورانی | धोके से इरादतन किसी शख्स को ज़ेहर देकर मार डालना और उस्के माल व अस्बाब को लेलेना دہوکہ سے ارادتاً کسی شخص کو زہر دیکر مار ڈالنا اور اسکے مال و اسباب کو لے لینا | कर सक्ता है کرسکتا ہے | वारंट وارنٹ | नहीं है نہیں ہے | नहीं है نہیں ہے | फांसी की सज़ा या उमर क़ैद دو برس تک کی قید یا چارسو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | महकमे ख़ास محکمہ خاص | श्री हज़ूर पुरनूर दाम इक़बालहू سری حضور پرنور دام اقبالہ | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २४ | जुरायम मुतालक इज़दवाज यानेविवाह संबंधी अपराध | (क) किसी मरद का किसी औरत को यह यक़ीन दिला कर कि वह उसका ख़ाविंद है उसके साथ हमबिस्तर होना (ख) या हमबिसतर होने की कोशिश करना और असल में वह उसका खाविंद न हो (ग) या किसी औरत से बिला रज़ामंदी या तलाक़ उसके खाविंद के इज़दवाज कर्ना | नहीं | समन | नहीं है | नहीं है | २ बरस तक की कैद या ५००) रुपे तक जुरमाना या दोनों | मजिसटरेट दर्जे अव्वल | महकमे अपील | |
| ۲۴ | جرائم متعلق ازدواج | (ا) کسی مرد کا کسی عورت کو یہ یقین دلا کر وہ اسکا خاوند ہے اسکے ساتھ ہمبستر ہونا (ب) یا ہمبستر ہونیکی کوشش کرنا اور اصل میں وہ اسکا خاوند نہ ہو (ج) یا کسی عورت سے بلا رضامندی یا طلاق اسکے شوہر کے ازدواج کرنا | نہیں | سمن | نہیں ہے | نہیں ہے | دو سال تک کی قید یا پانسو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अकसर पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सक्ती है या नहीं<br>اکثر پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | पहले समन जारी होगा या वारंट<br>ابتدا میں سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल ज़मानत है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस अदालत से जुर्म काबिल समाअत है<br>کس عدالت سے جرم قابل سماعت ہے | अपील किस अदालत में होगी<br>اپیل کس عدالت میں ہوگی | कैफ़ियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २५ | ज़रर शदीद याने भारी हानि | (क) किसी शख्स का कोई अंग हमेशा के वास्ते बेकार कर देना<br>(ख) या कोई हड्डी तोड़ देना<br>(ग) या उसको ऐसा ज़ख्म भी करना कि पांच टांको से जियादा आवें | कर सक्ता है | वारंट | नहीं है | है | २ बरस तक की कैद या १००० रुपे तक जुरमाना या दोनों | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल | महकमे अपील | . |
| ٢٥ | ضرر شدید | (ا) کسی شخص کا کوئی عضو ہمیشہ کیلئے بیکار کردینا (ب) یا کوئی ہڈی توڑ دینا (ج) یا اسکو ایسا زخمی کرنا کہ پانچ ٹانکے سے زیادہ آویں | کر سکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | ہے | دو برس تک کی قید یا ایک ہزار روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ | محکمہ اپیل | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २६ | ज़ालसाज़ी | (क) झूटी दस्तावेज बनाना (ख) या उसमें कोई इबारत कम या ज़ियादा करना (ग) या वास्ते तसदीक के झूटी मुहर लगाना (घ) या लिखी हुई इबारत को काट देना कि जिससे वह क़ाबिल एतबार के न रहे (ङ) या किसी असली दस्तावेज को बदलना | नहीं | वारंट | नहीं है | नहीं है | २ बरस तक की क़ैद या ५०० रुपैतक जुर्माना या दोनो | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल | महकमें अपील | • |
| ۲۶ | جعلسازی | (ا) جھوٹی دستاویز بنانا (ب) یا اُسمیں کوئی عبارت کم و بیش کرنا (ج) یا واسطے تصدیق کی مصنوعی مُہر کرنا (د) یا عبارت لکھی ہوئی کو کاٹ دینا کہ جس سے وہ قابل اعتبار نہ رہے (ہ) یا کسی اصلی دستاویز کو بدلنا | نہیں | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | دو برس تک کی قید یا صما روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | مجسٹریٹ درجہ اوّل | محکمہ اپیل | |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट | काबिल ज़मानत के है या नहीं | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत में जुर्म की तजवीज़ होगी | अपील कहां होगा | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २७ | जुरायम मुताल्लिके सिक्का व इस्टाम्प | (क) खोटा सिक्का व इस्टाम बनाना (ख) या बेचना (ग) या पास रखना (घ) या दूसरे को देना (ङ) या उस्का औज़ार बनाना या दूसरे को देना | कर सक्ता है | वारंट | नहीं है | नहीं है | ७ बरस तक की कैद या जुरमाना या दोनों | महकमे अपील | महकमे खास | |
| ۲۷ | جرائم متعلق سکہ و اسٹامپ | (ا) سکہ یا اسٹامپ قلب بنانا (ب) یا فروخت کرنا (ج) یا پاس رکھنا (د) یا دوسرے کو دینا (ہ) یا اسکے اوزار بنانا یا دوسرے کو دینا | کرسکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | قید ہفت سالہ یا جرمانہ یا دونوں | محکمہ اپیل | محکمہ خاص | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २८<br>۲۸ | राज़न·<br>ایضاً | सिक्के या इस टाम में कुछ तल वीस करना·<br>سکّہ یا اسٹامپ میں کچھ تبلیس کرتا | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | ७ बरस तक की क़ैद या जुरमाना या दोनों<br>قید ہفت سالہ یا جرمانہ یا دونوں | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | |
| २९<br>۲۹ | राज़न·<br>ایضاً | खोटा सिक्का व इस टाम के औज़ार बनाना या पास रखना या बेचना·<br>تلبیس سکہ و اسٹامپ کے اوزار بنانا یا پاس رکھنا یا بیچنا | कर सक्ता है<br>ایضاً | वारंट·<br>وارنٹ | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | ३ बरस तक की क़ैद दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुरमाना·<br>قید سہ سالہ دونو قسموں میں سے ایک قسم کی اور جرمانہ | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | |

| दफा<br>دفعہ | नामजुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सकती है या नहीं<br>آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | इत्तला अदालत से समन जारी होगा या वारंट<br>عدالت سے سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल जमानत के है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | काबिल राजीनामे के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सजा<br>شرح سزا | किस अदालत से तजवीज होगी<br>کس عدالت سے تجویز ہوگی | अपील कहां होगा<br>اپیل کہاں ہوگا | कैफियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३०<br>۳۰ | कतल अमद<br>قتل عمد | (क) किसी शख्स से कोई इरादे से किसी हथियार या हरबे या जरब या जेहर से या पानी में डबो के या आग से जलाकर मार डालना (ख) या बीमारी की हालत में से किसी दवा से मार डालना (ग) या जौहर करना याने किसी जिंदे आदमी को आग या किसी दूसरे जरिये से मार डालना.<br>(۱) کسی شخص کو بالارادہ کسی ہتھیار یا حربہ یا ضرب یا زہر یا پانی میں ڈبو کر یا آگ سے جلا کر مار ڈالنا (ب) یا بحالت بیماری کسی دوا سے ہلاک کرنا (ج) جوہر کرنا یعنی کسی زندہ انسان کو آگ یا کسی دوسرے ذریعہ سے مار ڈالنا | कर सक्ता है<br>کر سکتا ہے | वारंट<br>وارنٹ | नहीं है<br>نہیں ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | फांसी की सजा या उमर कैद<br>سزائے موت یا دائم الحبس | महकमे खास<br>محکمہ خاص | श्री हजूर पुर नूर दाम इकबाल हू<br>سیری حضور پُرنور دام اقبالہ | . |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३१ | कतल इनसान मुस्तज़िम सज़ा | (क) जिसमें अव्वल से नियत मार डालनकी नहो और इत्तिफ़ाक़ि या किसी ज़रब या सबबे दूसरा मारा जावे (ख) या सख्त इस्तेमालनबके सबबसे ऐसा हो (तशरीह) मगर ख़िफ़ा ज़नखुद अख़्तियारी मुसतसना है | करसक्ता है | वारंट | नहीं है | नहीं है | १० बरस तककी कैद या जुर्माना या दोनों | महकमे ख़ास | श्रीहजूर पुरनूर दा मद्दकबालहू |
| ۳۱ | قتل انسان مستلزم سزا | (ا) جسمیں اول سے نیت ہلاک کی ہو اور (ب) کسی ضرب یا سبب سے دوسرا ہلاک ہو جاوے [illegible] (تشریح) [illegible] | کرسکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | دش برس تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں | محکمہ خاص | سرکار حضور پرنور دام اقبالہ |
| ३२ | समाद्ध | (क) समाद्ध लेना याने ज़िंदा ज़मीन में गड़ जाना (ख) या किसी को गड़ जाने देना (ग) या इस्काम में मुजरिम की मदद करना | राज़ीनामा | राज़ीनामा | राज़ीनामा | राज़ीनामा | ५ बरस तककी क़ैद या जुर्माना या दोनों | महकमे अपील | महकमे ख़ास |
| ۳۲ | سادھ | (ا) سمادھ لینا یا زندہ زمین میں گڑ جانا (ب) یا کسی کو گڑھ جانے دینا (ج) یا اس فعل میں مجرم کی مدد کرنا | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | قید پانچ سال یا جرمانہ یا دونوں | محکمہ اپیل | محکمہ خاص |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं<br>عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट<br>ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की नालिश होगी<br>کس عدالت میں جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा<br>اپیل کہاں ہوگا | कैफियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३३ | दुख्तरकुशी | (क) लड़की को पहिले दस्तूर के मुआफ़िक़ जिंदा गाड़ देना, या मार डालना | कर सक्ता है | वारंट | नहीं है | नहीं है | २० बरस तक की कैद या जुर्माना या दोनों | महकमे ख़ास | श्री हजूर पुरनूर दाम इक़बाल हू | |
| ۳۳ | دختر کشی | (ا) لڑکی کا بموجب رسم سابق زندہ گاڑ دینا (ب) یا مار ڈالنا | کر سکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | قید دہ سالہ یا جرمانہ یا دونوں | محکمہ خاص | سرکار پرنور دام اقبالہ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३४<br>۳۴ | सती<br>ستی | किसी औरत को सती करने के नाम से जला देना<br>کسی عورت کو ستی کرنے کے نام سے جلا دینا | करसक्ता है<br>کر سکتا ہے | वारंट<br>وارنٹ | नहीं है<br>نہیں ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | १० बरस तक की कैद या जुरमाना या दोनों<br>قید دہ سالہ یا جرمانہ یا دونوں | महकमे ख़ास<br>محکمہ خاص | श्रीहजूर पुरनूर दाम इकबालहू<br>سری حضور پرنور دام اقبالہٗ | |
| ३५<br>۳۵ | राज़न<br>ایضاً | (क) किसी औरत को सती हो जाने देना<br>(ख) या उसके सती होने में मदद देना<br>(ا) کسی عورت کو ستی ہو جانے دینا<br>(ب) یا اسکے ستی ہونے میں مدد دینا | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | ५ बरस तक की कैद या जुर्माना या दोनो<br>قید پانچ سال یا جرمانہ یا دونوں | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | |

| दफा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अमला पुलिस बिलावारंट गिरफ्तार करसक्ती है या नहीं<br>پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | इब्तदाई सम्मन जारी होगा या वारंट<br>ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | काबिल जमानत के है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | काबिल राजीनामे के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सजा<br>شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज होगी<br>کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा<br>اپیل کہاں ہوگا | कैफियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३६ | डकैती याने धाड़ा॰ | पांच आदमी या पांच से जियादा का शामिल होकर जबरदस्ती से रास्ते में या मुकाम पर डकैती करना॰ और उसमें मुद्दई या नया जाके हमराही मुद्दई याने में से किसी आदमी का मारा जाना॥ | कर सक्ता है | वारंट॰ | नहीं है॰ | नहीं है॰ | फांसी की सजा या उस कैद या कैद जिसकी तादाद १० बरस से कम न हो॰ हर एक मुजरिम के | महकमें खास | श्री हजूर पुरनूर दाम इकबालहू | |
| ۳۶ | ڈکیتی یعنی دھاڑا | پانچ آدمی یا پانچ سے زیادہ کا شامل ہو کر زبردستی سے راستہ میں یا مقام پر ڈکیتی کرنا اور اسمیں مدعیان یا ہمراہی مدعیان میں سے کسی آدمی کا مارا جانا | کر سکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | سزائے موت یا حبس دوام یا قید جسکی تعداد دس سال سے کم نہ ہو ہر ایک مجرم کو | محکمہ خاص | سرکار حضور پرنور | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३७<br>۳۷ | राज़न्ह<br>ایضاً | पांच या ज़्यादा आदमी का ज़बर दस्ती से बार दात डकैती की करना और किसी आदमी को ज़खमी या घायल करना ॥<br>پانچ یا زیادہ آدمی کا زبردستی سے واردات ڈکیتی کی کرنا اور کسی آدمی کو اسمیں مضروب اور مجروح کرنا | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | १० बरस तक की क़ैद या ज़ुर्माना या दोनों हर एक मुजरिम को<br>دس برس تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں ہر ایک مجرم کو | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | महकमे खास<br>محکمہ خاص | • |
| ३८<br>۳۸ | राज़न<br>ایضاً | पांच या ज़ियादा आदमी का बिना मज़रूही व मक़तूली के मुरतकिब डकैती का होना ॥<br>پانچ یا زیادہ آدمی کا بلا مجروحی و مقتولی کے مرتکب ڈکیتی کا ہونا | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | ७ बरस तक की क़ैद और ज़ुर्माना या दोनों हर एक मुजरिम को<br>قید ہفت سالہ یا جرمانہ یا دونوں ہر ایک مجرم کو | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | • |
| ३९<br>۳۹ | सिरक़ाबिल जबर<br>سرقہ بالجبر | चार आदमी तक का ज़बरदस्ती बारदात गारतगरी या रहज़नी या सिरक़ाबिल ज़बर या इस्तेसाल बिलजब्र करना<br>چار آدمی تک کا زبردستی واردات غارتگری یا رہزنی یا سرقہ بالجبر یا استحصال بالجبر کرنا | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | ७ बरस तक की क़ैद या ज़ुर्माना या दोनों हर एक मुजरिम को<br>قید ہفت سالہ یا جرمانہ یا دونوں ہر ایک مجرم کو | राज़न<br>ایضاً | राज़न<br>ایضاً | |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं / عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کرسکتا ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट / ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से तजवीज़ होगी / کس عدالت سے تجویز ہوگی | अपील किस अदालत में होगा / اپیل کس عدالت میں ہوگا | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५० | सिरका बिल जबर | चार आदमी तक का ज़बरदस्ती वारदात हाय मरकूमें बाला का मय मकतूली के मुरतकिब होना | कर सक्ता है | वारंट | नहीं है | नहीं है | सज़ाय फांसी या उमर क़ैद या क़ैद तादाद १० वर्स तक हो सक्ता है और जुर्माना हर एक मुजरिम को | महकमें खास | श्री हज़ूर पुर नूर दाम इक़बाल हू | |
| ٥٠ | سرقہ بالجبر | چار آدمی تک کا زبردستی واردات ہائے مرقوم بالا کا مع مقتولی کے مرتکب ہونا | کرسکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | سزا موت یا دائم الحبس یا قید جسکی تعداد دس سال تک ہوسکتی ہے اور جرمانہ ہر ایک مجرم کو | محکمہ خاص | سری حضور پرنور | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४१<br>۴۱ | राज़न·<br>ایضاً | चार आदमी तक का ज़बरदस्ती से वारदात हाथ मर कूमें बाला को मय मज़रूही के करना·<br>چار آدمی تک کا زبردستی واردات ہاتھ مرقومۂ بالا کو مع مجروحی کے کرنا | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | ७ बरस तक की क़ैद और जुर्माना हर एक मुजरिम को·<br>قید ہفت سالہ وجرمانہ ہر ایک مجرم کو | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | महकमे खास·<br>محکمہ خاص | |
| ४२<br>۴۲ | इसक़ात हमल या ने गर्भ निपात·<br>اسقاط حمل | (क) पांच माह तक का हमल या हमले हराम का इसकात करना या कराना·<br>(ख) औरत की रज़ामंदी या बिना रज़ामंदी से इसकात करना<br>(الف) پانچ ماہ تک کا حمل یا حمل حرام کا اسقاط کرنا یا کرانا<br>(ب) عورت کی رضامندی سے یا بلا رضامندی کے | नहीं·<br>نہیں | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | मुजरिम को मय राज़दार और इलाज करने वाले हर एक को ३ बरस तक की क़ैद और जुरमाना·<br>مجرم کو مع رازدار و معالج فرداً فرداً قید سہ سالہ اور جرمانہ | राज़न·<br>ایضاً | राज़न·<br>ایضاً | |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकती है या नहीं | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी | अपील किस अदालत में होगी | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४३ | इसकात हमल याने गर्भनिपात. | (क) पाँच महीने से जियादे का हमल या हमल हराम का इसकात कराना या करना.<br>(ख) औरत की रज़ामंदी या बिला रज़ामंदी से इसकात करना. | नहीं. | वारंट. | नहीं है. | नहीं है. | मुजरिम को मय राज़दार दाई मुआलिज और मुआविन को फ़रदन २ ७ बरस तक की क़ैद और जुर्माना. | महकमें अपील | महकमें ख़ास | |
| ۴۳ | اسقاط حمل | (ا) پانچ مہینے سے زیادہ کا حمل یا حمل حرام کا اسقاط کرنا یا کرانا<br>(ب) رضامندی یا بلا رضامندی عورت سے۔ | نہیں | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | مجرم رازدار دائی معالج اور معاون کو فرداً فرداً قید ہفت سالہ اور جرمانہ | محکمہ اپیل | محکمہ خاص | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४४ | रज़ान· | (क) ज़िंदा बच्चे को फेंक देना (ख) या छोड़ देना· (ग) या कूएं में डालना· (घ) या ज़मीन में दफ़न करना | कर सक्ता है | वारंट· | नहीं है· | नहीं है· | १० बरस की क़ैद· या जुरमाना· | महकमे अपील | महकमे ख़ास· |
| ۴۴۴ | اسقاط حمل | (۱) زندہ بچہ کو پھینک دینا (ب) یا چھوڑ دینا۔ (ج) یا چاہ میں ڈالنا (د) یا زمین میں دفن کرنا | کرسکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | قید دو سال و جرمانہ | محکمہ اپیل | محکمہ خاص |
| ४५ | फ़रारी इंसान याने भगा ले जाना इन्सान का | (क) किसी बालग़ या नाबालग़ लड़के या लड़की को उस्के रज़ा के बेरख़ा में रखने के वास्ते लौंडी गुलाम बनाने के भगा ले जाना या फुसला ले जाना· (ख) या किसी मर्द से बलत्कार के वास्ते भगा ले जाना या फुसला ले जाना (ग) या ज़ेवर उतार कर मार डालने के वास्ते भगा ले जाना या फुसला ले जाना· | कर सक्ता है | वारंट· | नहीं है· | नहीं है· | १० बरस तक की क़ैद· और जुरमाना· | महकमे अपील | महकमे ख़ास· |
| ۵۴۴ | فراری انسان | (۱) کسی نابالغ یا نابالغ لڑکی یا لڑکے کو اوسکی مرضی حفاظت میں کو لونڈی غلام بنانے کو واسطے بھگا لیجانا یا پھسلا لیجانا (ب) یا کسی مرد سے بدفعلی کرانے کو بھگا لیجانا (ج) یا زیور اتار کر مار ڈالنے کو واسطے بھگا لیجانا | کرسکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | قید دس سال اور جرمانہ | محکمہ اپیل | محکمہ خاص |

| दफ़ा<br>دفعہ | नामजुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अमलदार पुलिस बिलावारंट गिरफ्तार कर सक्ता है या नहीं | इब्तदाअन समन जारी होगा या वारंट | काबिल ज़मानत के है या नहीं | काबिल राज़ीनामे के है या नहीं | पादाश सज़ा<br>شرح سزا | किस अदालत में से जुर्म की तजवीज होगी | अपील किस में होगा | कैफियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४६<br>۴۶ | फ़रारी इनसान यानी भगा लेजाना इनसान को<br>فراری انسان | ह्निजन फ़सयाने अपने आराम के वास्ते किसी लड़का या लड़की को उस्के रक्षक की रक्षा में से भगा ले जाना या फुसला ले जाना।<br>کسی لڑکے یا لڑکی کو اسکے محافظ کے پاس سے حظ نفس کیواسطے بہگالیجانا یا پہسلا لیجانا | कर सक्ता है<br>کرسکتا ہے | वारंट<br>وارنٹ | है<br>ہے | है<br>ہے | ५ बरस तक की कैद और जुरमाना<br>قید پنج سالہ و جرمانہ | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | महकमे खास<br>محکمہ خاص | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४७<br>۴۷ | राज़न'<br>ايضاً | किसी बालिग ओरत को घर वासे के वास्ते भगा लेजाना'<br>گہرواسے کیواسطے کسی بالغ عورت کو بہگالیجانا | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | ५ बरस तक की क़ैद ओर जुरमाना'<br>قید پنج سالہ وجرمانہ | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | |
| ४८<br>۴۸ | राज़न'<br>ايضاً | किसी ओरत को भगा लेजाना' या' फ़ुसला लेजाना'<br>کسی عورت کو بہگالیجانا یا پہسلالیجانا | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | ७ बरस तक की कैद ओर जुर्माना'<br>قید ہفت سالہ اور جرمانہ | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | |
| ४९<br>۴۹ | बरदाफ़रोशी याने बेचना इन्सान का'<br>بردہ فروشی | (क) मरद या ओरत या लड़का लड़की को लोंडी गुलाम बनाने के वास्ते बेचना'<br>(ख) या उसका खरीदना'<br>(ا) مرد یا عورت یا لڑکا یا لڑکی کو لونڈی غلام بنانیکیواسطے بیچنا<br>(ب) یا اسکا مول لینا | नहीं'<br>نہیں | राज़न<br>ايضاً | नहीं है'<br>نہیں ہے | नहीं है'<br>نہیں ہے | ७ बरस तक की क़ैद ओर जुरमाना'<br>قید ہفت سالہ وجرمانہ | राज़न'<br>ايضاً | राज़न'<br>ايضاً | |

| दफ़ा<br>دفعہ | नाम जुर्म<br>نام جرم | तशरीह जुर्म<br>تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं<br>عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں | इबतदाई सम्मन जारी होगा या वारंट<br>ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं<br>قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं<br>قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा<br>شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी<br>کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा<br>اپیل کہاں ہوگی | कैफ़ियत<br>کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५०<br>۵۰ | बरदाफ़रोशी यानी बेचना इनसान का·<br>بردہ فروشی | मरद या औरत या लड़की को किसी गद्दीवाले मिसल फ़क़ीर वग़ैरा के बेचना<br>مرد یا عورت یا لڑکا یا لڑکی کو کسی گدی والا مثل فقیران وغیرہ کے ہاتھ بیچنا اور اونکا مول لینا (۱) | नहीं·<br>نہیں | वारंट·<br>وارنٹ | है·<br>ہے | है·<br>ہے | ७ बरस तक की क़ैद और जुर्माना या दोनो·<br>قید ہفت سالہ یا جرمانہ اور دونوں | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | महकमे ख़ास·<br>محکمہ خاص | · |

(१ नोट) अगर मा बाप की खुशी से चढ़ा देंतो मुसतसना — मगर दूसरा आदमी जो ऐसा करेतो मुजरिम होगा.

نوٹ۔ اگر ماں باپ خوشی سے چڑھا دیں تو مستثنیٰ۔ مگر دوسرا آدمی جو ایسا کرے تو مجرم ہوگا۔

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५९ | जिनाबिल जब्र याने जबरदस्ती से संयोग करना॰ | (क) किसी औरत को मजबूर करके जिनाबिल जबर करना॰ (ख) या औरत की बिला मरज़ी के या दस बरस से कम उमर के साथ ज़िना बिल जबर करना॰ (तशरीह) मगर खाविंद का अपनी दस बरस की औरत से ज़िना करना जबर नहीं बल्के मुस्तसना है॰ | कर सक्ता है | वारंट॰ | नहीं है॰ | नहीं है॰ | ७ बरस तक की कैद और जुर्माना॰ | सज़ान॰ | सज़ान॰ | ॰ |
| ۵۱ | زنا بالجبر | (۱) کسی عورت کو مجبور کرکے زنا بالجبر کرنا (ب) یا اوسکی مرضی کے خلاف یا دس برس سے کم عمر کی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کرنا (تشریح) مگر خاوند کا اپنی دہ سالہ سے جماع کرنا جبر نہیں بلکہ مستثنیٰ ہے — | کرسکتا ہے | وارنٹ | نہیں ہے | نہیں ہے | قید ہفت سالہ وجرمانہ | ایضاً | ایضاً | |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं / آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | इब्तदाई में समन जारी होगा या वारंट / ابتدا میں سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी / کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा / اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५२ / ۵۲ | जुरायम ख़िलाफ़ वज़ेह फ़ितरी / جرایم خلاف وضع فطری | किसी मरद औरत या जानवर के साथ ख़िलाफ़ वज़ह फ़ितरी के बिल इरादे वती करना / کسی مرد عورت یا جانور کے ساتھ خلاف وضع فطری کے بالارادہ وطی کرنا | कर सक्ता है / کرسکتا ہے | वारंट / وارنٹ | नहीं है / نہیں ہے | नहीं है / نہیں ہے | ७ बरस तक की क़ैद और जुर्माना / قید ہفت سالہ وجرمانہ | महकमें अपील / محکمہ اپیل | महकमें ख़ास / محکمہ خاص | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५३ | खरीद माल मगरूनाब मसरूका' याने चोरी धाडेकी माल खरीदना | (क) जाणबूझकर चोरी व धाड़ा वठगी डकेती का माल खरीद करना' (ख) या उसकी पूरी कीमत न देना' (ग) या उसी मालसे जो चोरी धाड़ा वगैराके वसीलेसे हासिल हुआ होव्यो पार करना' (घ) या चोरी पेशे लोगोंसे बैगैर हुक्म सरकार वो हरगत करना' | राज़न' | राज़न' | राज़न' | राज़न' | ३ बरस तककी कैद और जुर्माना या दोनो | महकमें अपील | महकमें खास' |
| ۵۳ | خرید مال مغروقہ ومسروقہ | (ا) جان بوجھ کر چوری دہاڑہ ٹھگی وٹکیتی کا مال خرید کرنا (ب) یا پوری قیمت نہ دینا (ج) یا اسکے مال سے جو بوسیلہ چوری دہاڑہ وغیرہ حاصل ہوا ہو بیوپار کرنا (د) چوری پیشہ لوگوں سے بلا حکم سرکار دو ہرگت کرنا | ایضاً | ایضاً | ایضاً | ایضاً | قید سہ سالہ یا جرمانہ یا دونوں | محکمہ اپیل | محکمہ خاص |

| दफ़ा / دفعہ | नाम जुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | अज़लापुलिस बिला वारंट गिरफ़ार कर सक्ता है या नहीं / آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کرسکتی ہے یا نہیں | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट / ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं / قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी / کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | अपील कहां होगा / اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५४ / ۵۴ | नख़फ़ीफ़ मुजरमाना याने डंडज़ो गधमकी / تخویف مجرمانہ | (क) किसी शख़्स को जान से मारने या ज़रर सदीद या नुक़्सान पहुंचाने की धमकी देकर कोई माल या ज़रे नक़द लेलेना ' (ख) या कोई दस्तावेज़ इक़रारी लिखा लेना ' (الف) کسی شخص کو ہلاکت یا ضرر شدید یا نقصان پہنچانیکی دہمکی دیکر کوئی مال یا زر نقد لینا - (ب) یا کوئی دستاویز اقراری لکھا لینا | नहीं ' / نہیں | समन ' / سمن | है ' / ہے | है ' / ہے | ५ बरस तक कैद या जुर्माना ' / قید پنج سالہ یا جرمانہ | महकमे अपील / محکمہ اپیل | महकमे ख़ास ' / محکمہ خاص | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५५<br>۵۵ | तखफ़ीफ़ मुज़रमाना याने डंड जो ग़ाधमकी<br>تخویف مجرمانہ | (क) सिर्फ़ ज़बानी धमकी देना (ख) या नुकसान करानेकी नियतसे तौहीन करना<br>(الف) حرف زبانی دہمکی دینا (ب) یا نقص امن کرانیکی نیت سے توہین کرنا | नहीं<br>نہیں | समन<br>سمن | है<br>ہے | है<br>ہے | २ बर्सतककी क़ैद या जुर्माना<br>قید دو سال یا جرمانہ | मजिस्टरेट दरजे अव्वल<br>مجسٹریٹ درجہ اول | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | • |
| ५६<br>۵٦ | सरकारी निशान तोड़ना<br>سرکاری نشان توڑنا | (क) सरकार का रोपा हुआ निशान तोड़ना (ख) या तारके थंबे या रेल की सड़क तोड़ना (ग) या सरहद के नेखलको उखाड़ देना<br>(ا) سرکار کا نشان لگایا ہوا توڑنا (ب) یا تہنبہ تار برقی کا یا ریل کی سڑک توڑنا (ج) یا سرحدی مینار اکہاڑ | कर सक्ता है<br>کر سکتا ہے | वारंट<br>وارنٹ | है<br>ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | २ बर्सतककी कैद या ५००) रुपैतक जुर्माना या दोनों<br>دو برس تک کی قید یا پانسو روپیہ تک جرمانہ یا دونوں | एज़न<br>ایضاً | एज़न<br>ایضاً | • |

| दफ़ा | नाम जुर्म | तशरीह जुर्म | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ती है या नहीं | इब्तदाई समन जारी होगा या वारंट | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं | क़ाबिल राज़ीनामे के है या नहीं | शरह सज़ा | किस अदालत में तजवीज़ होगा | अपील कहां होगा | कैफ़ियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دفعہ | نام جرم | تشریح جرم | آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | قابل ضمانت کے ہے یا نہیں | قابل راضی نامہ کے ہے یا نہیں | شرح سزا | کس عدالت میں تجویز ہوگا | اپیل کہاں ہوگی | کیفیت |
| ५७ | सरकारी निशान तोड़ना | नेखम बंदी को उखाड़ देना जो सरकार की तरफ़ से की गई हो | नहीं | समन | है | नहीं है | सज़ाय जुरमाना अव्वल दफ़ा ५० रु० और दूसरी दफ़ा १०० रु० तीसरी दफ़ा सज़ाय क़ैद जिस्की मियाद ६ महीने से ज़ियादा न होवे | मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल | महकमे अपील | |
| ٥٨ | سرکاری نشان توڑنا | نہکم بندی کو اکھاڑ دینا جو سرکار کی طرف سے کی گئی ہو۔ | نہیں | سمن | ہے | نہیں ہے | سزا جرمانہ اول دفعہ ۵۰ روپیہ اور دوسری دفعہ ۱۰۰ روپیہ تیسری دفعہ قید جسکی میعاد چھ ماہ سے زیادہ نہ ہووے | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५८<br>۵۸ | थांगदारी यानेराजदारी<br>ٹھانگ داری یعنی رازداری | अलानिया या पोशीदा तौरपर चोरबदमास और जुर्मपेशा लोगों को किसी जुर्म के इरतकाब के मशाविरत मुजरआने के वास्ते अपने यहां जमा करना या जमा होने देना<br>علانیہ یا پوشیدہ طور پر چور بدمعاش اور جرم پیشہ لوگوں کو کسی جرم کے ارتکاب کی مشورت کے واسطے اپنے یہاں جمع کرنا یا جمع ہونے دینا ۔ | करसक्ताहै<br>کر سکتا ہے | वारंट<br>وارنٹ | नहीं है<br>نہیں ہے | नहीं है<br>نہیں ہے | जो जुर्मकी सज़ा वही हर एक शरीक की सज़ा होगी<br>جو جرم کی سزا وہی ہر ایک شریک کو سزا ہوگی ۔ | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल<br>مجسٹریٹ درجہ اول | महकमे अपील<br>محکمہ اپیل | |
| ५९<br>۵۹ | फरारी अज़ हिरासत याने पहरे में से भाग जाना<br>فراری از حراست | (क) हिरासत से भाग जाना (ख) या किसी मुजरिम संगीन या खफ़ीफ़ को हिफ़ाजत नाजायज से भाग जाने देना<br>(ا) حراست سے بھاگ جانا (ب) یا کسی مجرم جرائم سنگین یا خفیف کو حفاظت ناجائز سے بھاگ جانے دینا ۔ | करसक्ताहै<br>ایضاً | वारंट<br>ایضاً | नहीं है<br>ایضاً | नहीं है<br>ایضاً | जो सज़ा असली जुर्मकी हो उससे आधी सज़ा मुक़र्रर की और जिसके पहरे से फरार हो उसको भी जुर्म से आधी होगी<br>جو سزا اصلی جرم کی ہو اس سے نصف مقرر کرو اور جسکے پہرے سے فرار ہو اسکو بھی جرم کے نصف ہوگی ۔ | राज़ीन<br>ایضاً | राज़ीन<br>ایضاً | |

| | |
|---|---|
| दफ़ा دفعہ | |
| नामजुर्म نام جرم | |
| नशरीह जुर्म تشریح جرم | |
| अमला पुलिस बिला वारंट गिरफ़ार कर सक्ता है या नहीं · عملہ پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتا ہو یا نہیں | |
| इब्तदाई सम्मन जारी होगा या वारंट · ابتدائی سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | |
| क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं · قابل ضمانت کے ہے یا نہیں | |
| काबिल राज़ीनामे के है या नहीं قابل راضی نامہ کے ہے یا نہیں | |
| शरह सज़ा · شرح سزا | |
| किस अदालत से जुर्म की तजवीज़ होगी کس عدالت سے جرم کی تجویز ہوگی | |
| अपील कहां होगा اپیل کہاں ہوگا | |
| कैफ़ियत کیفیت | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६० | चोरी मह सूल सा[yर] | मह सूल सायर की चोरी कर ना | नहीं कर सक्ता | समन | है | है | अगर व्योपारी महसूल की चोरी में आवे तो ६ महीने तक की कैद या ५० रुपे तक जुर्माना और जो सर्कारी मुलाजिम की गफलत साबित की होवे तो जैसी मुकदमें की सूरत होवे वैसो सज़ा दी जावे जिस्की मयाद २ वर्ष तक की कैद और २०० रुपे जुर्माने से ज़ियादा न हो | मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल | महकमे अपील | |
| ٦٠ | چوری محصول سایر | محصول سایر کی چوری کرنا | نہیں | سمن | ہے | ہے | اگر بیوپاری چوری محصول میں آوے تو چھ ماہ تک کی قید یا پچاس روپیہ تک جرمانہ اور جو سرکاری ملازم کی غفلت ثابت ہو تو جیسی صورت مقدمہ کی ہووے ویسی سزا دیجاوے جسکی میعاد دو برس تک کی قید اور دو سو روپیہ جرمانہ سے زیادہ نہ ہو | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| दफ़ा / دفعہ | नामजुर्म / نام جرم | तशरीह जुर्म / تشریح جرم | आया पुलिस बिला वारंट गिरफ़्तार कर सकती है या नहीं / آیا پولیس بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے یا نہیں | इब्तदा में समन जारी होगा या वारंट / ابتدا میں سمن جاری ہوگا یا وارنٹ | क़ाबिल ज़मानत के है या नहीं / قابل ضمانت ہے یا نہیں | क़ाबिल राज़ीनामा के है या नहीं / قابل راضی نامہ ہے یا نہیں | शरह सज़ा / شرح سزا | किस अदालत से मुक़दमा क़ाबिल समाअत के होगा / کس عدالت سے مقدمہ قابل سماعت ہوگا | अपील कहां होगा / اپیل کہاں ہوگا | कैफ़ियत / کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६१ | जुरायम मुतालके ठेकादारी | ठेके की चीज़ को बिला रज़ामंदी ठेकेदार जायज़ के फ़रोख़्त करना | नहीं | समन | है | नहीं है | माल बरामद शुदा है करनीलाम किया जावे और मुखबिर को दिया जावे और जो सरकारी मुलाज़िम पकड़े तो चौथा हिस्सा दिया जावे | मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल | महकमे अपील | |
| ٦١ | جرائم متعلق ٹھیکہ داری | ٹھیکہ کی چیز کو بلا رضامندی ٹھیکہ دار جائز کے فروخت کرنا | کر سکتا ہے | سمن | ہے | نہیں ہے | مال برآمد شدہ فروخت کر کے نیلام کیا جاوے اور مخبر کو دیا جاوے اور جو سرکاری ملازم پکڑے تو چہارم حصہ دیا جاوے | مجسٹریٹ درجہ اول | محکمہ اپیل | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६२<br>۶۲ | जुरायमसुतालक़े रेल वे'<br>جرائم متعلق ریلوے | (क) रेल में चोरी करना'<br>(ख) या उसकी रवानगी में खलल अंदाज़ होना'<br>(الف) ریل میں چوری کرنا -<br>(ب) یا اسکی روانگی وغیرہ میں خلل انداز ہونا | कर सक्ता है<br>کرسکتا ہے | वारंट'<br>وارنٹ | नहीं है'<br>نہیں ہے | नहीं है'<br>نہیں ہے | ३ वर्स से ७ वर्ष तक की क़ैद और जुर्माना वावत खलल अंदाज़ी रेल के और वावत चोरी हस्ब क़ायदे:<br>تین برس سے سات برس تک کی قید اور جرمانہ بابت خلل اندازی ریل کے اور بابت چوری حسب قاعدہ | महकमें अपील<br>محکمہ اپیل | महकमें खास'<br>محکمہ خاص | |
| ६३<br>۶۳ | नुक्स अमन<br>نقص امن | (क) हिफ़्ज़ अमन की ज़मानत और मुचल्का नेक चलनी का बावजूद तलब न देना'<br>(ख) या दूसरे मुक़दमात में ज़मानत और मुचल्का हस्ब ज़ाब्ते न देना'<br>(ا) حفظ امن کی ضمانت اور مچلکہ نیک چلنی باوجود طلب نہ دینا (ب) یا دوسرے مقدمات میں ضمانت اور مچلکہ حسب ضابطہ نہ دینا | नहीं'<br>نہیں | समन'<br>سمن | है'<br>ہے | है'<br>ہے | २ वर्स तक की क़ैद और २००) रुपये तक जुर्माना'<br>دو برس تک کی قید اور دوسو روپیہ تک جرمانہ | मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल<br>مجسٹریٹ درجہ اول | महकमें अपील<br>محکمہ اپیل | |

(१ नोट) चूंकि बबायस तवालत श्री दरबार को यह मंज़ूर नहीं है कि कोई मजमूआ ताज़ीरात का तैयार किया जावे' इस वास्ते सिर्फ़ यह नक़शेजात वास्ते आगाही व रहनुमाई हुक्काम अदालत हाय सीग़े फ़ौजदारी के मुरत्तिब किये गये हैं और इन ही में बजाय नम्बर के दफ़आत क़ायम कराये गये हैं ॥

(۱ نوٹ) چونکہ بباعث طوالت دربار کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی مجموعہ تعزیرات کا تیار کیا جاوے اسواسطے صرف یہ نقشہ جات واسطے آگاہی و رہنمائی حکام عدالت ہائے صیغۂ فوجداری مرتب کئے گئے ہیں اور انہیں میں بجائے نمبر کے دفعات قایم کرائی گئی ہیں

(२ नोट) जिस महल्ल में जुरमाने की कोई हद मुक़र्रर नहीं की गई है उस महल्ल में उस जुरमाने की मिक़दार जिसका मुजरिम मस्तोजिब होगा ग़ैर महदूद है मगर चाहिये कि हैसियत जुर्म व हैसियत मुल्ज़िम से ज़ियादा न हो' ॥

(۲ نوٹ) جس محل میں جرمانہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے اُس محل میں اُس جرمانہ کی مقدار جسکا مجرم مستوجب ہوگا غیر محدود ہے مگر چاہیئے کہ حیثیت جرم و حیثیت ملزم سے زیادہ نہو

ضمیمہ نمبر ۴
نمونہ جات سمن اور وارنٹ کے بیان میں

نمونہ سمن
طلبی بنام
ملزم
(بموجب دفعہ ۶۸)

سمن از محکمہ
بنام ولد
قوم ساکن ہی
ہرگاہ حاضر ہونا تمہارا بغرض جوابدہی الزام (یہاں اس جرم کا مختصر حال لکھا جاویگا جسکا الزام لگایا گیا ہو) ضرور ہے اسلئے اس تحریر کی روسے تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ
تاریخ ماہ سنہ
مطابق متی سمت کو
اصالتاً یا وکالتاً (جیسے کہ صورت ہو) مقام کے مجسٹریٹ حضور میں حاضر ہو اس بات میں تاکید جانو۔

ज़मीमा नम्बर ४
समन और वारंट के नमूनों के बयान में॥

नमूना समन मुलज़िम के नाम बुलाने के वास्ते
(बमूजिब दफ़ा ६८)

समन अज़ महकमे

बनाम वल्द
कौम साकिन
जोकि हाज़िर होना तुम्हारा वास्ते जवाब दही इलज़ाम (यहां इलज़ाम का मुख़्तसिर हाल लिखा जावेगा) ज़रूर है इसलिये तुम को इस समन के ज़रिये से हुक्म दिया जाता है कि तारीख़ माह सन् मुताबिक़ मिती सम्वत को (असालतन) (या बकालतन जैसो कि सूरत हो) मुक़ाम हाज़िर हो इस बात में ताकीद जानो॥

| | |
|---|---|
| تاریخ ماہ سنہ | तारीख माह सन् |
| مطابق متی سمت | मुताबिक़ मिती सम्वत् |
| مہر دستخط حاکم | मुहर दस्तख़त हाकिम् |
| **نمونہ سمن واسطے طلبی گواہ** | **नमूना समन् जो गवाह के नाम जारी किया जावे ॥** |
| (بموجب دفعہ ۱۰۷) | (बमूजिब दफ़ा १०७) |
| سمن از محکمہ | समन अज़ महकमें |
| بنام ولد | बनाम वल्द |
| قوم ساکن | क़ौम साकिन् |
| جو کہ ہمارے روبرو نالش ہوئی ہے کہ مسمّٰی ساکن سے (جرم) (یہاں جرم کا مختصر حال بقید وقت اور موقع کے لکھا جاویگا) مرتکب ہوا ہے) یا اسکے ارتکاب کا اسے شبہ کیا گیا ہے) اور ہمکو معلوم ہوا کہ تم مستغیث کی طرف سے شہادت متعلقہ امور اہم دے سکوگے۔ لہذا تمہارے نام سمن بھیجا جاتا ہے کہ | जोकि हमारे रोबरू नालिश हुई है कि मुसम्मी साकिन् से जुर्म (यहाँ जुर्म का मुख्तसिर हाल लिखा जावेगा) हुआ है (या उसके इर्तकाब का उसपर शुबा किया गया है) और हम को मालूम होता है कि तुम नालिश करने वाले की तरफ़ से गवाही जुर्म मज़कूर के बाबत देसको गये इस वास्ते तुम्हारे नाम समन भेजा जाता है कि |
| تاریخ ماہ سنہ | तारीख माह सन् |
| مطابق متی سمت | मुताबिक मिती सम्वत |
| کو وقت | को वक़्त |

| | |
|---|---|
| اس عدالت میں حاضر ہو کر نالش مذکور کی بابت جو کچھ تمکو معلوم ہو اسکی نسبت شہادت دو اور تمکو تاکید کی جاتی ہے کہ اگر تم بغیر کسی واجبی سبب کے تاریخ مذکور پر حاضر ہونے سے غفلت یا انکار کروگے تو تم کو جبراً حاضر کرنے کے لئے وارنٹ جاری کیا جاوے گا۔ | इस अदालत में हाज़िर हो कर नालिश मज़कूर के बाबत् जो कुछ तुम को मालूम हो उसके निसबत् गवाही दो और तुम को ताकीद की जाती है कि अगर तुम बग़ैर किसी वाजबी सबब के तारीख़ मज़कूर पर हाज़िर होने से गफ़लत या इनकार करोगे तो तुम को जबरन करने के लिये वारंट जारी किया जावेगा॰ फ़कत |
| تاریخ ماہ سنہ | तारीख माह सन् |
| متی سمت | मिती सम्बत् |
| مہر دستخط | मोहर दस्तख़त |
| **نمونہ وارنٹ گرفتاری** | **गिरफ़तारी के वारंट का नमूना** |
| (بموجب دفعہ ۳۷ و ۴۰) | (बमूजिब दफ़ा ३७ व ४०) |
| وارنٹ از محکمہ | वारंट अज़ महकमे॥ |
| بنام (یہان نام او عہدہ اس شخص کا یا ان شخصون کا کہ جنکو وارنٹ کی تعمیل سپرد ہو گی لکہا جاویگا) جو کہ مسمی ساکن پرجرم | बनाम (यहाँ नाम और ओहदा उस शख़स का या उन शख़सों का कि जिनको वारंट की तामील सुपुर्द हो लिखा जायगा) जो कि मुसम्मी साकिन पर जुर्म |

| | |
|---|---|
| (یہاں جرم لکھا جاویگا) کا الزام | (यहां जुर्म लिखा जावेगा) का |
| لگایا گیا ہے اس لئے اس | इल्ज़ाम लगाया है इसलिये |
| تحریر کی رو سے تمکو حکم | इस तहरीर की रूसे तुम को |
| ہوتا ہے کہ مسمّی | हुक्म होता है कि मुसम्मी |
| مذکور کو گرفتار کرکے ہمارے روبرو | मज़कूर को गिरफ़्तार करके हमा |
| حاضر کرو اس بات میں | रे रोबरू हाज़िर करो इस बात में ता |
| تاکید جانو فقط | कीद जानो फ़क़त |
| تاریخ ماہ سنہ | तारीख़ माह सन् |
| مطابق متی سمت | मुताबिक़ मिती सम्बत् |
| مہر دستخط | मोहर दस्तख़त |
| جائز ہے کہ اس وارنٹ کی | जायज़ है कि इस वारंट की पुश्त प |
| پشت پر نیچے کی عبارت لکھی جاوے | र नीचे की इबारत लिखी जाय- अ |
| اگر مسمّی مذکور اپنی طرف سے | गर मुसम्मा मज़कूर अपनी तरफ़ से |
| مچلکہ تعدادی روپیہ مع | मुचल्का तादादी — रुपया मय |
| ضمانت ایک آدمی تعدادی | ज़मानत एक आदमी तादादी — |
| روپیہ (یا ضمانت دو آدمی کی فی | रुपया (या ज़मानत दो आदमी की फ़ी |
| آدمی روپیہ) اس اقرار سے دیوے | आदमी — रुपया) इस इक़रार |
| کہ وہ ہمارے روبرو تاریخ | से दे कि वह हमारे रोबरू तारीख़ |
| کو حاضر ہوگا تو اسکا رہا | को हाज़िर होगा तो उस को रि |
| کرنا جائز ہوگا۔ | हा करना जायज़ होगा |
| تاریخ دستخط | तारीख़ दस्तख़त |

## نمونہ وارنٹ تلاشی

(بموجب دفعہ ۴۲ و ۴۴)

وارنٹ تلاشی از محکمہ      بنام
یہاں نام اور عہدہ
اُس افسر کا کہ جسکو وارنٹ کی
تعمیل سپرد ہو ایک ہو خواہ دو
چار)
جو کہ ہمارے پاس اطلاع پہنچائی
گئی ہے (یا ہمارے روبرو نالش
ہوئی ہے) کہ جرم (یہاں جرم کا
مختصر حال لکھا جاوے گا)
سرزد ہوا ہے یا اُسکے سرزد
ہونے کا اشتباہ کیا گیا ہے
اور ہمکو معلوم ہوا ہے کہ واسطے
تحقیقات نسبت جرم مذکور
یا جرم مشتبہ کے یا جو آئندہ
عمل میں آوے) حاضر کرنا
(یہاں شے مطلوبہ کی صراحت لکھی
جاویگی) کا ضرور ہے اسواسطے
اِس تحریر کے ذریعہ سے تمکو اجازت

## तलाशी के वारंट का नमूना

(बमूजिब दफ़ा ४२ व ४४)

वारंट तलाशी अज़ महकमे बना
म (यहां नाम और ओहदा उस
अफ़सर का कि जिसको वारंट की
तामील सुपुर्द हो एक हो ख्वाह
दो चार)
जो कि हमारे पास इत्तिलाअ पहुंचा
ई गई है (या हमारे रोबरू नालि
श हुई है) कि जुर्म (यहां जुर्म का
मुख्तसिर हाल लिखा जावेगा)
सरज़द हुआ है या उसके सरज़
द होने का इश्तबाह किया गया
है और हम को मालूम हुआ है कि
वास्ते तहक़ीक़ात निसबत जुर्म म
ज़कूर (या जुर्म मुश्तबाह के या जो
आयंदा अमल में आये) हाज़िर क
रना (यहां शैय मतलूबा की सराहत लि
खी जावेगी) का ज़रूर है इसवास्ते इस
तहरीर के ज़रिये से तुम को इजाज़त

دیجاتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ
(اسے جسکی صراحت کی گئی ہے)
مذکور کو مقام
(یہاں صراحت اُس مکان یا
مقام یا جزو مقام کی لکھی جاویگی
کہ صرف جسمیں تلاشی کی جاویگی)
میں تلاش کرو کہ اگر وہ ملجاویں
تو فوراً اُس کو عدالت میں
حاضر کرو اور بفور تعمیل
اس وارنٹ کے وارنٹ کو
بعد ثبت عبارت ظہری یہ
تصدیق اس امر کے کہ تمنے اسکے مطابق
کیا کیا عمل کیا واپس بھیجو
آج تاریخ ماہ
سنہ مطابق متی
سمت
میرے دستخط اور عدالت کی
مُہر سے جاری کیا گیا۔
مہر دستخط

(بموجب دفعہ ۱۷۴)



दी जाती है और हुक्म होता है कि (जिसे
जिस्की सराहत की गई है) मज़कू
र को मुक़ाम
(यहां सराहत उस मकान या मुक़ाम
या जुज़्व मुक़ाम की लिखी जावेगी
कि सिर्फ़ जिस्में तलाशी की जावेगी)
में तलाश करो और अगर वह मिल
जावें तो उस्को फ़ौरन इस अदालत
में हाज़िर करो और बफ़ौर तामील
इस वारंट के वारंट को बाद सि सब्त
इबारत ज़हरी बत सदीक़ इस अ
मर के कि तुम ने उस्के मुताबिक़
क्या क्या अमल किया वापिस भेजो
आज तारीख माह
सन मुताबिक़ मिती
सम्बत
मेरे दसखत और अदालत की
मोहर से जारी किया गया
मोहर दसखत

क़ैद के वारंट का नमूना ॥
( बमूजिब दफ़ा १७४ )

وارنٹ قید از محکمہ
بنام سپرنٹنڈنٹ یا محافظ
جیلخانہ مقام جوکہ
تاریخ ماہ سنہ
مطابق متی سمت
کو مسمّی (قیدی کا نام اوّل
دویم۔ سویم۔ جیسی صورت ہو)
بمقدمہ نمبر
مندرجہ کلنڈرا سنہ ۱۸
روبرو مجھ (نام اور عہدہ
حاکم مجوز) بعلت جرم
(یہاں جرم یا جرایم کی تشریح
مختصر لکھی جاویگی) حسب منشاء
دفعہ مجموعہ ضابطہ فوجداری
راج مارواڑ کے مجرم قرار پایا اور
اُسپر حکم سزائے (یہاں
پوری پوری تشریح سزا کی
لکھی جاویگی) صادر ہوا تھا اس
واسطے سپرنٹنڈنٹ یا (محافظ) کو
اختیار اور حکم دیا جاتا ہے کہ مسمّی
قیدی کا نام) کو مع

वारंट क़ैद अज़ महकमे
बनाम सुपरंटंडेंट या मुहाफ़िज़ जेल
खाने मुकाम जोकि
तारीख माह सन्
मुताबिक़ मिती सम्बत्
को मुसम्मी (क़ैदी का नाम अव्वल
दोयम सोयम जैसी सूरत हो)
ब मुक़दमे नम्बर
मुन्दरजे कलंदरा सन् १८
रोबरू मुझ (नाम और ओहदा
हाकिम मजव्विज) बइल्लत जुर्म
(यहां जुर्म या जुर्मों की तफसील मुख्त
सिर लिखी जावेगी) हस्ब मन्शाय
दफा मजमूए ज़ाब्ते फ़ौजदारी
राज मारवाड़ के मुजरिम करार पा
या और उस पर हुक्म सज़ाय (यहां
पूरी पूरी तशरीह सज़ा की लिखी जा
वेगी) सादिर हुआ था इस वास्ते
सुपरंटंडेंट या (मुहाफ़िज़) को
अख़्तियार और हुक्म दिया जाता है
कि मुसम्मी) क़ैदी का नाम) को मये

اس وارنٹ کے تعمیل ہوتے ہی اپنی
حراست میں لیکر حکم سزائے مذکور کی
تعمیل موافق قانون کے کرو
آج تاریخ ماہ
سنہ مطابق متی
سمت کو ہمارے دستخط
اور عدالت کی مہر سے جاری
کیا گیا دستخط مہر

## نمونہ مچلکہ حاضری ملزم وضمانت نامہ

(بموجب دفعہ ۳۸)

میں ساکن جو
روبرو مجسٹریٹ مطابق وارنٹ
کے حاضر کیا گیا ہوں جسمیں
میرے نام حکم ہوا ہے کہ واسطے
جواب دہی الزام کے حاضر
حاضر کیا جاؤں اس تحریر کی
روسے وعدہ کرتا ہوں کہ تاریخ
ماہ سنہ
مطابق متی سمت

इस वारंट के तामील होते में अपनी हि
रासत में लेकर हुक्म सज़ाय मज़कू
र को तामील मुवाफ़िक़ क़ानून के क
रो आज तारीख माह
सन् मुताबिक़ मिती
सम्वत् को हमारे दस्तख़त
और अदालत की मुहर से जारी कि
या गया. दस्तख़त मुहर

## मुलज़िम की हाज़री का मुचलका और ज़मानत नामे का नमूना.

(बमूजिब दफ़ा ३८)

मैं साकिन जो
मजिस्ट्रेट के रोबरू वारंट के मु
ताबिक हाज़िर किया गया हूं जिस
में मेरे नाम हुक्म हुवा है कि अपने
जवाबदही इल्ज़ाम के वास्ते हा
ज़िर किया जाऊं इस तहरीर की
रूह से वायदा करता हूं कि तारीख
माह सन्
मुताबिक मिती सम्वत्

آیندہ کو عدالت میں حاضر
ہو کر الزام مذکورہ کی جوابدہی
کرونگا اور جب تک کہ عدالت
سے دوسرا حکم نہو اسی طرح پر
حاضر رہونگا اور اگر اسمیں
قصور کروں تو ذمہ وار اس
بات کا ہونگا کہ سریدربار میں
روپیہ بطور تاوان کے ادا کرونگا
تاریخ ماہ سنہ
مطابق متی سمت
دستخط
میں اقرار کرنے والا مسمّی
ساکن مذکور
کی طرف سے ضامن ہوکر اسکے
ذریعہ سے اقرار کرتا ہوں کہ
مسمّی مذکور
تاریخ ماہ سنہ
مطابق متی سمت
آیندہ کو واسطے جوابدہی
اس الزام کہ جس میں وہ
گرفتار ہوا ہے عدالت

आयंदा को अदालत में हाज़िर होक
र इल्ज़ाम मज़कूर की जवाब देही क
रूंगा और जब तक कि अदालत से
दूसरा हुक्म न हो इसी तरह पर हा
ज़िर रहूंगा और अगर इसमें क़सू
र करूं तो ज़िम्मे दार इस बात का
होऊंगा कि श्री दरबार में
रुपै बतौर तावान के अदा करूं
तारीख माह सन्
मुताबिक़ मिती सम्बत्
दस्तख़त
मैं इक़रार करने वाला मुसम्मा
साकिन्
मज़कूर की तरफ़ से ज़ामिन होकर
इसके ज़रिये से वायदा करता हूं कि
मुसम्मा मज़कूर
तारीख माह सन्
मुताबिक़ मिती सम्बत्
आयंदा के वास्ते जवाब देही
इस इल्ज़ाम के जिसमें वह गिरफ़्ता
र हुआ है अदालत वाक़े में

واقع ... میں روبرو ... کے
حاضر ہوگا اور جب تک کہ عدالت
سے دوسرا حکم نہو حاضر رہیگا
اور اگر مسمی ... حاضر ہونے میں
قصور کرے تو میں اقرار کرتا ہوں
کہ ... روپیہ سرکار بطور تاوان ادا کرونگا
مورخہ ... ماہ ... سنہ
مطابق مسمی ... سمت
دستخط

## مُچلکہ حفظ امن
(بموجب دفعہ ۵۲)

جو کہ مجھ نام ... ساکن
مقام ... کو مچلکہ حفظ امن
میعادی ... لکھنے کا حکم
ہوا ہے لہذا میں اس
تحریر کی رو سے اقرار کرتا ہوں
کہ میعاد مذکور کے اندر نقص
امن یا کوئی فعل جس سے
نقص امن کا احتمال ہو نکرونگا
اگر میں اسمیں قصور کروں تو



रो बरू ... के हाज़िर होगा।
और जब तक कि अदालत से दू
सरा हुक्म न हो हाज़िर रहेगा और
अगर मुसम्मा हाज़िर होने में क़सू
र करे तो मैं वायदा करता हूं कि
... रु० श्री दरबार में अदा करूंगा
तारीख़ ... माह ... सन्
मुताबिक़ मिती ... सम्वत्
दस्तख़त

## हिफ़्ज़ अमन के मुचलके का नमूना॥
(बमूजिब दफ़ा ५२)

जो कि मुझ नाम ... साकिन्
मुक़ाम ... को मुचल्का हिफ़्ज़
अमन मयादी ... लिखने का हुक्म
हुआ है लिहाज़ा मैं इस तहरीर।
की रूसे इकरार करता हूं कि मयाद
मज़कूर के अन्दर नुक्स अमन् या
कोई काम जिससे नुक्स अमन्
का अहतमाल हो न करूंगा।
अगर मैं इसमें कसूर करूं तो ब-

بذریعہ اس تحریر کے اقرار کرتا ہوں
کہ مبلغ سری دربار کو تاوان
کے دوں ۔
تاریخ ماہ سنہ
مطابق متی سمت
دستخط

## نمونہ مچلکہ نیک چلنی

(بموجب دفعہ ۵۵ و ۵۶)

جو کہ مجھ نام ساکن
(مقام) کو اس مضمون سے مچلکہ
لکھنے کا حکم ہوا ہے کہ میں
بمقابلہ سری دربار اور سری دربار
کے جملہ رعایا کے ساتھ
میعاد تک نیک چلن رہونگا
لہذا اس تحریر کی رو سے اقرار
کرتا ہوں کہ میں میعاد مذکور
تک سری دربار کے مقابلہ میں اور
سری دربار کی تمام رعایا کے ساتھ
نیک چلن رہونگا اگر میں اسمیں
قصور کروں تو مبلغ روپیہ سری دربار میں

ज़रिये इस तहरीर के इकरार करता हूं कि रु रुपये श्री दरबार को तावान के दूं

तारीख माह सन्
मुताबिक मिती सम्वत्
दस्तखत

## नेकचलनी के मुचल्के का नमूना

(बमूजिब दफा ५५ व ५६)

जो कि मुझ नाम साकिन (मुकाम) को इस मज़मून से मुचल्का लिखने का हुक्म हुआ है कि मैं श्री दरबार के मुकाबले में और श्री दरबार की तमाम रैय्यत के साथ मयाद तक नेक चलन रहूंगा लिहाज़ा इस तहरीर की रूसे इकरार करता हूं कि मैं मयाद मज़कूर तक श्री दरबार के मुकाबले में और श्री दरबार की तमाम रैयत के साथ नेकचलन रहूंगा अगर मैं इससे कसूर करूं तो रु रुपे श्री दरबार में

تاوان کے دوں
تاریخ ماہ سنہ
مطابق متی سمت
دستخط
جب مچلکہ کے سوائے ضمانت
نامہ بھی لکھنا ضرور ہو تو یہ
عبارت زاید لکھی جائیگی کہ
ہم لوگ بذریعہ اس تحریر کے
اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسمّی
مذکور الصدر کے ضامن
اس بات کے ہیں کہ مسمّی
مذکور میعاد مسطور کے اندر
سری دربار اور سری دربار کی کل
رعایا کے مقابلہ میں نیک چلن
رہیگا اگر نامبردہ اسمیں قصور کرے
تو ہم ذمہ وار ہوتے ہیں کہ
سری دربار کے حضور میں روپیہ
تاوان کے دیں تاریخ ماہ
سنہ مطابق متی
سمت
دستخط

तावान के दूं
तारीख़ माह सन्
मुताबिक मिती सम्वत्
दसख़त
जब मुचल्के के सिवाय ज़मानत
नामा भी लिखना ज़रूर हो तो यह
इबारत ज़ियादा लिखी जाय गी
हम लोग बज़रिये इस तहरीर के
इक़रार करते हैं कि हम ऊपर लि
खे हुये शख़स के ज़ामिन इस बात
के हैं कि वह ऊपर लिखी हुई मया
द के अंदर श्री दरबार और श्री दर
बार की रऐयत के मुकाबले में
नेक चलन रहेगा और अगर वह इ
समें कसूर करे तो हम ज़ामिन जिस्मे
वार होते हैं कि श्री दरबार की हज़ूर
रु० तावान के देवें
तारीख़ माह सन्
मुताबिक मिती
सम्वत्
दसख़त

| | |
|---|---|
| نمونہ سمن بوقت اطلاع یابی احتمال نقص امن کے | नुक्स अमन के अहत-माल की इत्तला पहुंचने के वक्त समन जारी करने का नमूना |
| (بموجب دفعہ ۵۶) | (बमूजिब दफ़ा ५६) |
| سمن از محکمہ | समन अज़ महकमे |
| بنام ولد | बनाम वल्द |
| قوم ساکن | क़ौम साकिन |
| جوکہ اطلاع معتبر سے ہمکو دریافت ہوا ہے کہ (یہاں مضمون اطلاعیابی کا لکہا جاویگا) اور احتمال ہے کہ تم نقص امن کرنے والے ہو) یا ایسا فعل کرنے والے ہو جس سے غالباً نقصان ہوگا بواسطے بذریعہ اسکے تمکو حکم ہوتا ہے کہ | जो कि मोतबिर इत्तला से हम को दरयाफ़्त हुवा है कि (यहां इत्तिला याबी का मज़मून लिखा जावेगा) (और अहतमाल है कि तुम नुक्स अमन करने वाले हो) या ऐसा फ़ेल करने वाले हो जिससे ग़ालिबन् नुक्स अमन होगा इस वास्ते इसके ज़रिये से तुमको हुक्म होता है कि |
| تاریخ ماہ سنہ | तारीख़ माह सन् |
| مطابق متی سمت | मुताबिक मिती संवत् |
| کو بوقت دس بجے قبل دوپہر کے صاحب مجسٹریٹ مقام | को दो पहर से पहिले दस बजे के वक्त साहिब मजिस्ट्रेट मुकाम |

کی کچہری میں اصالتاً
(یا بذریعہ مختار مجاز حسب
ضابطہ) حاضر ہو کر وجہ اس
امر کی ظاہر کرو کہ کیوں
تم سے مچلکہ تعدادی
روپیہ بطور تاوان با قرار حفظ
امن خلایق تا میعاد کے
نہ لکھایا جاوے جب ضامنان
بھی ضرور ہوں تو یہ عبارت
بڑھائی جاوے گی اور
ضمانت نامہ نوشتہ ایک
ضامن یا دو ضامنوں کا جیسا
موقع ہو بقید مبلغ
دیگی ہر ضامن (جس حالت میں
کہ ایک سے زیادہ ضامن ہو)
بطور تاوان کے داخل نہ
کرایا جاوے
آج تاریخ ماہ سنہ
کو ہمارے دستخط اور عدالت
کی مہر سے جاری کیا گیا
مہر دستخط

की कचेहरी में असालतन् (या
बज़रिये मुख़तियार मजाज़ हस्ब
ज़ाबिते) हाज़िर होकर सबब इस
अमर का ज़ाहिर करो कि क्यों तु
मसे मुचल्का तादादी रुपे
ये बतौर तावान ब इक़रार
हिफ़्ज़ अमन ख़लायक़ की मयाद
तक न लिखा या जावे जब ज़ा
मिनान भी ज़रूर हों तो यह इबा
रत बढ़ाई जावेगी और ज़मानत
नामा लिखा हुवा एक ज़ामिन
या दो ज़ामिनों का जैसा मौका
हो: बक़ैद मुबलिग़
जीमें हर ज़ामिन (जिस हालत में
कि एक से ज़ियादा ज़ामिन हो)
बतौर तावान के दाख़िल न करा
या जाय आज
तारीख़ माह सन्
को हमारे दसख़त और अदालत
की महोर से जारी किया गया
महोर दसख़त

## نمونہ حکمنامہ مجسٹریٹ مشعر امتناع از ارتکاب مکرر وغیرہ کسی امر تکلیف دہ کے

بنام ولد
قوم ساکن

جو کہ ہمارے روبرو ظاہر کیا گیا ہے کہ (یہاں الفاظ مناسب لکھے جاویں) اسواسطے تمکو اس تحریر کی رو سے حکم تاکیدی اور قطعی ہوتا ہے کہ بذریعہ رکھنے یا رکھوانے کے اجازت دینے وغیرہ کی (جیسی صورت ہو) مکرر اس امر تکلیف دہ خلائق کے مرتکب نہ ہو فقط

آج تاریخ ماہ سنہ
کو ہمارے دستخط اور عدالت کی مہر سے جاری کیا گیا۔

مہر دستخط

## नमूने हुक्मनामे मजिस्ट्रेट बाबत मनाइन करने दुबारा इर्त्तिक़ाब वग़ैरः किसी अमर तकलीफ़ देने वाले आम लोगों के ॥

बनाम वल्द
क़ौम साकिन

जो कि हमारे रोबरू ज़ाहिर किया गया है कि (यहां अल्फ़ाज़ मुनासिब लिखे जावें) इसवास्ते तुम को इस तहरीर की रू से हुक्म ताकीदी और क़ितई होता है कि बज़रिये रखने या रखवाने की इजाज़त देने वग़ैरः की (जैसी सूरत हो) दुबारा इस अमर तकलीफ़ देने वाले आम खल्क़ के मुर्त्तकिब न हो फ़क़त आज

तारीख़ माह सन्
ई॰ को हमारे दस्तख़त और अदालत मुहर से जारी किया गया।

मुहर दस्तख़त

<table>
<tr>
<td>

## نمونہ حکمنامہ مجسٹریٹ مشعر امتناع مزاحمت یا بلوہ وغیرہ

(بموجب دفعہ ٦٤)

بنام ولد
قوم ساکن
جوکہ ہمارے روبرو ظاہر کیا گیا ہے کہ (اسجگہ جائداد کی بخوبی صراحت کیجاویگی) پر قبضہ رکھتے ہو) یا اُسکا انتظام کرتے ہو اور اُس زمین میں نالی کھودنے کے وقت تمہارا ارادہ ہے کہ کوئی جزو اُس مٹی اور پتھروں کا جو نالی سے نکلے ایک شارع عام پر جو اراضی کے متصل ہی ڈالدو یا رکھوادو جس سے اُن لوگوں کو مزاحمت پہنچنے کا خطرہ ہے جو سڑک کو استعمال میں لاویں لہذا تم کو حکم تاکیدی

</td>
<td>

## नमूने हुक्मनामे मजिसटरेट बाबत् मने कर ने मुज़ाहिमत या बल्वा वग़ैरेके

(बमूजिब दफ़ा ६४)

बनाम वल्द
क़ौम साकिन्
जोकि हमारे रोबरू ज़ाहिर किया गया है कि (इस जगह जाय दाद की बख़ूबी सराहत की जाय गी) के ऊपर क़ब्ज़ा रखते हो या उस्का इन्तज़ाम करते हो और उस ज़मीन में नाली खोदने के वक़्त तुम्हारा इरादा है कि कोई हिस्से उस मट्टी और पत्थरों का जो नाली से निकले एक आम रास्ते पर जो ज़मीन के पास है डाल दो या रख वा दो जिस से उन लोगों को मज़ाहमत पहुंचने का ख़तरा है जो सड़क को काम में लावें इस वास्ते तुम को हुक्म ताकीदी

</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| ہوتا ہے کہ تم ایسی کارروائی | होता है कि तुम को ऐसी कार रवा |
| میت کرو جس سے خلائق کو | ई मत करो जिस से ख़ल्क़त |
| تکلیف پہنچے * | को तकलीफ़ पहुंचे । |
| تاریخ ماہ سنہ | तारीख़ माह सन् |
| مطابق متی سمبت | मुताबिक़ मिती संबत् |
| مہر و دستخط | मोहर दसख़त |
| **نمونہ وارنٹ قید** | **क़ैद के वारंट का नमूना** |
| **درصورت عدم ادائے** | **दर सूरत न देने** |
| **نان نفقہ** | **रोटी कपड़ा** |
| (بموجب دفعہ ۴۸۸) | (बमूजिब दफ़ा ४८८) |
| وارنٹ از محکمہ | वारंट अज़ महकमे |
| بنام سپرنٹنڈنٹ | बनाम सुपरंटंडेंट |
| یا محافظ جیلخانہ مقام | या मुहाफ़िज़ जेलख़ाना मुकाम |
| جو کہ ہمارے روبرو ظاہر ہوا ہے | जो कि हमारे रूबरू ज़ाहिर हुवा है |
| کہ مسمی (نام و ولدیت | कि मुसम्मी (नाम वलदियत |
| قومیت سکونت مفصل لکھا | कौमियत सकूनत मुफ़स्सल |
| جاوے) استقدر سرمایہ کافی | लिखी जावे) इस क़दर मायह |
| رکھتا ہے کہ اپنی زوجہ | यत काफ़ी रखता है कि अपनी |
| (نام) یا اپنے طفلان | औरत (नाम) या अपने बच्चे ( |

| | |
|---|---|
| (نام) کی جو بوجہ (یہاں وجہ لکھی جاویگی) خود اپنی معاش پیدا نہیں کرسکتے ہیں یا کرسکتے ہیں پرورش کرے اور یہ کہ اُنکی پرورش کرنے میں اُسنے تساہل یا اُس سے انکار کیا ہے اور اُس پر حسب ضابطہ ضابطہ ہوا ہے کہ مسمّی مذکور اپنی زوجہ یا طفل کو روپیہ ماہواری بطور نان نفقہ کے ادا کرے اور یہ بھی ثبوت کو پہنچا ہے کہ مسمّی مذکور نے اُس حکم سے عدول بالعمد کرکے مبلغ کہ وہی تعداد نان نفقہ بابت ماہ یا ماہہائے کے اب واجب الادا ہے ادا نہیں کیا اور بر طبق اسکے اُسکی نسبت حکم ہوا کہ وہ جیلخانہ مذکور میں میعاد کے لیے | (नाम) की जो बवजे (यहाँ वजे लिखी जावेगी) खुद अपनी रोटी पैदा नहीं कर सक्ती है या नहीं कर सक्ता है पर वरश करे। और यह कि उनकी परवरिश करने में उसने ढील या उससे इनकार किया है और उस पर ज़ाब्ते के मुवाफ़िक़ हुक्म जारी हुवा है कि मुसम्मी मज़कूर अपनी औरत या (लड़के) को ) रुपये माहवारी रोटी कपड़े के तौर देवे और यह भी सबूत को पहुँचा है कि मुसम्मी मज़कूर ने इस हुक्म की। अदूली जान बूझ करके ) रुपये की वही तादाद रोटी कपड़े बाबत महीने (या महीनों) कि अब देना बाक़ी है नहीं दिया जिस पर उसके निसबत हुक्म हुवा कि वह जैलखाने मज़कूर में मयाद के लिये |

قید محض (یا سخت) بھگتے
لہذا سپرنٹنڈنٹ
یا محافظ جیل خانہ کو
اجازت اور حکم دیا جاتا ہے
کہ مسمی مذکور کو
جیلخانہ مذکور کے اندر اپنی
حراست میں مع اس وارنٹ
کے لو اور وہاں حکم مذکور
کی تعمیل مطابق قانون کے
کرو اور اس وارنٹ کو
اسکی پشت پر اس امر کی
تصدیق لکھہ کر واپس
بھیجو کہ اس کی تعمیل
کس طور پر ہوئی ..........
آج ..........
تاریخ ماہ سنہ
مطابق متی
سمت
ہمارے دستخط اور عدالت کی
مہر سے جاری کیا گیا۔
مہر دستخط

ख़ानी क़ैद (या सख़्त भुगते)
लिहाज़ा सुपरंटेंडंट
(या मुहाफ़िज़ जेल ख़ाने को
इजाज़त और हुक्म दिया जाता
है कि मुसम्मी मज़कूर को
जेल ख़ाने मज़कूर के अन्दर
अपनी हिरासत में मय इस वारं
ट के लो और वहां हुक्म मज़कू
र की तामील क़ानून के मुवाफ़ि
क़ करो और इस वारंट को उस
की पुश्त पर इस अमर की तस
दीक़ लिख कर वापिस भेजो
कि इस की तामील कैसे
कर हुई ..........
आज ..........
तारीख़ माह सन
मुताबिक़ मिती
सम्बत
हमारे दस्तख़त और अदालत
की महोर से जारी किया गया।
महोर दस्तख़त

# محلکہ اور ضمانت نامہ وقت تحقیقات ابتدائی روبروی مجسٹریٹ

(بموجب دفعہ ۱۹۶ و ۱۹۷)

میں مسمّی ساکن مقام کہ جرم میں ماخوذ ہوکر روبرو صاحب مجسٹریٹ مقام کے (جیسی صورت ہو) حاضر آیا ہوں اور مجھسے ضمانت واسطے حاضر ہونے عدالت مجسٹریٹ (یا دوسرا محکمہ جیسی صورت ہو) کہ اگر ضرورت ہو طلب ہوئی ہے اس تحریر کی روسے اقرار کرتا ہوں کہ تحقیقات ابتدائی کے ہر روز پر جو اس جرم کے بابت عمل میں آوے مجسٹریٹ مذکور

# मजिसटरेट के रोबरू इबनदाई तेहक़ीक़ातके वक़्त मुचलका और ज़मानत लेने का नमूना·

( बमूजिब दफ़ा १९६-१९७)

मैं मुसम्मी साकिन मुकाम कि जुर्म में माख़ूज होकर रोबरू साहिब मजिसटरेट मुकाम के (जैसी सूरत हो) हाज़िर आया हूं और मुझ से ज़मानत वासते हाज़िर होने अदालत मजिसटरेट (या दूसरा महकमा जैसी सूरत हो) कि अगर ज़रूरत हो तलब हुई है इस तहरीर की रू से इक़रार करता हूं कि तहक़ीक़ात इबतदाई के हर रोज़ पर जो इस जुर्म के बाबत अमल में आवे मजिसटरेट मज़कूर

کی عدالت میں حاضر ہونگا اور اگر وہ مقدمہ تجویز کے لئے عدالت میں سپرد کیا جائے تو عدالت مذکور میں بھی واسطے جوابدہی الزام کے جو مجھ پر لگایا گیا ہے موجود اور حاضر ہونگا اگر حاضر ہونے میں قصور کروں تو مبلغ بطور تاوان سرکار میں ادا کروں فقط

تاریخ ماہ سنہ

مطابق سمت

دستخط

(ضمانت)

میں اس تحریر کی رو سے اقرار کرتا ہوں (یا ہم اپنی اپنی طرف سے اقرار کرتے ہیں) کہ میں (یا ہم) مسمی کی طرف سے (ضامن یا ضامنان)

त की अदालत में हाज़िर हूंगा। और अगर वह मुक़द्दमा तजवीज़ के लिये अदालत में सुपुर्द किया जावे तो अदालत मज़कूर में भी वास्ते जवाबदेही इल्ज़ाम के जो मुझ पर लगाया गया है मौजूद और हाज़िर होऊंगा अगर हाज़िर होने में फ़रक़ करूं तो ـــ रुपये बतौर तावान श्री दरबार में अदा करूं फ़क़त

तारीख़ माह सन्

मुताबिक़ मिती

सम्वत् दस्तख़त्

( ज़मानत )

मैं इस तहरीर की रू से इक़रार करता हूं (या हम अपनी २ तरफ़ से इक़रार करते हैं) कि मैं या हम मुसम्मी की तरफ़ से (ज़ामिन या ज़ामिनान)

(اس بات کے ہیں کہ اس
تحقیقات ابتدائی کے ہر روز
الزام قرارداده اوپر نامبردہ کے
بابت عمل میں آوے
مسمّی مذکور
عدالت میں حاضر ہوگا
اور اگر وہ مقدمہ تجویز
کے لئے عدالت میں
سپرد ہو جاوے تو مسمّی
مذکور عدالت میں بھی واسطے
جواب دہی جرم قرارداده کے
موجود اور حاضر ہوگا اور اگر وہ
حاضر ہونے میں قصور کرے تو
مبلغ بطور تاوان
سرکار میں ادا کروں
(یا کریں)
تاریخ ماہ سنہ
مطابق متی
سمت دستخط

تمت

नान) इस बात के हैं कि इस तह
क़ीक़ात इब्तदाई के हर रोज़·
जो इल्ज़ाम करार दादा ऊपर·
नामबुरदे के बाबत अमल में·
आवे मुसम्मी मज़कूर
अदालत में हाजिर होगा·
और अगर वह मुक़द्दमा तजवी
ज़ के लिये अदालत में
सुपुर्द हो जावे तो मुसम्मी
मज़कूर अदालत में भी वास्ते
जवाब देही जुर्म करार दादे के
मोजूद और हाज़िर होगा और
अगर वह हाज़िर होने में क़सूर
करे तो रुपये बतौर तावान
सरकार में अदा करूं·
(या करें)
तारीख़ माह सन
मुताबिक़ मिती·
सम्बत दस्तख़त

तम्मत



# مجموعۂ ضابطۂ دیوانی راج مارواڑ

# मजमूआ ज़ाबतै दीवानी राज मारवाड़

جسکو

حسب منشائے سری دربار بموجب حکم مہاراج سری پرتاب سنگھ جی صاحب سی ایس آئی مصاحب اعلیٰ ریاست واسطے استعمال عدالتہائے صیغہ دیوانی راج کے

منشی ہردیال سنگھ اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر پنجاب حال سپرنٹنڈنٹ محکمہ کورٹ سرداران و سکرٹری مصاحب اعلیٰ نے مرتب کیا

जिसको

हस्ब मन्शाय श्री दरबार बमूजब हुक्म महाराज श्री परताप सिंह जी साहब सी. ऐस. आई. मुसाहब आला राज वास्ते इस्तेमाल अदालत हाय सीगे दीवानी राज के मुन्शी हर दयाल सिंह एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर पंजाब. हाल. सुपरिन्टेंडेन्ट कोर्ट सरदारान व सेक्रेटरी. मुसाहब आलाने बनाया ॥

[illegible]

[illegible] کے اہتمام سے چھپا

## दीबाचा ॥

जो कि मुल्क की ज़रूरत और वक़्त की हालत देख कर श्री दरबार से हुक्म हुआ था कि १ छोटासा मजमूआ दीवानी कारर वाई यों के क़ायदों का जो राज की अदालतों में जारी करने के लायक़ हो बनाया जावे इस वास्ते यह मजमूआ बना कर महाराज श्री प्रताप सिंघ जी साहिब सी-एस-आई-मुसाहिब आला की ख़िदमत में पेश किया गया और जनाब मौसूफ़ के हुक्म से मुसाहिबों की एक चुनी हुई कमेटी के पास कि जिसमें नीचे लिखे हुये मेंबर शामिल थे राय देने के वास्ते भेजा गया -

१ राय बहादुर मेहता बिजय सिंघ जी दीवान रियासत

२ पंडित शिव नारायण जी प्राईवेट



## دیباچہ

ازانجا کہ پیشگاہ سریر بار سے بنظر ضرورت ملک اور تقاضائے وقت کے حکم ہوا تھا کہ ایک مختصر مجموعہ قواعد کارروائی ہائے صیغہ دیوانی کا مرتب کیا جاوے جو قابل استعمال عدالتہائے راج ماڑواڑ کے ہو لہذا یہہ مجموعہ تیار کر کے مہاراج سری پرتاب سنگھ جی صاحب سی - ایس - آئی - مصاحب اعلی کی خدمت میں پیش کیا گیا اور جناب ممدوح کے حکم سے ایک کمیٹی منتخب مصاحبان کے پاس کہ جسمیں حسب ذیل ممبر تھے رائے زنی کے واسطے بھیجا گیا -

۱- رائے بہادر مہتہ بجے سنگھ جی دیوان ریاست -

۲- پنڈت شیونراین جی پرائیوٹ

سکرٹری سری حضور پرُ نور
۳ - گورلج مرار دان جی سپرنڈنٹ محکمہ اپیل -
۴ - مہتہ امرت لال جی حاکم عدالت دیوانی -
۵ - شیخ محمد مخدوم بخش جی حاکم عدالت فوجداری -
۶ - پنڈت جیوا نند جی اسسٹنٹ سپرنڈنٹ محکمہ کورٹ سرداران

چنانچہ اس کمیٹی نے بعد غور و خوص باتفاق رائے پسند کیا اور اون کی رپورٹ کے ساتھ پھر مصاحب اعلی کے ملاحظہ میں باجلاس کونسل پیش ہوکر پاس ہوا اور چھپوا کر جاری کرنیکا حکم نافذ کیا گیا -

منشی ہردیال سنگھ سپرنڈنٹ محکمہ کورٹ سرداران وسکرٹری مصاحب اعلی راج مارواڑ

تحریر تاریخ ۳۰ - اپریل ۱۸۹۵ عیسوی | مقام جودھپور بدیا سال

सिकटेरी श्री हज़ूर पुर नूर
३ कवि राज मुरार दान जी सुप रंडंट महक्मे अपील
४ महता अमृत लाल जी हाकिम अदालत दीवानी
५ शेख़ मुहम्मद मख़ दूम जी हाकिम अदालत फ़ौजदारी
६ पंडित जीवा नंदजी असिस्टंट म- हकमें कोर्ट सर दारान

सो इस कमेटी ने ख़ूब ग़ौर और वि चार करके इत्त फ़ाक़ राय से पसंद किया और उनकी रपोट के साथ फिर मुसा हब आला के मुला हज़े में ब इजलास कौन सिल पेश हो कर पास हुआ और छपवा कर जा री करने का हुक्म दिया गया॥

द॰ हर दयाल सिंघ सुपरं डंट महक्मे कोर्ट सर दारान व सिकत्तरी मुसा हिब आला॥

जोधपुर
विद्या साल

# فہرست حصہ جات و ابواب مجموعہ ہذا



# फ़िहरिस्त हिस्सेजात व अबवाब मजमूए हाज़ा

| صفحہ | خلاصہ مضمون | نمبر باب | نمبر حصہ | نمبر دفعہ | नम्बर दफ़ा | नम्बर हिस्सा | नम्बर बाब | ख़ुलासा मज़मून | नम्बर सफ़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸ | ذکر عدالت میں روپیہ داخل کرنے کا | ۲۰ | ۲ | ۳۱ | ३१ | २ | २० | ज़िक्र अदालत में रुपये दाख़िल करने का | ८८ |
| ۹۰ | ذکر تقرری امین یعنے کمیشن امین واسطے اظہار گواہوں کے ... | ۲۱ | ۲ | ۳۲ | ३२ | २ | २१ | ज़िक्र तक़र्रुर अमीन या नी कमीशन अमीन वास्ते इज़हार गवाहों के | ९० |
| ۹۱ | امین بغرض تحقیقات موقع -- | ۲۱ | ۲ | ۳۳ | ३३ | २ | ० | अमीन वास्ते तहक़ीक़ात मौक़े के | ९१ |
| ۹۲ | امین واسطے جانچ حساب ..... | ۲۱ | ۲ | ۳۴ | ३४ | २ | ० | अमीन वास्ते जांच हिसाब के | ९२ |
| ۹۳ | امین واسطے تقسیم جائداد کے ...... | ۲۱ | ۲ | ۳۵ | ३५ | २ | ० | अमीन वास्ते तक़सीम जायदाद के | ९३ |
| ۹۴ | خاص قسم کی نالشونکے بیان میں ... | ۲۱ | ۳ | ۳۶ | ३६ | ३ | ० | ख़ास क़िस्म की नालिशों के बयान में | ९४ |
| ۹۵ | نالشات بصیغہ مفلسی | ۲۲ | ۳ | ۳۷ | ३७ | ३ | २२ | नालशात बसीग़ै मुफ़लिसी | = |
| ۹۶ | نالشات بنام عہدہ داران سرکار ... | ۲۳ | ۳ | ۳۸ | ३८ | ३ | २३ | नाल शात बनाम ओहदे दारान सरकार | ९६ |
| ۹۷ | نالش نابالغ اور فاتر العقل .. | ۲۴ | ۳ | ۳۹ | ३९ | ३ | २४ | नालिश नाबालिग़ और बावले आदमीयोंके बयान में | ९७ |

॥श्रीजलंधरनाथजी॥

# मजमूआ

## ज़ाबते दीवानी राज मारवाड़

## مجموعہ ضابطہ دیوانی راج مارواڑ

### मरातिब इबतदाई

### مراتب ابتدای

| | |
|---|---|
| दफ़ा १ चूंकि श्री दरबार को यह अमर क़रीन मसलहत मालूम हुवा कि वास्ते सहूलियत कार रवाई दीवानी अदालतों राज के एक मजमूआ ज़रूरी क़ायदों का तयार किया जावे इसलिये यह मजमूआ मुल्क की हालत और रसम रिवाज के ऊपर अच्छी तरें से गोर और लिहाज़ करके तयार किया गया .. .. .. | دفعہ ۱ - چونکہ سرِدربار کو یہ امر قرین مصلحت معلوم ہوا کہ واسطے سہولیت کارروائی عدالت ہائے صیغہ دیوانی ریاست کے ایک مجموعہ قوانین ضروری کا مرتب کیا جاوے لہٰذا یہ مجموعہ بعد غوض اور غور کامل اوپر حالت ملک اور اُس کی رسم اور رواج کے تیار کیا گیا + |

دفعہ ۲ نام اس مجموعہ کا مجموعہ ضابطہ دیوانی راج مارواڑ ہوگا اور متی پوس بد ۱۱ سمت ۱۹۴۲ مطابق یکم جنوری ۱۸۸۶ء سے تمام ملک مارواڑ میں جاری ہوگا -

دفعہ ۳ یہ مجموعہ ذیل کے حصوں میں منقسم ہے

پہلا حصہ عام نالشوں کے بیان میں

دوسرا حصہ کارروائی ہائے لاحقہ کے بیان میں

تیسرا حصہ خاص قسم کی نالشوں کے بیان میں

چوتھا حصہ چارہ کار مقتضائے وقت کا ذکر

پانچواں حصہ کارروائی ہائے خاص کے بیان میں

چھٹا حصہ اپیل نالشات کا ذکر

ساتواں حصہ محکمہ خاص کی

दफा २ नाम इस मजमूए का मजमूए जाब्ते दीवानी राज मारवाड़ होगा और मिती पोस बद ११ ता० १ जनवरी सन् १८८६ सम्वत् १९४२ से तमाम मुल्क मारवाड़ में जारी होगा . . .

दफा ३ इस मजमूए के नीचे लिखे हुए ८ हिस्से हैं . . .

१ हिस्सा आम नालिशों के बयान में . . . . . .

२ हिस्सा पिछली काररवाईयों के बयान में . . .

३ हिस्सा खास किसम की नालिशों के बयान में . .

४ हिस्सा चारे कार मुक्तिज़ाय कार रवाईयों में .

५ हिस्सा खास कार रवाईयों के बयान में . . .

६ हिस्सा नालिशों के अपील का बयान . . . .

७ हिस्सा महकमे खास से

نگرانی اور محکمۂ خاص سے استصواب کے بیان میں
آٹھواں حصہ تجویز ثانی
نواں حصہ مراتب منفرقہ کا بیان
دفعہ ۴ صدر دربار کو اختیار رہے کہ جب مصلحت وقت دیکھے اس میں مناسب ترمیم اور تنسیخ کرے یا اس کا حکم دے۔
دفعہ ۵ محکمۂ خاص اس مجموعہ کے بموجب تمام ریاست میں عملدرآمد کرانے اور اس کی نگرانی رکھنے اور بیضابطگیوں کی بازپرس کرنے اور ان کا مناسب تدارک فرمانے کا مجاز ہے۔
ذکر عدالتہائے دیوانی
دفعہ ۶ خاص صدر مقام جودھپور میں نیچے لکھی ہوئی عدالتیں اور محکمے دیوانی۔

इस्तसवाब और महकमें ख़ास की निगरानी के बयान में॰
८ तज़वीज़ सानी ।
९ हिस्सा मरातिब, मुनफ़रका के बयान में॰ . . . .
दफ़ा ४ श्रीदरबार को अख़्तियार है, कि जब मसलहत वक्त देखे इसमें मुनासिब तरमीम और तनसीख करे या उस्का हुक्म दे . . . . . . . .
दफ़ा ५ महकमें ख़ास इस मजमूये के मुआफ़िक तमाम रियासत में अमल दरामद कराने और उस की निगरानी रखने और बेज़ाब्तगियों की बाज़पुर्स करने और उनका मुनासिब तदारुक फ़रमाने का मजाज़ है . . .
ज़िकर दीवानी अदालतों का
दफ़ा ६ ख़ास सदर मुकाम जोधपुर में नीचे लिखी हुई अदालतें और महकमें दीवानी॰

| مقدمات کی سماعت کرنیکے مجاز ہیں | मुकदमात सुनने के मजाज़ हैं |
|---|---|
| ۱- محکمۂ کورٹ سرداران - | १ महकमें कोर्ट सरदारान् |
| ۲- صدر عدالت دیوانی | २ सदर अदालत दीवानी |
| ۳- عدالت منصفی - | ३ अदालत मुन्सफ़ी |
| ۴- محکمۂ کوتوالی | ४ महकमें कोतवाली |
| ۵- محکمۂ اپیل | ५ महकमें अपील |
| دفعہ ۷- مفصلات میں بائیس پرگنوں کے حاکموں اور اُن کے سپرنیڈنٹوں کو بھی اپنی اپنی حدوں اور اپنے اپنے حلقوں میں محدود اختیارات سماعت مقدمات صیغہ دیوانی کے سریدربار سے عطا کئے ہوئے ہیں اور تفصیل اُن کی نیچے لکھی جاتی ہے - | दफ़ा ७ मुफ़स्सलात में २२ परगने के हाकिमों और उनके सुपरेन्टेंडंटों को भी अपनी अपनी हदों और हलकों के अन्दर महदूद अख़्तियारात समाअत मुकदमात सीगे दीवानी के श्री दरबार से बख़्शे हुये हैं और तफ़सील उनकी नीचे लिखी जाती है |
| (الف) بائیس پرگنوں کے حاکم | (क) बाईस परगनों के हाकिम |
| ۱- حاکم جودھپور | १ हाकिम जोधपुर |
| ۲- حاکم میرتہ | २ हाकिम मेड़ता |
| ۳- حاکم ناگور | ३ हाकिम नागोर |
| ۴- حاکم پھلودی | ४ हाकिम फलोधी |
| ۵- حاکم ڈیڈوانہ | ५ हाकिम डीडवाणा |

| | |
|---|---|
| ۶ - حاکم پربت سر | ६ हाकिम परबतसर |
| ۷ - حاکم سانبھر | ७ हाकिम साभर |
| ۸ - حاکم نانوا | ८ हाकिम नावा |
| ۹ - حاکم ماروٹ | ९ हाकिम मारोट |
| ۱۰ - حاکم بیلاڑہ | १० हाकिम बीलाड़ा |
| ۱۱ - حاکم جیتارن | ११ हाकिम जेतारण |
| ۱۲ - حاکم سوجت | १२ हाकिम सोजत |
| ۱۳ - حاکم پالی | १३ हाकिम पाली |
| ۱۴ - حاکم بالی | १४ हाकिम बाली |
| ۱۵ - حاکم جالور | १५ हाकिम जालोर |
| ۱۶ حاکم جسونت پورہ | १६ हाकिम जसवंतपुरा |
| ۱۷ - حاکم سانچور | १७ हाकिम सांचोर |
| ۱۸ - حاکم سیو | १८ हाकिम सिवू |
| ۱۹ - حاکم پچپدرا | १९ हाकिम पचपदरा |
| ۲۰ - حاکم سیوانہ | २० हाकिम सेवाना |
| ۲۱ - حاکم شیرگڈھ | २१ हाकिम शेरगढ़ |
| ۲۲ - حاکم جسونت گڈھ | २२ हाकिम जसवंतगढ़ |
| (ب) سپرنٹنڈنٹ پرگنہ جات | (ग) सुपरिन्टंडंट |
| ۱ - سپرنٹنڈنٹ جالور و سانچور و جسونت پورہ | १ सुपरिन्टंडंट जालोर सांचोर जसवंतपुरा |
| ۲ - سپرنٹنڈنٹ سوجت و گوڈواڑ | २ सुपरिन्टंडंट सोजत गोड़वाड़ |

दफ़े ८ सिवाय इन हाकिमोंके राजके बड़े २ सरदारोंकोभी श्रीदरबारने अख्तियारात दीवानी और फौजदारीके बख्शे हैं, जिनके रूसे वह भी अपने २ ठिकानों और पट्टोंमें मुकद्दमात दीवानी के समाअत करनेका अख्तियार मुवाफ़िक अपनी हद्द समाअतके रखते हैं।

जिकर अख्तियारात समाअत मुकद्दमात

दफ़े ९ इस वक्त जो अख्तियारात समाअत मुकद्दमात इन अदालतोंको राजसे दिये गये हैं वे इस माफ़िक हैं।

(क) अख्तियारात महकमे कोर्ट सरदारान्

१ हरेक किसमका मुकद्दमा जिसमें एक फरीक या दोनों

دفعہ ۸ سوائے ان حاکموں کے راج کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی سری دربار نے اختیارات دیوانی اور فوجداری کے عطا کیے ہیں جن کی رو سے وہ بھی اپنے ٹھکانہ یا پٹہ میں مقدمات دیوانی کے سننے کا اختیار بموجب اپنی حد سماعت کے رکھتے ہیں -

ذکر اختیارات سماعت مقدمات

دفعہ ۹ اس وقت جو اختیارات سماعت مقدمات بموجب احکام راج کے ان عدالتوں کو حاصل ہیں وہ حسب ذیل ہیں

(الف) اختیارات محکمہ کورٹ سرداران

۱ — ہر قسم کا مقدمہ جس میں ایک فریق یا دونوں

| Hindi | Urdu |
|---|---|
| जागीर दार हों उन में से १०००) की मालियत के मुकद मात में, कतई फैसला करने का अख्तियार है कि उस्का अपील नहीं होगा। | جاگیردار ہوں ازانجملہ ایک ہزار روپے کی مالیت تک کے مقدمات میں قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ اس کا اپیل نہیں ہوگا |
| (२) राजपूतों के और खास सूरतों में दूसरी कौमों के खोले यानी, गोद नशीनी के तमाम मुकदमें। | (۲) راجپوتوں کے اور خاص صورتوں میں دوسری قوموں کے کھولے یعنی گودنشینی وغیرہ کے تمام مقدمے |
| (ब) अख्तियारात सदर अदालत दीवानी | (ب) اختیارات صدر عدالت دیوانی |
| (१) हरेक मुकदमा ५०००) की मालियत तक का सिवाय दावे खोले के। | ۱ - ہر مقدمہ پانچ ہزار روپے کی مالیت تک کا سوائے دعوی کھولے کے |
| (२) अपील की मन्जूरी से १००००) की मालियत तक के मुकदमात भी। | ۲ - اپیل کی منظوری سے دس ہزار روپے کی مالیت تک کے مقدمات بھی |
| (ज) अख्तियारात मुन्सफी खफीफ मुकदमात ५००) तक | (ج) اختیارات منصفی خفیف مقدمات پانسو روپے تک کی مالیت کے |
| (द) अख्तियारात महकमे कोतवाली . . . . . . . . | (د) اختیارات محکمہ کوتوالی |

| اردو | हिंदी |
| --- | --- |
| ۱- ہر قسم کے مقدمات ایکہزار روپے کی مالیت تک کے باستثنائے دعوے کھولہ یعنے تنبیت ۔ | १ हरकिसम के मुकदमात १०००) की मालियत तक के सिवाय दावे खोले के |
| ۲ - صدر عدالت دیوانی کی منظوری سے دو ہزار روپے کی مالیت تک کے مقدمے ۔ | २ सदर अदालत दीवानी की मनजूरी से २०००) तक के मुकदमें |
| (ہ) اختیارات محکمہ اپیل مقدمات ابتدائی ہیں ۔ | (ङ) अख़्तियारात महकमें अपील इब्तदाई मुकदमात में ॥ |
| ۱- پانچہزار روپے کی مالیت سے اوپر کے کل مقدمات | १ ५०००) से ऊपर के मुकदमात |
| ۲- مقدمات کھولہ یعنے تنبیت عام رعایا علاوہ قوم راجپوت ۔ | २ मुकदमात खोले आम रैइयत के रजपूतों के सिवाय |
| (و) اختیارات حاکمان ۲۲ پرگنہ باستثنائے حاکم پرگنہ جسونت پورہ ۔ | (च) २२ परगने के हाकिमों के अख़्तियार सिवाय हाकिम जसवंतपुरा |
| (۱) باختیار خود پانسو روپے کی مالیت تک کے مقدمات ۔ | १ ब अख़्तियार खुद ५००) की मालियत तक के मुकदमें। |
| (۲) بمنظوری صدر عدالت ایک ہزار روپے کی مالیت تک کے مقدمات ۔ | २ सदर अदालत दीवानी की मंजूरी से १०००) की मालियत तक के मुकदमें |
| (ز) اختیارات حاکم | (छ) अख़्तियारात हाकिम |

جسونت پورہ۔

۱۔ باختیار خود سات سو روپے کی مالیت تک کے مقدمے۔

۲۔ دیوانی کی منظوری سے ایکہزار روپے کی مالیت تک کے مقدمات صیغہ دیوانی۔

(ح) اختیارات سپرنٹنڈنٹان۔

۱۔ از روئے راضی نامہ ہر ایک قسم کا دیوانی مقدمہ۔

۲۔ بغیر راضی نامہ کے ایکہزار روپے کی مالیت تک کے مقدمے۔

(ط) اختیارات جاگیرداران

درجہ اوّل

۱۔ ایکہزار روپے کی مالیت تک کے مقدمات

درجہ دوم

۲۔ پانسو روپے کی مالیت تک کے مقدمات

درجہ سوم

۳۔ تین سو روپیہ کی مالیت تک کے مقدمات۔

**دفعہ ۱۰** مندرجہ بالا عدالتوں میں سے محکمہ کورٹ سرداروں کو ہر قسم کے اُن دیوانی

जसवंतपुरा

१ ब अख्तियार खुद ७००) की मालियत तक के मुकदमें की मंजूरी से १०००) रुपये की मालियत तक के मुकदमात

(ज) अख्तियारात सुपरिन्टेन्डेन्ट

१ अज़ रूये राज़ीनामा हर येक किसम का दावानी मुकदमा

२ बगैर राज़ीनामें के १०००) रुपे की मालियत के मुकदमें

(झ) अख्तियारात जागीरदारान

१ दरजः अव्वल १०००) रुपे की मालियत के मुकदमें

२ दरजः दोयम ५००) रुपे की मालियत के मुकदमें

३ दरजः सोयम ३००) रुपे तक की मालियत के मुकदमें

दफे १० ऊपर लिखी हुई अदालतों में से कोर्ट सरदारान को हर किस्म के उन दी

مقدمات کی سماعت کا اختیار
ہے جو جاگیرداروں کی بابت
ہوں چاہے ایک فریق جاگیردار
ہو اور چاہے دونو فریق اور باقی
عدالتیں ہر فرقہ رعایا کی دیوانی
نالشات سُننے کے مجاز ہیں خواہ
وہ کسی قسم کی ہوں سواے
مقدمات کھولے عام
رعیّت کے کہ وہ محکمہ اپیل
میں دائر ہوتے ہیں -

## اختیارات محکمہ خاص

**دفعہ ۱۱** محکمہ خاص
کو مقدمات دیوانی میں
کامل اختیارات ہر قسم
کے حاصل ہیں وہ مجاز
ہے کہ اپنی مرضی سے
خواہ کسی فریق کی درخواست
پر مناسب سمجھے تو ہر ایک
محکمہ سے مثل لا حظہ اسکے

बाकी मुकद मातकी समाअत का
अख़्तियार है जो जागीरदारों
की बाबत हों चाहे एक फ़रीक
जागीरदार हो चाहे दोनों फरी
क और बाकी अदालतें हर
फ़िरके रैय्यत की दीवानी
नालिशें सुनने की मजाज़ है
चाहे वे किसी किस्म की हों
सिवाय मुकद मात खोले आ
म रैय्यत के कि वे महकमे
अपील में दायर होते हैं

## अख़्तियारात महकमः खास

**दफ़े ११** महकमः खास को
मुकद मात दीवानी में कामि
ल अख़्तियारात हर किस्म
के हासल हैं वह मजाज है के
अपनी मरज़ीसे चाहे किसी
फ़रीक की दरख्वास्त पर मु
नासिब समझे तो हर एक
महकमः से मिसल मुलाहि

| | |
|---|---|
| لئے منگوا لے یا تحقیقات و تجویز کے لئے کسی دوسرے محکمہ میں بھیجدے یا کسی عدالت کے ایسے فیصلہ کی کہ جس کی میعاد گذر گئی ہو نظر ثانی کرکے منسوخی کا حکم جاری کرے۔ | जे के लिये मंगवाले या तह की कात वो तज वीज के लिये किसी दूसरे महकमें मे भेजदे या किसी अदालत के ऐसे फैसले की कि जिसकी मयाद गुजर गई हो नजर सानी करके म न सूखी का हुकम जारी करे |
| **ذکر اپیل مقدمات** | **जिक्र अपील मुकद मात** |
| **دفعہ ۱۲** - راج نے جو قاعدہ اختیارات سماعت اپیل کا مناسب سمجھکر مقرر کیا ہے وہ بھی مثل اقسام اختیارات سماعت مقدمات ابتدائی کے خاص طور کا ہے جیسے ۲۲ پرگنوں کی کچہریوں کے | **दफ़े १२** राजने जो कायदा अख्तियारात समाअत अपील का मुनासिब समझ कर मुकर्रर किया है वह भी वैसा ही खास तौर का है कि जैसा समाअत मुकदमात इब्तदाई का कायदा है जैसे २२ परगनों की कचेहरीयों के हाकिमों के और भी |

حاکموں کے اور نیز
سپرنٹینڈنٹوں کے
فیصلوں کا اپیل مثل
اپیل محکمۂ کوتوالی کے
صدر عدالت دیوانی
میں ہوتا ہے عدالت
منصفی کا اپیل اور حاکموں
اور سپرنٹینڈنٹوں کے اُن
فیصلون کا اپیل کہ جو
جاگیرداروں کے مقدمات کا
محکمۂ کورٹ سرداران کے
حکم سے کرتے ہیں محکمۂ کورٹ
سرداران میں ہوتا ہے
صدر عدالت دیوانی کا
اپیل محکمۂ اپیل میں اور
محکمۂ اپیل اور محکمۂ کورٹ
سرداران کا اپیل محکمۂ خاص
میں پیش کیا جاتا ہے مگر محکمۂ
اپیل کے اُن فیصلوں کا اپیل
ہوتا ہے جو ابتدائی وہاں
دایر ہوتے ہیں جیسے

सुप्रेन्टेन्डेन्टों के फैसलों का
अपील मिसल अपील महक
मः कोतवाली के सदर अदा
लत दीवानी में होता है अदा
लत मुन्सफी का अपील और
हाकमों वो: सुप्रेन्टेन्डेन्टों
के उन फैसलों का अपील
कि जो वे जागीरदारों के
मुकदमात का महकमें
कोर्ट सरदारान् के हुकम से
करते हैं महकमः कोर्ट स
र दारान् में होता है सदर अ
दालत दीवानी का अपील मह
कमें अपील में और महकमें
अपील और महकमें कोर्ट सरदा
रान का अपील महकमें:
खास में पेश किया जाता है
मगर महकमें: अपील के
उन फैसलों का अपील
होता है जो इब्तदाई
वहां दायर होते हैं जैसे

| | |
|---|---|
| پانچ ہزار روپیے سے اوپر کی مالیت کے مقدمے اور کہولے کے مقدمات اور نیز جائداد غیر منقولہ کے ہر ایک مقدمہ منفصلہ محکمہ اپیل کا اپیل بھی محکمہ خاص میں ہوسکتا ہے۔ | ५०००) रुपये से ऊपर की मालियत के मुकदमें और खोले के मुकदमें: और जायदाद गैर मनकूला के हरेक मुकदमें मुनफसले महकमें अपील का अपील भी महकमे: खास में हो सक्ता है ... ... ... ... ... ... |
| دفعہ ۱۳ - جاگیرداراں کے فیصلے کے لیئے یہ خاص قاعدہ مقرر ہوا ہے کہ جب تک محکمہ کورٹ سرداراں منشی ہردیال سنگھ جی کے تعلق رہے تب تک تو اُن کا اپیل محکمۂ مذکور میں ہی ہوگا اور پھر محکمہ خاص میں۔ | दफ़ा १३ जागीर-दारोंके फ़ेसलों के लिये यह खास कायदा मुकर्रर हुआ है कि जबतक महकमा कोर्ट सरदारान मुन्शी हरदयालसिंह जीके तअल्लुक रहे तब तक तो इन का अपील महकमें मजकूर हीमें होगा और फिर महकमे: खास में ... ... ... ... |
| پہلا حصہ<br>عام نالشوں کے بیان میں | पहिला हिस्सा आम नालिशों के बयान में ॥ |
| باب پہلا | पहिला बाब |

مقام سماعت اور ہدایات عام نسبت سماعت نالشوں کے -

मुकाम समाअत और आम हिदायतें निसबत समाअत नालिशों के

دفعہ ۱۴ - کوئی شخص جو اس ملک میں پیدا ہوا ہو یا دوسرے ملک سے آکر زمرہ رعایا یا ملازمان راج میں داخل ہوگیا ہو کسی دیوانی کاروائی میں مندرجہ بالا عدالتوں کے اختیار سماعت سے بری نہوگا -

दफ़े १४ कोई शख्स जो इस मुल्क में पैदा हुआ हो या दूसरे मुल्क में आकर इस राज में किसी सबब से रहने लगा हो किसी दीवानी कारवाई में मुन्दर्जे वाला अदालतों के अख़्तियार समाअत से बरी न होगा . . . . . . . .

دفعہ ۱۵ - ہر ایک پرگنہ کے حاکموں کو اُن تمام دیوانی مقدمات کی سماعت کا اختیار ہے کہ جنکے دعوے کی بنا اُسی پرگنہ کی حدود میں موجود ہو جیسے زمین اور جائداد و ملکیت وغیرہ کی نالشیں ہیں -

दफ़े १५ हर एक पर्गने के हाकिम को उन तमाम दीवानी मुकद्दमात की समाअत का अख़्तियार है के जिनकी बिनाय दावा उसी परगने की हद्द में मौजूद होंगे जमीन और जायदाद और मिलकियत की नालिसें . . .

دفعہ ۱۶ - سگائی مانگ

दफ़े १६ सगाई मांग और

| | |
|---|---|
| اور ناسئے کے مقدمات جہاں مانگ ہو یا جہاں سگائی اور ناتہ ٹھیرا ہو واں دایر ہونگے | नाते के मुकदमात जहां माँग हो या जहां सगाई और नाता ठेहर राहो वहां दायर होंगे |
| دفعہ ۱۷ - قرضہ کے تمام مقدمات مدعی کی سکونت کے اعتبار سے دائر ہوں گے نہ مدعی علیہ کی سکونت کے اعتبار سے مثلاً مدعی پرگنہ ناگور میں رہتا ہے اور مدعی علیہ پرگنہ میرتہ میں رہتا ہو تو وہ نالش حکومت ناگور میں ہوگی اور حاکم ناگور مدعی علیہ کی طلبی کی کارروائی معرفت حاکم میرتہ کے کریگا اور اگر ایسا ایک مقدمہ سوجت گوڈواڑ میں ہو تو وہاں یہ کارروائی بذریعہ سپرنٹنڈنٹ کے کرنی ہوگی علی ہذالقیاس - | दफ़ा १७ करजे के तमाम मुकदमात मुद्दई की सकूनत के ऐतबार से दायर होंगे मुद्दायले की सकूनत के ऐतबार से नही मसलन मुद्दई पर्गने नागोर में रहता है और मुद्दायले मेड़ता के परगने में रहता होतो वह नालिश नागौर में होगी और हाकिम नागौर मुद्दायले की बुलाने की कारवाई मारफत हाकिम मेड़ता के करेगा और अगर ऐसा येक मुकदमा सोजत गोड़वाड़ में हो तो वहां यह कारवाई वजरिये सुप्रेन्टेन्डन्ट के करनी पड़ेगी |
| دفعہ ۱۸ - قرضہ کی کوئی نالش بغیر تسلیم کرنے تعدادیالیت اور اداے | दफ़े १८ करजे की कोई नालिश बगैर कायम करने तादाद दावे और दाखल करने |

رسوم واجب کے دائیر نہو گی بشرطیکہ مفلسی عارض نہو -

دفعہ ۱۹ - جو مقدمہ پہلے راج کی کسی عدالت میں فیصل ہوگیا ہو وہ مکرر دایر نہوگا کسی عدالت دیوانی کو ایسے مقدمہ کی سماعت کا اختیار نہیں ہے ہاں محکمہ خاص جو مناسب سمجھے وہ حکم دے سکتا ہے -

دفعہ ۲۰ - اگر کوئی مقدمہ کسی ریاست غیر میں فیصل ہوگیا ہو اور پھر فریقین مقدمہ کسی اتفاق سے مارواڑ میں آکر رہجاویں یا یہاں کے ہی اصلی باشندے ہوں اور اُس مقدمہ کی تعمیل کرانا چاہیں تو اُنکو یہاں کے قاعدے کے موافق عدالت مجازہ میں نالش کرکے چارہ جوئی کرنا ہوگا

रसूम वाजिबके दायर न होगी· बशर्ते कि मुफलिसी का उज्र न हो

दफ़ा १९ जो मुकदमा· पहिले राज की किसी अदालत में· फै सल· होगया हो· वह दुबारा दा यर न होगा किसी अदालत· दी वानी को ऐसे मुकदमे की ·समा अत का अख्तियार नहीं है· हां महकमे: खास जो· मुनासब समझे हुकम दे सक्ता है·· ··

दफ़ा २० अगर कोई मुकदमा किसी रियासत· गैर में फैसल होगया हो और फिर फरीकैन· मु कदमा· किसी इत्तफाक से· मा र वाड़ में आकर रह जावें· या यहीं के ही असली बाशंदे हों और उस मुकदमे की· तामील क राना चाहें तो उनको· यहां के, का यदे मुवाफक· अदालत· म जाज में नालिश करके· चारा जोई· कराना होगा न यह कि

نہ یہ کہ اوسی فیصلہ کو جاری کر اسکیں مگر علاقہ غیر کا فیصلہ وجہ ثبوت میں پیش کیا جا سکتا ہے -

**دفعہ ۲۱** - مقدمہ مندرجہ بالا اگر قابل سماعت عدالتہائے مجاز اس ریاست کے از روئے سررشتہ میعاد و رسوم دیوانی وغیرہ کے ہو اور بنائے دعوے بہی اسی ریاست کی حدود میں موجود ہو یا مدعا علیہ یا مدعا علیہم یہاں سکونت رکہتے ہوں تو کوئی امر اس کے لئے سماعت اور تجویز مناسب ہونے کا مانع نہیں ہے -

**دفعہ ۲۲** - ہر قابل اپیل مقدمہ کا فیصلہ جب تک کہ اپیل سے بحال نہ رہے یا میعاد اپیل کی نہ گذر جائے قطعی نہ سمجھا جاویگا کسی حاکم کو

इसी फैसले को जारी करा सकें मगर इलाके गैर का फैसला वजे सबूत में पेश किया जा सकता है .. .. .. .. ..

**दफा २१** मुकदमा मुन्दर्जे बाला अगर काबिल समाअत अदालत हाय मजाज इस रियासत के अजरूय सरिश्ते मयाद वो रसूम दीवानी वगैरः के हो और बिनाय दावा भी इसी रियासत की हदूद में मौजूद हो या मुद्दायले हिम यहां सकूनत रखते हों तो कोई अमर उसके लिये समाअत और तजबीज मुनासब होने का रोकने वाला नहीं है .. ..

**दफा २२** हर काबिल अपील मुकदमः का फैसला जब तक कि अपील से बहाल न रहे या मयाद अपील की न गुजर जाय कतई न समझा जावे

| اردو | देवनागरी |
| --- | --- |
| اُس وقت تک اُس کی تعمیل کرانے کا اختیار نہوگا ۔ | गा किसी हाकम को उस वक्त तक उसकी तामील कराने का अख्तियार नहीं है ...... |
| دفعہ ۲۳ - جن مقدمات میں بعض عدالتوں کو قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو وہ قطعی فیصلہ بھی ایک مہینے تک کہ جب تک اُس کی نظر ثانی کرنے کی مجاز وہی عدالت ازروئے قاعدہ اختیارات مجاریہ سریدربار کے ہے قابل اجرا کے نہیں ہے البتہ بعد اس میعاد کے اُس کی تعمیل کرادینا جائز ہے ۔ | दफा २३ जिन मुकद्दमात में बाज़ी अदालतों को कतई फैसला करने का अख्तियार है तो वह कतई फैसला भी एक महीने तक कि जब तक उसकी नज़र सानी करने की मजाज़ वही अदालत अज़रूय कायदे अख्तियारात मजारिया सरीदरबार के है काबिल जारी होने के नहीं है अलबत्ता बाद इस मयाद के उसकी तामील करा देना जायज़ है ...... |
| **باب دوسرا** | **दूसरा बाब** |
| اختیارات نالش و حقوق تقرر وکلا و مختاروں کے بیان میں ۔ | अख्तियारात नालिश और वकीलों के मुकर्रर करने के बयान में |
| دفعہ ۲۴ - ہر ایک مدعی کو نالش کرنے کا اختیار ہے | दफा २४ हरएक मुद्दई को नालिश करने का अख्तियार है |

مگر قرضہ لین دین کی نالش بغیر مقرر کرنے تعداد دعوے اور ادائے رسوم واجبی کے دائر نہوگی -

دفعہ ۲۵ - انگ اُدھار یعنی ذاتی قرضہ جس میں کوئی جزو کسی جائداد کا مکفول یا مرہون نہو بارہ برس سے پہلے کا مسموع نہو گا مگر یہ قاعدہ رہن اور بیع الوفا کے مقدمات میں مؤثر نہیں ہے -

دفعہ ۲۶ - اگر کسی مقدمہ میں کئی شخص مدعی ہوں تو ایک مدعی بھی نالشی ہوسکتا ہے بشرطیکہ اُس نے سب مدعیوں کی طرف سے یہ اختیار قابل اطمینان اور منظوری عدالت کے حاصل کر لیا ہو نہیں تو اُس کو اپنے حصہ کی نالش کرنے کا اختیار رہے

मगर करज़े लेनदेनकी नालिश बैगर मुकर्रर करने तायदाद दावे और अदाय रसूम वाजबी के दायर नहोगी · · · · · ·

दफ़ा २५ अंग उधार याने ज़ाती करज़ा कि जिस्में कोई टुकड़ा किसी जायदाद का गिड़ाने या भोग लावे नहो १२ बरस से पहिले का सुना नजायगा मगर यह कायदः गिड़ाने और भोग लावे के मुकदमों में नहीं लग सकेगा · · · · · ·

दफ़ा २६ अगर किसी मुकदमे में कई शख्स मुद्दई हों तो एक मुद्दई भी नालशी होसकता है बशर्ते के उसने सब मुद्दईयों की तरफ़ से यह अख्तियार काबिल इतमीनान और मन्जूरी अदालत के हासिल करलिया हो नहीतो उस को अपने हिस्से की नालिश करने

ہے -

**دفعہ ۲۷** - ایسی ایک نالش کہ جس میں کئی شخص مدعا علیہ ہوں ایک مدعی کی طرف سے دائر ہو سکتی ہے -

**دفعہ ۲۸** - متعدد مدعا علیہم ہونے کی حالت میں جو کسی ایسے شخص کا نام بھی شامل کر دیا جاوے کہ جس کو کچھ تعلق اُس مقدمہ سے نہو یا وہ اپنے حصہ کی صفائی پہلے ہی کر چکا ہو تو جائز ہے کہ عدالت ایسے مدعا علیہ کا نام بعد ثبوت اور اطمینان کے نالش سے خارج کر دے اور جو اُسکا خرچ پڑا ہو وہ مدعی سے اوسکو دلا دے -

**دفعہ ۲۹** - اگر مدعی یا مدعی علیہ مقدمہ کی پیروی

का अख़्तियार है ...

**दफ़ा २७** ऐसी येक नालिश के जिसमें कई शख़्स मुद्दाय लेहों एक मुद्दई की तरफ से दायर हो सकती है ...

**दफ़ा २८** बहुत से मुद्दाइलों के होनेकी हालत में जोकिसी ऐसे शख़्स का नाम भी शामिल कर दिया जावे कि जिस को कुछ वास्ता उस मुकदमः से नहो या वह अपने हिस्सेकी सफाई पहिले ही कर चुका हो तो जायज़ है कि अदालत ऐसे मुद्दाइले का नाम बाद सबूत और इतमीनान के नालिश से खारज करदे और जो उस्का खर्चा पड़ा हो वह मुद्दईसे उस्को दिला देवे ...

**दफ़ा २९** अगर मुद्दई या मुद्दाअले मुकदमे की पैरवी

اور جواب دہی کے لئے مختار اور وکیل مقرر کرنا چاہیئے تو اختیار ہے مگر ایسے شخص کے نام پر مختار نامہ منظور نہوگا جو ایکدفعہ کسی عدالت سے بوجہ نالیاقتی یا فضول جوابدہی یا توہین عدالت کے نکالا جاچکا ہو یا سزا پاچکا ہو یا راج کی نوکری سے بوجہ کسی قصور نالایق کے موقوف کیا گیا ہو مگر جو عدالت اصالتاً حاضر ہونے کا حکم دے تو فریق مذکور کو اصالتاً حاضر ہونا پڑے گا بشرطیکہ تعظیمی آسامی نہو یا کوئی عذر قوی نہ رکھتا ہو ۔

**دفعہ ۳۰ - مختار اور وکیل کا مقرر ہونا بعد منظوری**

और जवाब देही के लिये मुख़तार और वकील मुकर्रर करना चाहें तो उनको अख़्तियार है। मगर ऐसे शख़्स के नाम पर। मुख़तार नामः मंजूर न होगा जो एक दफ़े किसी अदालत से नालायकी या फ़ज़ूल जवाब देही या तौहीन अदालत के सबब से निकाला जा चुका हो या सज़ा पा चुका हो या राज की नौकरी से बसबब किसी कसूर नामुनासिब के मौकूफ़ किया गया हो मगर जो अदालत असालतन हाज़िर होनेका हुक्म दे तो फ़रीक मज़कूरको असालतन हाज़िर होना पड़ेगा बशर्ते के ताज़ीमी आसामी नहो या कोई पक्का उज़र न रखता हो

**दफ़ा ३० मुख़तार और वकील का मुकर्रर होना बाद मंज़ूरी**

حاکم اور تصدیق مختارنامہ کے جائز سمجھا جاوے گا بغیر مختارنامہ کے کوئی شخص کسی مدعی یا مدعاعلیہ کی طرف سے جوابدہی یا مقدمہ کی کارروائی میں دخل دینے کا مجاز نہوگا ۔

دفعہ ۳۱ ۔ بعد تصدیق مختارنامہ کے مختار اور وکیل ہر ایک کارروائی کا ذمہ وار مثل موکل کے سمجھا جاویگا اور موکل کا کوئی عذر یا اعتراض نسبت کارروائی وکیل کے بعد ختم ہونے مقدمہ کے سُنا نہ جائیگا ہاں جو اُس کو وکیل کی طرف سے کوئی عدم اطمینان ہو تو دوران مقدمہ میں اطلاع اُس کی موقوفی کی پیش کردے ۔

دفعہ ۳۲ ۔ جو بڑے بڑے

हाकम और तसदीक मुख्तार नामे के जायज़ समझा जावेगा बगैर मुख्तार नामे के कोई शख्स किसी मुद्दई या मुद्दाइलै की तरफ से जवाबदही या मुकदमः की कार रवाई में दखल देने का मजाज़ नहोगा . . . . . . . .

दफा ३१ बाद तसदीक मुख्तार नामे: के मुख्तार और वकील हर एक कार रवाई का जिम्मेवार मिसल मुवक्किल के समझा जावेगा और मुवक्किल का कोई उज़र या एतराज़ निसबत कार रवाई वकील के बाद खतम होने मुक़दमः के सुना न जायगा हां जो उसको वकील की तरफ से तसल्लि न हो तो दौरान मुकदमः में इत्तिला उसकी मौकूफी की पेश करदे

दफा ३२ जो बड़े २ जागीर दारों

के वकील हैं वह अपने ठिकाने के मुकद्दमात का सवाल जवाब क़दीम दस्तूर के माफ़िक किया करेंगे मगर और मुकद्दमों में कि जिनसे उनको कुछ तअल्लुक नहीं है दखल देने नहीं पावेंगे, और न किसी की तरफ़ से सवाल जवाब कर सकेंगे जब तक कि अदालत से इजाज़त लेकर मुख्तारनामा उस शख्स का अपने नाम पर तसदीक न करालें........

## तीसरा बाब

### नालिशों का दुरुस्त होना शर्त है

दफ़ा ३३ मुद्दई का फ़रज़ है के जो नालिश दायर करे वह ऐसी तरतीबवार हो के अदालत को उसकी क़तई तजवीज करने में कोई दिक़्क़त या

جاگیرداروں کے وکیل ہیں وہ اپنے ٹھکانے کے متعلق مقدمات کا سوال جواب قدیم دستور کے موافق کیا کریں گے مگر اور مقدموں میں جن سے اُن کو کچھ تعلق نہیں ہے دخل دینے نہیں پاویں گے اور نہ کسی کی طرف سے سوال جواب کر سکیں گے جبتک عدالت سے اجازت لیکر مختارنامہ اُس شخص کا اپنے نام پر تصدیق نکرالیں۔

## باب تیسرا

### نالشوں کا درست ہونا شرط ہے

دفعہ ۳۳ - مدعی کا فرض ہے کہ جو نالش دائر کرے وہ ایسی ترتیب وار ہو کہ عدالت کو اُس کی قطعی تجویز کرنے میں کوئی وقت یا اُلجھاؤ

| | |
|---|---|
| نہ پڑے - | उल आवना पड़े .. .. .. .. |
| دفعہ ۳۴ - بنائے دعوے صاف ظاہر ہو کہ جھگڑے کے جتنے مراتب ہوں وہ سب صفائی کے ساتھ بیان کئے جاویں تاکہ عدالت کا وقت اُن کے سمجھنے میں ضایع نہو - | दफा ३४ बिनाय दावा साफ जाहिर हो और झगड़े के जितने मरातिब हों वह सब सफाई के साथ बयान किये जावें ताकि अदालत का वक्त उनके समझ ने में खोटी न हो .. .. .. .. |
| دفعہ ۳۵ - اگر ایک مقدمہ میں کئی بنائے دعوے ہوں اور عدالت اُن کو ایک ہی مثل میں طے کرنا مشکل سمجھے تو جایز ہے کہ بشرط مناسب سمجھنے کے یا مدعا علیہ کی درخواست کرنیکے دو یا تین علیحدہ علیحدہ مثلیں بناکر فیصل کرے جیسے جائداد کے مقدمہ میں دعوی کرایہ اور لاگت یا نقصان کسی جزو مکان وغیرہ کا بھی شامل ہو تو ایسی صورتوں میں یہ دفعہ مؤثر ہو سکتا ہے | दफा ३५ अगर एक मुकदमे में कई बिनाय दावे हों और अदालत उनको एकही मिसल में तय करना मुशकिल समझे तो जायज है के बशर्ते मुनासिब समझने या मुद्दाइले की दरख्वास्त करने के दो या तीन अलैहदा अलैहदा मिसलें बना कर फैसल करे जैसे जायदाद के मुकदमः में दावा किराये और लागत या नुकसान किसी हिस्सेः मकान वगैरह का भी शामिल होतो |

**دفعہ ۳۶** - ہر عرضی دعوے کے ساتھ وہ دستاویز بھی اصل یا نقل پیش ہونا چاہیئے کہ جس کا ذکر اوس عرضی دعوی میں ہو -

**دفعہ ۳۷** - اگر یہ نالش کسی حساب یا کھاتہ کی رو سے ہو تو اُس حساب کا ایک مختصر گوشوارہ بھی شامل عرضی دعوے کے داخل ہونا چاہیئے -

**دفعہ ۳۸** - اگر کسی دستاویز کی رو سے وہ نالش ہونا ایک ہی شخص یا کئی شخصوں پر واجب ہو اور مدعی خلاف اُس کے کئی شخصوں یا ایک ہی شخص پر کرے تو اُسکی وجہ بھی صاف صاف عرضی دعوے میں درج ہونا چاہیئے

ऐसी सूरतों में यह दफ़ा लगा या जा सकेगा .. .. .. ..

**दफ़ा ३६** हर अर्ज़ी दावे के साथ वह दस्तावेज़ भी असल या नक़ल पेश होनी चाहिए के जिस्का ज़िक्र उस अर्ज़ी दावे में हो .. .. .. .. ..

**दफ़ा ३७** अगर यह नालिश किसी हिसाब किताब या खा ने के रूसे हो तो उस हिसाब का एक मुख़्तसर गोशवारा भी शामिल अर्ज़ी दावे के पेश होना ज़रूर है .. .. .. ..

**दफ़ा ३८** अगर किसी दस्तावेज़ की रू से वह नालिश होना एक ही शख़्स या कई शख़्सों पर वाजिब हो और मुद्दई ख़िलाफ़ उस्के कई शख़्सों या एक ही शख़्सपर करे तो उस्की वजह भी साफ़ साफ़ अर्ज़ी दावे में दर्ज

होनी चाहिये ताकि अदालत को मालूम रहे . . . . . . .

दफ़ा ३९ विरासत हक़दारी और खोले वगैरे के मुक़ामात में जो पुश्तनामे से इलाक़ा रखते हैं पुश्तनामः भी अर्जी दावे के साथ दाखिल होना चाहिये . . . . . . . .

दफ़ा ४० हर अर्जी दावा अदालत की ज़बान याने मारवाड़ी या साफ उरदू में और हिंदी हरफों में हो और उसके साथ अगर कोई दस्तावेज़ गैर ज़बान की हो तो वह भी अर्जी दावे के मुवाफ़िक़ उसी ज़बान में तरजुमः होकर पेश होना चाहिये . . . . . .

दफ़ा ४१ कोई दीवानी नालिश किसी अदालत में ज़बानी नहीं सुनी जायगी और न किसी ओहदेदार को बगै

تاکہ عدالت کو معلوم رہے۔

دفعہ ۳۹ – وراثت حقداری اور کھولے یعنی تبنیت وغیرہ کے مقدمات میں جو صلہ رحمی سے علاقہ رکھتے ہیں پشت نامہ بھی عرضی دعوی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔

دفعہ ۴۰ – ہر عرضی دعوی عدالت کی زبان یعنی مارواڑی یا صاف اردو میں بحروف ہندی ہو اور اوسکے ساتھ اگر کوئی دستاویز غیر زبان کی ہو تو وہ بھی عرضی دعوے کے موافق اسی زبان میں ترجمہ ہو کر پیش ہونا چاہیے۔

دفعہ ۴۱ – کوئی دیوانی نالش کسی عدالت میں زبانی نہیں سنی جائے گی اور نہ کسی عہدہ دار کو بلاحصول اختیارات

| اردو | हिन्दी |
|---|---|
| دیوانی کے اُس کے سُننے کا جواز ہوگا ۔ | र॰ हासिल करने इख़्तियारात दीवानी के उसको सुनने का धिकार होगा |
| **باب چوتھا** | **चौथा बाब** |
| **نالشوں کا پیش ہونا** | **नालशों का पेश होना** |
| دفعہ ۴۲ ۔ عرضی دعوے عدالت میں اُس عہدہ دار کو حوالہ کرنا ہوگی جو اس کام کے واسطے مقرر ہو ۔ | दफ़ा ४२ अर्ज़ी दावा अदालत में उस ओहदेदार को हवाले करनी होगी जो इस काम के वास्ते मुकर्रर हो |
| دفعہ ۴۳ ۔ عرضی دعوے میں مراتب مندرجہ ذیل درج ہونے چاہئیں | दफ़ा ४३ अर्ज़ी दावे में मुन्दर्जे ज़ैल बातें दर्ज होनी चाहिये |
| ۱ ۔ نام اُس عدالت کا کہ جہاں وہ نالش پیش کی جائے | (१) नाम उस अदालत का कि जहां वह अर्ज़ी पेश की जावे |
| ۲ ۔ نام مدعی معہ ولدیت قومیت اور پتہ ٹھکانے کے ۔ | (२) नाम मुद्दई मय वल्दियत कौमियत और पते ठिकाने के |
| ۳ ۔ نام مدعی علیہ معہ ولدیت قومیت اور پتہ ٹھکانے کے ۔ | (३) नाम मुद्दआलै मय वल्दियत व कौमियत और पते ठिकाने के |
| ۴ ۔ بنائے دعویٰ اور اُس کی | (४) बिनाय दावा और उसकी |

| | |
|---|---|
| تفصیل کہ کب اور کہاں پیدا ہوئی - | की तफ़सील कि कब और कहां पैदा हुई .. .. .. |
| ۵ - درخواست دادرسی جو مدعی چاہتا ہے - | (५) दरख्वास्त दादरसीजो मुद्दई चाहता है .. .. .. |
| ۶ - دعوی کی پوری تعداد اگر نقد روپے کی نالش ہو تو - | (६) दावे की पूरी तायदाद अगर नक़द रुपये की नालिश हो तो .. .. .. .. .. |
| ۷ - اگر کچھ وصول ہو گیا ہو یا چھوڑ دیا گیا ہو تو اُس کی تعداد - | (७) अगर कुछ वसूल होगया हो या छोड़ दिया गया हो तो उसकी तायदाद .. .. .. |
| ۸ - اگر حساب کتاب طے نہیں ہوا ہو تو اُس صورت میں تعداد دعوے کی تخمینی ہونی چاہیئے - | (८) अगर हिसाब किताब तै नहीं हुवा हो तो उस सूरत में ता दाद दावे की तखमीनन होनी चाहिये .. .. .. .. |
| ۹ - اگر دعوے کسی قایم مقامی کی حیثیت سے ہو تو اُسکا ثبوت بھی ساتھ ہونا چاہیئے یا اگر وہ حیثیت کسی محکمہ سے ثابت ہو چکی ہو تو اُسکا فیصلہ داخل کرنا چاہیئے - | (९) अगर दावा किसी का यम मुकामी की हैसियत से हो तो उसका सबूत भी साथ होना चाहिये या अगर वह हैसियत किसी महकमः से साबित हो चुकी हो तो उसका फ़ैसला दाखिल करना चाहिये . |

| | |
|---|---|
| دفعہ ۴۴ - ہر عرضی دعوے پر مدعی یا اوسکے وکیل کے دستخط یا نشانی جس کو سیناں کہتے ہیں ثبت ہونا چاہیے - | दफ़ा ४४ हर अरज़ी दावे पर मुद्दई या उसके वकील के दस्तखत या निशानी जिस्को सेनान कहते हैं होना चाहिये. |
| دفعہ ۴۵ - اگر یہ عرضی دعوے کسی ضروری ترمیم کے واسطے عدالت سے واپس کیا جاوے تو اوسی میعاد میں پہر داخل عدالت ہونا چاہیے جو مقرر کر دی گئی ہو - | दफ़ा ४५ अगर यह अरज़ी दावा किसी ज़रूरी तरमीम के वास्ते अदालत से वापिस की जावे तो उसी मयाद में फिर दाखिल अदालत होना चाहिये जो मुकर्रर करदी गई हो ... |
| دفعہ ۴۶ - اگر بنائے دعوے اوس عدالت کی حدود میں واقع نہوا ہو اور نہ مدعا علیہم میں سے کوئی اون حدود کے اندر رہتا ہو تو عدالت مذکور اوس حالت میں بہی واپسی نالش مذکور کی وجہ لکھکر اوسکو واپس کر سکیگی - | दफ़ा ४६ अगर बिनाय दावः उस अदालत की हदूद में वाक़े न हुई हो और न मुद्दाइलों में से कोई उन हदूद के अंदर रहता हो तो अदालत मज़कूर उस हालत में भी वापसी नालिस मज़कूर की वजः लिख कर उस्को वापस कर सकेगी ... |
| دفعہ ۴۷ - جو عرضی دعوے بموجب دفعہ ۴۶ کے واپس کیا جاوے تو اس کی نسبت | दफ़ा ४७ जो अरज़ी दावा बमूजब दफे: ४६ के वापस किया जावे तो उसकी निसबत |

| | |
|---|---|
| مدعی کو اُس عدالت مجاز میں پیش کرنے کا اختیار ہے کہ جس کی حدود میں بناے دعوی پیدا ہوئی ہو اور مدعا علیہم موجود ہوں - | मुद्दई को उस अदालत मजाज़ में पेश करने का अख़तियार है कि जिसकी हद्द में बिनाय दावा पैदा हुई हो और मुद्दाअ ले हिम मौजूद हों . . . . . |
| دفعہ ۴۸ - اگر کوئی نالش مدعا علیہم کے اوپر کسی قایممقامی کی حیثیت سے کی جاوے تو بابت وجوب حیثیت مذکور کے مدعا علیہم کی نسبت وجوہات صاف صاف اور قابل اطمینان عدالت کے عرضی دعوے میں درج ہونی چاہیئں - | दफ़ा ४८ अगर कोई नालिश मुद्दआअलैं के ऊपर किसी क़ायम मुकामी की हैसियत से कीजावे तो बाबत वाजिब होने हैसियत मज़्कूर के मुद्दआइलैं की निसबत वजूहात साफ साफ और लायक इत्मीनान अदालत के अर्जी दावे में दरज होना चाहिये . . . . . . . . . . |
| دفعہ ۴۹ - عدالت میں ایک کتاب رجسٹر مقدمات دیوانی کے نام سے موجود رہیگی جس میں تمام مقدمات جو ایک سال کے اندر دائر ہوں تاریخ دائر کی ترتیب سے نمبروار | दफ़ा ४९ अदालत में एक किताब रजिस्टर मुकमात दीवानी के नाम से मौजूद रहेगी जिसमें तमाम मुकदमात जो एक साल के अन्दर दायर हों तारीख दायर की तरतीब |

درج ہوا کریں گے -
دفعہ ۵۰ - اگر کوئی دستاویز جس کی رو سے مدعی دعوی کرے اور وہ اُس وقت اُس کے پاس نہ ہو تو صاف طور پر ظاہر کر دے کہ وہ کس کے قبضہ اور اختیار میں ہے -
دفعہ ۵۱ - اگر دعوی کسی ایسے کاغذ کی رو سے ہے کہ جیسے ہنڈی اور پول کے نام کا خط یعنی تمسک جس میں نام قرض دینے والا کا نہیں لکھا جاتا ہے اور وہ کاغذ گم گئے ہوں یا تلف ہو گئے ہوں تو مدعی کو بعد ثابت کرنے اُس کی عدالت میں اِس بات کا اقرار نامہ قابل اطمینان عدالت کے لکھدینا ہو گا کہ اگر کوئی شخص آیندہ اُس کاغذ کی رو سے دعویدار ہو تو اُس کی جوابدہی مدعی کے

से नम्बर वार दरज हुवा करेंगे·
दफ़ा ५० अगर कोई दस्तावेज जिस की रू से मुद्दई दावा करें और वह उस वक़्त उस के पास न होतो साफ तौर पर ज़ाहिर करदे कि वह किसके क़ब्ज़ा और इख़्तियार में है · · · · · · ·
दफ़ा ५१ अगर दावा किसी ऐसे कागज की रूसे है केजैसे हुन्डवी और पोल के खत याने वो: तमस्सुक कि जिस्में नाम क़रजे देने वाले का नहीं लिखा जाता है और वह क़ागज़ गुम गये हों या खराब होगये हों तो मुद्दई को बाद साबित करने उसके अदालत में इस बात का इक़रार नामा लायक़ इतमीनान अदालत के लिख देना होगा कि अगर आइन्दे: कोई शख्स उस क़ागज की रूसे दावे दार होतो उस्की

ذمہ ہوگی ۔

دفعہ ۵۲ ۔ عرضی دعوی کے ساتھ جو دستاویز اصل یا نقل عدالت میں گذرے حاکم کو اوسیوقت اُن کے اوپر اپنے دستخط کردینا واجب ہے اور اصل اگر بعد تصدیق نقل کے واپس کیجاوے تو نقل پر لکھدینا چاہیئے کہ نقل صحیح مطابق اصل کے ہے اور جو نقل صحیح نہو تو اپنے روبرو دوسری نقل کراکر بعد تصدیق شامل مثل کرے ۔

دفعہ ۵۳ ۔ مدعی جس دستاویز کی نقل پیش کرکے اصل نہ لاوے یا جسکی اصل بہی بوجہ مشکوک اور محکوک ہونے کے قابل اطمینان

जवाब देही मुद्दई के जिम्मे होगी .. .. .. .. ..

दफ़ा ५२ अर्जी दावे के साथ जो दस्तावेज़ असल या नक़ल अदालत में गुज़रे हाकिम को उसी वक्त उनके ऊपर अपने दस्तख़त कर देना वाजिब है और असल अगर बाद तसदीक नक़ल के वापिस की जावे तो नक़ल पर लिख देना चाहिये कि नक़ल सही मुताबिक असल के है और जो नक़ल सही न हो तो अपने रूबरू दूसरी नक़ल कराकर बाद तसदीक शामिल मिसल करे .. .. .. .. ..

दफ़ा ५३ मुद्दई जिस दस्तावेज़ की नक़ल पेश करके असल न लावे या जिस्की असल भी छेका छेक होने से लायक तसल्ली अदालत के

न हो तो वजह सबूत में उसपर लिहाज न किया जायगा ...

## पाँचवाँ बाब

### कायदा इजराय समन

दफ़ा ५४ जब अर्ज़ी दावा बाजाब्तः हस्ब शरायत मुन्दर्जः बाब चौथे के दाख़िल अदालत हो जावे तो मुद्दाअलै के नाम समन इस हुक्म से जारी किया जावे कि वह तारीख़ मुकर्रर पर असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब देही दावे मुद्दई की करे और तारीख़ हाजरी मुद्दाअलै की समन में काफ़ी दरज हो के जिस तारीख़ को वो आसानी से हाजिर हो सके ... ...

दफ़ा ५५ अगर अदालत मुद्दाअलै का असालतन हाजिर होना ही जरूर समझे तो

عدالت کے نہ ہو تو وجہ ثبوت میں اوسپر لحاظ نہ کیا جاویگا۔

## پانچواں باب

### قاعدہ اجرائے سمن

دفعہ ۵۴ - جب عرضی دعوے باضابطہ حسب شرائط مندرجہ باب ماسبق کے داخل عدالت ہو جاوے تو مدعی علیہ کے نام سمن اس حکم سے جاری کیا جاوے کہ وہ تاریخ مقررہ پر اصالتاً یا وکالتاً حاضر ہو کر جواب وہی دعوے مدعی کی کرے اور تاریخ حاضری مدعی علیہ کے سمن میں ایسی کافی درج ہو کہ جس میں مدعا علیہ آسانی سے حاضر عدالت ہو سکے۔

دفعہ ۵۵ - اگر عدالت مدعی علیہ کا اصالتاً حاضر ہونا ہی ضرور سمجھے تو سمن

| | |
|---|---|
| میں اصالتاً حاضر ہونے کا حکم تاریخ مقررہ پر لکھدی اور مدعی کو بھی اُسی روز بشرط ضرورت اصالتاً حاضر ہونے کی ہدایت کی جاوے ۔ | समन में असालतन हाजिर होने का हुकम तारीख़ मुकर्रर पर लिख दे और मुद्दई को भी उसी रोज़ बशर्त: ज़रूरत के असालतन हाजिर होने की हिदायत की जावे . . . . . . . |
| دفعہ ۵۶ ۔ سمن کے اوپر مُہر عدالت کی اور دستخط حاکم کے ثبت ہونا چاہیئے | दफ़ा ५६ समन के ऊपर मुहर अदालत की और दस्तख़त हाकिम के होना चाहिये . |
| دفعہ ۵۷ سمن میں یہ بھی لکھا جانا چاہیئے کہ اگر مدعی علیہ کے پاس کوئی دستاویز یا تحریری ثبوت موید اُس کی جوابدہی کے ہو تو اُس کو ساتھ لیتا آوے ۔ | दफ़ा ५७ समन में यह भी लिखा जाना चाहिये कि अगर मुद्दाअलै के पास कोई दस्तावेज़ या तहरीरी सबूत उसका मोजूद होतो उसको साथ लेता आवे . |
| دفعہ ۵۸ اگر ایک مقدمہ میں کئی مدعا علیہم ہوں تو جایز ہے کہ جدا جدا سمن ایک ایک مدعی علیہ کے نام جاری کیا جاوے ۔ | दफ़ा ५८ अगर एक मुकद्दम: में कई मुद्दाअलैह होंतो जायज़ है के हर येक मुद्दाअलै के नाम समन अलग अलग जारी किये जावें . . . . |
| دفعہ ۵۹ ۔ سمن تُمهریں کو ال کی معرفت | दफ़ा ५९ समन शहर में कोतवाल की मारफ़त और पर |

پرگنوں میں - حاکموں کی معرفت
گانوں میں حوالداروں کی
معرفت جاگیرداروں کے
ٹھکانوں میں اُن کے وکیلوں کی
معرفت جاری کئے جاویں گے -

دفعہ ۶۰ کوتوال اور
حاکموں کو لازم ہے کہ سمن جاری
کرانے کی تعمیل معرفت اپنے
ماتحتوں کے کریں اور
حوالداروں کو خود کرنا ہوگی
اور جاگیرداروں کے وکیلوں کو
اپنے نوکروں کی معرفت
کرنی ہوگی -

دفعہ ۶۱ ایک ایک
مدعا علیہ کے نام سمن کے
دو دو پرت جاری ہونے
چاہئیں تاکہ تعمیل کرنے والا ایک
تو اُس کو دیدے اور دوسرے پر
اُس کی رسید دو گواہوں کی گواہی
سے کرالاوے -

دفعہ ۶۲ اگر مدعا علیہ

गनह: में हाकिमोंकी मारफ
त गांवमें हवलदारों की मार
फत व जागीरदारों के ठिकानों
में उनके वकीलों की मारफ
त जारी किये जावेंगे ....

दफ़ा ६० कोतवाल और हा
कमों को लाज़िम है कि सम
न जारी कराने की तामील मा
रफत अपने मातेहतों के क
रें और हवलदारों को ख़ुद
करना होगा और जागीरदारों के
वकील अपने नौकरों की मार
फत तामील करावें ....

दफ़ा ६१ एक एक मुद्दाय
ले के नाम दो दो परत समन
की जारी होना चाहिये ताके
तामील करने वाला एक तो
उसको दे दे और दूसरे पर उस
की रसीद दो गवाहों की गवा
ही से करालेवें ....

दफ़ा ६२ अगर मुद्दायले

مکان پر نہ ملے تو جائز ہے کہ سمن مذکور اُس کے کسی بالغ رشتہ دار یا کارندہ کو دیکر رسید اور گواہی کرالیجاوے فقط - - - - - - - -

دفعہ ۶۳ - اگر کوئی بالغ رشتہ دار بھی نہ ملے تو تعمیل کرنیوالے کو چاہیئے کہ محلہ کے چار معتبر آدمیوں کو شامل رکھکر ایک سمن تو مدعا علیہ کے دروازہ مکان پر چپکا دیوے اور دوسرے سمن کی پشت پر اس کارروائی کی رپورٹ معہ تاریخ اور وقت کے لکھکر اون آدمیونکی گواہی کرالاوے -

دفعہ ۶۴ - اگر مدعا علیہ سمن نہ لے یا اُس کی رسید کر دینے سے انکار کرے تو بھی تعمیل کرنے والے کو حسب دفعہ بالا کے عمل

मकान पर न मिले तो जायज है के समन मजकूर उसके किसी बालिग रिस्ते दार या कारिन्दे को देकर रसीद और गवाही करा ली जावे .. .. .. .. ..

दफा ६३ अगर कोई बालिग रिश्ते दार भी न मिले तो तामील करने वाले को चाहिये कि मुहल्ले के चार मोतबर आदमियों को शामिल रख कर एक समन तो मुद्दायले के दरवाजे मकान पर चिपका देवे और दूसरे समन की पुश्त पर इस कारवाई की रपोर्ट मय तारीख और वक्त की लिख कर उन आदमियों की गवाही करा लेवें ..

दफा ६४ अगर मुद्दायले समन लेने या उसकी रसीद कर देने से इन्कार करे तो भी तामील करने वाले को ऊपर लिखी हुई दफे: के मुआफ़िक

| | |
|---|---|
| کرنا چاہیئے ۔ | अमल करना चाहिये .. .. .. |
| **دفعہ ٦٥** - اگر کوئی سمن بہ سبب انکار مدعا علیہ کے واپس آوے تو جایز ہے کہ عدالت یا جس کی معرفت وہ جاری کیا گیا تھا وہ تعمیل کرنے والے کا اظہار یا رپورٹ لیکر مناسب حکم نسبت حاضری مدعا علیہ کے جاری کرے ۔ | **दफ़ा ६५** अगर कोई समन ब सबब इन्कार मुद्दाअले के वापस आवे तो जायज है कि अदालत या जिसकी मारफ़त वह जारी किया गया था तामील करने वाले के इज़हार या रपोर्ट लेकर मुनासिब हुकम निसबत हाज़री मुद्दाअले के जारी करे .. .. .. |
| **دفعہ ٦٦** - اگر مدعی علیہ غیر علاقوں میں رہتا ہو تو اُس کے نام سمن معرفت محکمہ سررشتہ اضلاع غیر ایک مناسب میعاد کا کہ جس میں وہ حاضر ہو سکے جاری کیا جاوے اور خرچہ ڈاک کا جو ہو مدعی سے لیلیا جاوے | **दफ़ा ६६** अगर मुद्दाअले गैर इलाके में रहता हो तो उस के नाम समन मारफत शरिश्ते इजलाय गैर के एक मुनासिब मियाद का कि जिसमें वह हाजर होसके जारी किया जावे और खरच डाक का जो हो मुद्दई से लिया जावे .. .. .. |
| **دفعہ ٦٧** - اگر مدعی علیہ جیلخانہ میں قید ہو تو اوسکے پاس سمن بذریعۂ دار وغہ | **दफ़ा ६७** अगर मुद्दाअले जेलखाने में कैद हो तो उसके पास समन बज़रिये दारोगे |

| | |
|---|---|
| جیلخانہ کے بھیجا جاوے گا اور وہ اُس کی تعمیل دفعہ ۶۱ کے بموجب کر کے معہ اپنی رپورٹ تعمیلی کے رسید حسب ضابطہ اُس عدالت کو واپس بھیجے کہ جہاں سے سمن مذکور جاری ہوا تھا ۔ | ज़ेलखाने के भेजा जावे गा और वह तामील उसकी दफः ६१ के बमूजब करके मय अपनी रपोट तामील के रसीद हस्ब ज़ा बते उस अदालत को वापस भेजे कि जहां से समन मज़्कूर जारी हुवा था ॥ |
| **باب چھٹا** | **॥ छटा बाब ॥** |
| فریقین کی حاضری اور غیر حاضری کا ذکر | फरीक़ैन की हाज़री और गैर हाज़री का ज़िक्र |
| دفعہ ۶۸ جب تاریخ مقررہ سمن پر فریقین حاضر ہوں تو مقدمہ کی سماعت کی جاوے ورنہ دوسری تاریخ پیشی کی مقرر کر کے مقدمہ ملتوی کر دیا جاوے ۔ | दफ़ा ६८ जब तारीख मुकर्रर समन पर फरीक़ैन हाज़िर हों तो मुक़द्दमे की समाअत की जावे नहीं तो दूसरी तारीख पेशी की मुकर्रर करके मुक़द्दमः मुल्तवी कर दिया जावे ॥ |
| دفعہ ۶۹ اگر عدالت میں اُس روز کوئی ضروری کام درپیش ہو جاوے تو اُس حالت میں بھی | दफ़ा ६९ अगर अदालत में उस रोज़ कोई ज़रूरी काम दर पेश हो जावे तो उस हालत में भी बावजूद हाज़िर हो जाने |

| | |
|---|---|
| باوجود حاضر ہونے فریقین کے عدالت مقدمہ کی سماعت کو ملتوی رکھ کر دوسری تاریخ پیشی کی مقرر کر سکتی ہے | फ़रीकैन के अदालत मुकदमे की समाअत को मुल्तवी रख कर दूसरी तारीख पेशी की मुकर्रर कर सक्ती है |
| دفعہ ۷۰ - اگر فریقین اُس روز بھی حاضر نہ ہوں کہ جس روز تک بسبب اُن کی عدم حاضری کی سماعت مقدمہ کی ملتوی کی گئی ہو تو مقدمہ خارج کر دیا جاوے اور اگر حاکم مناسب سمجھے تو وجوہات اُس کی قلمبند کر کے پھر ایک مناسب میعاد تک بانتظار حاضری فریقین کے مقدمہ کو ملتوی کردے مگر بعد اس کے بصورت غیر حاضری فریقین کی با جرائے اشتہار میعادی اطلاع دیجاوے اور جو پھر نہ آویں تو تجویز مقدمہ کی کردی جاوے - | दफ़ा ७० अगर फरीकैन उस रोज़ भी हाजर न हों कि जिस रोज तक बसबब उन की गैर हाजरी के समाअत मुकदमे की मुल्तवी की गई हो तो मुकदमा खारज कर दिया जावे और अगर हाकम मुनासिब समझे तो वजूहात उस की लिख कर फिर एक मुनासिब मयाद तक बइन्तजार हाजरी फरीकैन के मुकदमे को मुल्तवी करदे मगर बाद उस के बसूरत गैर हाजरी फरीकैन के मयादी इश्तेहार जारी करके इत्तिलाय दी जावे और फिर भी न आवे तो तजवीज मुकदमे की कर दी जावे |

دفعہ ۷۱ اگر تاریخ
مقررہ سمن پر یہ بات ظاہر
ہو کہ مدعا علیہ غیر علاقہ میں
ہے اور اُس کے نام سمن
اس وجہ سے جاری نہیں
کیا گیا کہ مدعی نے خرچ ڈاک
کا ادا نہیں کیا تو عدالت
کو اختیار ہے کہ مقدمہ کے
خارج کرنے کا حکم دے
یا جو مدعی حاضر ہو اور اوسکی
بابت کوئی عذر معقول رکھتا
ہو تو بعد دریافت اوسکے خرچ
مذکورہ لیکر سمن بذریعہ
ڈاک جاری کرے اور وجہ
التوائے مقدمہ کی تاریخ مندرجہ
سمن ہذا تک مثل پر لکھدے۔

دفعہ ۷۲ - جو مقدمہ
بموجب دفعہ ۷۰ و ۷۱ کے
ڈسمس کیا جاوے تو اوسکے
پھر برآمد کرانے کے لئے
مدعی کو اطلاعیابی سے ایک

दफ़ा ७१ अगर तारीख मुक़
र्रे समन पर यह बात ज़ाहिर
हो कि मुद्दा अले गैर इलाक़:
में है और उसके नाम समन इ
स वज: से जारी न किया गया
कि मुद्दई ने खरचा डाक का
अदा नहीं किया तो अदालत
को इख्तियार है के मुकदमे
के खारज करने का हुक्म दे या
जो मुद्दई उसके बाबत कोई
उज़र माकूल रखता हो तो बाद
दरयाफ्त उसके खरचा मज्कूर ले
कर समन बजरीये डाक जारी करे
और वजे मुल्तवी रखने मुक़द्दमे
की इस समन की तारीख तक
मिसल पर लिखदे

दफ़ा ७२ जो मुकदमा बमूजि
ब दफे ७० और ७१ के खारिज
किया जावे उसके फ़िर बरामद
कराने के लिये मुद्दई को इत्तिला
याबी से एक महीने के अन्दर

مہینے کے اندر پیروی کرنے کا اختیار ہوگا بشرطیکہ وہ عدالت مجاز کو کافی وجہ خرچہ مطلوبہ کے میعاد سمن میں داخل نکرنے یا تاریخ مقررہ پر حاضر نہوسکنے کی سمجھاوے اور جب ایسا اطمینان ہوجاوے تو جایز ہے کہ عدالت مذکور حکم ڈسمس کو منسوخ کرکے پھر ایک تاریخ واسطے کارروائی مقدمہ کے مقرر کرے۔

दफ़ा ७३ अगर मुद्दई हाजिर हो और मुद्दाअले हाजिर न हो और कोई वजह काफी उसकी गैर हाजिरी की उस वक्त समझ में नही आवे तो अदालत एक तरफी कार रवाई करने की मजाज होगी

دفعہ ۷۳ - اگر مدعی حاضر ہو اور مدعا علیہ حاضر نہو اور کوئی وجہ کافی اوسکی غیر حاضری کی اوسوقت سمجھ میں نہیں آوے تو عدالت ایکطرفہ کارروائی کرنیکی مجاز ہوگی۔

दफ़ा ७४ अगर यह जाहिर हो जावे के मयाद की मुहलत

دفعہ ۷۴ - اگر یہ ظاہر ہوجاوے کہ میعاد جو مدعی علیہ

पेरवी करने का इख़्तियार होगा बशर्ते: कि वह अदालत मजाज को काफी वजः खरचे मतलूबके मयाद समन में दाखल न करने का या तारीख मुकरर पर हाजिर न हो सकने की समझादे और जब ऐसा इतमीनान हो जावे तो जायज है के अदालत मज़कूर अगले हुक्म को मनसूख कर के फिर येक तारीख वास्ते कार रवाई मुक़द में के मुकरर करे

| | |
|---|---|
| کے لئے دی گئی تھی کافی نہ تھے یا سمن اُس کے پاس دیر سے ایسے وقت پہنچا کہ اُس کو تاریخ مقررہ پر حاضر ہونے کے لئے کافی مدّت نہیں رہی تھی تو عدالت کو اختیار ہے کہ سماعت مقدمہ کو کسی آیندہ تاریخ پر ملتوی کردے ۔ | लेके लिये दी गई थी काफी न थी या समन उसके पास देर से ऐसे वक्त पहुंचा कि उसको तारीख मुकर्रर पर हाजर होने के लिये काफी मुद्दत नहीं रही थी तो अदालत को अख्तियार है कि समाअत मुकदमः को किसी आइन्दः तारीख पर मुल्तवी करदे . . . . . . . . |
| دفعہ ۷۵ - اگر مدعا علیہ حاضر ہو اور مدعی حاضر نہ ہو تو عدالت مقدمہ کو خارج کردے مگر جو مدعی علیہ مدعی کے دعوی یا جزو دعوی کو قبول کرلے تو عدالت کو اُس کے اوپر ڈگری کرنے کا اختیار ہے اور بصورت اقبال جزو دعوی کے اُسیقدر کی ڈگری کرنا چاہیئے اور باقی دعوے بوجہ غیر حاضری مدعی کے خارج کردیا جاوے | दफा ७५ अगर मुद्दाअले हाजिर हो और मुद्दई हाजिर न हो तो अदालत मुकदमः को खारज करदे मगर जो मुद्दाअले मुद्दई के दावे या दावे के किसी हिस्से को कबूल कर लेतो अदालत को उसके ऊपर डिगरी करने का इख्तियार है और बसूरत कबूल करने हिस्से दावे के उसी कदर की डिगरी करना चाहिए और बाकी दावा ब वजह गैर हाजिरी |

मुद्दई के खारज कर दिया जावे ......

दफ़ा ७६ अगर मुद्दई वास्ते मनसूखी हुक्म इखराज दावे के दरख्वास्त करके अपनी गैर हाज़री की काफी वजेः पेश करे तो अदालत बशर्ते मुनासिब हुक्म साबिक को मनसूख करके फिर एक तारीख वास्ते कारखाई मुकदमेः के मुकर्रर करे ......

दफ़ा ७७ अगर कई मुद्दई हों तो एक या दो के हाजिर हो जाने पर भी अदालत मुनासिब समझे तो पैरवी मुकदमेः को इजाजत दे सक्ती है ......

दफ़ा ७८ एक तरफा डिगरी हो जाने पर अगर मुद्दा अलै दरख्वास्त मनसूखी की पेश करके अपने हाजर न होने के काफी वजूहात से अदालत का इतमीनान कर दे तो

دفعہ ۷۶ اگر مدعی واسطے منسوخی حکم اخراج دعوے کے درخواست کرکے اپنی غیر حاضری کی کافی وجہہ پیش کردے تو عدالت بشرط مناسب حکم سابق کو منسوخ کرکے پھر ایک تاریخ واسطے کارروائی مقدمہ کے مقرر کرے۔

دفعہ ۷۷ اگر کئی مدعی ہوں تو ایک یا دو کے حاضر ہوجانے پر بھی عدالت مناسب سمجھے تو پیروی مقدمہ کی اجازت دے سکتی ہے۔

دفعہ ۷۸ یکطرفہ ڈگری ہوجانے پر اگر مدعی علیہ درخواست منسوخی کی پیش کرکے اپنے حاضر ہونے کی کافی وجوہات سے عدالت کا اطمینان کردے تو

| | |
|---|---|
| عدالت حسب منشاء دفعہ ۷۶ کے کارروائی کرے۔ | अदालत हस्ब मन्शाय दफे ७६ के कार रवाई करे ‥ ‥ |
| دفعہ ۷۹ - مقدمہ زر نقد یا قرضہ میں جو مدعا علیہ بھی مدعی پر کچھہ مانگتا ہو تو اوسکو چاہیئے کہ اوسکا حساب بروقت روبکاری اول کے داخل کردے اور اگر مدعی بھی اوسکو قبول کرلے تو جایز ہے کہ عدالت اوسقدر مطالبہ مدعا علیہ کا مدعی کے دعوے میں سے مجرا دلادے بشرطیکہ وہ میعاد سماعت سے باہر اور دوسری عدالت کے سماعت کا نہو اور اگر مدعی علیہ بعد روبکاری اول کے ایسا حساب اپنے مطالبہ کا داخل کرنا چاہے یا مدعی اوسکو قبول نکرے یا مدعی کی کوئی دستاویز | दफा ७९ मुकद्दमे नकद रुपैया करजे में अगर मुद्दाअले भी मुद्दई के ऊपर कुछ मांगता हो तो उस्को चाहिये कि उस्का हिसाब बर वक्त रूबकारी अव्वल के दाखिल कर दे और अगर मुद्दई भी उस्को कबूल कर लेतो जायज है कि अदालत उस कदर मतालबा मुद्दायले का मुद्दई के दावे में से मुजरा दिला दे बशर्तेकि वह मयाद समाअत से बाहर और दूसरी अदालत के समाअत का न हो और अगर मुद्दाअले बाद रोबकारी अव्वल के ऐसा हिसाब अपने मतालबे का दाखल करना चाहे या मुद्दई उस्को कबूल न करे या मुद्दई की कोई दस्तावेज |

مدعا علیہ کے پاس نہو تو اوسکو علیحدہ نالش کرنے کی ہدایت کرنا چاہیئے ۔

# ساتواں باب

## قاعدہ اظہار لینے فریقین کا

**دفعہ ۸۰**۔ جب تاریخ مقررہ سمن کے اوپر یا جس تاریخ کو کہ کسی خاص وجہ سے اول پیشی مقدمہ کے لیئے مقرر کی گئی ہو مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوں اور اونکے روبرو مقدمہ پیش ہو تو یہ اول پیشی مقدمہ کی یا اول روبکاری مقدمہ کی ہے اوسوقت عدالت مدعی علیہ یا اوسکے وکیل کو مدعی کا عرضی دعوی یا اظہار اگر لکھا گیا ہو سنا کر سوال

मुद्दा अले के पास नहो तो उस को अलाहिदे नालिश करने की हिदायत करना चाहिये ॥

# सातवाँ बाब

## कायदा इज़हार लेने फ़रीकैन का ॥

**दफ़ा ८०** जब तारीख़ मुक़र्रे समन के ऊपर या जिस तारीख़ को किसी ख़ास वजह से अव्वल पेशी मुक़दमे: के लिए मुकर्रर की गई हो मुद्दई और मुद्दा अले हाज़िर हों और उनके रूबरू मुक़दम: पेश होतो यह अव्वल पेशी मुकदमे की या अव्वल रोबकारी मुकदमे: की है उस वक़्त अदालत मुद्दआ अले या उस के वकील को मुद्दई का अरज़ी दावा या इज़हार अगर

| اردو | देवनागरी |
|---|---|
| کرے کہ تمہارا کیا جواب ہے اور وہ جو کچھ جواب اقراری یا انکاری دے اُس کو لکھ لے ۔ | लिखागया हो सुना कर सवाल करे कि तुम्हारा क्याजवाव है और वह जो कुछ जवाब इक रारी या इन कारी देवे उस्को लिख लेवे · · · · · · · · |
| دفعہ ۸۱ ۔ عدالت کو فریقین یا اُن کے وکیلوں کے اظہار لینے کا مقدمہ کی ہر ایک پیشی اور ہر ایک دفعہ سماعت کے اوپر اختیار ہے | दफ़ा ८१ अदालतको फरीकेन या उनके वकीलों के इज़हार लेने का मुकदमें की हर एक पेशी और हर एक दफे समाअत के ऊपर इख़्तियार है |
| دفعہ ۸۲ ۔ اگر حاکم عدالت خود اظہار لکھے تو بہتر ہے نہیں تو اظہار نویس اُس کے روبرو لکھے کوئی اظہار غیر حاضری اور غیر موجودگی حاکم میں نہیں ہونا چاہیئے ۔ | दफ़ा ८२ अगर हाकम अ दालत खुद इज़हार लिखेतो बेहतर है नहीतो इज़हार नवी स उस के रूबरु लिखे को ई इज़हार गैर हाज़री और गै र मौजूदगी हाकम में नहीं होना चाहिए · · · · · · · · |
| دفعہ ۸۳ ۔ اگر فریقین میں سے کوئی نابالغ ہو اور اس سبب سے کوئی واقف کار آدمی اُن کے رشتہ داروں | दफ़ा ८३ अगर फरीकेन में से कोई ना बालिग हो और इ स सबब से कोई वाकिफ का र आदमी उनके रिश्तेदारों – |

یا کارندوں میں سے اُن کے ساتھ حاضر عدالت ہو تو عدالت بشرط مناسب سمجھنے کے اُس شخص کا اظہار لے سکتی ہے -

दफ़ा ८४ - روبکاری کے وقت اگر مدعی مدعی علیہ سے یا مدعا علیہ مدعی سے کوئی سوال کرنا چاہیے اور وہ سوال متعلق مقدمہ کے ہو اور اُس سے کچھ اصلیت مقدمہ کی منکشف ہوتی ہو تو جایز ہے کہ جس کا وہ سوال ہو عدالت اُس کے نام سے لکھ کر طرف ثانی کا جواب قلمبند کرے -

# باب آٹھواں

## بابت پیشی دستاویزوں کے

دفعہ ۸۵ - دوران مقدمہ میں عدالت کو ہر وقت

---

या कारंदों में से उनके साथ हाज़िर अदालत होवे तो अदालत बशर्त मुनासिब समझने के उस सख़्स का इज़हार ले सकती है ..

दफ़ा ८४ रोबकारी के वक़्त अगर मुद्दई मुद्दा अलेसे या मुद्दा अले मुद्दई से कोई सवाल करना चाहे और वह सवाल मुतअल्लुक़ मुक़दमे के हो और उससे कुछ असलियत मुक़दमे की खुलती हो तो जायज़ है कि जिस का वह सवाल हो अदालत उसके नाम से लिखकर तरफ़ सानी का जवाब क़लमबन्द करे ....

# आठवाँ बाब

## बाबत दरपेशी दस्तावेज़ों के।।

दफ़ा ८५ दौरान मुक़दमे में अदालत को हर वक़्त [illegible]

اختیار ہے کہ فریقین کو واسطے درپیشی
دستاویزون کے حکم دے اور
اگر کوئی اُن میں سے کسی
دستاویز کے پیش کرنے مین
عذر کرے تو اوسکے وجوہات اوسکے
حلفی اظہار میں قلمبند کرے -

دفعہ ۸۶ - فریقین میں
سے اگر ایک دوسرے کے پاس
کی دستاویز کو جو متعلق اوس مقدمہ
کے ہو بذریعہ عدالت دیکھنا چاہے
تو فریق مذکور اوسکو یا
اوسکے وکیل کو وہ دستاویز
دیکھنے دے یا اوس کی
نقل لینے دے -

دفعہ ۸۷ - اگر کوئی
دستاویز کسی فریق کے
قبضہ اختیار میں نہو تو اوسکی
بابت اپنے بیان میں کافی
وجوہات اوسکی لکھا دے اور
باقی دستاویزات فوراً یا ایک

यार है कि फरीकैन को वास्ते
दर पेशी दस्तावेज़ों के हुक्म दे
और अगर कोई उनमें से कि
सी दस्तावेज के पेश करने में
उज़र करे तो उस्के वजूहात उ
स्के हल्फ़ी इज़हार में लिखे

दफा ८६ फरीकैन में से अग
र एक दूसरे के पास की दस्ता
वेज को जो मुतअल्लुक उस मु
कद्दमे के हो बजरिये अदालत
देखना चाहे या उस्की नकल
लेना चाहे तो फरीक मज़्कूर उ
स्को या उस्के वकील को वह
दस्तावेज देखने या उस्की नक
ल लेने दे .. .. .. .. .. .

दफा ८७ अगर कोई दस्ता वे
ज किसी फरीक के कब्जे
इख्तियार में न हो तो उसके बा
बत अपने बयान में काफी व
जूहात उस्के लिखवा दे और
बाकी दस्तावेज फौरन या एक

مناسب مدت میں جو عدالت سے
مقرر کیجاوے پیش کر دے -

دفعہ ۸۸ - اگر کوئی
دستاویز جسکا ذکر عرضی دعویٰ
یا اظہار میں کیا گیا ہو اور عدالت
میں باوجود طلبی کے پیش نہ
کیجاوے یا اُس کی نسبت اِنکار
کیا جاوے تو اوس حکم
عدولی میں جایز ہے کہ مدعی
ہو تو اُس کا دعوے بعدم
پیروی میں ڈسمس کیا جاوے
اور مدعی علیہ ہو تو اوسکے
اوپر بشرط ثبوت ڈگری
کردیجاوے ورنہ اُسکا جواب
دعوے خارج کیا
جاوے -

دفعہ ۸۹ - اگر فریقین
میں سے کوئی بطور نظیر یا اور
کسی قسم کے ثبوت کے جو
اُس کی پیروی یا جواب دہی
کے حق میں مفید ہو کسی

मुनासिब मुद्दत में जो अदालत से
मुकर्रर की जावे पेश कर दे .. .. ..

दफ़ा ८८ अगर कोई दस्तावेज़
जिस्का जिकर अर्जी दावे या इ
ज़हार में किया गया हो और
अदालत में बावजूद तल्बी के
पेश न की जावे या उसकी निस
बत इन्कार किया जावे तो इ
स हुक्म अदूली में जायज़ है
कि मुद्दई होतो उस्का दावा
अदम पैरवी में डिसमिस
किया जावे और मुद्दाअला
होतो उस्के ऊपर बशर्ते सबूत
डिगरी कर दी जावे वरने उस
का जवाब दावा खारिज कि-
या जावे .. .. .. .. ..

दफ़ा ८९ अगर फरीकैन में
से कोई बतौर नज़ीर या और
किसी किसम के सबूत के कि
जो उस्की पैरवी या जवाब देही
के हक़ में मुफीद हो किसी

| | |
|---|---|
| دوسری مثل کا حوالہ دیکر حاکم سے درخواست اُس کے لاحظہ کی کرے تو بشرطہ مناسب حاکم کو واجب ہوگا کہ مثل مذکور کو اپنے یا کسی دوسری عدالت کے دفتر میں سے طلب کرکے لاحظہ کرے ۔ | दूसरीमिसलकाहवालादे कर हाकमसे दरख्वास्त उसके मुलाहिज़े की करेतो बशर्ते मुनासिब हाकम को वाजिबहोगा कि मिसल मज़्कूरको अपने या किसी दूसरी अदालत के दफ़्तर में से तलब करके मुलाहिज़ा करे . . . . . . . |
| دفعہ ۹۰ - اگر کوئی دستاویز اول پیشی میں یا بروقت طلب حاکم کے پیش نہ کیگئی ہو اور پیشی مابعد میں پیش کیجاوے تو لے لیجاوے ۔ | दफ़ा ९० अगरकोई दस्तावेज अव्वल पेशीमें याबर वक्त तलब हाकम के पेशनकी गईहो और बाद की पेशी में पेश की जावेतो लेली जावे . . . |
| دفعہ ۹۱ - اگر حاکم مناسب سمجھے تو کسی دستاویز یا بہی کھاتہ کو عدالت میں یا عدالت کے کسی عہدہ دار کی حراست میں جبتک کہ مناسب سمجھے رکھے ۔ | दफ़ा ९१ अगर हाकम मुनासिब समझे तो किसी दस्तावेज या बही खाते को अदालत की या किसी ओहदेदारों की हिरासत में जबतक कि मुनासिब समझे रक्खे . . . |
| دفعہ ۹۲ - کوئی دستاویز جب تک کہ اپیل سے حکم اخیر | दफ़ा ९२ कोई दस्तावेज जबतक कि अपीलसे हुक्म ? |

نہو جاوے داخل کرنے والے کو واپس نہیں ملیگی اور جن مقدموں میں کہ اپیل نہیں ہونے کا قاعدہ ہے اُن کے فیصل ہونے تک داخل کرنے والا شامل مثل دستاویزوں کے واپس پانے کا مستحق نہو گا -

دفعہ ۹۳ - اگر کوئی دستاویز از روئے ڈگری کے رد یا بیکار ہو جاوے تو وہ واپس نہ کی جائیگی -

# باب نواں

## امور تنقیح طلب مقرر کرنیکا قاعدہ

دفعہ ۹۴ - جب کوئی جھگڑا مقدمہ میں ایسا آپڑے کہ اُس کے طے کئے بغیر مقدمہ کا فیصل کرنا ممکن نہو

आखीर न होजावे दाखिल कर ने वाले को वापिस न हो मिलेगी और जिन मुकदमों में कि अपी ल नहीं होने का कायदा है उन के फेसल होने तक दाखिल करने वाला शामिल मिसल द स्तावेजों के वापिस पाने का मु स्तहक न होगा · · · · · · ·

दफ़ा ९३ अगर कोई दस्तावे ज अज़रूय डिगरी के रद्द या बेकार होजावे तो वह वापि स न की जायगी · · · · · · ·

# नवाँ बाब

## अमूर तनकीयह तलब मुकरर करने का कायदा ॥

दफ़ा ९४ जब कोई झगड़ा मुकदमें में ऐसा आपड़े कि उ स्के तै किये बग़ैर मुकदमे का फैसल करना मुमकिन न हो तो

تو اسوقت امور تنقیح طلب پیدا ہوتے ہیں -

**تمثیل** - مقدموں میں امر تنقیح طلب کی مثال یہ ہے جیسے مدعی دعوے کرے کہ مدعی علیہ کو میں نے اپنے مکان میں کرایہ دار رکھا تھا اب نہ تو کرایہ دیتا ہے اور نہ مکان خالی کرتا ہے اور مدعی علیہ کہے کہ یہ مکان مدعی کے باپ نے میرے پاس گرو رکھا تھا میں بہاڑے پر نہیں رہتا ہوں سو اس میں امر تنقیح طلب یہ ہوا کہ وہ مکان مدعی علیہ کے پاس کرایہ ہے یا گرو ہے -

**دفعہ ۹۵** - مقدمون میں اکثر جھگڑا دو باتوں سے پڑتا ہے ایک تو یہ کہ مدعی اپنے دعوے کے متعلق کچھ کہے اور مدعی علیہ

उस वक्त अमूर तनक़ीह तलब पैदा होते हैं .. .. .. ..

**मिसाल** मुक़द्दमों में अमर तनक़ीह तलब की मिसाल यह है जैसे मुद्दई दावा करे के मुद्दाअलै को मैंने अपने मकान में भाड़े पर रक्खा था अब न तो भाड़ा देता है और न मकान खाली करता है और मुद्दाअलै कहै कि यह मकान मुद्दई के बापने मेरे पास गिरवी रक्खा था मैं भाड़े पर नहीं रहता हूं सो इस्में अमर तनक़ीह तलब यह हुवा के वह मकान मुद्दाअलै के पास भाड़े है या गिरवी है .. .. .. ..

**दफ़ा ९५** झगड़ा अकसर दो बातों से पड़ता है एक तो यह कि मुद्दई अपने दावे के मुतअल्लुक कुछ कहै और मुद्दाअले उससे इन्कार करे या मामला

उसके खिलाफ़ हो और दूसरे
यह कि किसी सरिश्ते की व
हस आपड़े कि एक कहता है
यों है और दूसरा कहे यों नहीं
है गरज जिस बात में झगड़ा
हो अदालत उसी को अमर त
न कीह तलब करार देकर मु
नासिब कार रवाई रफे उस
झगड़े के दूर करने की करे

दफ़ा ९६ वास्ते क़रार देने
या नैः करने आमूर तनकीह
तलबके अगर अदालत की
राय में किसी शख़्स के इज़
हार लेने या किसी दस्तावेज़ दे
खने की जरूरत हो तो वह का
र रवाई करे मगर ऐसी कार
रवाई के लिये भी तारीख आ
यन्दे पेशी मुकद्दमें की मुक
र्रर होती रहे

दफ़ा ९७ अगर दस्तावेजों
से ऐसा झगड़ा पड़गया हो तो

اوس سے انکار کرے یا
معاملہ برعکس اسکے ہو اور
دوسرے یہ کہ کسی سررشتہ
کی بحث آپڑے کہ ایک
کہتا ہو یوں ہے اور دوسرا
کہے یوں نہیں ہے غرض جس
بات میں جھگڑا ہو عدالت
اوسکو امر تنقیح طلب قرار دیکر
مناسب کارروائی رفع نزاع کی کرے

دفعہ ۹۶ - واسطے
قرار دینے یا طے کرنے امور
تنقیح طلب کے اگر عدالت
کی رائے میں کسی شخص کے
اظہار لینے یا کسی دستاویز کے
دیکھنے کی ضرورت ہو تو وہ
کارروائی کرے مگر ایسی
کارروائی کے لئے بھی تاریخ
آیندہ پیشی مقدمہ کی
مقرر ہوتی رہے -

دفعہ ۹۷ - اگر دستاویزوں
سے ایسا جھگڑا پڑگیا ہو

تو اُن دستاویزوں کی تحقیقات کے بابت امور تنقیح طلب قرار دیئے جاویں

دفعہ ۹۸ — اگر فریقین کسی امر تنقیح طلب کے لیے آپس میں اتفاق کر کے درخواست تحقیقات کی کریں تو اُن سے اقرارنامہ اِس شرط کا لکھا لیا جاوے کہ جو نتیجہ تحقیقات کا ہوگا اُس کو بلا عذر قبول کر کے مطابق اُس کے عمل میں لاوینگے۔ اقرارنامہ میں مختصر ذکر مقدمہ اور خلاصہ امور تنقیح طلب بھی درج ہونا چاہیئے

دفعہ ۹۹ — جب اُس اقرارنامہ کے موافق تحقیقات کرنے سے عدالت کا اطمینان ہو جاوے کہ نفس الامر اور اصلیت مقدمہ کا بخوبی

उन दस्तावेज़ों की तहक़ीक़ात की बाबत अमूर तनक़ीह तलब क़रार दिये जावें....

दफ़ा ९८ अगर फ़रीक़ैन किसी अमर तनक़ीह तलब के लिए आपस में इत्तिफ़ाक़ कर के दरख़्वास्त तहक़ीक़ात की करें तो उनसे इक़रारनामा इस शर्त का लिखवा लिया जावे कि जो नतीजा तहक़ीक़ात का होगा उसको बिला उज़र क़बूल कर के मुताबिक़ उसके अमल में लावेंगे इक़रारनामे में मुख़्तसिर ज़िक्र मुक़दमा और ख़ुलासे अमूर तनक़ीह तलब भी दर्ज होना चाहिये

दफ़ा ९९ जब उस इक़रारनामे के मुआफ़िक़ तहक़ीक़ात करने से अदालत का इतमीनान न होजावे कि असलियत मुक़दमे की बख़ूबी खुल गई

انکشاف ہوکر رفع نزاع ہوگیا تو چاہیے کہ حسب شرائط اقرارنامہ مقبولہ فریقین کے حکم اخیر صادر کرے۔

और झगड़ा ते होगया तो जायज है कि हस्ब सराते इक़रार नामे मकबूले फरीकेन के हुक्म अखीर सादर करे

## باب دسواں

### ذکر فیصلہ مقدمات

دفعہ ۱۰۰ — اگر مقدمہ کی اوّل روبکاری میں کوئی جھگڑا بابت کسی جزو مقدمہ یا سرشتہ کے فیمابین مدعی اور مدعا علیہ کے ظاہر ہو تو عدالت کو چاہیے کہ اسی وقت مناسب فیصلہ کردے۔

دفعہ ۱۰۱ — اگر مقدمہ کسی فریق کے ثبوت پیش ہونے کے لئے ملتوی کیا گیا ہو اور میعاد مقررہ پر اپنا ثبوت پیش نکرے تو ایکدفعہ پھر میعاد مقرر کرکے

## दसवाँ बाब

### ज़िक्र फैसले मुक़द्दमात

दफ़ा १०० अगर मुकदमे की अव्वल रोबकारी में कोई झगड़ा बाबत किसी हिस्से मुकदमे या सिरश्ते के दरमियान मुद्दई मुद्दाअले के जाहिर होतो अदालत को चाहिये के उसीवक्त फेसला मुनासिब करदे . . . . . . . . . .

दफ़ा १०१ अगर मुकद्दमा किसी फरीक के सबूत पेश होने के लिए मुल्तवी किया गया हो और वह मेयाद मुकर्रर पर अपना सबूत पेश न करे तो एक दफा फिर मेयाद

اطلاع دیجاوے اور پھر بھی تعمیل نہو تو عدالت کو اختیار ہے کہ فوراً فیصلہ کردوے ۔

دفعہ ۱۰۲ - جب امور تنقیح طلب کا نتیجہ حسب اطمینان عدالت کے پیدا ہوجاوے تو پھر فیصلہ کرنیمیں دیر کرنا جایز نہیں ہے

## باب گیارہواں

### مقدمہ کے ملتوی کرنے کا ذکر

دفعہ ۱۰۳ - دوران مقدمہ میں اگر کوئی ضرورت یا وجہ قوی ملتوی کرنے مقدمہ کی پیش کی جاوے تو واجب ہے کہ عدالت فریقین یا کسی فریق مقدمہ کو مناسب مہلت دیکر مقدمہ کی سماعت ملتوی کرتی رہے

मुकर्रर करके इत्तिला दीजावे और फिरभी तामील नहो तो अदालत को इख्तियार है कि फौरन फैसला कर देवे

दफा १०२ जब आमूर तन्कीह तलब का नतीजा हस्ब इत्मीनान अदालत के पैदा हो जावे तो फिर फैसला करने में देर करना जायज नहीं है

## ग्यारवाँ बाब

### मुकद्दमेके मुल्तबी करनेका जिक्र ॥

दफा १०३ दौरान मुकद्दमेमें अगर कोई जरूरत या कवी वजह मुल्तबी करने मुकद्दमे की पेश की जावे तो वाजिब है कि अदालत फरीकैन या किसी फरीक को मुनासिब मोहलत देकर मुकद्दमे की समाअत मुल्तबी करती रहे

دفعہ ۱۰۴- اگر گواہ حاضر ہوگئے ہوں اور اُن کی شہادت شروع ہوگئی ہو تو جبتک کل گواہوں کے اظہار نہو چکیں مقدمہ کا ملتوی کرنا جائز نہیں ہے -

دفعہ ۱۰۵- فریقین میں سے اگر کسی نے واسطے پیش کرنے وجہ ثبوت یا گواہ کے مہلت لی ہو اور اُس مہلت میں وہ پیروی مقدمہ کی جاری نہ رکھے اور وجہ ثبوت و گواہ پیش نکرے تو بعد اختتام مہلت مذکورہ کے پھر مقدمہ کو ملتوی رکھنا ضرور نہیں ہے مگر جو کسی مجبوری سے گواہ نہ پیش کرسکتا ہو تو پھر ایک مہلت معین کا دیا جانا مضایقہ نہیں ہے -

दफ़ा १०४ अगर गवाह हाज़िर होगये हों और उनकी शहादत शुरू होगई होतो जब तक कुल गवाहों के इज़हार न होचुकें मुकदमें का मुल्तवी करना जायज नहीं है ...

दफ़ा १०५ फरीकैन में से अगर किसी ने वास्ते पेश करने वजे सबूत या गवाह के मुहलत लीहो और उस मुहलत में वह मुकदमें की पैरवी जारी न रक्खे और वजह सबूत व गवाह पेश न करे तो बाद खतम होने मुहलत मज़्कूरा के फिर मुकदमः मुल्तवी रखना ज़रूर नहीं है मगर जो किसी मजबूरी से पेश नकर सका होतो फिर एक मुकर्ररा मुहलत का दिया जाना मुजाइकः नहीं है फक्त ॥

# باب بارھوان

## گواہوں کی طلبی اور حاضری کا ذکر

دفعہ ۱۰۶ - فریقین کو اختیار ہے کہ قبل از فیصلہ بروقت قرار دیئے جانے امور تنقیح طلب کے یا اُس سے آگے پیچھے اپنے گواہوں کے نام سمن جاری کرادیں -

دفعہ ۱۰۷ گواہوں کا مناسب خرچہ بروقت اجراے سمن کے جس کے گواہ ہوں اُس سے لے لیا جاوے یا بعد حاضری کے دلادیا جاوے جو شریف کے لئے چار آنہ یومیہ سے اور نیچی قوم والے کے لئے دو آنہ سے کم نہ ہوگا -

دفعہ ۱۰۸ - گواہوں کے نام جو سمن جاری ہووے

# बारवाँ बाब

## गवाहों की तलबी और हाजरी का ज़िक्र

दफ़ा १०६ फरीकैन को अख्तियार है कि फैसले से पहिले बर वक्त करार दिये जाने अमूरतनकीह तलब के या उससे आगे पीछे अपने गवाहों के नाम समन जारी करावें

दफ़ा १०७ गवाहों का मुनासिब खर्चा बरवक्त इजराय समन के जिसके गवाह हों उससे लेलिया जावे या बाद हाजरी के दिला दिया जावे जो ऊंची ज़ात वाले के लीये ।) चार आने रोज से कम और नीची ज़ात वाले के लीये =) दो आने से कम न होगा . . . . . .

दफ़ा १०८ गवाहों के नाम जो समन जारी होवे उसमें भी

اُس میں بھی مقدمہ کا عنوان اور تاریخ اور وقت حاضری کا درج کیا جاوے ۔

دفعہ ۱۰۹ - گواہوں کا سمن قلمرو مارواڑ میں تو مثل سمن مدعی یا مدعی علیہ کے جاری کیا جاوے اور غیر علاقہ میں معرفت سر رشتہ اضلاع غیر کے بھیجا جاوے اور اُس کا جو خرچہ ہو وہ سمن جاری کرانے والے فریق سے لے لیا جاوے اور اگر خرچہ گواہ کا سمن کے ساتھ بھیجنا ضرور ہو تو وہ بھی اُس سے لیکر بھیجدیا جاوے ۔

دفعہ ۱۱۰ - اگر کوئی دستاویز متعلق مقدمہ کسی دوسرے شخص کے پاس ہو اور فریقین میں کوئی اُس کی نشاندہی کرے تو اُس کے نام بھی سمن بطور گواہ کے

मुकदमे का ग्मनवान और तारीख और वक्त हाज़री का दरज किया जावे · · · · · · · ·

दफ़ा १०९ गवाहों का समन । राज मारवाड़ में तो मिसल · समन मुद्दई या मुद्दाअलेके जारी कीया जावे और ग़ैर इलाके में · मारफत सिर रश्ते इज़लाय गैर के भेजा जावे और उस का जो खरचा हो वह समन जारी करने वाले फरीक से ले लीया जावे और अगर खरचा, गवाह का समन के साथ भेजना जरूर होतो वह भी उस से लेकर भेज दीया जावे · · · · ·

दफ़ा ११० अगर कोई दस्तावेज़ किसी मुक़दमें की · किसी दूसरे शख्स के पास हो और फ़रीकेन में से कोई उसकी निशां देही करे तो उस के नाम भी समन बतौर गवाह के जारी

| جاری کیا جاوے۔ | किया जावे .. .. .. .. .. |
|---|---|
| **دفعہ ۱۱۱** ۔ اگر کوئی گواہ یا دستاویز اپنے پاس رکھنے والا شخص بعد اجرائے سمن کے بہاگ جاوے یا چھپ جاوے تو اوسکے واسطے ایک اشتہار جاری کیا جاوے جس کا مضمون یہ ہو کہ وہ تاریخ مقررہ مندرجہ اشتہار کے اوپر حاضر ہوکر اداے شہادت کرے یا دستاویز مطلوبہ پیش کرے ورنہ تدارک مناسب کیا جاوے گا۔ | **दफ़ा ११**१ अगर कोई गवाह या दस्तावेज अपने पास रख ने वाला शख्स' बाद इजराय समन के भाग जावे या छुप जावे तो उस्के वास्ते इस मज़ मून का इश्तहार जारी कीया जावे कि वह तारीख मुकर्रे मुन्दरजे इश्तिहार पर हाजर होकर अदाय शहादत करे' या दस्तावेज मतलूबा को पेश करे नहीं तो तदारुक' मु नासब कीया जावेगा .. .. |
| **دفعہ ۱۱۲** ۔ اگر شخص مذکورہ بالا باوجود اجرائے اشتہار کے بہی حاضر نہ ہو اور نہ عدالت مناسب سمجھے تو اوسکی جائداد یا جائداد کا کوئی جزو کافی فیصلہ مقدمہ مذکور تک قرق کرے یا اٹکا دے۔ | **दफ़ा ११२** अगर शख्स मज्कूर' बावजूद इजराय इश्तिहार के भी हाजर नहो' और अदाल त' अगर मुनासिब समझे तो उस्की जायदाद या जायदाद का कोई काफ़ी हिस्सा मुकद्दमे मज्कूर के फैसले होने तक' कु रक करले' या अटका दे .. |

دفعہ ۱۱۳ - اگر شخص مذکور بعد قرقی جائیداد کے حاضر عدالت ہوکر اسبات کا اطمینان نہ کرسکے کہ وہ گواہی نہیں دیتے اور عدالت کی عدول حکمی کرنے کی نیت سے روپوش اور فرار نہیں ہوا تھا اور اشتہار جاری ہونے کی اطلاع اوسکو تاریخ حاضری تک نہیں ہوئی تھی تو عدالت اوسکی حیثیت اور جملہ حالات مقدمہ کے اوپر لحاظ کرکے کسیقدر جرمانہ اوسکے اوپر کرے جسکی تعداد پچاس روپے سے زیادہ نہوا اور اگر خرچہ لیکر روپوش ہوگیا تھا تو خرچہ کی واپسی کا بہی حکم دے اور بعد وصول ہوجانے جرمانہ اور خرچہ مذکور کے اوسکی جائداد سے قرقی اوٹھائے نہیں تو وہ

दफा ११३ अगर शख्स मज्कूर बाद कुरकी जायदाद के हाज़र अदालत होकर इसबात का इतमीनान न कर सके कि वह गवाही देने और अदालत की उदूल हुकमी करने की नीयत से रूपोश और फरार नहीं हुआ था और इश्तहार जारी होने की इत्तला उसको तारीख हाज़िरी तक नहीं हुई थी तो अदालत उसकी हैसियत और जुमले हालात मुकदमे के ऊपर लिहाज़ करके किसी कदर जुरमाना उसके ऊपर करे जिसकी तादाद (५०) पचास रुपये से ज्यादा न हो और अगर खरचा लेकर रूपोश होगया था तो खरचे की वापसी का भी हुकम दे और बाद वसूल होजाने जुरमाने और खरचे मजकूर के

رقم اُس جائداد سے
وصول کی جاوے -

دفعہ ۱۱۴ - ہر ایک
گواہ اور دستاویز مطلوبہ
کو پاس رکھنے والے کا فرض
ہے کہ تاریخ اور وقت مقررہ
سمن کے اوپر حاضر ہوکر
ادائے شہادت کرے اور
وہ دستاویز گزرانے -

دفعہ ۱۱۵ - کوئی شخص
جس کی حاضری کا حکم دیا گیا
ہے عدالت سے بغیر اظہار
لکھانے یا اجازت حاصل
کرنے کے جانے نہیں پائیگا -

دفعہ ۱۱۶ - اگر کوئی
گواہ بلا وجہ سمن کی تعمیل
نکرے یا عدالت سے اظہار
دیئے بغیر یا بلا اجازت کے
چلا جاوے تو عدالت
اُس کے اوپر طلب جاری

उसकी जायदाद से कुरकी · उ
ले नहीं तो वह रकम उस जाय
दाद से वसूल की जावे · ·

दफ़ा ११४ हर एक गवाह
और दस्तावेज़ मतलूबा के
पास रखने वाले को फ़र्ज़ है
तारीख और वक्त मुकर्र रे
मन के ऊपर हाज़िर होकर
वाही देवे और वह दस्तावेज़
गुज़राने · · · · · · ·

दफ़ा ११५ कोई शख़स जिस
की हाज़री का हुकम दिया गया
था है अदालत से बग़ैर इज़हार
लिखाने या इजाज़त हासल क
र नेके जाने नहीं पायगा · · ·

दफ़ा ११६ अगर कोई गवाह
बे सबब समन की तामील
न करे या अदालत से इज़हा
र दिये बग़ैर या बिना इजाज़
न के चला जावे तो अदालत
उसके ऊपर तलब जारी करे

کرے اور اگر طلب نہیں مانے تو حکم دے کہ وہ گرفتار ہوکر حاضر عدالت کیاجاوے اور عدالت اس حکم عدولی کی سزا مین اُس کے اوپر جرمانہ کرے جو گیارہ روپے سے زیادہ نہو

और अगर तलब नही माने तो हुकम दे कि वह गिरफतार हो कर हाजर अदालत कीया जावे और अदालत इस हुकम अदूली की सजा में उसके ऊपर जुरमाना करे जो ११) ग्यारा रुपये से जादा नहो . . . . .

## باب تیرہواں

## नेरवाँ बाब

### مقدمہ کی درپیشی اور گواہوں کے اظہار

### मुकदमें की दरपेशी और गवाहों के इजहार ॥

دفعہ ۱۱۷ - جب اسطور پر مقدمہ پھر بروقت حاضری گواہوں کے مدعی مدعا علیہ کے روبرو پیش ہو تو عدالت مدعی اور مدعی علیہ کا بیان سُنکر امور تنقیح طلب میں گواہوں کے اظہار لے -

दफ़ा ११७ जब इस तौर पर फिर मुकदमा वरवक्त हाजरी गवाहों के मुद्दई मुद्दाअलै के रोबरू पेश होतो अदालत मुद्दई और मुद्दाअलेका बयान सुनकर असूर तनकीह तलब में गवाहों का इजहार लेवे . . . . . . . .

دفعہ ۱۱۸ — گواہوں کے اظہار حاکم کے ہاتھ سے

दफ़ा ११८ गवाहों के इजहार हाकम के हाथसे या उसके

یا اوسکے روبرو لئے جاوینگے اور بعد اختتام گواہ کو سنانا پڑینگے اور اوس کے دستخط کرواکر حاکم کو اپنے دستخط کرنے ہونگے -

दफ़ा ११९ - اگر فریقین میں سے کوئی کسی گواہ کے بیان پر اعتراض کرے یا اوس سے کچھ سوال کیا چاہے تو جایز ہے کہ حاکم اُسکو شخص مذکور کے نام سے لکھکر گواہ سے اوسکا جواب لے -

دفعہ ۱۲۰ - عدالت اگر مناسب سمجھے تو گواہوں کے اظہار الگ الگ فریقین کے روبرو لے -

دفعہ ۱۲۱ - گواہوں سے قسم کے ساتھہ بھی اظہار لینا جایز ہے اور اگر یہہ قسم کسی فریق کی درخواست پر

रोबरू लिये जावेंगे और बाद ख़तम होनेके गवाहों को सुनाने पड़ेंगे और उसके दस्तख़त कराकर हाकम को अपने दसख़त करने होंगे .. .. ..

दफ़ा ११९ अगर फ़रीकन में से कोई किसी गवाह के बयान पर एतराज़ करे या उससे कुछ सवाल किया चाहे तो जायज़ है कि हाकम उस्को शख़्स मज़कूर के नामसे लिख कर गवाह से उस्का जवाब ले .. .. .. ..

दफ़ा १२० अदालत अगर मुनासिब समझे तो गवाहों के इज़हार अलग अलग फ़रीकेन के रूबरू लेवे .. .. ..

दफ़ा १२१ गवाहोंसे कसम के साथ भी इज़हार लेना जायज़ है और अगर ये कसम किसी फ़रीक की दरख़्वा-

لیجاوے تو اوسکو گواہ مذکور
سے سوالات کرنے کی بہی اجازت
دیجاوے -

دفعہ ۱۲۲ - عدالت کو
اختیار ہے کہ اظہار دیتے وقت
گواہ کی جو کیفیت نظر آوے
یا جو وضع اوسکی ہو اوسکی
یادداشت لکہنا چاہے تو
اظہار کے نیچے لکہدے -

## باب چودہواں

### فیصلہ اور ڈگری کے بارہ ہیں

دفعہ ۱۲۳ - جب مقدمہ
بعد شہادت اور سوال
جواب فریقین کے تیار ہوجاوے
تو حاکم عدالت کو لازم ہے
کہ اوسیوقت یا تاریخ آیندہ
پر جسکی اطلاع حسب ضابطہ
فریقین کو دیجاوے عام

ल पर ली जावे तो उसको गवाह
मज़कूर से सवालात करने की
भी इजाजत दीजावे ·· ·· ··

दफा १२२ अदालत को अख
तियार है कि इजहार देते वक्त ग
वाह की जो कैफियत नज़र आवे
या जो चेष्टा उसकी हो उसकी या
द दाश्त लिखना चाहे तो इज
हार के नीचे लिख देवे ·· ··

## चौदवाँ बाब

### फैसला और डिगरी के बारे में

दफा १२३ जब मुकदमा बाद
सहादत और सवाल जवाब
फरीकैन के तैयार होजावे तो
हाकम अदालत को लाजिम
है कि उसी वक्त या तारीख
आयन्दा पर जिसकी इत्तला
हस्ब जाब्ते फरीकैन को दी

| | |
|---|---|
| کچہری میں اپنا فیصلہ سنا دے - | जावे आम कचहरी में अपना फैसला सुना देवे . . . . . . . |
| **دفعہ ۱۲۴** - ہر ایک فیصلہ حاکم کو اپنے ہاتھ سے لکھنا یا اپنی زبان سے لکھانا ہوگا - | **दफा १२४** हर एक फैसला हाकम को अपने हाथ से लिखना या अपनी जबान से लिखाना होगा . . . . . . . |
| **دفعہ ۱۲۵** - اگر ایک حاکم فیصلہ لکھکر چلا جاوے اور دوسرا اُس کی جگہہ آجاوے تو اُس کو کوئی استحقاق اُس فیصلہ میں دست اندازی کرنے کا نہ ہوگا سوائے اسکے کہ فریقین کو اُس کی اطلاع دیدے - | **दफा १२५** अगर एक हाकम फैसला लिख कर चला जावे और दूसरा उस की जगह आजावे तो उस को कोई हक उस फैसले में दस्तअन्दाजी करने का न होगा सिवाय इस्के कि फरीकैन को उस्की इत्तला देदेवे . . . . . . . |
| **دفعہ ۱۲۶** - فیصلہ سُنانے کے بعد حاکم اُس پر دستخط کر دے اور پھر اُس میں کوئی تغیر و تبدیل سوائے صحت کسی غلطی کے نکرے - | **दफा १२६** फैसला सुनाने के बाद हाकम उस पर दसखत कर देवे और फिर उस में कोई उलट पुलट सिवाय सही करने किसी गलती के न करे . . . |
| **دفعہ ۱۲۷** - کوئی حاکم اپنے فیصلہ کی ترمیم کرنے یا | **दफा १२७** कोई हाकम अपने फैसले की तरमीम करने |

| اُس کو منسوخ کرنے کا مجاز نہیں ہے اِلّا بروقت نظر ثانی کے جو میعاد مقررہ کے اندر ہو ۔ | या उसको मनसूख करने का मजाज नहीं है मगर बरवक़्त नज़र सानी के जो मयाद मुकर्रे के अन्दर हो . . . . . . . |
|---|---|
| **دفعہ ۱۲۸** ۔ فیصلہ کے مطابق فریق فتحیاب کو ڈگری دی جاوے جس میں تعداد خرچہ کی بھی کہ کس حساب سے کِس کِس فریق کے ذمہ ہوگا مفصّل لکھی جاوے ۔ | **दफ़ा १२८** फैसलेके मुताबिक जो शख्स मुकदमा जीते उसको डिगरी दीजावे जिसमें तादाद खरचे की भी किस्के हिसाब से किस किस फरीक के जिम्मे होगा लिखी जावे . . . |
| **دفعہ ۱۲۹** ۔ اگر وہ ڈگری بابت جائداد کے ہو تو جائداد مذکور کی گج گت یعنے ماپ اور حدود اربعہ اور دوسری تفصیل درج ہونا چاہیئے ۔ | **दफ़ा १२९** अगर वह डिगरी बाबत जायदाद के होतो जायदाद मज़कूर की गज़गत याने माप और चारों तरफ़ की तीवसीव और दूसरी तफसील दरज होना चाहीये . . . . |
| **دفعہ ۱۳۰** ۔ اگر عدالت کے نزدیک کوئی وجہ ہو تو ڈگری میں واسطے بیبیل ادائے زر کے قسط بندی بھی معہ سود یا بلا سود ہوسکتی ہے | **दफ़ा १३०** अगर अदालत के नजदीक कोई वजह होतो डिगरी में वास्ते तो जीरुपये डिगरी के किस्तबन्दी भी मय सूद के या बिना सूदके हो सकती है |

दफ़ा १३१ अगर डिगरी बाबत ज़मीन या मकान के हो और वह बतौर नाजायज़ कि जिसका सबूत अदालत ने करली या हो किसी के कबज़े में हो जिसपर अदालत डिगरी देवे तो वाजिब है कि उससे जो आमदनी किराया या हासल वगैरा की हुई हो उस्की निसबत मये सूद दिलाने का हुकम कबज़े कीया नालिश की मिती से डिगरी दार के हक में जारी कीया जावे .. .. ..

दफ़ा १३२ जाय दाद से जो कुछ वसूल हुवा हो उस्की तादाद के बाबत अगर फरीकैन में भेड पड़जावे तो हाकम मुनासिब समझ कर तादाद मज़कूर को तै कर देवे या बमूजिब डिगरी के जाय दाद दिला कर वसूल के बाबत तह

دفعہ ۱۳۱۔ اگر ڈگری بابت زمین یا مکان کے ہو اور وہ بطور ناجایز کہ جس کا ثبوت عدالت نے کر لیا ہو کسی کے قبضہ میں ہو جسپر عدالت ڈگری صادر کرے تو واجب ہے کہ اوس سے جو آمدنی کرایہ یا حاصل وغیرہ کی ہوئی ہو اوس کی نسبت معہ سود دلانے کا حکم روز قبضہ یا تاریخ نالش سے ڈگری دار کے حق میں جاری کیا جاوے۔

دفعہ ۱۳۲۔ واصلات جائداد کی تعداد میں اگر فریقین کے درمیان تکرار ہو تو حاکم مناسب سمجھکر تعداد مذکورہ کو طے کر دے یا بموجب ڈگری کے جائداد دلاکر واصلات مذکورہ کی بابت تحقیقات کا حکم دے اور

| | |
|---|---|
| بروقت حکم آیندہ اوسکا تصفیہ کرے۔ | की कान का हुकुम देवे ओर बर वक्त हुकम आयन्दा उस का तसफीया करे .. .. .. |
| دفعہ ۱۳۳ - اگر نالش واسطے حساب فہمی یا انتظام قرار واقعی جائداد کے ہو تو ڈگری دینے سے پہلے واسطے لئے جانے حساب اور ہونے تحقیقات کے حکم دیا جاوے اور علاوہ اسکے اور جو مناسب معلوم ہو وہ بندوبست کیا جاوے | दफ़ा १३३ अगर नालिश वास्ते हिसाब समझने के या इन्तिज़ाम जाय दाद के होतो डिगरी देने से प्रहिले वास्ते लिये जाने हिसाब और होने तहकीकात के हुकम दिया जावे और अलावे इसके ओर जो मुनासिब मालूम होवे वह बन्दो बस्त किया जावे .. |
| دفعہ ۱۳۴ - جب مقدمہ واسطے شکست کرنے کسی شراکت کے ہو تو عدالت کو چاہیئے کہ ڈگری کرنے سے پہلے ایک تاریخ مقرر کرے کہ جس سے شراکت فسخ سمجھی جاوے اور واسطے حساب وغیرہ کے جو کارروائی مناسب معلوم ہو | दफ़ा १३४ जब मुकदमा वास्ते तोड़ने किसी शराकत यानी सीर के होवे तो अदालत को चाहिये कि डिगरी करने से पहले एक तारीख मुकरेर करे कि जिस्से शराकत मोकूफ समझी जावे और वास्ते लेने हिसाब वगरह के जो कार रवाई मुनासिब मा |

اُس کا حکم صادر کرے -

دفعہ ۱۳۵ - اگر عدالت نے کوئی مطالبہ مدعا علیہ کا مدعی کے دعوے میں مجرا دلانا منظور کیا ہو تو ڈگری میں اُس کو مجرا دلایا جاوے -

دفعہ ۱۳۶ - ڈگری کی نقل اگر کوئی فریقین میں سے مانگے تو خرچہ مقررہ لیکر دیجاوے

## باب پندرہوان
## بابت خرچہ عدالت

دفعہ ۱۳۷ - مدعی کا خرچہ بصورت ثبوت مقدمہ مدعا علیہ کے اوپر لگایا جاوے

دفعہ ۱۳۸ - جب مدعی کا دعوے عدم ثبوت میں خارج ہو تو مدعی علیہ کا خرچہ جو پڑا ہو وہ مدعی سے دلایا جاوے اور مدعی کا

लूम हो उसका हुकम देवे ....

दफा १३५ अगर अदालत ने कोई मतालबा मुद्दाअले का मुद्दई के दावे में मुजरा दिला ना मंजूर कीया होतो डिगरी में उस को मुजरा दिला या जावे ..........

दफा १३६ डिगरी की नकल अगर कोई फरीकेन में से मांगेतो खर्चा मुकर्रा लेकर दीजावे ...

## पन्दरवाँ बाब

बाबत खरचा अदालत ।।

दफा १३७ मुद्दई का खरचा ब सूरत सबूत मुकदमा मुद्दाअले के ऊपर लगाया जावे ....

दफा १३८ जब मुद्दई का दावा अदम सबूत में खारज हो तो मुद्दाअले का खरचा जो पड़ा हो वोह मुद्दई से दिलाया जावे और मुद्दई का खरचा मुद्दई के जि

خرچہ مدعی کے ذمہ رہے۔

**دفعہ ۱۳۹** - اگر مدعی نے بلا اطلاع مدعی علیہ یا قبل از اقرار مدعی علیہ سے نالش کردی ہو تو اس کا خرچہ حسب مناسب تنہا مدعی یا فریقین کے اوپر لگایا جاوے

**دفعہ ۱۴۰** - خرچہ ایک فریق کا دوسرے فریق کے قرضہ میں بھی مجرا دلایا جا سکتا ہے۔

# باب سولہواں

## ذکر اجرائے ڈگری

**دفعہ ۱۴۱** - ڈگری بعد گذرنے میعاد اپیل کے یا اپیل سے بحال رہنے کے ڈگری دار کی درخواست پر اسی عدالت میں جاری ہو سکیگی کہ جہاں سے

ऐसे रहे . . . . . . . .

**दफ़ा १३९** अगर मुद्दई ने बिना इत्तला मुद्दा अलै या पहले इक़रार मुद्दा अलै से नालिश करदी होतो उस्का खरचा हस्ब मुनासिब अकेले मुद्दई या फरीकैन के ऊपर लगाया जावे . . . .

**दफ़ा १४०** खरचा एक फरीक का दूसरे फरीक के करज़े में भी मुजरा दिलाया जा सकता है . . . . . . . .

# सोलवाँ बाब

## ज़िक्र इजराय डिगरी

**दफ़ा १४१** डिगरी बाद गुज़रने मयाद अपील के या अपील से बहाल रहने के डिगरीदार की दरखास्त पर उसी अदालत में जारी हो सकेगी कि जहां से सादर हुई थी या दूसरी अ-

| صادر ہوئی تھی یا دوسری ماتحت عدالت میں یا اوس عدالت میں جو خاص واسطے اجرائے ڈگری کے مقرر ہو بھیجی جاویگی | दालत मातहत में या उस अदालत में जो खास वास्ते इजराय डिगरी के मुकर्रर हो भेजी जावेगी .. .. .. .. |
|---|---|
| دفعہ ۱۴۲ - اگر وہ ڈگری جاری ہونے کیواسطے دوسری عدالت میں بھیجی جاوے تو اُس کے ساتھ حسب ذیل کاغذات بھی جانا چاہیئے | दफ़ा १४२ अगर वह डिगरी जारी होने के वास्ते दूसरी अदालत में भेजी जावे तो उसके साथ हस्ब जेल कागजात भी जाना चाहिये .. .. |
| ۱ - نقل ڈگری | १ नकल डिगरी |
| ۲ - سارٹیفکٹ اس مضمون کا کہ اس ڈگری میں سے کچھ وصول ہوا ہے یا نہیں اگر ہوا ہو تو اوسکی تعداد - | २ सारटीफिकट इस मजमून का कि इस डिगरी में से कुछ वसूल हुआ है या नहीं अगर हुआ है तो उसकी तादाद .. .. .. .. |
| ۳ - نقل کسی حکم کی جو واسطے اجرائے ڈگری کے ہوا ہو اگر نہوا ہو تو سارٹیفکٹ حکم نہونے کا - | ३ नकल किसी हुकम की जो वास्ते इजराय डिगरी के हुआ हो अगर न हुवा हो तो सारटीफिकट हुकम न होने का .. .. .. .. |
| دفعہ ۱۴۳ - اگر وہ | दफ़ा १४३ अगर वह अदा |

عدالت بھی کوئی عدالت اپنے ماتحت رکھتی ہو تو اوسکی معرفت ڈگری مذکور کو اجرا کرا سکتی ہے -

دفعہ ۱۴۴ - ڈگری جاری کرانے والی عدالت کو بھی وہی اختیارات ہونگے کہ جو ڈگری صادر کرنے والی عدالت کو بابت اجرائے ڈگری کے تھے اور وہ ڈگری مذکورہ کو مثل اپنی ڈگری کے جاری کرا سکتی ہے اور فریقین مقدمہ کو اگر اجرائے ڈگری مذکور میں ہارج ہوں مناسب سزا دیسکتی ہے اور اس سزا کا اپیل ہوسکے گا -

دفعہ ۱۴۵ - کوئی ڈگری بعد گذر جانے مدت بارہ برس کے تاریخ فیصلہ سے جاری نہوسکے گی بشرطیکہ

नत भी कोई अदालत अपनी मातहत रखती हो तो उसकी मारफत डिगरी मज़कूर को इजरा करा सकती है .. .. ..

दफ़ा १४४ डिगरी जारी कराने वाली अदालत को भी वही अख़्तियार होंगे कि जो डिगरी सादर करने वाली अदालत को बाबत इजराय डिगरी के थे और वह डिगरी मज़कूरा को मिस्ल अपनी डिगरी के जारी करा सकती है और फ़रीकैन मुकद्दमे को अगर इजराय डिगरी मज़कूर में हरज डाले तो मुनासिब सज़ा दे सक्तीहै और इस सज़ा का अपील हो सकेगा .. .. ..

दफ़ा १४५ कोई डिगरी बाद गुज़र जाने मुद्दत बारह बरस के तारीख फ़ैसले जारी न हो सकेगी बशर्ते कि उसके

اُس کے غیر اجرا پڑے رہنے میں کوئی فریب اور جبر مدیون ڈگری کا قابل اطمینان عدالت کے نپایا جاوے -

**دفعہ ۱۴۶** اگر کوئی ڈگری کسی نے کسی کو بیچ دی یا قرضہ وغیرہ میں دیدی ہو تو اُس کے اجرا کی درخواست ڈگری دار کو اُسی عدالت میں کرنا ہوگی کہ جہاں سے وہ صادر ہوئی تھی اور عدالت مذکور جبتک کہ اُس انتقال ڈگری کا اطمینان اچھی طرح سے نہ کرلیگی حکم اُس کے جاری کرنے کا نہ دے گی -

**دفعہ ۱۴۷** - بعد ثبوت وہ شخص کہ جس کے نام وہ ڈگری منتقل ہوئی ہے مثل اصل ڈگری دار کے مدیون ڈگری سے مستحق حقرسی کا

गैरज़ारी पड़े रहनेमें कोई फरेब और जबरदस्ती मदयून डिगरीकी काबिल्ल इतमीनान अदालतके न पाई जावे . . . .

**दफ़ा १४६** अगर कोई डिगरी किसीने किसीको बेचदी या करजे वगैरे में देदी होतो उसकी इजराकी दरख्वास्त डिगरीदारको उसी अदालतमें करनी होगी कि जहांसे वह सादर हुई थी और अदालत मज़कूर जबतक कि उस इन्तकाल डिगरीका इतमीनान अच्छी तरहसे न करलेगी हुकम उसके जारी करनेका न देगी . . . . . . .

**दफ़ा १४७** बाद सबूत वह शख्स जिसके नाम डिगरी मुन्तकिल हुई है मिसल असल डिगरीदारके मदयून डिगरीसे हकदार हक

ہوگا۔

## ذکر درخواست اجرائے ڈگری

**دفعہ ۱۴۸**۔ درخواست اجرائے ڈگری مثل عرضی دعوی کے تحریری ہوگی اور آٹھ آنہ کے کاغذ اسٹام پر لی جاویگی اور مندرجہ ذیل مراتب بطور نقشہ کے اس میں درج ہونا چاہیئے۔

۱۔ نمبر مقدمہ۔

۲۔ نام متخاصمین۔

۳۔ تاریخ ڈگری۔

۴۔ اپیل ہوا یا نہیں۔

۵۔ بعد حصول ڈگری کے آپس میں فریقین کے فیصلہ ہونے کی کوئی تجویز ہوئی تھی یا نہیں اور ہوئی تو کیا تصفیہ ہوا۔

۶۔ پہلے کوئی درخواست

रसी का होगा

## जिक्र दरख्वास्त इजराय डिगरी

**दफा १४८** दरख्वास्त इजराय डिगरी मिसल अरजी दावे के तहरीरी होगी और ॥) आठ आने के कागज पर ली जायगी और उसमें नीचे लिखी हुई बातें बतौर नक्शे के दर्ज होना चाहिये

१ नम्बर मुकदमा

२ नाम मुतख्वासमीन

३ तारीख डिगरी

४ अपील हुवा या नही

५ बाद हासल करने डिगरी के आपस में फैसला होने की कोई तजबीज हुई थी या नही और हुई तो क्या तसफिया हुवा

६ पहले कोई दरख्वास्त इज

| | |
|---|---|
| اجرائے ڈگری کی دی تھی یا نہیں اور جو دی تھی تو کیا نتیجہ ہوا - | रायडिगरी की दीथी या नहीं और दीथी तो क्या नतीजा हुवा .. .. .. .. .. |
| ۷ - اصل روپیہ اور خرچہ کی تعداد اگر دلایا گیا ہو - | ७ असल रुपये और खरचेकी तादाद अगर दिलाया गया हो .. .. .. .. .. |
| ۸ - نام اوس شخص کا جسکے اوپر ڈگری جاری کرانا منظور ہے - | ८ नाम उस शख्स का जिस के ऊपर डिगरी जारी करा ना मंजूर है .. .. .. |

## ذکر التوائے اجرائے ڈگری | ज़िक्र इज्र रायडिगरी के मुलतवी करने का

دفعہ ۱۴۹ - اگر کوئی حکم بابت ملتوی کرنے اجرائے ڈگری کے کسی خاص درخواست کی وجہ سے اوس عدالت سے کہ جس نے ڈگری صادر کی ہو یا جو اختیار اپیل سُننے کا رکھتی ہے صادر ہو تو عدالت اجرائے ڈگری

दफा १४८ अगर कोई हुकुम बाबत मुलतवी करने इज्र राय डिगरी के किसी खास दरखास्त की वजह से उस अदालत से कि जिसने डिगरी सादर कीहो या जो अख्तियार अपील सुनने का रखती हो सादर हो तो

अदालत इजराय डिगरी कर
ने वाली को उसकी तामील
करनी होगी और अगर मुद्दा
अला कैद हो और उसकी रि
हाई का हुकम आवे तो जमा
नत माकूल लेकर उसको
रिहा कर देना होगा और इ
ज राय डिगरी अदालत मज़
कूरके दूसरे हुकम होने और
दर ख्वास्त मद यून का नती
जा मालूम होने तक मुल्त
वी रहेगी .. .. .. .. ..

दफ़ा १५० अगर मद यून
राज का नौकर हो औरउसको
कोई सर कारी काम जरूरी
पेश आजावे तो उस बारेमें
महकमें ख्वास से पूछकर
अमल दरामद करना चाहि
ये .. .. .. .. .. ..

[illegible] डिगरी के मु

کرنے والی کو اوسکی تعمیل
کرنی ہوگی اور اگر مدعا علیہ
قید ہو اور اوس کی رہائی کا
حکم آوے تو ضمانت
معقول لیکر اوسکو رہا کر دینا
ہوگا اور اجرائے ڈگری
عدالت مذکور کے دوسرے
حکم اور درخواست مدیون
کا نتیجہ معلوم ہونے
تک ملتوی رہے گی -

دفعہ ۱۵۰ - اگر
مدیون راج کا نوکر ہو اور
اوسکو کوئی سرکاری کام
ضروری پیش آجاوے
تو اوس بارہ میں محکمہ خاص
سے استصواب کرکے عملدرآمد
کرنا چاہیئے -

ذکر تنازعات باہمی

## متعلقہ اجرائے ڈگری

**دفعہ ۱۵۱** - اگر کوئی تنازعہ فریقین میں بابت تعداد کسی وصول یا رقم سود کے ہو تو اس کا تصفیہ اسی عدالت کے حکم سے ہوگا کہ جو ڈگری کو جاری کرے علیحدہ نالش کرنا ضرور نہوگا -

## ذکر طریقہ اجرائے ڈگری

**دفعہ ۱۵۲** - جب درخواست اجرائے ڈگری بعد تصدیق کل مراتب متعلقہ کے منظور ہو جاوے تو عدالت کو لازم ہے کہ اس کی یادداشت معہ تاریخ متدایرہ کے رجسٹر میں درج کر کے

## मालूक आपस के झगडों का बयान॥

**दफ़ा १५१** अगर कोई तनाज़ा फ़रीकेन में बाबत तादाद किसी वसूल या रकम सूद के हो तो उसका तसफ़िया उसी अदालत के हुकमसे होगा कि जो डिगरी को जारी करे अलैहदा नालिश करना जरूर नहोगा

## ज़िक्र तरीके इजराय डिगरी॥

**दफ़ा १५२** जब दरख्वास्त इजराय डिगरी बाद तसदीक कुल मरातिब मुताल्लुका के मंजूर हो जावे तो अदालत को लाज़िम है कि उसकी याद दाश्त मये तारीख दायर के रजिस्टर में दर्ज कर के

| | |
|---|---|
| مطابق مضمون ڈگری کے جاری کرنے کا حکم دے۔ | मुताबिक मज़मून डिगरी के जारी करने का हुकम देवे |
| دفعہ ۱۵۳ - جہاں تک ممکن ہو ڈگری کے روپیوں کی سبیل بذریعہ قسط بندی حسب حیثیت مدعا علیہ کے کرائی جاوے۔ | दफ़ा १५३ जहांतक मुमकिन होसके डिगरी के रुपयों की सबील बजरिये किस्तबंदी हस्ब हैसियत मुद्दायला के कराई जावे |
| دفعہ ۱۵۴ - اگر فریقین ایک دوسرے پر ڈگری رکھتے ہوں اور دونو اجرا کے واسطے پیش ہوں تو جس کی ڈگری زیادہ روپیوں کی ہوگی اوسی کی جاری کرائی جاوے گی اور دوسرے کا روپیہ اُس میں مجرا دلایا جاوے گا بشرطیکہ اُس کی بابت کوئی خاص اقرار نہو۔ | दफ़ा १५४ अगर फ़रीकैन एक दूसरे पर डिगरी रखते हों और दोनों इजराय के वास्ते पेश हों तो जिसकी डिगरी ज़ियादे रुपयों की होगी उसी की जारी कराई जावेगी और दूसरे का रुपया उसमें मुजरा दिलाया जावेगा बशर्ते कि उस की बाबत कोई खास इक़रार नहो |
| دفعہ ۱۵۵ - جب دونو ڈگری کی تعداد برابر ہو تو کسی کو اجرا کرانے کا استحقاق نہیں ہے بلکہ | दफ़ा १५५ जब दोनों डिगरी की तादाद बराबर हो तो किसी को इजरा कराने का हक़ नहीं है बलके हर एक |

ہر ایک کی رقم کا ادا ہوجانا
اوس ڈگری پر لکھدیا
جاوے گا -

دفعہ ۱۵۶ - جب مراتب
مندرجہ بالا کی تکمیل ہوجاوے
تو عدالت مدیون ڈگری
کو طلب بھیجکر بلاوے
اور مناسب تجویز اجرائے
ڈگری کی کرے -

دفعہ ۱۵۷ - اگر
ڈگری کسی خاص چیز منقولہ
کی بابت ہو اور مدیون
عدالت سے حکم ہوجانے
پر بھی ڈگری دار کو سپرد
نہیں کرے تو عدالت اوسکو
قرق کرکے ڈگری دار کے سپرد
کردے یا دوسرا حکم ہونے تک قرق رکھے

دفعہ ۱۵۸ - اگر ڈگری
واسطے دلانے جائداد منقولہ
یا غیر منقولہ کے ہو تو اوسپر
ڈگری دار کا قبضہ کرا دیا جاوے

को रकम का अदा होजाना · उ
स डिगरी पर लिख दिया
जावेगा .. .. .. ... .. ..

दफ़ा १५६ जब ऊपर लिखी
हुई बातों की तकमील होजा
वे तो अदालत मदयून डिग
री को तलब भेज कर बुलावे
और मुनासिब तजवीज़ इ
जरा डिगरी की करे .. .. ..

दफ़ा १५७ अगर डिगरी
किसी खास चीज मनकूला
की बाबत हो और मदयून अ
दालतसे हुक्म हो जाने पर भी डि
गरी दार को नहीं सौंपे तो अदा
लत उस्को कुर्क करके डिगरी
दार के सुपुर्द करदे या दूसरा
हुक्म होने तक कुर्क रक्खे ..

दफ़ा १५८ अगर डिगरी वा
स्ते दिलाने जायदाद मनकू
ला या गैर मनकूला के होतो
उस पर डिगरीदारका कबजा

| | |
|---|---|
| مگر قرضہ یا نقد روپے کے دعوے میں بصورت سرکشی یا عدول حکمی مدیون کے جائداد منقولہ یا غیر منقولہ سے مدعی ڈگری دار کی حق رسی کرائی جاوے مگر جائداد غیر منقولہ کے باب میں محکمہ خاص کی منظوری قبل از کارروائی حق رسی کے حاصل کرلیجاوے اور جو ایسی حق رسی بلامنظوری محکمہ خاص کے کرائی جاوے گی تو جایز نہیں ہوگی۔ | करा दिया जावे मगर करजा या जर नकद रुपये के दावेमें ब सूरत सर कशी या उदूल हुकमी मदयून के जाय दाद मन कूला या गैर मन कूला से मुद्दई डिगरी दार की हक रसी कराई जावे मगर जाय दाद गैर मन कूला के बाब में मह कमें खास की मंजूरी हक र सी की कार रवाई से पहले हा सल करली जावे और जो रे सी हक रसी बिना मंजूरी म हकमें खास से कराई जावे गी तो जायज न होगी ... |
| **دفعہ ۱۵۹** — اگر جائداد نہو یا مدیون نے چھپا دی ہو تو اوس صورت میں عدالت اوسکو بٹھاوے مگر ایسی قید چھہ مہینے سے زیادہ نہونی چاہیئے اور قید کرنے کے پہلے مدعی | **दफ़ा १५९** अगर जाय दाद नहो या मदयून ने छिपा दीहो तो उस सूरत में अदालत उस को बैठा देवे मगर ऐसी कैद छै:महीने से ज्यादा नहो नी चाहिये और कैद करने के पहले मुद्दई से खरचा वास्ते मुद्दा अ |

ला के ≡) दो आने रोज़ के हि-
साब से लेना होगा · · · · · ·

दफ़ा १६० मद यून को बैठाने
और उस की जायदाद से ज़र
डिगरी दिलाने का हुक्म उस
वक्त दिया जावे कि जब वह
बावजूद फरमायश के न
तो किस्त बन्दी से और न कि
सी सूरत से ज़र डिगरी की स
बील करे और अदालत का
हुक्म नागाई और सीना
ज़ोरी से न माने · · · · ·

# सतरहवाँ बाब

## बाबत सलीके मद यूनों डिगरी के

दफ़ा १६१ मद यून डिगरी
को अख्तियार है कि बरवक्त
जारी होने किसी डिगरी के अ
गर चाहे तो दरख्वास्त वास्ते
सलीके और बन्दो बस्त कुल

سے خرچہ واسطے مدعا علیہ کے (۲) روز کے حساب سے لینا ہوگا -

دفعہ ۱۶۰ - مدیون کو بٹھانے اور اُس کی جائداد سے زر ڈگری دلانے کا حکم اُسوقت دیا جاوے کہ جب وہ باوجود فہمایش کے نہ تو قسط بندی سے اور نہ اَور کسی صورت سے زر ڈگری کی سبیل نہ کرے اور عدالت کا حکم شورہ پشتی اور سینہ زوری سے نہ مانے -

# باب سترہواں

## باب سلیقہ مدیون ڈگری

دفعہ ۱۶۱ - مدیون ڈگری کو اختیار ہے کہ بروقت جاری ہونے کسی ڈگری کے اگر چاہے تو درخواست واسطے سلیقہ اور بندوبست

کل قرضخواہون کے عدالت میں دے دے۔

**دفعہ ۱۶۲** - عدالت کو واجب ہے کہ جب کوئی ایسی درخواست پیش ہو تو اُس کے اوپر لحاظ کرکے حکم سلیقہ بندی کا صادر کرے اور سایل کو اجازت دے کہ وہ اپنے کُل قرضہ کی فرد پیش کرے

**دفعہ ۱۶۳** - جب فرد قرضہ کی پیش ہو جائے تو عدالت ایک تاریخ مقرر کرکے اُن تمام قرضخواہوں کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دے اور جب وہ اُس دن حاضر ہوں اُن کے قرضہ کی تصدیق کی جاوے اور اگر کوئی تکرار کسی کمی بیشی کی پڑجاوے تو اُسکی صفائی کرکے حساب قرضہ کا تیار کیا جاوے۔

**دفعہ ۱۶۴** - بعد تیاری

करज मांगनेवालोंके अदालत में देदेवे

**दफा १६२** अदालतको वाजिब है कि जब कोई ऐसी दरख्वास्त देवे तो उसके ऊपर लिहाज़ करके हुकम सलीके बांधने का सादिर करे और सायलको इजाज़त देवे कि वह अपने कुल करज़े की फ़र्द पेश करे

**दफा १६३** जब फ़रद करज़े की पेश होजावे तो अदालत एक तारीख मुकर्रर करके उन सब करज़ मांगनेवालोंको अदालत में हाज़र होनेका हुकम देवे और वे उस दिन हाज़र होंतो उन के करज़े की तसदीक की जावे और अगर कोई तकरार कमी बेशी की पड़जावे तो उसकी सफाई करके हिसाब करज़े का तैयार करे

**दफा १६४** बाद तैयारी हिसाब

حساب قرضے کے کہ جس میں وہ زر ڈگری بہی شامل ہو مدیون کی جائداد اور آمدنی کی تحقیقات کی جاوے اور جو آمدنی اوسکی بعد تحقیقات کے تعین ہو اوسمین سے مناسب قسط بندی کل قرضخواہون کی بحساب حصہ رسد کرا دی جاوے۔

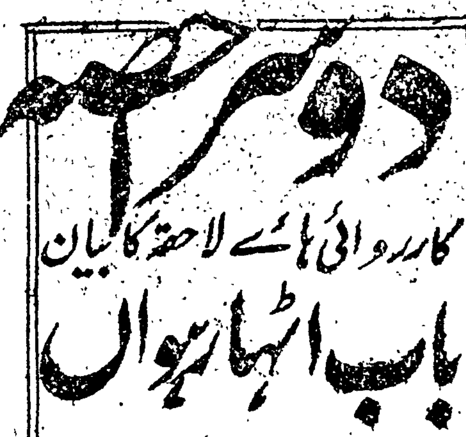
دفعہ ۱۶۵ - جو قسط بندی کرائی جاوے وہ ایسی مناسب اور موزون ہو کہ اوسکی وجہ سے نہ تو خوا. خرچ ضروری مدیون میں کوئی بڑا ہرج واقع ہو اور نہ قرضخواہون کو نقصان رہے۔

دفعہ ۱۶۶ - اِس قسط بندی کے وصول کرنے اور اوسکے حصہ رسد تقسیم قرضخواہوں کا انتظام عدالت کے تعلق رہے۔

करजे के कि जिस्में वह डिगरी भी शामिल हो मदयून की जाय दाद और आम दनी की तह की कात की जावे और जो आमदनी उस्की बाद तहकीकात के करार पावे उसमें से मुनासिब किस्त बन्दी कुल करज मांगने वालों की किस्ती के हिसाब से करा दी जावे .. .. ..

दफा १६५ जो किस्त बन्दी कराई जावे वह ऐसी मुनासिब और ठीक ठीक होवे कि उससे कोई जरूरी खरच मदयून का रुक न जावे और न करज मांगने वालों को नुकसान रहे .. ..

दफा १६६ इस किस्त बन्दी के वसूल करने और उसके दाभा किस्ती तकसीम कर देने का इन्तजाम अदालत के तालुक रहे .. .. .. ..



کارروائی ہائے لاحقہ کا بیان

# باب اٹھارہواں

شادی - موت - اور دیوالہ نکلنا فریقین مقدمہ کا

دفعہ ۱۶۷ - بشرط قایم رہنے بنائے دعوے کے کوئی مقدمہ مدعی مدعا علیہ کے مرجانے سے خارج نہو گا -

دفعہ ۱۶۸ - عدالت کو اختیار ہے کہ بصورت مرجانے مدعی یا مدعا علیہ کے نام اُنکے قایم مقاموں کے بشرط گذرنے درخواستوں کے مثل میں درج کرے -

دفعہ ۱۶۹ - اگر کسی کے قایم مقام جایز مقرر

# दूसरा हिस्सा

पिछली कार रवाईयों के बयान में

# अठारवाँ बाब

शादी मौत और दिवाला निकलना फ़रीकैन मुकद्दमें का

दफ़ा १६७ बशर्तः कायम रहने बिनाय दावे के कोई मुकदमा मुद्दई या मुद्दा अले के मर जाने से खारिज न होगा ..

दफ़ा १६८ अदालत को अख्तियार है कि बसूरत मर जाने मुद्दई या मुद्दा अले के नाम उन के कायम मुकामों के बशर्त गुज़रने दरख्वास्तों के मिसल में दरज करे .. ...

दफ़ा १६९ अगर किसी के कायम मुकाम जायज़ मुकर्रर

ہونے کے بابت کسی عدالت میں دعویٰ دایر ہو تو عدالت مذکور اُس کے نتیجہ اور حکم اخیر تک مقدمہ کو ملتوی رکھے

दफ़ा १७० - اگر کوئی شخص بجائے مدعی علیہ متوفی کے کسی مدعی کی درخواست پر اُس مدعی علیہ کی جوابدہی وغیرہ کا ذمہ وار عدالت میں گردانا جاوے اور اُسکو کچھ عذر نسبت اپنی قایم مقامی کے ہو تو عدالت اُس کی سماعت کرسکتی ہے۔

دفعہ ۱۷۱ اور اگر کسی مقدمہ میں کوئی عورت مدعیہ یا مدعی علیہا ہو تو اُسکی شادی یا ناتہ کرجانے سے مقدمہ ساقط نہوگا تا صدور فیصلہ کارروائی جاری رہیگی

होने के बाबत किसी अदालत में दावा दायर होतो अदालत मज़कूर उसके नतीजे और हुकम अखीर तक मुकदमे को मुल्तवी रखे . . . . . . .

दफ़ा १७० अगर कोई शख्स मरे हुवे मुद्दाअले की जगह किसी मुद्दई की दरख्वास्त पर उस मुद्दाअले की जवाबदेही वगैरे का जुम्मेवार अदालत में गरदाना जावे और उसको कुछ उजर निसबत अपनी कायम मुकामी के होवे तो अदालत उसकी समाअत कर सकती है . . . . . . . . . .

दफ़ा १७१ अगर किसी मुकदमे में कोई औरत मुद्दई या मुद्दाअले होतो उसकी शादी या नाता कर जाने से मुकदमा भी कूफ नहोगा और फैसला होनेतक कारखाई

اور بعد فیصلہ کے اُس کی تعمیل مسماۃ مذکور سے کرائی جائے گی اور اگر رواج یا مذہب کی روسے خاوند ذمہ دار ادائے قرضہ اپنی زوجہ کا ہو تو ڈگری شوہر کے اوپر بھی جاری ہو سکے گی۔

जारी रहेगी और बाद फैसले के उसकी तामील मुसम्मात मज़कूर से कराई जायगी और अगर रिवाज या मज़हब के रूसे खाविंद अपनी औरत के करज़ चुकाने का ज़िम्मेवार हो गो तो डिगरी खाविंद के ऊपर भी जारी हो सकेगी॥

## باب اُنیسواں ۱۹
### بازدعویٰ
### اور تصفیہ باہمی بطور راضی نامہ وغیرہ

## बाब उन्नीसवाँ
### बाज़ दावा और आपस का फैसला बतौर राज़ीनामे वगैरा के

**دفعہ ۱۷۲** - اگر مدعی بعد ارجاع نالش بوجہ کسی بیضابطگی اور دوسرے سقم کے نالش سے دست بردار ہونا چاہے تو جایز ہے کہ عدالت بر بنائے بازدعویٰ کے مثل داخل دفتر کردے مگر وہ دعوے پھر کبھی نئے سر سے دایر نہو سکیگا

**दफ़ा १७२** अगर मुद्दई बाद दायर करने नालिश के किसी बेज़ाब्तगी वगैरा के सबब से अपने दावे से हात उठाना चाहे तो जायज़ है कि अदालत बर बिनाय बाज़ दावे के मिसल दाखिल दफ़तर करदेवे मगर वह दावा फ़िर कभी नये सिरे

| | |
|---|---|
| اور اگر کئی مدعی ہوں تو بازدعوے بغیر رضامندی تمام مدعیوں کے منظور نہ کیا جاوے گا مگر اوسکو اپنے حصہ کی نالش کے بازدعوے کرنے کا اختیار ہے - | से दायर न हो सकेगा और अगर कई मुद्दई होंतो बाज़ दावा बगैर रज़ामंदी तमाम मुद्दैयों के मंजूर न किया जावे मगर उसको अपने हिस्से की नालिसके बाज दावा करने का अख़्तियार है ·· ·· ·· |
| دفعہ ۱۷۳ - اگر باہم فیصلہ ہو جائے یا مدعی علیہ مدعی کو راضی کرکے اوسکا راضی نامہ عدالت مین داخل کردے تو عدالت بعد تصدیق مدعی کے ڈگری مطابق راضی نامہ کے صادر کرے - | दफ़ा १७३ अगर आपस में फैसला होजावे या मुद्दाअलै मुद्दई को राजी करके उस का राजीनामा अदालत में दाखिल करदे तो अदालत बाद तस्दीक मुद्दई के डिगरी मुताबिक राजी नामे के सादिर करे ·· ·· ·· ·· |
| **باب بیسواں** | **बीसवां बाब** |
| ذکر عدالت میں روپیہ داخل کرنیکا | ज़िक्र अदालत में रुपैया दाखल करनेका |

| دفعہ ۱۷۴ - اگر مدعا علیہ بابت دعوے قرضہ یا نقصان یا خسارہ مدعی کے کسی وقت درپیشی مقدمہ میں اوسقدر روپیہ بطور امانت کے داخل کرے کہ جو اوس دعوے کے لئے کافی ہو تو جائز ہے کہ مدعی کو اس روپے کی اطلاع دیجاوے اگر وہ اسکو بطور وصول کسی قدر حصہ تعداد دعوے کے قبول کرے تو باقی نالش کی پیروی کی اوسکو اجازت دیجاوے | दफ़ा १७४ अगर मुद्दा अलेह बाबत दावे करजे या नुक़सान मुद्दई के किसी वक़्त दर पेशी मुक़दमे में उस क़दर रुपया बतौर अमानत दाखिल करे कि जो उस दावे के लिये काफ़ी हो तो जायज़ है कि मुद्दई को उस रुपये की इत्तिला दीजावे। अगर वह उसको बतौर वसूल किसी क़दर हिस्सा तादाद दावे के कबूल करले तो बाकी नालिश की पैरवी की उसको इजाज़त दी जावे |
| دفعہ ۱۷۵ - اگر مدعی اوسکو اپنے کل دعوے میں تسلیم کرلے تو عدالت سے اوسکا بیان قلمبند ہوکر مطابق اوسکے فیصلہ دیا جاوے اور وہ روپیہ مدعی کے حوالہ کیا جاوے ـ | दफ़ा १७५ अगर मुद्दई उस को अपने कुल दावे में तसलीम करले तो अदालत से उस का बयान कलमबंद हो कर मुताबिक उसके फ़ैसला दिया जावे और वह रुपया मुद्दई के हवाले किया जावे |

# باب اکیسواں

ذکر تقرر امین یعنے کمیشن امین واسطے اظہار گواہوں کے

**دفعہ ۱۷۶** - اگر کوئی گواہ ایسا ہو کہ جو ازروئے اپنے درجہ کے عدالت کی حاضری سے معاف رکھا جاوے یا جو بیماری اور کمزوری کی وجہ سے حاضر عدالت نہو سکتا ہو تو جایز ہے کہ عدالت اُس کے لئے بندسوال تیار کر کے کسی اہلکار یا دوسرے شخص کی معرفت کہ جس کو اس کام کے لایق سمجھے اُس کا اظہار منگوالیے -

**دفعہ ۱۷۷** - اگر کوئی گواہ غیر علاقہ مین ہو تو اُس کا



# इक्कीसवाँ बाब

## ज़िक्र तकर्रर अमीन

## याने कमीशन अमीन

## वास्ते इज़हार गवाहों के

**दफ़ा १७६** अगर कोई गवाह ऐसा हो कि जो अज़रूय अपने दरजे के अदालत की हाज़री से माफ़ रखा जावे या जो बीमारी और कमज़ोरी की वजह से हाज़िर अदालत नहो सक्ता हो तो जायज़ है कि अदालत उसके लिये बंद सवाल तैयार करके किसी अहल्कार या दूसरे शख़्स की मारफ़त कि जिसको इस काम के लायक समझे उसका इज़हार मंगवावे . . . . . . .

**दफ़ा १७७** अगर कोई गवाह ग़ैर इलाके में होतो उसका इज़

हार वजरिये महकमे रजीडंसी
के उसके पास बंद सवाल भे
ज कर मंगवाना चाहिये मग
र जो फरीकेन मुकदमा बज
रिये अमीन के इजहार मंग
वाने पर राजी हों तो वजरिये
अमीन के भी यह कारखाई
हो सकती हे ........

**अमीन वास्ते तहकी
कात मौके के**

दफा १७८ अगर किसी मु
कदमेमें मौके पर तहकीकात
किया जाना मुनासिब समझा
जावे और हाकिम खुद वहां
न पहुंच सकता हो तो अखति
यार हे कि जिस्को इस कामके
लायक समझे बतोर अमी
न के मौके मजकूर पर वास्ते
दरयाफ्त हालात असलि
यत मुकदमें के भेजदेवे ..
दफा १७९ अमीन को वाजब

اظہار بذریعہ محکمہ رزیڈنسی
کے اُس کے پاس بند سوال
بھیجکر منگوانا چاہیئے مگر جو
فریقین مقدمہ بذریعہ کمیشن
یا امین کے اظہار منگوانے پر
راضی ہوں تو بذریعہ کمیشن
بھی یہ کارروائی ہوسکتی
ہے

**امین یا کمیشن بغرض تحقیقات
بر سر موقع**

دفعہ ۱۷۸ - اگر کسی
مقدمہ میں موقع پر تحقیقات
کیا جانا مناسب متصور ہو
اور حاکم خود وہاں نہ پہنچ
سکتا ہو تو اختیار ہے کہ
جس کو اس کام کے لائق
سمجھے بطور امین یا کمیشن
کے موقع مذکور پر واسطے
دریافت حالات - بغرض
انکشاف اصلیت مقدمہ کے بھیجدے
دفعہ ۱۷۹ - امین کو

واجب ہے کہ موقع پر پہنچکر جو کیفیت ظاہر ہو اوسکو قلمبند کرے اور جو شہادت ضروری ہو وہ لیکر کاغذات عدالت میں داخل کرے۔

## امین یا کمیشن واسطے جانچ حساب کے

دفعہ ۱۸۰ - ہر مقدمہ مین جس میں جانچ یا تصفیہ حسابات ضرور ہو عدالت کو اختیار ہے کہ جس شخص کو مناسب سمجھے اسبات پر مقرر کرے کہ وہ جانچ یا تصفیہ حساب کر دے

دفعہ ۱۸۱ - عدالت کو جائز ہے کہ ایسے شخص کے پاس نقل کے اوسقدر کاغذات جو ضروری ہوں اور مفصل ہدایت کارروائی کی بھیجدے

دفعہ ۱۸۲ - اگر نتیجہ

है कि मोके पर पहुंच कर जो कैफियत जाहिर हो उस को लिख लेवे और जो शहादत जरूरी हो वह लेकर कागजात अदालत में दाखिल करे

## अमान वास्ते जांच हिसाब के

दफा १८० हर मुकदमे में जिसमें जांच पर ताल हिसाबों की ज़रूर हो अदालत को अख्तियार है कि जिस शख्श को मुनासिब समझे इस बात पर मुकर्रर करे कि वो जांच या सफाई हिसाब की करदे

दफा १८१ अदालत को जायज है कि ऐसे शख्स के पास मिसल के उतने कागज कि जो जरूरी हों और मुफस्सिल हिदायत कार रवाई की भेज देवे

दफा १८२ अगर नतीजे

| | |
|---|---|
| جانچ کے ساتھ عدالت کو امین یا اہل کمیشن کی رائے منگوانا ہو تو وہ بھی حکم میں لکھدے | जांच के साथ अदालत को अमीन की राय मंगवाना होतो वोभी हुकम में लिख देवे |
| **امین واسطے تقسیم جائداد کے** | **अमीन वास्ते तकसीम जायदाद के** |
| **دفعہ ۱۸۳** - اگر کسی جایداد غیر منقولہ کے لئے عدالت کو ضرور ہو کہ امین یا کمیشن کے ذریعہ سے کارروائی کرے تو جایز ہے کہ امین مقرر کرکے جائداد تقسیم کرا دے - | **दफ़ा १८३** अगर किसी जायदाद ग़ैर मनकूला के वास्ते अदालत को ज़रूर हो कि अमीन के ज़रिये से कार रवाई करे तो जायज़ है कि अमीन मुकर्रर करके जायदाद तकसीम करा देवे ·· ·· ·· |
| **دفعہ ۱۸۴** - اگر ایک امین سے فیصلہ نہ ہو تو دوسرا امین مقرر کیا جاوے اور خرچہ اوسکا فریقین سے دلایا جاوے یا اوس فریق سے کہ جسکی درخواست پر امین مقرر ہوا ہو - | **दफ़ा १८४** अगर एक अमीन से फेसला न होतो दूसरा अमीन मुकर्रर किया जावे और खरचा उसका फरीकेन से दिलाया जावे या उस फ़रीक से कि जिसकी दरखास्त पर अमीन मुकर्रर हुवा हो ·· ·· |
| **دفعہ ۱۸۵** - امین یا اہل کمیشن کے لئے اول تو | **दफ़ा १८५** अमीन को अव्वल तो अदालत हिदायत कार |

عدالت ہدایت کارروائی کی کر دے گی نہیں تو اُس کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین اور اُن کے گواہوں کے اظہار لے اور دستاویز جو اُس مقدمہ کے متعلق ہوں اُن کو طلب اور معائینہ کرے اور شئے متنازعہ اگر کوئی زمین یا مکان ہو تو اُسکو جاکر بھی دیکھے -

دفعہ ۱۸۶ - اگر فریقین حاضر نہوں تو امین کو یکطرفہ کارروائی کرنے کا اختیار ہوگا -

## تیسرا حصہ

خاص قسم کی نالشوں کے بیان ہیں

## باب بائیسواں

نالشات بصیغہ مفلسی

रवाई की करदेगी नहीं तो उस को अख्तियार होगा कि वो फरीकेन और उनके गवाहों के इजहार लेवे और जो हने रखा उस मुकदमें के हों उन को मंगा कर देखे और झगड़े की चीज़ को भी जो कोई ज़मीन या मकान हो तो जाकर उस को भी देखे......

दफा १८६ अगर फरीकेन हाज़र न हो तो अमीन को इकतरफा कारवाई करने का अख्तियार होगा......

## तीसरा हिस्सा

खास किसम की नालिशों के बयान में

## बाईसवाँ बाब

नालिशात बसीगे मुफलिसी

| | |
|---|---|
| دفعہ ۱۸۷ جو شخص غریب ہو اور اُس کو کسی شخص کے اوپر کسی چیز کا دعوے کرنا ہو تو وہ مُفلس کہا جائیگا اور پہلے اُس سے اُس نالش کی رسم نہیں لیجائیگی — | दफ़ा १८७ जो शख़स गरीब हो और उसको किसी शख़स के ऊपर किसी चीज का दावा करना हो तो मुफ़लिस कहा जायगा और पहले उससे उस नालिश की रसम नहीं ली जावेगी ............ |
| دفعہ ۱۸۸ - جو شخص مفلسی میں نالش کرنا چاہے تو اُس کو چاہیئے کہ پیشتر سادہ کاغذ پر عدالت دیوانی کورٹ سرداران اور صدر عدالت دیوانی یا محکمہ اپیل میں عرضی پیش کرے اور ان عدالتوں کو لازم ہوگا کہ اوسکی مفلسی کی تحقیقات کریں جب شہادت وغیرہ سے مفلسی ثابت ہو جاوے تو اُس کو سارٹیفکٹ مفلسی کا دیکر حکم نالش دایر کرنے کا دین اوسوقت اوسکو عرضی دعوی | दफ़ा १८८ जो शख़स मुफ़लिसी में नालिश करना चाहे तो उस्को चाहिये कि पेशतर सादा कागज पर अदालत दीवानी कोर्ट सरदारान और सदर अदालत दीवानी या महकमे अपील में अरजी पेस करे और इन अदालतों को लाजिम होगा कि उसकी मुफ़लिसी की तहकीकात करे जब शहादत बगेरासे वो मुफ़लिस साबित होजावे तो उसको सारटीफ़िकट मुफ़लिसी का देकर नालिस दायर करनेका |

हुकम देवे उस वक्त उस को अरजी दावा अपना उस अदालत में पेश करना होगा कि जिसकी समाअत के लायक वो नालस हो और अरजी दावे में अलावे दूसरी जरूरी बातों के कि जिन का ज़िकर दफे ४३ में है अपनी मुफ़लिसी का अहवाल भी लिखना होगा .. .. .. ..

دفعہ ۱۸۹ مفلس

दफा १८९ मुफ़लिस मुद्दई अगर मुकद्दमा जीत जाय तो उस वक्त उससे रसम बमूजिब अगले कायदे के चौथाई जैसे के रुपया वसूल होता जावे ली जावे .. .. .. ..

# बाब तैईसवां

नालिशात बनाम ओहदेदारान सरकार

اپنا اوس عدالت میں پیش کرنا ہوگا کہ جسکی سماعت کے لایق وہ نالش ہو عرضی دعوی میں علاوہ ضروری باتوں کے کہ جنکا ذکر دفعہ ۴۳ میں ہے اپنی مفلسی کا احوال بہی لکہنا ہوگا -

مدعی اگر مقدمہ جیت جاے تو اوسوقت اوس سے رسم بموجب اگلے قاعدہ کے چوتہے حصہ کے حساب سے جیسے کہ روپیہ وصول ہوتا جاے لیا جاے

# باب تیئسواں

نالشات بنام عہدہ داران سرکار

| | |
|---|---|
| دفعہ ۱۹۰ - اگر کسی کو کوئی نالش بابت کسی بیضابطگی کے سرکاری عہدہ دار کے اوپر کرنا ہو تو محکمہ خاص میں عرضی پیش کرے - | दफ़ा १९० अगर किसी को कोई नालिश बाबत किसी बे ज़ाब्ते गी के सरकारी ओहदे दार के ऊपर करना हो तो महकमे ख़ास में अरज़ी पेश करे.. .. .. |
| دفعہ ۱۹۱ - محکمہ خاص کو اختیار ہے کہ وہ نالش خود سُنے یا کسی ماتحت محکمہ میں سپرد کر دے اور سایل کو وہاں حاضر ہونے اور پیروی کرنے کی ہدایت کرے - | दफ़ा १९१ महकमें ख़ास को अख़्तियार है कि वो नालिश ख़ुद सुने या किसी मातहत महकमे में सौंप देवे और सायल को वहां हाज़िर होने और पैरवी करने की हिदायत करे .. .. .. .. .. |
| دفعہ ۱۹۲ - مدعی علیہ ملازم سرکار کی نسبت تجویز سزا کی بھی عدالت ماتحت سے بلا منظوری محکمہ خاص کے عمل میں نہ آسکیگی | दफ़ा १९२ मुद्दाअले मुलाज़िम सरकार की निसबत सज़ा की तजवीज भी अदालत मातहत से बग़ैर मंज़ूरी महकमें ख़ास के अमल में न आ सकेगी .. .. .. .. |
| دفعہ ۱۹۳ - اگر کسی مقدمہ میں کوئی ملازم سرکار گواہ قرار دیا جاوے تو | दफ़ा १९३ अगर किसी मुक़द्दमें कोई सरकारी मुलाज़िम गवाह ठहराया जावे तो |

اُس کا اظہار بذریعہ بند
سوال معرفت اُس کے افسر
کے لیا جاوے۔

## باب چوبیسواں

نالشات متعلقہ
اشخاص نابالغ و فاترالعقل

**دفعہ ۱۹۴** ۔ ہر نابالغ
کی طرف سے نالش اُس کا
رفیق یا ولی یا رشتہ دار
یا امین جو راج کی طرف سے
مقرر ہو عدالت میں حسب
ضابطہ دایر کر سکے گا۔

**دفعہ ۱۹۵** ۔ اسی طرح
نابالغ مدعی علیہ کی طرف سے
جواب دہی بھی اُس کا
رفیق یا ولی یا رشتہ دار یا
امین کر سکے گا۔

**دفعہ ۱۹۶** ۔ اگر کوئی
رفیق یا امین مخالف حق

उस का इजहार वजरिये बंद
सवाल मारफत उसके अफ
सर के लिया जाये · · · ·

## बाब चौबीसवाँ

नालिश नाबालिग :
और बावले आदमि
यों के बयान में ॥

**दफा १९४** हर नां बालिग
की तरफ से उसका साथी या
वली या रिस्तेदार या अमीन
जो राज की तरफ से मुकर्रर हो
अदालत में हस्ब जाबते ना
लिश दायर कर सकेगा · · ·

**दफा १९५** इसी तरह नाबालि
ग मुद्दा अले की तरफ से जवा
ब भी उसका साथी या वली
या रिस्तेदार या अमीन कर
सकेगा · · · · · · ·

**दफा १९६** अगर कोई साथी
या अमीन खिलाफ हक ना

| | |
|---|---|
| نابالغ کی کوئی کارروائی اُس مقدمہ میں کرے تو عدالت اپنی خوشی سے یا نابالغ مذکور کی درخواست پر بشرط ثبوت کامل اُس کو موقوف کر سکتی ہے ۔ | बालिग के कोई कारखाई उस मुकदमें करे तो अदालत अपनी खुशी से या नाबालिग मज़कूर की दरख्वास्त पर सबूत होते उस को मौकूफ़ कर सकती है |
| **دفعہ ۱۹۷** ۔ بصورت مقرر ہونے رفیق جدید کے ہر شخص جو نابالغ کا رشتہ دار ہو یا جو شے متنازعہ سے کچھ تعلق رکھتا ہو عدالت سے درخواست کر کے رفیق نابالغ کا مقرر ہو سکتا ہے اور جب وہ نابالغ بالغ ہو جاوے تو اُس رفیق کو علیحدہ کرا سکتا ہے | **दफ़ा १९७** अगर दूसरा साथी या अमीन मुकर्रर न हो तो नाबालिग का हरेक रिश्तेदार या वो शख्स जो उस नालिश में कुछ वास्ता रखता हो अदालत में दरख्वास्त कर के साथी नाबालिग का मुकर्रर हो सकता है और जब वो नाबालिग बालिग याने स्याना होजावे तो उस साथी को अलहदा करा सकता है |
| **دفعہ ۱۹۸** ۔ جو احکام اسباب میں واسطے اشخاص نابالغ کے صادر کیے گئے ہیں وہ ہی بہ تبدیل الفاظ | **दफ़ा १९८** इस बाब में जो हुकम नाबालिग के वास्ते लिखे गये हैं वोही नाम बदल कर गेले बावले आदमियों |

اشخاص فاتر العقل سے ہی متعلق ہونگے -

# باب پچیسواں

## نالشات متعلق ملازمان فوج

دفعہ ۱۹۹ - ہر ایک ملازم فوج اپنے مقدمہ کی پیروی یا جوابدہی کے لئے اگر اصالتاً کارروائی کرنے کی رخصت نپا سکتا ہو تو اپنی طرف سے وکیل مقرر کرنے کا مختار ہے اور تقرر ایسے وکیل کا اوسکے کمان افسر کے روبرو کمان افسر مذکور کی تصدیق تحریری سے ہوگا یا عدالت میں حسب ضابطہ عدالت کے -

دفعہ ۲۰۰ - اگر مدعا علیہ افسر یا سپاہی ہو تو اُسکے اوپر سمن بذریعہ محکمہ

के वास्ते भी लगाये जायगे ..

# बाब पचीसवाँ

## फौजी आदमियों की नालशों के बाबत

दफ़ा १९९ हरेक मुलाज़िम फौज अपने मुकदमें की पैरवी या जवाब देही के लिये अगर असालतन कार रवाई करने की रुखसत न पास का होतो अपनी तरफ़ से वकील मुकर्रर करने का मुख़्तार है और तक़र्रर उसे वकील का उसके कमान अफसर के रोबरू कमान अफसर मज़कूर की तसदीक तहरीरी से होगा या अदालत में हस्ब ज़ाबते अदालत के ..

दफ़ा २०० अगर मुद्दा अले - अफसर या सिपाही होतो उस के ऊपर समन वज़रिये महक

ملٹری کے جاری کیا جاوے اور محکمہ مذکور اوسکو بذریعہ کسی ماتحت افسر کے جاری کرکے رسید تحریری مدعا علیہ کی واپس عدالت مذکور میں بہیجدے اور اگر کسی وجہ سے سمن مذکور جاری نہو سکے تو اوسکو معہ کیفیت کے محکمہ مذکور میں واپس کرے۔

دفعہ ۲۰۱ - اگر کسی سپاہی کے اوپر اجراے ڈگری میں کوئی مقدمہ دایر ہو تو اوس کی تعمیل بہی بذریعہ محکمہ ملٹری کے کرای جاوے۔



چارہ کار مقتضاے وقت

में मिलेटरी के जारी किया जावे और महकमा मजकूर उस को बजरिये किसी मातहत अफसर के जारी करके रसीद तहरीरी मुद्दा अलेकी वापस अदालत मजकूरमें भेज दे और अगर किसी वजह से समन मजकूर जारी न होसके तो उसको मये कैफियत के महकमें मजकूरमें वापस करे

दफा २०१ अगर किसी सिपाही के ऊपर इजराय डिगरी में कोई मुकदमा दायर हो तो उस की तामील भी बजरिये महकमें मिलेटरीके कराई जावे

## चौथा हिस्सा

चारे कार मुक्तिजाय वक्त यानेवक्त पर जो कार रवाई करनी मुनासिब हो

# باب چھبیسواں

## گرفتاری و قرقی قبل از فیصلہ

### گرفتاری قبل از فیصلہ

**دفعہ ۲۰۲** - اگر دوران مقدمہ میں مدعی حلف سے عدالت کو اسبات کی طمانیت کردے کہ مدعا علیہ بھاگ جانے کے ارادہ میں ہے یا چھپ گیا ہے یا اُس نے اپنے مال اسباب کو چھپا دیا ہے یا ریاست کی حد سے باہر نکال دیا ہے یا نکالدینے کی فکر میں ہے اس نیت سے کہ عدالت کے فیصلہ کی تعمیل سے بچ جاوے اور وہ مقدمہ علاوہ دعوی جائداد منقولہ اور غیر منقولہ کے اور کسی قسم کا ہو تو جایز

# बाब छब्बीसवाँ

## गिरफतारी और कुरकी फैसले से पहिले

### गिरफतारी

दफ़ा २०२ अगर दोरान मुकदमे में मुद्दई हल्फ से अदालत को इस बात की तसल्ली करदे कि मुद्दाअले भाग जाने के इरादे में है या छुप गया है या उस ने अपने माल असबाब को छुपा दिया है या रियासत की हद से बाहर निकाल दिया है या निकालने की फिकर में है इस नीयत से कि अदालत के फैसले की तामील से बच जावे और वह मुकदमा अलावे दावे जायदाद मन कूला और गैर मन कूला के और किसी किसम का होतो जायज है -

ہے کہ مدعی علیہ سے حاضر
ضامنی لئے جانے کا حکم
صادر کیا جاوے۔

**دفعہ ۲۰۳** ۔ اگر
مدعی علیہ کوئی کافی وجہ پیش
نہ کر سکے تو اُس کو حکم
دیا جاوے کہ وہ زر نقد یا
جائداد بقدر دعوے مدعی
کے داخل یا سپرد عدالت
کے کرے یا ضمانت اسبات
کی دے کہ حکم اخیر ہونے تک
حاضر رہے گا یا عند الطلب
حاضر ہوگا ۔

**دفعہ ۲۰۴** ۔ ضامن
کو اختیار ہوگا کہ جب چاہے
اپنی ضمانت نکلوا لینے کی
درخواست دیوے عدالت
اُسی وقت مدعا علیہ کے
نام سمن یا وارنٹ جاری کرے
اور جب مدعی علیہ بموجب
سمن یا وارنٹ کے یا از خود

कि मुद्दा अलै से हाजिर जाम
नी लिये जाने का हुकम सा
दिर किया जावे . . . . . .

दफ़ा २०३ अगर मुद्दा अलै
कोई काफी वजह पेश न कर
सके तो उस को हुकम दिया
जावे कि वह रोकड़ रुपया
या जायदाद बकदर दावे मुद्द
ई के दाखिल या सुपुर्द अदाल
त के करे या जमानत इस बा
त की दे कि हुकम अखीर हो
ने तक हाजिर रहेगा या बुला
ने के वक्त हाजिर होगा . .

दफ़ा २०४ जामिन को अख्
तियार होगा कि जब चाहे अ
दालत से अपनी जमानत नि
कलवा लेने की दरखास्त देदे
अदालत उसी वक्त मुद्दा अलै
के नाम समन या वारंट जारी
करे और जब मुद्दा अलै बमू
जिब समन या वारंट के या

حاضر ہو تو ضامن کو بری الذمہ کیا جاوے اور مدعی علیہ سے دوسری ضمانت طلب ہو۔

دفعہ ۲۰۵ - اگر مدعا علیہ ضمانت نہ دیسکے تو عدالت اوسکو تا انفصال مقدمہ قید رہنے کے لئے جیلخانہ میں بھیجدے مگر اِس دفعہ کے بموجب کوئی شخص کسی حال میں چھہ مہینے سے زیادہ عرصہ کے لئے قید نہیں کیا جاوے گا اور اگر مقدمہ پچاس روپے کی مالیت سے زیادہ نہو تو چھہ ہفتہ تک ہی قید رہ سکے گا

दफ़ा २०६ खुराक ऐसे कैदियों की मुद्दई को देनी होगी ··

## कुरकी फैसले से पहले॥

दफ़ा २०७ अगर मुद्दई अज़ रूय हलफ़ अदालत का

अज़ खुद हाज़िर हो तो ज़ामिन को बरी किया जावे और मुद्दा अलै से दूसरी ज़मानत तलब हो·· ·· ·· ·· ·· ··

दफ़ा २०५ अगर मुद्दा अलै ज़मानत न दे सके तो अदालत उसको मुकदमें का फैसला होने तक कैद रहने के लिये जेल खाने में भेजदे मगर इस दफे के बमूजिब कोई पारवस किसी हाल में छ: महीने से ज्यादा अरसे के लिये कैद न किया जावेगा और अगर मुकद्दमा पचास रुपये की मालियत से ज्यादा न हो तो छ: हफ्ते तक ही कैद रह सकेगा ·· ·· ··

دفعہ ۲۰۶ - خوراک ایسے قیدیوں کی مدعی کو دینی ہوگی۔

## قرقی قبل از فیصلہ

دفعہ ۲۰۷ - اگر مدعی از روے حلف عدالت کا

اطمینان کردے کہ مدعی علیہ
اپنی جائداد منقولہ اور غیر منقولہ
علیحدہ کرتا ہے یا ریاست سے
باہر لئے جاتا ہے یا ایسا
کرنیوالا ہے تو مدعی علیہ سے
ضمانت کافی بقدر مالیت
مقدمہ کے طلب کیجاوے
اور بصورت عدم ادخال
ضمانت کے اوسکی جائداد یا
اوسکی جائداد کا کوئی حصہ
قرق کرلیا جاوے۔

**دفعہ ۲۰۸** - اگر
مدعا علیہ بعد لینے اظہار کے
کوئی ذکر علیحدہ کرنے یا
نکال دینے اپنی جائداد
منقولہ یا غیر منقولہ کا اس
نیت سے کرتا ہو کہ مقدمہ
مین خلل پڑجاوے یا ڈگری
کا اجرا ملتوی رہجاوے
تو لازم ہے کہ عدالت

इतमीनान करदे कि मुद्दा अले
अपनी जायदाद मन कूला या
गैर मन कूला अल्हेदा करता
है या रियासत से बाहर लिये
जाता है या ऐसा करने वाला
है तो मुद्दा अले से जमानत का
फ़ी ब कदर मालियत मुक
दमे के तलब की जावे और ब
सूरत दाखिल नहीं करने ज
मानत के उसकी जायदाद या
उस्की जायदाद का कोई हि
स्सा कुरक कर लिया जावे॥

**दफ़ा २०८** अगर मुद्दा अले
बाद लेने इजहार के कोई जि
क्र अल्हेदा करने या निकाल
देने अपनी जायदाद मन कू
ला या गैर मन कूला का इस
नीयत से करता हो कि मुकद
मे मे खलल पड़ जावे या डिग
री का जारी होना मुल्तवी
रह जावे तो लाजिम है कि

| | |
|---|---|
| مدعی علیہ کو بلاکر حکم داخ... کرنے ضمانت کا بقدر مالیت مقدمہ کے دے یا اسقدر زر نقد یا جائدا... عدالت کے حوالہ کردے اگر وہ ان میں سے کوئی بھی بات نکرے تو اسکی جائداد یا اس کا کوئی حصہ جو حق رسی مدعی کے لیئے کافی ہو اس کے قرق کرنیکے لیئے امین بھیجدے یا حکم جاری کردے ۔ | अदालत मुद्दा अले को बुला कर हुकम दाखल करने ज़मानत का बकदर मालियत मुकद्‌मा के देवे या उस कदर रुपैया रोकड़ा या जायदाद अदालत के हवाले करदे अगर वो इन से कोइ भी बात न करे तो उसकी जायदाद या उस का कोई हिस्सा जो हक रसी मुद्दई के लिये काफी हो उस के कुरक करने के लिये अमीन भेजदेवे या हुकम जारी करदे . . . . . . . . . . . . |
| **دفعہ ۲۰۹** - بعد قرقی کے اگر مدعی علیہ اوسقدر روپیہ نقد داخل کردے یا ضمانت دلادے تو اٹھانا قرقی کی کردیجاوے ۔ | **दफा २०९** बाद कुरकी के अगर मुद्दा अले उस कदर रुपैया दाखिल करदे या ज़मानत दिलादे तो उठानी कुरकी की कर दी जावे . . . . . . . |
| **دفعہ ۲۱۰** - بعد فیصلہ اگر مقدمہ ڈسمس ہوجاوے یا بصورت ڈگری ہونے کے | **दफा २१०** बाद फैसले अगर मुकदमा डिसमिस होजावे या बसूरत डिगरी होने के |

मुद्दाअले ज़र डिगरी दाखिल करदे तो कुरकी फ़ौरन उठा दी जावे ........

दफा २११ अगर मुद्दाअले ज़र डिगरी दाखिल न करे तो कुरकी बनी रहे ताकि इज्राय डिगरी में दुबारा कुरक करना पड़े ........

## हरजा बेजा कुरकी का

दफा २१२ अगर अदालत को किसी मुकदमें से दरियाफ्त हो जावे कि गिरफ्तारी और कुरकी बेजा हुई या मुद्दई का दावा ही झूठा था तो मुद्दाअले को उस का हरजा मुद्दई से दिलाया जावे जो अदालत की राय में मुनासिब हो ........

# बाब सत्ताईसवां

مدعی علیہ زر ڈگری داخل کر دے تو قرقی فوراً اٹھا دیجاوے ۔

دفعہ ۲۱۱ ۔ اگر مدعا علیہ زر ڈگری داخل نہ کرے تو قرقی بدستور رہے تاکہ اجرائے ڈگری میں دوبارہ قرق کرنا نہ پڑے ۔۔۔۔۔۔

## ہرجہ بیجا قرقی کا

دفعہ ۲۱۲ ۔ اگر عدالت کو کسی مقدمہ میں دریافت ہو جاوے کہ گرفتاری اور قرقی بیجا ہوئی یا مدعی کا دعوےٰ ہی جھوٹا تھا تو مدعی علیہ کو اس کا ہرجہ مدعی سے دلایا جاوے جو عدالت کی رائے میں مناسب ہو ۔

# باب ستائیسواں

## احکام امتناعی چندروزہ اور درمیانی

دفعہ ۲۱۳ - اگر کسی مقدمہ میں عدالت کو دریافت ہو کہ کوئی فریق جائیداد متنازعہ کو ضایع یا تلف یا منتقل کرنے کی فکر میں ہے تو عدالت اوسکو حکم دے کہ کچھہ دنوں کے لئے اُس ارادہ سے باز رہے یا دوسرا بندوبست کرے -

دفعہ ۲۱۴ - اگر کوئی جائیداد حسب منشاء دفعہ متذکرہ بالا روکیجاوے تو اُس کی قرقی ایک برس سے زیادہ نرہیگی اور اس عرصہ میں مدعی کے حق میں ڈگری صادر ہو جاوے اور مدعی علیہ اوسکی کوئی سبیل بذریعہ قسط بندی وغیرہ

## चंद रोज़ा मनाई के हुकम और दरमियानी हुकम

दफ़ा २१३ अगर किसी मुकदमे में अदालत को दरयाफ़त हो कि कोई फरीक जायदाद को खराब या मुन्तकिल करने में है तो अदालत उसको हुकम दे कि कुछ दिनों के लिये उस इरादे से बाज़ रहे या दूसरा बन्दोबस्त करे

दफ़ा २१४ अगर कोई जायदाद ऊपर के लिखे हुवे दफे के मूजिब रोकी जावे तो उस की कुरकी एक बरस से ज्यादा न रहेगी और इस अरसे में मुद्दई के हक में डिगरी होजावे और मुद्दाअला उसकी कोई सबील बज़रिये किस्तबंदी वगेरा के न करे तो अदालत

मुनासब समझ कर मुद्दई की हक रसी उस जाय दाद से क- रादे.. .. .. .. .. .. ..

दफ़ा २१५ जाय दाद रोकने के बारे में हमेशा लिहाज रहे कि कोई जाय दाद ऐसी न रोकी जावे कि जिससे मुद्दा अ- ला' कमा कमा कर खाता हो या जो उसके लिये जरूर हो जैसे' हल' बैल' बीज' मकान और खेत ल जमीन बगेरा.. .. ..

## दर[illegible]यानी हुकम

दफ़ा २१६ अगर कोई झगड़ की जाय दाद ऐसी चीज होकि उसके खराब होजाने का भरम हो या किसी जाय दाद को बेच देने की दरखास्त किसी फरीक की तरफ से गुजरी है तो चाहिये कि मुनासिब हुकम किसी पारखसको उसके ।



کے نکرے تو عدالت مناسب سمجھکر مدعی کی حقرسی اوس جائداد سے کرادے -

دفعہ ۲۱۵ - جائداد روکنے کے بارہ مین ہمیشہ لحاظ رہے کہ کوئی جائداد ایسی نہ روکی جاوے کہ جس سے مدعا علیہ کما کر کھاتا ہو یا جو اُسکے لئے ضروری ہو جیسے ہل بیل بیج مکان اور اراضی مزروعہ وغیرہ -

## احکام درمیانی

دفعہ ۲۱۶ - اگر کوئی جائداد متنازعہ ایسی شے ہے کہ اُسکے خراب ہوجانے کا احتمال ہے یا کسی جائداد کی نسبت کسی فریق کی درخواست واسطے فروخت کردینے کے گذری ہے تو لازم ہے کہ حکم مناسب اوسکے معائینہ

اور امتحان وغیرہ کا کسی شخص
کو دیا جاوے ۔

**دفعہ ۲۱۷** - اگر بعد امتحان
اور معائینہ کے ضرورت معلوم
ہو تو شے مذکور کو فروخت
کرا دیا جاوے بشرطیکہ
ایسا کرنے میں زیادہ نقصان
نہ ہوتا ہو ورنہ فریقین
میں سے کسیکو جو اُس
درخواست کے مخالف
ہو ذمہ دار حفاظت کا
کیا جاوے اور ضمانت
بقدر قیمت شے مذکور کے
جو اُس وقت اُٹھتی ہو
لیجاوے ۔

## باب اٹھائیسواں

### تقرر امین

**دفعہ ۲۱۸** - جب عدالت
بنظر حفاظت اور حراست
کسی جایداد کا انتظام کرنا

देखने और जांच करने वगैरा
का दीया जावे......

**दफा २१७** अगर बाद देख
ने और जांच करने के जरूरत
मालूम होतो उस चीज को
बिका दीया जावे मगर शरत
यह है कि ऐसा करने में ज्यादा
नुकसान न होता हो और जो
ऐसा होतो फरीकैन में से कि
सी को जो उस दरख्वास्त के
खिलाफ होवे जिम्मेवार हि
फाजत किया जावे और ज
मानत बकदर कीमत चीज
मजकूरा के जो उस वक्त उ
ठती हो लेली जावे....

## बाब अट्ठाईसवां

### तकरर अमीन

**दफा २१८** जब अदालत ब
नजर हिफाजत और हिरास
त के किसी जायदाद का इन्त

مناسب سمجھے تو جایز ہے کہ
کسی شخص کو مہتمم یا امین
جایداد مذکور کا مقرر
کرے اور جو روزگار اسکا
دلانا واجب معلوم ہو وہ
اس جایداد کی آمدنی
سے یا کسی فریق مقدمہ
سے دلاوے۔

**دفعہ ۲۱۹** - امین کو
ضرور ہوگا کہ حسب اطمینان
اور ہدایت عدالت کے
کاغذات حسابی تیار رکھے
اور ماہ بماہ یا حسب حکم
پیش کرنے کا ہو پیش کرے
اور جو باقی حساب کی رو سے
نکلے اس کو عند الطلب
حوالہ عدالت کر دے۔

**دفعہ ۲۲۰** - اگر کوئی
نقصان بعد سپردگی جایداد کے



ज़ाम सुना सिब समझे तो
जायज है कि किसी शख्स
को दरोगा या अमीन जाय
दाद मजकूर का मुकर्रर करे
और जो रोज़गार उस का दि
लाना वाजब वी मालूम हो व
ह उस जाय दाद की आमदनी
से या किसी फरीक मुकदमें
से दिलाया जावे · · · · · ·

**दफ़ा २१९** अमीन को जरूर
होगा कि हस्ब इतमीनान
और हिदायत अदालत के
कागजात हिसाबी तैयार रक्खे
और महीने के महीने या
जब हुकम पेश करने का
हो पेश करे और जो बाकी
हिसाब से निकले उस को
अदालत मांगे जब हाजिर
करे · · · · · · · · ·

**दफ़ा २२०** कोई नुकसा
न बाद सोंपने जायदाद के

अमीन की गफ़लत या तक़सीर से होजावे तो वो उस को देना होगा

امین کی غفلت یا تقصیر سے ہوجاوے تو وہ ذمہ وار اُسکے ادا کا ہوگا

दफ़ा २२१ अगर झोड़ की जायदाद कोई बड़ी जायदाद हो तो उसके बाबत अदालत को महकमे खास से मंज़ूरी या हुकम मुनासिब हिफ़ाज़त और हिरासत का हासिल करना होगा . . . . . . . . .

دفعہ ۲۲۱ - اگر جایداد متنازعہ کوئی بڑی جایداد ہو تو اوسکی بابت عدالت کو محکمہ خاص سے منظوری یا حکم مناسب حفاظت اور حراست کا حاصل کرنا ہوگا

# पाचवाँ हिस्सा
# پانچواں حصہ

## खास कारवाइयों के बयान में
## کارروائی ہائے خاص

## बाब उन्नीसवाँ
## باب انیسواں

### पंचायत
### پنچایت کے بیان مین

दफ़ा २२२ अगर फरीकैन किसी मुकदमे में पंचायत कराने पर राज़ी हों तो उनसे तहरीरी दरख्वास्त लेकर हुकम मंज़ूरी पंचायत का सादर किया जावे

دفعہ ۲۲۲ - اگر فریقین کسی مقدمہ مین پنچایت کرانے پر راضی ہون تو اُن سے تحریری درخواست لیکر حکم منظوری پنچایت کا

صادر کیا جاوے۔

**دفعہ ۲۲۳** - پنچوں کے مقرر کرنے کا اختیار فریقین کو تراضی طرفین کے ہے۔

**دفعہ ۲۲۴** - اگر کوئی شخص پنچان مقبولہ فریقین میں سے انکار کرے یا کسی پنچ کی بابت تکرار ہو اور فریقین یا ایک فریق کی یہ خواہش ہو کہ عدالت اپنی تجویز سے پنچ مقرر کردے تو اُن سے ویسی درخواست لیکر پنچ مقرر کئے جاویں۔

**دفعہ ۲۲۵** - عدالت بعد مقرر ہو جانے پنچوں کے مقدمہ کو پنچوں کے سپرد کردے اور ایک میعاد واسطے ادخال فیصلہ کے مقرر کرے جسکا ذکر حکم میں لکھا جاوے۔

जावे॰॰॰

**दफ़ा २२३** पंचो के मुकर्रर करने का अख़्तियार फरीकेन को आपस की रज़ामंदी से है॰॰॰

**दफ़ा २२४** फरीकेन के कबूल कीये हुवे पंचो मेसे अगर कोई शख़्स पंचायत करने से इनकार करे या किसी पंच के बाबत कोई तकरार हो या फरीकेन या एक फरीक की यह मरज़ी हो कि अदालत अपनी तजवीज़ से पंच मुकर्रर कर दे तो उन से वैसी दरख़्वास्त लेकर पंच मुकर्रर किये जावें॰॰॰

**दफ़ा २२५** बाद मुकर्रर होजाने पंचों के अदालत मुकदमे को पंचो के सुपुर्द करदे और एक मयाद वास्ते दाखिल करने फैसले के मुकर्रर करे जिसका ज़िक्र हुकम में लिखा जावे॰॰॰

دفعہ ۲۲۶ - اگر دو یا دو سے زیادہ پنچ ہوں اور ان میں اختلاف رائے ہو تو عدالت اپنی تجویز یا پنچوں کی تجویز سے ایک سرپنچ مقرر کردے اور اُس کو ایک مناسب میعاد واسطے فیصلہ کے دے -

दफ़ा २२६ अगर दो या दो से ज़ादे पंच हों और उनमें इख़्तलाफ़ राय हो तो अदालत अपनी तजवीज़ या पंचों की तजवीज़ से एक सर पंच मुकर्रर करदे और उसको एक मुनासिब मयाद वास्ते फ़ैसले के देवे . . . . . . . . . .

دفعہ ۲۲۷ اگر پنچ زیادہ ہوں تو اُن کو علیحدہ علیحدہ رائے لکھنے کا حکم دیا جاوے اور جس طرف کثرت رائے ہو اُس کا لحاظ کیا جاوے -

दफ़ा २२७ अगर पंच ज्यादे होंतो उन को अलेहदा अलेहदा राय लिखने का हुकम दिया जावे और जिस तरफ कसरत राय हो उस का लिहाज़ किया जावे . . . . . . . .

دفعہ ۲۲۸ - اگر کوئی پنچ یا سرپنچ مرجاوے یا کسی ضرورت سے کہیں باہر چلا جاوے یا پنچایت کرنے سے انکار کرے یا بوجہ غفلت وطرفداری کرنے کسی فریق کے لایق

दफ़ा २२८ अगर कोई पंच या सर पंच मरजावे या किसी ज़रूरत से कहीं बाहर चला जावे या पंचायत करने से इन्कार करे या किसी फरीक की तरफ दारी या गफ़लत करनेसे लायक

| | |
|---|---|
| پنچایت کے نرہے تو عدالت کو اختیار ہے کہ دوسرا پنچ بجائے اُس کے مقرر کردے یا حکم پنچایت کا منسوخ کردے ۔ | पंचायत के न रहे तो अदालत को अखतियार है कि दूसरा पंच उस की जगे मुकरर करदे या पंचायत का हुकम मनसूख करे |
| دفعہ ۲۲۹ ۔ اگر پنچ میعاد مقررہ میں فیصلہ نہ کر سکیں یا اُن کی رائے میں اتفاق نہو تو سرپنچ کو اختیار ہوگا کہ وہ خود فیصلہ کر کے مقدمہ پیش کرے | दफ़ा २२९ अगर पंच मयाद मुकर्ररा में फैसला न कर सके या उन की राय में इत्तफाक न हो तो सरपंच को अख्तियार होगा कि वो खुद फैसला करके मुकदमा पेश करे |
| دفعہ ۲۳۰ ۔ پنچوں کو فیصلہ کے بعد مثلمقدمہ مع اُن کاغذات کے جو اُنھوں نے مرتب کئے ہوں باطلاع فریقین عدالت میں واپس کرنا ہوگا اور فیصلہ پر اپنے دستخط کردیں فیصلہ معہ رائے پنچوں کے ہوگا ۔ | दफ़ा २३० पंचो को बाद फैसले के मिसल मुकदमा और वे कागज कि जो उन्होंने तैयार किये हों फरीकेन को इत्तला देकर अदालत में वापस करना होंगे और फैसले पर अपने दस्तखत करदें फैसला मये राय पंचो के होगा |
| دفعہ ۲۳۱ ۔ عدالت کو | दफ़ा २३१ अदालत को अ |

اختیار ہے کہ اگر پنچوں کے فیصلہ میں کوئی بیضابطگی یا نقص صریح دیکھے تو اوسکو ترمیم کرے یا فسوخ کر دیوے

دفعہ ۲۳۲ - اگر فیصلہ میں کسی امر کی تجویز باقی رہگئی ہو یا سمجھ میں نہ آتا ہو تو واسطے نظر ثانی کے پنچوں یا سرپنچ کے پاس واپس بھیجدیا جاوے -

دفعہ ۲۳۳ - اگر فیصلہ پنچوں میں کوئی سقم نہو اور قابل پسند اور اطمینان عدالت کے ہو تو جایز ہے کہ عدالت موافق اوسکے فیصلہ کرے -

## باب تیسواں

### فیصلہ بذریعہ حلف یا قسم وغیرہ کے

रव्तियार है कि अगर पंचोके फैसल्ने में कोई बेजाब्तगी या रवोट देरवे तो उसको तरमीम करे या मनसूरव कर देवे.. .. .. .. .. .. ..

दफ़ा २३२ अगर फैसल्ने में किसी अमर की तजबीज बाकी रह गई हो या समझ में न आता हो तो वास्ते नजर सानी के पंचो या सर पंच के पास वापिस भेज दिया जावे .. .. ..

दफ़ा २३३ अगर फैसल्ले पंचों में कोई रवोट नहो और काबिल पसंद और इतमीनान अदालत के होतो जायज है - कि अदालत माफिक उसके फैसला करे .. .. .. ..

## बाब तीसवाँ

### फैसल्ना बजरिये हल्फ या कसम वगेरा के

| | |
|---|---|
| دفعہ ۲۳۴ - اگر کسی مقدمہ میں قسم کے اوپر رضا مندی فریقین سے فیصلہ قرار پاتا ہو تو جو فریق قسم کہانے پر اور جو کہلانے پر راضی ہو اونکا اقرارنامہ لکھوالیا جاوے اور قسم حسب رواج ملک اجلاس عدالت میں یا کسی مندر میں کہلادیجاوے چیپ لکہا نا ضرور نہیں ہے - | दफ़ा २३४ अगर किसी मुकदमें में कसम के ऊपर रजा मंदी फरीकेन से फैसला करार पाता होतो जो फरीक कसम खाने पर और जो खिलाने पर राज़ी हो उन का इकरार नामा लिखवा लिया जावे। और कसम रिवाज मुलिक के माफिक इजलास अदालत में या किसी मंदिर में खिला दी जावे चीप लिखा ना जरूर नही |
| دفعہ ۲۳۵ - اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مدعی کہتا ہے کہ میرا جو دعوے ہے اوسکو میں اپنے دہرم ایمان سے کاغذ پر لکھدوں اور مدعی علیہ اگر اوسکو قبول نکرے تو اوسکے اوپر قسم پہیر دے ایسی صورت میں | दफ़ा २३५ अकसर ऐसा भी होता है कि मुद्दई कहता है कि मेरा जो दावा है उस को मैं अपने धरम ईमान से कागज पर लिख दूं और मुद्दा अले अगर उसको कबूल न करे तो उसके ऊपर कसम फेर दे ऐसी सूरत में व शर्ते रज़ा मंदी फरीकेन |

بشرط رضامندی فریقین کے فریقین سے کارروائی کرا کر موافق اسکے فیصلہ کردیا جاوے۔

دفعہ ۲۳۶ - ایک صورت یہ بھی مقدمات میں اکثر واقع ہو جایا کرتی ہے کہ مدعی تو خط یعنے تمسک پیش کرتا ہے اور مدعا علیہ کہتا ہے کہ مجھکو دینا نہیں ہے تب مدعی کہتا ہے کہ اگر دینا نہیں ہے تو مندر میں یا بر سر اجلاس عدالت کے اسکو بال دے یعنے خط نسخ اُس کے اوپر کھیچدے اگر اسبات پر فریقین راضی ہوں تو حسب ضابطہ اقرارنامہ لکھوا کر اُس کے موافق کارروائی کرا دیجاوے اور بعدہ مطابق اُس کے فیصلہ لکھا جاوے۔

دفعہ ۲۳۷ - جو مقدمات حسب دفعہ متذکرہ بالا

के फरीकेन से काररवाई करा कर मुवाफिक उसके फैसला करदिया जावे........

दफ़ा २३६ एक सूरत यह भी मुकदमात में अकसर आपड़ा करती है कि मुद्दई तो खत याने तमस्सुक पेश करता है और मुद्दा अले कहता है कि मुज को देना नही है तब मुद्दई कहता है कि अगर नही देना है तो मंदिर में या अदालत के इजलास में उसको वालदे याने उस के ऊपर कलम फेरदे अगर इस बात पर फरीकेन राजी हों तो हस्ब जाब्ते इकरारनामा लिखवाकर उस के माफक कार रवाई करादी जावे और फेर उसके माफक फैसला लिखा जावे.....

दफ़ा २३७ जो मुकदमात ऊपर लिखी हुई दफे के

قسم یا دھرم ایمان کی روسے فیصل ہوں وہ قطعی سمجھے جاویں اور اُن کا اپیل نہیں دیا جاوے مگر شرط یہ ہے کہ کُل کارروائی بموجب اقرار فریقین کے حسب اطمینان عدالت کے ہوگئی ہو۔

माफ़क कसम या धरम ईमान की रूसे फैसल हों वो कितई समझे जावें और उनका अपील नहीं दिया जावे मगर शरत ये है कि कुल कारर वाई ब मूजिब इकरार फरीकेन के हस्ब इतमीनान अदालत के होगई हो।

# چھٹا حصہ
# छटा हिस्सा

## ذکر اپیل
## जिक्र अपील

## باب اکتیسواں ۳۱
## बाब इकत्तीसवाँ

### اپیل بناراضی فیصلجات
### फैसलों की नाराजी का अपील

دفعہ ۲۳۸ - ہر ایک عدالت کے فیصلہ کی ناراضی کا اپیل مقدمات قابل اپیل میں میعاد مقررہ کے

दफा २३८ हर एक अदालत के फैसले की नाराज़ी का अपील मुकदमात काबिल अपील में मयाद मुकर्रर के

اندر اوس محکمہ مین دایر ہوگا جو مجاز سماعت اپیل عدالت مذکورہ کا ہے -

دفعہ ۲۳۹ - اپیلانٹ کو لازم ہے کہ درخواست اپیل کے ساتھہ موجبات ناراضی معہ نقل فیصلہ عدالت ماتحت کے داخل کرے موجبات ناراضی نمبروار اور سلسلہ دار عبارت مختصر اور مناسب مین لکھے جاوینگے اور کوئی برا لفظ کسی حاکم کی نسبت نہین لکھا جائیگا -

دفعہ ۲۴۰ - اپیلانٹ کو بلا اجازت عدالت اپیل کے اور کوئی وجہ لکھنی نہوگی اور نہ عدالت اپیل اپنی تجویز کسی ایسی وجہ پر قایم کرے گی کہ جو اپیلانٹ نے نہ لکھی ہو -

अंदर उस महकमे में दायर होगा जो मजाज समाअत अपील अदालत मज्कूर का है।

दफ़ा २३९ अपीलांट को लाजिम है कि दरख्वास्त अपील के साथ नाराजी के उजर मये नकल फैसले अदालत मातहत के दाखिल करे नाराजी के उजर नम्बरवार और सिलसिलेवार इबारत मुख्तसिर और मुनासिब में लिखे जायंगे और कोई बुरा लफ्ज किसी हाकम के निसबत न लिखा जायगा .. .. .. ..

दफ़ा २४० अपीलांट को बगैर इजाजत अदालत अपील के और कोई वजह लिखनी न होगी और न अदालत अपील अपनी तजबीज किसी ऐसी वजह के ऊपर कायम करेगी जो अपीलांट ने न

| | |
|---|---|
| نہ لکھی ہو۔ | लिखी हो . . . . . . . . . . |
| دفعہ ۲۴۱۔ اگر کسی مقدمہ میں ایک یا کئی شخص مدعی یا مدعی علیہ ہوں تو اوسکا اپیل ایک شخص بھی بقدر دعوے اپنے حصہ کے کر سکتاہے اور عدالت اپیل کو اختیار ہے کہ مقدمہ مذکورہ کو اوس کے حق میں منسوخ یا ترمیم کرے۔ | दफ़ा २४१ अगर किसी मुकदमें में एक या कई शख़्स मुद्दई या मुद्दा अले हों तो उसका अपील एक शख़्स भी अपने हिस्से के दावे का कर सकता है और अदालत अपील को अख़्तियार है कि मुकदमें मज़कूर को उसके हक़ में मनसूख़ या तरमीम करे . . . . . . . |
| دفعہ ۲۴۲۔ جب اپیل حسب ضابطہ داخل ہوجاوے تو تاریخ داخلہ اسکی پشت پر ثبت ہوکر رجسٹر اپیل میں نمبر پر درج کیا جاوے۔ | दफ़ा २४२ जब अपील हस्ब ज़ाबते दाख़ल होजावे तो तारीख़ दाख़ला उसकी पुश्त पर लिख कर रजिस्टर अपील में नम्बर पर दर्ज किया जावे . . . . . . . . . |
| دفعہ ۲۴۳۔ بعد درج رجسٹر ہوجانے درخواست اپیل کے عدالت ماتحت کو اطلاع اپیل ہونے کی دی جاوے۔ | दफ़ा २४३ बाद दर्ज रजिस्टर होजाने दरख़्वास्त अपील के अदालत मातहत को इत्तला अपील होने की दी जावे और |

اور مثل مقدمہ منگوائی جاوے
اور عدالت مذکور جہاں تک
ہوسکے بہت جلد اُس کو
عدالت اپیل میں بھیجدے -

دفعہ ۲۴۴ - عدالت
اپیل واسطے سماعت عذرات
اپیل کے ایک تاریخ مقرر کرکے
اپیلانٹ اور اُس کے وکیل
کی حاضری کا حکم دے
اور اُس دن اُس کے
عذرات سُنکر اگر فیصلہ
ماتحت مناسب معلوم ہو
تو حکم اُس کی بحالی کا لکھکر
ایک اطلاع عدالت
ماتحت کو اور دوسری
رسپانڈنٹ کو بابت بحالی
فیصلہ کے دیدے -

دفعہ ۲۴۵ - اگر بروقت
سماعت عذرات اپیل
کے رسپانڈنٹ کے بلانے
کی ضرورت واسطے

मिसल मुक़द्दमा मंगवाई जा
वे और अदालत मज़कूर ज
हां तक हो सके बहोत जल्द उ
सको अपील में भेज दे

दफ़ा २४४ अदालत अपील
वास्ते समाअत उज़रात अपी
ल के एक तारीख मुकर्रर क
र के अपीलांट और उसके
वकील की हाज़री का हुकम
दे और उस दिन उसके उज़रा
त सुनकर अगर फ़ैसला
मातहत मुनासिब मालूम
होतो हुकम उसकी बहाली
का लिखकर एक इत्तला
अदालत मातहत को और दू
सरी रसपांडट को बाबत
बहाली फ़ैसले के देदेवे

दफ़ा २४५ अगर बरवक़्त स
माअत उज़रात अपील के
रसपांडट के बुलाने की ज़
रूरत वास्ते जबाबदेही उज़

جوابدہی عذرات اپیلانٹ کے نظر آوے تو رسپانڈنٹ یا اُس کے وکیل کے نام اطلاعنامہ تعین تاریخ مناسب کہ جس میں وہ حاضر ہوسکے جاری کیا جاوے۔

दफ़ा २४६ - اطلاعنامے میں یہ بھی لکھا جاوے کہ اگر وہ تاریخ مقررہ پر حاضر نہوگا تو اپیل یکطرفہ سنا جاوے گا۔

## کارروائی وقت سماعت اپیل

دفعہ ۲۴۷ - اگر اپیلانٹ تاریخ مقررہ پر یا کسی دوسری تاریخ پر کہ جس تک سماعت مقدمہ کی ملتوی رکھی گئی ہو اصالتاً یا وکالتاً حاضر نہو تو اوس کا اپیل عدم پیروی

रात अपीलांट के नजर आवे तो रुसपांडंट या उसके वकील के नाम इत्तलानामा तारीख मुनासिब मुकर्रर करके कि जिससे वो हाजर हो सके जारी किया जावे ........

दफ़ा २४६ इत्तलानामे में यह भी लिखा जावे कि अगर वो तारीख मुकर्रेरा पर हाजर न होगा तो अपील एक तरफा सुना जावेगा .......

## काररवाई वक्त समा अत अपील

दफ़ा २४७ अगर अपीलांट तारीख मुकर्रेरा पर या किसी दूसरी तारीख पर कि जिस तक मुकदमें की समाअत मुल तवी रखी गई हो असालतन या वकालतन हाजर न हो तो उसका अपील अदम

میں خارج کردیا جاوے -

دفعہ ۲۴۸ - اگر اپیلانٹ حاضر ہوجاوے اور رسپانڈنٹ تاریخ مقررہ یا تاریخ آیندہ پیشی مقدمہ پر حاضر نہ آوے تو اپیل کی سماعت اُس کی غیر حاضری میں یکطرفہ کی جاوے -

دفعہ ۲۴۹ - اگر کوئی اپیل بوجہ غیر حاضری اپیلانٹ یا داخل نہ کرنے خرچہ طلبی رسپانڈنٹ سکنہ علاقہ غیر کے خارج کیا جاوے تو اپیلانٹ مجاز ہے کہ واسطے داخل کرنے دوسرے اپیل کے وجہ موجہ اپنی غیر حاضری کی یا خرچہ داخل نہ کرنے کی پیش کرکے درخواست دے اگر وہ وجہ قابل اطمینان عدالت کے ہو عدالت اپیل اوسکی درخواست

पैरवीमें खारज कर दिया जावे।

दफ़ा २४८ अगर अपीलांट हाजर हो जावे और रसपांडंट तारीख मुकर्रे या तारीख आयंदा पेशी मुकदमेपर हाजर न आवे तो अपील की समाअत उसी की गैर हाजरीमे इकतरफा की जावे .. .. ..

दफ़ा २४९ अगर कोई अपील ब वजे गैर हाजरी अपीलांट या दाखल न करने खरचा तलबी रसपांडंट सकने इलाके गैरके खारज किया जावे तो अपीलांट को मजाज है कि वास्ते दाखल करने दूसरे अपील के अपनी गैर हाजरी या खरचा न दाखल करने का पक्का सबब लिख कर दरखास्त दे अगर वो सबब काबिल इत्मीनान अदालत के होतो अदालत अपील उसकी दर

| | |
|---|---|
| منظور کرے اور دوبارہ اپیل سُنے ۔ | ख्वास्त मंजूर करे और दुबारा अपील सुने ·· ·· ·· ·· |
| دفعہ ۲۵۰ - اسیطرح اگر رسپانڈنٹ وجہ موجہ غیر حاضری کی پیش کرکے درخواست ازسر نو سماعت اپیل کی گذرانے تو عدالت کو جایز ہے کہ بشرط ہونے وجہہ کافی غیر حاضری کی ازسر نو سماعت اپیل کی کرے ۔ | दफ़ा २५० इसीतरह अगर रुसपाडंट वजह माकूल गैर हाज़री की पेश करके दरख्वास्त नये सिरे से समाअत करने अपील की गुजराने तो अदालत को जायज़ है कि गैर हाज़री की माकूल वजे पाई जावे तो अपील की समाअत नये सिरे से करे ·· ·· ·· ·· |
| دفعہ ۲۵۱ - اگر عدالت ماتحت سے مقدمہ کی سماعت میں کچھہ فروگذاشت ہوگیا ہو اور اپیل اوسکی تحقیقات اور تجویز کی ضرورت سمجھے تو مثل کو معہ اپنے حکم کے واسطے تحقیقات اور تجویز امر مذکورہ کے عدالت ماتحت میں واپس بھیجدے اور عدالت ماتحت | दफ़ा २५१ अगर अदालत मातहत से मुकदमे की समाअत में कुछ रह गया हो और अपील उसकी तहकीकात और तजवीज की जरूरत समझे तो मिसल को मये अपने हुकम के वास्ते तहकीकात और तजवीज़ अमर मज़कूरा के अदालत मातहत में वापिस भेज दे और अदालत मात |

اُس مقدمہ کو نمبر سابق پر قایم کرکے تعمیل حکم اپیل کی کرے۔

**دفعہ ۲۵۲** - اگر کوئی شہادت عدالت ماتحت میں نہ لیگئی ہو اور اپیل سے مثل واسطے لینے شہادت مذکورہ کے واپس بھیجی جاوے تو عدالت ماتحت کو سوائے اُس شہادت کے اور کسی شہادت کے لینے کا اختیار نہ ہوگا کہ جو اوس شہادت کی تردید کے لیئے پیش کی گئی ہو۔

**دفعہ ۲۵۳** - عدالت اپیل واسطے تکمیل اپنے فیصلہ کے اگر کسی فریق کے جدید گواہ کی شہادت لینا یا کوئی نئی دستاویز دیکھنا مناسب سمجھے تو اُس کا حکم صادر کرسکتی ہے۔

हत उस मुकद्दमें को नम्बर साबिक पर कायम करके तामील हुकम की करे ......

**दफा २५२** अगर कोई शहादत अदालत मातहत में न ली गई हो और अपील से मिसल वास्ते लेने शहादत मजकूरा के वापिस भेजी जावे तो अदालत मातहत को सिवाय उस शहादत के और किसी ऐसी शहादत लेने का अख्तियार न होगा कि जो उस शहादत की तरदीद के लिये पेश की गई हो .....

**दफा २५३** अदालत अपील वास्ते तकमील अपने फैसले के अगर किसी फरीक के नये गवाह की शहादत लेना या कोई नई दस्तावेज देखना मुनासिब समझे तो उसका हुकम सादर कर सकती है .....

## ذکر فیصلہ اپیل

دفعہ ۲۵۴ - عدالت اپیل بعد سماعت عذرات فریقین اور ملاحظہ مثل کے اپنا فیصلہ فریقین کو بر سر اجلاس سُناوے -

دفعہ ۲۵۵ - فیصلہ عدالت اپیل میں امور مندرجہ ذیل درج ہونا چاہیئے -

۱ - امور تجویز طلب -

۲ - تجویز نسبت امور تجویز طلب کے -

۳ - وجوہات تجویز -

۴ - بصورت تنسیخ و ترمیم ڈگری عدالت ماتحت کے وہ دادرسی کہ جس کا مستحق اپیلانٹ ہو -

دفعہ ۲۵۶ - اگر فریقین باہم راضی ہو جاویں یا باہمی رضامندی سے

## ज़िक्र फ़ैसले अपील का

दफ़ा २५४ अदालत अपील बाद समाअत उज़रात फ़रीक़ैन और मुलाहिज़े मिसल के अपना फ़ैसला फ़रीक़ैन को बर सरे इजलास सुना देवे

दफ़ा २५५ फ़ैसला अदालत अपील में आमूर मुन्दरजे ज़ेल दरज होना चाहिये

१ अमूर तजवीज़ तलब

२ तजवीज़ निसबत अमूर तजवीज़ तलब

३ वजूहात तजवीज़

४ और बसूरत तनसीख़ या मनसूख़ करने फ़ैसले अदालत मातहत के वह दाद रसी कि जिसका हक़दार अपीलांट हो

दफ़ा २५६ अगर फ़रीक़ैन आपस में राज़ी होजावें या आपस की रज़ामन्दी से इस

اس بات پر اتفاق کریں کہ فیصلہ اپیل اسطور پر صادر ہونا چاہیئے تو عدالت اپیل اسیطور پر فیصلہ صادر کرے۔

## ڈگری بذریعہ اپیل

**دفعہ ۲۵۷** - عدالت اپیل کی ڈگری میں تاریخ سنائی جانے فیصلہ کی اور نمبر اپیل اور یادداشت اپیل اور نام و نشان وغیرہ اپیلانٹ اور رسپانڈنٹ کا درج ہوگا اور ذکر دادرسی و دیگر تجویز کا جو صیغۂ اپیل سے ہوئی ہو بصراحت لکھا جاویگا اور یہ کہ خرچہ اپیل کس کس فریق کے ذمہ کس کس حساب سے لگایا جاوے اور جج کے دستخط ہوں گے اور تاریخ ڈگری کی لکھی جائے گی۔

बात पर इत्तफाक करे कि फैसला अपील का इस तौर पर होना चाहिये तो अदालत अपील उसी तौर पर फैसला कर देवे·

## डिगरी बसीगे अपील॥

**दफा २५७** अदालत अपील की डिगरी में तारीख सुनाई जाने फैसले की और नम्बर अपील और याददाश्त अपील और नाम पता वगैरे अपीलांट और रसपांडट का दरज होगा· और ज़िक्र दादरसी और दूसरी तजवीज का जो सीगे अपील से हुई हो बिगतवार लिखा जायगा और यह भी दरज किया जायगा· कि खरचा· अपील का किस किस फरीक के जिम्मे किसकिस हिसाब से लगाया जावे और जज के दस्तखत होंगे और तारीख डिगरी की लिखी जायगी·· ····

دفعہ ۲۵۸ - ایک نقل ڈگری اور فیصلہ اپیل کی واسطے اطلاع کے عدالت ماتحت میں کہ جس کی ناراضی سے اپیل ہوا ہو اصل مثل مقدمہ کے ساتھ بھیجی جاوے گی اور فیصلہ عدالت اپیل کا مقدمات دیوانی کے رجسٹر میں جو موجود اپیل رہے گا درج کیا جاوے۔

दफा २५८ एक नकल डिगरी और फैसले अपील की वास्ते इत्तला के अदालत मातहत में कि जिसकी नाराजी से अपील हुआ हो असल मिसल मुकद्दमा के साथ भेजी जावेगी और फैसला अदालत अपील का मुकद्दमात दीवानी के रजिष्टर में भी मौजूद अपील रहेगा दर्ज किया जावेगा ... ...

دفعہ ۲۵۹ - اپیل کی ڈگری کا اجرا عدالت ماتحت سے بروقت گزرنے درخواست کسی فریق مستحق کے اوسی طور پر ہو گا اور مطابق آئین قواعد کے ہو گا کہ جیسا واسطے اجرائے ڈگری خاص عدالت مسطورہ کے حکم ہو چکا ہے۔

दफा २५९ अपील की डिगरी का इजराय अदालत मातहत से बरवक्त गुजरने दरखास्त किसी फरीक हकदार के उसी तौर पर होगा और माफक कवाइद के होगा कि जैसा वास्ते इजराय डिगरी खास अदालत मजकूर के हुकम हो चुका है ..

## اپیل بناراضی فیصلہ عدالت اپیل

## अपील ब नाराजी फैसले अपील

**دفعہ ۲۶۰** - محکمۂ اپیل کے
ہرایک فیصلہ کا اپیل اُن
مقدمات میں کہ قابل اپیل
ہوں یا جن میں محکمۂ اپیل
کا اتفاق رائے عدالت
ماتحت سے نہ رہا ہو محکمۂ
خاص میں ہوگا -

**دفعہ ۲۶۱** - جن مقدمات
قابل اپیل کا فیصلہ کورٹ
سرداران سے بصیغۂ اپیل
ہو اور اُن میں رائے کورٹ
کی عدالت ماتحت سے
متفق رہے اس کا اپیل تو
نہوگا اور جن مقدمات میں
اتفاق رائے نہو اُن کا
اپیل باضابطۂ محکمۂ خاص
میں ہوسکےگا -

**دفعہ ۲۶۲** - جو مقدمات کہ
ماتحت محکمہ میں بعد تحقیقات مُفلسی
کسی فریق کے بصیغۂ مُفلسی
دایر ہوں اُن کا --

**दफा २६०** महकमे अपीलके
हर एक फैसले का अपील उ
न मुकदमात में कि काबिल
अपील हों या जिनमें महकमे
अपील का अदालत मातहत
से इत्तफाक राय न रहा हो
महकमे खास में होगा ....

**दफा २६१** जिन मुकदमात
काबिल अपीलका फैसला
कोर्ट सरदारान से बसीगे अ
पील हों और उसमें राय कोर्ट
की और अदालत मातहत
की एक रहे उसका अपील
तो न होगा और जिन मुकद
मात में इत्तफाक राय न हो
उनका अपील बा जाबता म
हकमे खास में होसकेगा ..

**दफा २६२** जो मुकदमात कि
मातहत महकमे में बाद तह
कीकात मुफलिसी किसी फ
रीक के बसीगे मुफलिसी दा

| | |
|---|---|
| اپیل بھی بصیغۂ مفلسی اُسی فریق کی طرف سے محکمۂ اپیل میں دایر ہو سکے گا - | यर हों उनका अपील भी बसीगे मुफलसी उसी फरीक की तरफ से महकमे अपील में दायर हो सकेगा ........ |
| دفعہ ۲۶۳ - اگر کوئی فریق محکمۂ اپیل میں بصیغۂ مفلسی اپیل کرنے کی درخواست دے تو بصورت مفلس ہونے کے منظور کیجاوے اور اُس کو سارٹیفکٹ مفلسی کا دیا جاوے - | दफ़ा २६३ अगर कोई फरीक महकमे अपील में बसीगे मुफलसी अपील करने की दरख्वास्त दे तो बसूरत मुफलिस होने के मंजूर की जावे और उसको सारटीफीकट मुफलिसी का दिया जावे ...... |

## حصۂ ساتواں
## सातवाँ हिस्सा

## باب بتیسواں ۳۲
## बाब बत्तीसवाँ

### استصواب محکمۂ خاص سے اور نگرانی محکمہ خاص کی
### इस्तस्वाब महकमे खास से और निगरानी महकमे खास की

| | |
|---|---|
| دفعہ ۲۶۴ - اگر کسی مقدمہ کی تحقیقات میں یا بر وقت فیصلے کے کوئی بحث | दफ़ा २६४ अगर किसी मुकद्दमे की तहकीकात में या बरवक्त फैसले के कोई - |

| | |
|---|---|
| قانون یا رسم و رواج کے متعلق آپڑے یا کسی دستاویز سے ایسے معنی پیدا ہوتے ہوں کہ جنکا اثر کسی پہلو سے روئداد مقدمہ پر پڑتا ہو اور عدالت مجوز مقدمہ یا اپیل کو شبہ معقول پیدا ہو تو عدالت مذکور واقعات مقدمہ کی کیفیت لکھکر معہ اپنی رائے کے واسطے تصفیہ امر مسطورہ کے استصواباً محکمہ خاص میں مرسل کرے اور وہاں سے ہدایت آنے تک مقدمہ کو ملتوی رکھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | बहस कानून की या रस्म रिवाज की आपड़े या किसी दस्तावेज से ऐसे मायने पैदा होते हों कि जिन का असर कोई पहलूसे रूयदाद मुकदमे पर पड़ता हो और अदालत मुजव्वज या अपील को शुबाह माकूल पैदा होतो अदालत मजकूर हकीकत मुकदमें की लिखकर अपनी राय के साथ वास्ते तसफिये उस अमर के इस्तसवाब के वास्ते महकमें खास में भेजे और वहां से हिदायत आने तक मुकदमें को मुलतवी रक्खे. . . . . . . . |
| دفعہ ۲۶۵ - محکمہ خاص ہر ایک ایسے استصواب پر غور کرکے جو بات اوس کے نزدیک قرین مصلحت اور مقرون انصاف معلوم ہوگی اوس کے مطابق جواب | दफा २६५ महकमा खास हर एक ऐसे इस्तसवाब पर गौर करके जो बात उस के नजदीक मुनासिब मालूम होगी उसके मुताबिक जवाब |

حکم واسطے ہدایت عدال[ت]
مسطور کے صادر کرے گا و[ہ]
عدالت مذکور کو ہر حال میں
واجب التسلیم اور قابل
التعمیل ہوگا +

دفعہ ۲۶۶- اگر کوئی عدالت
قبل از وصول جواب محکمہ خاص
حکم اخیر اپنی تجویز سے اوس
مقدمہ میں دیدے گی تو و[ہ]
حکم بصورت خلاف ہونے
ہدایت محکمہ خاص کے
قابل منسوخی کے
ہوگا -

دفعہ ۲۶۷ - محکمہ خاص کو
اختیار ہے کہ جس مقدمہ
میں کوئی استصواب کسی
محکمہ ماتحت سے کیا جاوے
اگر مناسب سمجھے تو اوس کی
مثل بھی اوس محکمہ
سے منگوا کے ملاحظہ
کرے اور پھر جو حکم کر[ے]

में हुकम वास्ते हिदायत अदाल
त मजकूर के सादर करेगा वह
अदालत मजकूर को हर हाल
में मान ना पड़ेगा और उसकी
तामील करनी होगी .. .. ..

दफ़ा २६६ अगर कोई अदा
लत महकमे खास का जवाब
पहुंचने से पहले हुकम आखीर
अपनी तजवीज से उस मुकद
मेमें देदेगी तो वह हुकम बसू
रत खिलाफ होने हिदायत म
हकमे खास के काबिल मन
सूखी के होगा .. .. .. ..

दफ़ा २६७ महकमे खास को
अखतियार है कि जिस मुकद
मेमें कोई इस्तसवाब किसी
महकमे मातहत से किया जावे
अगर मुनासिब समझे तो उस
की मिसल भी उस महकमे
से मंगवा कर मुलाहिजा करे
और फिर जो हुकम मुना

सिव मालूम हो वास्ते हिदायत
के महकमे मज्जकूर के नाम
सादर करे ........

दफ़ा २६८ महकमे खासको
यह भी अख्तियार है कि जिस
मुकदमें का कि महकमे म
ज कूर में अपील नहीं होताहै
उस की मिसल बसीगे निग
रानी वक्त दरयाफ्त होने हा
ल किसी बेजाबते काररवाई
के जो मुकदमें मजकूर में हु
ई हो या बसूरत नालशी और
शाकी होने किसी फरीक़ मुक
दमें के मंगवा कर मुलाहिजा
करे या जो मुनासिब हो हुकम
बर खिलाफ फैसले महकमें
मजकूर के दे ........

## आठवां हिस्सा

## बाब तेतीसवां

مناسب معلوم ہو واسطے
ہدایت کے محکمہ مسطور کے
نام صادر کرے۔

**دفعہ ۲۶۸** ۔ محکمہ خاص کو
یہ بھی اختیار ہے کہ جس
مقدمہ کا کہ محکمہ مذکور
میں اپیل نہیں ہوتا ہے
اس کی مثل بصیغہ نگرانی
بروقت دریافت ہونے
حال کسی بے ضابطہ کارروائی
کے جو مقدمہ مذکور میں ہوئی
ہو یا بصورت نالشی اور
شاکی ہونے کسی فریق مقدمہ
کے منگواکر ملاحظہ کرے
یا جو مناسب ہو حکم برخلاف
فیصلہ محکمہ مذکور کے
دے۔

## آٹھواں حصہ

## باب تینتیسواں ۳۳

# तजवीज़ सानी के बयान में

# تجویز ثانی

दफा २६९ अगर कोई श-ख्स किसी अदालत के फैसले से हक़ तलफी समझे तो उन मुकद्दमात में कि जिनको कतई फैसला करने का अख्तियार अदालत मज़कूर को हो एक महीने के अन्दर नज़र सानी की दरख्वास्त उसी अदालत में दे सकता है ....

دفعہ ۲۶۹ - اگر کوئی شخص کسی عدالت کے فیصلہ سے حق تلفی سمجھے تو اون مقدمات میں کہ جنکے قطعی فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت مذکور کو ہو ایک مہینے کے اندر نظر ثانی کی درخواست اُسی عدالت میں دیسکتا ہے -

दफा २७० ऐसी दरख्वास्त अगर कोई माकूल वजेह रखती हो या सायल ने उसमें ऐसी दस्तावेज का हवाला दिया हो कि पहले बरवक्त पेशी मुकद्दमे के उसके कबजे या अख्तियार में न थी या भूल से रह गई थी या कोई नई और ज़रूरी शहादत के दरयाफ्त होने का ज़िक्र

دفعہ ۲۷۰ - ایسی درخواست اگر کسی معقول وجہ پر مبنی ہو یا سائل نے اُس میں کسی ایسی دستاویز کا حوالہ دیا ہو کہ پہلے بروقت پیشی مقدمہ کے اُس کے قبضہ یا اختیار میں نہ تھی یا سہو سے رہگئی تھی یا کوئی شہادت ضروری اور جدید کے دریافت ہونیکا ذکر ہو

| | |
|---|---|
| جو بر وقت صادر ہونے ڈگری کے اوسکو معلوم نہ تھی تو جایز ہے کہ عدالت مجوزہ یا عدالت اپیل درخواست مذکور کو منظور کرکے مقدمہ کو پھر برآمد کرے اور منظوری کی وجہ لکھے ۔ | हो जो वर वक्त सादर होने डिगरी के उसको मालूम न थी तो जायज़ है कि अदालत मुजव्वज़ या अदालत अपील दरखास्त मज़कूर को मंज़ूर करके फिर मुकदमे को बरआमद करे और मंज़ूरी की वजह लिखे .. .. |
| دفعہ ۲۷۱ - اور اگر عدالت کو دریافت ہو کہ تجویز ثانی کی کوئی وجہ کافی نہیں ہے تو درخواست نامنظور کرے ۔ | दफ़ा २७१ और अगर अदालत को दरयाफ़्त हो कि तज़्बीज़ सानी की कोई वजह काफ़ी नहीं है तो दरखास्त नामंज़ूर करे .. .. .. .. .. |
| دفعہ ۲۷۲ - جب درخواست تجویز ثانی منظور کی جاوے تو عدالت کو لازم ہے کہ اُس کی یادداشت رجسٹر میں لکھے اور فوراً مقدمہ کی دوبارہ سماعت یا تحقیقات مین مصروف ہو اور بعد سماعت یا تحقیقات کے اوس وقت جیسی کچھ رویداد مقدمہ کی ہو | दफ़ा २७२ जब दरखास्त तज़्बीज़ सानी की मंज़ूर की जावे तो अदालत को लाज़िम है कि उस की याददाश्त रजिष्टर में लिखे और फौरन मुकदमे की दुबारा समाअत या तहकीकात में मसरूफ़ हो और बाद समाअत या तहकीकात के उस वक्त जैसी कुछ रुयदाद मुकदमे की हो |

مطابق اوسکے حکم بحالی یا
منسوخی یا ترمیم فیصلہ سابق
کا صادر کرے -

دفعہ ۲۷۳ - جو فیصلہ اسطور
سے نظرثانی میں منسوخ یا
ترمیم کیا جاوے اوسکی
نگرانی محکمہ خاص سے کسی
فریق مقدمہ کی درخواست
کرنے پر ہوسکے گی -

## نواں حصہ

## باب چونتیسواں

### مراتب متفرق کا بیان

دفعہ ۲۷۴ - چونکہ سرکار دربار سے
ممانعت ہے کہ کوئی شخص
زنانہ سرداران کو بلا حکم راج
کے قرضہ نہ دیوے اسلئے
کوئی نالش ایسے قرضہ کی

मुताबिक उसके हुकम बहाली
या मन सूखी या तर मीम फैसले
साबिक का सादर करे ·· ·· ··

दफ़ा २७३ जो फैसला इस तौ
र से नजर सानी में मन सूख
या तर मीम किया जावे उसकी
निगरानी महकमे खास से कि
सी फरीक मुकदमे की दर खा
स्त करने पर हो सकेगी ·· ··

## नवाँ हिस्सा

## बाब चौतीसवाँ

### फुटकर बातों के बयान में

दफ़ा २७४ जोकि श्री दरबा
र से मनाई है कि कोई शख्स
जनाने सिरदारों को बगैर हुक
म राज के करजा न देवे इस
लिये कोई नालिश ऐसे करजे

| جو بطور خود بلا حکم سری دربار کے کسی زنانہ سرکار میں دیا گیا ہو کسی عدالت دیوانی میں نہیں سنی جائے گی - | कीजोबतौर खुदबगैर हुक्म श्री दरबार के किसी जनानी सरकार में दिया गया हो किसी अदालत दीवानी में नही सुनी जायगी . . . . . . . . |
|---|---|
| دفعہ ۲۷۵ - کوئی پردہ نشین عورت جو حسب رواج ملک حاضری عدالت سے معاف ہے جبراً کسی مقدمہ کی پیروی یا جوابدہی یا ادائے شہادت کے لئے کسی عدالت میں حاضر نہ کیجائے گی - | दफा २७५ कोई परदे नशीन औरत जो माफिक रिवाज मुल्क के हाजरी अदालत से मुआफ है जबरन किसी मुकदमे की पैरवी या जवाबदही या गवाही देने के लिये किसी अदालत में हाजर न की जायगी . . . . |
| دفعہ ۲۷۶ - جو شخص کہ بلحاظ اپنے درجہ اور مرتبہ کے سری دربار میں تعظیم پاتے ہیں اصالتاً عدالت میں حاضر ہونے سے معاف رہیں گے اور اُن کی فہرست اس مجموعہ کے اخیر میں شامل ہے - | दफा २७६ जो शख्स कि अपने दरजे और मरतबे के श्री दरबार में ताजीम पाते हैं असालतन अदालत में हाजर होने से मुआफ रहेंगे और उनकी फेहरिस्त इस कानून के अखीर में शामिल है . . . . . . |
| دفعہ ۲۷۷ - کارروائی عدالتوں کی اب تک جس زبان | दफा २७७ कारवाई अदालतों की अबतक जिस जबान |

में होती है उसी ज़बान में होती रहेगी और दूसरी ज़बान बगैर हुक्म श्री दरबार के जारी न होगी . . . . . . . .

दफ़ा २७८ हर एक अदालत दीवानी या अपील को तमाम कारर्वाईयों में पैरवी हर एक ज़ाब्ते मुंदर्जे इस मज्मूए की जहां तक कि मुमकिन हो करनी होगी . . . . .

दफ़ा २७९ महकमे खास को अख़्तियार है कि वक्तन फ़ौक़तन निगरानी और जांच और पड़ताल हर एक अदालत की कारर्वाई की बज़रिये किसी अपने अहल्कार के किया करेगा कि आया वो बमूजब ज़ाब्ते मुंदर्जे इस मज्मूए के होती है या नहीं . . . .

दफ़ा २८० हर एक अदालत सदर और परगनात को वा

میں ہوتی ہے اُسی زبان میں ہوتی رہے گی اور دوسری زبان بغیر حکم سری دربار کے مروّج نہو گی -

دفعہ ۲۷۸ - ہر ایک عدالت دیوانی یا اپیل کو تمام کارروائیوں میں پیروی ہر ایک ضابطہ مندرجہ مجموعۂ ہذا کی جہاں تک کہ ممکن ہو کرنا ہوگی -

دفعہ ۲۷۹ - محکمہ خاص کو اختیار ہے کہ وقتاً فوقتاً نگرانی اور جانچ پڑتال ہر ایک عدالت کی کارروائی کی بذریعۂ اپنے کسی عہدہ دار یا اہل کار کے کیا کرے گا کہ آیا وہ بموجب ضابطہ مندرجۂ مجموعہ ھذا کی ہوتی ہے یا نہیں -

دفعہ ۲۸۰ - ہر ایک عدالت صدر و پرگنات کو

واجب ہوگا کہ نقشہ اپنی کارگزاری کا ماہوار سہ ماہی اور ششماہی و سالانہ محکمہ بالادست اور نیز محکمہ خاص میں بھیجتی رہے اور جو بات بابت کسی ضابطہ اور قاعدہ مندرجہ مجموعہ ہذا کے سمجھ میں نہ آوے اوس کے لئے محکمہ موصوفہ سے ہدایت طلب کیا کرے۔ فقط۔

## ضمیمہ جات

### مجموعہ ضابطہ دیوانی

### ضمیمہ اول

بابت تفصیل اسامیان تعظیمی جو بنظر اپنے رتبہ اور درجہ کے اصالتاً حاضری عدالت سے معاف ہیں

जिब होगा कि नकशा अपनी कार गुजारी का माहवार और सिमाही और पिशमाही और सालाना महकमे बाला दस्त और महकमे खास में भी भेजते रहें और जो बात बाबत किसी जाब्ते और कायदे मुंदर्जे इस मजमूए के समझ में न आवे उसके लिये महकमे मौसूफ से हिदायत तलब किया करे फकत .. .. .. ..

## जिमे जात

### मजमूए जाब्ते दीवानी

### जिमे अव्वल

ताजीमी असामियों की बिगत जो असालतन हाजरी अदालत भी दरबार से माफ किये गये हैं

| سری مہاراج صاحبان | | | श्री महाराज साहबान |
|---|---|---|---|
| نام اسامی | نمبر شمار | नंबर | आसामियों के नाम |
| مہاراج سری زور آور سنگھ جی | ۱ | १ | महाराज श्री जोरावरसिंघजी |
| مہاراج سری پرتاب سنگھ جی صاحب اعلے - | ۲ | २ | महाराज श्री परताप सिंघ जी सुहिब आला |
| مہاراج سری رنجیت سنگھ جی | ۳ | ३ | महाराज रणजीत सिंघजी |
| مہاراج سری بھوپال سنگھ جی | ۴ | ४ | महाराज श्री भोपाल सिंघजी |
| مہاراج سری کشور سنگھ جی کمانڈر انچیف - | ۵ | ५ | महाराज श्री किसोर सिंघजी कमांडर इनचीफ |
| مہاراج سری دولت سنگھ جی | ۶ | ६ | महाराज श्री दौलत सिंघजी |
| مہاراج سری محبت سنگھ جی | ۷ | ७ | महाराज श्री मोहबत सिंघजी |
| مہاراج سری ظالم سنگھ جی | ۸ | ८ | महाराज श्री जालम सिंघजी |
| مہاراج سری جیون سنگھ جی | ۹ | ९ | महाराज श्री जीवण सिंघजी |

| راؤ راجہ صاحبان | | | राव राजा साहबान |
|---|---|---|---|
| نام اسامی | نمبر شمار | | आसामियों के नाम |
| راؤ راجہ مدن سنگھ جی | ۱ | १ | राव राजा मदन सिंघजी |
| راؤ راجہ امر سنگھ جی | ۲ | २ | राव राजा अमर सिंघजी |
| راؤ راجہ رگھناتھ سنگھ جی | ۳ | ३ | राव राजा रघुनाथ सिंघजी |
| راؤ راجہ جوان سنگھ جی | ۴ | ४ | राव राजा जवान सिंघजी |
| راؤ راجہ ساونت سنگھ جی | ۵ | ५ | राव राजा सांवत सिंघजी |
| راؤ راجہ بھانہ تھ سنگھ جی | ۶ | ६ | राव राजा भारथ सिंघजी |

| نام اسامی | نمبر | नंबर | आसामियों के नाम |
|---|---|---|---|
| راؤ راجہ مول سنگھ جی | ۷ | ७ | राव राजा मूलसिंह जी |
| راؤ راجہ شیوناتھ سنگھ جی | ۸ | ८ | राव राजा शिव नाथ सिंघजी |
| راؤ راجہ سوہن سنگھ جی | ۹ | ९ | राव राजा सोहन सिंघजी |
| راؤ راجہ موتی سنگھ جی | ۱۰ | १० | राव राजा मोती सिंघजी |
| راؤ راجہ تیج سنگھ جی | ۱۱ | ११ | राव राजा तेज सिंघजी मिलटरी |
| ملیٹری سیکرٹری | | | सिकरेटरी ........ |
| راؤ راجہ کلیان سنگھ جی | ۱۲ | १२ | राव राजा कल्यान सिंहजी |
| راؤ راجہ بھیرون سنگھ جی | ۱۳ | १३ | राव राजा भेरू सिंघजी |
| راؤ راجہ سردار سنگھ جی | ۱۴ | १४ | राव राजा सरदार सिंघजी |
| راؤ راجہ فتح سنگھ جی | ۱۵ | १५ | राव राजा फते सिंहजी |
| سندہی صاحبزادہ محمد عباس علی | | | सिंधी साहबजादा महम्मद अब |
| خان جی - | | | वास अली खांजी ...... |
| اُمراء و سرداران | | | उमराव |
| ٹھاکر پوکھرن | ۱ | १ | पोहकरण ठाकर |
| ٹھاکر آہوہ | ۲ | २ | आउवा ठाकर |
| ٹھاکر آشوپ | ۳ | ३ | आसोप ठाकर |
| ٹھاکر ریاں | ۴ | ४ | रियां ठाकर |
| ٹھاکر کھیروہ | ۵ | ५ | खेरवा ठाकर |
| ٹھاکر بہادر اجن | ۶ | ६ | भाद्राजण ठाकर |
| ٹھاکر راس | ۷ | ७ | रास ठाकर |

| نام اسامی | نمبر | नंबर | आसामियों के नाम |
|---|---|---|---|
| ٹھاکر رائے پور | ۸ | ८ | रायपुर ठाकर |
| ٹھاکر نیباج | ۹ | ६ | नीबाज ठाकर |
| ٹھاکر کوچاون | ۱۰ | १० | कुचामण ठाकर |
| ٹھاکر آہور | ۱۱ | ११ | आहोर ठाकर |
| ٹھاکر بلوندہ | ۱۲ | १२ | वलूंदा ठाकर |
| ٹھاکر جاولہ | ۱۳ | १३ | जावला ठाकर |
| ٹھاکر واسپان | ۱۴ | १४ | वासपां ठाकर |
| ٹھاکر کھیم سر | ۱۵ | १५ | खींवसर ठाकर |
| ٹھاکر بڑو | ۱۶ | १६ | वड़ ठाकर |
| ٹھاکر روہٹ | ۱۷ | १७ | रोयठ ठाकर |
| ٹھاکر راکھی | ۱۸ | १८ | राखी ठाकर |
| ٹھاکر میٹری | ۱۹ | १६ | मीठड़ी ठाकर |
| ٹھاکر کنتالیہ | ۲۰ | २० | कंटालिया ठाकर |
| ٹھاکر کانانہ | ۲۱ | २१ | कारांणा ठाकर |
| ٹھاکر لاڈنو | ۲۲ | २२ | लाडणु ठाकर |
| ٹھاکر لابنیان قوم اوداوت | ۲۳ | २३ | लाबिया ठाकर कोम ऊदावत |
| ٹھاکر منانہ | ۲۴ | २४ | मनाणा ठाकर |
| ٹھاکر بگڑی | ۲۵ | २५ | बगड़ी ठाकर |
| ٹھاکر گھانی راؤ | ۲۶ | २६ | घाणेराव ठाकर |
| ٹھاکر پالیا سنی | ۲۷ | २७ | पालियासणी ठाकर |

| نام اسامی | نمبرشار | नंबर | आसामियों के नाम |
|---|---|---|---|
| ٹھاکر گولر | ۲۸ | २८ | गूलर ठाकर |
| ٹھاکر کھیواڑہ | ۲۹ | २९ | खींवाड़ा ठाकर |
| راؤ کلیان پور | ۳۰ | ३० | कल्याणपुर ठाकर |
| ٹھاکر بھکری | ۳۱ | ३१ | भखरी ठाकर |
| ٹھاکر باکرہ | ۳۲ | ३२ | बाकरा ठाकर |
| ٹھاکر کھیجڑلا | ۳۳ | ३३ | खेजड़ला ठाकर |
| ٹھاکر بوڑسو | ۳۴ | ३४ | बूड़सु ठाकर |
| ٹھاکر چنڈاول | ۳۵ | ३५ | चंडावल ठाकर |
| ٹھاکر جھالامنڈ | ۳۶ | ३६ | झालामंड ठाकर |
| ٹھاکر میڈا | ۳۷ | ३७ | मीढा ठाकर |
| ٹھاکر آگیوہ | ۳۸ | ३८ | आगेवा ठाकर |
| ٹھاکر ڈوڈیانہ | ۳۹ | ३९ | डोडियाणा ठाकर |
| ٹھاکر الیناواس | ۴۰ | ४० | आलणियावास ठाकर |
| ٹھاکر چانود | ۴۱ | ४१ | चाणोद ठाकर |
| ٹھاکر بھیس واڑہ | ۴۲ | ४२ | भेंसवाड़ा ठाकर |
| ٹھاکر ہرسولاؤ | ۴۳ | ४३ | हरसोलाव ठाकर |
| ٹھاکر کھاٹو کلاں | ۴۴ | ४४ | खाटू ठाकर |
| ٹھاکر کو بھلیا | ۴۵ | ४५ | कुंभलिया ठाकर |
| ٹھاکر بوڑاوڑ | ۴۶ | ४६ | बोडावड़ ठाकर |
| ٹھاکر چانداروں | ۴۷ | ४७ | चांदारूण ठाकर |

| نام اسامی | نمبر | नंबर | आसामियों के नाम |
|---|---|---|---|
| ٹھاکر ساتھین | ٤٨ | ४८ | साथीण ठाकर |
| ٹھاکر پانچوتہ | ٤٩ | ४९ | पांचोता ठाकर |
| ٹھاکر نراین پورہ | ٥٠ | ५० | नराणा पुर ठाकर |
| ٹھاکر باگھاواس | ٥١ | ५१ | वाघावास ठाकर |
| ٹھاکر لویرہ | ٥٢ | ५२ | लवेरा ठाकर |
| ٹھاکر نوسینہ | ٥٣ | ५३ | नोसीरा ठाकर |
| ٹھاکر پھالنہ | ٥٤ | ५४ | फालना ठाकर |
| ٹھاکر لالاسری | ٥٥ | ५५ | लालसरी ठाकर |
| ٹھاکر کھڈالہ | ٥٦ | ५६ | खुडाला ठाकर |
| ٹھاکر سانڈے راو | ٥٧ | ५७ | साडेराव ठाकर |
| ٹھاکر بھورانی | ٥٨ | ५८ | भवंराणी ठाकर |
| ٹھاکر رام پورہ | ٥٩ | ५९ | राम पुरा ठाकर |
| ٹھاکر کورنہ | ٦٠ | ६० | कोरणा ठाकर |
| ٹھاکر موکل سر | ٦١ | ६१ | मोलक सर ठाकर |
| ٹھاکر لوٹوتی | ٦٢ | ६२ | लोटोता ठाकर |
| ٹھاکر بالہ | ٦٣ | ६३ | वाला ठाकर |
| ٹھاکر نہوا | ٦٤ | ६४ | नऊवा ठाकर |
| ٹھاکران لاکھیان قوم چانپاوت | ٦٥ | ६५ | लाखियां चांपावतों की ठाकर |
| ٹھاکر باسنی | ٦٦ | ६६ | वासणी ठाकर |
| ٹھاکر گجسی پورہ | ٦٧ | ६७ | गजसी पुरा ठाकर |

| نام اسامی | ۔ | | ग्रासामियों के नाम |
|---|---|---|---|
| ٹھاکر کھوڑ | ۶۸ | ६८ | खोड़ ठाकर |
| ٹھاکر بیجا تھل | ۶۹ | ६९ | बीजा थल ठाकर |
| ٹھاکر دوگولی | ۷۰ | ७० | दुगोली ठाकर |
| ٹھاکر پانچوہ | ۷۱ | ७१ | पांचवा ठाकर |
| ٹھاکر ابھے پورہ | ۷۲ | ७२ | ग्रभेपुरा ठाकर |
| ٹھاکر بیری | ۷۳ | ७३ | वेरी ठाकर |
| ٹھاکر سمدڑی | ۷۴ | ७४ | समदड़ी ठाकर |
| ٹھاکر سرگوٹ | ۷۵ | ७५ | सरगोठ ठाकर |
| ٹھاکر راین | ۷۶ | ७६ | रायण ठाकर |
| ٹھاکر برکانہ | ۷۷ | ७७ | वरकाणा ठाकर |
| ٹھاکر مانڈولا | ۷۸ | ७८ | माड़वला ठाकर |
| ٹھاکر میوڑہ | ۷۹ | ७९ | मेवड़ा ठाकर |
| ٹھاکر بیکم کور | ۸۰ | ८० | वीकमकोर ठाकर |
| ٹھاکر کوٹڑی | ۸۱ | ८१ | कोदड़ी ठाकर |
| ٹھاکر نیبلانہ | ۸۲ | ८२ | नीवलाणा ठाकर |
| ٹھاکر پانچوڑی | ۸۳ | ८३ | पांचोड़ी ठाकर |
| ٹھاکر نیبی | ۸۴ | ८४ | नीवी ठाकर |
| ٹھاکر کھوکران | ۸۵ | ८५ | खोखरा ठाकर |
| ٹھاکر کوڑکی | ۸۶ | ८६ | कुड़की ठाकर |
| ٹھاکر سبل پورہ | ۸۷ | ८७ | सवलपुरा ठाकर |

| نام اسامی | نمبر | नम्बर | नाम आसामी |
|---|---|---|---|
| **متصدی** | | | **मुसद्दी** |
| رای بہادر مہتہ بجے مل جی دیوان ریاست مارواڑ | ۱ | १ | राय वहादर मेहता विजे मलजी दीवान रयासत मारवाड़ |
| پنڈت شیونرائن جی پرایوٹ سیکرٹری سرحضور | ۲ | २ | पंडितशिवनारायणजी पिराइवेट सकेरेटरी श्रीहजूर |
| سنگوی کشن راج جی | ۳ | ३ | सिंघवी किसन राजजी |
| راو راجہ بہادر شاہ سردار مل جی | ۴ | ४ | राव राजा वाहादुर साह सरदार मलजी |
| منشی ہردیال سنگھ جی سپرنٹنڈنٹ کورٹ سرداران وسکرٹری مصاحب اعلےٰ | ۵ | ५ | मुन्शी हरदियाल सिंघजी सुपरंडेट कोरट सरदारान व सिकरेटरी मुसाहब आला |
| منشی محمد مخدوم بخش جی حاکم عدالت فوجداری | ۶ | ६ | मुन्शी महम्मद मेखदुम वखसजी हाकम अदालत फौजदारी |
| **مرضی دان** | | | **मरजी दान** |
| خان بہادر فیض اللہ خان جی | ۱ | १ | खान बहादुर खां फेजुल्लाखांजी |
| رسالدار وزیر علی جی | ۲ | २ | रसालदार वजीर अलीजी |
| میر فیاض علی جی | ۳ | ३ | मीर फैयाज़ अलीजी |
| نواب شمشیر بیگ جی | ۴ | ४ | नव्वाब समशेर वेगजी |
| **ساسن** | | | **सांसण** |
| موندیاڑ کے بارہٹ چین سنگھ جی | ۱ | १ | मूंदियाड़ के वारठ चेनसिंघजी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| کوراج مراردان جی | ۲ | २ | कवराज मुरार दानजी |
| بن سور جادو دان جی | ۳ | ३ | वणसूर जादू दानजी |
| سوڈاوس کے میڑو کرنی دان جی | ۴ | ४ | सोढावस के मेड़ु करनी दानजी |
| راؤ برج لال جی | ۵ | ५ | राव वरज लालजी |
| ساندو رڈمل دان جی | ۶ | ६ | सादू रिड मल दानजी |
| فوج کے افسر | | | फौज के अफसर |
| خان کفایت اللہ خان جی | ۱ | १ | खान किफायतुल्ला खांजी |
| ولایتی نواب محمد خان جی | ۲ | २ | बिलायती नव्वाव मुहम्मद खांजी |
| کرنیل بھگوان سنگھ جی | ۳ | ३ | करनेल भगवान सिंघजी |
| رسالدار رام چندر جی | ۴ | ४ | रसालदार राम चंद्रजी |
| رسالدار بھبوت سنگھ جی | ۵ | ५ | रसालदार बभूत सिंघजी |
| کپتان ایسری سنگھ جی | ۶ | ६ | कपतान ईसरी सिंघजी |
| کپتان گنیش پرشاد جی | ۷ | ७ | कपतान गणेश प्रसादजी |
| شیخ حشمت علی جی | ۸ | ८ | शेख हशमत अलीजी |
| رسالدار قایم خانی امیر خان جی | ۹ | ९ | रसालदार कायम खानी अमीर खांजी |
| خان نظیر محمد خان جی | ۱۰ | १० | खान नज़ीर महोमद खांजी |

# तितम्मा दूसरा समन वगैरा के नमुने

## नमुने समन बनाम मुद्दाअले

समन अज़ इजलास मिती

बनाम मुद्दाअले

मुद्दई मुद्दाअले

दावा

इस मुकद मे में मुद्दई ने तुमारे ऊपर नालिश करी है सो तुम्हारी हाज़री असालतन वा बकालतन वास्ते जवाब देही के इस महकमे में मये अपने सबूत के जरूर है इस वास्ते यह समन तुमारे नाम जारी करके लिखा जाता है कि तुम मिती को मये अपने सबूत के हाज़र अदालत हाज़ा होकर जवाब देही करो जो इस तारीख पर हाज़िर हो कर जवाब दिही नही करोगे तो मुकदमा इक तरफा

# تتمہ دوسرا سمن وغیرہ کے نمونہ

## نمونہ سمن بنام مدعا علیہ

سمن از اجلاس مِتی

بنام مدعا علیہ

مدعی مدعا علیہ

دعوی

اس مقدمہ میں مدعی نے تمہارے اوپر نالش کی ہے سو تمہاری حاضری اصالتاً یا وکالتاً واسطے جوابدہی کے اس محکمہ میں معہ اپنے ثبوت کے ضرور ہے اسواسطے یہ سمن تمہارے نام جاری کر کے لکھا جاتا ہے کہ تم مِتی کو معہ اپنے ثبوت کے حاضر عدالت ہذا ہو کر جوابدہی کرو اس تاریخ پر حاضر ہو کر جوابدہی نہیں کروگے تو مقدمہ یکطرفہ

فیصلہ کیا جاوے گا اور پھر کوئی عذر نہیں سنا جاویگا۔

## نمونہ سمن مدعی

سمن از اجلاس ستی

بنام مدعی

مدعی مدعا علیہ

## دعوے

جوکہ تمنے نالش بنام مدعا علیہ اس مقدمہ میں دائر کی ہے سو مقدمہ اس محکمہ میں ستی کو پیش ہوگا اسواسطے تمہارے نام سمن جاری کرکے لکھا جاتا ہے کہ تم معہ ثبوت خود یا معرفت اپنے وکیل کے عدالت ہذا میں حاضر ہوکر مقدمہ کی پیروی کرو اگر میعاد مقررہ پر حاضر نہیں ہوگے تو مقدمہ تمہارا عدم پیروی میں خارج کیا جاوے گا پھر کوئی عذر نہیں سنا جاوے گا۔

फैसला किया जावेगा फिर ई उजर नहीं सुना जायगा . .

## नमूने समन मुद्दई

समन अज इजलास मिती

व नाम मुद्दई

मुद्दई . . . . मुद्दाअला . . .

## दावा

जोके तुमने य नालिश वनाम मुद्दाअले इस मुकदमें मे दायर करी है सो मुकदमा इस महकमे में मिती कोपेश होगा - इस वास्ते तुमारे नाम समन जारी करके लिखाजाता है कि तुम मये सबूत खुद या मारफत अपने वकील के अदालत हाजा में हाजर होकर मुकदमे की पैरवी करो अगर मयाद मुकर्रर पर हाजर नही होंगे तो मुकदमा तुमारा अदम पैरवी में खारिज किया जावेगा फिर कोई उजर नही सुना जावेगा . . . . . . .

اطلاعنامہ از اجلاس منی

بنام مدعا علیہ

مدعی ... مدعا علیہ

## دعویٰ

مقدمہ مندرجہ عنوان میں مدعی نے تمہارے اوپر نالش کی تھی اور تم باوجود اطلاعیابی کے حاضر عدالت نہیں ہوئے نہ اپنے مقدمہ کی پیروی کی اسواسطے مدعی سے یکطرفہ ثبوت لیکر ڈگری تمہارے اوپر عدالت ہذا سے یکطرفہ کی گئی ہے لہذا تمکو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمکو وصولات وغیرہ کا کوئی عذر ہووے تو ایک مہینے کے اندر اپنے عذرات پیش کرکے نظرثانی کرانے کی تمکو اجازت ہے اگر تم حاضر ہوکر کوئی عذر پیش نہیں کروگے تو تعمیل ڈگری کرادیجاویگی۔

इत्तला नामा अज इजलास मिनि

बनाम मुद्दा अले

मुद्दई ... मुद्दाअले

## दावा

मुकदमें मुंदरजे अनवान में मुद्दई ने तुमारे ऊपर नालिश करी थी और तुम बावजूद इत्तलायाबी के हाजर अदालत नहीं हुए न अपने मुकदमेंकी पेरवी करी इस वास्ते मुद्दई से इकतरफा सबूत लेकर डिगरी तुमारे ऊपर अदालत हाजा से इकतरफा की गई है लिहाजा तुम को इत्तला दीजाती है कि तुम को वसूलात वगैरे का कोई उजर होवे तो एक महीने के अंदर अपने उजरात पेश करके नजर सानी कराने की तुम को इजाजत है अगर तुम हाजर होकर कोई उजर पेश नही करोगे तो तामील डिगरी करा दी जावेगी…

## इत्तला नामा बनाम मुद्दई

मुद्दई मुद्दाअला

### दावा

ऊपर लिखे हुवे मुकदमेमें तुमने मुद्दा अले के ऊपर नालिश की थी मगर तुम तारीख पेशी मुकदमे को बा वजूद इत्तला याबी के हाजिर न हुवे इस वास्ते तुमारा मुकदमा अदम पेरवीमें खारिज किया गया जिस की तुम को इत्तला दीजातीहै अगर तुम को कोई उजर माकूल निसबत अपनी गेर हाज़री के होतो एक महीनेके अंदर उस्को पेश करके नजर सानी कराने की इजाज़त है अगर तुम मयाद में हाजिर होकर दरख्वास्त नजर सानी की पेश नही करोगे तो फिर तुमारी समाअत नहोगी पहले जो हुकम होचुका है वो बहाल रहेगा ..

## اطلاعنامہ بنام مدعی

مدعی مدعاعلیہ

### دعوی

اوپر لکھے ہوئے مقدمہ میں تم نے مدعاعلیہ کے اوپر نالش کی تھی مگر تم تاریخ پیشی مقدمہ کو باوجود اطلاع یابی کے حاضر نہوئے اسواسطے تمہارا مقدمہ عدم پیروی میں خارج کیا گیا جس کی تمکو اطلاع دیجاتی ہے اگر تمکو کوئی عذر معقول نسبت اپنی غیر حاضری کے ہو تو ایک مہینے کے اندر اُسکو پیش کرکے نظرثانی کرانے کی اجازت ہے اگر تم اِس میعاد میں حاضر ہوکر درخواست نظرثانی کی پیش نہیں کروگے تو پھر تمہاری سماعت نہ ہوگی پہلے جو حکم ہوچکا ہے وہ بحال رہیگا -

## نمونہ سمن گواہ

سمن از اجلاس مسی

بنام گواہ

مدعی مدعا علیہ

دعویٰ

مقدمہ مندرجہ بالا میں تمکو
نے گواہ مقرر کیا ہے
اسواسطے یہ سمن تمہارے نام
جاری ہوکر تمکو لکھا جاتا
ہے کہ تم تاریخ۔
کو حاضر ہوکر جو کچھہ
اس مقدمہ میں واقفی رکھتے ہو
وہ عدالت میں اپنے
دھرم ایمان سے بیان کرو
اگر تم عدالت میں حاضر ہوکر
گواہی نہیں دوگے یا حاضری
میں غفلت کروگے تو یہ
سمجھا جاویگا کہ تمنے عدول حکمی
کی اور عدول حکمی میں سزا کے
مستوجب ہوگے خرچہ تمہارا۔
سے دلایا جاویگا۔

## नमूने समन गवाह

समन अज़ इजलास मिती . .

बनाम गवाह

मुद्दई . . . मुद्दाअला . . .

दावा

मुकदमें मुन्दर्जे बालामें तुमको
ने गवाह मुकर्रर किया है
इस वास्ते यह समन तुम्हारे
नाम जारी होकर तुमको लि
खा जाता है कि तुम तारीख
को हाजर होकर जो कुछ इस
मुकदमे में वाक़फियत रख
ते हो वह अदालत में अपने
धर्म ईमानसे बयान करो अगर
तुम अदालतमें हाजिर होकर
गवाही नही दोगे या हाजरी में
ग़फ़लत करोगे तो यह समझा
जायगा कि तुमने अदूल हुक
मी की और अदूल हुकमी में
सज़ाके मस्तूजब होगे खरचा
तुमारा से दिलाया जायगा।

اقرارنامہ تقرری پنچایت
عدالت
مدعی مدعا علیہ
دعوی
اس مقدمہ میں ہمارا تنازعہ بابت ہے سو اسکے تصفیہ کے واسطے ہم فریقین نے پنچان مندرجہ ذیل کو برضامندی خود پنچ مقرر کیا ہے اور اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھہ اس مقدمہ میں فیصلہ کر دینگے وہ ہمکو منظور ہے اس میں عذر کرنے پاویں نہیں اگر عذر کرینگے تو عدالت کے تقصیروار ـــ
نام پنچان مدعی
نام پنچان مدعا علیہ
دستخط مدعی

دستخط مدعا علیہ

इकरारनामा तकर्रुरी पंचायत
अदालत
मुद्दई मुद्दाअले
दावा
इस मुकदमेमें हमारा तनाज़ा बाबत हैसो इसके तस फियेके वास्ते हम फरीकेन ने पंचान मुंदरजेजेल को वा रज़ा मंदी ख़ुद पंच मुकर्रिर किया है, और इकरार करतेहैं कि जो कुछ इस मुकदमेमें फैसला कर देंगे वह हम को मंजूर है उसमें उज़र करने पावें नहीं अगर उज़र करेंगे तो अदालत के तकसीरवार .. .. .. .. ..
नाम पंचान मुद्दई
नाम पंचान मुद्दाअलेह
दस्तख़त मुद्दई

दस्तख़त मुद्दाअले

یہ اقرار نامہ فریقین نے تقرری
پنچایت کا لکھکر
عدالت میں پیش کیا
لہذا حکم ہوا کہ شامل
مثل کے ہووے اور
پنچایت کرادی جاوے
دستخط حاکم عدالت
فیصلہ پنچایت

مدعی مدعا علیہ

دعوی

اس مقدمہ میں ہمکو فریقین
نے پنچ قرار دیا ہے
چنانچہ ہمنے انکا فیصلہ
حسب ذیل کیا ہے
جسکو عدالت میں پیش
کرتے ہیں منظور کیا جاوے

فیصلہ

यह इकरार नामा फरीकैनने
त करुरी पंचायत का लिख-
कर अदालत में पेश किया लि
हाजा हुकम हुवा कि शामिल
मिसल के होवे और पंचायत
करादी जाय फ़कत तारीख
दस्तखत हाकिम अदालत
फैसला पंचायत

मुद्दई मुद्दाअले

दावा

इस मुकदमेमें हम को फरीके-
न ने पंच करार दिया था चुनाचे
हमने उनका फैसला हस्ब जे-
ल किया है जिस्को अदालत-
में पेश करते हैं अदालत से मं-
जूर किया जावे . . . . . .

विगत फैसले

| نمونہ پرچہ ڈگری<br>پرچہ فیصلہ عدالت | | | नमूना परचे डिगरी<br>परचा फ़ैसला अदालत |
|---|---|---|---|
| نمبر شمار | ١ | १ | नम्बर शुमार |
| نام مدعی | ٢ | २ | नाम मुद्दई |
| نام مدعا علیہ | ٣ | ३ | नाम मुद्दाअलै |
| دعوی | ٤ | ४ | दावा |
| خلاصہ اخیر حکم | ٥ | ५ | खुलासा अखीर हुकम |
| تاریخ فیصلہ | ٦ | ६ | तारीख फ़ैसला |
| کیفیت | ٧ | ७ | कैफियत |

सारटीफिकट मुफ़लिसी जो अदालत सेबाद सबूत मुफ़लिसी के दिया गया तारीख

| नम्बर शुमार | नाम सायल मये क़ौमियत वल्दीयत वो सकूनत | खुलासे शहादत मुफ़लिसी | रायहाकम ब निसबत मंजूरी मुफ़लिसी | तारीख मंजूरी मुफ़लिसी | कैफियत इस अमर की कि बर वक्त वसूल ज़र डिगरी के रसम हिस्से चहरम ली जायगी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# مختصر قواعد کارروائی

## عدالت صیغہ دیوانی سرداران

# मुख़्तसिर क़ायदा काररवाई

## अदालत सीगे दीवानी सरदारान

جسکو

حسب منشاء سرکار بموجب حکم مہاراج سری پرتاب سنگھ جی صاحب
سی۔ ایس۔ آئی۔ مصاحب اعلی ریاست واسطے استعمال عدالتہاے
صیغہ دیوانی راج کے منشی ہردیال سنگھ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر پنجاب
حال سپرنٹنڈنٹ محکمہ کورٹ سرداران وسکرٹری مصاحب اعلی نے مرتب کیا

जिस्को

हस्ब मन्शाय श्री दरबार बमूजिब हुकम
महा राज श्री परताप सिंह जी साहब॰ सी॰
एस॰ आई॰ मुसाहब आला राज वास्ते इस्तेमा
ल अदालत हाय सीगे दीवानी के मुन्शी ह
र दयाल सिंह॰ इकस्टरा असिस्टेंट कमिश
नर पंजाब॰ हाल॰ सुपरन्टन्डंट कोर्ट
सर दारान॰ व॰ सेकर टरी॰
मुसा हब आला ने बनाया।

مطبع رضوی دہلی میں سید میر حسن کے اہتمام سے چھپا

| مختصر قواعد کارروائی صیغہ دیوانی | मुख़्तसिर क़ायदे कार रवाई सीग़े दिवानी |
|---|---|
| واسطے عدالتہائے سرداران راج مارواڑ جو سر دربار سے منظور ہوکر عمل درآمد کے لئے جاری کئے جاتے ہیں - . . . . . . | वास्ते ॰ अदालतों सरदारान ॰ राज मारवाड़ के जो श्री दरबार से ॰ मंज़ूर होकर अमल दरआमद के लिये जारी किये गये हैं |
| دفعہ ۱ - چونکہ سرداران کو اپنے اپنے پٹہ جاگیر کی اسامیاں کے مقدمات سُننے کے اختیارات سر دربار سے تجویز ہوئے ہیں اس لئے جو مدعی مدعا علیہ اُنکے علاقہ کے ہوں اُنکے مقدمات کی سماعت کے واسطے قاعدے حسب ذیل مقرر کئے گئے ہیں - | दफ़ा १ चूंके सरदारान को ॰ अपने अपने पट्टे की आसामियों के मुक़द्दमात ॰ सुनने के अख़्तियारात श्री दरबार से तज़वीज हुवे हैं ॰ इस लिये ॰ जो मुद्दई मुद्दाअला उनके इलाक़े का हो उनके मुक़द्दमात की समाअत के वास्ते क़ायदे हस्ब ज़ैल मुक़र्रिर किये गये हैं.. .. |
| دفعہ ۲ - جب کوئی عرضی جاگیرداروں کے پاس گذرے تو اُن کے اہلمد کو چاہیئے کہ اُسپر اظہار لئے جانے کا | दफ़ा २ जब कोई अरज़ी जागीरदारों के पास गुज़रे तो उन के अहलमद को चाहिये कि उस पर इज़हार लिये जाने का - |

| Urdu | Hindi |
|---|---|
| حکم لکھے اور اس حکم پر دستخط جاگیردار کے کرالے اور مقدمہ کو درج رجسٹر کرے نمونہ رجسٹر کا یہ ہے | हुकम लिखे ओर उस हुकम पर दसख़त जागीर दार के करा लेवे ओर मुक़दमे को दर्ज रजिस्टर करे ओर नमूना रजिस्टर का यह है॰ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ۱ | نمبر شمار | १ | नम्बर शुमार |
| ۲ | تاریخ رجوع | २ | तारीख़ रजू |
| ۳ | نام مدعی | ३ | नाम मुद्दई |
| ۴ | نام مدعا علیہ | ४ | नाम मुद्दाअला |
| ۵ | خلاصہ دعویٰ | ५ | ख़ुलासा दावा |
| ۶ | تاریخ فیصلہ | ६ | तारीख़ फ़ैसला |
| ۷ | خلاصہ اخیر حکم | ७ | ख़ुलासे अख़ीर हुकम |
| ۸ | کیفیت اسبات کی کہ اپیل ہوا یا نہیں | ८ | कैफ़ियत इसबात की कि अपील हुवा या नहीं |
| ۹ | نتیجہ اپیل | ९ | नतीजा अपील |

| Urdu | Hindi |
|---|---|
| **دفعہ ۳** - اظہار بہت مختصر ہونا چاہیئے کہ بہت سے سوالات نہیں لکھنا چاہیئے کل ایکدو سوال کے جواب میں مدعا لکھ لینا چاہیئے جب اظہار | दफ़ा ३ इज़हार बहुत मुख़्तसिर होना चाहिये ओर बहुत से सवाल नहीं लिखने चाहिये कुल एक दोय सवाल के जवाब में मतलब लिख लेना चाहिये जब इज़हार |

ہوجاوے تو اُس پر اسامی کا دستخط کراکے جاگیردار کے دستخط کرالے اظہار لینے کے بعد اُس پر حکم مدعاعلیہ کے نام سمن جاری ہونے کا لکھا جاوے اور تاریخ سمن میں اتنی لکھنی چاہیئے کہ جس تاریخ پر مدعاعلیہ حاضر ہوسکے اور سمن کا نمونہ دفعہ ۴۵ میں لکھا گیا ہے اور سمن کے دو پرت جاری ہونے چاہئیں کہ ایک تو مدعاعلیہ کو دیا جاوے اور ایک پر اُس کی اطلاعیابی ہوکر مسل کے شامل ہوجانا چاہیئے۔

**دفعہ ۴** - جب مدعاعلیہ حاضر ہوجاوے تو اُس کا اظہار مدعی کے سامنے لکھنا چاہیئے اور جب اظہار ہوجاوے تب فریقین کی بحث کراکر امردریافت طلب درج ہونا چاہیئے

हो जावे तो उसपर आसामी का दसख़त कराके जागीरदार के दसख़त करालेवे इज़हार लेने के बाद उसपर हुकम मुद्दाअ़ले के नाम समन जारी होनेका लिखा जावे और तारीख़ समन में इस क़दर लिखनी चाहिये। कि जिस तारीख़ में मुद्दाअ़ला हाज़िर हो सके और समनका नमूना दफ़ा ४५ में लि-खा गया है॰ और समन के दो क़िते जारी होने चाहिये किएक तो मुद्दाअ़ला को दे देवे और ए-क पर उसकी इत्तला पाई करा कर मिसलके शामिल होनी चाहिये

**दफ़ा ४** जब मुद्दाअ़ला हाज़ि-र हो जावे तो उसका इज़हार मु-द्दई के सामने लिखना चाहिये और जब इज़ हार लिखा जावे तब फ़रीक़ैन की बहस कराके अमर दरयाफ़्त तलब दर्जहोना

اور اُس کے مطابق فریقین کو ثبوت داخل کرنے کا حکم دینا چاہیے اگر فریقین کے پاس ثبوت اُسیوقت موجود ہو تو لینا چاہیئے نہیں تو پھر تاریخ مقرر کردینی چاہیئے۔

**دفعہ ۵** — اگر مدعی جو تاریخ مقدمہ کے واسطے مقرر رہے باوجود اطلاعیابی کے حاضر نہ ہو تو مقدمہ عدم پیروی میں خارج کرنے کا اختیار ہے اور اگر مدعاعلیہ باوجود اطلاعیابی کے حاضر نہو تو مدعی سے یکطرفہ ثبوت لیکر یکطرفہ ڈگری کیجاوے۔ مگر یہ واضح رہے کہ مقدمہ زمین اور کہولہ میں یکطرفہ ڈگری نہیں کیجاوے۔ اور اگر مدعاعلیہ باوجود اجرائے سمن کے حاضر نہیں ہو تو اُسپر طلب جاری کرنے کا

चाहिये और उसके मुता बिक फ़रीक़ैन को सबूत दाख़िल करने का हुकम देना चाहिये अगर फ़रीक़ैन के पास सबूत उस वक़्त मोजूद होवे तो लेना चाहिये नहीं तो फिर तारीख़ मुकर्रिर कर देनी चाहिये .. .. .. ..

**दफ़ा ५** अगर मुद्दई जो तारीख़ मुक़द्दमे वास्ते मुक़र्रिर है. बावजूद इतला याबी के हाज़िर नहो तो मुक़द्दमा अदम पैरवी में ख़ारिज करने का अख़तियार है. और अगर मुद्दा अले बावजूद इतला याबी के हाज़िर नहीं होवे तो मुद्दई से इक तरफ़ा सबूत लेकर इक तरफ़ी डिगरी की जावे. मगर यह वाज़े रहे कि मुक़द्द मे ज़मीन और खोले में इक तरफ़ी डिगरी नहीं की जावे . और अगर मुद्दा अले बावजूद इजराय समन के हाज़िर नहीं होवे तो उस परतलब.

| | |
|---|---|
| اختیار ہوگا۔ | जारी करने का अख़्तियार होगा .. |
| دفعہ ۶- جو مقدمہ کہ مدعی کی عدم پیروی میں خارج کیا جاوے یا ایک طرفہ ڈگری کی جاوے اور ایسے مقدمہ میں اگر کوئی فریق مقدمہ ڈیڑھ مہینے کے اندر حاضر ہوکر اپنے مقدمہ کی برآمدگی کی درخواست کرے تو سرداران کو اُسکی تجویز ثانی کا اختیار ہوگا اور جو مقدمہ یکطرفہ فیصل ہو اس کی اطلاع بذریعۂ اطلاعنامہ مدعی کو دینی ہوگی۔ | दफ़ा ६ जो मुक़द्दमा मुद्दई की अदम पैरवी में ख़ारिज किया जावे या एक तरफा डिगरी किया जावे और ऐसे मुक़द्दमे में अगर कोई फ़रीक़ मुक़द्दमा डेढ़ महीने के अन्दर हाज़िर होकर अपने मुक़द्दमे की बर आमदगी की दरख्वास्त करे तो सरदारों को उसकी तजवीज़ सानी का अख़्तियार होगा और जो मुक़द्दमा इक तरफ़ी फ़ैसला होवे तो उसकी इतला बज़रिये इतला नामे के मुद्दई को देनी होगी जिसका नमूना दफ़ा ४० में लिखा हुवा है .. .. |
| دفعہ ۷- جب مقدمہ کا ثبوت فریقین داخل کریں کہ جسکا ذکر اوپر آچکا ہے تو اُس مقدمہ کا فیصلہ روئیداد مثل کے موافق فریقین کے | दफ़ा ७ जब मुक़द्दमें में सबूत फ़रीक़ैन दाख़िल करे कि जिसका जिक्र ऊपर आचुका है तो उस मुक़द्दमे का फ़ैसला रूदाद मिसल के माफ़िक़ फ़री |

رو برو ہونا چاہیئے اور جو فیصلہ کیا جاوے وہ فریقین کو سناکر اُن کے دستخط اُس کے اوپر کرالیے جاویں اور ڈیڑھ مہینے تک اُس فیصلہ کی تعمیل نکرائی جاوی بعد ڈیڑھ مہینے کے اگر کوئی فریق واسطے اپیل کے نقل حکم کی درخواست نہ کرے تو فیصلہ کی تعمیل کرانے کا اُن کو اختیار ہے -

## ذکر نظر ثانی

دفعہ ۸ - ہر ایک مقدمہ میں ایک مہینے کے اندر اگر کوئی فریق نظر ثانی کرانا چاہے اور کوئی وجہ قابل نظر ثانی کے پائی جاوے تو نظر ثانی کرنے کا جاگیرداروں کو اختیار ہے مگر واضح رہے کہ نظر ثانی کے فیصلہ میں مفصل وجوہات لکھنی ہوں گی اور نظر ثانی کا فیصلہ بھی پہلے

नके रोबरू होना चाहिये और जो फ़ैसला किया जावे वह फ़रीक़ेन को सुना कर उस पर उनके दसख़त कराना चाहिये और डेढ़ महीना तक उस फ़ैसले की तामील नहीं कराई जावे बाद डेढ़ महीने के अगर कोई फ़रीक़ वास्ते अपील के हुकम नक़ल की दरख़्वास्त न करे तो फ़ैसले की तामील कराने का अख़्तियार है . . . .

## ज़िक्र नज़र सानी का

दफ़ा ८ हर एक मुक़द्दमे में एक महीने के अन्दर अगर कोई फ़रीक़ नज़र सानी कराना चाहे और कोई वजह क़ाबिल नज़र सानी की पाई जावे तो नज़र सानी करने का जागीरदारान को अख़्तियार है मगर वाज़ेह है कि नज़र सानी के फ़ैसले में मुफ़स्सिल वजूहात लिखनी होगी और नज़र सानी का फ़ैसला भी पहले

فیصلہ سے علیحدہ ہونا چاہیئے

## ذکر اپیل

**دفعہ ۹** - ہر ایک مقدمہ کا کہ جس کا فیصلہ سرداران کریں اپیل ہو سکے گا اور جب کوئی فریق درخواست واسطے اپیل کے دے تو فوراً اُس کو نقل حکم دیدیجاوے اور کسی طرح کی روک اُس میں نہ کیجاوے اور اگر کوئی شخص اپیل کرے اور اپیل میں مثل منگوائی جاوے تو فوراً مثل بھیجدینی ہوگی بعد اُس کے جب اخیر حکم اپیل سے آوے اُسکی تعمیل کرادینی ہوگی ۔

## مقدمات لین دین

**دفعہ ۱۰** - مقدمات لین دین میں اپنے اپنے اختیارات کے مطابق جو نالش سرداروں کے پاس گذرے اُنمیں اگر بہی کھاتہ کی رو سے نالش ہے تو اُس

फ़ैसले से अलहदा होना चाहिये

## ज़िक्र अपील ॥

**दफ़ा ९** हर एक मुक़द्दमें का के जिसका फ़ैसला सरदार करे अपील हो सकेगा और जब कोई फ़रीक़ दरख़्वास्त वास्ते अपील के देवे तो फ़ौरन उसको नक़ल हुकम दे दी जावे और किसी तरह की रोक उसमें नहीं जावे और अगर कोई शख़्स अपील करे और अपील में मिसल मंगाई जावे तो फ़ौरन मिसल भेज देनी होगी बाद उसके जैसा हुकम अख़ीर अपील से आवे उसकी तामील करा देनी होगी॥

## मुक़द्दमात लेन देन

**दफ़ा १०** मुक़द्दमात लेन देन में अपने अपने अख़्तियारात के मुताबिक़ जो नालिश सरदारां के पास गुज़रे तो उसमें अगर बही खाते की रूसे नालिश है

تو اس بہی کھاتہ کی نقل شامل مثل ہونی چاہیئے اگر خط یا اور کوئی ہتیرن یعنے دستاویز ہو تو اُس کی بہی نقل شامل مثل ہونی چاہیئے اور اصل سے نقل کا مقابلہ کر لینا چاہیئے اور زبانی ہو تو اُسکی پکّی گواہی لینی چاہیئے مگر واضح رہے کہ کاتک سد ۴ کے بعد جو کوئی نالش گذرے تو اس متی کے بعد سری دربار سے ۱۲ برس کی میعاد مقرر ہوئی ہے سو بارہ برس پہلے کی نالش نہیں سُننا چاہیئے اگر ایسی بے میعادی نالش رجوع ہوئے تو خارج ہونی چاہیئے۔

دفعہ ۱۱ ۔ جو ہتیرن میں گواہ ہوں اگر ضرورت پڑے تو اُن گواہوں کی گواہی بہی لینی چاہیئے اور گواہوں پر بھی سمن جاری کیا جاوے نمونہ

तो उस बही खाते की नक़ल शामिल मिसल होनी चाहिये अगर खत या और कोई हतेरण होवे तो उसकी भी नक़ल शामिल मिसल होनी चाहिये और असल से नक़ल मुक़ाबिला कर लेना चाहिये और ज़बानी होतो उसकी पक्की गवाही लेलेनी चाहिये मगर वाज़े रहे कि कार्तिक सुदि ४ के बाद जो कोई नालिश गुज़रे तो इस मिती के बाद श्री दरबार से १२ बरस की मयाद मुक़र्रिर हुई है सो बारां बरस पहले की नालिश नहीं सुनना चाहिये अगर ऐसी बे मियादी नालिश रुजू होय तो खारिज होनी चाहिये॥

दफ़ा ११ जो हतेरण में गवाही लिखी होवे और अगर ज़रूरत पड़े तो उन गवाहों की गवाही लेलेनी चाहिये और गवाहों पर भी समन जारी किया जावे नमूना

ससन का दफ़ा ४७ में लिखा है ..

दफ़ा १२ ऐसे मुक़द्दमेमें रसम एक आने रुपये से ज़ियादा नहीं लेनी चाहिये और यह रसम जागीरदार नक़द लेवे .. .. .. ..

दफ़ा १३ अगर कोई दरख्वास्त लेन देन के मुक़द्दमेमें सरदारों के अखतियारात से ज़ादा तादाद की गुज़रे तो उसकी मंजूरी सदर से हासिल करनी चाहिये और सदर से एक महीने के अन्दर उस की मंजूरी का जवाब पहुँच सकेगा .. .. ..

दफ़ा १४ जब कोई मुक़द्दमा ज़मीन का सरदारों के पास बमूजिब उन के अखतियारात के पेश होवे तो चाहिये कि उसके भुगत भोग और हतेरण पर पूरा पूरा ख्याल किया जावे .. .. .. ..

दफ़ा १५ जब कोई भाइयों के हिस्से की नालिश होवे तो पहले उसमें कुरसी नामा लिखा जावे और

سمن کا دفعہ ۴۷ میں لکھا جاتا ہے۔

دفعہ ۱۲ - ایسے مقدمات میں رسم ایک آنہ روپے سے زیادہ نہیں لینی چاہیئے اور یہ رسم جاگیرداران نقد لے لیں۔

دفعہ ۱۳ - اگر کوئی درخوست لین دین کے مقدمہ میں سرداران کے اختیارات سے زیادہ تعداد کی گذرے تو اسکی منظوری صدر سے حاصل کر لینی چاہیئے اور صدر سے ایک مہینے کے اندر اسکی منظوری کا جواب پہنچ سکیگا۔

## مقدمات زمین

دفعہ ۱۴ - جب کوئی مقدمہ زمین کا سرداروں کے پاس بموجب اُن کے اختیارات کے پیش ہووے تو چاہیئے کہ اسکے بھگت بھوگ اور ہتیرن پر پورا پورا خیال کیا جاوے۔

دفعہ ۱۵ - جب کوئی نالش بھائی بٹے یعنے تقسیم ترکہ کی گذرے تو پہلے اسمیں کرسی نامہ لکھا جاوے اور یہ

| | |
|---|---|
| کرسی نامہ کی روسے اُسکا حصہ دیکھا جاوے اگر کرسی نامہ کی روسے وہ حقدار ہے۔ اور کسی نے اُسکو جبراً بیدخل کر دیا ہے اور ثبوت اُس کا موجود ہے تو چاہیے کہ ایسے شخص کو زمین کی ڈگری دیجاوے۔ اور جن مقدمات میں ہتھیرن کے اوپر کوئی مدعی دعوی کرتا ہو اور تحقیقات کی روسے اُسکا ہتھیرن ساکھوں اور متّاںعینی گواہ و دستخط کے ذریعہ سے ثبوت ہو جاوی تو واجب ہے کہ اُس ہتھیرن کے ثبوت پر بھی لحاظ ہو کر مدعی کی حقرسی کیجاوے بشرطیکہ بھگت بھوگ اُس کا چالیسہ برس کے اندر ہو کیونکہ زمین کے مقدمات میں میعاد چالیسہ برس کی ہے --- **دفعہ ۱۶** جب کوئی شخص پردیس چلا گیا ہو اور اپنی زمین جائداد کسی کے سپرد کر گیا ہو تو اُس کے واپس آنے پر بھی | कुरसी नामे की रूह से उसके हिस्से देखे जावें अगर कुरसी नामे की रू से वह हक़दार है और किसीने उसको बे सबब बे दखल कर दिया है - और सबूत उसका मौजूद है तो चाहिये कि ऐसे शख्स को ज़मीन की डिगरी दीजावे और जिन मुक़द मात में हते रनके ऊपर कोई मुद्दई दावा करता हो और तहक़ीक़ात की रू से उसका हतेरन साखों मतोंके ज़रयेसे सबूत हो जावे तो वाज़िब है कि उस हतेरण के सबूत पर भी लिहाज़ होकर मुद्दई की हक़ रसी की जावे बशर्ते कि उसका भुगत भोग चालीस बरस के अन्दर होवे क्योंकि ज़मीन के मुक़द्दमात में मियाद चालीस बरस कीहै .... **दफ़ा १६** जब कोई शख्स परदेस चलागया हो और अपनी ज़मीन जायदाद किसीके सपुर्द करगया होतो उसको वापिस आने परभी |

اُس کی حقرسی ہوسکتی ہے اور جسقدر دن باہر رہا ہو وہ میعاد میں مجرا ملیں گے یا جو کوئی شخص گیلا یعنی دیوانہ یا نابالغ ہو اور اُس کی زمین کوئی دبالے تو اچھے ہونے اور بالغ ہونے کے بعد اگر وہ نالش کرے تو اُس کی میعاد اچھے ہونے اور بالغ ہونے کی تاریخ سے سمجھی جاوے گی ۔

ذکر تقسیم زمین

دفعہ ۱۷ جب کوئی نالش بھائی بنٹ کی رو سے تقسیم زمین کھیت بیرہ وغیرہ کی گذرے تو اُس کا کرسی نامہ لکھکر جو رواج اُس کے خاندان کا ہو اُس کے مطابق بھائی بنٹ کی زمین وغیرہ تقسیم کرا دینی چاہیئے

مقدمات کھولہ

دفعہ ۱۸ جب کھولہ کی نالش بموجب اختیارات مقررہ

उसको हक़रसी होसक्तीहै और जिस क़दर दिन वह बाहिर रहाहो वह मियाद में मुजरे मिलेंगे या कोई-शख़्स गहेला याने फ़ातरुल अक़्ल हो जावे या नाबालिग़ होवे और उसकी ज़मीन कोई दबाले तो अच्छे होने और बालिग़ होने के बाद-अगर वह नालिश करेतो उसकी मियाद अच्छे होने व बालिग़ होनेकी तारीख़ से समझी जावे गी ॥

ज़िक्र तक़सीम ज़मीन ॥

दफ़ा १७ जब कोई नालिश भाई बंटे की रूसे तक़सीम ज़मीन खेत बेरा वग़ैरा की गुज़रे तो उसका कुरसी नामा लिख कर जो रिवाज़ उसके खान दान काहो उसके मुताबिक़ भाई बंटे की ज़मीन वग़ैरे तक़सीम करवा देनी चाहिये

मुक़द्दमात खोला

दफ़ा १८ जब खोले की नालिश बमुजिब अख़्तियारात मुक़र्ररे

سرداران اُن کے پاس گذرے تو
اُسکے فیصلہ کرنے میں بہت احتیاط
چاہیئے اول کرسی نامہ لکھا جاوے
اور تحقیقات سے پایا جاوے کہ کسی نے
اپنے جیتے جی کسی کو اپنی خوشی
سے کھولا لے لیا ہے اور
کھولہ کی ریت رسم بموجب رواج
اُسکے خاندان کے ہوگئی ہو تو
اُس صورت میں وہ کھولہ
بحال رکھنا چاہیئے ۔

**دفعہ ۱۹** ۔ اگر کوئی شخص برخلاف
رسم رواج اپنے خاندان کے دورکے
شخص کو اپنے کھولہ لیلے اور اُسکا
نزدیکی رشتہ دار حقدار ہو اور وہ
نالش کرے تو ایسے شخص کو
حقدار کھولہ کا ٹھیرایا جاوے
یعنے اُس کو کھولہ کی
ڈگری دی جاوے ۔

**دفعہ ۲۰** ۔ جب کسی شخص نے
جیتے جی کسیکو کھولہ نہیں لیا ہووے
اور اُس کے مرنے کے بعد اُسکی

सर दारान उनके पास गुज़रे तो-
उसके फ़ैसले करने में बहुत रह्
तियात चाहिये अव्वल कुरसी ना
मा लिखा जावे और तह्क़ीक़ात
से पाया जावे कि किसीने अपने-
जीतेजी किसीको अपनी ख़ुशीसे
खोले लेलिया है और खोले की
रीत रसम बमू जिब उन के खान-
दान के होगई होतो उस सूरत में
वह खोला बहाल रखना चाहिये

**दफ़ा १९** अगर कोई शख़्स बर
ख़िलाफ़ रसम रिवाज़ अपने ख़ा
न दान के दूरके शख़्स को अपने
खोले लेले वे और उस का नज़ी-
की रिश्ते दार हक़ दार होवे औ
र वह नालिश करेतो ऐसे शख़्सको
हक़ दार खोले का ठैराया जावेयाने
उसको खोले की डिगरी दी जावे ...

**दफ़ा २०** जब किसी शख़्स नेजी
तेजी किसीको खोले नहीं लिया होवे
और उसके मरने के बाद उस की

ٹھکرانی کھولہ لے تو بموجب رواج اپنے خاندان کے اپنے نزدیکی رشتہ داروں میں سے کسیکو کھولہ لے سکتی ہے مگر دور کے رشتہ دار کو باوجود موجودگی قریبی رشتہ دار کے کھولہ لینے کا استحقاق نہیں رکھتی ۔

**دفعہ ۲۱** ۔ جب کوئی مرجاوے اور اُس کی عورت بھی نہ ہو تو اُس کے موسر کے دنوں کے اندر اُسکے بھائی بند اکھٹے ہو کر جسکو اتفاق رائے سے کھولہ مقرر کرنا چاہیں تو وہ کھولہ مقرر ہو سکتا ہے اگر کوئی کھولہ کسی حمایت سے ہو گیا ہو تو وہ جایز نہیں رکھا جاویگا ۔

**دفعہ ۲۲** ۔ ان سب مقدمات میں جہاں تک ممکن ہو رواج ملک کا لحاظ رکھا جاوے

ठुकरानी खोले लेवे तो बमूजिब रिवाज अपने खानदान के अपने नज़दीकी रिश्ते दारान में से किसी को खोले ले सकती है मगर दूर के रिश्ते दार को बावजूद मौजूदगी क़रीबी रिश्ते दार के खोले लेने का इसतेहक़ाक़ नहीं रखती .. .. .. ..

**दफ़ा २१** जब कोई मर जावे और उसकी औरत भी नहो वे तो उसके मोसर के दिनों के अन्दर उसके भाई बंधु इकट्ठे हो कर जिसको इत्तफ़ाक राय से खोला मुकर्रिर करना चाहें तो वह खोला मुकर्रिर हो सकता है अगर कोई खोला किसी हिमायत से होगया होतो वो जायज़ नहीं रक्खा जावे गा .. .. ..

**दफ़ा २२** इन सब मुक़द्दमात में जहां तक मुमकिन हो रिवाज मुल्क का लिहाज़ रक्खा जावे

और पंचायत के ज़रिये से तस
फ़िया कराया जावे.. .. ..
दफ़ा २३ वाज़े रहे कि मुक़द्द
मा ज़मीन वो तक़सीम ज़मीन औ
र खोला में इस वक़्त तक कोई
क़ायदा रसम लेने का अदालत
हाय श्री दरबार में जारी नहीं इस
लिये रसम इसमें नहीं लेनी चाहि
ये। सिर्फ़ शुकराना हैसियत के
माफ़िक लिया जावे जो रुपये ३)
से कम और ५१) से ज़ादा नहीं होवे

## रहेन और बय

दफ़ा २४ मुक़द्दमात रहेन औ
र बय ज़मीन और जाय दाद ग़ैर
मन क़ूला में जो नालिशात बमू
जिब अख़्तियारात सरदारान
के पास गुज़रे तो उनमें हतेरण
बय नामा या रहेन नामा पर ज़ा-
दा लिहाज़ होना चाहिये और
भुगत भोगके साबित होने पर
मुताबिक हतेरण और -

اور پنچایت کے ذریعہ سے
تصفیہ کرایا جاوے۔
دفعہ ۲۳ ۔ واضح رہے کہ
مقدمات زمین و تقسیم زمین کھولہ
میں اسوقت تک کوئی قاعدہ رسم
لینے کا عدالتہائے سری دربار
میں جاری نہیں اسلیئے رسم اس میں
نہیں لینی چاہیئے صرف شکرانہ
حسب حیثیت لیا جاوے جو
عصہ سے کم اور لعہ روپے سے
زیادہ نہیں ہووے۔

## رہن و بیع

دفعہ ۲۴ ۔ مقدمات رہن اور
بیع زمین اور جائداد غیر منقولہ
میں جو نالشات بموجب
اختیارات سرداران کے
اُن کے پاس گذریں اُن میں
ہتیرن بیع نامہ یا رہن نامہ پر
زیادہ لحاظ ہونا چاہیئے اور
بھگت بھوگ کے ثابت
ہونے پر مطابق ہتیرن

| | |
|---|---|
| रिवाज मुल्क के फ़ैसला किया जावे .. .. .. .. | اور رواج ملک کے فیصلہ کیا جاوے۔ |
| दफ़ा २५ अगर किसी का मकान किसीके पास भोग लावेहो वे और लागत लगाने का उसके हतेरणा में लिखा होवे तौ छुड़ानेके वक्त लागत लगी हुई मुजरा मिलनी चाहिये अगर हतेरणामें लागत का ज़िक्र नहो यतो बमूजिब रिवाज मुल्क बज़रिये पंचायत लागत का फ़ैसला कराय दिया जावे .. .. | دفعہ ۲۵ - اگر کسی کا مکان کسی کے پاس بھوگلا وہ ہو اور لاگت لگانے کا اُس کے ہتیرن میں لکھا ہووے تو چھڑانے کے وقت لاگت لگی ہوئی مجرا ملنی چاہیئے اگر ہتیرن میں لاگت کا ذکر نہ لکھا ہو تو بموجب رواج ملک بذریعہ پنچایت لاگت کا فیصلہ کرادیا جاوے۔ |
| दफ़ा २६ मुक़द मात रहेन वा बय में आना रुपये के हिसाब से मुताबिक़ तादाद ज़र रहेन और बयके रसम लीजावे .. .. | دفعہ ۲۶ - مقدمات رہن بیع میں رسم آنہ روپیہ کے حساب سے مطابق تعداد زر رہن اور بیع کے لیجاوے۔ |
| **मुक़द मात सगाई ॥** | **مقدمات سگائی** |
| दफ़ा २७ सगाई के मुक़द मात में हमेंशा उस क़ौम का किजिसकी तरफ़ तनाज़ा होवे रीत रसम सगाई के ऊपर लिहाज़ | دفعہ ۲۷ - سگائی کے مقدمات میں ہمیشہ اُس قوم کی کہ جس کی طرف سے تنازعہ ہو رسم سگائی کے اوپر لحاظ |

| | |
|---|---|
| رکھا جاوے - | रक्खा जावे .. .. .. .. |
| دفعہ ۲۸ - جب تقسیم گڑ کھوپرا وغیرہ کی رسم ہوجاوے تو اُس صورت میں لڑکی کا باپ نہو تو ماں اور ماں نہو تو بھائی کی سگائی کی ہوئی جائز سمجھی جاویگی اور باوجود موجودگی ان وارثوں کے اگر کوئی اور رشتہ دار سگائی بلا رضامندی کر دیوے اور اسکی ریت رسم ہوگئی ہو اور گڑ کھوپرا بٹ گیا ہو تو بھی اُسکا کچھہ لحاظ نہو گا - | दफ़ा २८ जब गुड़ खोपरा वग़ैरा रसम होजावे और लड़की का बाप न होय तो माँ और माँ नहो तो भाई की सगाई की हुई जायज़ समझी जावे गी • और बावजूद मौजूदगी इन वार सों के अगर कोई और रिशते दार सगाई बिना रजा मन्दी उनके कर देवे और उसकी रीत होगई हो और गुड़ खोपरा बट गया हो तो भी उसका कुछ लिहाज़ नहोगा |
| دفعہ ۲۹ - اگر کسی کی سگائی بچپن میں کیجاوے اور وہ لڑکا نامرد نکل آوے یا وہ کوڑھی ہوجاوے یا اُسکو ایسی بیماری ہوجاوے جسکے سبب سے اُس کی شادی کرنا ملک کے رواج کے مطابق جائز نہیں ہو تو بیشک ایسی سگائی چھوڑا دی جا سکتی ہے | दफ़ा २९ अगर किसीकी सगाई बच पन में की जावे और वह लड़का नामर्द निकल जावे या वह कोड़िया होजावे या उसको ऐसी बीमारी होजावे जिसके सबब से उसकी शादी करनी मुल्क के रिवाज के मुताबिक़ जायज़ नहीं होय तो वेशक ऐसी सगाई छुड़ा दीजा सकती है |

| | |
|---|---|
| مگر واضح رہے کہ ایسے مقدمات میں کامل تحقیقات کے بعد ایسا حکم دینا چاہیئے۔ | मगर वाज़ह रहे कि ऐसे मुक़द्दमात में कामिल तहक़ीक़ात के बाद ऐसा हुकम देना चाहिये.. |
| دفعہ ۳۰ - اگر کسی کی مانگ کوئی شخص کسی دوسرے کو پرنا دے یعنے بیاہ دے اور وہ دعوی کرے تو اُسکو دوسری مانگ اگر شادی کر دینے والے کے گھر میں موجود ہو تو دلا دینی چاہیئے مانگ نہو تو اُس کا معاوضہ بموجب رواج کے پنچایت برادری کی روسے دلایا جاوے۔ | दफ़ा ३० अगर किसीकी मांग कोई शख़्स किसी दूसरेको परनाय देवे याने बियाह दे और वह दावा करे तो उसको दूसरी मांग अगर शादी कर देने वाले के घर में मौजूद होवे तो दिलादेनी चाहिये मांग न होय तो उसका मुआवज़ा बमूजिब रिवाज के पंचायत बिरादरी की रूह से दिलाया जावे .. .. .. |
| دفعہ ۳۱ - اگر کوئی مقدمہ بابت ناتہ کے کسی ایسی قوم کا دائر ہووے کہ جسمیں ناتہ ہونے کا رواج ہے تو بموجب رواج اُس قوم کے فیصلہ کرنا چاہیئے۔ | दफ़ा ३१ अगर कोई मुक़द्दमा बाबत नाते के किसी ऐसी क़ौम का दायर होवे कि जिसमें नाता होने का रिवाज है तो बमूजिब रिवाज उसक़ौमके फ़ैसला करना चाहिये .. .. .. .. |
| دفعہ ۳۲ - قوم مسلمان میں سگائی نکاح طلاق یا | दफ़ा ३२ क़ौम मुसल मान में सगाई निकाह तलाक़ और- |

مہر کہولہ کا مقدمہ دایر ہو تو اُس کا فیصلہ بموجب رواج اُن کی قوم کے اُن کی برادری کے پنچوں کے ذریعہ سے ہونا چاہیئے ۔

## دعوی روٹی کپڑہ

**دفعہ ۳۳** - جب کوئی نالش روٹی کپڑہ کی کسی عورت کی طرف سے اُس کے خاوند پر یا اُس کے وارثوں پر گذرے تو ہمیشہ اُس کے فیصلہ کے وقت عورت کے چال چلن کا لحاظ رکھکر ریت اور رسم اُس قوم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیئے ۔

## ذکر پنچایت

**دفعہ ۳۴** - جہانتک ممکن ہو پنچ جو لگائے جاویں فریقین کی منظوری سے لگائے جاویں اور جو پنچ کہ فریقین اپنی رضامندی سے لگا دیں تو اُس کا اقرارنامہ فریقین کی



मेहर ओर खोले का मुक़दमा दायर होतो उसका फ़ैसला बमुजिब रिवाज उनकी क़ौम के उनकी बिरादरी के पंचों के ज़रिये से होना चाहिये .. .. .. ..

## दावा रोटी कपड़ा ॥

**दफ़ा ३३** जब कोई नालिश रोटी कपड़े की किसी ओरत की तरफ़ से उसके खाविंद परया उसके वारसों पर गुज़रे तो हमेशे उसके फ़ैसले के वक़्त ओरत के चाल चलन का लिहाज़ रखकर रीत ओर रसम उस क़ौम की मुताबिक़ फ़ैसला करना चाहिये .. .. .. ..

## ज़िक्र पंचायत ॥

**दफ़ा ३४** जहां तक मुमकिन हो पंच जो लगाये जावें तो फ़रीक़ेन की मंजूरी से लगाये जावें ओर जो पंच कि फ़रीक़ेन अपनी रज़ामन्दी से लगाले वे तो उसका इ-क़रार नामा फ़रीक़ेन की तरफ़ से

طرف سے لکھوا کر شامل مثل ہونا چاہیئے اور جب پنچ فیصلہ کریں تو کورے پوٹھے یعنی سادہ کاغذ پر فریقین سے دستخط نکراویں بلکہ فریقین کو فیصلہ سُنا کر دستخط کرانا چاہیئے۔

**دفعہ ۳۵**۔ جس مقدمہ میں پنچوں کی رائے میں اختلاف ہو جاوے تو عدالت کو چاہیئے کہ ایک سر پنچ مقرر کر دے اور کثرت رائے پر فیصلہ کرے

**دفعہ ۳۶**۔ جو پنچ بعد مقرر ہونے پنچایت کے پنچایت نہیں کرے یا حاضری عدالت سے انکار کرے تو عدالت کو اختیار ہے کہ اُسکے اوپر طلب تقاضا کر کے پنچایت کرالے

ذکر تقرری امین

**دفعہ ۳۷**۔ جس مقدمہ میں زمین کا موقع دیکھنا چاہے اور بغیر

लिखवा कर शामिल मिसल होना चाहिये और जब पंच फ़ैसला करें तो कोरे पूंठ अर्थात् सादे कागज़ पर फ़रीक़ैन से दसखत न करावे बल्कि फ़रिक़ैन को फ़ैसला सुना कर दसखत कराना चाहिये ॥ .. .. ..

**दफ़ा ३५** जिस मुक़दमें में पंचो की रायमें इख्तलाफ़ हो जावे तो अदालत को चाहिये कि एक सर पंच मुक़र्रिर करदेवे और कसरत रायपर फ़ैसला करे .. .. ..

**दफ़ा ३६** जो पंच बाद मुक़र्रिर होने पंचायत के पंचायत नहीं करे या हाजरी अदालत से इनकार करे तो अदालत को अख़तियार है कि उसके ऊपर तलब तगादा कर के पंचा यत करा लेवे .. .. ..

## जिक्र तकर्रर अमीन

**दफ़ा ३७** जिस मुक़दमें में ज़मीन का मोक़ा देखना चाहे और बग़ैर -

موقع دیکھے فیصلہ ناممکن ہو
تو اُس میں عدالت کو
اختیار ہے کہ امین مقرّر
کرے اور امین کا خرچہ
مدعی مدعا علیہ سے دلایا جاوے
مگر واضع رہے کہ جو امین
فیصلہ کر آوے اُسکو سند
نہیں سمجھنا چاہیے اگر فریقین
امین کی تحقیقات یا
فیصلہ پر راضی نہوں تو دوبارہ
امین بھیجنے کا عدالت کو
اختیار ہے -

## ذکر اجرائے ڈگری

**دفعہ ۳۸** - جب کسی کے فیصلہ کو
ڈیڑھ مہینہ گزر جاوے اور
اُس میں اپیل نہوا ہووے
یا اپیل سے وہ فیصلہ بحال
رہ گیا ہووے یا اپیل سے اَور
طرح کا حکم ہوا ہو اور مدعی یا مدعا علیہ
اُس کی تعمیل کرانے کی
درخواست دیوے تو درخواست

मोका देखे फैसला ना मुम किन
होतो उसमें अदालत को अख
तियार है कि अमीन मुक़र्रिर क-
रे और अमीन का खरचा मुद्दई
मुद्दअले से दिलाया जावे मगर
वाज़े रहे कि जो अमीन फ़ैसला
कर आवे उसको सनद नहीं स
मझना चाहिये अगर फ़रीक़ैन
अमीन की तहक़ी क़ात या फ़ै
सले पर राजी न होय तो दुबारा
अमीन भेजने का अदालत को
अख़तियार है..

## ज़िक्र इजराय डिगरी

**दफ़ा ३८** जब किसी के फ़ैस
लेको डेढ़ महीना गुज़र जावे औ
र उसमें अपील नहुवा होवे या
अपील से वह फ़ैसला बहाल
रह गया होवे या अपील से और
तरह का हुकम हुवा हो और मु
द्दई या मुद्दअला उसकी तामील
कराने की दरखास्त देवे तो दर-

ख्वास्त तहरीरी लेनी चाहिये और उस दरख्वास्त पर अव्वल हुक्म सरिश्ते से कैफ़ियत गुजरने का होना चाहिये और जब अहलमद रपोट करे कि इसका इसतरह पर तसफ़िया हुवा है तो वह दरख्वास्त इजराय डिगरी के रजिस्टर में दर्ज होकर मुद्दाअलै से बजरिये तलब ताकीद तामील करा दी जावे॥

दफ़ा ३९ डिगरी या फैसले की तामील में जहांतक मुमकिन होवे सलीका रवंदी के जरिये करा दिया जावे और जब सलीका हो जावे तो यह मिसल असल मिसल के साथ शामिल करके दाखिल दफ़्तर की जावे॥

दफ़ा ४० नमूना रजिस्टर इजराय डिगरी इस तरह पर होगा॥

تحریری لینی چاہیئے اور اُس درخواست پر اول حکم سررشتہ سے کیفیت گذرنے کا ہونا چاہیے اور جب اہلمد رپورٹ کرے کہ اسکا اسطرح تصفیہ ہوا ہے تو وہ درخواست اجرائے ڈگری کے رجسٹر مین درج ہوکر مدعا علیہ بذریعہ طلب تاکید بلایا جاوے اور اُس کی تعمیل کرا دی جاوے۔

دفعہ ۳۹ - ڈگری یا فیصلہ کی تعمیل مین جہانتک ممکن ہووے سلیقہ یا قسط بندی کے ذریعہ کرا دیا جاوے اور جب سلیقہ ہوجاوے تو یہ مثل اصل مثل کے ساتھہ شامل کرکے داخل دفتر کیجاوے۔

دفعہ ۴۰ - نمونہ رجسٹر اجرائے ڈگری اس طرح پر ہوگا

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नम्बर शुमार | नाम डिगरी दार | नाम मदयून डिगरी | दावा | तादाद डिगरी | तारीख डिगरी | खुलासा फैसला इजराय डिगरी | कैफ़ियत |

| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمبر شمار | نام ڈگریدار | نام مدیون ڈگری | دعوے | تعداد ڈگری | تاریخ ڈگری | خلاصہ فیصلہ اجرائے ڈگری | کیفیت |

## ترتیب مثل

دفعہ ۴۱ — جس وقت مقدمہ دایر ہو اسی وقت اُس پر سر ورق لگ جانا چاہیئے نمونہ اُسکا یہ ہے

## तरतीब मिसल

दफ़ा ४१ जिस वक़्त मुक़दमा दायर हो उसी वक़्त, उसपर सर वरक़ लग जाना चाहिये.. ..

नमूना उसका यह है ॥

| فہرست مثل مقدمہ منفصلہ عدالت سرداران و اجلاس | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| تعداد کاغذات | تاریخ فیصلہ | قسم مقدمہ | تاریخ دایر | نمبر رجسٹر | |
| | | | | نمبر رجسٹر دایر | نمبر رجسٹر فیصلہ |
| نام مدعا علیہ | | | نام مدعی | | |
| خلاصہ دعویٰ | | | | | |
| ردیف بے | نمبر کاغذ | ردیف الف | نمبر کاغذ | | |

| फ़ैरिस्त मिसल मुक़द्दमा मुन्फ़ैसले अदालत सरदारान व इजलास ॥ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| लम्बर रजिस्टर | | तारीख़ दायर.... | क़िसम मुक़द्दमा.. | तारीख़ फ़ैसले... | तादाद काग़ज़ात... |
| लम्बर रजिस्टर फ़ैसला | लम्बर रजिस्टर दायर | | | | |
| नाम मुद्दई | | | नाम मुद्दाअला | | |
| ख़ुलासा दावा | | | | | |
| लम्बर काग़ज़ | रदीफ़ अलिफ़ | | लम्बर काग़ज़.... | रदीफ़ बे........ | |

| دفعہ ۴۲ - جب مثل فیصل ہوجاوے تو اُسکو ترتیب کرکے کُل کاغذات اُسکے سرورق میں درج کیے جاویں اور مثل کو فیصلہ کے رجسٹر میں چڑھا کر فیصلے کے بستے میں ماہوار نمبروار رکھا جاوے - - | दफ़ा ४२ जब मिसल फ़ैसल हो जावे तो उसको तरतीब करके कुल काग़ज़ात उसके सर वरक़ में दर्ज किये जावें और मिसल को फ़ैसले के रजिस्टर में चढ़ा कर फ़ैसले के बस्ते में माह वार नंबर वार रक्खा जावे .. .. .. |
|---|---|
| نمونہ فیصلہ کے رجسٹر کا یہ ہوگا | नमूना फ़ैसले के रजिस्टर का यह है ॥ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| نمبر شمار | ۱ | १ | नम्बर शुमार ...... |
| تاریخ فیصلہ | ۲ | २ | तारीख़ रजू ........ |
| تاریخ رجوع | ۳ | ३ | तारीख़ फ़ैसला |
| نام مدعی | ۴ | ४ | नाम मुद्दई |
| نام مدعا علیہ | ۵ | ५ | नाम मुद्दाअले |
| خلاصہ دعویٰ | ۶ | ६ | ख़ुलासा दावा |
| خلاصہ حکم اخیر | ۷ | ७ | ख़ुलासा हुकम आख़ीर |
| کیفیت | ۸ | ८ | कैफ़ियत |

| | |
|---|---|
| دفعہ ۴۳ - تمام مقدمات میں مثل بنی چاہیئے کوئی کار روائی زبانی جایز نہیں سمجھی جاوے گی جو فیصلہ ایک دفعہ ہوگیا پھر اس کے الٹنے کا اختیار نہیں ہے دفعہ ۴۴ - ہر ایک سردار کو ماہواری نقشہ مقدمات متدائرہ اور منفصلہ کا بموجب نمونہ رجسٹر کے کورٹ سرداران میں بھیجنا ہوگا - | दफ़ा ४३ तमाम मुक़द मात में मिसल बननी चाहिये कोई कार रवाई ज़बानी जायज़ नहीं समझी जावेगी जो फ़ैसला एक दफ़ै होग या हो फिर उसके उलट ने का अख़्तियार नहीं है.. .. .. दफ़ा ४४ हर एक सर दारको माह वारी नक़शा मुक़द मात मुत दायरा और मुन फ़ैसला का बमू जिब नमूने रजिस्टर के कोरट सर दारान में भेजना होगा .. .. |
| فہرست سرداران جنکو اختیارات دیے گئے | फ़ैरिस्त सरदारान जिनको अख़्तियारात दिये गये हैं. |

| نام ٹھکانہ | نام قوم | نام سردار | نمبر | नंबर | नाम सर दारान .. .. .. | नामकौ | नामठि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پوکرن | چاپاوت | راٹھور منگل سنگھ جی | ۱ | १ | राठोर मंगल सिंह जी .. | चंपावत | पोकरन |
| آہوہ | " | راٹھور شنبھو سنگھ جی | ۲ | २ | राठोड़ शिंभू सिंह जी ... | | आउवा |
| آہور | " | راٹھور بھوانی سنگھ جی | ۳ | ३ | राठोड़ भवानी सिंह जी.. | | आहोर |
| آسوپ | کونپاوت | راٹھور چین سنگھ جی | ۴ | ४ | राठोड़ चैन सिंघ जी.. .. | कूंपावत | आसोप |
| پنڈاول | " | راٹھور شکتی دان جی | ۵ | ५ | राठोड़ शकती दान जी.. | | चंडावल |
| کنٹالیہ | " | راٹھور گوردھن داس جی | ۶ | ६ | राठोर गोर धन दास जी.. | | कंटालिया |
| رائپور | اوداوت | راٹھور ہری سنگھ جی | ۷ | ७ | राठोर हरी सिंह जी ... | ऊदावत | रायपुर |
| نیماج | " | راٹھور چھتر سنگھ جی | ۸ | ८ | राठोर छतर सिंह जी.. | | नींवाज |

| نام ٹھکانہ | نام قوم | نام سردار | نمبر | नंबर | नाम सरदारान | नाम क़ौम | नाम ठिकाना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راس | اوداوت | راٹھور پرتاپ سنگہ جی | ۹ | ९ | राठोर परताप सिंह जी .. | ऊदावत | रास |
| کوچاون | میڑتیہ | راٹھور کیسری سنگہ جی | ۱۰ | १० | राठोर केसरी सिंह जी .. | मिड़तीया | कुचामण |
| ریاں | " | راٹھور بجے سنگہ جی | ۱۱ | ११ | राठोर वाजे सिंह जी .... | | रीयां |
| گھانیرائو | " | راٹھور جوڑ سنگہ جی | ۱۲ | १२ | राठोर जवार सिंह जी .. | | घांणेराव |
| چانود | " | راٹھور کشور سنگہ جی | ۱۳ | १३ | राठोर किशोर सिंह जी .. | | चाणोद |
| جاولہ | " | راٹھور بجے سنگہ جی | ۱۴ | १४ | राठोर विजे सिंह जी .. | | जावला |
| کھیروہ | جودھا | راٹھور لچھمن سنگہ جی | ۱۵ | १५ | राठोर लछमन सिंह जी .. | जोधा | खेरवा |
| کھیمسر | کرمسوت | راٹھور سادول سنگہ جی | ۱۶ | १६ | राठोर सादूल सिंह जी .. | करमसोत | खीमसर |
| بگڑی | جیتاوت | راٹھور ناہر سنگہ جی | ۱۷ | १७ | राठोर नाहर सिंह ..... | जेतावत | बगड़ी |
| کھیجڑلا | بھاٹی | بھاٹی مادھو سنگہ جی | ۱۸ | १८ | भाटी माधो सिंह जी .. | भाटी | खेजड़ला |
| روہٹ | چانپاوت | راٹھور گردھاری سنگہ جی | ۱۹ | १९ | राठोर गिरधारी सिंह जी | चांपावत | रोयट |
| کھیواڑہ | " | راٹھور گمان سنگہ جی | ۲۰ | २० | राठोर गुमान सिंह जी . | | खीवाड़ा |
| لانبیاں | اوداوت | راٹھور گمبھیر سنگہ جی | ۲۱ | २१ | राठोर गभीर सिंह जी . | ऊदावत | लाबियां |
| آگیوا | " | راٹھور بختاور سنگہ جی | ۲۲ | २२ | राठोर बखतावर सिंह जी | | आगेवा |
| بوبلیا | " | راٹھور رنجیت سنگہ جی | ۲۳ | २३ | राठोर रनजीत सिंह जी | | बुबलिया |
| میںڈہ | میڑتیہ | راٹھور سلطان سنگہ جی | ۲۴ | २४ | राठोर सुलतान सिंह जी | मेंड़तीया | मींडा |
| بوڑسو | " | راٹھور لچھمن سنگہ جی | ۲۵ | २५ | राठोर लछमन सिंह जी | | बूड़सु |
| ڈوڈیانہ | میڑتیہ | راٹھور تیج سنگہ جی | ۲۶ | २६ | राठोर तेज सिंह जी | मेंड़तीया | भोंभीयाना |
| ملسیڑی | میڑتیہ | راٹھور پرتاپ سنگہ جی | ۲۷ | २७ | राठोर राम परताप सिंह जी | मेड़तिया | मीठड़ी |
| بھادراجون | جودھا | راٹھور سنگرام سنگہ جی | ۲۸ | २८ | राठोर संगराम सिंह जी | जोधा | भादराजने |

| نام ٹھکانہ | نام قوم | نام سردار | نمبر | नंबर | नाम सरदार | नाम कौम | नाम ठिकाना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاڈنون | جودھا | راٹھور بہادر سنگھ جی | ۲۹ | २९ | राठोर बहादर सिंह जी | | लाडनूं |
| دوگولی | ″ | راٹھور بجے سنگھ جی | ۳۰ | ३० | राठोर बीजे सिंह जी | जोधा | दुगोली |
| سانٹھین | بھاٹی | بھاٹی جواہر سنگھ جی | ۳۱ | ३१ | भाटी जवार सिंह जी | भाटी | सायीरा |
| کانانہ | کرنوت | راٹھور دھن کرن جی | ۳۲ | ३२ | राठोड़ धन करण जी | करनोत | काणांणा |
| سمدڑی | کرنوت | راٹھور دیبی سنگھ جی | ۳۳ | ३३ | राठोड़ देवी सिंह जी | करनोत | समदड़ी |
| بلوندہ | چانپاوت | راٹھور جیون سنگھ جی | ۳۴ | ३४ | राठोड़ जीवण सिंह जी | चांदावत | वलूंदा |
| جھالامنڈ | راناوت سیسودیہ | راناوت زورآور سنگھ جی | ۳۵ | ३५ | राणावत जोरावर सिंहजी | राणावत सिसादि | झालामंद |
| کلیان پور | چوہان | چوہان راو زورآور سنگھ جی | ۳۶ | ३६ | चोहाण जोरावर सिंह जी राव | चोहाण | कीलाणपुर |
| رآین | رایملوت | راٹھور زورآور سنگھ جی | ۳۷ | ३७ | राठोड़ जोरावर सिंह जी | रायमलोत | रायल |
| ہرشولاو | چانپاوت | راٹھور پرتاب سنگھ جی | ۳۸ | ३८ | राठोड़ परताप सिंह जी | चापावत | हरसोलाव |
| بھینسواڑہ | ″ | راٹھور شیوناتھ سنگھ جی | ۳۹ | ३९ | राठोड़ शिवनाथ सिंह जी | | भेसवाड़ा |
| داسپان | چانپاوت | راٹھور بھیرون سنگھ جی | ۴۰ | ४० | राठोड़ भेरों सिंहजी | चापावत | दासपां |
| باکرہ | چانپاوت | راٹھور رگھناتھ سنگھ جی | ۴۱ | ४१ | राठोड़ रुघनाथ सिंहजी | | वाकरा |
| کھوڑالا | چانپاوت | کیسری سنگھ جی | ۴۲ | ४२ | राठोड़ केसरी सिंह जी | चापावत | खुडाला |
| پالاسنی | اوداوت | راٹھور سوائی سنگھ جی | ۴۳ | ४३ | राठोर सवाई सिंहजी | ऊदावत | पालासणी |
| لوہیرہ | بھاٹی | بھاٹی پرتھی سنگھ جی | ۴۴ | ४४ | भाटी पीरथी सिंह जी | भाटी | लवेरा |
| کوٹڑی | بھاٹی | بھاٹی اودی سنگھ جی | ۴۵ | ४५ | भाटी उदे सिंह जी | भाटी | कोठड़ी |
| باگھاوس | کرنوت | راٹھور سام کرن جی | ۴۶ | ४६ | राठोर साम करण जी | करणोत | वाघावास |

| نام ٹھکانہ | نام قوم | نام سردار | نمبر شمار | नंबर | नाम सर दा रान | नाम क़ौम | नाम ठी कोणा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کڑکی | میڑتیہ | راٹھور سردار سنگھ جی | ۴۷ | ४७ | राठोर सरदार सिंह जी | मेड़ताय | कुड़की |
| بیڑہ | راناوت سیسودیہ | راناوت رگھناتھ سنگھ جی | ۴۸ | ४८ | राणा वत रुघ नाथ सिंह | राणा | वेड़ा |
| ساڈڑی راؤ | ایضاً | راناوت پرتھی سنگھ جی | ۴۹ | ४९ | राणा वत पीरथी सिंह जी | | सादड़ी राव |
| راکھی | چوہان | چوہان امید سنگھ جی | ۵۰ | ५० | चौहाण ऊद सिंह जी | चौहाण | राखी |

## یادداشت

میں اس قانون کے ختم ہونے پر منشی دیبی پرشاد جی سر دفتر محکمہ خاص کا ذکر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسکی تیاری میں پوری پوری مدد دی اور ایسی محنت سے کام کیا کہ جسکا میں شکریہ ادا کرتا ہوں

ہردیال سنگھ

## याद दाश्त ॥

मैं इस क़ानून के ख़तम होने पर मुनशी देवी पर शाद जी सर दफ़तर मेहक मे ख़ास का ज़िक र करना अपना फ़र्ज़ समझ ता हूं कि उन्हों ने इसकी तैयारी में पूरी पूरी मदद दी और ऐसी मेहनत से काम किया कि जिसका शुक्रिया अदा करता हूं ..

हर दयाल सिंह

## حکم محکمۂ خاص

آج یہ قاعدہ پیش ہوا پہلے کونسل میں منظور ہوچکا ہے اب یہ صاف ہوکر واسطے

## हुकम महक में ख़ास

आज यह क़ायदा पेश हुवा पहले कोन्सल में मंज़ूर होचुका है अब यह साफ़ होकर

| اردو | हिन्दी |
|---|---|
| صدور حکم کے پیش ہوا ہے | वास्ते सदूर हुकम के पेश हुवा |
| اسواسطے منظور کیا گیا لہذا حکم ہوا | है· इस वास्ते मंज़ूर किया गया। |
| کہ چار سو جلدیں چھپوائی جاویں | लिहाज़ा हुकम हुवा कि चारसो |
| چونکہ منشی دیبی پرشاد نے اسمیں بہت | जिलदें छप वाई जावें चूंके |
| محنت اور کارگذاری کی ہے | मुन्शी देवी पर शाद ने इसमें |
| سو اسکو ایک خوشنودی مزاج کا | बहुत मेहनत की और बहुत |
| سارٹیفکٹ دیا جاوے | कार गुज़ारी कीहै ·सो उसको |
| جیساکھ سودی ۱۴ سمت ۱۹۴۱ مطابق تاریخ | ऐक ख़ुस नूदी मिज़ाज का सार्टि |
| ۲۸ - اپریل ۱۸۸۵ء | फ़िकट दिया जावे . . . .. |
| | बैसाख सुदी १४ संवत् १९४१ |
| | तारीख़ २८ अपरैल सन् १८८५ ई॰ |
| پرتاب سنگھ | परताब सिंह |

# دستور العمل

# میعاد سماعت مقدمات دیوانی راج مارواڑ

# दस्तूरुल अमल मियाद समाअत

# राज मारवाड़

جسکو

حسب منشاء سرکار موجب حکم مہاراج سری پرتاپ سنگھ جی صاحب
سی۔ ایس۔ آئی۔ مصاحب اعلیٰ ریاست واسطے استعمال عدالتہائے
صیغہ دیوانی راج کے منشی ہردیال سنگھ اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر پنجاب
حال سپرنٹنڈنٹ محکمہ کورٹ سرداران و سکریٹری مصاحب اعلیٰ نے مرتب کیا

जिसको

हसब मनशाय श्री दरबार बमूजिब हुकम
महाराज श्री परताप सिंह जी साहब· सी·
एस· आई· मुसाहब आला राज वास्ते इस्तेमा
ल अदालत हाय सीगे दीवानी के मुन्शी ह
र दयाल सिंह· इकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश
नर पञ्जाब· हाल· सुपरन्टेंडेंट कोर्ट
सरदारान· व· सेक्रेटरी·
मुसाहब आला ने बनाया

مطبع رضوی دہلی میں سید میر حسن کے اہتمام سے چھپا

# دستور العمل
## میعاد سماعت
## مقدمات دیوانی

دفعہ ۱ - یہ دستور العمل واسطے تعین میعاد سماعت ہر ایک نالش مقدمات دیوانی کے سری دربار کے حکم سے مرتب کیا گیا ہے -

دفعہ ۲ - نام اس دستور العمل کا دستور العمل میعاد سماعت مقدمات دیوانی مجریہ راج مارواڑ قرار دیا گیا ہے -

دفعہ ۳ - یہ دستور العمل متی پوس بد ۱۱ سمت ۱۹۴۲ مطابق یکم جنوری ۱۸۸۶ع سے نافذ ہوگا -

دفعہ ۴ - اب تک جو میعاد سماعت پہلے سے بموجب

श्री नाथ जी सत्य छै ॥

# दस्तूरुल अमल मियाद समाअत मुक़दमात दीवानी

दफ़ा १ यह दस्तूरुल अमल वास्ते मुकर्रर किये जाने मियाद समाअत हर एक नालिश मुक़दमात दीवानी के श्री दरबार के हुकम से बनाया गया है .. .. ..

दफ़ा २ नाम इस दस्तूरुल अमल का दस्तूरुल अमल मयाद समाअत मुक़दमात दीवानी राज मारवाड़ ठेहराया गया है .. .. .. .. ..

दफ़ा ३ यह दस्तूरुल अमल संवत् १९४२ मिती पोष बदी ११ तारीख १ जनवरी सन् १८८६ से जारी होगा ..

दफ़ा ४ अब तक जो मयाद समाअत पहिले से मुवाफ़िक़-

حکم سری دربار کے جو وقتاً فوقتاً
صادر ہوتے رہے ہیں مقرر
ہو چکی تھی اور جواب بروقت
تیاری دستور العمل ہذا قرار پائی
ہے اُس کا نقشہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے

**دفعہ ۵** - کسی نالش یا درخواست
کے داخل عدالت ہونے کی
وہ تاریخ شمار کی جائے گی کہ جس
تاریخ کو عدالت میں داخل
ہو جاوے -

**دفعہ ۶** - اگر میعاد مقررہ
کسی تعطیل کے دن ختم ہوتی
ہو تو وہ نالش اُس دن
لے لیجائے گی کہ جس دن
عدالت کھلے گی -

**دفعہ ۷** - اگر کوئی شخص
کسی نالش یا درخواست کی
میعاد مقررہ میں دیوانہ یا
فاترالعقل ہو جاوے تو جایز
ہے کہ نالش مذکورہ بعد
موقوف ہو جانے اُس حالت کے پیش کرے

हुकम श्री दरबार के मुकर्रर हो
चुकीथी और जो अब बर वक्त
तैयारी इस दस्तूरुल अमल के
करार पाई है उसका नकशा अ
खीर में लिखा जाता है ..

**दफ़ा ५** किसी नालिश या दर
खास्त के दाखिल अदालत होने
की वह तारीख शुमार की जाय
गी कि जिस तारीख को अदालत
में दाखिल हो जावे ॥

**दफ़ा ६** अगर मयाद मुकर्रर
किसी तातील के दिन खतम
होती होतो वह नालिश उस
दिन लेली जायगी किजिस दिन
अदालत खुलेगी .. .. .. ..

**दफ़ा ७** अगर कोई शख्स
किसी नालिश या दरखास्त की
मयाद मुकर्रर: में गेला बावला
हो जावेतो जायज़ है कि नालि
श मज़कूरह बाद मौकूफ़ हो
जाने उस हालत के पेश करे -

نابالغ کے لئے بالغ ہونے کی
تاریخ سے اور دیوانے کے
لئے صحت کی تاریخ سے تین
برس بعد تک میعاد محسوب
ہوگی ۔

دفعہ ۸ ۔ اگر کوئی شخص
پردیس چلا گیا ہو اور اُس کو
اس قانون کے احکام متعلقہ
میعاد سماعت سے اطلاع نہو
اور بعد واپس آنے کے کوئی
نالش دایر کیا چاہے تو اُس کو
غیر حاضری کے ایام میعاد میں
مجرا دیئے جائیں ۔

دفعہ ۹ — اگر کوئی زمیندار
یا روٹھیا یعنی باغی ہو کر کچھ
عرصہ تک باہر چلا جاوے
تو اُس کے لین دین کی میعاد
سماعت اُس کی واپسی کی
تاریخ سے شمار کی جاوے یا
اُس تاریخ سے کہ راج قصور
معاف کرکے پھر اُس کو اُس کے ٹھکانہ پر

ना बालिग़ के लिये बालिग़ हो
नेकी तारीख से और दीवानी
के लिये आराम होने की तारी
ख से तीन बरस बाद तक मया
द गिनी जायगी .. .. ..

दफ़ा ८ अगर कोई शख्स
पर देस में चला गया हो और
उसको इस क़ानून के माफ़िक
मयाद समाअत की इत्तला नहीं
और बाद वापस आने के को
ई नालिश दायर कीया चाहे
तो उसको ग़ैर हाज़री के दिन
मयाद में मुजरा दिये जावें .. ..

दफ़ा ९ अगर कोई ज़मीदार
या रोठिया होकर कुछ अरसे
तक बाहर चला जावे तो उस
के लेन देन की मयाद समाअत
उसकी वापसी की तारीख से शु
मार की जावेगी या उस तारीख
से कि राज कसूर मुआफ़ करके
फिर उसको अपने ठिकाने पर

| | |
|---|---|
| بٹھا دے ۔ | बिठा वे .. .. .. .. .. .. |
| **دفعہ ۱۰** ۔ اگر کسی جاگیردار کا پٹہ ضبط ہو جاوے اور اس سبب سے وہ باہر چلا جاوے تو اوسکے لین دین کی میعاد سماعت روز واپسی یا بحالی پٹہ سے شمار کی جاوے گی ۔ | **दफ़ा १०** अगर किसी जागीर दार का पट्टा ज़ब्त हो जावे और इस सबब से वह वाहर चला जावे तो उसके लेन देन की मयाद समाअत रोज़ वापसी या बहाली पट्टे से शुमार की जावे गी .. .. .. .. |
| نقشہ میعاد سماعت نالشات دیوانی | **नक़शह समाअत मयाद मज़कूरः बाला ॥** |

| نمبر | قسم نالش | میعاد سماعت | کب سے محسوب ہوگی | नम्बर | क़िसम नालिश | मियाद समाअत | कब से महसूब होगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | نالش واسطے منسوخی فیصلہ یکطرفی کے | ایک مہینہ | تاریخ اطلاع پانے سے | १ | नालिश वास्ते मनसूखी फैसले इक तर्फी के | एक महीना | तारीख़ इत्तला पाई से |
| ۲ | نالش واسطے نظرثانی فیصلہ یکطرفہ کے | // | ایضاً | २ | नालिश वास्ते नजर सानी फ़ैसले इक तर्फ़ के | एक महीना | ऐज़न |
| ۳ | نالش واسطے منسوخی فیصلہ عدالتوں کو توالی حکومتوں وغیرہ کے محکمہ جات بالا دست میں | // | ایضاً | 3 | नालिश वास्ते मनसूखी फ़ैसले अदालतों वाकीत वाली हकूमतों वग़ैरे के महकमः जातवाला दस्त में .. .. .. | एक महीना | ऐज़न |
| ۴ | درخواست واسطے از سرنو منظوری اپیل کے جو عدم پیروی میں خارج کیا گیا ہو یا یکطرفہ سنا گیا ہو | // | ایضاً | ४ | दरख़्वास्त अज़ सरे नो मनज़ूरी अपील जो अदम पैरवी मे किया गया हो या इक तर्फ़ सुना गया हो | एक महीना | ऐज़न |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | درخواست واسطے اجازت اپیل کے بصیغہ مفلسی | ایک مہینہ | ایضاً | ५ | दरख्वास्त इजाज़त अपील बसीग़े मुफ़लसी | एक महीना | ऐज़न |
| ۶ | نالش واسطے منسوخی فیصلہ سرداران راج مارواڑ کی | ڈیڑھ مہینہ | ایضاً | ६ | नालिश वास्ते मनसूखी फ़ैसले सरदारान राज मारवाड़ | डेढ़ महीना | ऐज़न |
| ۷ | درخواست واسطے قایم مقام ہونے کسی مدعی متوفی کے | دو مہینے | تاریخ وفات مدعی سے | ७ | दरख्वास्त वास्ते क़ायममुकाम होने किसी मुद्दई मरे हुवे के | दो महीने | तारीख़ वफ़ात मुद्दई से |
| ۸ | نالش واسطے دلاپانے ہرجہ ہتک عزت کے | ایک برس | جب سے کہ کیگئی ہو | ८ | नालिश वास्ते दिला पाने हरजे हतक इज्जत के | एक बरस | जबसे कि की गई हो |
| ۹ | نالش واسطے دلاپانے حق شفعہ کے | دو برس | حقدار شفعہ کو بیعنامہ کی اطلاع ہونے سے | ९ | नालिश वास्ते दिला पाने हक़ शफ़ा के | दो बरस | लिखनकी इतिलाहोने से |
| ۱۰ | نالش واسطے دلاپانے تنخواہ اجرت اور مزدوری | تین برس | جب سے کہ وعدہ یا وقت واجب الوصول ہونے کا گزر گیا ہو | १० | नालिश वास्ते दिला पाने तनख्वाह उजरत और मज़दूरी के | तीन बरस | जबसे कि वायदा या वक़्त वाजबुलवसूल होने का गुज़र गया हो |
| ۱۱ | نالش واسطے دلاپانے کرایہ جانوران سواری اور باربرداری کے | تین برس | ایضاً | ११ | नालिश वास्ते दिला पाने किराया जानवरान सवारी और बारबरदारी के | तीन बरस | ऐज़न |
| ۱۲ | نالش واسطے دلاپانے معاوضہ اس زمین کے جو راج مین کسی کام کیواسطے لیگئی ہو | تین برس | تاریخ قبضہ زمین مذکور سے | १२ | नालिश वास्ते दिला पाने मुआविज़े उस ज़मीन के जो राजमें किसी काम के वास्ते ली गई हो | तीन बरस | तारीख़ कब्जह ज़मीन मज़कूर से |
| ۱۳ | نالش واسطے دلاپانے کسی مال کی جو لیجانے والے نے گم کردیا ہو | تین برس | گم کرنے کی تاریخ سے | १३ | नालिश वास्ते दिला पाने मालके जो किसी ले जाने वाले ने गुमा दिया हो | तीन बरस | गुम करने की तारीख़ से |
| ۱۴ | نالش واسطے دلاپانے ہرجہ کسی پانی کے وبہورہ کے جو بند کردیا گیا ہو | تین برس | تاریخ بنائے دعوی سے | १४ | नालिश वास्ते दिला पाने हरजे किसी धोरे पानी के जो बंद कर दीया गया हो | तीन बरस | तारीख़ बिनाय दावे से |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | نالش واسطے دلا پانے قیمت کسی بیچی ہوئی چیز کے | ۳ | تاریخ فروخت سے | १५ | नालिश वास्ते दिलापाने क़ीमत किसी बेची हुई चीज़के | तीन बरस | तारीख फरोख्तसे |
| ۱۶ | نالش نابالغ کی واسطے انفساخ کسی بیع کے جو اس کے ولی نے کی ہو | ۳ | تاریخ بلوغت سے | १६ | नालिश नाबालिग़ की वास्ते किसी बिकी हुई चीज़के जो उसके वली ने बेच दी हो.. | तीन बरस | बालिग़ होनेकी तारीखसे |
| ۱۷ | نالش واسطے دلا پانے نانگ اور سگائی کے | ۴ | جب کہ بنائے دعوے قائم ہو | १७ | नालिश वास्ते दिला पाने सांग और सगाई के | चार बरस | जबसे कि विनायदावा क़ायमहो |
| ۱۸ | نالش واسطے دلا پانے عورت کے | ۵ | تاریخ بنائے دعوے سے | १८ | नालिश वास्ते दिला पाने औरत के .. .. .. | पांच बरस | तारीख विनाय दावे से |
| ۱۹ | نالش واسطے دوبارہ حاصل کرنے قبضہ جائداد منقولہ کے | ۱۲ | تاریخ بیدخلی سے | १९ | नालिश वास्ते दुबारा हासिल करने कब्जः जायदाद मनकूला .. .. .. .. | बारह बरस | बेदखली की तारीख |
| ۲۰ | نالش واسطے حاصل کرنے قبضہ جائداد مرہونہ کے | ۱۲ | جب کہ قبضہ کرنا از روئے رہن نامہ لازم ہو | २० | नालिश वास्ते हासिल करने कब्जः जायदाद मरहूना याने छुड़ाने के .. .. | बारह बरस | जबसेकि कब्जा करना रहननामाकी रूसे लाजिमहो |
| ۲۱ | نالش واسطے دلا پانے زر قرضہ کے | ۱۲ | تاریخ تمسک یا وصول سے | २१ | नालिश वास्ते दिला पाने जर करजा के | बारह बरस | तारीख तमस्सुक यावसूल से |
| ۲۲ | نالش واسطے دلا پانے زر رہن کے جس کا روپیہ سودی ہو | ۱۲ | تاریخ رہن نامہ سے | २२ | नालिश वास्ते दिला पाने जर रहनके जिसका रुपया सूदी हो.. | बारह बरस | तारीख रहनसे |
| ۲۳ | نالش واسطے دلا پانے کرایہ مکان یا زمین کے | ۱۲ | تاریخ وعدہ سے | २३ | नालिश वास्ते दिला पाने किराया मकान या ज़मीनके | बारह बरस | तारीख वादेका |
| ۲۴ | نالش واسطے دلا پانے حاصل زمین کھیت اور بیرہ کے | | جب سے وعدہ یا وقت وصول کا گزر گیا ہو | २४ | नालिश वास्ते दिला पाने हासिल ज़मीन खेत वेरा के | बारह बरस | जबसे वादा या वक़्त वसूल का गुज़र गया हो |
| ۲۵ | نالش واسطے دلا پانے قسط زر قرضہ کے | | انقضائے وعدہ سے | २५ | नालिश वास्ते दिला पाने किस्त जर करजे याने खंदी के रुपये के | | हरएक रकम जब पूरी हो जावे जबसे |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٦ | نالش واسطے دلاپانے حق کھولہ یعنے تبنیت کے | ١٢ | جب سے کہ بناے دعوے قایم ہو | २६ | नालिश वास्ते दिला पाने हक़ खोला के | बारह बरस | जबसे किबिनाय दावे की क़ायम हो॥ |
| ٢٧ | نالش واسطے دلاپانے مہر مسلمان عورت کے | ١٢ | تاریخ طلاق سے | २७ | नालिश वास्ते दिला पाने मेहरमुसलमान ओरत के | बारह बरस | तारीख़ तलाक से .. |
| ٢٨ | نالش واسطے دلاپانے استری دھن کے | ١٢ | جب سے کہ بناے دعوی قایم ہوئی ہو | २८ | नालिश वास्ते दिला पाने स्त्री धन के .. | बारह बरस | जबसे की बिनाय दावे की क़ायम हुई हो .. |
| ٢٩ | نالش واسطے دلاپانے قیمت کھانے پینے کی چیزوں کے | ١٢ | تاریخ سپردگی سے | २९ | नालिश वास्ते दिला पाने क़ीमत खाने पीने की चीज़ो के | बारह बरस | देने की तारीख से .. |
| ٣٠ | نالش واسطے موقوفی پٹہ زمین کے جو راج سے ہوگیا ہو | | تاریخ پٹہ یا قبضہ سے | ३० | नालिश वास्ते माकूफी पट्टे ज़मीन के जो राज से हो गया हो | बारह बरस | तारीख़ पट्टा या कबज़ा से |
| ٣١ | نالش واسطے دلاپانے اُس روپیہ کے جو بروقت حساب باقی نکلے | ١٢ | تاریخ حساب سے | ३१ | नालिश वास्ते दिला पाने उस रुपये के जो वर वक़्त हिसाब व वाकी निकले .. .. | बारह बरस | तारीख़ हिसाब से |
| ٣٢ | نالش منجانب مالک بنام گماشتہ واسطے دلاپانے مال منقولہ اور حساب فہمی کے | | تاریخ ختم ہونے گماشتہ گری یا تاریخ طلبی سے | ३२ | नालिश मालिक की तरफ़ से गुमास्तः के ऊपर वाबत माल मनकूला या हिसाब समझ ने के .. | बारह बरस | तारीख़ खतम गुमास्तगरी से या तारीख़ मांगने से |
| ٣٣ | نالش واسطے دلاپانے قیمت درختوں کے جو کسی اجارہ دار یا پٹہ دار نے کاٹ لیئے ہوں | | تاریخ کاٹنے سے | ३३ | नालिश वास्ते दिला पाने क़ीमत दरख़्तों के जो किसी इजारेदार ने या पट्टेदार ने काट लिये हो .. | बारह बरस | तारीख़ काटने से |
| ٣٤ | نالش واسطے دلاپانے کسی منصب موروثی کے | | تاریخ بیدخلی سے | ३४ | नालिश वास्ते दिला पाने कबज़ः किसी मनसब मौरूसी के याने ओहदे वापोती के .. | बारह बरस | तारीख़ बेदख़ली से |
| ٣٥ | نالش واسطے دلاپانے اُس روپیہ کے کہ جسکا مواخذہ کسی جائداد غیر منقولہ پر ہو | | جب سے کہ روپیہ واجب الوصول ہو | ३५ | नालिश वास्ते दिला पाने उस रुपयेके कि जिसका मवाख़ज़ा किसी जायदाद गैर मनकूला पर हो .. .. | बारह बरस | जबसेकि रुपया वसूल करना वाजिब हो |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶ | درخواست اجراے ڈگری | ۱۲ برس | تاریخ فیصلہ عدالت ماتحت یا محکمہ اپیل سے | ३६ | दर ख्वास्त इजराय डिग्री | वारह वरस | तारीख़ फ़ैसले अदालत मातहत या अपील से· |
| ۳۷ | نالش واسطے دلاپانے زر نقد کے جو اس اقرار پر امانت کیا گیا ہو کہ عندالطلب دیا جاویگا | ۳ برس | تاریخ امانت سے | ३७ | नालिश वास्ते दिला पाने रोकड़ रुपये के जो इस इक़रार पर अमानत रखा गया हो के जब धनी मांगे उसी वक़्त चुका दिये जावेंगे.. | तीन वरस | अमानत रखने की तारीख़ से.. |
| ۳۸ | نالش بنام امانت دار واسطے دلاپانے مال منقولہ امانتی یا مرہونہ کے | ۳ برس | تاریخ امانت سے | ३८ | नालिश अमानत दार के नाम वास्ते दिला पाने माल मनकूला अमानती या मरहूना के .. " " | तीन वरस | तारीख़ अमानत से.. |
| ۳۹ | نالش واسطے دلاپانے دوبارہ قبضہ جائداد غیر منقولہ | ۴۰ برس | تاریخ بیدخلی سے | ३९ | नालिश वास्ते दुवारा हासिल करने कबज़ः जाय दाद ग़ैर मन कूला के .. .. .. | चालीस वरस | बेदख़ली की तारीख़ से.. |
| ۴۰ | نالش واسطے دلاپانے حق ملکیت و ترکہ پدری و جائداد موروثی کی | ۴۰ برس | جب سے کہ بناے دعوے قایم ہو | ४० | नालिश वास्ते दिला पाने हक़ पायी और भाई बंदे की ज़मीन जाय दाद के | चालीस वरस | जबसे कि बिनाय दावे की क़ायम हो |
| ۴۱ | نالش مرتہن کی واسطے بیع جائداد مرہونہ کے | ۴۰ برس | تاریخ رہن نامہ سے | ४१ | नालिश मुरतहीन की वास्ते बिकाने जाय दाद मरहूना के.. | चालीस वरस | तारीख़ रहन नामः से |
| ۴۲ | نالش واسطے دلاپانے قبضہ جائداد وغیرہ منقولہ کے جبکہ مدعی کا بجا قبضہ کے بیدخل کیا گیا ہو | ۴۰ برس | تاریخ بیدخلی سے | ४२ | नालिशवास्ते दिलापाने क़बज़े जाय दाद ग़ैर मन कूला के जब कि मुद्दई बहालत क़बज़े के बे दख़ल किया गया हो .. .. .. | चालीस वरस | तारीख़ बे दख़ली से |
| ۴۳ | نالش واسطے دوبارہ حاصل کرنے جائداد رہن ہوگا اوہ کے | ۸۰ برس | تاریخ تحریر رہن نامہ سے | ४३ | नालिश वास्ते दुवारह हासिल करने जाय दाद रेहन भोगला वह के | अस्सी वरस | तारीख़ तहरीरी रहन नामे से ... |
| ۴۴ | نالش واسطے دلاپانے قبضہ جائداد غیر منقولہ مرہونہ کے راہن سے | ۸۰ برس | تاریخ رہن نامہ سے | ४४ | नालिश वास्ते दिला पाने कबजह जाय दाद ग़ैर मन कूला अडाने रखी हुई के अडाने रखने वाले से.. .. | अस्सी वरस | तारीख़ रहन नामः से |

# دستور العمل

# شہادت راج مارواڑ

# दस्तूरुल अमल शहादत

# राज मारवाड़

جسکو

حسب منشاء سرکار بموجب حکم مہاراج سری پرتاب سنگہ جیصاحب
سی - ایس - آئی - مصاحب اعلی ریاست واسطے استعمال عدالتہاے
صیغہ دیوانی راج کے منشی ہردیال سنگہ اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر پنجاب
حال سپرنٹنڈنٹ محکمہ کورٹ سرداران و سکرٹری مصاحب اعلی نے مرتب کیا

जिस्को

हस्ब मन्शाय श्री दरबार बमूजिब हुकम
महा राज श्री पर ताप सिंह जी साहब· सी·
एस· आई· मुसा हब आला राज वास्ते इस्तेम
ल अदालत हाय सीगे दीवानी के मुन्शी ह
र दयाल सिंह· इक्स्टरा इसस्टेंट कमश्
नर पन्जाब· हाल· सुपरन्टन्डेंट कोर्ट
सर दारान· व· सेकर टरी·
मुसा हब आला ने बनाया

مطبع رضوی دہلی میں باہ ستمبر سنہ ۱۸۹ ع طبع ہوا

# मुख़्तसिर कानून शहादत याने गवाही का

दफ़ा १ यह कानून वास्ते मुक़र्रर करने गवाही के मुरत्तिब किया गया है और मिती पोष बदी ११ तारीख़ १ जनवरी सन् १८८६ ई० सबत् १९४२ से तमाम मुल्क मारवाड़ में जारी होगा

## गवाही की बिगत और उसकी ज़रूरत॥

दफ़ा २ शहादत या गवाही की ज़रूरत मुक़द्दमें में उसवक़्त होतीहै कि जब कोई सवाल या अमर तनक़ीह तलब ब वजे फ़रीक़ैन के बयान में इख़्तलाफ़ पड़नेसे पैदा होताहै

दफ़ा ३ अमूर तनक़ीह त

# مختصر قانون شہادت

## تمہید

دفعہ ۱ - یہ قانون واسطے قرار دینے طریقہ گواہی کے مُرتب کیا گیا ہے - اور اس کا نفاذ تاریخ یکم جنوری ۱۸۸۶ء مطابق پوس بدی ۱۱ سمبت ۱۹۴۲ سے تمام ملک مارواڑ میں ہوگا -

## تشریح وتعریف شہادت

دفعہ ۲ - شہادت یا گواہی کی ضرورت مقدمہ میں اُس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی سوال یا امر تنقیح طلب بوجہ تخالف بیانات فریقین کے پیدا ہوتا ہے

دفعہ ۳ - امور تنقیح طلب

کے سوائے ایسے اور
امور بھی کہ جو مقدمہ یا امور
تنقیح طلب سے بہت کچھ
ملتے ہوئے ہوں قابل
شہادت لینے کے ہیں تاکہ
اُن سے دعوی کی بنا یا مقدمہ
کی اصلیت کا بخوبی قیام
یا انکشاف ہوسکے ۔

دفعہ ۴ رسم رواج
کسی عدالت کی راے جو
اُسی یا مثل اُس کے
دوسرے مقدمات میں ہو
یا کسی حق عام اور قانون و
دستور کا حوالہ یا کسی واقف کار
مقدمہ کی واقفیت شہادت
مین داخل ہے ۔

دفعہ ۵ - اگر کوئی
گواہ کسی فریق کا اُسکے
دعوے یا بیان کی تصدیق
کرے تو وہ اقبال
شہادت ہے بشرطیکہ

लब· के सिवाय और कई बा
ते ऐसी भी कि जो मुक़द में
या अमूर तन कीह तलब
से बहुत कुछ मिल्ती हुई हों
गवाही लेनेके लायक है कि
उनसे दावे की· बुनियाद या
मुकदमें की जड़ अच्छी तरहसे
कायम· होसके या खुल सके·

दफ़ा ४ रसम रिवाज किसी
अदालत की रायजो उसी· मु
क़द मेमें या मिसल उसके दूस
रे· मुक़द मेमें हो या किसी
आम हक़ और क़ानून और दस्तू
र का· हवाला· या किसी वाक़फ़
कार मुकद मेकी वाक़फ़ी· यह
सब बातें गवाहीमें दाखल है

दफ़ा ५ अगर कोई गवाह
किसी फ़रीक़ का· उसके ·दावे
या· बयान की तसदीक़· करे
तो· वो: कबूल करलेना ग·
वाही काहै · पर शरत येहै·

| اقبال | |
|---|---|
| کسی سازش یا ترغیب اور دہمکی یا نشہ و دیوانگی کی حالت میں نہوا ہو - | कि वो क़बूल कर लेना किसी मिलावट या लालच या धमकी या नशे और दीवानगीकी हालत में नहीं हुआ हो .. .. .. .. |
| دستاویز اور زبانی شہادت واسطے تصدیق دستاویز کے | दस्ता वेज़ और ज़बानी शहादत वास्ते तसदीक़ दस्ता वेज़ के ॥ |
| دفعہ ٦ - دستاویز یا تحریری شہادت داخل ہونے پر بھی زبانی شہادت اُن لوگوں کی کہ جن کی قلم سے وہ لکہی گئی ہو یا جنکی گواہی اُس میں درج ہو یا جنکا اُس وقت موجود ہونا کسی وجہہ سے معلوم ہوتا ہو واسطے تصدیق دستاویز مذکور کے ضرور ہے اور اگر لکھنے والوں اور دستخط کرنے والوں میں سے کوئی زندہ اور موجود نہ ہو تو | दफ़ा ६ दस्ता वेज़ या तहरीरी शहादत दाखल होने परभी ज़बानी शहादत उन लोगों की कि जिनकी क़लम से वो लिखी गई हो या जिनकी गवाही उसमें दरज़ हो या जिनका उस वख़्त मौजूद होना किसी वजे से मालूम होता हो वास्ते तसदीक़ दस्ता वेज़ मज़कूरके जरूर है और अगर लिखने वालों और दस्तख़त करने वालों मेंसे कोई जिन्दा और मौजूद नहोतो ऐसे श- |

| | |
|---|---|
| ایسے شخص کی رائے کہ جو اُن کی حروف اور دستخط کو پہچانتا ہو قابل شہادت کے ہے مگر یہ دفعہ کاغذات مُہری اور دستخطی محکمہ جات راج کے حق میں موثر نہوگا ۔ | ख़्स की राय कि जो उनके ख़ुरूफ़ या दसख़त को पहचानता हो क़ाबिल शहादत केहै मगर यह दफ़ा राज के महकमोंके मोहरी और दसख़ती काग़ज़ोंके वास्ते नही लगाया जायगा .. .. .. .. .. |
| دفعہ ۷ - شہادت میں اگر کوئی طول طویل بیان یا گفتگو یا بحث پیش آوے تو اُس میں سے واسطے اثبات مقدمہ اور اُس کی نسبت رائے قایم کرنے کی اُسیقدر کافی ہوسکتی ہے کہ جسقدر ضروری ہو ۔ | दफ़ा ७ शहादत में अगर कोई लंबी चवड़ी तकरीर गुफ़तगू या बहस पेश आवे तो उसमें से मुकदमेंकी साबूती और उसके वास्ते तजवीज़ या राय कायम करने के वास्ते उतनी ही काफ़ी हो सकतीहै कि जितनी जरूरी हो .. .. |
| دفعہ ۸ - اگر کسی مقدمہ میں کوئی ڈگری یا فیصلہ کسی دوسرے محکمہ کا بطور شہادت کے اس غرض سے پیش کیا جاوے کہ حاکم مجوزکو مانع سماعت | दफ़ा ८ अगर किसी मुकदमें में कोई डिगरी या फ़ैसला किसी दूसरे महकमेंका बतौर गवाही के इस मतलब से पेश किया जावे कि हाकम तजवीज़ करने वाले को |

مُقدمہ یا تجویز ہو تو فریق ثانی بشرط موجود ہونے کسی وجہہ کے یہ ثابت کرسکتا ہے کہ فیصلہ اور ڈگری مذکور ایسی عدالت سے صادر ہوئی تھی کہ جس کو اختیار اُس کے صادر کرنے کا نہ تھا یا بفریب و سازش حاصل ہوئی تھی -

## شہادت چال چلن فریق مقدمہ

دفعہ ۹ - مقدمات دیوانی میں کسی فریق کے چال چلن کی بابت شہادت اِسقدر ضروری نہیں ہے جسقدر مقدمات فوجداری میں ہوتی ہے -

دفعہ ۱۰ - اکثر مقدمات فوجداری میں ملزم کا چال چلن کہ نیک ہے یا

मुक़द मेंकी समाअत या तज वीज़ करने से रोक देतो दूसरा फ़रीक़ अगर कोई वजह रखता होतो यह साबत कर सकता है कि फ़ैसला और डिगरी मज़कूर ऐसी अदालत से हासल हुईथी कि जिसको अख़्त यार उसके सादर करने का नहींथा या वो फ़रेब और मिला वट से हासल हुईथी

## मुक़द मेंवालों के चाल चलन की शहादत

दफ़ा ९ मुक़द मात दीवानी में किसी फ़रीक़ के चाल चलन के बाबत शहादत इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि मुक़द मात फ़ौज दारी में होती है

दफ़ा १० अकसर मुक़द मात फ़ौज दारी में इस बात की शहादत लैनी ज़रूर -

होतीहै कि मुल ज़िम का चाल चलन अच्छा है या नही और पहले भी उस्से कोई जुरम हुआथा या नही ..........

یا نہیں اور پہلے بھی کبھی اس سے کسی جرم کا ارتکاب ہوا تھا یا نہیں شہادت طلب ہے۔

## दावा क़बूल करनेकी सूरत में शहादतलेनी ज़रूरत नही है॥

## بصورت اقبال دعوی شہادت دلینا ضرور نہیں ہے

दफ़ा ११ अगर मुक़दमा या उस्के हिस्से को फ़रीकैन या उनके वकील कबूल करले वेंतो उसमें गवाही लेना जो पेशभी हो चुकी हो जरूर नही है ...........

دفعہ ۱۱- اگر مقدمہ یا مقدمہ کے حصّہ کو فریقین یا اُن کے وکلا تسلیم کرلیں تو اُس میں عدالت کو کچھ ضرورت شہادت لینے کی نہیں ہے گو وہ پیش ہو چکی ہو۔

## शहादत जबानी मुक़दमात ज़बानी में

## شہادت زبانی مقدمات زبانی میں

दफ़ा १२ तमाम ज़बानी मुक़द में सिवाय लिखी हुई दस्तावेज़ोंके ज़बानी शहादत के ज़रिये साबत किये जा सकते हैं

دفعہ ۱۲- تمام زبانی واقعات بجز مضامین دستاویزات کے شہادت زبانی کے ذریعہ سے ثابت کیۓ جا سکتے ہیں۔

دفعہ ۱۳ - ہر ایک شہادت زبانی پوری اور کافی اور واقعی ہونی چاہیئے تا کہ عدالت کا اطمینان ہو سکے مثلاً - جن مقدمات میں کہ دیکھ سکتے ہیں اُن میں شہادت ایسے گواہ کی ہو کہ جو یہ کہے کہ میں نے اُس واقعہ کو دیکھا اور ایسے واقعہ کی نسبت کہ جسے سُن سکتے ہیں ایسا گواہ ہو کہ جو یہ کہے کہ میں نے سُنا اِس طور سے محسوس کرنے یا رائے دینے یا کسی بات کی تجویز کرنے کے لایق واقعات میں ویسی ہی شہادتیں گذرنا ضرور ہیں -

دفعہ ۱۴ - اگر کوئی دستاویز اصل سے نقل کی گئی ہو پھر اصل گم گئی ہو یا تلف ہو گئی ہو تو واسطے تصدیق نقل کے کہ وہ مطابق

दफ़ा १३ हर एक ज़बानी शहादत पूरी और पक्की और सच्ची होनी चाहिये कि जिस से अदालत की तसल्ली होसके मसलन जिन मुक़द्दमों में कि देख सकते हैं उनमें गवाही ऐसे गवाह, की, हो, कि जो यह कहे कि मैंने उस वार दात को देखा था और ऐसी वार दात के बाबत कि जिसे सुन सकते हैं ऐसा गवाह हो जो यह कहे कि मैं ने सुना इसी तौर से छूने छुये जाने या राय देने या किसी अमर की तजवीज़ करने के लायक बातों में वे सीही गवाही गुजरना जरूर है .. .. .. ..

दफ़ा १४ अगर कोई दस्तावेज़ असल से नक़ल की गई हो और फिर असल गुम गई हो या खराब होगई होतो वास्ते तसदीक नकल के कि वो ۸

मुता बिक असल के है उन लो
गों की गवा ही कि जिनके रोब
रू वो नक़ल हुई हो या जिन्हों
ने उसका मुकाबला असल से
किया हो या लिखी हो अगर
अदालत लेनी ले सक्ती है ॥

दफ़ा १५ अगर दस्ता वेज़
किसीने छीन ली हो या ऐसी
जगह हो कि जहांसे आना मुम
किन् नहो या फ़रीक़ दूस रे
ने उसको कबूल करली होतो
उस बात के पूरे वाक़फ़ कारों
की शाहदी कि जिन्होंने आ
खों सेभी देखा हो या मोत बर
तौर पर सुनाहो अदालत में
पेश होने के लायक है ... ...

## दस्ता वेज लिखने वाले की गवा ही का ज़िक्र

दफ़ा १६ जिस दस्ता वेज़में
साखें नही होंतो उसकी तस
दीक के वास्ते उसके लिखने

اصل کے ہے اُن لوگوں کی گواہی
کہ جن کے روبرو وہ نقل ہوئی
ہو یا جنہوں نے اُس کا
مقابلہ اصل سے کیا ہو یا لکھی
ہو اگر عدالت لے تو لے سکتی
ہے۔

دفعہ ۱۵ ۔ اگر دستاویز
کسی نے چھین لی ہو یا ایسی جگہہ
ہو کہ جہاں سے آنا ممکن نہ ہو
یا فریق مخالف نے اُس کو تسلیم
کرلیا ہو تو اُس بات کے
پورے واقف کاروں کی
شہادت کہ جنہوں نے
آنکھوں سے بھی دیکھا ہو یا معتبر
طور پر سُنا ہو عدالت میں
گذرنے کے قابل ہے۔

## دستاویز لکھنے والے کی گواہی کا ذکر

دفعہ ۱۶ ۔ جس دستاویز
کے لئے کوئی گواہ حاشیہ کا
نہو تو اُس کی تصدیق کے

واسطے شہادت تحریر اُس کی کاتب کی ہی کافی ہوسکتی ہے بشرطیکہ اُس میں نام کاتب مذکور کا اُس کی قلم سے لکھا ہو

## ذکر شہادت

بصورت انکار

و فراموشی گواہان حاشیہ

**دفعہ ۱۷** — اگر کوئی گواہ کسی دستاویز کے اوپر اپنی گواہی کے ہونے سے انکار کرے یا اُس کو گواہی کرنا یاد نہو تو اُس دستاویز کی تصدیق اور کسی شہادت سے ثابت کیجاوے —

## امتحان گواہ بصورت اشتباہ

**دفعہ ۱۸** — اگر کسی دستاویز کی تحقیقات میں عدالت کو کسی گواہ یا کاتب

वालेकी शाहेदीही बाबत लिखनेके क़ाफ़ी हो सकती है पर शरत येहै कि उसमें नाम लिखने वाले का उसकी क़लम से लिखा हो ..................

## जिक्र गवाही का किसी दस्तावेज़ के गवाहोंके इनकार करने या भूलजाने की सूरत में ॥

**दफ़ा १७** अगर कोई गवाह किसी दस्तावेज़ में अपनी गवाहीके होनेसे इनकार करे या उसको गवाही करना याद नहो तो उस दस्तावेज़ का तकमील होना और किसी शाहेदीसे साबत किया जावे.. .. .. ..

## गवाह का इमतिहान शुबा होने की हालत में

**दफ़ा १८** अगर किसी दस्तावेज़ की तहक़ीक़ात में अदालतको किसी गवाह या लि

تصدیق کرنے والے کی نسبت کوئی شبہہ پیدا ہو تو جائز ہے کہ اُسی وقت اُس سے کچھہ عبارت لکھواکر مطابقت تحریر اور خط کے کرلے ۔

## دستاویزات سرکاری

**دفعہ ١٩** - اگر کسی مقدمہ کے ثبوت کا انحصار کسی ایسی دستاویز یا کاغذات سرکاری پر ہو کہ جو دفتر سرکار یا عہدہ داران سرکار کے اختیار میں ہوں تو جائز ہے کہ عدالت اُن کی نقل منگوانے کے لئے عہدہ داران مذکور کو لکھے اور اُن کے پاس سے جو نقل مصدقہ آوے اُس کو بطور شہادت کے

रवने वाले की तसदीक़ बार नेमें कोई शुबा पैदा होतो जा यज़ है कि उसी वक़्त उस से कुछ इबारत लिखवा कर मुताबिक़त तहरीर और आ खरों की करे ......

## सर कारी दस्ता वेज़ें॥

**दफ़ा १९** अगर किसी मुक़द्में की सबूत का मदार किसी ऐसी दस्ता वैज़ या सर कारी काग़ज़ौंके ऊपर हो कि जो सर कारी दफ़्तर या सर कारी ओहदे दारोंके अख़्तियार में होती जायज़ है कि अदालत उनकी नक़ल मं गा नेके लिये ओहदे दारान मज़कूर को लिखे और उन के पास से जो नक़ल उन की तस दीक़ की हुई आवे उस को बतौर शाहदी के क़बूल

قبول کرے -

دستاویزات علاقہ غیر

دفعہ ۲۰ اگر کوئی دستاویز غیر علاقہ کی پیش کی جاوے یا علاقہ غیر میں ہو تو اس کی بہی تصدیق - حسب ضابطہ حاکمان علاقہ مذکور سے قبل از قبول کرنے دستاویز مذکور کے بطور شہادت کے کرائی جاوے -

قیاسات نسبت صحت دستاویزات

دفعہ ۲۱ - ہر ایک تحریری شہادت کی نسبت جو تصدیق کی ہوئی کسی حاکم مجاز یا عدالت کی ہو - یا کسی اسامی کا اظہار جو حسب ضابطہ قلمبند کیا گیا ہو - یا جس کی

करे ..

ग़ैर इलाक़े की दस्तावेज़:

दफ़ा २० अगर कोई दस्तावेज़ ग़ैर इलाक़े की पेश की जावे या ग़ैर इलाक़े में होतो उसकी भी तसदीक़ जाब तेके मूजब उस इलाके के हाकमों से उसको शाय दी में क़बूल करने से पहले कराली जावे.

दस्तावेज़ों के सही होने के निसबत क़यास.

दफ़ा २१ हर एक तहरीरी शहादत की निसबत जो तसदीक़ की हुई किसी हाकम मजाज़ या अदालत की हो या. किसी. असामी का. इज़हार जो हस्ब जाब ते लिखा गया हो या जिसकी तसदीक़

تصدیق کی تکمیل بخوبی ہو گئی ہو یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ واقعی اور غیر جعلی ہے —

की तक मील अच्छी तरे से होगई हो ये कयास हो सकता है कि सही है और जाली नही है.. .. .. ..

## قیاسات نسبت صحت دستاویزات علاقہ راج

## राज की दस्ता वेजों के लिये सही होनेके कयास

دفعہ ۲۲ ہر ایک یادداشت ہر ایک تحریر اور ہر ایک نقشہ اور کتاب جو راج کے حکم سے عہدہ داران مجازنے تیار کی ہو اور وہ عدالت میں بطور شہادت کے کسی فریق کی طرف سے پیش کیجاوے یا اُس کے اوپر استدلال کیا جاوے تو عدالت کو از روئے قیاس اُس کو صحیح تصور کرنا چاہیئے —

दफ़ा २२ हर एक याद दाश्त हर एक तह रीर और हर एक नक़शा और किताब जो राज के हुकम से · ओह दे दारान मजाज़ ने· तैयार की हो· और वो अदा लत में बतो र शाह दीके किसी फ़रीक़ की तरफ़से· पेस की जावे या उसके ऊपर दलील लाई जावे तो अदा लत को अज़ रूय कयास· उसे सही समझ ना चाहिये : .. .. .. ..

## قیاسات نسبت صحت دستاویزات

## गैर इलाक़े की दस्ता वेज़ों के लिये सही होने

## علاقہ غیر

دفعہ ۲۳ - غیر علاقہ
کی ہر ایک نقل جو وہاں کے
قاعدے کے بموجب حاکم مجاز
کی تصدیق کی ہوئی آوے
اُس کی نسبت بھی وہی قیاس
صحیح ہونے کا کیا جاوے
جیسا کہ اپنے علاقہ کے دستور
کے موافق تصدیق کی ہوئی
دستاویزوں کی نسبت کیا جاتا
ہے -

## شہادت خطوط ڈاک

دفعہ ۲۴ - اگر کوئی خط
ڈاک کے ذریعہ سے باہر کا
آیا ہوا معہ لفافہ کے پیش
کیا جاوے اور لفافہ پر
ڈاک کی مہریں ہوں
اور خط اور لفافہ دونوں
ایک خط اور ایک قلم
سے لکھے ہوں تو اُن
کی نسبت بھی قیاس

के क़यास ॥
दफ़ा २३ ग़ैर इलाके की ह
र एक नक़ल जो वहां के क़ाय
दे के मोआफ़िक़ हाकिम मजाज़ की
तसदीक़ की हुई आवे उसकी
निसबत भी वोही क़यास स
ही होने का किया जावे • जै
सा कि अपने इलाक़े के दस्तू
र के मोआफ़िक़ • तसदीक़ की हु
ई दस्तावेज़ों की निसबत
किया जाता है.......

## डाक के खतों की शहादत

दफ़ा २४ अगर कोई खत
डाक के ज़रिये से बाहर का आ
या हुआ मये लिफ़ाफ़े के पेश
किया जावे और लिफ़ाफ़े के ऊ
पर • डाक की मोहरें हों और
खत और लिफ़ाफ़े दोनों एक
आखर और एक कलम से
लिखे हुए होतो उनकी निस
बत भी • क़यास सही और

असल होने और सच्चे होने का किया जा सकता है

## ज़बानी शाहदीसेतहरीरी शायदी बढ़करमानी जायगी ॥

दफ़ा २५ मुक़द्द मात इन्त काल जाय दाद वग़ैरा में जबकि शहा दत तहरीरी मोजूद हों ज़बानी शहादत की कुछ ज़रूरत नहींहै और नवो तह रीरी शहादतसे बढ़ कर मानी जासकतीहै और शरत येहै कि उसके माफ़क़ बर ताव भी हुआ हो या होरहा हो .. .. ..

दफ़ा २६ किसी मुक़द्दमेंमें जब कि कोई फ़रीक़ किसी दस्ता वेज़ के मज़ मून या उस की शरतों के खिलाफ़ जो दूसरे फ़रीक़ के पास हो कुछ बयान करे या किसी क़िस्म

صحیح اور اصل ہونے اور واقعی ہونے کا کیا جا سکتا ہے۔

## ترجیح شہادت تحریری بمقابلہ شہادت زبانی

دفعہ ۲۵ ۔ مقدمات انتقال جائداد وغیرہ میں جبکہ شہادت تحریری موجود ہو چنداں ضرورت شہادت زبانی کی نہیں ہے اور نہ اُس کو شہادت تحریری پر ترجیح ہو سکتی ہے بشرطیکہ اُس کے موافق عملدرآمد بھی ہوا ہو یا ہو رہا ہو۔

دفعہ ۲۶ ۔ کسی مقدمہ میں جبکہ کوئی فریق کسی دستاویز کے مضمون یا اُس کی شرطوں کے خلاف جو دوسرے فریق کے پاس ہو کچھ بیان کرے

| | |
|---|---|
| یا کسی قسم کے زبانی اقرار کا حوالہ دے یا کوئی زبانی شہادت نسبت اس بیان کے گذرے تو اس کا اعتبار اس دستاویز کے برابر نہیں ہو سکتا اور اگر وہ بیان زبانی بابت کسی ایسی شرط اور حق کے ہو جس کو کوئی واسطہ یا تعلق شرائط یا مضامین مندرجہ دستاویز مذکورہ سے نہیں ہے تو دوسری بات ہے۔ | के ज़बानी इक़रार का हवाला दे या कोई ज़बानी शहादत निस बत उस बयान के गुज़रे तो। उसका ऐतबार उस दस्तावेज के बराबर नहीं हो सकता और अगर वो बयान ज़बा नी बाबत किसी ऐसी शर त और हक के हो जिस को कोई वास्ता या इलाका उस दस्तावेज के मज़मू न और शरतों से नहीं है तो दूसरी बात है.. .. .. |
| **دفعہ ۲۷** - جب کہ عبارت کسی دستاویز کی مبہم یا ناقص ہو تو اس کے واسطے بھی کوئی شہادت اس غرض سے نہ لیجاوے کہ جس سے اس کے معنی یا مطلب کی توضیح ہو جاوے کیونکہ ایسی توضیحات سے اصل مدعا کاتب کا صحیح | **दफ़ा २७** जब कि इबारत किसी दस्तावेज की मोब्हम या नाकिस होतो उसके वास्ते भी कोई शाहदी इस गरज़ से नली जावे कि जिससे उसके मायने या मतलब खुल जावे क्यों कि ऐसा करने से असल मुद्दा लिखने वालेका सही तौरे से समझ में आना मुमकिन। |

| | |
|---|---|
| طور پر مفہوم ہونا ممکن نہیں ہے ۔ | नही है•• |
| **دفعہ ۲۸** بصورت صاف اور واضح ہونے معنی و مطلب کسی دستاویز کے بہی زبانی شہادت اُس کی بابت لینا ضرور نہیں ہے ۔ | **दफ़ा २८** जब किसी दस्तावेजका मायना और मतलब अच्छी तरे से खुला हुआ हो तो उसके बाबत • जवानी शाहदी लेनी जरूर नही है••• |
| **جواز شہادت زبانی** | **ज़बानी शहादत का जायज़ होना ॥** |
| **دفعہ ۲۹** ۔ اگر کسی دستاویز میں نام یا مقام یا کسی چیز یا شخص مندرجہ کا پتہ اور نشان ظاہر ہوتا ہو تو اُس کی بابت بغرض رفع اشتباہ شہادت زبانی لینا مضایقہ نہیں ہے ۔ | **दफ़ा २९** अगर किसी दस्तावेज़ में लिखे हुवे नाम गांव ठाँव का पता नहीं पढ़ा जाता हो तो उसके बाबत शुबा दूर करने के वास्ते ज़वानी शहादत लेना मुज़ायका नही है |
| **دفعہ ۳۰** ۔ واسطے ثبوت معنی اور مطلب ایسی دستاویز کے جسکے حروف پڑھے نہ جاتے ہوں یا غیر ملک اور غیر زبان کے حروف اور لفظ اُس میں مستعمل ہوئے ہوں شہادت زبانی کسی ایسے | **दफ़ा ३०** किसी ऐसा दस्तावेजके मायने और मतलब साबित करने के वास्ते कि जिस के हरफ़ नही पढे जाते हों या ग़ैर मुलक और ग़ैर जबान के हरफ़ और लफ़ज़ • उस में लिखेहों जवानी शहादत किसी- |

شخص کی جو اُس کو جانتا ہو یا پڑھ سکتا ہو لیجا سکتی ہے۔

## بار ثبوت

**دفعہ ۳۱** - بار ثبوت ہر ایک نالش میں مدعی کے اوپر ہوگا۔

## موانع تقریر مخالف

**دفعہ ۳۲** - جب کسی شخص نے اپنے اظہار میں کسی بات کے راست و درست ہونے کی نسبت لکھایا ہے تو وہ مجاز نہیں ہے کہ پھر اُس کی صداقت سے انکار کرے۔

## ذکر گواہ

**دفعہ ۳۳** - تمام گواہ جو پیش کئے جاویں یا جو قرار دیئے جائیں مجاز گواہی دینے کے ہیں مگر جو عدالت اُن میں سے کسی شخص کو نا بالغ

ऐसे शख़्स की जो उसको जान ना हो· या पढ़ सकता हो ली जा· सकती है·······

## साबूती का ज़िम्मा

**दफ़ा ३१** साबूती का ज़िम्मा हर एक नालश में मुद्दई का होगा··············

## बर ख़िलाफ़ तक़रीर की रोक

**दफ़ा ३२** जब कोई शख़्स अपने इज़हार में किसी बात की निसबत लिखा चुका है कि सच्ची और दुरस्त है तो वो मजाज़ नहीं है कि उसकी सचाई से इनकार करे····

## ज़िकर गवाह

**दफ़ा ३३** तमाम गवाह जो पेश किये जावें या जो क़रार दिये जावे गवाही देने को मजाज़ है मगर जो अदालत उन में से किसी शख़्स को ना बालग़

یا مجنون - یا نہایت عمر رسیدہ ہو
یا بوجہ کسی نقص جسمی یا عق
کے قابل ادا
شہادت کے نہ
تو اُس کو اختیا
ہے -

**دفعہ ۳۴ - کو**
گواہ دیوانی مقدمات میں
سوائے امور متعلقہ مقدم
کے اور کسی معاملہ یا بھی
کے ظاہر کرنے کے لئے
کہ جس کا تعلق اُس گواہی سے
نہ ہو مجبور نکیا
جائے گا -

**دفعہ ۳۵ - کسی**
مقدمہ کے ثبوت کے واسطے
گواہوں کی کوئی خاص تعداد
ہونا ضرور نہیں ہے -

## ذکر اظہار گواہان

**دفعہ ۳۶ - گواہوں**
کے اظہار عدالت ہائے دیوانی

या दीवाना या निहायत बूढ़ा
होने या किसी वजे से बदनया
अक़्ल में खोट होने के सब
ब से क़ाबिल गवाही लेने के
न समझे तो उसको अख़्
तियार है ..

**दफ़ा ३४** कोई गवाह दीवा
नी मुक़द मातमें सिवाय उ
न बातों के जो मुक़द मेंसे इ
लाका रखती हो और किसी
मामले या भेदके ज़ाहर कर
ने के लिये कि जिसको कोई
वास्ता उस गवाही से नहो म
ज बूर न किया जायगा ....

**दफ़ा ३५** किसी मुक़द में
की साबूती के वास्ते गवा हों
की कोई खास तादाद होना
जरूर नहीं है .. .. .. ..

## ज़िक इज़हार गवा होंके

**दफ़ा ३६** गवा होंका इज़हार
दीवानी और फ़ौज दारी अ

اور فوجداری میں بموجب دستور مقررہ عدالتہائے مذکور کے لئے جاویں

دفعہ ۳۷ — بعد سوالات منجانب عدالت کے اگر مدعی یا مدعا علیہ گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ سوالات نامعقول نہوں -

دفعہ ۳۸ اگر کوئی گواہ بابت تصدیق مضمون کسی دستاویز کے پیش کیا جاوے اور وہ دستاویز پیش نہ کی گئی ہو تو دوسرا فریق جو یہ عذر کرے کہ جبتک وہ دستاویز پیش نہ کیجاوے گواہ ادائے شہادت نکرے تو کر سکتا ہے -

دفعہ ۳۹ گواہوں کے اظہار میں بابت کسی گواہی کے جو کوئی حوالہ کسی دوسرے شخص کی واقف کاریکی

दाल तोंमें उसी काय देसे लिये जावें गें कि जो उनमें मुकर्रर है

दफ़ा ३७ अदालत के सवालों के बाद जो मुद्दई या मुद्दा अ-ला गवाह से कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है पर शरत येहै कि वो सवाल बे ठीक नहीं हो .. .. .. ..

दफ़ा ३८ अगर कोई गवाह बाबत तसदीक मज़मून किसी दस्तावेज़के पेश किया जावे और वो दस्तावेज पेश नकी गई हो तो दूसरा फ़रीक़ जो यह उजर करे कि जब तक वो दस्तावेज पेश नकी जावे गवाह गवाही नदे वेतो कर सकता है .. .. .. ..

दफ़ा ३९ गवा होंके इज़हार में बाबत किसी गवाही के जो कोई हवाला किसी दूसरे शख्स की वाक़फ़ीका आ

| | |
|---|---|
| نسبت آجاوے توجایز ہے کہ اُس کا بہی اظہار بطور گواہ کے لیا جاوے | जावे तो उस काभी इज़ हार ब तौर गवाह के लिया जावे .. .. |
| **دفعہ ۴۰** ۔ اگر کسی گواہ کے بیان کی تردید کسی تحریر یا اُسی کے بیان یا اگلے اظہار سے ہوتی ہو اور اُس کی بابت کوئی فریق یا عدالت تحقیقات کی نظر سے سوال کرنا چاہے تو واجب ہے کہ گواہ کو اُس کی اُس پہلی تحریر کا خیال کرایا جاوے ۔ | **दफ़ा ४०** अगर किसी गवाह के बयान की तर दीद किसी तह रीर या उसी के बयान या अगले इज़ हार से होती हो और उसके बाबत कोई फ़री-क़या अदालत तहकीकात की नज़र से सवाल करना चाहे तो वा जिब है कि गवाह को उसकी उस पहली तहरीर का खयाल कराया जावे .. .. .. |
| **دفعہ ۴۱** ۔ اگر کسی فریق کی طرف سے گواہ کی نسبت کوئی اعتراض اُس کے چال چلن کی بابت پیش کیا جاوے یا عدالت کو ہی اُس کے اعتبار میں خلل نظر آوے تو اُس سے جواب اُس اعتراض کا پوچھا جاوے یا چال چلن کی | **दफ़ा ४१** अगर किसी फ़रीक की तरफ से गवाह की निस बत कोई ऐत राज उसके चा ल चलन के बाबत पेश किया जावे या अदा लत को ही उस की एतबार में खलल न ज़र आवे तो उससे जवा ब उस एत राज का पूछा जावे या चाल चलन के बाबत सवा |

بابت سوال کیا جاوے ۔

**دفعہ ۴۲** - اگر ضرورت ہو تو عدالت گواہ سے ہر ایک سوال ایسا بھی پوچھ سکتی ہے کہ جس سے اُس کی صداقت کا امتحان ہو سکے یا یہ معلوم ہو کہ وہ کون اور کس حیثیت کا ہے

## ذکر جھوٹی گواہی کا

**دفعہ ۴۳** - اگر کوئی گواہ سوالات عدالت کا جھوٹا جواب دے تو بعد فیصلہ مقدمہ کے جھوٹی گواہی دینے کا الزام اُس کے اوپر قایم کیا جاوے ۔

**دفعہ ۴۴** - ایسے سوالات کی بابت جو کسی کاغذ یا بہی یا تحریر وغیرہ کو دیکھکر جواب دینے کے لایق ہوں گواہ کو اُس کے دیکھنے یا دِکھلانے کے بعد جواب دینے کی اجازت

ल किया जावे... .. .. ..

**दफ़ा ४२** अगर ज़रूरत हो तो अदालत गवाहसे हरएक सवाल ऐसाभी पूछ सक्ती है कि जिससे उसकी सच्चाई का इम्तहान हो सके या य ह मालूम हो कि वो कौन और किस हैसियत का है

## ज़िक्र झूठी गवाही का

**दफ़ा ४३** अगर कोई गवाह सवालात अदालत का झूठ जवाब देतो बाद फ़ैसले मुक़द्दमेके झूठी गवाही देनेका इलज़ाम उसके ऊपर क़ायम किया जावे .. .. .. ..

**दफ़ा ४४** ऐसे सवालात की बाबत जो किसी काग़ज़ या बही या तहरीर वग़ैरा को देख कर जवाब देनेके लायक़ हों गवाह को उसके देखने या दिखलाने के बाद जवाब

देनेकी इजाज़त दीजावे.....

## ज़िक्र हलफ़ यानी क़सम

दफ़ा ४५ हर एक गवाही· अदालत में गवाह से हलफ़ के साथ लीजावे और मामूली लफ़्ज़ हलफ़· या क़समके येही होना चाहिये कि परमेश्वर को हाज़र नाज़र जान कर सच कहो · और अगर कोई फ़रीक़ गवाह के हाथ में गंगा जली या· क़ुरान देकर शहादत लेनेकी दरख़्वास्त करे और अदालत भी मुक़द्दमेकी हैसियत या गवाह की हैसियत देख कर उस तौर की हलफ़ को मुनासब समझे तो जायज़ है · कि गवाहको गंगा जली या क़ुरान दिया जावे·

इति

دکھاوے۔

## ذکر حلف یعنے قسم

دفعہ ۴۵- ہر ایک گواہی عدالت میں گواہ سے حلف کے ساتھ لیجاوے اور معمولی لفظ حلف یا قسم کے یہ ہی ہونا چاہیئے کہ پرمیشور کو حاضر ناظر جان کر سچ کہو اور اگر کوئی فریق گواہ کے ہاتھ میں گنگا جلی یا قرآن دیکر شہادت لینے کی درخواست کرے اور عدالت بھی بنظر حیثیت مقدمہ یا حیثیت گواہ کی اُس طور کے حلف کو مناسب سمجھے تو جائز ہے کہ گواہ کو گنگا جلی یا قرآن دیا جاوے۔

تمام شد

جولائی ۱۸۸۵ء

# دستور العمل

# اسٹامپ راج مارواڑ

# दस्तूर उल अमल इस्टाम

# राज मारवाड़

جسکو

حسب منشاء سرکار بموجب حکم مہاراج سری پرتاپ سنگھ جی صاحب

سی - ایس - آئی - مصاحب اعلی ریاست واسطے استعمال عدالتہاے

صیغہ دیوانی راج کے منشی ہردیال سنگھ اکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر پنجاب

حال سپرنٹنڈنٹ محکمہ کورٹ سرداران و سکرٹری مصاحب اعلی نے مرتب کیا

जिसको

हसब मनशाय श्री दरबार बमूजिब हुकम

महा राज श्री परताप सिंह जी साहब • सी •

एस • आई • मुसाहब आला राज वास्ते इस्तेमा

ल अदालत हाय सीगे दीवानी के मुन्शी ह

र दयाल सिंह • इकस्ट्रा इसस्टेंट कमिश

नर पंजाब • हाल • सुपरन्टन्डेंट कोर्ट

सर दारान • व • सेकर टरी •

मुसा हब आला ने बनाया

## قانون اسٹامپ راج مارواڑ

دفعہ ۱ - یہ قانون بموجب حکم سری دربار کے تیار کیا گیا ہے اور تاریخ یکم جنوری ۱۸۹۶ء مطابق پوس بدا ۱۹۵۲ سے کل ملک مارواڑ میں جاری ہوگا -

دفعہ ۲ - سری دربار کے سوائے اور کسی کو ملک مارواڑ میں اسٹام جاری کرنے کا استحقاق نہیں ہے جو ایسا کریگا تو اُس کو راج سے سنگین سزا ملے گی -

## ذکر سوم مقدمات دیوانی

دفعہ ۳ - پہلے راج میں یہ قاعدہ تھا کہ رسم مقدمات صیغہ دیوانی کی بروقت وصول زر ڈگریات کے لیجاتی تھی اور اُس کے واسطے شرح مندرجہ ذیل مقرر تھی -

پانچ برس تک کے قرضہ کے لئے فی روپیہ ۱ر

پانچ برس سے دس برس تک کے قرضہ کیلئے فی روپیہ ۲ر

دس برس سے پندرہ برس تک کے قرضہ کیلئے فی روپیہ ۳ر

## क़ानून इस्टाम राज मार वाड़

दफ़ा १ यह क़ानून श्री दरबार के हुक्म से तैयार किया गया है और मिती पोष वदी १ संवत् १९५२ तारीख १ जनवरी सन् १८९६ से तमाम मुल्क मारवाड़ में जारी होगा ..

दफ़ा २ श्री दरबार के सिवाय और किसी को राज मार वाड़ में इस्टाम जारी करने का हक़ नहीं है जो ऐसा करेगा तो राज से उस को संगीन सज़ा मिलेगी .. .. ..

## दीवानी मुक़द्दमें की रसम।

दफ़ा ३ पहले राज में यह क़ायदा था कि दीवानी मुक़द्दमों की रसम डिगरी के रुपे पटते थे उस वक़्त ली जाती थी इस तरह

पांच बरस तक के क़रज़े के वास्ते १) पीछे -)

पांच बरस से दस बरस तक के करज़े के वास्ते १) पीछे =)

दस बरस से पंदरा बरस तक के क़रज़े के वास्ते १) पीछे ≡)

| پندرہ برس سے بیس برس تک کے قرضہ کے لئے فی روپیہ ۴ مگر تجربہ سے سریدربار کو ضروری معلوم ہوا کہ اس قاعدہ میں تبدیلی کی جاوے کیونکہ اوّل تو سادہ کاغذ پر لوگ کثرت سے جھوٹی اور بے بنیاد نالشیں دایر کرکے مدعا علیہم کو دستکات اور حاضری عدالت وغیرہ سے ناحق خراب اور برباد کرایا کرتے تھے دوسرے وصول کے وقت رسم بھی پوری پوری نہیں آتی تھی جس سے راج کا نقصان ہوتا تھا اس لئے اسوج سد ۴ سمت ۱۹۴۰ سے مقدمات لین دین کی پیشگی رسم بذریعہ قیمت اسٹامپ لینا تجویز ہوکر ماہ بدی یکم سمت ۱۹۴۱ سے اس کا اجرا عمل میں آیا چنانچہ آیندہ بھی اسی کے بموجب مقدمات مذکورہ میں بروقت نالش رجوع کرنے کے ایک آنہ روپیہ | पंदरा बरस से बीस बरस तक ॥ पीछे ।- मगर तजरुबे से श्री दरबार को इस क़ायदे का बदलना ज़रूरी मालूम हुवा क्यों कि अव्वल तो सादे कागज़ पर लोग बहुत सी झूठी नालिशें दायर करके मुद्दायलों को तलबों और अदालत की हाज़िरी वग़ैरा से नाहक़ हैरान और ख़राब किया करते थे दूसरे डिगरी के रुपै वसूल होतेथे उस बख़त पूरी पूरी रसम भी नहीं आतीथी इससे राज का नुक़सान होताथा इस लिये आसोज सुदी ४ संवत् १९४० से लेन देन के मुक़द्दमों की पेशगी रसम इस्टाम के ज़रये से लेना तजवीज़ होकर माह बदी १ संवत् १९४१ से इसका अमल दरामद जारी हो गया सो आइंदा भी उसीके माफ़िक़ मुक़द्दमात मज़कूरा में नालिश रुजू करने के वक़्त ॥ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| یا سوا چہہ روپے سینکڑہ کے حساب سے رسم محکمہ اسٹامپ میں بہرلیجایا کریگی اور اُسیقدر قیمت کا اسٹامپ اُس کو دیدیا جاوے گا کہ جس پر وہ اپنی نالش عدالت مجاز میں دایر کرے | पीछे ) या ६) रुपे सैकड़ा के हिसाबसे रसम महकमे इष्टाम में भरा ली जाया करेगी और उतनी ही क़ीमत का इष्टाम उसको दे दिया जावेगा जिस पर वह अपनी नालिश अदालत में दायर करे |
| **دفعہ ۴** - کوئی نالش زر قرضہ کی بلا ادائے رسم واجب کسی عدالت میں مسموع نہوگی اور نہ دایر ہو سکیگی - | **दफ़ा ४** कोई नालिश लेन देन की रसम भरे बिना किसी अदालतमें नही सुनी जायगी और नली जायगी - |
| **دفعہ ۵** - کوئی شخص مقدمات دیوانی میں ادائے یا مواخذہ رسم سے بری نہوگا یہاں تک کہ سرکار دربار نے بہی دربار کی نالشات میں رسم پیشگی حسب ضابطہ ادا کرنا منظور فرمایا ہے - | **दफ़ा ५** कोई शख्स मुक़द्दमात दीवानीमें रसम से बरी नहींहोगा यहांतक कि श्री दरबार ने भी सरकारी नालिशों में पेशगी रसम हस्ब जाबते अदा करना मंज़ूर फ़रमाया है - |
| **دفعہ ۶** - جو رسم لیجاوے گی وہ بشرط ڈگری ہونے کے مدعاعلیہ کے ذمہ لگائی جاوے گی اور اگر مدعی کا دعوے عدم ثبوت میں خارج ہوگا تو رسم بھی | **दफ़ा ६** जो रसम लीजायगी वह डिगरी होजाने पर मुद्दा लेके ज़िम्में लगा दी जायगी अगर मुद्दई का दावा अदम सबूतमें खारिज होगा तो रसम भी |

خارج ہوجاوے گی اُس کو یہ استحقاق نہوکہ وہ واپسی رسوم کی درخواست کرے اور نہ ایسی رسم واپس مل سکتی ہے۔

## ذکر رسم نالشات بصیغہ اپیل

دفعہ ۷ - جو شخص ابتدائی مقدمات کے فیصلہ سے ناراض ہوکر کسی عدالت کے اوپر محکمہ بالادست میں اپیل کرے گا تو اُسکو بھی فیصدی ۶ روپیہ کے حساب سے اسٹام واسطے رسم اپیل کے خریدنا پڑیگا۔

## ذکر نالشات بصیغہ مفلسی

دفعہ ۸ - مفلس مدعی کو کہ جس کی مفلسی محکمہ کورٹ سرداران صدر عدالت دیوانی اور محکمہ اپیل سے منظور ہوکر سارٹیفکٹ مل گیا ہو پیشگی



ख़ारिज होजायगी मुद्दई को यह हक़ नहीं होगा कि वह रसम वापिस मिलने के वास्ते दर ख़्वास्त करे और न ऐसी रसम वापिस मिल सकती है

## अपील की रसम

दफ़ा ७ जो शख़्स इब्तदाई मुक़दमात के फ़ैसले से नाराज़ होकर किसी अदालत के ऊपर महकमें बाला दस्त में अपील करेगा तो उसको भी ६) सैंकड़े के हिसाब से इस्टाम वास्ते रसम अपील के ख़रीद ना पड़ेगा ... ... ...

## ज़िक्र नालिशात बसीग़े मुफ़लिसी

दफ़ा ८ मुफ़लिस मुद्दई को कि जिसकी मुफ़लिसी महकमें कोर्ट सरदारान सदर अदालत दीवानी और महकमें अपील से मंज़ूर हो कर सारटीफ़िकट मिल गया हो पेशगी

رسم معاف رہیگی اُس کی
نالش آٹھ آنہ کے اسٹامپ
پرسن لیجاوے گی مگر بعد
ڈگری ہو جانے کے اُس سے
رسم بحساب فی روپیہ چہار آنہ
اگلے قاعدے کے موافق
لیجاویگی۔

دفعہ ۹ ۔مفلس مدعی کو
مفلسی کا سارٹیفکٹ پیش کرنے
پر محکمہ اسٹامپ سے
آٹھ آنہ کا کاغذ واسطے عرضی
دعویٰ کے ملیگا۔

## ذکر اسٹامپ

دفعہ ۱۰ ۔جو اسٹامپ
کہ علاوہ رسم مقدمات لین دین
کے جاری ہے وہ بدستور
جاری رہے گا۔

## ذکر اسٹامپ تمسکات

دفعہ ۱۱ ۔تمسکات کے
لئے پہلے سے کاغذ اسٹامپ

रसम माफ़ रहेगी उसकी नालि
श आठ आने के इस्टाम्प पर सु-
नली जायगी मगर बाद डिग
री हो जाने के उस्से रसम व हि
साब फ़ी रुपे चार आने अग
ले क़ायदे के मुवा फ़िक़ ली-
जायगी .. .. .. ..

दफ़ा ९ मुफ़लिस मुद्दई को
मुफ़लिसी का सारटी फ़िकट
पेश करने पर महकमे इस्टाम
से आठ आने का काग़ज़ वास्ते अ
रज़ी दावे के मिल सके गा...

## ज़िक्र इस्टाम

दफ़ा १० जो इस्टाम कि अला
वा रसम मुक़द मात लेन देन
के जारी है वह व दस्तूर जारी
रहे गा .. .. .. ..

## ज़िक्र इस्टाम तमस्सुकात

दफ़ा ११ तमस्सुकों के लिये
पहले से काग़ज़ इस्टाम -

بموجب حکم سری دربار کے
مقرر ہو چکا ہے ہر ایک بوہرہ
اور مہاجن کو اسی کے اوپر
بموجب تعداد اپنے قرضہ
کے تمسک لکھنا ہوگا اور جو
کوئی تمسک سادہ کاغذ پر
لکھے گا یا لکھواوے گا تو اس کی
سماعت بروقت نالش کے
راج میں نہیں ہوگی -

**دفعہ ۱۲** - تمسکات
کے باب میں اسٹامپ کی قیمت
بوہروں پر لازم ہوگی -

## ذکر اسٹامپ دستاویزات

**دفعہ ۱۳** - اسی طرح وہ
کل دستاویزات اور وثیقہ
جات کہ جنکے لئے اسٹام
مقرر ہے اسٹام پر لکھانا ہوں گے
سادہ کاغذ پر لکھے ہوئے
راج میں سند نہ سمجھے جائیں گے
اور نہ ان کے ذریعہ سے عدالتہائے

बमूजिब हुक्म श्री दरबार के
मुक़र्रर हो चुका है हर एक बोह
रा और महाजन को उसी के ऊ
पर बमूजिब तादाद अपने क़रज़
के तमस्सुक लिखवाना होगा और
जो कोई सादे काग़ज़ पर तमस्सु
क लिखेगा या लिखवायगा तो
उसकी समाअत बर वक़्त ना
लिश के राज में नहीं होगी

**दफ़ा १२** तमस्सुकात के बा
ब में इष्टाम की क़ीमत बोहरों
पर लाज़िम होगी

## ज़िकर इष्टाम दस्तावेज़ात

**दफ़ा १३** इसी तरह कुल वेद
सता वेज़ात और हते रन भी कि
जिनके लिये भी इष्टाम मुक़र्रर
है इष्टाम पर लिखवाने होंगे।
सादे काग़ज़ पर लिखे हुये राज
में सनद न समझे जायँगे और
न उनके ज़रये से अदालत हाय

سراج سے چارہ جوئی ہو سکے گی
جب تک کہ واجب قیمت اسٹام
کی جو اُس کے لیے مقرر ہے معہ
کسیقدر جرمانہ کے کہ جس کی تعداد
گیارہ روپیہ سے زیادہ ہو داخل
نکر دے -

**دفعہ ۱۴** - پٹہ تعلیقہ
سرخط کرایہ و رہن نامہ مکانات
و بیعنامہ و فارغخطی اور نوشت
کھولہ میں اسٹام اُس شخص کو
لینا پڑے گا کہ جس کو اُس کام
میں فائدہ ہوتا ہو -

## ذکر اسٹام نالشات
## بلا تعین دعویٰ

**دفعہ ۱۵** مقدمات
زمین کھولہ وغیرہ کی نالش کہ
جس میں تعداد دعویٰ کی مقرر
نہو آٹھ آنے کے کاغذ پر
سُنی جاوے گی -

## ذکر اسٹامپ عرضی و

राज से चारा जोई हो सकेगी ज
ब तक वाजिब क़ीमत इस्टाम की
जो उसके लिये मुक़र्रर है
मये किसी क़द्र जुर माने के
किजिस की तादाद ११) रुपये से
ज़ियादा नहीं दाख़िल न करदेवे

**दफ़ा १४** पट्टा तालीक़ा भाड़ा
चिट्ठी कार कूट भडारा और
खोलेकी लिखत और फ़ार खती
में इस्टाम उस शख़्स को लेना प
ड़ेगा किजिस को उसकाम में फ़ा
यदा होता हो

## जिन नालिशों में दावे की तादाद मुक़र्रर नहीं उनके वास्ते इस्टाम

**दफ़ा १५** मुक़द्दमात ज़मीन
व खोल वग़ैरा की नालिश कि
जिसमें तादाद दावे की मुक़र्रर
नहो ॥) के काग़ज़ पर सुन ली
जावगी -

## ज़िक्र इस्टाम अरज़ी व

## درخواست

**دفعہ ۱۶** - ہرایک مقدمہ میں عرضی یا درخواست بھی آٹھہ آنہ کے کاغذ پر لیجائے گی مگر تعظیمی سردار متصدی مصاحب مرضی دان خواص پاسبان کھٹ درشن اور افسران فوج کو اُن کے ذاتی معاملات میں یہ فیس معاف رہے گی اُن کو سادہ کاغذ پر کیفیت دینے کا استحقاق سرِ دربار سے عطا کیا گیا ہے مگر اُن کے پٹہ کی رعایا اس رعایت کی مستحق نہوگی اُس کو وہی آٹھہ آنہ کے کاغذ پر عرضی دینی ہوگی -

**دفعہ ۱۷** - جو سردار متصدی مرضی دان خواص پاسبان کھٹ درشن اور افسر فوج تعظیمی نہیں ہے اُن کی عرضی حسب ضابطہ آٹھ آنہ کے کاغذ پر لیجاویگی -

## दरख़्वास्त

**दफ़ा १६** हर एक मुक़द्दमे में अ-रज़ी या दरख़्वास्त भी ॥) के काग़ज़ परली जायगी मगर ताज़ीमी स-रदार मुत सद्दी मुसाहिब, मरज़ी दान ख़वास पास बान, खट दर शन और अफ़सरान फ़ौज को उन्के ज़ाती मामलात में यह फ़ीस माफ़ रहेगी उन्को सादे काग़ज़ पर कैफ़ियत देनेका इस तह क़ाक़ श्री दर बार से अता किया गया है मगर उन्के पट्टे की रैयत इस रिया यत की हक़ दार नहोगी उस्को वही ॥) के काग़ज़ पर अरज़ी देनी होगी ..

**दफ़ा १७** जो सर दार मुतसद्दी मरज़ी दान ख़वास पास बान, खट दर शन और अफ़सर फ़ौ-ज ताज़ीमी नहीं है उसकी अ-रज़ी हस्ब ज़ाबता ॥) के काग़-ज़ पर ली जाय गी .. .. ..

دفعہ ۱۸ - زنانہ سرکاروں کے ذاتی معاملات میں اگر اُن کا کامدار سادہ کاغذ پر کیفیت دیگا تو لے لیجاویگی مگر اُن کے پٹہ کی رعیت اور اُن کے آدمیوں کے واسطے وہی آٹھ آنے (۸؍) کی عرضی لیجاوے گی -

दफ़ा १८ ज़नाने सरदारों के ज़ाती मामलात में अगर उनका कामदार सादे काग़ज़ पर कैफ़ियत देगा तो लेली जायगी मगर उनके पट्टे की रैयत और उनके आदमियों के वास्ते वही ॥) के काग़ज़ पर अरज़ी ली जायगी ॥- .. .. .. ..

## ذکر محکمہ اسٹامپ

## ज़िक्र महकमे इस्टाम

دفعہ ۱۹ - تمام قسم کے کاغذات اسٹامپ محکمہ اسٹامپ سے ملینگے اور وہیں اُن کا جمع خرچ ہوا کریگا اور جو آمدنی روپے کی ہوگی وہ خزانہ میں جمع کیجاویگی -

दफ़ा १९ तमाम क़िस्म के क़ाग़ज़ात इस्टाम के: महकमे इस्टाम से मिलेंगे और वहीं उनका जमा खरच हुवा करेगा और जो आमदनी रुपे की होगी वह खजाने में जमा की जाय गी -

دفعہ ۲۰ - محکمہ اسٹامپ کا فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً فروخت اسٹامپ کو

दफ़ा २० महकमे इस्टाम का फ़रज़ है कि हर वक़्त जैसे हो सके वैसे इस्टाम की

وسعت دیتا رہے اور پرگنہ جات و کوتوالی وغیرہ میں اسٹام بھیجکر مناسب کارروائی اس کی فروخت کے کرے -

**دفعہ ۲۱** - ہر ایک اسٹام پر علاوہ مہر چھاپہ کے ایک مہر محکمہ کی بھی لگائی جاویگی اور نمبر رجسٹر محکمہ اسٹامپ معہ نام خریدار کے درج کئے جاوینگے اور بلا مہر محکمہ اسٹامپ کے کوئی اسٹامپ جایز نہ سمجھا جاوے گا -

## اختیارات عدالتہائے

**دفعہ ۲۲** - جب کوئی نالش

बिकरी को बढ़ाता रहे और परगने जात व कोत वाली वग़ैरा में इश्ताम भेज कर मुना सिब कार रवाई उसके फ़रोख़्त की करे -

**दफ़ा २१** हर एक इश्ताम पर अलावा मोहर छाप के एक मोहर महकमें की भी लगाई जायगी और नम्बर रजिस्टर महकमे इ श्तास मए नाम ख़री दार के दरज किये जावें गे और बिला मोहर महकमें इश्ता म के कोई इश्ताम जायज़ न समझा जायगा -

## अख़्तियारात अदालतों के का ज़िकर ॥

**दफ़ा २२** जब कोई नालि

श मुद्दई की तरफ़ से गुज़रे और उसका तमस्सुक इश्टाम के ऊपर नहो तो एसी नालिश के खारिज कर देने का इख़्तियार हर एक अदालत कोहै

दफ़ा २३ अगर कोई नालिश कम क़ीमत के इश्टाम पर लीगई हो या बर वक़्त फ़ैसले तादाद डिगरी की दावी मुद्दई में बढ़ जावे तो उस सूरत में उसी क़दर क़ीमत का इश्टाम मुद्दई से लेकर अरज़ी दावे के शामिल करलें

## बदलेका इश्टाम ॥

दफ़ा २४ जब कोई इश्टाम किसी से ग़लती से बिगड़ जावे तो उसकी एवज़

مدعی کی طرف سے گذرے اور اُس کا تمسک اسٹامپ کے اوپر نہو تو ایسی نالش کے خارج کردینے کا اختیار ہرایک عدالت کو ہے۔

دفعہ ۲۳۔ اگر کوئی نالش کم قیمت کے اسٹامپ پر لی گئی ہو یا بروقت فیصلہ کسی وجہ سے تعداد ڈگری کی دعوے مدعی سے بڑھ جاوے تو اُس صورت میں اُسی قدر کمی کا اسٹامپ مدعی سے لیکر عرضی دعوے کے شامل کرلیں۔

## ذکر تبادلہ اسٹام

دفعہ ۲۴۔ جب کوئی اسٹام کسی سے غلطی سے بگڑ جاوے تو اُس کے عوض

اُس کو دوسرا اسٹام محکمہ اسٹام سے درخواست کرنے پر مل سکے گا -

उसको दूसरा इश्टाम महकमें इश्टाम से दरख्वास्त करने पर मिल सकेगा ..

## ذکر جرایم و سزائے جرایم متعلقہ اسٹامپ

## इश्टाम की बाबत जुरम और उन की सज़ा

**دفعہ ۲۵** - اسٹام جعلی بنانا یا اُس کی تحریف کرنا بڑا جرم ہے جو دیدہ و دانستہ اسٹام میں جعل بناویگا یا جعلی اسٹام تیار کریگا یا ایسا اسٹام بیچے گا تو بعد ثبوت اوس کو قید کی سزا دیجاویگی جو سات برس سے زیادہ نہوگی اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا -

**दफ़ा २५** इश्टाम जाली बनाना या उसके हरफ़ बदलना बड़ा जुरम है जो जान बूझ कर इश्टाम में जाल बनावेगा या जाली इश्टाम तैयार करेगा या ऐसा इश्टाम बेचे गातो बाद सबूत उसको क़ैद की सज़ा दी जाय गी जो सात बरस से ज़ियादा न्हो गी और वोह जुरमाने काभी सज़ा वार होगा ..

**دفعہ ۲۶** - کِسی مقدمہ

**दफ़ा २६** किसी मुक़दमें

ہیں کہ جن کے واسطے سرکار سے کاغذ اسٹام مقرر ہے کوئی سرکاری عہدہ دار سادہ کاغذ پر درخواست یا نالش لیکر رعایتاً کارروائی کرے گا تو بشرط ثبوت عہدہ سے برخاست کیا جاوے گا یا دوسری مناسب تجویز تدارک کی جاوے گی۔

**دفعہ ۲۷** - جو حاکم کوتوال سادہ کاغذ پر پٹہ تعلیقہ یعنے قبالہ مکانات یا زمین کا کرے گا تو وہ مستوجب معزولی کا اپنے عہدہ سے ہوگا اور جرمانہ علاوہ اُس کے دینا پڑے گا . . . . . . . .

**دفعہ ۲۸** - طلب اور

में कि जिसके वास्ते सरकार से कागज़ इस्टाम मुक़र्रर है कोई सरकारी ओहदेदार सादे कागज़ पर दरख़्वास्त या नालिश लेकर रयायतन कारर वाई करेगा तो बशरत सबूत ओहदे से बरख़्वास्त किया जावेगा या दूसरी मुनासिब तजवीज़ तदारुक की की जावेगी .. .. .. ..

**दफ़ा २७** जो हाकिम या कोतवाल सादे कागज़ पर पट्टा तालीक़ा यानी क़िबाला मकानात या ज़मीन का करेगा वह मुसतुजिब बरतरफ़ी का अपने ओहदे से होगा और जुरमाना अलावा उस के देना पड़ेगा .. .. ..

**दफ़ा २८** तलब और

اوٹھنتری بہی تمام چھپے ہوئے کاغذات پر جو اسٹام کے دفتر سے ملتے ہیں کی جاوے گی سادہ کاغذ پر طلب کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے

دفعہ ۲۹- داروغہ اسٹام یا دوسرے جایز فروخت کرنے والے اسٹامپ کو حروف اور قیمت اسٹام میں کمی بیشی کرکے کم یا زیادہ قیمت پر اسٹام فروخت کرنے کا اختیار نہوگا اگر کسی نے ایسا کیا تو بعد ثبوت جرم مستوجب سزا ئے سنگین کا ہوگا *

دفعہ ۳۰- اگر کوئی حاکم سادہ کاغذ پر مہر لگاکر بجائے اسٹام کے کسی کو دیوے گا تو

उठं तरी भी तमाम छपीहुई काग़ज़ात पर जो इश्टाम के दफ़तर से मिलती हैं की जावेगी सादे काग़ज़ पर तलब करनी हरगिज़ जायज़ नहीं है-

दफ़ा २९ दारोग़ा इश्टाम या दूसरे जायज़ फ़रोख़्त करने वाले इश्टाम को हरफ़ और क़ीमत इश्टाम में कमी बेशी करके कम या ज़ियादा क़ीमत पर इश्टाम फ़रोख़्त करने का अख़्तियार नहोगा अगर किसी ने ऐसा किया तो बाद सबूत जुरम मुसतूजिब सज़ा संगीन का होगा -

दफ़ा ३० अगर कोई हाकिम सादे काग़ज़ पर मोहर लगा कर बजाय इश्टाम के किसी को देगा तो

| | |
|---|---|
| ثابت ہونے پر معقول تدارک کیا جاوے گا گو کہ اُس نے قیمت اسٹام کی راج میں جمع کردی ہو - | साबित होने पर माक़ूल तदारुक किया जायगा गो उसने कीमत इस्टाम की राज में जमा करदी हो |
| **دفعہ ۳۱** - اگر کوئی حاکم یا افسر عدالت، پرانے مقدمہ کی رسم حال کے قاعدہ سے لیگا تو سزایاب ہوگا - | **दफ़ा ३१** अगर कोई हाकिम या अफ़सर अदालत पुराने मुकद में की रसम हाल के क़ायदे से लेगा तो सज़ायाब होगा |
| **دفعہ ۳۲** - کل مارواڑ میں ہر شخص کو اِس قاعدہ کی پابندی لازم ہوگی جو خلاف اِس کے کرے گا مستوجب بازپرس سخت کے ہوگا - | **दफ़ा ३२** कुल मार वाड़ में हर शख्स को इसक़ायदे की पा बंदी लाज़िम होगी जो खिलाफ़ इसके करेगा मसतूजिब बाज़ पुरस सख्त के होगा - |
| **دفعہ ۳۳** - فہرست کاغذات رسم و اسٹامپ وغیرہ مروجہ کے نقشجات ذیل میں درج کئے گئے ہیں تاکہ جس کو جس کام کے واسطے اسٹام درکار ہو وہ | **दफ़ा ३३** फ़ेरिस्त काग़ज़ात रसम व, इस्टाम वग़ैरा मुरव्वजे के नक़शे जात ज़ैल में दरज कियेगये हैं ताकि जिस को जिस काम के वास्ते इस्टाम |

| اِن نقشوں میں دیکھکر محکمہ اسٹامپ سے لیلے (فقط) | हर कार हो वह इन नक़शों में देख कर महकमें इस्टाम से लेलेवे.. .. .. |
|---|---|
| نقشہ اسٹامپ رسوم دیوانی | नक़शा इस्टाम रसूम दीवानी |

| رسوم | تعداد زر دعوے کہاں تک | تعداد زر دعوے کہاں سے | نمبر | नंबर | तादाद ज़र दावे कहांसे | तादाद ज़र दावे कहांतक | तादाद रसूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸/ | لعہ | عہ | ۱ | १ | १) | ९) | ॥) |
| عہ | [illegible] | [illegible] | ۲ | २ | १०) | १६) | १) |
| عہ ۹/ | [illegible] | [illegible] | ۳ | ३ | १७) | २५) | १॥-) |
| عہ ۸/ | [illegible] | [illegible] | ۴ | ४ | २६) | ४०) | २॥) |
| سے ۲/ | [illegible] | [illegible] | ۵ | ५ | ४१) | ५०) | ३≡) |
| سے ۱۲/ | [illegible] | [illegible] | ۶ | ६ | ५१) | ६०) | ३।॥) |

| [illegible] | تعداد زر دعوے | | نمبر | नम्बर | तादाद ज़र दावे | | तादाद रसूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | کہاں تک | کہاں سے | | | कहां से | कहां तक | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۷ | ७ | ६१) | ८०) | ५) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۸ | ८ | ८१) | १००) | ६) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۹ | ९ | १०१) | १२५) | ७।।।-) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۰ | १० | १२६) | १५०) | ८।=) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۱ | ११ | १५१) | १७५) | १०।।।=) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۲ | १२ | १७६) | २००) | १२।।) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۳ | १३ | २०१) | २२५) | १४-) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۴ | १४ | २२६) | २५०) | १५।।=) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۵ | १५ | २५१) | २७५) | १७=) |

| تعداد رسوم | تعداد زر دعویٰ | | نمبر | नंबर | तादाद ज़र दावे | | तादाद रसूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | کہاں تک | کہاں سے | | | कहांसे | कहांतक | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۶ | १६ | २७६) | ३००) | १८।।।) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۷ | १७ | ३०१) | ३२५) | २०।-) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۸ | १८ | ३२६) | ३५०) | २२।।।=) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۹ | १९ | ३५१) | ३७५) | २३।=) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۰ | २० | ३७६) | ४००) | २५) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۱ | २१ | ४०१) | ४२५) | २६।।=) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۲ | २२ | ४२६) | ४५०) | २८=) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۳ | २३ | ४५१) | ४७५) | २९।।।=) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۲۴ | २४ | ४७६) | ५००) | ३१।) |

| رسوم | تعداد زر دعوے | | نمبر | नंबर | नादार ज़रदावे | | नादार रसूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | کہانتک | کہانسے | | | कहांसे | कहांतक | |
| للعہ ۶/ | ماصہ | ماعہ/ | ۲۵ | २५ | ५०१) | ५५०) | ३४।=) |
| معہ ۸/ | سمار | مالہ صہ | ۲۶ | २६ | ५५१) | ६००) | ३७।।) |
| للعہ ۱۰/ | سماصہ | سماعہ/ | ۲۷ | २७ | ६०१) | ६५०) | ४०।।=) |
| للعہ ۱۲/ | لمار | سمالہ صہ | ۲۸ | २८ | ६५१) | ७००) | ४३।।।) |
| للعہ ۱۴/ | لماصہ | لماعہ/ | ۲۹ | २९ | ७०१) | ७५०) | ४६।।।=) |
| صہ | لمار | لمالہ صہ | ۳۰ | ३० | ७५१) | ८००) | ५०) |
| صہ ۲/ | ماصہ | لماعہ/ | ۳۱ | ३१ | ८०१) | ८५०) | ५३=) |
| صہ ۴/ | لعمار | مالہ صہ | ۳۲ | ३२ | ८५१) | ९००) | ५६।) |
| لعصہ ۶/ | لعماصہ | لعماعہ/ | ۳۳ | ३३ | ९०१) | ९५०) | ५९।=) |

| تعداد رسوم | تعداد زر دعوے کہاتک | تعداد زر دعوے کہانسے | نمبر | नम्बर | तादाद ज़र दावे कहांसे | तादाद ज़र दावे कहांतक | तादाद रसूम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۴ | ३४ | ५०१) | १०००) | ६२॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۵ | ३५ | १००१) | १५००) | ८३॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۶ | ३६ | १५०१) | २०००) | १२५) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۷ | ३७ | २००१) | २५००) | १४६।) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۸ | ३८ | २५०१) | ३०००) | १६७॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۳۹ | ३९ | ३००१) | ३५००) | १८८॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۰ | ४० | ३५०१) | ४०००) | २५०) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۱ | ४१ | ४००१) | ४५००) | २८१।) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۲ | ४२ | ४५०१) | ५०००) | ३१२॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۳ | ४३ | ५००१) | ६०००) | ३७५) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۴ | ४४ | ६००१) | ७०००) | ४३७॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۵ | ४५ | ७००१) | ८०००) | ५००) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۶ | ४६ | ८००१) | ९०००) | ५६२॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۷ | ४७ | ९००१) | १००००) | ६२५) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴۸ | ४८ | १०००१) | २००००) | १२५०) |

# नक़शा काग़ज़ात इस्टाम | نقشہ کاغذات اسٹام

## इस्टाम वास्ते तमस्सुकों के क़रज़े की मालियत के हिसाब से ॥ | اسٹام برائے تمسکات بحساب مالیت زرقرضہ

| تعداد اسٹام | تعداد زرقرضا کہاتک | تعداد زرقرضا کہانسے | نمبر | नम्बर | तादाद ज़र क़रज़ा कहां से | तादाद ज़र क़रज़ा कहां तक | तादाद इस्टाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | [illegible] | [illegible] | ۱ | १ | १) | ५१) | • |
| ۲ر | [illegible] | [illegible] | ۲ | २ | ५१) | २००) | =) |
| ۸ر | [illegible] | [illegible] | ۳ | ३ | २००) | ५००) | ॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۴ | ४ | ५००) | १०००) | १) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۵ | ५ | १०००) | २०००) | २॥) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۶ | ६ | २०००) | ४०००) | ५) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۷ | ७ | ४०००) | ५०००) | ६।) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۸ | ८ | ५०००) | १००००) | १०) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۹ | ९ | १००००) | २००००) | १५) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۰ | १० | २००००) | २५०००) | २०) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۱ | ११ | २५०००) | ५००००) | ३०) |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | ۱۲ | १२ | ५००००) | १०००००) | ५०) |

| نقشہ اسٹامپ دستاویزات وغیرہ | | | नक़शा इस्टाम दस्ता वेज़ात | | |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | قسم کاغذات | نمبر | नंबर | क़िसम काग़ज़ात | क़ीमत इस्टाम |
| ۱/ | بھاڑہ چٹھی یعنی سرخط مکان | ۱ | १ | भाड़ा चिठ्ठी | ।) |
| ۸/ | راضی نامہ | ۲ | २ | राज़ी नामा | ॥) |
| ۸/ | مختارنامہ خاص | ۳ | ३ | मुख़ लियार नामा ख़ास | ॥) |
| ۸/ | عرضی و درخواست | ۴ | ४ | अरज़ी व दरख़ा स्त | ॥) |
| ۸/ | نقل حکم دیوانی فوجداری | ۵ | ५ | नक़ल हुकम दीवानी व़ फ़ौज दारी | ॥) |
| ۱۲/ | کاغذات اپیل | ۶ | ६ | उज़ रात अपील | ।॥) |
| عصہ/ | فارغخطی | ۷ | ७ | फ़ारग़ ख़ती | १) |
| عصہ/ | لکھت بھوگلاوہ یعنی رہن نامہ قبضہ مکان | ۸ | ८ | लिखत भोगला वा | १) |
| عصہ/ | لکھت کارکوٹ یعنے بیعنامہ | ۹ | ९ | लिखत कार कूट | १) |

| قیمت | قسم کاغذات | نمبر | नम्बर | क़िसम काग़ज़ात | क़ीमत इष्टाम |
|---|---|---|---|---|---|
| عصہ | پروانہ خاطری یعنے رعایتی | ۱۰ | १० | परवाना ख़ातिरी रिआयती | १) |
| عصہ | پٹہ ... یعنے قبالہ | ۱۱ | ११ | पट्टा तालीक़ा याने कबाला | १) |
| عصہ ۱۲ | اجازت نامہ نکاح و طلاق | ۱۲ | १२ | इजाज़त नामा निकाह व .. क़ | १) |
| عصہ ۱۴ | نقل حکم اپیل | ۱۳ | १३ | नकल हुकम | १) |
| عصہ ۱۴ | پروانہ عدالت | ۱۴ | १४ | परवाना अदालत | १) |
| ۲ | کاغذات طلب اوٹھاتیری فیصدی | ۱۵ | १५ | काग़ज़ात तलब उठांतरी | २) |
| عا | ... یعنی اقرارنامہ تبنیت | ۱۶ | १६ | लिखत खोला | २) |
| للعہ | مختارنامہ عام | ۱۷ | १७ | मुखतियार नामा आम | ४) |

| دستاویز اجارہ جو اجارہ دار دیگا | | | दस्तावेज़ इजारा जो इजारेदार देवेगा ॥ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲) | ایکہزار روپے تک | ۱ | १ | एक हज़ार रुपै तक | २) |
| ۵) | ایکہزار روپے سے زیادہ | ۲ | २ | एक हज़ार रुपै से ऊपर | ५) |